त्रयोदश माला, खंड 16, अंक 28

मंगलवार, 24 अप्रैल, 2001

4 वैशाख, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

FOR REFERNCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

PARLIAMENT LIBRARY
No. 2 52
Date 6.2.02

छठा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)



(खंड 16 में अंक 22 से 31 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

सतेन्द्र सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 16, छठा सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 28, मंगलवार, 24 अप्रैल, 2001/4 वैशाख, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 521 से 523 और 525	3–37
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 524 और 526 से 540	37–58
अतारांकित प्रश्न संख्या 5473 से 5640	58–303
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	
सभा के कार्य के बारे में	303
सभा पटल पर रखे गए पत्र	304–315
प्राक्कलन समिति	
पांचवां प्रतिवेदन	
और	
की गई कार्यवाही संबंधी विवरण	316
लोक लेखा समिति	
विवरण	316
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति	
पांचवां प्रतिवेदन	316
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
तेरहवां से सत्रहवां प्रतिवेदन	317
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
सौवां से एक सौ छठा प्रतिवेदन	317
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
नब्बेवां और इक्यानवेंवां प्रतिवेदन	318
समिति के लिए निर्वाचन	
राष्ट्रीय केडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति	318
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) झारखंड के गिरिंडीह, धनबाद और बोकारो जिलों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	319

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(दो)	बिहार के डुमरियाघाट-अरेराग-हरसिद्धि रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राधा मोहन सिंह	319
(तीन)	उत्तर प्रदेश में गोरखपुर-गौंडा लूप लाइन का आमान परिवर्तन शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामपाल सिंह	320
(चार)	छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और जांजगीर जिलों में बिल्हा और जांजगीर रेलवे स्टेशनों पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री पुन्नू लाल मोहले	320
(पांच)	उड़ीसा के कालाहांडी जिले में पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान के लिए पेयजल योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री बिक्रम केशरी देव	321
(छह)	शाजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुछ सड़कों को केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री थावरचन्द गेहलोत	321
(सात)	किसानों के हितों की रक्षा के लिए सोयाबीन और पॉम ऑयल पर सीमा शुल्क में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिभाई चौधरी	322
(आठ)	गेहूं के समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
	राजकुमारी रत्ना सिंह	322
(नौ)	कर्नाटक में न्यू मंगलौर पत्तन का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री विनय कुमार सोराके	323
(दस)	बिहार के शेखपुरा जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री राजो सिंह	323
(ग्यारह)	राजस्थान के बाड़मेर जिले में लूनी-बाड़मेर-मूनाबाब रेल लाइन पर रेल फाटक बनाए जाने की आवश्यकता	
	कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी	324
(बारह)	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	डा. मन्दा जगन्नाथ	324
(तेरह)	उत्तर प्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में संसद सदस्यों को शामिल किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्रनाथ सिंह	325
(चौदह)	बिहार के सहरसा में डाक विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री दिनेश चन्द्र यादव	325
(पन्द्रह)	हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 पर दोहरी दिवाल और कुम्हार हूट्टी के बीच बाई-पास का समुचित रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता	
	कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य	326

विषय	कॉलम
सामान्य बजट, 2001-2002- अनुदानों की मागें.	328-403
(एक) ग्रामीण विकास मंत्रालय	
श्री मणि शंकर अय्यर	329
श्री शिवराज सिंह चौहान	340
श्री समर चौधरी	350
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी	353
कुंवर अखिलेश सिंह	358
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	362
श्री अनंत गंगाराम गीते	366
डा. बलिराम	367
श्री रघुनाथ झा	370
श्री भान सिंह भौरा	373
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	376
श्री के.एच. मुनियप्पा	378
श्री एम. वैंकय्या नायडू	380
श्री के.पी. सिंह देव	403
(दो) विनिवेश विभाग	404-409
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	405
श्री किरीट सोमैया	418
प्रो. ए.के. प्रेमाजम	425
डा. बी.बी. रमैया	429
श्री रामजीलाल सुमन	432
श्री प्रकाश परांजपे	434
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	437
श्री ब्रहमानन्द मंडल	441
श्री रामजीवन सिंह	444
श्री राम सजीवन	448
श्री रामदास आठवले	449
श्री खारबेल स्वाइं	449
श्री अरुण शौरी	453
श्री शिवराज वि. पाटील	474

विषय	कॉलम
विनियोग (संख्याक 2) विधेयक.	493–496
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवन्त सिन्हा	493
खण्ड 2 से 4 और।	495
पारित करने के लिए प्रस्ताव	496

लोक सभा

मंगलवार, 24 अप्रैल, 2001/4 वैशाख, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न 521.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में धान की खरीद में लापरवाही बरती गई।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः अभी नहीं, जीरो आवर में उठाइए।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, मैं चार दिनों से बराबर नोटिस दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप जीरो आवर में उठाइए।

कुंवर अखिलेश सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार सदन में किसानों की बात को उठा रहा हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कुंवर अखिलेश सिंह, आप इस मामले को 'शून्य काल' में उठा सकते हैं। लेकिन इस समय नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः सर, जीरो आवर तो हो ही नहीं रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः इस प्रकार से रोज-रोज हाउस को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। आप कृपया बैठ जाइए। 12 बजे के बाद मैं आपको मामला उठाने की इजाजत दूंगा।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंहः अध्यक्ष महोदय, देश का किसान मर रहा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश कुमार जी, कृपया बैठिए। आप इस मामले को जीरो आवर में उठाइए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः अध्यक्ष महोदय, बिहार में हिंसा में 200 लोग मारे जा चुके हैं और मुझे आप यह मामला उठाने का समय नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको 12 बजे के बाद, जीरो आवर में यह मामला उठाने के लिए समय दे दूंगा। अब आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि बार-बार किसानों की समस्याओं के ऊपर सदन में चर्चा हुई। पहले गेहूं का खरीद मूल्य घोषित करने में सरकार ने देर लगाई। उसके बाद गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। गेहूं पैदा करने वाला किसान बर्बाद हो गया है। वह अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर है। इसी प्रकार की स्थिति धान की हुई। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में कम से कम सरकार कोई एक निर्णय ले। गृह मंत्री महोदय यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वे कम से कम कोई एक निर्णय लें कि किसान के बारे में आपकी क्या नीति है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, हम भी इस बारे में उतने ही चिंतित हैं। अध्यक्ष महोदय, आप कृपया इस मुद्दे को सरकार के साथ उठाएं और इस पर चर्चा की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः अध्यक्ष महोदय, आपने उन्हें सुन लिया है, तो कृपया मेरी बात भी सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको शून्य-काल में सुनूंगा। अब आप बैठ जाइए। इस प्रकार से रोजाना हाउस को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः अध्यक्ष महोदय, आपने उनको सुना है, मुझे भी सुन लीजिए। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री यादव, आप इस मामले को 'शून्य काल' में भी उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसमें से कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

(व्यवधान)...*

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

संशोधित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

+

*521. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए संशोधित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 1999-2000 के अन्तर्गत प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई/उपलब्ध करायी गई;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पक्के शौचालयों का निर्माण करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को किसी एजेंसी/राज्य से स्कूलों में शौचालयों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विवरण

(क) और (ख) पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम दिनांक 1 अप्रैल, 1999 से लागू हुआ और इसमें राज्यवार आबंटन के सिद्धांत की बजाय चरणबद्ध तरीके से मांग आधारित जिलावार अभियानोन्मुख दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसलिए वर्ष 1999-2000 के दौरान निजी घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपलब्ध जानकारी के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान पुनर्गठित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत 5.76 लाख शौचालय निर्मित किए गए।

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान निधियां जारी करने से संबंधित राज्य-वार विवरण संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(घ) से (ज) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय स्वच्छता संपूर्ण स्वच्छता अभियान का एक अभिन्न अंग है। विद्यालयों में स्वच्छ शौचालय मुहैया कराने के लिए 20,000 रुपए की अनुमति है जिसे भारत सरकार, राज्य सरकार और विद्यालय प्राधिकारियों/अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा 6: 3:1 के अनुपात में वहन किया जाता है। वर्तमान में संपूर्ण स्वच्छता अभियान को देश के पहचान किए गए 150 जिलों में चलाया जा रहा है जिनमें से अभी तक 85 जिलों से आये परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं जिनमें 90802 विद्यालय शौचालय शामिल हैं।

अनुबंध

वर्ष 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार रिलीज

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिलीज
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1074.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.48
3.	असम	133.22
4.	बिहार	729.75
5.	गोवा	0.00
6.	गुजरात	484.10
7.	हरियाणा	0.00

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	42.13
9.	जम्मू व कश्मीर	0.00
10.	कर्नाटक	997.19
11.	केरल	253.03
12.	मध्य प्रदेश	438.11
13.	महाराष्ट्र	1838.02
14.	मणिपुर	8.96
15.	मेघालय	0.00
16.	मिजोरम	1.90
17.	नागालैंड	0.00
18.	उड़ीसा	771.04
19.	पंजाब	0.00
20.	राजस्थान	556.80
21.	सिक्किम	25.43
22.	तमिलनाडु	1052.49
23.	त्रिपुरा	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	737.77
25.	प. बंगाल	0.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00
27.	चंडीगढ़	0.00
28.	दादर एवं नगर हवेली	0.00
29.	दमन व दीव	0.00
30.	दिल्ली	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.00
32.	पांडिचेरी	2.50

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसमें स्कूल सैनेट्री प्रोग्राम चालने की जो घोषणा की है, उसके अनुसार सभी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण जल्दी से जल्दी करने हेतु क्या एन.जी.ओज. को काम देने पर सरकार विचार करेगी और क्या सरकार ने ऐसा निर्णय कर लिया है, यदि हां, तो क्या सरकार के पास एन.जी.ओज. की राज्यवार सूची आई है और इसके साथ ही साथ,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मिस्टर गांधी, एन.जी.ओज. के बारे में प्रश्न संख्या 522 है, जो अगला प्रश्न है। यह प्रश्न संख्या 521 है। यह उससे अलग है।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: सर, इस प्रश्न में भी मैंने मंत्री महोदय से पूछा है कि स्कूल सैनेट्री प्रोग्राम को इम्पलीमेंट करने के लिए क्या वे एन.जी.ओज. को यह काम देंगे या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह अच्छा अनुपूरक प्रश्न है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्कूलों में स्वच्छता का प्रश्न है, यह सरकार द्वारा चलाए गए समग्र स्वच्छता कार्यक्रम का अभिन्न भाग है। इसके लिए हमने 150 जिलों की पहचान की है। इनमें से 85 जिलों को राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद मंजूरी दी जा चुकी है।

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका से संबंधित अनुपूरक प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में यह पाया गया है कि गैर सरकारी संगठनों को भी इस क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, हम शिक्षा विभाग के साथ भी घनिष्ठ समन्वय और सहयोग बनाए रखना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि 1995 में केन्द्र सरकार ने व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण के लिए रु. 4,000/- की धनराशि निश्चित की थी जिसमें से केन्द्र सरकार रु. 1,500/-, राज्य सरकार रु. 1000/- तथा लाभार्थी रु. 1,500/- वहन करता था।

सरकार ने यह स्कीम बंद कराकर अभी 625 रुपये की नई स्कीम शुरू की है जिसमें 500 रुपये सरकार दे रही है और 125 रुपये लाभार्थी को भरने हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले साल पूरे देश भर में 50 लाख 87 हजार नये शौचालय बने हैं। एक हजार बस्ती के ऊपर के गांव में इस प्रकार के शौयालय बनाये गये हैं लेकिन पानी की पूरी सुविधा न होने की वजह से

वे यशस्वी नहीं हुए हैं। क्या सरकार की ओर से एक हजार या 1500 बस्ती के गांव में सुलभ शौचालय बनाये जायेंगे ताकि लोगों में यह अवेयरनैंस आये कि स्वच्छता का क्या महत्व है और वे उसका यूज करे? इस दृष्टि से सरकार ने कुछ सोचा है या नहीं?

श्री एम. वैंकय्या नायडू: अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमने 40 लाख टायलेट्स का निर्माण सी.आर.एस. प्रोग्राम में किया है जिस पर हमने 645 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। मगर आजकल देश के सामने जो स्थिति है,

[अनुवाद]

उसके अनुसार देश में कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या लगभग पन्द्रह करोड़ है। नौंवी योजना में 3.75 करोड़ परिवार शामिल किए जाने हैं लेकिन इसके बाद भी करीब 11.25 करोड़ परिवार छूट जाएंगे। यदि हम इन सभी परिवारों को स्वच्छता सुविधाएं देने के लिए राजसहायता उपलब्ध कराएं तो इसके लिए हमें 22,500 करोड़ रुपए की राशि खर्च करनी होगी। सामान्य तौर पर सरकार और विशेष तौर पर विभाग की स्थिति को देखते हुए गहन अध्ययन के बाद यह निर्णय लिया गया कि हमें लोगों में जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाना होगा, बड़ी संख्या में लाभार्थियों को योजना में शामिल करना होगा और इस क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों से सहायता भी लेनी होगी।

इन सब बातों को देखते हुए मैं माननीय सदस्य महोदय को यह आश्वासन नहीं दे सकता हूं कि सुलभ शौचालय की सेवा देश के सभी भागों में उपलब्ध कराई जा सकती है क्योंकि वर्तमान स्थिति में यह कार्यक्रम चरणबद्ध ढंग से चलाया जा रहा है। तीन वर्षों की अवधि के अन्दर हम देश के सभी जिलों को इस योजना के अन्तर्गत लाना चाहते हैं। अब तक 150 जिलों की पहचान की गई है और, जैसा मैं कह चुका हूं, 85 जिलों के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है तथा वहां काम चल रहा है।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, गांव में गरीब महिलाएं और बूढ़े लोग जिनके घर में शौचालय नहीं हैं, वे सड़कों पर शौच करने के लिए बाध्य होते हैं। इससे गांव गंदा होता है। जैसे ही हमें सड़कों पर गंदगी दिखने लगती है, हम समझ जाते हैं कि गांव आ गया है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आपने जो स्वच्छता कार्यक्रम पुनर्गठित किया है, उसमें गांव का सर्वेक्षण कराकर चूंकि निजी वालों का कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है। 5.76 लाख शौचालयों का उन्होंने निर्माण किया है। जब साढ़े पांच लाख गांव में इस तरह की कुव्यवस्था स्वच्छता के अभाव है तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि गांव में जो आम आदमी सड़कों और खेतों में पाखाना करने के लिए बाध्य होते हैं, उनके लिए शौचालयों का प्रबंध करने के लिए आपके पास कोई योजना है? क्या आप उन गांवों का सर्वेक्षण कराकर एक ठोस कार्यक्रम का निर्धारण करेंगे और उसमें आपका लक्ष्य क्या है, यह हमें बताइये।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो स्थिति बताई है, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसमें सचमुच पैसों की प्राब्लम है। जैसा मैंने कहा कि हम टारगेट तो रख सकते हैं लेकिन टारगेट एचीव करने के लिए पैंसों की भी जरूरत है। 22,500 करोड़ रुपये में से हरेक साल हम केवल 150 करोड़ रुपये दे रहे हैं। इसमें काफी समय लगेगा इसलिए हमने इसमें सोसायटीज और इंडीविजुअल बेनीफिशरीज को भी इन्वाल्व करने के बारे में सोचा है। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि सेनीटेशन स्टेट सब्जैक्ट है। केन्द्र सरकार सेनीटेशन प्रोग्राम में प्रदेश सरकार को टेक्नीकल और फाइनेंशियल रूप में मदद करती है। इसलिए स्कूल सेनीटेशन में जो सबसिडी है, वह 6:3:1 के रेशियो से सैंट्रल गवर्नमैंट स्टेट को मदद कर रही है। जहां तक इंडीविजुअल हाउस होल्ड के बारे में आपने कहा और ग्रामीण इलाके में आजकल जो स्थिति है कि औरतों को सड़कों पर शौच करने के लिए जाना पड़ता है तो वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। जब पैसा मिलेगा तभी यह कार्यक्रम पूरा होगा। अभी हमारे सामने तीन साल में सारे देश में यह फैसीलिटीज प्रोवाइड करने का लक्ष्य है। इसके लिए हमने पायलट डिस्ट्रिक्ट के रूप में 150 डिस्ट्रिक्ट को चुना है और आने वाली तीन साल में हम यह कार्यक्रम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं मंत्री महोदय के उत्तर में कही गई इस बात से पूरी तरह समहत हूं कि स्वच्छता संबंधी इस पहलू पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया इस बात को भी ध्यान में रखें कि आज हमें ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर भी चर्चा करनी है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस है कि गुजरात जैसे राज्य में अभी भी सफाई कर्मियों द्वारा सिर पर मैला ढोए जाने की प्रथा जारी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की रिपोर्ट की एक प्रति मेरे पास है। 11 मार्च, 1996 को "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में खबर प्रकाशित हुई थी कि अहमदाबाद जिले के रानपुर गांव में सिर पर मैला ढोने की प्रथा उस समय प्रचलित थी। मैंने यह मामला सामाजिक न्याय और अधिकारिता

मंत्रालय के साथ उठाया था और इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए गुजरात में एक अधिकारी को तैनात किया गया था। गुजरात में 14,000 से ज्यादा शुष्क शौचालय हैं। मैं मानता हूं कि पिछले साल भी केंद्र सरकार ने मलिन बस्तियों की सफाई के नाम पर पैसा जारी किया था। प्रधान मंत्री योजना के नाम पर प्रत्येक नगरपालिका को 1.25 करोड़ रुपए की राशि दी गई। लेकिन ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि यह पैसा नगरपालिका के मलिन क्षेत्रों की सफाई के लिए न खर्च कर प्रशासनिक कामों के लिए खर्च किया गया।

मैं आपका ध्यान विशेष तौर पर इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि गुजरात के लिए केवल 4.84 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई जो कि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिए आबंटित राशि से चार गुना कम है। जहां महात्मा गांधी ने जन्म लिया वहां 'हरिजन' आज भी सिर पर मैला ढ़ो रहे हैं। इस अमानवीय प्रथा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार क्या कदम उठाएगी?

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: हरिजन शब्द मत बोलिए।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: हरिजन शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन बिना बोले वे समझते नहीं हैं। हम हरिजन शब्द के खिलाफ हैं लेकिन वे लोग वही शब्द मानेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू: जिस स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया गया है, उसके सम्बन्ध में मैं मानता हूं कि यह प्रथा देश के कुछ भागों में अभी भी प्रचलित है। सचमुच यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी को इसे जल्द से जल्द खत्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शुष्क शौचालयों को कम लागत वाली सेनिटरी लेट्रीनों में तब्दील करके हाथ से मैला हटाने की प्रथा को खत्म किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रायोगिक परियोजना चला रहे हैं जिसमें जल्द से जल्द देश के अधिक से अधिक भागों को शामिल किया जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि इसके लिए 150 जिलों को चुना गया है। जहां तक गुजरात का सम्बन्ध है,

[हिन्दी]

आपने जो बताया, वह शहरी इलाका है। वह मेरी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता लेकिन फिर भी मैं उसे नोट करके अर्बन मिनिस्ट्री को पत्र लिखूंगा और उनका ध्यान आकर्षित करूंगा।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैंने विशिष्ट तौर पर अहमदाबाद जिले के रानपुर गांव के बारे में बात की है। यह समस्या वहां बहुत व्यापक है।

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकय्या नायडू: आपने गांव का नाम दिया। मैं उसे नोट करके गुजरात सरकार से सम्पर्क करूंगा। वहां की स्थिति क्या है, उसका अध्ययन करने के बाद उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। गुजरात के बारे में सीधा जवाब देना अभी संभव नहीं है और मेरे पास जानकारी भी नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली में डीजल की गाड़ियां नहीं चलेंगी, उनके इंजन बदले जाएंगे। केवल दिल्ली में प्रदूषण दूर करने के उपाय सोचे जा रहे हैं। जैसा माननीय रघुवंश जी ने कहा, असली प्रदूषण यह है कि गांवों या गरीब मोहल्लों में शौचालयों का इंतजाम नहीं है। प्रत्येक घर में शौचालय बनाने का इंतजाम हो। उसके दो कारण हैं। क्या सरकार उस पर विचार करेगी? त्रेपन सालों की आजादी के बाद भी अभी तक गांवों की स्थिति यह है कि महिलाएं सूर्य निकलने से पहले या सूर्य अस्त होने के बाद शौच के लिए जा सकती हैं। अगर सूर्य निकल जाएगा तो नहीं जा सकतीं। पेट में पाखाना रखना पड़ता है जिससे बीमारियां होती हैं। उनके छोटे-छोटे बच्चों को जहां जगह मिलती है, वहीं शौच कर देते हैं। असली प्रदूषण दूर करने का जो प्रयास होना चाहिए, जिस पर खर्च करना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, उस पर सरकार क्या विचार कर रही है? अगर प्रदूषण दूर करना है तो केवल दिल्ली की डीजल गाड़ियों को बंद करके दूर नहीं हो सकता। अगर पूरे देश को प्रदूषण से मुक्त करना है तो सबसे पहले गरीब लोगों के शौचालय का घर-घर में इंतजाम करना, आपने तीन साल का कहा। क्या हिन्दुस्तान के प्रत्येक घर में तीन साल के अंदर शौचालय और नहाने का इंतजाम करेंगे? और इसमें कोई पक्षपात न हो कि यह दलित है, यह पिछड़ा है या अगड़ा है। वह चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिन्दू हो, प्रत्येक गरीब के घर में क्या आप शौचालय का इन्तजाम कराएंगे और कराएंगे तो कितने साल में कराएंगे?

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू: यह देश इतना बड़ा है कि इसमें 6,38,000 से भी अधिक गांव हैं और लगभग 14 लाख बस्तियां हैं। इसका मतलब है कि बहुत संख्या में छोटे-छोटे गांव हैं। जैसाकि हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री मुलायम सिंह यादव ने ठीक ही

कहा है कि समस्या बहुत ही गंभीर है। एक मानव होने के नाते और एक राजनीतिज्ञ होने के नाते कभी-कभी मुझे भी यह देखकर शर्म महसूस होती है कि मेरे गांव की महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले शोच के लिए बाहर जाती है और शौच कर पाती है। किन्तु वास्तविकता यही है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए एक अध्ययन कराया गया था। उस अध्ययन के अनुसार यह पाया गया है कि आजादी के 53 वर्षों बाद भी वर्तमान में कुल ग्रामीण सफाई लगभग 18 प्रतिशत है। हमारे सामने 82 प्रतिशत का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसे हमें पूरा करना है।

[हिन्दी]

परसेन्ट रीच करने के लिए कितना समय लगेगा, वह पैसे की उपलब्धि पर निर्भर है।

[अनुवाद]

जबतक कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं होगा, तब तक हम देश के सभी घरों में व्यक्तिगत सफाई व्यवस्था की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय नहीं कर सकते।

किन्तु, साथ ही हम लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, उनमें जागरूकता लाना चाहते हैं और इस क्षेत्र में गैरसरकारी संगठनों को लाना चाहते हैं ताकि वे भी केन्द्र सरकार के प्रयासों में सहभागी बन सकें। हालांकि, यह मूलत: राज्य का मामला है, जैसा कि मैं पहले ही सभा को इस बात से अवगत कर चुका हूं। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद कर रही है। हमारे प्रयासों से, हम राज्य सरकारों के प्रयासों मे मदद कर रहे हैं।

[हिन्दी]

इसलिए टाइम फ्रेम का कोई स्पेसिफिक आश्वासन देना संभव नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तो सरकार ने थोड़े ही कार्यकाल (1/2 साल) में पांच लाख से सात लाख शौचालय बनवाये थे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: स्वयंसेवी संस्थान तो, मंत्री जी, सिर्फ अपने कमाने के लिए बाद करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं करें। प्रश्न पूछने के लिए चेयर की परमीशन लेनी चाहिए यह सुओ मोटो नहीं होता है।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: महोदय, हम समस्या की गंभीरता को समझते है .कि ग्रामीण आबादी के मात्र 18 प्रतिशत को ही स्वच्छ शौयालय मुहैया कराए गए है। किन्तु, फिर भी, उच्च प्राइमरी स्कूलों और हाई स्कूलों के संदर्भ में जहां किसी भी हाई स्कूल या उच्च प्राइमरी स्कूल के पास शौचालय नहीं है, स्कूल जैसे कतिपय क्षेत्रों को प्राथमिकता दे सकते हैं। इससे विशेषकर छात्राओं को कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए हमें कम-से-कम इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। माननीय मंत्री ने जवाब दिया है कि इसमें राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार और फिर स्कूल समितियों या ग्राम्य समितियों को हाथ बटाना चाहिए यदि यह बात है, तो गांव इस बोझ को उठाने के लिए आगे नहीं आएंगे। केवल राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार ही इसे कर सकती है। क्या माननीय मंत्री इस पहलू पर विचार करेंगे? क्या वे इस बात को समझ सकेंगे कि गांवों की भागीदारी खत्म कर दी जाएं? यदि ऐसा किया जाता है तो, कम-से-कम दसवीं योजनावधि में उच्च प्राइमरी स्कूलों व हाई स्कूलों को स्वच्छता शौचालय मुहैया हो जाएंगे। इससे छात्राएं लाभान्वित होंगी। फिर अन्य घरों में स्वच्छ शौचालयों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: 932 करोड़ रुपए की लागत वाली 85 पायलट परियोजनाओं में, जिसका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं 75 लाख शौचालय ग्रामीण घरों के लिए हैं, 90,000 स्कूलों के लिए हैं, 9,500 सफाई से जुड़े परिसर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए हैं; 6,200 शौचालय बालवाड़ी और आंगनवाड़ी के लिए है। और 711 ग्रामीण सफाई से संबंधित बाजार व उत्पादन केन्द्र है ताकि स्थानीय स्तर पर सामग्री उपलब्ध हो सके।

हाई स्कूलों को प्राथमिकता दिए जाने के मामले के संबंध में जिसके प्रति उन्होंने सभा का ध्यान दिलाया है चूंकि छात्राएं बड़ी होती हैं अत: उनसे हम यह आशा नहीं कर सकते कि वे

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

खुले स्थान में शौच के लिए जाएं। मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा और दिशा-निर्देश में भी इस बात को स्थान दूंगा कि प्राथमिकता सबसे पहले हाई स्कूलों को तब उच्च प्राइमरी स्कूलों को और फिर इसी तरह क्रम से दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढे: अध्यक्ष जी, मेरा क्वश्चन है कि डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन एम.पी. को बनाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: वे सही कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को यह मालूम होना चाहिए कि यह डिबेट नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है, उसमें यह माना है कि ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है कि कितने शौचालय किस प्रांत में बनेंगे। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रांतश: कुछ पैसा दिया गया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रांतश: मांग कितनी थी और जो पैसा दिया गया उसके यूटिलाइजेशन का प्रतिशत क्या है? मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा, मेरी जानकारी के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को पहले गृह निर्माण के लिए 18,000 रुपए मिलते थे, अब 20,000 रुपये मिलते हैं। इसी तरह शौचालयों के लिए उनको पहले चार हजार रुपए मिलते थे, अब छ: हजार रुपए मिलते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की ऐसी हालत है कि शौचालय तो छोड़ दीजिए, इन लोगों के पास गृह निर्माण के लिए भी पैसा नहीं है। क्या मंत्री जी ऐसे गांवों में इस बात पर विचार करेंगे कि वहां स्थानीय जगहों पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाए और मेनटेनेंस का पैसा पंचायतों को दिया जाए, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, क्योंकि उनके पास गृह निर्माण के लिए भी जगह नहीं है, शौचालय के लिए कहां जाएं।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: अध्यक्ष महोदय, उन्होंने प्रदेशों की जानकारी के बारे में जो सवाल पूछा है, वह जानकारी इकट्ठा करके मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा। साथ ही साथ उन्होंने दूसरा सवाल पूछा है कि मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है तो सैनिटेशन के लिए जमीन कहां से मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस राज्य सरकारों को दी गई हैं, उसमें यह प्रावधान है कि जहां-जहां समग्र आवास योजना या इंदिरा आवास योजना के तहत गृह निर्माण हो रहा है, वहां मकान के साथ ही शौचालय की सुविधा भी होनी चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि कई जगहों पर ऐसा नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए हमने एजुकेटेड प्रोग्राम भी दिया है और हम प्रसार भारती की भी सहायता ले रहे हैं। इसके साथ ही लोकल विलेज कमेटी को भी इसमें इन्वाल्व करके सैनिटेसन की जरूरत क्या है, इसके बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जहां तक पैसे का सवाल है, तो जितना आटा, उतनी रोटी यानी जितना पैसा उतना ही काम हो सकता है। हमारे पास पैसे की कमी है, यह मैं स्वीकार करता हूं।

कपार्ट द्वारा काली सूची में दर्ज गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

***522. डा. बलिराम:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कपार्ट द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक राज्य-वार कितने गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में दर्ज किया गया;

(ख) क्या कपार्ट ने इन गैर सरकारी संगठनों को जो काली सूची में दर्ज है और ऐसे सरकारी संगठनों को जिन पर वित्त पोषण के लिए प्रतिबंध है, कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या-क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे संगठनों को राज्यवार और परियोजना-वार कितनी धनराशि मंजूर की गई और जारी की गई;

(ङ) क्या इसके लिए कपार्ट के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (छ) पिछले तीन वर्षों में कपार्ट द्वारा काली सूची में डाले गए 26 गैर सरकारी संगठनों का राज्यवार ब्यौरा अनुबन्ध

में दिया गया है। पाजाकुलम सोशल सर्विस सोसाइटी, पटनामिथैट्टा (केरल) काली सूची में दर्ज नहीं थी लेकिन उसे वित्त पोषण के प्रतिबन्धों के अधीन होते हुए भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा काली सूची में दर्ज किए जाने के आधार पर कपार्ट द्पारा 10.8.1998 को इस स्वैच्छिक संगठन को चूककर्त्ता श्रेणी में रखा गया।

अन्य मंत्रालयों/स्वायत्त निकायों द्वारा गैर सरकारी संगठन को काली सूची में दर्ज करने से वह गैर सरकारी संगठन चूककर्त्ता श्रेणी में रखे जाने के कारण कपार्ट की सहायता के लिए अपात्र हो जाता है। तथापि, इस संगठन को फरवरी, 1999 में 9.35 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी। जब इसका खुलासा हुआ तो तत्काल पूर्वोक्त राशि को स्वैच्छिक संगठन से वसूल किया गया और उसे मार्च, 1999 में कपार्ट मुख्यालय के खाते में जमा कर दिया गया। स्वैच्छिक संगठन अब भी वित्त पोषण संबंधी प्रतिबन्धों के अधीन है।

इस स्वैच्छिक संगठन से जारी राशि को वसूलने के बावजूद कपार्ट के तीन कर्मचारियों के विरुद्ध कदाचार के लिए अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। इनमें से दो कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है, जबकि शेष एक कर्मचारी को अन्य मामले में अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिया गया है।

अनुबंध

वर्ष 1998-99 कोई मामला नहीं।

वर्ष 1999-2000

राज्य	काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठनों की संख्या
1	2
बिहार	1
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	1
उत्तर प्रदेश	1
कुल	4

वर्ष 2000-2001 (वित्तीय वर्ष)

राज्य	काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठनों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	2
दिल्ली	1
हरियाणा	3
झारखण्ड	1
मध्य प्रदेश	3
मणिपुर	2
नागालैण्ड	2
उड़ीसा	1
तमिलनाडु	2
उत्तर प्रदेश	4
प. बंगाल	1
कुल	22

कुल = 26

[हिन्दी]

डा. बलिराम: माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसको देखने से लगता है कि उसमें बहुत सी टाल-मटोल की गई है और कई चीजों को छुपाया गया है। मैंने पूछा था कि कपार्ट ने गैर-सरकारी संगठनों को जो काली सूची में दर्ज किया है, ऐसे कितने संगठन हैं जिन पर वित्तीय पोषण के लिए प्रतिबंध लगाया गया है और कितने लोगों को प्रतिबंध के बावजूद भी धन दिया गया है। इसकी सूची लिखित उत्तर के साथ संलग्न नहीं की है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह सूची कब तक दे देंगे और अभी क्यों नहीं दी है?

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू: प्रश्न के अनुसार, मैंने उन 26 गैर सरकारी संगठनों का राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा दे दिया है जिन्हें कपार्ट ने गत दो वर्षों में काली सूची में दर्ज किया है। सोसायटी के नाम अथवा स्थान के संबंध में यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन सभी 26 संगठनों के नाम पढ़ सकता हूं। मेरे पास जानकारी है, और मैंने समझा कि मुझे सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. बलिराम, यह तो उत्तर में पहले से ही है।

...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकय्या नायडू: संख्या दी गयी है। यदि आप नाम जानना चाहें तो उन्हें पढ़ सकता हूं...*(व्यवधान)*

प्रो. ए. के. प्रेमाजम: ब्यौरा नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय जी, आप सदस्य को बाद में अलग-अलग नाम भी भेज सकते हैं।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: महोदय मैं ऐसा ही करूंगा।

श्री आर.एल. जालप्पा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को काली सूची में दर्ज किये गये और गैर सरकारी संगठनों के नाम पढ़ने चाहिए।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: मैं अध्यक्ष पीठ के निर्देशों से बंधा हुआ हूं।

महोदय, यदि आप निर्देश देंगे तो मैं नाम पढ़ूंगा।

अध्यक्ष महोदय: नहीं; आप बाद में माननीय सदस्य को सूची भेज सकते हैं।

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, केवल 26 नाम हैं। उन्हें ये सभी नाम पढ़ने चाहिए ताकि हम सभी को इनके बारे में पता लग सके।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: ये हैं:

(1) ताल्मरला इंटेग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट एण्ड सोशल एजूकेशनल सोसायटी, सत्य साईं तालुक, डिस्ट्रिक्ट अनंतपुर, आंध्र प्रदेश।

(2) रूरल पीपुल डेवलपमेंट सोसायटी, कोय्यलगुडेम विलेज चौत सैप्पल मंडल, डिस्ट्रिक्ट नालगोन्डा, आंध्र प्रदेश।

(3) सेंटर फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट सी.एम.यू. बिल्डिंग, कोहिमा-इम्फाल रोड़, पो. बाक्स. नम्बर, 287, डिस्ट्रिक्ट कोहिमा नागालैंड।

(4) स्टडी एंड एक्शन फॉर काम्प्रिहेनसिव डेवलपमेंट, पी.ओ. बॉक्स नं. 26, दीमापुर, नागालैंड।

(5) ग्रामोदय, गांव टिहरीडाकघर देवरिया, उत्तर प्रदेश।

(6) जय भारत नर्सरी स्कूल समिति, गोसाईं तालाब सिविल लाइन्स, जि. मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश.

(7) फारेस्ट्री एण्ड रूरल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, 9, स्टेट बैंक कॉलोनी, जिला-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।

(8) जन उद्योग ग्रामीण विकास कल्याण समिति, अम्बेडकर कॉलोनी, जिला-फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।

(9) नूतन ग्राम विकास समिति, पोस्ट आफिस-गोवाहर, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश।

(10) राजा एजूकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, राजा नगर, वडक्कनगुलम, जिला तिरुनेनलवेली कोटा बोम्मन, तमिलनाडु।

(11) सेल्वम एजूकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, 4/59, अनबू स्ट्रीट, पोननासंदर कॉलोनी, जिला-कन्याकुमारी, तमिलनाडु।

(12) तमेई एरिया ट्राइबल-डवलपमेंट एसोसिएशन, गांव तोलोलौंग डाकघर तमेई, जिला-तामेनलौंग मणिपुर।

(13) सपेरमैना विमेन सोसायटी, गांव और डाकघर सपेरमैना सदर हिल्स, जिला सेनापति, मणिपुर।

(14) यूथ मोबीलाइजेशन फॉर नेशनल एडवांसमेन्ट, केयर ऑफ रघुनाथ रॉय, रॉय गोविन्द भवन, जि. देवघर, झारखंड।

(15) सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र गांव और डाकघर पथराही, आर.एस. झंझारपुर, जि. मधुबनी, बिहार।

(16) कालीगंज ब्लॉक ग्रामीण खुदरा एंड खुटीर शिल्प जन कल्याण समिति ग्राम दंगापारा, डाकघर देबाग्राम, पश्चिम बंगाल।

(17) संस्थाहसारा, डाकघर संस्थापुर, वाया-गोन्डला, जिला ढेंकानल, उड़ीसा।

(18) ललित कोशी सेवा आश्रम, बैंक कॉलोनी, नंद नगरी, दिल्ली।

(19) लोक कल्याण समिति, सी-8 कौशल नगर जि. ग्वालियर, मध्य प्रदेश।

(20) सतपुड़ा इंटीग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, मैंसदेही, जि. बेतूल, मध्य प्रदेश।

(21) प्रिया सामाजिक कल्याण सेवा समिति, हाउस ऑफ लाम्टे, 203, अंसार कॉलोनी, एम.आई.जी. पुलिस स्टेशन के पीछे, इन्दौर, मध्य प्रदेश।

(22) सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन'स एसोसिएशन, गाँधी भवन, श्यामला हिल, भोपाल, मध्य प्रदेश।

(23) विमेन सोशल वेलफेयर सोसायटी, 778/27, मेडिकल क्रासिंग मॉडल टाउन, जि. रोहतक, हरियाणा।

(24) सोशल वेलफेयर एंड सोसायटी फॉर वीकर कॉम्यूनिटीज, 246, भोला निवास, सुर्कलर रोड, झज्जर, जिला-रोहतक, हरियाणा।

(25) शहीद क्लब, गांव और डाकघर सांजरवास, जिला, भिवानी, हरियाणा।

(26) सोशल इकॉनामिक असिसर्टेस फॉर रूरल एंड सिटी हैबिटेट्स 1/ए, प्रिंस ऑफ वेल्स ड्राइव, पुणे, जिला-पुणे, महाराष्ट्र।

[हिन्दी]

डा. बलिराम: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने ब्लैक लिस्टेड किन-किन प्रदेशों के अन्दर हैं, उनके बारे में बताया है, लेकिन उसकी सूची हमारे पास नहीं है। इसका भी उल्लेख नहीं है कि किन संस्थाओं को कितना पैसा दिया गया है, लेकिन नाम बता दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितना धन संस्थाओं को दिया गया है?

श्री एम. वैंकय्या नायडू: महोदय, इसकी सूची लम्बी है, इसलिए माननीय सदस्य को मैं लिखित रूप में जानकारी दे दूगां और इसीलिए मैंने सदन में सूची को पढ़ा नहीं है।

डा. बलिराम: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने ब्लैक लिस्टेड किन-किन प्रदेशों के अन्दर हैं, उनके बारे में बताया है, लेकिन उसकी सूची हमारे पास नहीं है। इसका भी उल्लेख नहीं है कि किन संस्थाओं को कितना पैसा दिया गया है, लेकिन नाम बता दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितना धन संस्थाओं को दिया गया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप उन्हें गैर-सरकारी संगठनों को आबंटित की गयी धनराशि के बारे में जानकारी भी भेज सकते हैं।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: कितनी धनराशि आबंटित की गयी, कितनी मंजूर की गयी और कितनी जारी की गयी और प्रभारो आदि से संबंधी सभी जानकारी का ब्यौरा में उन्हें भेज दूंगा।

श्री के. येरननायडू: अध्यक्ष महोदय, गैर सरकारी संगठनों को न केवल ग्रामीण विकास मंत्रालय से वरन् मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से भी धन मिल रहा है। लेकिन वे सही कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं इस संबंध में स्थानीय पंचायत, मंडल पंचायत, जिला पंचायत अथवा विधायकों और सांसदों को भी कोई सूचना नहीं दी गयी और न ही उनके कार्यकरण में कोई पारदर्शिता है। आगे से सरकार उनके लिए जितनी भी राशि मंजूर करे उसे जहां गैर सरकारी संगठन हों और जहां कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा हो उस स्थानीय ग्राम पंचायत को इस बारे में सूचना देनी चाहिए। सरकार को इस बारे में ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, विधायकों और संबन्धित क्षेत्र के सांसदों को जानकारी देनी चाहिए। इसमें बुरा क्या है? यहां तक कि जिला उपायुक्तों और विधायकों को भी इस बारे में जानकारी नहीं है। हम उन्हें सीधे धनराशि भेज रहे हैं। तो, फिर पारदर्शिता कहां है? आपको पारदर्शिता कैसे प्राप्त होगी?

अध्यक्ष महोदय: क्या यह आपका सुझाव है अथवा अनुपूरक प्रश्न है?

श्री के. येरननायडू: यह सुझाव नहीं है बल्कि अनुपूरक प्रश्न है। क्या सरकार इन सभी श्रेणियों के बारे में सुचित करेगी अथवा नहीं?

श्री एम. वैंकय्या नायडू: महोदय, जहां तक स्वयंसेवी संगठनों का संबंध है, सरकार के विभिन्न स्कंध और विभाग इन स्वयंसेवी संगठनों को वित्तपोषित करते है। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और कुछ हद तक ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा अन्य संगठन भी इसमें शामिल हैं। मैं इन संगठनों की ओर से तो उत्तर नहीं दे सकता।

माननीय मंत्री द्वारा उठाया गया संबंधित बिन्दु जारी की गई धनराशि की मात्रा, संगठनों के नाम और धनराशि जारी करने के प्रयोजन के विषय में है। यह एक अति-महत्वपूर्ण बात है। यदि इसे जनता के सूचनार्थ जारी किया जाये तो वे इसका समुचित क्रियान्वियन के विषय में स्वयं ही सजग रहेंगे।

यही कारण है कि मंत्रालय का कार्यभार संभालने के पश्चात् 'कपार्ट' के अध्यक्ष के रूप में और एक मंत्री होने के नाते, मैंने यह निर्णय किया है कि अब से, जो भी धनराशि किसी भी स्वयंसेवी संगठन को स्वीकृत की जाएगी, उसका ब्यौरा न केवल संबंधित जिला कलेक्टर को पहुंचाया जायेगा, अपितु इसे ग्रामसभा द्वारा ग्राम के सूचना-पटल पर भी प्रदर्शित कराया जायेगा।

अब, माननीय संसद सदस्य मुझसे इस सूचना को संसद्-सदस्यों और विधायकों को भी भेजने के बारे में पूछ रहे है। उन्हें यह सूचना उपलब्ध कराये जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: आप दिये जाने के एक महीने पहले सूचना दीजिए।

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू: असल बात तो यह है कि हमें इस तरह इतना उद्विग्न नहीं होना चाहिए ताकि काम में बाधा न पड़े। साथ ही, मैं सदस्यों की चिंता तथा इस व्यग्रता से भी अवगत हूं कि धनराशि का समुचित उपयोग होना चाहिए।

सभी गैर-सरकारी संगठन खराब नहीं हैं। साथ ही, इनकी थोड़ी निगरानी भी होनी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए ही हम इसे अनिवार्य बना रहे हैं। मैं 'कपार्ट' को धनराशि की संस्वीकृति के विषय में ससंद्-सदस्यों और विधायकों को सूचित करने के लिए अनुदेशित करूंगा। जैसे ही धनराशि की मंजूरी होती है उससे संबंधित सूचना को जन-प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

श्री के. येरननायडू: महोदय, कृपया एक मिनट!

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं; अन्य सदस्यों को भी बोलना है। कृपया उनकी व्यग्रता और पीड़ा को भी तो समझिए।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी उत्तर में बताया कि उन्होंने ऐसे एनजीओज को ब्लैक लिस्टेड किया है, जिन्होंने कपार्ट से पैसा लिया और नहीं लौटाया। ऐसे कई एनजीओज हैं जो औद्योगिक घरानों और बड़े-बड़े उद्योगपतियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। कपार्ट से जो पैसा लिया जाता है वह पिछले दरवाजे से निकालकर अपने स्वयं के व्यवसाय में लगाया जाता है, ऐसे कई एनजीओज भी हैं। दूसरी बात यह है कि एनजीओज जैसे करते हैं, क्या उनकी सम्पत्ति कुर्क करने के कोई कानून हैं ताकि सरकार का पैसा वापिस आए और अगर नही हैं तो क्या आप ऐसे कानून बनाएंगे कि ऐसे जितने एनजीओज हैं उनकी सम्पत्ति कुर्क करके, नीलामी करके वह पैसा सरकारी खजाने में जमा हो, क्या आप ऐसा कोई नियम बनाने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू: महोदय, 'कपार्ट' की स्थापना का मूल प्रयोजन ग्राम-समृद्धि की अभिवृद्धि के उद्देश्य से परियोजनाएं क्रियान्वित करने में स्वयंसेवा को प्रोत्साहित, संबंधित और सहमुक्त करना तथा यथावश्यक नवीन प्रौयोगिकीय आदानों पर विशेष दृष्टि रखते हुए, ग्रामीण-विकास की प्रक्रिया में योगदान करने के लिए स्वयंसेवी भावना को मजबूत करना तथा उसका संवर्धन करना है, साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना भी है। इस उद्देश्य के लिए हमारी सोच खुली रहनी चाहिए। हमें इन संगठनों को पूरा अवसर देना चाहिए। जब भी वे अनुचित तरीके से कार्य करें, जैसाकि माननीय सदस्य ने बिलकुल सही कहा-- हमें उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि किसी गैर-सरकारी संगठन विशेष, जो इन शर्तों का उल्लंघन करे के विरुद्ध कोई दाण्डिक कार्यावाही करने का प्रावधान है?

श्री एम. वैंकय्या नायडू: यदि कोई शर्तों का उल्लंघन करे और धन का दुरूपयोग तथा उसका निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त अन्यत्र उपयोग करे, तो हमें उस पर अभियोजन करने का अधिकार है। मैंने 'कपार्ट' की कार्यप्रणाली और इन सब बातों की ओर ध्यान दिया है। मैं इसे सभा को बता सकता हूं। दुर्भाग्यवश मैं भी अभी तक अपनाई गई प्रक्रिया से प्रसन्न नहीं हूं। मैं कोई आधारहीन बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन, प्रणाली को आगे और सुचारू बनाया जाना चाहिए।

उस दिन एक प्रश्न पूछा गया था। मैंने उसका अध्ययन किया। ऐसा 1999 में हुआ था। हमने कल उस अधिकारी को निलंबित कर दिया है।

श्री लक्ष्मण सिंह: निलंबन इसका जवाब नहीं है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: ऐसा करना होगा। आगे इसमें मजबूती लानी होगी। मैं सदस्यों की बात को समझ रहा हूं और फिर यह निश्चित करूंगा कि संपूर्ण प्रणाली को सुचारू बनाया जाये और समुचित कार्यवाही की जाये। जब भी आवश्यकता होगी, संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अविलम्ब अभियोजन की प्रक्रिया भी की जायेगी।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि मेरी जानकारी के अनुसार जहां-जहां हमने जिला प्रशासन को कार्यवाही हेतु लिखा है। वहां अभियोजन की प्रक्रिया स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा की जानी होती है। यदि उनका सहयोग नहीं मिलता, तो जांच में तेजी लाने के हमारे प्रयास सफल नहीं होंगे। इसे भी ध्यान में रखना होगा।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चितौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कपार्ट के कार्यक्रमों को चलाने के लिए पूरे देश में इन्होंने 9-10 रीजनल कमेटियां बनाई हुई हैं लेकिन सरकार से पैसा जाने के बाद भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए ऐसी कमेटियों को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही बदलने का क्या सरकार का कोई विचार है या नहीं। अगर उनको नहीं बदलेंगे तो बाकी के कार्य भी वहां नहीं होंगे।

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न वर्तमान मूल प्रश्न से सीर्फ संबंधित नहीं है, किन्तु, फिर भी मैं माननीय सदस्य की इस आधारहीन टिप्पणी से सहमत नहीं हूं कि काम नहीं हो रहा है। काम तो हो रहा है। यदि माननीय सदस्य को 'कपार्ट' की किसी क्षेत्रीय समिति विशेष के संदर्भ में कोई खास शिकायत हो,तो वह मुझे लिख सकते हैं। मैं निश्चित रूप से उसे देखूंगा और सदस्य को इस बारे में अवश्य सूचित करूंगा कि विभाग अथवा 'कपार्ट' द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई।

[हिन्दी]

उग्रवादियों की सहायता करने वाले गैर-सरकारी संगठन

*523. **योगी आदित्यनाथ:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों के प्रोत्साहन देने में सक्रिय रूप से संलग्न गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे सगंठनों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गयी है?

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) पूर्वोत्तर राज्यों के प्रमुख उग्रवादी संगठन, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण), अधिनियम 1967 के तहत ''विधि विरुद्ध'' संगठन घोषित किए गए हैं। अत: गैर सरकारी संगठन, इन संगठनों की खुले आम सहायता करने या बढ़ावा देने की गतिविधियों में सीधे संलिप्त नहीं होते हैं। तथापि निम्नलिखित संगठनों को स्वदेशी लोगों के लिए आत्मनिर्णय की बात कहते, सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवादियों, गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्त्ताओं और आम जनता को तथाकथित रूप से परेशान करने और उन पर अत्याचार करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करते हुए देखा गया है।

नागालैंड

(i) नागा पीपुल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राईट्स

(ii) नागा स्टूडेन्ट्स फेडरेशन

असम

(iii) मानव अधिकार संग्राम समिति

(iv) नोर्थ-ईस्ट कोऑरडिनेशन कमेटी आन ह्यूमन राईट्स

(v) नोर्थ ईस्ट अन्डीजिनियस ट्राईबल पीपुल्स फोरम

मणिपुर

(i) आल मणिपुर स्टूडेन्ट्स यूनियन

इन गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। मणिपुर और असम राज्य सरकार ने उग्रवादी संगठनों के साथ उनके तथाकथित संबंधों के लिए आल मणिपुर स्टूडेन्ट यूनियन और मानव अधिकार संग्राम समिति के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं। जब कभी कानून के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों का पता चलता है, तो राज्य सरकारें मामले दर्ज करती हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आदि आज उग्रवाद की चपेट में हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के तीन राज्यों में जिन संगठनों की भूमिका संदिग्ध हैं, माननीय मंत्री जी ने उनके बारे में बताया है। त्रिपुरा में एन.एल.एफ.टी. नाम का संगठन है जिसने गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्य आरम्भ किया था लेकिन वह आज वहां राजनैतिक क्षेत्र में भी सक्रिय है और जिसने हाल ही में त्रिपुरा विकास के लिए गठित परिषद् में भी कब्जा जमाया है और वह सरकारी अनुदानों का खुला दुरपयोग कर रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो गैर-सरकारी संगठन पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी और पृथकतावादी आंदोलनों को बढ़ावा दे रहे हैं उनकी गतिविधियों को चलाने के लिए कहां-कहां से और कितना अनुदान देश और विदेश से प्राप्त होता है तथा क्या वे संगठन किसी विशेष धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: अध्यक्ष महोदय, जितने संगठन हमने इसमें लिखे हैं वे तो साफ तौर पर बता दिये हैं लेकिन सामान्यत: नार्थ-ईस्ट में जो गैर-सरकारी संगठन हैं और जो उग्रवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, उनको जो फंड मिलता है और जो साइफन होकर ऐसे कार्यों के लिए जाता है उसके बारे में हमने दो बातें की हैं। एक तो राज्य सरकारों को लिखा है कि उनके खिलाफ प्रूफ मिलें तो वे पर्चा दर्ज करें, केस रजिस्टर करें। असम में और मणिपुर में केस रजिस्टर्ड भी हुए है और वे ट्राइल भी भुगत रहे हैं। दूसरा, जो फंड बाहर से आता है उसको भी हम देख रहे हैं कि अगर ऐसा है तो उस पर भी पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन अलग-अलग मिनिस्टरीज से इनको जो पैसा जाता है तो

उसमें भी होम-मिनिस्टरी से इन विभागों को बाकायदा लिख दिया गया है कि वे इनको पैसा न भेजे और पैसा तभी भेजें जब वे किसी सीनियर ऑफिसर से फिजिकल वैरीफिकेशन करा लें। सिर्फ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पर निर्भर न करें, वे तो सब के आ जाते हैं और इस बात को सभी मैम्बर्स और पूरा हाउस जानता है। फिजिकल वेरीफिकेशन के बाद अगर उनको लगता है कि पैसा ठीक जगह लग रहा है तभी पैसा रिलीज करें, अन्यथा पैसा रिलीज न करें। जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा है कहां-कहां से और कितना पैसा आया है तो इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, मैं लिखकर माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा।

योगी आदित्यनाथः अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर के जो गैर-सरकारी संगठन उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं और चूंकि उस क्षेत्र की सीमा चार देशों चीन, बंगलादेश, मंयनमार और भूटान से लगती हैं इसलिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। बहुत दिनों से उस क्षेत्र में वहां की कुछ चर्चों पर भी इस प्रकार के आरोप लगे हैं कि वे ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा दे रहे हैं जो उग्रवाद और पृथकतावाद में संलग्न हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और अगर सच्चाई है तो सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्री ईश्वर दयाल स्वामीः स्पीकर सर, यह जो इन्होंने शक जाहिर किया है इसका हमने नोटिस ले लिया है लेकिन हमारे पास आज इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो बाहर के मुल्य एनजीओज को इस तरह की कोई सपोर्ट दे रहे हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उग्रवादी संगठनों की दी जाने वाली मदद पर चिन्ता जाहिर की है लेकिन बिहार सरकार द्वारा बिहार में उग्रवादी संगठनों को मदद दी जा रही है। वहां सम्पूर्ण उग्रवादी संगठन वहां की सरकार के साथ संलिप्त हैं। इसके कई प्रमाण हैं। उसके गृह मंत्रालय के पास पूरे दस्तावेज हैं चाहे वह एमसीसी हो या दूसरा कोई संगठन हो। यह कोई नई बात नहीं है। मेरा प्रश्न इतना ही है कि क्या बिहार जैसे बड़े प्रान्तों में जहां सरकार को उग्रवादी संगठनों का समर्थन प्राप्त है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यादव जी, क्या आपने प्रश्न को पढ़ा है?

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः मैं उग्रवादी संगठनों की बात कह रहा हूं। वहां पिछले चार-पांच साल में व्यापक रूप से उग्रवादी संगठन बढ़े हैं और सम्पूर्ण बिहार उग्रवादी संगठनों की चपेट में है। वहां रणबीर सेना और एमसीसी जैसे उग्रवादी संगठन हैं। क्या केन्द्र सरकार बिहार के नौ करोड़ लोगों को उग्रवादी संगठनों से निजात दिलाने के लिए कोई कदम उठाएगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः इसका कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामीः अध्यक्ष महोदय, त्रिपुरा में क्या कोई ऐसा संगठन काम कर रहा है जिसने वहां के सरकारी विद्यालयों को बंद करा दिया। इसके कारण वहां सरकारी विद्यालय चल नहीं पा रहे हैं। यहां तक वहां की सध्वा स्त्री सिंदूर नहीं लगा सकती है और मंगलसूत्र नहीं पहन सकती। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि वहां की स्थानीय इकाई त्रिपुरा विकास परिषद् है और उसे विकास के लिए पैसा दिया जाता है। उसने चुनाव के माध्यम से कब्जा कर लिया है और वह एनएलएफटी का एक राजनीतिक अंग है। क्या उस संगठन के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा रही है? त्रिपुरा विकास परिषद् को जो 85 करोड़ रुपए विकास के लिए दिए गए हैं वे सब आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाएंगे, उन पर रोक लगाने या जांच कराने के लिए आपने कोई कदम उठाए हैं?

श्री ईश्वर दयाल स्वामीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी, उसके मुताबिक हम पता करेंगे कि वहां क्या स्थिति है?

[अनुवाद]

श्री मोहन रावलेः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि:

''पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश कट्टरपंथी संगठनों को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत विधि विरुद्ध घोषित किया गया है।''

इस प्रकार गैर-सरकारी संगठन प्रत्यक्ष रूप से अपने आपको इन संगठनों की क्रियाकलापों को समर्थन देने अथवा बढ़ावा देने में शामिल नहीं होते हैं। चुपके से भी काम करते हैं। आपने कहा है कि क्लोज वाच करके स्टैप उठाए जा रहे हैं। शैक्षणिक संस्थाएं जैसे मदरसों की संख्या देश में बढ़ी है। मैं आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छा सवाल उठाया। आपने इनके स्टेटवाइज आंकड़े नहीं दिए है। शैक्षणिक संस्थाएं जैसे मदरसों द्वारा उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। धार्मिक कटुता बढ़ाने में भी उनका हाथ होता है।...*(व्यवधान)* ऐसे कितने मदरसों की संख्या देश में बढ़ी है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः रावले जी, आप रिप्लाई पढ़ रहे हैं या सप्लीमैंटरी पूछ रहे हैं।

श्री मोहन रावले: मैं सप्लीमैंटरी पूछ रहा हूं। विगत वर्षों में देश में बढ़ रहे मदरसों की संख्या के पीछे कितने संगठनों का हाथ है? आईएसआई जैसी विदेशी गुप्तचर संगठनों द्वारा छुपे रास्तों से कितना पैसा लगा है? इसका क्या विवरण है और सरकार उसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप पहले मिनिस्टर साहब को जवाब देने दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मिनिस्टर साहब इसका समाधान बता रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप दोनों हाउस में क्या कर रहे हैं? यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राजेश रंजन, कृपया अपनी सीट पर बैठिए? *यह क्या है?* मैंने *श्री* मोहन रावले को एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। न कि आपको। अध्यक्ष पीठ भी जानते हैं कि सदस्यों को कैसे नियंत्रित रखना है।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यही कहना है कि...

अध्यक्ष महोदय: अभी नहीं, पहले उनके प्रश्न का समाधान होने दें। आप बैठ जाइये।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल: अध्यक्ष महोदय, सवाल शैक्षणिक संस्थाओं का है, शब्द बदलने से क्या होता है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग यह क्या कर रहे हैं, सारा देश देख रहा है कि हाउस में आप क्या काम कर रहे हैं। आप बैठ जायें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर ने जो सवाल पूछा है, वह इस प्रश्न में से तो नहीं निकलता लेकिन जो बात वे हमारे नोटिस में लाये हैं कि मदरसों को आई.एस.आई. के थ्रू पैसा मिलता है, किस किस को मिलता है और किस एन.जी.ओ. के मार्फत कितना-कितना मिलता है, वह हमने नोट कर लिया है और उसके बारे में बता करेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न। श्री राजनारायण पासी।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, इस प्रश्न को आपके पास पहले दिन भेजा गया था लेकिन आपने अभी तक कोई विनिर्णय नहीं लिया है...*(व्यवधान)*

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

+

***525. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
डा. एन. वेंकटस्वामी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्धारित *समयानुसार क्रियान्वयन पर निगरानी रखने हेतु किसी निगरानी तंत्र* का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पहले चरण के लिए विभिन्न राज्यों में जिलों की पहचान कर ली गई है, और

(घ) यहि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ जिला, राज्य और केन्द्र स्तर पर प्रभावी निगरानी तंत्र की स्थापना करने संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं। जिला स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी के समक्ष पर्यवेक्षण प्राधिकारी

(रियों) द्वारा कार्यों की आवधिक जांच की जाती है। राज्य स्तरीय स्थायी समिति को यह देखने के अलावा कि पर्यवेक्षण कार्य निरन्तर और प्रभावी तरीके से हो रहा है, कार्यक्रम की गहन और प्रभावी निगरानी भी करनी होती है। जहां पर आवश्यक होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे कार्यों की निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र निगरानीकर्त्ता (व्यक्ति/एजेंसी) नियुक्त करेगा।

उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय के अधिकारीगण समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अपने दौरों के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति और उनकी गुणवत्ता की निगरानी करेंगे।

(ग) और (घ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2000-2001 के लिए निधियां आवंटित और जारी की गई थीं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन देश के अधिकांश जिलों में चल रहे सड़क कार्यों का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव भेजते रहते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2000-2001 के लिए किए गए आबंटन और जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

वर्ष 2000-2001 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन और जारी की गई राशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन (करोड़ रुपये में)	जारी राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	195.00	195.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	41.00	40.95
3.	असम	75.00	75.00
4.	बिहार	150.00	149.90
5.	छत्तीसगढ़	92.00	92.41
6.	गोवा	5.00	5.00
7.	गुजरात	60.00	59.81
8.	हरियाणा	20.00	25.18
9.	हिमाचल प्रदेश	60.00	60.00
10.	जम्मू व कश्मीर	20.00	20.00
11.	झारखण्ड	110.00	110.05
12.	कर्नाटक	95.00	100.57
13.	केरल	20.00	19.71
14.	मध्य प्रदेश	218.00	217.64
15.	महाराष्ट्र	130.00	130.21
16.	मणिपुर	40.00	40.00
17.	मेघालय	35.00	34.95
18.	मिजोरम	20.00	19.93
19.	नागालैण्ड	20.00	19.75
20.	उड़ीसा	180.00	179.70
21.	पंजाब	25.00	24.66
22.	राजस्थान	140.00	140.09
23.	सिक्किम	20.00	13.16
24.	तमिलनाडु	154.00	99.25
25.	त्रिपुरा	25.00	24.75
26.	उत्तर प्रदेश	320.00	321.11
27.	उत्तरांचल	60.00	60.63
28.	पश्चिम बंगाल	135.00	135.00
29.	अण्ड. निकोबार द्वीपसमूह	10.00	10.59
30.	दादरा व न. हवेली	5.00	0
31.	दमन व दीव	5.00	5.00
32.	दिल्ली	5.00	0
33.	लक्ष द्वीप	5.00	0
34.	पांडिचेरी	5.00	5.00
	कुल	2500.00	2435.00

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: महोदय, देश में शुरू की गई प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शायद सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसका हर

किसी ने स्वागत किया है। लेकिन मेरे को आश्चर्य तो तब हुआ जब माननीय मंत्री ने वक्तव्य में गत वर्ष के लिए 2500 करोड़ रुपये के आवंटन की बात कही गई इस कार्यक्रम को सात वर्षों के भीतर पूरा किया जाना है। इसलिए 17,500 करोड़ रुपये की धनराशि का इस कार्यक्रम पर खर्च किया जाना अपेक्षित है। लेकिन माननीय मंत्री द्वारा विभिन्न राज्यों को किये गए मार्ग-निर्देशों के अनुसार...*(व्यवधान)* सात वर्षों से यह 17,500 करोड़ रुपये है। जबकि माननीय मंत्री द्वारा विभिन्न राज्यों को लिये गए मार्ग-निर्देशों में वह विभिन्न सड़कों पर कार्य करना चाहते हैं। न्यूनतम अनुमानों के अनुसार इसके लिए 60,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। माननीय मंत्री इस मांग और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को कैसे पूरा करने जा रहे हैं?

जो दिशा-निर्देश उन्होंने दिये हैं उससे लगता है कि संसद सदस्यों और विधायकों से परामर्श किया जाना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं और हमारे अधिकांश मित्र जानते हैं कि ऐसा केन्द्र सरकार द्वारा कभी नहीं किया गया। उन्हें आदर्श दिया गया। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.) में वे कुछ राज्यों में संसद सदस्यों विधायकों से परमार्श कर रहे हैं लेकिन यहां उन्होंने कोई परामर्श नहीं किया है मंत्री महोदय इस संबंध में और 60,000 करोड़ रुपये की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाना चाहते हैं?

श्री एम. वैंकय्या नायडूः प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण सड़को को जोड़ने वाला बड़ा कार्यक्रम है और जिसे इस सरकार द्वारा गत वर्ष 25 दिसम्बर को शुरू किया गया था। मैंने गत वर्ष के 2,500 करोड़ रुपये के आवंटन के बारे में कहा है और मैंने गत वर्ष का विवरण दिया है यदि सदन एक बार वित्त विधेयक को मंजूरी प्रदान कर देता है तो इस वर्ष का आकड़ा मालूम हो जाएगा कि आवंटन कितना है। यह भी हमारे समक्ष विचाराधीन है।

लेकिन जैसाकि माननीय सदस्य ने इस परियोजना की कुछ आवश्यकता के बारे में ठीक ही कहा है और परियोजना के प्राक्कलन के अनुसार यह लगभग 60,000 करोड़ रुपये है। यह कहना भी सही है कि सात वर्षों के अंदर यदि मात्र 2,500 करोड़ रुपये खर्च किये जाते हैं तो हम मुख्य लक्ष्य से बहुत दूर रह जाएंगे। विचार तो यह है कि अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त की जाये।

दूसरे सरकार इस संभावना का भी पता लगा रही है कि क्या हम धन उगाही के लिए बाजार जाएं और धन-राशि उधार लें। मैं स्पष्ट रूप से इस पर भी कुछ भी कह सकने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि इस मुद्दे को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलना शेष है लेकिन एक बात यह है कि 1000 और 500 को आब्रादी वाले गांवों को जोड़ने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय सभी संभावनाओं और अतिरिक्त धन राशि जुटाने के अन्य उपायों का भी पता लगा रहा है। यह राज्य सरकारों के ब्यास से एक अनुपूरक कार्यक्रम है। माननीय सदस्य जो राज्य के पूर्व मुख्य मंत्री थे इस बात से भी अवगत है कि जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर भी है। हमने स्थिति की समीक्षा करने के बाद इस कार्यक्रम को शुरु किया है क्योंकि गांवों को जोड़ना ग्रामीण लोगों के विकास कार्य के संबंध में एक बहुत बड़ी बाधा बन गया है। चूंकि अनुदान मांगों पर चर्चा होने जा रही है और में इसकी गहराई मैं नहीं जा रहा हूं।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने उठायी है वह संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों के सलाह अथवा सुझाव लेने के बारे में है। हांलाकि मैंने सभी राज्यों को अपने मंत्रालय के माध्यम से मार्ग-निर्देश जारी कर सूचित कर दिया है। सिर्फ यही नहीं मैंने मुख्य मंत्रियों को लिखा है और कुछ मुख्य मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से भी कहा है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सूचना मैं विभिन्न राज्यों और सांसदों से प्राप्त कर रहा हूं वह अनेक स्थानों पर दलगत भावना से ऊपर उठकर है और वह है-...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंहः इस पर किसी सदस्य से नहीं पूछा गया है...*(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडूः मैं भी वही बता रहा हूं, जो फीड बैक मुझे मिली, उस फीड बैक से मैं संतुष्ट नहीं हूं। उसका कारण क्या है, चूंकि कई प्रदेश सरकारों ने उस पर सदस्यों की राय नहीं ली, इसमें इनक्लूड नहीं किया। मेरे सामने ऑल्टरनेटिव है इसे रोकना, यदि रोक लिया तो फिर डेवलपमैंट अफैक्ट हो जायेगा, नहीं रोका तो जो हमने गाइडलाइन्स दी हैं...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झाः आप मैम्बर्स ऑफ पार्लियामैंट से मांग लीजिए, यह तो आपके हाथ में हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मिनिस्टर यही बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः सर, और स्टेट्स में हो जाता होगा, बिहार में तो हम लोग कुछ कहे तो लाठी चल जाती हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शीश राम ओलाः हर एम.पी. से दो करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंगा लिये जाने चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकय्या नायडूः जब मैंने चीफ मिनिस्टर्स से पर्सनल लैवल पर बात की तो उन्होंने कहा कि हम एम.पीज. की मीटिंग बुला रहे हैं और मीटिंग बुलाकर उनकी राय इसमें इनकॉरपोरेट करने का प्रयास करेंगे।*...(व्यवधान)*

श्री महेश्वर सिंहः उसमें से कम से कम दो करोड़ रुपये कंसर्न्ड एम.पी. के कहने पर खर्च होने चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

श्री एम. वैंकय्या नायडूः महोदय, मैंने कुछ मुख्य मंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से बात की है*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): एम.पीज. से दो करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंगा लिये जाएं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप यह क्या कर रहे हैं, उन्हें समाधान देने दीजिए।

श्री एम. वैंकय्या नायडूः महोदय, मैंने न सिर्फ मुख्य मंत्रियों को लिखा है बल्कि मैंने उनसे स्वयं बात भी की है और मैं जहां भी गया और जो भी मुख्य मंत्री ग्रामीण विकास के संबंध में मुझसे मिले। उनमे से कुछ ने मुझे आश्वासन दिया कि वे सांसद की एक बैठक बुला रहे है।

[हिन्दी]

इन फैक्ट, कुछ चीफ मिनिस्टर्स ने मीटिंग बुलाई, लेकिन मीटिंग बुलाने के बाद जो उनके सुझाव है*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह ठीक नहीं है, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया समझनें का प्रयत्न करें कि आज हम ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर भी चर्चा कर रहे हैं। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप उसी समय दे सकते हैं अभी नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. एस.पी. सिंह बघेलः सर, प्रधान मंत्री सड़क योजना का मास्टर प्लान जिलों में बन चुका है, सरकार से पैसा जा चुका है, प्रदेशों को कितना देना है, किस जिले में कितना देना है, यह भी तय हो चुका है, इसके लिए कौन सी संस्था काम करेगी यह भी तय हो चुका है।*...(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः सर, इसे सीधे एम.पीज. को दे दिया जाए, यह ज्यादा ठीक रहेगा।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री बघेल, आपकी सीट कहां है? आप अगली पंक्ति में बैठे हैं और बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. एस.पी. सिंह बघेलः प्रदेश में पूरी कार्य योजना बन चुकी है और जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने पत्र लिखा है कि इसमें एम.पीज. और एम.एल.एज. को शामिल किया जाए। लेकिन किसी एम.पी. से नहीं पूछा गया है। सभी प्रदेशों में भारत सरकार का पैसा जा रहा है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको बोलने की परमीशन नहीं है, आप बैठ जाइये।

श्री मुलायम सिंह यादवः सर प्रदेशों में कार्य योजना बन चुकी है, लेकिन किसी मैम्बर से नहीं पूछा है। आप नाराज क्यों हो रहे हैं। इन्होंने केवल इतना ही कहा है, आपको तो हमें संरक्षण देना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह, क्या प्रश्न काल की यही प्रक्रिया है? प्रश्न काल की एक प्रक्रिया होती है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: क्या किसी मेम्बर को पूछा गया था?*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डिसकशन हो तो आप सुझाव दे सकते हैं। क्वश्चन आवर में ऐसे ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू: महोदय, यदि वे कहते हैं कि मैं प्रश्न को बोलने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं मान लेता हूं। *...(व्यवधान)*

मैं आप से सिर्फ यही अनुरोध कर सकता हूं कि कृपया हम इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करें और किसी निष्कर्ष पर पहुंचे।

मैं आपकी भावनाएं और दी गई जानकारी को समझता हूं। मैं इसका सम्मान भी करता हूं। मैं आपके साथ हूं क्योंकि कतिपय मार्गनिर्देश बनाकर यह सुनिश्चित करना मेरा कर्त्तव्य है कि राज्य उचित रूप से उनको लागू करें। परन्तु अब तक जो जानकारी आ रही है वह यह है कि अधिसंख्य मामलों में संसद सदस्यों के सुझावों को जिला मास्टर प्लान में शामिल नहीं किया जाता है।

दूसरे, निधियों को रोका जाना समाधान नहीं है। हम एक संघीय व्यवस्था में रहते हैं। निधियों को रोका जाना कोई समाधान नहीं है। यह कार्यक्रम का पहला वर्ष है। मैं अब सोच रहा हूं कि दूसरे वर्ष संबंधित लोगों से परामर्श करने के पश्चात् हम यह अनिवार्य बनाना चाहते हैं कि जब तक योजना के बारे में संसद सदस्य द्वारा सिफारिश न की गई हो उसे अनुमोदित नहीं किया जाएगा। हमारी ऐसी सोच है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, एम.पी.एल.ए.डी.एस. कमेटी ने भी इनको कुछ सुझाव दिए हैं। वे सुझाव क्या हैं?*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: महोदय, कार्य पर रोक के संबंध में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि इसे नियंत्रित करने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। मैं उसके बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी को भलिभांति पता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की निधियां राज्य सरकारों के लिए अन्य योजनाओं में लगाना अत्यधिक सरल है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी ने आंध्र प्रदेश से संबंधित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की हाल की रिपोर्ट को देखा होगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री जनार्दन रेड्डी प्रश्न प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित है। यह कार्यक्रम अभी हाल ही में शुरू हुआ है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: महोदय, मैं यही कह रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे इस अहितकर गतिविधि को कैसे समाप्त करने जा रहे हैं जबकि नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक ने आंध्र प्रदेश के बारे में रिपोर्ट दी है कि 800 करोड़ रुपए की राशि को अन्य स्थानों पर लगाया गया है। मैं केवल अकेले आंध्र प्रदेश की ही बात नहीं कर रहा हूं। यह हर जगह है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ग्रामीण विकास हेतु निधियों को अन्यत्र प्रयोग करने के अहितकर आचरण को कैसे बंद करने जा रहे हैं।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: महोदय, मैं केवल ग्राम सड़क योजना से संबंधित मामले का ही जवाब दे सकता हूं। मंत्रालय ने कतिपय दिशानिर्देश इंगित किए हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हे लागू किया जाए। मैं विशेषरूप से यह बताना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करना प्राथमिक दायित्व होगा कि सभी जिला स्तरों पर परियोजना कार्यान्वयन इकाईयां हों। भौतिक उपयोग के संबंध में यह निर्धारित विनिर्देशनों के अनुरूप होना चाहिए। कार्य स्थल पर सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने के अतिरिक्त इस दिशा में आवश्यक कदमों में निम्नलिखित को शामिल किया जना चाहिए:

(एक) उन स्त्रोतों से, जहां से विनिर्मित सामग्रियां खरीदी गई हैं जांच प्रमाण-पत्र प्राप्त करना;

(दो) खनिज समूह के मामले में खदान का निरीक्षण भी किया जाएगा;

(तीन) संसाधन वाले कार्यों के लिए (यानी उपकरणों द्वारा मजबूती प्रदान करने वाले) जिनमें ठेकेदार द्वारा परीक्षण के तौर पर कार्य किए जाने की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रयोग किए गए उपकरणों और प्रक्रियाओं से कार्य उच्चतम गुणवत्ता वाला हो।

महोदय, निष्पादन एजेंसी के अतिरिक्त सक्षम निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा आवधिक रूप से निरीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगाह रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी कर्ता होगा। जब तक वे प्रभावित नहीं करते तब तक पैसा जारी नहीं किया जाएगा। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर सकता हूं कि पैसा राज्य सरकारों के खाते में नहीं जा रहा है बल्कि पैसा उस विशेष जिले के डी.आर.डी.ए. के खाते में जाएगा जहां इस उद्देश्य के लिए पैसा खर्च किया जाना है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम के लिए पैसे के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएंगी।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री सड़क योजना का पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है। सरकार के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. एन. वेंकटस्वामी: अध्यक्ष महोदय, योजना बहुत अच्छी है और दिशानिर्देश भी दिए हुए हैं। मेरे प्रश्न के एक भाग का उत्तर दे दिया गया है। मेरा विशेष प्रश्न यह है कि मैंने परियोजनाएं बनाते हुए संसद सदस्यों से परामर्श न करने के बारे में मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। मैं जानना चाहता हूं कि उस पत्र पर मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है।

अध्यक्ष महोदय: उसका पहले ही उत्तर दिया जा चुका है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: महोदय, वास्तव में माननीय सदस्य ने मुछे एक पत्र लिखा है। मैंने वह राज्य सरकार को अग्रेषित कर दिया है और उस विशेष जिले जहां से माननीय सदस्य संबंधित हैं के जिला कलेक्टर को भी सूचना दी थी और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि माननीय सदस्य के सूझावों और उनके कार्यक्रमों को भी कार्यक्रम में शामिल किया जाए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

***524. श्री राजनारायण पासी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार क्रियान्वित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने क्रियान्वयन की गति और लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में कोई आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों की उपलब्धि में कार्यान्वयन एजेंसियों के निष्पादन की निगरानी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवधिक प्रगति रिपोर्टों, क्षेत्र अधिकारियों के दौरों तथा निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों के माध्यम से नियमित तथा सुनियोजित ढंग से की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्री ने हाल ही में इस संबंध में मुख्यमंत्रियों तथा अन्य प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए अनेक राज्यों का दौरा किया है।

मूल्यांकन तथा प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों के जरिए कार्यान्वयन की गति और लक्ष्यों की पूर्ति से संबंधित मूल्यांकन भी समय समय पर किया जाता है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों से यह स्पष्ट है कि वास्तविक और वित्तीय तथा लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां राज्य से राज्य, तथा कार्यक्रम से कार्यक्रम में भिन्न-भिन्न होती हैं।

पुलिस की उपलब्धता

***526. श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में जनसंख्या के अनुपात में पुलिस की प्रतिशतता काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में यदि कोई कारवाई करने का विचार किया जा रहा है तो उसका ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) राज्यों की आबादी के अनुपात में उनकी पुलिस की प्रतिशतता, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। राज्यवार, उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। चूंकि भारत के संविधान की सातवी अनुसूची के अनुसार ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं इसलिए उनकी पुलिस की संख्या शक्ति के बारे में निर्णय लेना संबंधित राज्य सरकारों का विशेषाधिकार है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष (1999) के मध्य में अनुमानित जनसंख्या (हजारों में)	1.1.2000 की स्थिति के अनुसार स्वीकृति पुलिस संख्या शक्ति	जनसंख्या के अनुपात में कुल पुलिस की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	75,010	82,373	0.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,167	5,332	0.46
3.	असम	25,983	52,539	0.46
4.	बिहार	98,734	101,857	0.10
5.	गोवा	1,563	3,726	0.24
6.	गुजरात	47,787	64,082	0.20
7.	हरियाणा	19,641	40,028	0.13
8.	हिमाचल प्रदेश	6,600	13,140	0.20
9.	जम्मू व कश्मीर	9,787	75,360	0.77
10.	कर्नाटक	51,654	81,282	0.16
11.	केरल	32,075	52,714	0.16
12.	मध्य प्रदेश	78,806	94,068	0.12
13.	महाराष्ट्र	90,450	159,148	0.18
14.	मणिपुर	2,466	12,941	0.52
15.	मेघालय	2,384	12,359	0.52
16.	मिजोरम	932	7,069	0.76
17.	नागालैण्ड	1,647	16,006	0.97
18.	उड़ीसा	35,641	37,218	0.10
19.	पंजाब	23,368	70,283	0.30
20.	राजस्थान	52,944	70,294	0.13
21.	सिक्किम	547	3,664	0.67
22.	तमिलनाडु	61,427	86,513	0.14
23.	त्रिपुरा	3,704	16,005	0.43
24.	उत्तर प्रदेश	167,656	173,227	0.10

1	2	3	4	5
25.	पश्चिम बंगाल	78,315	79,923	0.10
26.	अ. और नि. द्वीपसमूह	378	2,663	0.70
27.	चंडीगढ़	869	4,652	0.54
28.	दादरा और नगर हवेली	186	328	0.18
29.	दमन और दीव	137	255	0.19
30.	दिल्ली	13,598	56,957	0.32
31.	लक्ष द्वीप	70	342	0.49
32.	पांडिचेरी	1,088	2,677	0.25
	कुल	986,614	1,479,024	0.15

विश्व की जलवायु में परिवर्तन

*527. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जीवाश्य ईंधन और रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते प्रयोग के परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस गैसों और वायु विलय (एअरोसॉल) के अधिक उत्सर्जन के कारण विश्व की जलवायु में हो रहे परिवर्तनों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को जलवायु में परिवर्तनों सम्बन्धी अन्तर-सरकारीय पैनल की कोई रिपोर्ट और सांख्यिकीय आंकड़े और इसे रोकने हेतु किए गए उपायों के संबंध में ब्यौरा प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) जी, हां। सरकार द्वारा मानव गतिविधियो के कारण ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होने के फलस्वरूप जलवायु में हो रहे प्रक्षेपित परिवर्तनों पर ध्यान दिया गया है। मौजूदा नीति तथा वैधिक ढांचे में इनके बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है। जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के बारे में अन्तर सरकारी पैनल ने जलवायु में हो रहे परिवर्तनों के बारे में नवीनतम जानकारियों का मूल्यांकन किया है। रिपोर्ट के अनुसार, 20वीं शताब्दी तक विश्व धरातल के तापमान में औसतन 0.6 सें. + 0.2 सें. तक की वृद्धि हुई है। प्राक्षेपित परिवर्तनों में धरातल के तापमान में औसतन 1.4 - 5.8 सें. तक की की वृद्धि हो जाना, विश्व के न्यूनतम समुद्र स्तर का 0.09 से 0.88 मीटर तक बढ़ जाना, अधिकतम मौसम सम्बन्धी घटनाओं में बढ़ोत्तरी होना तथा 1990-2100 की अवधि के दौरान वर्षा होने के पैटर्न में बदलाव आ जाना शामिल है।

माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

*528. **श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री विनय कुमार सोराके:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के कोई परिणाम निकले हैं;

(ख) यदि हां, तो छात्रों को व्यवसायिक विषयों की ओर उन्मुख करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वर्ष 2000 के दौरान इस संबंध में किस सीमा तक सफलता मिली है;

(ग) इस योजना की सफलतापूर्वक शुरुआत न होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उच्चतर माध्यमिक स्तर के पश्चात् व्यवसायिक शिक्षा देने हेतु विशेष केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) कार्य योजना, 1992 में जमा दो स्तर के 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को वर्ष 2000 तक व्यावसायिक विषयों में लाने की परिकल्पना की गई है। कोई वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन से जमा दो स्तर पर दाखिल लगभग 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक विषयों में लाने के लिए क्षमता का सृजन किया गया है। वर्ष 2000-2001 के दौरान लगभग 4.8 प्रतिशत विद्यार्थी व्यावसायिक विषयों में गए।

(ग) योजना के सफलतापूर्वक कार्य करने में लगे समय के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं:-

(i) योजना के भविष्य के संबंध में अनिश्चितता;

(ii) पाठ्यक्रमों के जिला-वार, आवश्यकता आधारित अपेक्षित विश्लेषण का अभाव;

(iii) व्यावसायिक विषयों में आने में विद्यार्थियों और माता-पिताओं की अनिच्छा;

(iv) सुप्रशिक्षित शिक्षकों और स्तरीय पाठ्य-पुस्तकों की अनुपलब्धता; और

(v) उच्च स्तरीय शिक्षा में प्रवेश के विषये में समस्याएं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

''साबर'' समुदाय का विकास

*529. **श्री जी. गंगा रेड्डी:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 21 मार्च, 2001 को ''दि एशियन एज'' में प्रकाशित समाचार के अनुसार पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में साबर समुदाय अब भी नग्नता का अपमानजनक जीवन जी रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) उनके विकास के लिये विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गयी; और

(घ) स्वतंत्रता के 53 वर्षों के बाद भी इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य न किये जाने के कारणों की जांच हेतु क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (घ) सरकार के ध्यान में यह रिपोर्ट आई है। संघ सरकार ने (1) सोसायटी के अन्य वर्गों के समकक्ष जनजातियों को लाने तथा (2) उन्हें शोषण से बचाने के उद्देश्य से पहले ही जनजातीय उप-योजना कार्यनीति अपनाई है। पश्चिम बंगाल राज्य सहित 18 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातीय उपयोजना चल रही है। इसके अतिरिक्त, पुरूलिया जिले में एकसहित, पश्चिम बंगाल में 12 समेकित जनजाती विकास परियोजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के समग्र सामाजिक-आर्तिक विकास के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण -I पर है।

जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्षवार आवंटन, निर्मुक्तियों, उपयोग, लक्ष्यों और उपलब्धि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण आवास के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को 1258.65 लाख रु. की राशि निर्मुक्त की गई। जिलेवार आवंटन और निधियों की निर्मुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं।

ग्रामीण आवास के लिए ऋण व सब्सिडी योजना के अंतर्गत 1999-2000 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को धनराशि की प्रथम किश्त के रूप में 309.37 लाख रु. की राशि निर्मुक्ति की गई। राज्य सरकार द्वारा पुरूलिया जिले सहित जिलेवार आवंटन तथा धनराशि की निर्मुक्ति की गई। तथापि, उपयोग प्रमाणपत्र आदि के अभाव में कोई धनराशि निर्मुक्त नहीं की जा सकी।

ग्रामीण भवन केन्द्र योजना ग्रामीण आवास तथा एनोवेटिव स्ट्रीम फॉर रूरल हाऊसिंग एण्ड हैबिटेट डेवलपमेंट के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-I

मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल को निर्मुक्त निधियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना	वर्ष		
		1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	–	33.00	64.06
2.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	23.78	00.92	01.40
3.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	15.65	28.92	06.02
4.	राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम योजना	–	50.00	–
5.	जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	2222.10	1759.40	1759.40
6.	अनुच्छेद 275 (1)	578.50	556.75	835.50
7.	आदिम जनजातीय समूह	–	–	100.00
8.	गैर सरकारी सगंठन	67.22	90.53	140.66
9.	राज्य जनजातीय विकास निगम	–	–	40.00

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवंटन, निर्मुक्त, उपयोग, लक्ष्य तथा इसकी उपलब्धियां

क्र. सं.	वर्ष	1.4.98 को ओ. बी.	आबंटन			निर्मुक्ति			कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग	%ता प्राप्त निधि	गृहों की संख्या	
			केन्द्रीय	राज्य	कुल	केन्द्रीय	राज्य	कुल				लक्षित	निर्मित
1.	1998-99	110.92	499.94	124.99	624.93	349.96	87.49	437.45	548.37	302.87	55.23	3505	1380
2.	1999-2000	245.50	297.43	99.14	396.57	0.00	0.00	0.00	245.50	175.83	71.62	2370	962
3.	2000-2001	69.67	297.43	99.14	396.57	148.72	49.25	198.29	267.96	25.16	9.39	2379	229*

*अनंतिम

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

***530. श्री दिनेश चन्द्र यादवः**
श्री के.पी. सिंह देवः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोयला खोनों में दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयला खानों में दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सरकार के पास कोई त्रुटिहीन तंत्र हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोयला खानों में दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा उपायों पर निगरानी रखने वाली मौजूदा प्रणाली की महत्वपूर्ण समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (च) खान अधिनियम 1952, कोयला खान विनियम, 1957, खान नियमावली आदि के अंतर्गत निर्धारित कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी अध्यादेश, दुर्घटनाओं से बचने के आवश्यक दिशा-निर्देश हैं। इसका समय-समय पर संशोधन किया जाता है। इसके अलावा, डी.जी.एम.एस. सुरक्षा उपायों के लिए परिपत्र जारी करता है। इन सबके अलावा, विभिन्न समितियों/जांच अदालत की सिफारिशों में भी दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। बाद में इनमें से कुछ सिफारिशों को अध्यादेशों के रूप में समाविष्ट कर लिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न निकाय, जैसे सुरक्षा पर स्थायी समिति, खानों में सुरक्षा संबंधी सम्मेलन, सी.आई.एल. सुरक्षा बोर्ड, सहायक कंपनी स्तर पर त्रिपक्षीय समितियां, क्षेत्र स्तर पर द्विपक्षीय समितियां, खान स्तरीय सुरक्षा समितियां, कोयला खानों में सुरक्षा को मानीटर करते हैं। इन निकायों द्वारा सुरक्षा उपायों के संबंध में दिए गए सभी सुझावों/दिशा-निर्देशों को दुर्घटनाओं से बचने के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

श्रम मंत्रालय के तहत खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी.जी.एम.एस.) सभी अध्यादेशों को लागू करवाता है। कोयला खानों में सुरक्षा की मानिटरिंग डी.जी.एम.एस. द्वारा गहन तथा गुणवत्ता निरीक्षण, कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगियों के आंतरिक सुरक्षा संगठनों, कोयला कंपनियों के लाइन प्रबंधन के माध्यम नियमित रूप से की जाती हैं। ऐसे निरीक्षणों से प्रकटित सुरक्षा उपायों में किसी भी त्रुटि को दुर्घटना से बचने के उद्देश्य से तुरंत सुधारा जाता है।

सरकार ने कोयला खानों में दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या पर गंभीर दृष्टिकोण अपनाया है। खान सुरक्षा कानूनों की अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन करने के अलावा, सरकार ने दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखने और खनन कार्य को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए निम्न कदम उठाने का सुझाव दिया है।

1. उसी सीम में पानी भरी हुई खादानों में या उपरिशायी अथवा अध: शायी सीमों में 60 मीटर के भीतर केवल डी.जी.एम.एस. के अनुमोदन से ही कोयला निकाला जाए। इस संबंध में डी.जी.एम.एस. द्वारा निर्धारित शर्तों का सख्ती से अनुपालन किया जाना होगा।
2. ऐसी सभी भूमिगत खानों की जाँच सर्वेक्षण करना जिनमें अचानक पानी आ जाने के खतरे की आशंका होती है।
3. प्रत्येक क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है जो अन्य क्षेत्रों की खानों का निरीक्षण करेंगी और यह पता लगाएगी कि उसी खदान या उसके आसपास की खदानों या उसके इलाके के आसपास की खानों की सतह या भूमिगत जल के प्रवाह के कारण उस खदान क्षेत्र में और अन्य खानों को आप्लावन का कोई खतरा तो नहीं है। वह यह भी पता लगाएगी कि अन्य खदानों में अथवा उसी खदान के या अन्य खदान के सील किए गए क्षेत्र से हानिकारक/विषैली गैस के प्रवेश करने तथा फायर डैम्प का कोई खतरा तो नहीं है।
4. अनुशासन को कड़ाई से लागू करना।
5. खानों के गुणवत्तापूर्ण निरीक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना।
6. कर्मचारियों, पर्यवेक्षी कर्मचारियों और कार्यपालक अधिकारियों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना।
7. समुचित रूप से सुसज्जित एवं प्रशिक्षित बचाव सेवाओं का अनुरक्षण करना।

नानावती आयोग

***531. श्री सुरेश रामराव जाधव:**
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नानावती आयोग का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो आयोग के विचारणीय विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। सरकार ने पिछले वर्ष, भारत

के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री जी.टी. नानावती, की अध्यक्षता में, दो आयोग गठित किए थे, एक आयोग, 24 फरवरी, 2000 को नई दिल्ली में संसद मार्ग पर वकीलों के प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग के लिए प्रेरित करने वाली परिस्थितियों की जांच करने के लिए और दूसरा 31 अक्तूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद निर्दोष सिक्खों की हत्या की घटनाओं की जांच करने के लिए। इन दो जांच आयोग के विचारणीय विषय नीचे दिए गए हैं:-

I. वकीलों की प्रदर्शन

(i) उन तथ्यों, परिस्थितियों और दशाओं की जांच करना जिसमें 24 फरवरी, 2000 को संसद मार्ग, नई दिल्ली में हुए वकीलों के प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग को अर्थात् लाठीचार्ज और अश्रु गैस इत्यादि के प्रयोग को प्रेरित किया;

(ii) इस बात की परीक्षा और रिपोर्ट करना कि क्या पुलिस द्वारा प्रयोग किया गया बल अत्याधिक था और अनुपात में था और यदि ऐसा है तो, दोषी पुलिस कर्मियों पर उत्तरदायित्व नियत करना; और

(iii) ऐसे उपायों की सिफारिश करना जिन्हें भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए किए जाने की आवश्यकता है।

II. 1984 में सिक्ख विरोधी दंगे

(i) आयोग निम्नलिखित मामलों के बारे में जांच करेगा:-

(क) 31 अक्तूबर, 1984 और उसके पश्चात् दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा देश के अन्य भागों में सिक्ख समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाकर आपराधिक हिंसा और दंगों से संबंधित कारणों और घटनाक्रम की जांच करना;

(ख) ऐसी हिंसा और दंगों से संबंधित घटनाक्रम तथा सभी तथ्य;

(ग) क्या इस जघन्य अपराध को टाला जा सकता है और इसके लिए उत्तरदायी अन्य किन्हीं प्राधिकारियों/व्यक्तियों की ओर से इस संबंध में कोई चूक हुई या कर्त्तव्यों की अवहेलना हुई है;

(घ) उक्त हिंसा और दंगों से निपटने और उनकी रोकथाम करने के लिए किए गए उपायों की पर्याप्तता की जांच करना;

(ङ) न्याय की पूर्ति करने के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(च) ऐसे विषयों पर विचार करना जिन्हें जांच के दौरान संगत पाया जाए।

(ii) आयोग द्वारा जांच निम्नलिखित के संबंध में की जाएगी:

(क) किसी भी व्यक्ति अथवा संगम द्वारा आयोग के समक्ष शिकायतों या अभिकथन उस प्रारूप में तथा उन शपथ पत्रों सहित प्रस्तुत किए जाएंगे जिन्हें आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए; और

(ख) पैरा 2 (1) (क) से (च) से संबंधित ऐसे दृष्टांत जो या तो केन्द्रीय सरकार या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की सरकार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा इसके ध्यान में लाए जाएं।

(ग) से (ङ) जबकि वकीलों के प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग को प्रेरित करने वाली परिस्थितियों की जांच करने के लिए स्थापित आयोग ने अपनी रिपोर्ट 15 मार्च, 2001 को सरकार को प्रस्तुत कर दी, 1984 के सिक्ख विरोधी दंगों संबंधी आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट 2 अक्तूबर, 2001 तक दी जानी है। इसकी अभी तक 14 लोक बैठकें हुए है और वह अपनी जांच आयोजित करने की प्रक्रिया में है।

विमान अपहरणकर्त्ताओं की गिरफ्तारी

***532. श्री विजय गोयल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इण्डियन एयर लाइन्स के विमान आई.सी.-814 के अपहरणकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और मामले की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अपहणकर्त्ताओं की गिरफ्तारी में सहायता करने के लिये कुछ अन्य देशों से भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा किस सीमा तक सहयोग दिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्। 24.12.1999 को इंडियन एयरलाइंस के विमान आई.सी. 814 के पांच अपहरणकर्त्ता अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं क्योंकि वे भारत में नहीं है।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 5 अपहरणकर्त्ताओं सहित 10 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध विमान अपहरण विरोधी अधिनियम के अधीन 21.6.2000 को पटियाला, पंजाब के पदनामित न्यायालय में मामला दर्ज किया है। इनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये न्यायिक हिरासत में है।

(ग) और (घ) पटियाला में पदनामित न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पांच अपहरणकर्त्ताओं सहित फरार अभियुक्तों के विरुद्ध जारी गिरफ्तार वारंट, फरार अभियुक्तों का पता लगाने, उन्हें गिरफ्तार करने और प्रत्यावर्तित करने के लिए इन्टरपोल इस्लामाबाद को भेजे गए। लियोन्स में इन्टरपोल मुख्यालय ने भी सभी सदस्य देशों को अपहरणकर्त्ताओं और उनके सहयोगियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने का अनुरोध करते हुए अपहरणकर्त्ताओं और फरार अभियुक्तों के फोटो और अन्य विवरणों के साथ रैड कार्नर नोटिस जारी किए हैं। अभियुक्तों का पता लगाने के लिए राजनयिक माध्यमों से भी प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

औषधियों के मूल्य नियंत्रण हेतु प्रक्रिया

*533. **श्री रामदास आठवले:**
श्री किरीट सोमैया:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से उन कंपनियों को नियंत्रित करने का निर्देश दिया है, जो कुछ दवाओं की अत्यधिक कीमत वसूल रही हैं, जबकि अन्य कंपनियां उन्हीं दवाओं को उचित दर पर बेच रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वे दवायें, जो अनुसूचित नहीं हैं, राष्ट्रीय भेषज मूल्य प्राधिकरण के दायरे के बाहर हैं और इन्हें विभिन्न कंपनियों द्वारा अलग-अलग मूल्य पर बेचा जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को औषधि मूल्य नियंत्रण अधिनियम, 1995 के खण्ड 10बी के अन्तर्गत औषधियों के एक समान मूल्य निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय ने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 10 के अंतर्गत गैर-अनुसूचित सूत्रयोगों के संबंध में मूल्य नियंत्रण और मूल्य परिवर्तन की जांच में दृष्टिगत रखी जाने वाली क्रिया-विधि के संबंध में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किए थे। न्यायालय के निर्देश के अनुसार रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के एक सम्बद्ध कार्यालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारणा प्राधिकरण द्वारा मार्च, 2001 में न्यायालय में एक शपथ-पत्र दाखिल किया गया है।

(ग) से (ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 10 (ख) के अनुसार सरकार यदि जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो ऐसी सूचना मंगाकर आदेश द्वारा गैर-अनुसूचित सूत्रयोग सहित किसी सूत्रयोग की खुदरा कीमत नियत या संशोधित कर सकती है। इन्टरावेनस फ्ल्यूड की खुदरा कीमत नियत किया जाना एक ऐसा उल्लेखनीय मामला है।

[अनुवाद]

इस्पात का आयात

*534. **श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल:**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्पादकों, उपभोक्ताओं, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले समग्र प्रभाव को देखते हुए प्रमुख इस्पात उत्पादों के लिए न्यूनतम मूल्य तंत्र को समाप्त करने का फैसला किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अब अचनाक ''हॉट रोल्ड क्वायल्स'' और अन्य उत्पादों पर गैर-शुल्क प्रतिबंध लगा दिये हैं;

(घ) यदि हां, तो पहले के फैसले को बदलने के क्या कारण हैं, जिसके फलस्वरूप हजारों कामगारों का रोजगार प्रभावित हुआ है।

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्टील उत्पादों के आयात पर लगाई गई वास्तविक रोक से ''हाट रोल्ड क्वायल्स'' छह घरेलू उत्पादकों द्वारा मूल्य निर्धारण/उत्पादक संघों के गठन को बढ़ावा मिला है, जिससे छोटे उद्योग और समूची अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस्पात को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने और केवल वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा इसके आयात की अनुमति देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) सरकार ने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रमुख इस्पात उत्पादों के न्यूनतम मूल्य को समाप्त करने का निर्णय लिया था। विदेश व्यापार महा निदेशक द्वारा जारी दिनांक 1.11.1999 की अधिसूचना के अनुसार प्रमुख इस्पात उत्पादों के न्यूनतम मूल्य को दिनांक 1.1.2000 से समाप्त किया जाना था। तथापि, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 16.2.2000 के निर्णय के अनुसार तप्त बेल्लित क्वायलों के संबंध में इस अधिसूचना को लागू करने पर रोक लगा दी है।

(ग) और (घ) सरकार ने तप्त बेल्लित क्यावलों और अन्य इस्पात उत्पादों के आयात पर कोई गैर-शुल्क प्रतिबंध नहीं लगाया है अपित सरकार ने देश में घटिया माल के आयात को रोकने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र बनाया है। विदेश व्यापार महा निदेशक द्वारा जारी दिनांक 24.11.2000 की अधिसूचना के अनुसार 32 इस्पात मदों सहित 131 उत्पादों का आयात भारतीय गुणवत्ता मानकों की अनुपालन की शर्त पर करना अनिवार्य कर दिया है।

(ङ) और (च) मौजूदा निर्यात आयात नीति के अनुसार इस्पात मदों का स्वतंत्र रूप से आयात और निर्यात करने की अनुमति है।

सीमा पर बाड़ लगाने के काम में बाधा

***535. श्री रामप्रसाद सिंह:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने अर्द्धसैनिक बलों द्वारा सीमा पर बाड़ लगाने के काम का विरोध किया है और वह इस काम में बाधा डाल रहा है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) पाकिस्तान सरकार ने, जम्मू और कश्मीर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के कुछ भागों पर भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षात्मक ढांचों के निर्माण के प्रति आपत्ति उठायी है और भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा आकारण गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने सुरक्षात्मक ढांचों निर्माण से संबंधित कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों पर रूक-रूक कर गोलीबारी भी की है।

भारत सरकार ने, हमारे सुरक्षा बलों द्वारा आकारण गोलीबारी करने के आरोपों को झूठा और आधारहीन करके रद्द कर दिया है क्योंकि हमारे सुरक्षा बल बेहद जिम्मेवारी के साथ काम कर रहे हैं और अनुकरणीय संयम बरत रहे हैं। भारत ने यह दोहराया है कि जम्मू और कश्मीर में और अन्य सेक्टरों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर सुरक्षात्मक ढांचों का निर्माण समय-समय पर हमारे सुरक्षा बलों द्वारा किया जाता है। हमारे सुरक्षा बल ऐसे सुरक्षात्मक ढांचों, का निर्माण करते रहेंगे जिनकी सीमा पार से पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ को रोकने के लिए आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का आना

***536. श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली की दुर्दशा का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का आना है;

(ख) यदि हां, तो क्या पी.एच.डी. चैम्बरस ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री द्वारा कराये गये एक अध्ययन से पता चला है कि 70% से अधिक जनसंख्या घटिया बस्तियों में रहती है;

(ग) यदि हां, तो उन्हें बेहतर आवास उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या पिछले तीन दशकों यानि 1961-91 के दौरान आवास निर्माण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या वर्ष 2001 से दिल्ली के निवासियों को नियोजित ढंग से बेहतर आवास, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की कोई संदर्शी योजना है; और

(छ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) दिल्ली की आबादी में अपार वृद्धि और दिल्ली की शहरी अवस्थापना सुविधाओं पर उसके तज्जन्य दबाव का एक कारण ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के प्रवसन का है।

(ख) ''दिल्ली अतीत और भविष्य (दिल्ली-पास्ट एंड फ्यूचर)'' विषय पर 31.1.2001 को हुए सम्मेलन में पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने एक आधार पत्र परिचालित किया था, जिसमें कहा गया था कि अनुमानत: 70 प्रतिशत से अधिक आबादी कम स्तर के वासों अर्थात झुग्गी समूहों, स्लम क्षेत्रों, निर्दिष्ट पुनर्वास कालोनियों, अनधिकृत आबादी कालोनियों और शहरी गांवों में रहती है।

(ग) से (ङ) दिल्ली की आवास जरूरतों की पूर्ति आवास एजेंसियों, सहकारी समितियों, दिल्ली नगर निगम के स्लम विभाग, दिल्ली सरकार, स्थानीय निकायों और व्यक्तियों के संयुक्त प्रयासों से की जाती है। दिल्ली मास्टर-प्लान 2001 के अनुसार, वर्ष 2001 में दिल्ली की आबादी 128 लाख के लगभग होने का अनुमान है। 1996-2001 की अवधि के लिए हर साल 97,000 मकान बनाने का भी प्रायोजन किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) स्कीमों के तहत अब तक लगभग 10.77 लाख मकान बनाये गये हैं जिसमें से स्वयं डीडीए ने विभिन्न स्कीमों के तहत लगभग 2.89 लाख मकान बनाये हैं। अन्य लगभग 19,900 मकान डीडीए द्वारा निर्माणाधीन हैं।

इन सभी प्रयासों के बावजूद, दिल्ली में मकानों की कमी कायम है, जो मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से है:-

(i) पड़ोसी राज्यों से लोगों के प्रवसन सहित आबादी में वृद्धि होना, फलत: आवासों की अधिक मांग होना;

(ii) दिल्ली में शहरी भूमि की कम आपूर्ति;

(iii) सेवा-सुविधाओं विशेषतया बिजली और जल आपूर्ति की कमी।

(च) दिल्ली के लिये एक परिप्रेक्ष्य/मास्टर प्लान-2001 का निर्माण प्रारंभिक चरण में है।

(छ) विभिन्न कार्यात्मक पहलुओं पर विचार-विमर्श करने और सिफारिशें देने के लिए 13 उप-दल बनाए गए हैं, जिनमें प्रख्यात व्यक्ति, व्यावसायिक विशेषज्ञ, संबंधित सरकारी विभागों के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन आदि सदस्य हैं।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन

***537. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गैर-सरकारी संगठनों और जनजातीय संगठनों द्वारा की गयी मांग के अनुसार राहत और पुनर्वास संबंधी प्रावधानों को शामिल करने हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विस्थापितों और कृषि से भिन्न अन्य उद्देश्यों के लिए अधिग्रहीत की गयी जनजातीय भूमि से संबंधित मामलों की जांच के लिए कोई समिति गठित की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ङ) जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और बहाली के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम में किए जाने वाले संशोधनों तथा एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के संबंध में सुझावों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए मंत्रियों के दल द्वारा की गई कुछ सिफारिशों के विचाराधीन हैं।

भारत के आनुवांशिक संसाधनों को पेटेंट कराना

***538. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के आनुवांशिक संसाधनों को विदेशों में बड़ी संख्या में पेटेंट कराये जाने संबंधी मामला सरकार की जानकारी में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु क्या उपाय किये गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) भारतीय आनुवांशिक संसाधनों के प्रयोग और गुणधर्मों की विदेशों में पेटेंटिंग से संबंधित कुछ मामले सरकार की जानकारी

में आए हैं। उदाहरणों में नीम, हल्दी, बैंगन, जामुन, करेला, बासमती चावल आदि के प्रयोग शामिल हैं। तथापि, उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार स्वत:-आनुवांशिक संसाधनों की भारत द्वारा कोई पेटेंटिंग नहीं हुई है।

ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों द्वारा कई विधायी और अन्य उपाय किए गए हैं।

हडको का पुनर्गठन

***539. श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **शहरी और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हडको एक अत्यधिक केन्द्रीकृत संगठन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बेहतर प्रशासन के लिए हडको को चार पृथक निगमित निकायों में विभाजित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू-कश्मीर में नए शांति प्रयास

***540. श्री शिवाजी माने:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार जम्मू कश्मीर में शांति प्रक्रिया को शुरू करने हेतु कुछ नए प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर उग्रवादी ग्रुपों/नागरिकों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में जम्मू कश्मीर में तैनात रक्षा बलों के प्रभारी से कुछ रिपोर्टें भी प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) शांति और अमन-चैन स्थापित करने की दिशा में एक सशक्त अभियान को बढ़ावा देने की दृष्टि से, जम्मू और कश्मीर राज्य के लोगों के सभी वर्गों के साथ राजनैतिक वार्ता आयोजित करने हेतु सरकार द्वारा श्री के.सी. पंत, उपाध्यक्ष, योजना आयोग को नामित किया गया है।

(ग) लोगों ने सरकार द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत किया है। तथापि, उग्रवादी ग्रुपों की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) संघर्ष अभियान (कॉमबट ऑपरेशन) शुरू न करने के संबंध में सेना मुख्यालय से सभी अवस्थाओं पर परामर्श किया गया है। सरकार द्वारा नियमित आधार पर सेना के स्थानीय विरचनाओं से जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। सेना शांति प्रक्रिया पर सरकार की नीति से पूर्णतया समहत है।

आन्ध्र प्रदेश में जनजातियों के कल्याणार्थ परियोजनाएं

5473. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में जनजातियां खस्ता हाल में रह रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन जनजातियों के समक्ष आ रही समस्याओं की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनके कल्याण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या मुख्य परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तथापि, संघ सरकार ने (1) जनजातियों को समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष लाने तथा (2) शोषण से उनको बचाने के उद्देश्यों से जनजातीय उप-योजना कार्यनीति पहले ही अपना ली है। जनजातीय उप-योजना कार्यनीति आंध्र प्रदेश राज्य सहित 21 राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है। राज्य में 8 समेकित जनजातीय विकास परियोजनाएं, 9 माडा पॉकेट तथा 10 क्लस्टर कार्य कर रहे हैं। पेडेरू में और सम्मिदा तथा शंकरम के क्लस्टरों में आई.डी.टी.पी. विशाखापत्तनम जिले में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, यह मंत्रालय जनजातियों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता रहा है। आंध्र प्रदेश को गत तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

इस मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को गत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त निधियां:-

रु. लाख में

क्र.सं.	योजना	वर्ष		
		1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	143.92	963.02	1577.74
2.	राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम योजना	–	300.00	150.00
3.	गैर सरकारी संगठनों को अनुदान	148.91	229.02	290.55
4.	आदिम जनजातीय समूह	117.18	217.33	129.36
5.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	2728.47	2182.94	2182.94
6.	अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अनुदान	607.00	613.86	460.50
7.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	06.93	03.75	0.44
8.	अनु.ज.जा. के लिए लड़कों के छात्रावास	49.00	87.30	–
9.	अनु.ज.जा. के लिए लड़कियों के छात्रावास	236.44	178.88	–
10.	आश्रम स्कूल	113.00	225.86	–
11.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	85.57	58.06	09.63
12.	शैक्षिक परिसर	121.04	25.46	07.56
13.	राज्य जनजातीय विकास निगम	–	–	96.00

वाणिज्यिक और आवासीय ढांचों की जांच

5474. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **शहरी विकास और गरीबी** उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से राजधानी के गांवों में वाणिज्यिक और आवासीय ढांचों जैसे पांच सितारा, रेस्तराओं, बुटिकों और बड़े शोरूमों के निर्माण की जांच करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो घिटोरनी, रंगपुरी, महिपाल पुर और समालखा जैसे गांवों, जहां बड़ी संख्या में व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं, को इस जांच में शामिल न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) घिटोरनी, मंगोलपुरी, पार्क व्यू अपार्टमेन्ट, लाडो सराय, हौज खास गांव, ग्रेटर कैलाश, शालीमार बाग, पीतमपुरा, महिपालपुर, जौनपुर, रोहिणी, प्लाटेड क्षेत्र और पुराना राजिन्दर नगर में रिहायशी वाणिज्य संरचनाओं में विशेषकर ग्राउंड कवरेज, पार्किंक, सेट बैंक लाइनों, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) बेसमेन्ट आदि में भवन उपनियमों के गंभीर उल्लंघन के कुछ मामलों को जांच के लिए सी.बी.आई. को भेजा गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को नागरिक सुविधाएं

5475. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम का झुग्गी-झोपड़ी और जे.जे. विंग इनके निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने में असफल रहा है और इस प्राधिकरण ने इन क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) झुग्गी-झोपड़ी विगं ने अपनी जमीन और संपत्ति बेचकर कितनी धनराशियां एकत्रित की और गत तीन वर्षों के दौरान बिक्री के लिए पड़ी भूमि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ए.आई.आई.एम.एस. ने अपनी भूमि से झुग्गियों को हटाने हेतु इस विंग के पास 11.5 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई; और

(ङ) यदि हां, तो ए.आई.आई.एम.एस. की भूमि से झुग्गियों को न हटाने के क्या कारम हैं और इसके खाली पड़े 2445 फ्लैटों को आवंटित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी विभाग (एम.सी.डी.) द्वारा अपनी भूमि और सम्पत्तियों के निपटान द्वारा इकट्ठी की गई धनराशि निम्नलिखित अनुसार है:-

वर्ष	धनराशि
1998-1999	59.33.700/- रु.
1999-2000	1,27,79,508/- रु.
2000-2001 (14.3.2001 तक)	2,88,24,500/- रु.

(घ) और (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए.आई.आई.एम.एस.) ने संस्थान के पीछे झोपड़-पट्टी गौतम नगर से 3994 झुग्गी परिवारों को हटाने के लिए पुनर्स्थापन प्रभार के रूप में 10,47,47,000/- रु. की धनराशि जमा कराई है। इनमें से 3402 झुग्गी परिवार पहले ही हटा दिए गए हैं और शेष झुग्गी परिवारों को हटाने की कार्रवाई चल रही है।

जहां तक 2445 खाली फ्लैटों के आबंटन का संबंध है, यह बताया गया है कि 503 फ्लैट पंजाब के प्रवासियों के कब्जे में हैं, 547 फ्लैट 1984 के दंगा पीड़ितों का दावा करने वाले अतिक्रामकों के कब्जे में हैं और 1375 फ्लैट स्लम क्लीयरेन्स स्कीम के तहत बेदखल किए गए व्यक्तियों, को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपायुक्त द्वारा पात्र पाए गए दंगा पीड़ितों को रिहायशी फ्लैट पंजीकरण स्कीम, 1985 के पंजीकृतों आदि को आबंटित किए गए हैं। आज की तारीख तक केवल 20 फ्लैट खाली हैं और उन्हें धीरे-धीरे आबंटित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सरकारी ठेकेदारों के पास कार्यरत कर्मचारी

5476. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना भवन, कृषि भवन, विज्ञान भवन आदि में गत तीन वर्षों से सी.पी.डब्ल्यू.डी. के सरकारी ठेकेदारों के पास कार्यरत कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि जिन कार्यों को पूरा करने में वर्षों लग जाते हैं उन कार्यों को ठेकेदारों से न कराकर सरकारी कर्मचारियों से कराया जाए;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों के साथ मिलीभगत से माननीय न्यायालयों के आदेशों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

(घ) और (ङ) न्यायालय के आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, अत: ऐसा करने के लिए के.लो.नि.वि. के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत होने का प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस का आधुनिकीकरण

5477. श्री राजो सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को प्रतिवर्ष प्रति बटालियन तत्काल एक करोड़ रुपये का भुगतान करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस धनराशि में वृद्धि का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टेलीस्कोप की खरीद

5478. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आई.आई.ए.) बंगलौर को बड़े टेलीस्कोप बनाने का अनुभव है;

(ख) यदि हां, तो विदेश से टेलीस्कोप खरीदने के क्या कारण है; और

(ग) उक्त खरीद में खर्च हुई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, बंगलौर को 2 - मीटर छिद्र तथा एफ = 3.5 प्राथमिक धीमी प्रकाशिकी एवं भूमध्यवर्ती आलम्बन वाले टेलीस्कोप का पुरानी प्रौद्योगिकी द्वारा निर्माण करने का अनुभव प्राप्त है। इस संस्थान को न तो नई प्रौद्योगिकी के टेलीस्कोप विकसित करने का अनुभव प्राप्त है और न ही उच्च उन्नातांश टेलीस्कोप का विद्यमान न्यूनतम तापमान - 25 डिग्री सेन्टीग्रेड व न्यून आद्रता की दशाओं में रिमोट संचालन करने का ही अनुभव है। अत: तकनीकी एवं वैज्ञानिक जरूरतों को देखते हुए तथा राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श पर संस्थान एवं मैसर्स ई.ओ.एस. टैक्नोलोजीज, इन्क, टस्कॉन, अरिजोना, यू.एस.ए. नामक निर्माता द्वारा एक 2 - मीटर छिद्र तथा एफ = 1.75 प्राथमिक तीव्र प्रकाशिकी वाली एक उद्दिगंशक आलम्बन से सुसज्जित अर्ध-रोबोटिक रिमोट द्वारा संचालित नई प्रौद्योगिकी वाले टेलीस्कोप का मिलकर विकास किया गया और इसे दक्षिण-पूर्व लद्दाख में हान्लें नामक स्थान पर अधिष्ठापित कर दिया गया। अधिष्ठापन सहित इस टेलीस्कोप प्रणाली की लागत 2,818,956 अमरीकी डालर है।

आपदा प्रवण क्षेत्रों में सुरक्षित निर्माण

5479. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपदा प्रवण क्षेत्रों में सुरक्षित निर्माण करने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी पर आवास, शहरी विकास और स्थानीय स्वशासन के राज्य मंत्रियों ने केन्द्र सरकार के साथ एक बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यसूची के किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके क्या परिणाम निकले?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां। आपदा प्रवण क्षेत्रों में सुरक्षित निर्माणों के लिए प्रौद्यो-विधि मूलक पद्धति विषय पर शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्यों के आवास, नगर विकास और स्थानीय स्वशासन मंत्रियों के साथ दिनांक 14 मार्च, 2001 को एक बैठक की थी।

(ख) और (ग) बैठक में आवासों और इमारतों के निर्माण में सुरक्षा पहलुओं पर जोर देने के लिये, अन्य के अलावा भवन उपनियमों, और विकास नियंत्रण नियमों में यथोचित परिवर्द्धनों/संशोधनों को शामिल करने की जरूरत के मुख्य मुद्दे भी शामिल थे। राज्यों के प्रतिनिधियों ने सिफारिश की थी कि विशेषतया भूकम्प-प्रवण जोन iii, iv तथा v में आने वाले क्षेत्रों में भवन उपनियमों तथा विकास नियंत्रण नियमों के नियामक पहलुओं को सुदृढ़ बनाने की तत्काल आवश्यकता है। तेजी से उभर रहे नगरों में संरचनात्मक सुरक्षा पहलुओं को उपनियमों तथा विनियमनों के जरिए कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।

जैव-प्रौद्योगिकी पार्कों और अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

5480. श्री अमीर आलम: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुनियाभर में जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग फल-फूल रहा है भारत को औषधियों और नई औषधि आपूर्ति व्यवस्था जैसे विषयों पर नए अनुसंधानों और अध्ययनों को आगे बढ़ाने के लिए नए जैव-प्रौद्योगिकी पार्क और अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या कार्ययोजना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्यमंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) विश्वभर में जौव प्रौद्योगिकीय उद्योग फल फूल रहा है और यह आशा की जाती है कि भविष्य में यह धन-सृजन का एक प्रमुख स्रोत होगा। भारत में कई कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन हैं। जैवप्रौद्योगिकीय पार्कों, उष्मायन केन्द्रों तथा अनुसंधान संस्थानों जैसी नई संस्थागत संरचनाएं 10वीं योजना के दौरान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। नए औषधों, औषध वितरण प्रणालियों, टीकों, नैदानिकी और पुनर्संयोजी उत्पादों के संबंध में अनुसंधान-कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया है। डी बी टी द्वारा सहाय्यित 40 प्रौद्योगिकियां व्यापारीकरण के लिए उद्योग क्षेत्र को हस्तांतरित की गई है। 10वीं योजना के अनुसार कई और प्रौद्योगिकियां हस्तांतरण के लिए तैयार हैं।

दिल्ली में और इसके चारों ओर छः उपनगरों का विकास

5481. श्री सुनील खांः क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली में और इसके चारों ओर छः उपनगरों का विकास करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विस्तार करने पर विचार करने हेतु शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप/उच्च स्तरीय दल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल के सदस्यों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में उक्त दल ने क्या निर्णय लिया है;

(घ) किन-किन उपनगरों का विकास किया जाना है; और

(ङ) इनके विकास हेतु क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) जी नहीं। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की दिनांक 12.07.2000 को हुई 25वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सुव्यवस्थित तथा संतुलित विकास के लिए भावी वर्ष 2021 तक के लिए क्षेत्रीय योजना की तैयारी हेतु शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त दल गठित किया गया था। जिसका गठन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

सं. के-14011/1/2001-डी.डी. । बी
भारत सरकार
शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली-II
दिनांकः 18 जनवरी, 2001

कार्यालय ज्ञापन

विषयः क्षेत्रीय योजना-2021 की तैयारी के लिए शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त-दल का गठन।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की दिनांक 12.7.2000 को हुई 25वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के फलस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सुव्यवस्थित तथा संतुलित विकास के लिए भावी वर्ष 2021 की योजना की तैयारी के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को लेकर एक उच्चाधिकार प्राप्त दल का गठन किया गया है:-

1.	माननीय शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री	अध्यक्ष सदस्य
2.	सचिव (यूवडी.), शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य
3.	अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य
4.	उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव (दि. एवं भूमि), शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य
6.	अध्यक्ष, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव, भूतल परिवहन मंत्रालय	सदस्य
8.	संयुक्त सचिव, दूरसंचार मंत्रालय	सदस्य
9.	संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय	सदस्य
10.	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य
11.	सदस्य (यातायात), रेल मंत्रालय	सदस्य

12.	प्रधान सचिव (यू.डी.) जी.एन.सी.टी.डी.	सदस्य
13.	आयुक्त-सह-सचिव टी.सी.पी.ओ., हरियाणा	सदस्य
14.	सचिव आवास विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
15.	सचिव (श.वि.), राजस्थान	सदस्य
16.	इंजीनियरी सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण	सदस्य
17.	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान	सदस्य
18.	मुख्य नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश	सदस्य
19.	मुख्य नगर नियोजक, हरियाणा	सदस्य
20.	सदस्य सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	सदस्य सचिव

ह./-
(निशा सिंह)
उप सचिव (दिल्ली प्रभाग)

सेवा में,

समिति से सभी सदस्य

औद्योगिक इकाइयों को सील करना

5482. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार सरकार दिल्ली की औद्योगिक इकाइयों को सील कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1996 में वैकल्पिक स्थलों के आवंटन हेतु आवेदन करने वाले लोगों की इकाइयों को भी सील किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन फैक्ट्री मालिकों से, जिनकी भूमि आवंटन हेतु किये गये आवेदन फैक्ट्री लाइसेंस न होने के कारण अस्वीकृत कर दिए गए थे, को आयकर विभाग से एक प्रमाणपत्र लाने को कहा है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि उनकी फैक्ट्रियां 19 अप्रैल, 1996 से कार्यरत थीं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली के गैर-मंजूरशुदा/रिहायशी क्षेत्रों में संचालित प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिल्ली सरकार द्वारा सील कर दिया गया है।

(ख) और (ग) दिल्ली सरकर ने सूचित किया है कि प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को सील किया जा रहा है चाहे इन इकाइयों ने वैकल्पिक स्थलों के लिए आवेदन दिया हो या नहीं।

(घ) और (ङ) पुन: स्थापन स्कीम के तहत, फैक्ट्री मालिकों से 19.4.1996 से पहले उनकी इकाइयों की मौजूदगी का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना अपेक्षित है। कागजात के रूप में उद्योग के संबंध में आयकर विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन आदेश भी पेश किए जा सकते हैं।

असौला-भाटी खान स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य की भूमि को प्रादेशिक सेवा के कृतिक बल को सौंपना

5483. श्री रामजी मांझी: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असौला-भाटी खान स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य की भूमि को वनरोपण हेतु प्रादेशिक सेना के पर्यावरणीय कृतिक बल को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नवरोपण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या उक्त भूमि से अवैध कब्जों को हटा दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि असौला भाटी अभ्यारण्य के भाटी क्षेत्र का करीब 2100 एकड़ क्षेत्र प्रादेशिक सेना के इको-टास्क फोर्स के माध्यम से वापस लेने के निर्णय किया गया है। यह परियोजना पांच वर्ष में पूरी कर ली जाएगी और इसके लिए 823 लाख रु. स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने तीन कालोनियों नामत: संजय नगर, बलबीर नगर और इन्दिरा नगर को जौनापुर में बसाने में निर्णय किया है और दिल्ली नगर निगम का स्लम व जे.जे. विंग निर्णय को कार्यान्वित करने के उपाय कर रहा है।

देश में अपराध

5484. श्री बसुदेव आचार्य:
श्री हन्नान मोल्लाह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक देश में हुए विभिन्न अपराधों का अपराध-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में बढ़ती अपराध दर के कारणों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में अपराधों की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान अपराध की घटनाओं के अपराध-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। यह देखा जा सकता है कि अपराध दर में वृद्धि नहीं हो रही है।

(घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय है और इस लिए अपराधों को दर्ज करने, उनको जांच पड़ताल करने, पता लगाने की जिम्मेवारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार, समय-समय पर राज्य सरकारों को अपराधों के संबंध में निवारक दंडात्मक और सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखती रही है।

विवरण

देश में भारतीय दंड संहिता अपराधों की घटनाएं

क्रम संख्या	अपराध शीर्ष	भारतीय दंड संहिता अपराधों की घटनाओं की संख्या		
		1998	1999	2000
1	2	3	4	5
1.	हत्या	38584	37170	33479
2.	हत्या करने का प्रयास	30577	29628	24486
3.	मानव वध की कोटि में न आने वाला अपराध	3681	3912	3630
4.	बलात्कार	15151	15468	14221
5.	अपहरण और व्यपहरण	23520	23236	20222
6.	डकैती	8091	7079	5573
7.	डकैती के लिए तैयारी और एकत्र होना	1266	1501	उ.न.
8.	लूट-पाट	23603	21332	18098
9.	सेंधमारी	119260	111296	93226
10.	चोरी	287967	271907	231429
11.	दंगे	90767	80838	67865
12.	आपराधिक न्यास भंग	16157	15454	11294
13.	धोखाधड़ी	38271	41403	34397

1	2	3	4	5
14.	जाली कारोबार	1353	1347	2240
15.	आगजनी	12913	11281	उ.न.
16.	चोट पहुंचाना/गंभीर रूप से चोट पहुंचाना	235870	236313	उ.न.
17.	दहेज हत्या	6975	6699	6222
18.	छेड़छाड़	30959	32311	29177
19.	यौन उत्पीड़न	8053	8858	12200
20.	पति द्वारा क्रूरता	41375	43823	36609
21.	अन्य भारतीय दंड संहिता अपराध	744422	763835	905868
	कुल	1778815	1764629	1550186

उ.न.: उपलब्ध नहीं
(2000 के लिए आंकडें अनन्तिम हैं)

हडको द्वारा कर्नाटक को सहायता

5485. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम (हडको) कर्नाटक सरकार को राज्य में पुलिस थानों हेतु भवनों के निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपये देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकार ने हडको के इस ऋण का किस हद तक उपयोग किया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के पुलिस कार्मिकों के लिए अवस्थापना सुविधाएं यथा पुलिस अकादमी का विकास, पुलिस स्टेशन, कार्यालय स्थान, वायरलेस स्टेशन आदि वे सम्बद्ध सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हडको) से 124.00 करोड़ रु.की ऋण सहायता लेने का निर्णय लिया है। हडको द्वारा उक्त कार्यक्रम के लिए विशिष्ट योजनाओं के साथ प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है अत: इस प्रयोजनार्थ अब तक हडको द्वारा कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है।

आस्ट्रेलियाई सहायता से परामर्शदात्री कार्यशाला

5486. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बंगलौर जलापूर्ति और स्वच्छता मास्टर प्लान परियोजना हेतु आस्ट्रेलिया की सहायता से एक परामर्शदात्री कार्यशाला चलाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना से कितने प्रतिशत जनसंख्या को लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) आस्ट्रेलिया सरकार और भारत सरकार के बीच हुए विकास सहयोग करार (डेवलपमेन्ट कोआपरेशन एग्रीमेन्ट) के प्रावधानों के तहत आस्ट्रेलिया एजेन्सी फार इन्टरनेशनल डेवलपमेन्ट (आस्ट्रेलिया सहायता) 19 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बंगलौर जल आपूर्ति और पर्यावरणीय सफाई मास्टर प्लान परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 29.5.2000 से सहायता मुहैया करा रही है। प्रस्तावित परियोजना के मुख्य घटक

निम्नलिखित हैं:-

(i) जल आपूर्ति, मल-जल व्ययन और पर्यावरणीय सफाई हेतु आयोजना।

(ii) सेवा और विस्तार (एक्सटेंशन) उन्नयनन हेतु समुदाय आधारित आयोजना।

(iii) संस्थागत क्षमता निर्माण और सुदृढ़ीकरण।

(iv) जल आपूर्ति और मल-जल व्ययन सेवा पायलट अध्ययन।

मास्टर प्लान 25 वर्षों की अवधि अर्थात 2025 तक के लिए तैयार किया जाएगा।

(ग) बंगलौर जल आपूर्ति और मल जल व्ययन बोर्ड ने सूचित किया है कि इस परियोजना से बंगलौर शहर की शतप्रतिशत आबादी को लाभ मिलेगा।

(घ) परियोजना के 28.5.2002 तक पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

नवगठित राज्यों में गरीबी उपशमन कार्यक्रम

5487. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सहित नवगठित राज्यों में कोई गरीबी उपशमन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार तथा योजना-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या इस संबंध में निर्धारित राज्य-वार लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) शहरी गरीबों के लाभ हेतु तीनों नवगठित राज्यों सहित अखिल भारतीय आधार पर शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा "स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जेएसआरवाई)" नामक शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित कर अथवा सामाजिक व आर्थिक रूप से लाभदायक सामाजिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए श्रम का उपयोग कर मजदूरी रोजगार का प्रावधान करने के द्वारा शहरी बेरोजगारों या अल्परोजगारों के लिए लाभकर रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना का वित्तपोषण केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 75 : 25 के अनुपात में किया जाता है। तीन नव-गठित राज्यों को भी मार्च, 2001 में केन्द्रीय सहायता निम्नानुसार स्वीकृत की गई है/-

1.	छत्तीसगढ़	-	422.69 लाख रुपए
2.	झारखंड	-	202.10 लाख रुपए
3.	उत्तरांचल	-	102.97 लाख रुपए

(ग) नव-गठित राज्यों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के अलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार

5488. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ प्रशासन के कितने कर्मचारी गत तीन वर्षों के दौरान ड्यूटी पर मारे गए;

(ख) क्या इन मामलों में मृतकों के आश्रितों को प्रशासन अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान करता है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उपलब्ध कराए गए रोजगारों की संख्या सहित सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान लंबित आवेदनों की कुल संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तम श्रेणी के कोयले का उत्पादन

5489. श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री वी. वेत्रिसेलवन:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं और नौवीं योजना अवधि के दौरान उत्तम श्रेणी के कोयले का कितना उत्पादन किया गया;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कोयले के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धियां हासिल की गई;

(ग) क्या सरकार ने हार्ड कोक और साफ्ट कोक की सभी श्रेणियों के मूल्य और वितरण का विनियमन किया है; और

(घ) यदि हां, तो कब से और इसके अंतर्गत क्या उपलिब्धयां हासिल की गई?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) कोकिंग कोयले तथा नॉन-कोकिंग कोयले की ए, बी तथा सी श्रेणी के कोयले को उच्चतर श्रेणी का कोयला माना जाता है। आठवीं तथा नौवीं योजना के दौरान उच्चतर श्रेणी के कोयले का उत्पादन निम्नानुसार है:-

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	उच्चतर श्रेणी के कोयले का उत्पादन
1992-93	117.39
1993-94	116.77
1994-95	113.10
1995-96	117.16
1996-97	118.21
1997-98	121.18
1998-99	111.88
1999-2000	105.24

(ख) उत्पादन के लक्ष्य राज्य-वार निर्धारित नहीं किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य-वार उत्पादन इस प्रकार है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001 (अनंतिम)
आन्ध्र प्रदेश	27.33	29.56	30.27
असम	0.64	0.57	0.66
बिहार/झारखंड	76.16	76.53	75.41
जम्मू एवं कश्मीर	0.01	0.03	0.03
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	84.94	90.50	92.73
महाराष्ट्र	25.28	27.70	28.75
उड़ीसा	43.51	43.55	44.80
उत्तर प्रदेश	15.65	13.62	16.86
पश्चिम बंगाल	18.76	17.98	20.09

(ग) और (घ) 1.1.2000 से सरकार ने सभी श्रेणियों के कोयले तथा कोक के मूल्य तथा वितरण को विनियंत्रित कर दिया है।

कुटेश्वर इस्पात खान

5490. श्री रामानन्द सिंह: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कुटेश्वर इस्पात खान में इस्पात का कुल कितना उत्पादन किया गया था; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्पादन लागत और मुनाफे का अनुपात संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) सेल के कच्चा माल प्रभाग के अधीन कुटेश्वर में कोई

इस्पात खान नहीं है, अत: वहां से इस्पात का उत्पादन करने का प्रश्न नहीं उठता। यद्यपि, सेल/आरएमडी कुटेश्वर में चूना पत्थर खान प्रचालित कर रहा है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कुटेश्वर चूना-पत्थर खान में हुआ उत्पादन नीचे दिया गया है:-

2000-2001	4.79 लाख टन
1999-2000	8.70 लाख टन
1998-1999	6.86 लाख टन

(ख) कुटेश्वर चूना-पत्थर खान लाभपूर्ण केन्द्र नहीं है और यह केवल एक लागत केन्द्र है। इस खान में उत्पादित माल को उत्पादन की वास्तविक लागत पर सेल के इस्पात संयंत्रों में भेजा जाता है। उक्त अवधि के दौरान हुए उत्पादन की लागत नीचे दी गई है:-

2000-2001	610 रु. प्रति टन (अनन्तिम)
1999-2000	470 रु. प्रति टन
1998-1999	443 रु. प्रति टन

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना/जवाहर रोजगार योजना/रोजगार गारंटी योजना का मूल्यांकन

5491. श्री जय प्रकाश: क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री इंदिरा आवास योजना/जवाहर रोजगार योजना/रोजगार गारंटी योजना के बारे में 5.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2492 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब तक सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सूचना के कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (घ) इंदिरा आवास योजना/जवाहर रोजगार योजना/रोजगार गारंटी योजना के मूल्यांकन के संबंध में लोकसभा में 5.12.2000 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2492 के उत्तर में दिए गए आश्वासन के तुरंत बाद, संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए उपाय शुरू किए गए थे। यद्यपि कुछ जानकारी प्रात हो चुकी है, लेकिन ऐसा महसूस किया जाता है कि और अधिक जानकारी की जरूरत है। इस आश्वासन को शीघ्र पूरा करने के लिए हर प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन संबंधी पुरोहित समिति

5492. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रासायनिक उर्वरक संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता का कितना न्यूनतम और अधिकतम उपयोग किया गया;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन संयंत्रों की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए पुरोहित समिति का गठन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा ऐसे किन-किन संयंत्रों की उत्पादन क्षमता का पुनर्मूल्यांकन किया गया है;

(ङ) प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(च) इन संयंत्रों की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उक्त समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) गत तीन वर्षों के दौरान रासायनिक उर्वरक संयंत्रों की अधिकतम और निम्नतम स्थापित उत्पादन क्षमता उपयोगिता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) उर्वरक विभाग के उस समय के परामर्शदाता डा. जी.बी. पुरोहित की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति अमोनिया और यूरिया एककों की सभी उच्चक्षमता उपयोगिता और उनकी क्षमताओं के पुनर्आंकलन आदि के पहचान हेतु गठित की गई है।

(ग) से (छ) इस समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1999 में प्रस्तुत कर दी थी। इस समिति ने पांच भिन्न पद्धतियों के आधार पर यूरिया एककों की पुनर्आंकलन क्षमताओं की गणना की थी। समिति ने क्षमताओं के पुनर्आंकलन के लिए अपनाई गई पद्धति के बारे में सर्वसम्मत से सिफारिश नहीं की। चूंकि समिति ने सर्वसम्मत सिफारिश नहीं की थी, इसलिए सरकार ने मई, 2000 में पुनर्आंकलन पद्धति के सम्पूर्ण मुद्दे की जांच करने, पुनर्आंकलन की पद्धति के आधार पर वसूली के उद्देश्य से अपनाये जाने वाली प्रभावी निर्धारित तिथि आदि के लिए डा. वाई.के. अलघ समिति गठित की। डा. अलघ ने अभी हाल ही में 29.3.2001 को सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की है जिसकी जांच की जा रही है।

विवरण

1998-99 से 2000-2001 तक प्रमुख रासायनिक उर्वरक एककों के पोषकों एवं क्षमता उपयोगिता की प्रतिशतता के रूप में एकक वार वार्षिक स्थापित क्षमता

क्षेत्र एकक के नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता (2000-2001)	उत्पादन (000 मी. टन)			क्षमता उपयोगिता का प्रतिशत		
		1998-99	1999-2000	2000-2001	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6	7	8
नाइट्रोजन							
एन एफ एल नांगल-I	80.0	55.5	38.8	26.8	69.4	48.5	33.5
एन एफ एल नांगल-II	151.8	178.8	158.4	138.1	117.8	104.5	91.0
एन एफ एल भटिंडा	235.3	231.7	249.9	220.2	98.5	106.2	93.6
एन एफ एल पानीपत	235.3	246.4	245.1	226.7	104.7	104.2	96.4
एन एफ एल वियजपुर	392.6	393.2	374.1	373.0	117.7	112.0	95.0
एन एफ एल वियजपुर विस्तार	392.6	396.5	415.4	392.5	118.7	124.4	100.0
योग	1487.6	1502.1	1481.8	1377.2	109.6	108.1	92.6
फैक्ट, उद्योग मंडल	77.0	69.3	87.6	91.0	90.0	113.8	118.2
फैक्ट, कोचीन-I	151.8	84.2	122.0	126.7	55.5	80.4	83.5
फैक्ट, कोचीन-II	96.6	116.0	118.0	126.6	120.1	122.2	131.1

1	2	3	4	5	6	7	8
योग फैक्ट	325.4	269.5	327.5	344.3	82.8	100.7	105.8
आर सी एफ ट्रोम्बे#	45.0	53.2	61.6	45.0	58.8	68.1	100.0
आर सी एफ ट्रोम्बे IV	75.1	50.0	64.8	53.4	66.7	86.4	71.1
आर सी एफ ट्रोम्बे V	151.8	123.8	139.1	133.9	81.6	91.8	88.2
आर सी एफ थाल	683.1	650.0	670.0	611.5	95.2	100.2	89.5
योग आर सी, एफ	955.0	877.0	935.5	843.8	87.7	95.0	88.4
एफ सी आई, सिन्दरी	151.8	102.6	140.7	109.2	67.6	92.8	71.9
एफ सी आई गोरखपुर*	—	0.0	0.0	—	—	—	—
एफ सी आई रामगुण्डम*	—	42.2	0.0	—	27.8	—	—
एफ सी आई तालचर*	—	31.6	0.00	—	20.8	—	—
योग एफ सी आई	151.8	176.4	140.7	109.2	30.1	24.0	71.9
एच एफ सी नामरूप-I	21.00	0.0	—	—	—	—	—
एच एफ सी नामरूप-II	—	0.0	0.0	—	—	—	—
एच एफ सी नामरूप-III	117.1	52.8	56.3	76.9	34.8	37.1	43.4
एच एफ सी दुर्गापुर	—	0.0	0.0	—	—	—	—
एच एफ सी बरौनी	—	11.6	0.0	—	13.7	—	—
योग (एच एफ सी)	198.1	64.4	56.3	76.9	15.2	13.3	43.4

1	2	3	4	5	6	7	8
एम एफ एल चेन्नई	277.1	243.8	313.4	310.9	96.0	124.8	112.2
एस ए आई एल राउलकेला	120.0	23.1	9.1	2.4	19.3	7.6	2.0
एन एल सी नवेली	70.4	31.2	7.9	44.7	44.6	11.3	63.5
पी पी एल पारादीप	129.6	140.4	135.5	89.8	108.3	104.6	69.3
उत्पाद	38.7	25.1	23.6	22.6	64.9	58.4	58.4
योग सार्वजनिक क्षेत्र	3753.7	3353.0	3431.3	3221.8	77.6	79.9	85.8
इफको:कलोल	250.5	225.6	204.7	221.1	89.9	81.5	88.3
इफको:कान्डला	199.8	193.8	274.0	257.0	163.0	158.6	128.6
इफको:फुलपुर	235.3	261.7	233.6	239.2	114.8	102.5	101.7
इफको:फुलपुर विस्तार	392.6	384.3	370.2	392.7	115.1	110.8	100.0
इफको:अनोला	392.6	381.7	337.9	374.5	117.3	101.9	95.4
इफको:अनोला विस्तार	392.6	385.5	388.3	394.7	115.4	116.2	110.5
योग (इफको)	1863.4	1842.6	1810.7	1879.2	115.2	109.5	100.9
कृभको:हजिरा	785.1	697.6	716.4	750.1	104.4	107.3	95.5
(III) **(निजी क्षेत्र)**							
जीएसएफसी:वदोधरा	237.8	229.3	247.7	218.6	97.1	105.0	91.9
सीएफएल:विजाग	83.8	83.6	88.4	114.1	99.8	105.5	136.2
एसएफसी:कोटा	151.8	180.9	186.1	149.4	119.2	122.6	98.4
डीआईएल:कानपुर	310.5	337.1	319.7	309.8	108.6	103.0	99.7
जेडआईएल:गोवा	300.8	189.1	242.2	239.6	95.5	100.9	79.7
एसपीआईसी:तुतीकोरन	361.6	375.0	408.3	394.1	120.9	131.6	109.0
एमसीएफ:मंगलौर	181.2	194.9	162.8	188.9	107.6	89.8	104.3
ईआईडी-पैरी-ईन्नौर	27.2	33.1	37.2	39.8	122.6	137.8	146.3

1	2	3	4	5	6	7	8
जीएनएफसी:भैरूच	364.4	372.3	346.1	358.4	109.0	101.4	98.4
डीएफपीसीएल:तलोजा	52.9	40.7	45.1	33.7	76.9	85.3	63.7
टीएसी:तुतीकोरन	16.0	15.8	21.9	25.8	98.8	135.6	163.3
पीएनएफ:नागल	0.0	0.0	—	79.4	—	—	—
एचएलएल:हलदिया	121.5	41.5	61.3	103.5	83.0	49.7	85.2
आईजीसीएल:जगदीशपुर	392.6	469.2	479.3	395.4	140.5	143.5	100.7
आईजीसीएल:दहेज	72.0	—	—	16.5	—	—	39.3
जीएसएफसी:सिक्का-I	58.7	94.4	109.2	100.9	160.8	186.0	171.9
जीएसएफसी-सिक्का-II	—	—	—	—	—	—	—
एनएफसीएल:काकीनाडा-I	274.8	316.8	295.0	265.9	139.1	129.6	96.8
एनएफसीएल:काकीनाडा-II	274.8	240.9	301.8	283.6	105.8	132.5	103.2
जीएफसीएल:काकीनाडा	85.1	115.8	127.3	140.4	136.1	149.2	165.0
सीएफसीएल-गडेपन-I	392.6	440.1	435.3	392.7	128.8	127.5	100.0
सीएफसीएल-गडेपन-II	392.6	—	163.0	392.9	—	109.7	100.1
टीसीएल:बबरोला	392.6	404.1	451.9	392.6	118.3	132.3	100.0
ओसीएफ-शाहांजानपुर	392.6	409.7	401.0	385.0	122.7	120.1	98.1
ओसीएफ:पारादीप	325.2	—	—	167.3	—	—	68.6
उप उत्पाद	7.1	2.0	3.3	3.7	28.6	46.5	52.1
कुल निजी क्षेत्र	5286.3	4586.3	4933.9	5112.6	116.6	117.6	98.8
कुल (सार्व+सहकारी+निजी)	11688.5	10479.5	10890.3	10963.7	99.6	100.7	94.7
फासफेट							
फैक्ट, उद्योगमण्डल	29.7	31.6	38.9	41.0	106.4	131.0	138.1
फैक्ट, कोचीन-II	102.2	116.0	118.0	126.6	113.5	115.5	123.9
योग (फैक्ट)	131.9	147.6	156.9	167.6	111.9	119.0	127.1
आर.सी.एफ:ट्राम्बे	45.0	53.2	61.6	45.0	118.2	136.9	100.0
आर सी एफ:ट्राम्बे-4	75.1	50.00	64.8	53.4	66.7	86.4	71.1
योग (आरसीएफ)	120.1	103.2	126.4	98.4	86.0	105.3	81.9

1	2	3	4	5	6	7	8
एम एफ एल:चैन्नई	142.8	133.8	139.2	128.3	93.6	100.4	89.9
पी पी एल:पारादीप	331.2	359.7	346.8	229.1	108.6	104.8	69.2
एच सी एल:खेतरी	30.1	1.0	0.0	—	3.3	—	—
पी पी सी एल:अमझोर	42.2	13.7	0.8	—	32.5	1.9	—
पी पी सी एल:सालदीपुरा	15.8	6.5	1.4	—	41.1	8.9	—
एस एस पी:एकक	12.8	4.0	5.0	4.2	31.3	30.5	32.8
योग सार्वजनिक क्षेत्र	826.9	769.5	776.5	627.6	93.0	94.3	75.9
(II) सहकारी क्षेत्र							
इफको:कांडला	519.2	500.2	709.1	663.7	161.9	157.9	127.8
(III) (निजी क्षेत्र)							
जीएसएफसी:वदोधरा	49.7	76.6	73.1	76.7	154.1	147.9	154.3
सीएफएल:विजाग	104.1	112.2	129.0	145.8	107.8	123.9	140.1
जेडआईएल:गोवा	195.0	75.0	77.0	78.0	67.6	39.5	40.0
एसपीआईसी:तुतीकोरन	190.9	261.4	189.1	223.6	136.9	99.1	117.1
एमसीएफ:मंगलौर	63.5	78.7	77.5	82.9	123.9	122.0	130.6
ईआईडी-पैरी:ईन्नौर	34.0	41.4	46.5	48.2	121.8	136.8	141.8
जीएनएफसी:भैरूच	32.8	30.2	31.1	31.8	92.1	95.1	97.0
डीएफपीसीएल:तलौजा	52.9	40.7	45.1	33.7	76.8	85.3	63.7
एचएलएल:हलदिया	310.5	106.2	173.8	289.5	83.6	55.2	93.2
जीएसएफसी:सिका	150.0	241.1	279.0	237.1	160.7	186.0	158.1
जीएफसीएल:काकीनाडा	217.4	287.6	302.9	326.9	132.3	139.2	150.4
आईजीसीएल:दहेज	184.0	—	—	42.2	—	—	39.3
ओसीएफएल:पारादीप	802.8	—	—	427.4	—	—	71.0
एसएसपी-एकक	901.1	519.8	488.9	412.2	57.7	50.3	45.7
योग निजी क्षेत्र	3288.7	1870.9	1913.0	2456.2	92.0	81.5	81.6
योग (सार्वजनिक+सहकारी+निजी)	4634.8	3140.6	3398.6	3747.5	99.1	94.0	86.0

[अनुवाद]

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976

5493. श्री अनिल बसु: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों और अन्य शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत सन् 1991 से राज्य-वार विदेशी अभिदाय के कितने प्राप्तकर्त्ताओं ने घोषणाएं की हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अंतर्गत एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाला संगठन, केन्द्र सरकार के पास स्वयं को पंजीकृत करवाने के पश्चात् या विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद विदेशी अभिदाय प्राप्त कर सकता है। राजनैतिक स्वरूप वाला कोई संगठन, राजनैतिक दल न होने के कारण, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार का संगठन अधिसूचित किया गया हो, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना विदेशी अभिदाय प्राप्त नहीं कर सकता है।

(ख) गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग) द्वारा प्रकाशित 'स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति' संबंधी वार्षिक रिपोर्टों में ब्यौरे निहित हैं। वर्ष 1988-99 तक की वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। वर्ष 1999-2000 के लिए आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी क्षेत्र में जैव उर्वरक परियोजनाएं

5494. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जैव उर्वरक परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने की कोई नीति है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से गैर-सरकारी क्षेत्र में जैव उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक कितने प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है और वर्ष 2000-2001 के दौरान अनुमोदन हेतु कितनी परियोजनाएं लंबित पड़ी है;

(ङ) शेष परियोजनाओं का अनुमोदन न करने के क्या कारण हैं;

(च) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(छ) उक्त योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी उद्यमों को दी जा रही वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (च) जैव उर्वरकों के प्रयोग एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम ''जैव उर्वरकों के प्रयोग एवं विकास पर राष्ट्रीय परियोजना'' का क्रियान्वयन कर रही है। नौवीं योजना के दौरान सरकार ने राज्यों के बीच परिचालित निदेशों के उत्तर में राज्य सरकारों से निजी क्षेत्र से 211 सहित कुल 224 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त किये हैं। इन प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। प्रस्तावों का अनुमोदन अंतर-विभागीय समिति के सिफारिशों के आधार पर किया गया है जो परियोजना के तुलनात्मक उपयुक्तता, कोष की उपलब्धता एवं अन्य प्रसांगिक तथ्यों को ध्यान में रखती हैं। उपरोक्त में से निजी के 27 सहित कुल 37 परियोजना प्रस्तावों का 4500 टन के कुल उत्पादन क्षमता के साथ, अनुमोदन किया गया है जैसा कि नौवें योजना अवधि के लिए लक्ष्य रखा गया है।

(छ) प्रति वर्ष जैव उर्वरक के 150 टन उत्पादन क्षमता के सृजन के लिए 20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता एवं 75 टन प्रति वर्ष क्षमता के लिए 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करायी गयी थी। राज्य सरकारों द्वारा अनुदान दो किस्तों में रिलीज किया जाता है।

विवरण

9वीं योजना के अन्तर्गत जैव उर्वरकों के विकास एवं प्रयोग पर राष्ट्रीय परियोजना स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त राज्य वार प्रस्तावों की संख्या।

राज्य का नाम	कुल प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या	निजी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
आसाम	2	2
अरुणाचल प्रदेश	1	1
आन्ध्र प्रदेश	2	2
गुजरात	6	4
महाराष्ट्र	149	149
मध्य प्रदेश	9	6
पंजाब	3	3
केरल	3	3
कर्नाटक	23	20
राजस्थान	4	4
उत्तर प्रदेश	6	2
उड़ीसा	6	6
सिक्किम	1	1
हिमाचल प्रदेश	1	1
मेघालय	1	–
मिजोरम	2	2
नागालैण्ड	1	1
त्रिपुरा	1	1
तमिलनाडु	1	1
पश्चिम बंगाल	2	2
कुल	224	211

[अनुवाद]

यूरिया उत्पादन में गैर-सरकारी भागीदारी

5495. श्री गुनीपाटी रामैया: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरिया के उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी हेतु कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार इस क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी आकर्षित करने के लिए किस हद तक सफल हुई;

(घ) क्या इस संबंध में उनके वित्तीय ढांचे का मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) दिनांक 24 जुलाई 1991 के औद्योगिक नीति विषयक संकल्प के अनुसार उर्वरक संयंत्रों की स्थापना/विस्तार करने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की सामान्यत: आवश्यकता नहीं है। पर्यावरणीय मंजूरी की शर्त पर उद्यमी देश में कहीं भी उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु स्वतंत्र हैं।

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान 198.30 लाख मी. टन के कुल यूरिया उत्पादन में से निजी क्षेत्र का हिस्सा 89.48 लाख मी. टन था।

(घ) और (ङ) प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता योजना के तहत प्रतिधारण मूल्य का निर्धारण करने के लिए निजी क्षेत्र के संयंत्रों सहित यूरिया निर्माता सभी संयंत्रों के वित्तीय संरचना का आकलन सरकार द्वारा किया जाता है।

रसायनों और उर्वरकों में गैस नेफ्था और ईंधन तेल का उपयोग

5496. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रासायनिक उर्वरक उत्पादन कंपनियों द्वारा गैस, नेफ्था और ईंधन तेल का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सामग्री का उपयोग करके उत्पादित उर्वरकों की उत्पादन लागत भी अलग-अलग हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन तीनों प्रकार की उर्वरक इकाइयों में अलग-अलग औसत का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) नाईट्रोजनयुक्त उर्वरकों के विनिर्माण के लिए प्राकृतिक गैस, नेफ्था और ईंधन तेल प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वर्तमान में, विभिन्न कच्चे मालों के आधार पर इस देश में उत्पादित प्रमुख नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक यूरिया की स्थापित क्षमता की प्रतिशतता नीचे दी गई है:-

(i) प्राकृतिक गैस	58%
(ii) नेफ्था	30%
(iii) ईंधन तेल	12%

(ग) और (घ) इन कच्चे मालों द्वारा उत्पादित कच्चे मालों की उत्पादन लागत विभिन्न कच्चे मालों के लिए भिन्न हैं। उपरोक्त उल्लिखित कच्चे माल के लिए यूरिया का भारित औसत प्रतिधारण मूल्य नीचे दिया गया है जिसमें उत्पादन की इकाई लागत के अलावा निबल पूंजी पर 12% कर पश्चात् लाभ शामिल है:-

(यूरिया की रु. प्रति मी. टन)

(i) गैस आधारित संयंत्र	6402 रुपये
(ii) नेफ्था	11722 रुपये
(iii) एफओ/एलएसएचएस	8150 रुपये

हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन

5497. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गैर-हिन्दी भाषी राज्यों को हिन्दी के प्रोत्साहन के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई सहायता राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

इसके अलावा, इस मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय नई दिल्ली, हिन्दी संवर्धन संबंधी कार्यकलाप शुरू करने के लिए विभिन्न राज्यों के स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विभिन्न संगठनों को प्रदान की गयी राशि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में देखे जा सकते हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्व संस्वीकृति के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ।	पूर्व संस्वीकृति के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ।	48.50
2.	असम	301.72	428.30	538.40
3.	गोवा	6.66	पूर्व संस्वीकृति के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ।	पूर्व संस्वीकृति के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ।
4.	कर्नाटक	30.00	416.49	प्रस्ताव अपूर्ण है।
5.	मणिपुर	83.26	पूर्व संस्वीकृति के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ।	100.00
6.	मिजोरम	57.51	145.21	334.51
7.	मेघालय	55.76	प्रस्ताव अपूर्ण है।	प्रस्ताव अपूर्ण है।
8.	नागालैंड	51.47	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इस वित्त वर्ष के दौरान अभी तक किसी भी राज्य से सहायता के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-II

देश में हिन्दी भाषा के प्रोत्साहन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा अनुदानों का राज्यवार वितरण।

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	आन्ध्र प्रदेश	24.98	24.21	37.26
2.	कर्नाटक	70.17	71.22	101.08
3.	केरल	23.09	23.43	36.33
4.	तमिलनाडु	64.41	62.15	66.88
5.	महाराष्ट्र	24.39	21.37	38.03
6.	गुजरात	03.48	02.98	04.19
7.	गोवा	02.31	02.26	02.99
8.	पश्चिम बंगाल	05.93	05.50	08.07
9.	उड़ीसा	03.66	03.55	04.72
10.	असम	33.90	39.42	56.37
11.	मणिपुर	08.25	08.07	12.78
12.	नागालैंड	00.45	00.45	00.31
13.	मेघालय	01.18	01.42	02.23
14.	मिजोरम	01.39	01.39	03.54
15.	पंजाब	00.30	00.30	00.30

आईडीएसएमटी योजना में नगरों का शामिल किया जाना

5498. श्री अनन्त नायक: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार वर्ष 2001-2002 के दौरान उड़ीसा के चम्पुआ, क्योंझरगढ़ और आनन्दपुर के लघु और मध्यम दर्जे के नगरों के समन्वित विकास योजना के अन्तर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत अन्य किन-किन नगरों का विकास किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) वर्ष 2000-2001 के दौरान उड़ीसा के चम्पुआ कस्बे को छोटे एवं मझोले कस्बों के समन्वित विकास की योजना के अन्तर्गत शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्योंझरगढ़ तथा आनंदपुर कस्बे पहले ही क्रमश: वर्ष 1985-86 तथा 1999-2000 के दौरान योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।

(ख) आई डी एम एम टी योजना के अंतर्गत आनंदपुर कस्बे के लिए अधिकतम 79.53 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गई जिसमें से 26 लाख रुपये पहले ही प्रदान कर दिए गए हैं। शेष 53.53 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार से भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टें तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र मिलने पर प्रदान की जाएगी।

(ग) राज्य की स्वीकृति समिति ने कंरजिया, केसिंगा, बेलुगांव तथा राजगंगपुर कस्बे अनुमोदित किए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान धनराशि उपलब्ध होने के अध्यधीन इन कस्बों को योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली मैट्रो रेल परियोजना हेतु ऋण

5499. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में यात्रियों के सामने आ रही गम्भीर परिवहन समस्याओं को देखते हुए दिल्ली मैट्रो रेल परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए किसी ऋण की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ अब तक कितना ऋण प्राप्त किया गया और इस ऋण की किन एजेंसियों से मांग की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जापानीज बैंक फार इंटरनेशनल को-आपरेशन, दिल्ली मैट्रो रेल परियोजना की पूंजीगत लागत के आंशिक वित्त पोषण के लिए जापानी येन में ऋण मुहैया करा रहा है। जापानीज बैंक फार इंटरनेशनल को-आपरेशन, परियोजना की प्रगति के आधार पर यह ऋण किश्तों में मुहैया कराता है। अभी तक प्रथम दो किश्तों के समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। 14,760 मिलियन जापानी येन की प्रथम किश्त, जिसका ब्याज 2.3% प्रति वर्ष होता है, अर्ध वार्षिक आधार पर अदा किया जाना है और 6732 मिलियन जापानी येन की दूसरी किश्त, जिसका ब्याज 1.8% प्रति वर्ष है, अर्ध वार्षिक आधार पर अदा किया जाना है। 3 अप्रैल, 2001 तक निकाला गया ऋण 2576.89 मिलियन जापानी येन है।

अवैध खनन के कारण मौतें

5500. श्री बी. वेंकटेस्वरलु:
श्री बी.वी.एन. रेड्डी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और मार्च, 2001 तक विभिन्न कोयला खानों में अवैध खनन के कारण खान-वार कितने लोग मरे; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन खानों के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल., जिनकी कोयला खानें तत्कालीन बिहार (अब झारखंड) तथा पश्चिम बंगाल में हैं, के कोयला खनन क्षेत्रों में बंद पड़ी, छोड़ी गई और उपयोग में न लाई जा रही खानों तथा ऐसे क्षेत्रों से जहां पर धरती की सतह से कोयला प्राप्त हो रहा हो, चोरी-छिपे कोयले के खनन तथा कोयले की चोरी करने जैसे अवैध खनन क्रियाकलापों की सूचना प्राप्त हुई है। चूंकि उक्त क्रियाकलाप चोरी छिपे तथा गुप्त रूप से किए जाते हैं, अत: उन व्यक्तियों की संख्या का पता लगाना संभव नहीं है, जिनकी मृत्यु विभिन्न कोयला खानों में अवैध खनन के कारण हुई है।

(ख) जब भी कोयला कंपनी के पट्टाधारी क्षेत्र में अवैध खनन के किसी मामले का पता लगता है तो पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और ऐसे मामलों पर कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है। चूंकि अवैध खनन बंद पड़ी हुई और उपयोग में न लाई जा रही खानों में किया जाता है और ऐसा खनन संगत कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन में किया जाता है, अत: अवैध खनन क्रियाकलापों के दौरान हुई किसी सांघातिकता के लिए किसी अधिकारी को उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जा सकता।

पर्याप्त ग्रामीण स्वच्छता/स्वास्थ्य प्रणाली

5501. श्री महबूब जहेदी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 91 प्रतिशत लोग अनुपयुक्त स्वच्छता और अपर्याप्त स्वास्थ्य प्रणाली के कारण पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 31,995 करोड़ रुपये के बजट आवंटन में से पिछले तीन वर्षों के दौरान 1,380 करोड़ रुपए का उपयोग न कर वापिस कर दिए गए;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रणाली को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दुर्घटना प्रवण खानें

5502. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान सुरक्षा महानिदेशालय ने सन् 2000-2001 के दौरान कुछ दुर्घटना प्रवण खानों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी खानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या प्रबंधन ने संभावित खतरों को दूर करने के लिए ऐसी खानों के लिए कुछ एहतियातें बरती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोयला खानों में खतरों की पहचान करने और उन खतरों को दूर करने के बीच बड़ा अन्तराल है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(छ) सरकार का देश भर में त्वरित कार्यक्रम के रूप में कोयला खान में सुरक्षा बढ़ाने के लिए तत्काल कदम किस प्रकार उठाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (च) खान सुरक्षा महानिदेशक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कुछ खानों की दुर्घटना संभावित खान के रूप में पहचान करता है। वर्ष 2000 के लिए डी.जी.एम.एस. द्वारा अभी तक दुर्घटना संभावित खानों की सूची प्रस्तुत नहीं की गई है। डी.डी.एम.एस. के अधिकारी, कोल इंडिया तथा अनुषंगियों के आंतरिक सुरक्षा संगठन, प्रत्येक कोयला कंपनी का लाइन प्रबंधन सभी खानों का नियमित गुणवत्ता निरीक्षण करते हैं तथा सुरक्षा में इस प्रकार के निरीक्षणों के दौरान यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे तुरंत सुधारा जाता है। खानों के आवधिक सुरक्षा लेखा-परीक्षण भी किए जाते हैं तथा उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाता है।

(छ) खान सुरक्षा कानूनों की अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन करने के अलावा, सरकार ने दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखने और खनन कार्य को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए निम्न कदम उठाने का सुझाव दिया है।

1. उसी सीमों में या उससे ऊपर या नीचे के सीमों में जमाव से बने जलाशय से 60 मीटर के भीतर खनन कार्य के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय से अनुमोदन लिया जाए। इस संबंध में डी.जी.एम.एस. द्वारा निर्धारित शर्तों का सख्ती से अनुपालन करना होगा।
2. ऐसी सभी भूमिगत खानों का जांच सर्वेक्षण करना जिनमें अचानक पानी आ जाने के खतरे की आशंका होती है।
3. प्रत्येक क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की एक गठित समिति अन्य क्षेत्रों की खानों का निरीक्षण करेंगी और यह पता लगाएगी कि उसी खदान या उसके आसपास की खदानों या उस इलाके के आसपास की खानों की सतह या भूमिगत जल के प्रवाह के कारण उस खदान क्षेत्र में और अन्य खानों के डूब जाने का कोई खतरा तो नहीं है। वह यह भी पता लगाएगी कि अन्य खदानों में अथवा खदान के या अन्य खदान के सील किए गए क्षेत्र से हानिकारक/विषैली गैस के प्रवेश करने तथा आग लग जाने का कोई खतरा तो नहीं है।
4. अनुशासन को कड़ाई से लागू करना।
5. खानों के गुणवत्तापूर्ण निरीक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना।
6. कर्मचारियों, पर्यवेक्षी कर्मचारियों और कार्यपालक अधिकारियों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना।
7. समुचित रूप से सुसज्जित एवं प्रशिक्षित बचाव सेवाओं का अनुरक्षण करना।

सुरक्षा खामियां

5503. श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सतर्कता विभाग की बड़ी विकलता के कारण अज्ञात उग्रवादियों ने हाल ही में नार्थ ब्लाक के बाहर तत्कालिक विस्फोटक यंत्र रख दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) आसूचना एजेंसियों द्वारा एक आम चेतावनी दी गई थी कि उग्रवादी सरकारी भवनों, जिनमें महत्वपूर्ण मंत्रालय/विभाग हैं, को निशाना बना सकते हैं। इस प्रकार की रिपोर्टों के बाद, सरकारी भवनों की सुरक्षा, 8.1.2001 से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपी गयी थी। 10.4.2001 को गेट नं. 1, नार्थ ब्लॉक के बाहर पार्किंग क्षेत्र में रखे गए इम्प्रोवाईज्ड एक्सप्लोसिव डिवाईस का समय पर पता चल गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया, जिससे जान और माल की संभावित क्षति से बचा जा सका। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मामले की जांच कर रहा है। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। यह पार्किंग क्षेत्र, सरकारी अधिकारियों के लेबल लगे वाहनों और नार्थ ब्लॉक आने वाले व्यक्तियों के बिना लेबल लगे वाहनों, दोनों के लिए ही एक आम पार्किंग क्षेत्र है। इस बात पर विश्वास करने के लिए कोई कारण नहीं हैं कि यह घटना किसी अधिकारी की लापरवाही से घटी। घटना के बाद, नार्थ ब्लैक और अन्य सरकारी भवनों के आस-पास सुरक्षा और मजबूत कर दी गयी है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मांग-पत्र जारी करना

5504. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक्सपेंडेबल हाउसिंग स्कीम-1996 के तहत रोहिणी क्षेत्र के आबंटियों को पंजीकरण के दो वर्षों के बाद मांग पत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण धनराशि पर अर्जित ब्याज, अर्थात् पंजीकरण की तारीख से मांग पत्र भेजने तक न तो मांग पत्रों में समायोजित किया गया है न ही उक्त योजना में विशेषकर रोहिणी क्षेत्र के संबंध में आवेदकों को भुगतान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदकों को ब्याज का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि विस्तारणीय आवास स्कीम, 1996 के अंतर्गत 21.3.1997 को हुए कम्प्यूटरीकृत ड्रा के जरिए पंजीकृत व्यक्तियों को रोहिणी क्षेत्र में 1980 फ्लैट आवंटित किए गए थे। सफल पंजीकृत व्यक्तियों को दिनांक 1.9.1998/10.9.1998 को मांग-सह-आबंटन पत्र जारी कर दिए गए थे।

(ग) और (घ) विस्तारणीय आवास स्कीम, 1996 के अंतर्गत आवेदकों को "प्रारंभिक धनराशि" जमा करनी थी, न कि पंजीकरण धनराशि। इस स्कीम की विवरणिका में इस स्कीम के अंतर्गत जिन सफल आवेदकों को फ्लैट आबंटित किए गए थे, उन्हें प्रारंभिक धनराशि पर ब्याज का भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं था।

तथापि, चूंकि प्रारंभिक धनराशि विस्तारणीय आवास स्कीम, 1996 की इस स्कीम विशेष के लिए थी और यह असफल आवेदकों को वापस की जानी थी, इसलिए स्कीम की विवरणिका में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत पहले 6 माह के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाना था। वापसी में विलंब के मामले में आवदेक, 6 माह से अधिक अवधि के लिए प्रारंभिक धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने के पात्र थे।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

बी.सी.सी.एल. के कार्यकरण में भ्रष्टाचार

5505. श्री सुबोध राय:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री बी.वी.एन. रेड्डी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.सी.सी.एल. के अधिकारी सुरक्षा उपायों की अनदेखी कर पैसा बना रहे हैं;

(ख) क्या खानों में पानी भरने की स्थिति से बचने के लिए छोड़ी गई खानों में रेत भराई के काम के लिए ठेके दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो खानों में रेत नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं जबकि ठेकेदारों को काफी बड़ी राशि अदा कर दी गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार बी.सी.सी.एल. के कार्यकरण में भ्रष्टाचार की जांच कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या दिनांक 21 मार्च, 2001 के "द इंडिया एक्सप्रेस' में यथा प्रकाशित बागडिगी खान की लेखा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(छ) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या है;

(ज) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(झ) इस संबंध में बी.सी.सी.एल. के लापरवाह पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है या प्रस्तावित है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) सुरक्षा उपायों पर उचित ध्यान दिया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कोयला निकालने के पश्चात् रेत भराई का कार्य विभागीय तौर पर किया जाता है। जहां कहीं आवश्यक होता है डी.जी.एम.एस. की अनुमति से रेत की भराई हाईड्रोलिक रेत भराई द्वारा की जाती है। रेत की ढुलाई/आपूर्ति ठेके द्वारा की जाती है लेकिन कोलियरियों में इसका उचित रिकार्ड रखा जाता है तथा कदाचार को दूर करने के लिए इसकी प्रति-जांच के पश्चात् (क्रास चैकिंग) की जाती है और ठेकेदार को न्यूनतम राशि अदा की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) ऊपर भाग (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(च) से (ज) श्रम मंत्रालय द्वारा खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 (i) के अंतर्गत झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गुरुशरण शर्मा की अध्यक्षता में एक जांच न्यायालय गठित किया गया है।

(झ) जांच-न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् उटित कार्यवाही की जाएगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण अदालतें

5506. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण अदालतें गठित करने की प्रक्रिया क्या है;

(ख) अब तक देश के किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ''ग्रामीण अदालतें'' गठित की जा चुकी हैं;

(ग) कौन-कौन से राज्यों में अब तक ग्रामीण अदालतों का गठन नहीं हुआ है; और

(घ) इन राज्यों के शेष गांवों में अदालतें कब तक गठित हो जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जनजातीय एजेंसियों को प्रोत्साहन/विकास

5507. श्रीमती हेमा गमांग: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय जिलों, विशेषत: उड़ीसा के रायगढ़ा जिले में डोंगरिया कांधा विकास एजेंसी, लांगिया सोरा विकास एजेंसी और उड़ीसा जनजातीय विकास परियोजना जैसी जनजातीय एजेंसियों के प्रोत्साहन और विकास के लिए कोई नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान निर्धारित वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य और प्राप्त लक्ष्यों का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में जनजातियों के विकास के लिए लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार इन एजेंसियों से प्राप्त नए प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान इन एजेंसियों को स्वीकृत की गई निधियों का वर्ष-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है।

एमसीडी द्वारा गृह कर की वसूली

5508. श्री रामसागर रावत: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर-निगम उन क्षेत्रों से गृह कर की वसूली नहीं कर सकता जिनको उसे दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी तक हस्तांतरित नहीं किया है;

(ख) यहि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सैक्टर 19 फैस-1, द्वारका जैसे कतिपय क्षेत्र अभी तक दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित नहीं किए हैं जबकि दिल्ली नगर निगम उस क्षेत्र के निवासियों से गृह कर वसूल कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित नहीं किए गए क्षेत्र के फ्लैट मालिकों द्वारा अदा किए गए गृह कर की संभावित स्थिति क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि उसकी सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी सम्पत्ति-मालिकों को दिल्ली नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुसार गृह-कर देना होता है। तथापि, यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सेक्टर-19, फेज-1 द्वारका दिल्ली नगर निगम को नहीं सौंपा है।

(ग) उपर्युक्त के आलोक में, वैसे क्षेत्रों में, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली नगर निगम को सौंपे नहीं गए हैं, फ्लैट के मालिकों द्वारा भुगतान किए गए गृह-कर की कोई विशेष स्थिति नहीं है।

उड़ीसा के अनुसूचित क्षेत्रों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

5509. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उड़ीसा के अनुसूचित क्षेत्रों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकार ने ''सर्व शिक्षा अभियान'' (एस.एस.ए.) नामक राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा साधारणीकरण कार्यक्रम आरंभ किया है जो 6-14 वर्ष के आयु वर्ग में सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की नीति संबंधी वचनबद्धता को कार्यरूप देने का एक प्रयास है।

(ख) उड़ीसा के 14 जिले अर्थात् अंगुल, बालासोर, जयपुर, झारसुगुडा, केन्द्रपारा, खुर्द, नयागढ़, भद्रक, कटक, देवगढ़, गंजम, जगतसिंहपुर, पुरी तथा सुंदरगढ़, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल किए गए हैं तथा परियोजना-पूर्व कार्यकलाप भी कुल 2.64 करोड़ रुपए की लागत पर आरंभ किए गए हैं।

(ग) और (घ) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति छात्रों को भारत के अंतर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं के मान्यताप्रात मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना इस स्कीम को कार्यान्वित कर रही राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100% केन्द्रीय सहायता उनकी अपनी-अपनी वचनबद्ध देयता के अतिरिक्त प्रदान करती है, जिसे उनके द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से वहन करने की अपेक्षा की जाती है। तथापि, पूर्वात्तर राज्यों की प्रतिबद्ध देयता नौवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ से समाप्त कर दी गई है। वर्ष 2000-2001 में उड़ीसा सरकार को 113.83 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा फाइलों का निपटान

5510. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के कार्यालय में फाइलों के निपटान और उन्हें वापिस करने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या एस.एफ.एस. आबंटियों की फाइलें महीनों लंबित पड़ी रहती हैं और ऐसी बहुत सी फाइलें गुम भी हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवास विभाग की छवि सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि स्थापित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित विभाग उपाध्यक्ष के माध्यम से दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के कार्यालय में फाइलें भेजते हैं और अध्यक्ष का कार्यालय उपाध्यक्ष के कार्यालय को फाइलें वापिस करता है और इसके बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के कार्यालय द्वारा संबंधित विभागाध्यक्षों को फाइलें वापिस की जाती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (क) भाग के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवास विभाग ने नागरिक चार्टर प्रस्तावना के अनुसार विभिन्न कार्य पूरा करने के लिए पहले ही समय-सीमा निर्धारित की है। जन सुनवाई की एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया अनुसार उपाध्यक्ष और आयुक्त (आवास) सप्ताह में एक बार जन सुनवाई हैं और संबंधित निदेशक सप्ताह में दो बार जन सुनवाई करते हैं। इसके अलावा, विभाग मे 11.1.2001 से आन लाइन पंजीकरण और कुछ मदों की निगरानी जैसे नियतन/आवंटन का अंतरण, पते में परिवर्तन, नामांतरण (जीवनकाल) नाम शामिल करना, नामांतरण (मृत्यु पश्चात्), सह आवंटी के रूप में नामों को हटाना आदि भी शुरू की गई है।

डीडीए फ्लैटों की किश्तें

5511. श्री सईदुज्जमा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीडीए क्वार्टरों के ऐसे आबंटियों को बिना ब्याज बकाया राशि जमा कराने का एक और अवसर देने की योजना है जो निर्धारित समय-सीमा के बाद भी किश्तें जमा नहीं करा पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा यह अवसर कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) वर्तमान में ऐसी कोई स्कीम दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन नहीं है। पहले की एमनेस्टी स्कीम, 1998 जो 1.10.1998 से चल रही थी उसे 31.8.1999 को बंद कर दिया गया था।

[अनुवाद]

सीपीडब्ल्यूडी के पूछताछ कार्यालयों में टेलीफोन सुविधा

5512. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सीपीडब्ल्यूडी के कुछ कार्यालयों, विशेषत: सैक्टर-IV, पुष्प विहार में टेलीफोन सुविधा नहीं है जिसके कारण निवासियों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने में बहुत परेशानी होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पूर्वोत्तर पूछताछ कार्यालयों में किस तारीख से टेलीफोन सुविधा नहीं है; और

(घ) सभी पूछताछ कार्यालयों में टेलीफोन सुविधा कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली में पुष्प विहार, सेक्टर IV, सहित सोलह कालोनियों में पूछताछ कार्यालयों में टेलीफोन सुविधा नहीं है।

(ख) इन सभी पूछताछ कार्यालयों में टेलीफोन लगाना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि पुष्प विहार को छोड़कर इनमें से कुछ अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र को कवर करते हैं जबकि अन्य मामलों में पूछताछ कार्यालय केलोनिवि मण्डल/उपमण्डल कार्यालयों के निकट है जिनके जरिए शिकायतें पूछताछ कार्यालयों में भेजी जा सकती है।

(ग) सभी सोलह सूचीबद्ध पूछताछ कार्यालय प्रारंभ से ही बिना टेलीफोन सुविधा के हैं।

(घ) पुष्प विहार सैक्टर IV पूछताछ कार्यालय में टेलीफोन सुविधा मुहैया कराने के लिए आवेदन पत्र पहले ही जनवरी, 2000 में एमटीएनएल में प्रस्तुत कर दिया गया है। टेलीफोन कनैक्शन अभी दिया जाना है। अन्य पूछताछ कार्यालयों के संबंध में वर्तमान में अन्य 15 पूछताछ कार्यालयों में टेलीफोन सुविधा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

"सेल" में ठेका प्रणाली

5513. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सेल" को 1999-2000 के दौरान माल परिवहन के लिए ठेका प्रणाली अपनाए जाने के कारण 1720 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह ठेका प्रणाली 1986 से प्रचलित है;

(ग) क्या संसद सदस्यों के एक दल ने इस संबंध में प्राधिकरण को कोई शिकायत दर्ज कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) हालांकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को 1999-2000 के दौरान 1720 करोड़ रुपए की हानि हुई परन्तु सेल ने कहा है कि हानि सामान की ढुलाई के कारण नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एनल्जीन का आयात

5514. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चीन और ताइवान से एनल्जीन का भारी मात्रा में आयात हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ग) भारत में उपलब्ध एनल्जीन की तुलना में आयातित एनल्जीन का मूल्य कितना है;

(घ) क्या दरों में अंतर के कारण कई देशी इकाइयां बंद हो गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे उद्योग को बचाने की दृष्टि से इस दवा की डंपिंग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) गत तीन वर्ष के दौरान चीन और ताइवान से एनल्जीन (प्रपुंज औषध) का भारत में आयात की मात्रा जहां तक उपलब्ध है, नीचे दी गई है:-

	मात्रा (कि.ग्रा. में)	मूल्य (रुपए में)
1997-98	58000	13070464/-
1998-99	6700	1438110/-
1999-2000	196527	34489876/-

स्रोत:- मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इंडिया (वार्षिक नं. 1997-98, 1998-99, डी.जी.सी.आई.एस., वाणिज्य मंत्रालय)।

(ग) इस अनुसूचित प्रपुंज औषध की अधिसूचित कीमत 378 रुपए प्रति कि.ग्रा. है, जो 23.12.98 को निर्धारित की गयी थी। इस प्रपुंज औषध का बाजार मूल्य गत छ: माह के दौरान 308.33 रुपए प्रति कि.ग्रा. है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार द्वारा नियुक्त पदनामित प्राधिकारी सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 यथासंशोधित 1995 की धारा 9ए, 9बी और 9सी के अन्तर्गत एंटी डम्पिंग जांच करता है। एंटी डम्पिंग जांच तब शुरू की जाती है, जब स्वदेशी उद्योग पदनामित प्राधिकारी को पूरे दस्तावेजों सहित याचिका दायर करता है अथवा किसी अन्य स्रोत से डम्पिंग के पर्याप्त साक्ष्य सहित स्वदेशी उद्योग की डम्पिंग और क्षति के बीच आकस्मिक संबंध की जानकारी प्राप्त होती है। एनालजीन के मामले में एंटी-डम्पिंग प्राधिकारी ने पाया है कि चीन पी.आर. और तायवान से आयात द्वारा संचयी रूप में स्वदेशी उद्योग को भारी क्षति हुई है।

सीमा शुल्क अधिसूचना 38/2001 दिनांक 9.4.2001 द्वारा चीन से आयात के लिए 9.778 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. की दर से और ताइवान से आयात के लिए 9.875 डालर प्रति कि.ग्रा. की दर से अनंतिम एंटी डम्पिंग शुल्क लगाया गया है।

[हिन्दी]

सिप्ला द्वारा गरीब देशों को एड्स की दवाएं प्रदान करना

5515. श्री पदमसेन चौधरी:
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औषधि विनिर्माता कम्पनी सिप्ला द्वारा गरीब देशों को एड्स की दवाएं सस्ती दरों पर प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो मूल्य आदि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी इस प्रस्ताव पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (घ) मेसर्स सिप्ला द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कम्पनी ने प्रति रोगी प्रति वर्ष 350 अमरीकी डालर मूल्य पर एंटी-रेट्रोवाइरल औषध के तीन मिश्रण नामत:, स्टेबूडाइन, लेमिबूडाइन तथा नेवीरापाइन की आपूर्ति करने की पेशकश की है। यह पेशकश

सर्वप्रथम एक अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, मेडिसिन्स सन्स फ्रंटियर्स (एम एस एफ) को अफ्रीका तथा एशिया के कतिपय देशों में मरीजों को मुफ्त वितरण करने के लिए की गई थी। इसके बाद सिप्ला ने यह पेशकश सीधे कुछ अन्य अफ्रीकी देशों को भी की, जहां पर सिप्ला को यह आश्वासन दिया गया कि औषधियां बाद में रोगियों को मुफ्त प्रदान की जा रही हैं। कम्पनी के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में विश्व निकायों जैसे, वि.स्वा.सं. यू एन ए आई डी एस तथा यूनिसेफ के साथ विचार-विमर्श भी किया था।

शैक्षणिक संस्थाओं का कार्यकरण

5516. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय शैक्षणिक संस्थाओं ने अनुसंधान संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपये लिए हैं और उक्त राशि प्राप्त करने के तीन वर्ष बाद भी इस क्षेत्र में कोई उपलब्धि हासिल किए बिना और अधिक राशि की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक संस्था को कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई;

(ग) उक्त राशि का किस प्रकार उपयोग किया गया;

(घ) इन शैक्षणिक संस्थाओं के कार्यकरण पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इनमें से कुछ संस्थाओं ने और अधिक निधियों की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में पेट्रो-रसायन उद्योग का विकास

5517. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार की ओर से राज्य में पेट्रो-रसायन उद्योग के विकास संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(घ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या राज्य सरकार की संस्था आर.आई.आई.सी.ओ. केन्द्र सरकार से इस संबंध में लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं;

(च) क्या सरकार को राजस्थान को गुजरात की प्रस्तावित ग्रे ग्रिड से गैस वितरण संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(छ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) सरकार को पेट्रो-रसायन उद्योग के विकास संबंधी कोई प्रस्ताव राजस्थान सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) जी नहीं। तथापि, राजस्थान सरकार ने जयपुर तथा जैसलमेर क्षेत्रों को जोड़ने के लिए हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (एचबीजे) पाइपलाइन का विस्तार करने का अनुरोध किया है।

(छ) एच बी जे पाइपलाइन प्रणाली के लिए गैस आबंटन की तुलना में इसकी कम उपलब्धता के मद्देनजर गैस की उपलब्धता में सुधार होने तक पाइपलाइन प्रणाली में विस्तार व्यवहार्य नहीं है।

जैव-उत्पाद संस्थान

5518. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में महू और इंदौर स्थित जैव-उत्पाद संस्थानों के विदेशी सहायता प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास अनुमति के लिए लम्बित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है और राज्य सरकार को कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) जैविक उत्पादन संस्थान, महू में स्थित सुविधाओं के स्तरोन्नयन के लिए जापानी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव भारत सरकार को मिला है। यह प्रस्ताव मुख्य रूप से अवसंरचना संबंधी सहायता के लिए जापानी मदद प्राप्त करने के

संबंध में है। राज्य सरकार को कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।

[अनुवाद]

जैव-प्रौद्योगिकी परियोजना

5519. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गुजरात के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में गुजरात राज्य जैव-प्रौद्योगिकी परिषद् और स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से जैव-प्रौद्योगिकी परियोजना शुरू करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्त बातें क्या है; और

(ग) परियोजना के कब तक पूरी तरह शुरू हो जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी हां। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने गैर-सरकारी संगठनों, गुजरात सरकार, राज्य के जैव-प्रौद्योगिकी परिषद् के सहयोग से गुजरात के भूकंप प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए जैव-प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है।

(ख) और (ग) क्रियान्वित की गई परियोजनाएं निम्नलिखित क्षेत्रों में हैं: पशु चारा और निवारक औषधि; स्पाइरूलाइना उत्पादन; वर्मीकल्चर और वर्मीकम्पोस्टिंग; पॉली हाऊस खेती और ऊतक संवर्धन से उगाए गए पादपों का रोपण और जैव-नियंत्रण अभिकर्मकों के उत्पादन और प्रयोग। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हलवाड, भचाऊ, सुखपुर, नारांकह और रायधनपुर नामक पांच गांवों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त डीबीटी प्रायोजित प्रायोगिक संयंत्र के माध्यम से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनन्द में तैयार कम लागत वाले आहार को प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को वितरित किया गया है। बीएआईएफ विकास अनुसंधान फाउंडेशन, बड़ौदा द्वारा पहले ही 10046 पशुओं को टीका लगाया गया है और 580 पशुओं को नियमित रूप से चारा खिलाया जाता है। यह आशा की जाती है कि जून, 2001 के मध्य तक सभी पांचों परियोजनाएं पूर्ण रूप से क्रियाशील हो जाएंगी और इन परियोजनाओं के जरिए प्राप्त लाभ प्रभावित लोगों तक पहुंचा दिए जायेंगे। तैयारी संबंधी सभी कार्य शीघ्रता से किए गए हैं।

बी.एस.एफ. के पास हथियार और गोला बारूद

5520. श्री रघुनाथ झा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एफ. के पास प्राधिकृत मात्रा से बहुत अधिक हथियार और गोला बारूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मामले की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बी.एस.एफ. के पास पुराने और अप्रचलित हथियार और गोला-बारूद हैं और बी.एस.एफ. इनका निपटान नहीं कर पा रही है;

(च) यदि हां, तो बी.एस.एफ. के पास अप्रचलित हथियार और गोला-बारूद का ब्यौरा क्या है और इनकी मात्रा कितनी है; और

(छ) सरकार ने इसके निपटान के लिए उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

(ङ) से (छ) 7.62 मी.मी./303 हथियारों का स्थान 5.56 मी.मी. हथियार प्रणालियों द्वारा ले लिए जाने के कारण गोलाबारूद सहित पहली श्रेणी के हथियार सीमा सुरक्षा बल में फालतू हो गये हैं। ये फालतू हथियार और गोलाबारूद, समय-समय पर, उनकी मांग पर राज्य पुलिस बलों को जारी किए जाते हैं।

प्राथमिक विद्यालयों के उन्नयन के लिए विदेशी सहायता

5521. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ ने मध्य प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों का माध्यमिक विद्यालयों के रूप में उन्नयन करने और शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए 450.00 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो यूरोपीय संघ द्वारा इस प्रयोजन के लिए, विशेष तौर पर राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन को कितनी सहायता राशि दी गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क)

और (ख) यूरोपीय आयोग और भारत सरकार के बीच 1993 के वित्तपोषण समझौते के अनुसार यूरोपीय आयोग द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए 150 मिलियन यूरो (623.79 करोड़ रु.) का अनुदान दिया गया जिसे मध्य प्रदेश के 19 जिलों के लिए राजीव गांधी शिक्षा मिशन के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

[हिन्दी]

सरकारी कार्यालयों में विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा

5522. श्री रामदास रुपला गावीत:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सभी सरकारी कार्यालयों में महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने के लिए संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय विद्यालयों में संस्कृत शिक्षक

5523. श्री जयभान सिंह पवैया:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है जिनमें 10+2 स्तर पर संस्कृत पढ़ाई जा रही है;

(ख) क्या पिछले पांच से सात वर्षों में केन्द्रीय विद्यालयों में स्नातकोत्तर संस्कृत शिक्षकों की संख्या में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जहां संस्कृत पढ़ाई जाती है, ऐसे केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या सम्बन्धित सूचना केन्द्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है। विविध कारणों से पिछले कुछ वर्षों में केन्द्रीय विद्यालयों में संस्कृत के स्नातकोत्तर शिक्षकों की संख्या में कमी आई है।

[अनुवाद]

इस्पात की मांग

5524. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्त वर्ष की पिछली तीन तिमाहियों के दौरान इस्पात की घरेलू मांग बढ़ी है जबकि निर्यात में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी, नहीं। इस्पात की घरेलू मांग और निर्यात (अप्रैल-दिसम्बर, 2000 और अप्रैल-दिसम्बर, 1999 के दौरान) नीचे दिया है:-

(लाख टन)

	अप्रैल-दिसम्बर (1999-2000)	अप्रैल-दिसम्बर (2000-2001)
घरेलू मांग	187.50	206.00
निर्यात	20.20	21.60

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में पेयजल आपूर्ति और जल-मल व्ययन संबंधी योजनाएं

5525. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के विभिन्न शहरों में पेयजल आपूर्ति और जल-मल व्ययन संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्व बैंक या किसी अन्य एजेंसी ने इन परियोजनाओं के लिए सहायता देने की पेशकश की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) पीने के पानी की सप्लाई और सीवरेज राज्य के विषय हैं अत: शहरी आबादी को ये सुविधायें मुहैया कराने के लिए अनिवार्य उपाय करना राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों का दायित्व है। 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) तथा मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए कम लागत के सफाई प्रबंध (एलसीएस) योजना के तहत शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू तथा कश्मीर के 4 कस्बों नामत: काजीगुंड, बिलावर, बिजबेहरा तथा सम्बा को कुल 773.31 लाख रु. की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया है और 1999-2000 तक राज्य सरकार को 310.23 लाख रु. का केन्द्रीय अंश प्रदान किया गया है।

कम लागत के सफाई प्रबंध योजना के तहत जम्मू तथा कश्मीर के 27 कस्बों के लिए कुल 17.08 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 7 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया था। 7.26 करोड़ रु. की केन्द्रीय सब्सिडी स्वीकृत की गई है जिसमें से अब तक आवास एवं नगर विकास निगम (हडको) के माध्यम से केवल 2.16 करोड़ रु. प्रदान किए गए हैं।

(ग) और (घ) नवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। तथापि जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने 89.33 करोड़ रु. और 1060.84 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से जम्मू सीवरेज परियोजना फेस-II तथा ग्रेटर श्रीनगर के लिए सीवरेज परियोजना के लिए मध्य-पूर्व की वित्तीय एजेंसियों से बाहरी सहायता की मांग की है। राज्य सरकार को परामर्श दिया गया है कि वे वित्तीय योजना तथा परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्टें अद्यतन करने के बाद अपनी ओर से पर्याप्त धनराशि मुहैया कराने की वचनबद्धता भिजवाएं। राज्य सरकार से अगले उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

समेकित बाल विकास योजना संबंधी परियोजनाएं

5526. श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवगठित राज्यों में समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात्, आई.सी.डी.एस. नेटवर्क का भी नए राज्यों में पुनर्गठन किया गया तथा उत्तरांचल में 54, छत्तीसगढ़ में 152 तथा झारखण्ड में 152 आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में शहरों का विकास

5527. राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान शहरों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता मांगने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विकास किए जाने हेतु प्रस्तावित शहरों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए कितनी आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) निर्णय लिए जाने में विलंब होने के क्या कारण हैं और लंबित योजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय स्वीकृतकर्त्ता समिति ने 12.2.1999 को हुई अपनी बैठक में छोटे एवं मझोले कस्बों का एकीकृत विकास स्कीम (आईडीएसएमटी) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए निम्नलिखित 25 कस्बों को अनुमोदित किया था। (1) कुशीनगर (2) उझानी (3) ननुआता

(4) नवाबगंज (5) जलालाबाद (6) कुंडा (7) कंमारी (8) चित्रकूट धाम (9) हरिहरपुर (10) महाराजगंज (11) काकोरी (12) नियोतानी (13) हारैया (14) अमेठी (15) कथौली (16) सरधना (17) खेकड़ा (18) बारबर पुर-अजितमल (19) ओलधक्वा (20) गोहन्द (21) मिलक (22) हंडियां (23) झिन-झाना (24) झांसी और (25) मथुरा।

केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। ब्यौरे में उत्तरांचल राज्य के लिए सात स्कीमें सम्मिलित हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त 25 कस्बों में से पहले 12 कस्बों को छोटे तथा मझोले कस्बों का एकीकृत विकास स्कीम के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा पिछले तीन वर्षों के दौरान 10 चालू कस्बों के लिए केन्द्रीय सहायता भी जारी की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है पहले से शामिल कस्बों की चालू स्कीमों के लिए राशियों की जरूरतों को पूरा करने के बाद शेष 13 कस्बों को स्कीम के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के कुल 486 कस्बे (जिसमें 52 कस्बे उत्तरांचल के शामिल है) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र हैं जिसमें से उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 205 कस्बों, उत्तरांचल के 12 कस्बों सहित, के लिए जल आपूर्ति परियोजनाएं विचारार्थ भेजी हैं। राशियों की उपलब्धता के आधार पर 201 कस्बों के लिए 17567.25 लाख रु. अनुमानित लागत के परियोजना प्रस्ताव (2642.39 लाख रु. लागत के उत्तरांचल के 11 कस्बों सहित) अनुमोदित किए गए हैं और अब तक 8783.63 लाख रु. का केन्द्रीय अंश जारी किया गया है। अनुमोदित स्कीमों, जारी की गई राशियां और राज्य सरकार द्वारा यथा सूचित परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति का ब्यौरा तथा उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की लंबित स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

इसके अलावा केन्द्रीय प्रवर्तित कम लागत सफाई स्कीम के अन्तर्गत आवास औार नगर विकास निगम (हडको) द्वारा 372.43 करोड़ रु. लागत की 69 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। अब तक 175.68 करोड़ रु. की सब्सिडी और 124.93 करोड़ रु. का ऋण स्वीकृत किया गया है। हडको ने राज्य सरकार को 48.94 करोड़ रू. की सब्सिडी जारी की है।

विवरण-I

राज्य: उत्तर प्रदेश

स्थिति: 18.4.2001

(क) स्वीकृत परियोजनाएं

(लाख रु. में)

क्र. सं.	कस्बा नाम	जिला	आबादी (1991 जनगणना)	स्वीकृति तारीख माह/वर्ष	अनुमोदित	जारी राशियां भारत सरकार द्वारा	राज्य द्वारा	सूचित खर्च सित, 2000 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नई बाजार	भांडची	8067.00	अगस्त, 98	71.11			13.55
2.	रसूलाबाद	उन्नाव	5878.00	-वही-	58.70			43.97
3.	सिवाल खास	मेरठ	14002.00	-वही-	84.16			77.88
4.	कटरा	झांसी	5993.00	-वही-	100.72			0.84
5.	जहानाबाद	पीलीभीत	9645.00	-वही-	116.92			76.42
6.	कालीनगर	पीलीभीत	8184.00	-वही-	94.44		43.36	64.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	बरबर	लखमीपुर	8993.00	सित, 98	71.17	932.83	संचयी	47.12
8.	उसाहट	बदायूं	6854.00	-वही-	53.61	(1998-99)		14.16
9.	फैजगंज	बदायूं	7559.00	-वही-	59.38			50.57
10.	करनावल	बांदा	7449.00	-वही-	108.00	1515.26		24.97
11.	मदौध	मेरठ	11047.00	-वही-	74.98	(1999-2000)		70.18
12.	फरिहा	फिरोजाबाद	4490.00	-वही-	45.32			8.30
13.	मंझोलीराज	देवरिया	13696.00	-वही-	84.40	1680.19		20.50
14.	इट्टीफटगंज	अम्बेडकर नगर	8392.00	-वही-	53.27	(2000-2001)		22.48
15.	भदारा	फैजाबाद	7804.00	-वही-	62.26			23.12
16.	मोहम्मदाबाद	फारूखाबाद	16426.00	-वही-	130.46			55.00
17.	छार्रा	अलीगढ़	13343.00	-वही-	92.35			5.00
18.	पिलखाना	अलीगड़	7379.00	-वही-	31.71			4.95
19.	साहपाउ	इथरस	7141.00	-वही-	71.04			9.00
20.	सहापुर	बिजनोर	14299.00	-वही-	171.98			78.48
21.	बहारतगंज	इलाहाबाद	12465.00	-वही-	128.60			30.00
22.	शेरगढ़	बरेली	9445.00	-वही-	63.30			20.24
23.	सिरौली	बरेली	14654.00	-वही-	74.40			52.69
24.	अकबरपुर	कानपुर (देहात)	13889.00	-वही-	112.61			70.00
25.	शाहगंज	जौनपुर	19973.00	-वही-	114.56			54.18
26.	गोहान्द	हमीरपुर	6478.00	अप्रैल, 99	74.76			26.45
27.	खारेला	महोबा	13774.00	-वही-	328.63			0.00
28.	फतेहपुर चौरासी	उन्नाव	4244.00	-वही-	46.29			10.57
29.	टंडवारी	बांदा	7523.00	-वही-	54.46			5.93
30.	सारीला	हमीरपुर	7413.00	-वही-	87.93			13.20
31.	बिधुना	औरेय्या	19275.00	-वही-	157.54			0.00
32.	किथोर	मेरठ	19270.00	-वही-	90.50			43.20
33.	सुरियावन	रविदास नगर	12286.00	-वही-	74.00			14.25
34.	मेनकापुर	गोडा	6837.00	अगस्त 99	36.00			0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	उत्तरकाशी*	उत्तरकाशी	14988.00	-वही-	410.78			0.00
36.	रानीपुर	झांसी	15969.00	-वही-	39.70			6.55
37.	चीरगांव	झांसी	13900.00	-वही-	37.07			6.19
38.	महरौनी	ललितपुर	7959.00	अक्टू, 99	18.50			5.00
39.	अंजला गनर	मउ	4282.00	-वही-	37.48			0.00
40.	अलीगंज	एटा	18765.00	-वही-	90.03			0.50
41.	बरहापुर	बिजनोर	17981.00	-वही-	75.65			0.00
42.	तालबेहाट	ललितपुर	10018.00	-वही-	193.03			0.00
43.	अहरौरा	मिर्जापुर	18549.00	-वही-	74.93			0.00
44.	राजा का रामपुर	एटा	9215.00	-वही-	39.20			3.75
45.	सतरीख	बाराबंकी	8035.00	-वही-	27.51			0.00
46.	जासराणा	फिरोजाबाद	7787.00	-वही-	52.14			0.00
47.	फतेहगंज पश्चिम	बरेली	144420.00	नवम्बर, 99	60.92			0.00
48.	पुरदिल नगर	महामायानगर	10350.00	-वही-	60.19			0.00
49.	फूलपुर	आजमगढ़	6887.00	फरवरी, 2000	49.28			0.00
50.	पिपरेच	गोरखपुर	12315.00	-वही-	81.78			0.00
51.	बाराहानी बाजार	सिद्धार्थ नगर	8509.00	मार्च, 2000	56.30			0.00
52.	लालकुवा*	नैनीताल	5310.00	-वही-	65.75			0.00
53.	पपरौली	बागपत	16008.00	मई, 2000	43.95			20.83
54.	सोंख	मथुरा	7121.00	-वही-	61.58			0.00
55.	पटीयाली	एटा	9366.00	जुलाई, 2000	77.20			0.00
56.	विजयगढ़	अलीगढ़	4759.00	-वही-	61.83			0.00
57.	जोशीमठ*	चमोली	10124.00	-वही-	166.63			0.00
58.	स्वर	रामपुर	19732.00	अगस्त, 2000	174.41			10.00
59.	दिनेशपुर*	यू.एस. नगर	6056.00	सित. 2000	183.42			6.17
60.	शामसाबाद	फारूखाबाद	19489.00	-वही-	142.8			
61.	अछालदा	औरैया	7144.00	-वही-	50.94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.	केराकट	दोमपुर	9036.00	-वही-	341.9			
63.	रामकोला	कुसीनगर	11740.00	-वही-	77.85			
64.	मुसाफिरखाना	सुल्तानपुर	5731.00	-वही-	52.76			
65.	बरहाल गंज	गोरखपुर	15799.00	-वही-	98.92			
66.	कक्षवा	मिर्जापुर	12977.00	अक्टू, 2000	62.50			
67.	श्रीनगर*	गढ़वाल	18791.00	-वही-	604.35			
68.	शोहरत गढ़	सिद्धार्थ नगर	7308.00	-वही-	89.85			
69.	सरायनीए	आजमगढ़	10621.00	-वही-	73.50			
70.	मोरावान	उन्नाव	12101.00	-वही-	96.67			
71.	चौमुहा	मथुरा	8935.00	-वही-	82.24			
72.	खानपुर	बुलंदशहर	11420.00	-वही-	37.86			
73.	भिंगा	सरावस्ती	16528.00	-वही-	31.46			
74.	औरास	उन्नाव	3724.00	-वही-	65.46			
75.	द्विबियापुर	औरैया	13687.00	-वही-	56.00			
76.	मुद्रा बाजार	गोरखपुर	9951.00	-वही-	96.60			
77.	सेवराही	कुसीनगर	17069.00	-वही-	97.52			
78.	केपटेनगंज	कुसीनगर	9525.00	-वही-	84.05			
79.	कोड़ियागंज	अलीगढ़	8846.00	-वही-	78.43			
80.	सिसोली	मुजफ्फर नगर	10621.00	-वही-	59.88			
81.	भाटपरानी	देवरिया	9827.00	दिस. 2000	59.26			
82.	बुगरासी	बुलंदशहर	11093.00	-वही-	86.15			
83.	इकोना	शेरा वस्ती	10014.00	-वही-	67.90			
84.	कक्षला	बुदोन	5842.00	-वही-	76.40			
85.	हाटा	कुसीनगर	9327.00	-वही-	96.03			
86.	गोसाई गंज	फैजाबाद	11155.00	-वही-	83.15			
87.	दोहरीघाट	मउ	8051.00	-वही-	48.59			
88.	सैथल	बरेली	11271.00	-वही-	36.81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89.	मंडवर	बिजनौर	15405.00	-वही-	93.24			
90.	खड्डा	कुसीनगर	10008.00	-वही-	97.03			
91.	शैयदपुर	बंदायू	11753.00	-वही-	71.78			
92.	नवाबगंज	गोडा	13756.00	-वही-	80.10			
93.	कोरीपुर	सुल्तानपुर	6122.00	-वही-	56.74			
94.	मोहम्मदाबाद गोहाना	मउ	15350.00	वही-	96.70			
95.	सफी पुर	उन्नाव	16955.00	-वही-	95.43			
96.	हसायन	हाथरस	4513.00	-वही-	45.94			
97.	ऊंचाहार	रायबरेली	6705.00	-वही-	125.10			
98.	शाहपुर	मुजफ्फर नगर	13271.00	जून, 2001	86.40			
99.	रबुपुरा	जीबी नगर	10710.00	-वही-	84.90			
100.	बेहाट	सहारनपुर	14424.00	-वही-	92.90			
101.	गंजमुरादाबाद	उन्नाव	7808.00	-वही-	89.94			
102.	अफजलगढ़	बिजनौर	18649.00	-वही-	130.84			
103.	सुल्तानपुर	सहारनपुर	12642.00	-वही-	102.30			
104.	मलियाबाद	लखनऊ	13477.00	-वही-	95.00			
105.	इगलास	अलगीढ़	7952.00	-वही-	182.27			
106.	पीपी गंज	गोरखपुर	8337.00	-वही-	81.77			
107.	दरियाबाद	बाराबंकी	12628.00	-वही-	24.47			
108.	मुरसान	हाथरस	9673.00	-वही-	66.80			
109.	अमीनगर	बागपत	8274.00	-वही-	48.22			
110.	फफूद	औरैया	12200.00	-वही-	111.69			
111.	देवरानिया	बरेली	12422.00	-वही-	172.91			
112.	बाबर पुर अजितमल	औरैया	18350.00	-वही-	195.27			
113.	नन्द प्रयाग*	चमोली	1261.00	-वही-	52.15			
114.	देव प्रयाग*	टेहरी गढ़वाल	2164.00	-वही-	172.91			
115.	हैदराबाद	उन्नाव	5798.00	-वही-	47.10			
116.	सिधौली	सीतापुर	13657.00	-वही-	38.13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117.	रिठोरा	बरेली	9734.00	-वही-	29.32			
118.	लाल गंज	रायबरेली	15418.00	-वही-	67.94			
119.	परिक्षितगढ़	मेरठ	13675.00	-वही-	94.66			
120.	अम्बेहटा	सहारनपुर	10295.00	-वही-	80.90			
	कुल		1303586		10788.72	4128.28	4323.36	1110.59

#स्कीम कमीशन्ड

*उत्तरांचल राज्य में आता है। 7 कस्बे।

ख. सीपीएचईईओ में जांच अधीन स्कीमें

क्र. सं.	कस्बा	जिला	आबादी	परिलागत	टिप्पणियां
1.	बागेस्वर*	बागेस्वर	5653.00	704.30	जांच की, टिप्पणियां उ.प्र. जल निगम को मार्च, 2001 में भेजी, उत्तर प्रतीक्षित
2.	करांव	इलाहाबाद	7832.00	491.25	3/2001 में प्राप्त राशियों के कारण लंबित
3.	बरुआ सागर	झांसी	18783.00	219.85	3/2001 में प्राप्त राशियों के कारण लंबित
4.	फूलपुर	इलाहाबाद	16761.00	134.71	2/2001 में प्राप्त राशियों के कारण लंबित
	कुल		49029	1550.11	

*उत्तरांचल राज्य में आता है।

विवरण-II

(लाख रु. में)

जारी केन्द्रीय सहायता

क्र.	कस्बा	1998-99	1999-2000	2000-2001	
1	2	3	4	5	6
1.	खुशीनगर	16.00	—	—	16.00
2.	उज्जैनी	30.00	—	—	30.00
3.	मानाउता	12.00	—	—	12.00
4.	नवाबगंज	16.00	—	—	16.00
5.	जलालाबाद	—	9.00	—	9.00

1	2	3	4	5	6
6.	कुंडा	—	13.00	—	13.00
7.	केमारी	—	16.00	—	16.00
8.	चित्राकोधाम	—	30.00	—	30.00
9.	हरीहरपुर	—	—	10.00	10.00
10.	महाराजागंज	—	—	15.00	15.00
11.	काकोरी	—	—	16.00	16.00
12.	नियोतानी	—	—	14.00	14.00
13.	*बुढ़ाना	27.00	—	—	27.00
14.	* मुरादनगर	—	—	39.00	39.00
15.	*मुरादाबाद	—	—	114.00	114.00
16.	*लोनी	—	—	59.23	59.23
17.	*खलीलाबाद	—	—	49.90	49.90
18.	*सहारनपुर	—	—	82.00	82.00
19.	*फैजाबाद	—	—	41.55	41.55
20.	*मगहार	—	—	15.75	15.75
21.	*बन्शी	—	—	24.25	24.25
22.	*बस्ती	—	—	79.57	79.57
	योग	101.00	68.00	560.25	729.25

*चालू कस्बे

विवरण-III

राज्य: उत्तर प्रदेश

स्थिति 15.3.2001

क. स्वीकृत परियोजनाएं

(लाख रु. में)

क्र. सं.	कस्बा नाम	जिला आबादी (1991-जनगणना)	स्वीकृति तारीख माह/वर्ष	परि. लागत	प्रति व्यक्ति लागत (रु. में)	केन्द्रीय अंश	जारी राशियां		खर्च	7/2000 तक
							भारत सरकार द्वारा	राज्य द्वारा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कराहल#	मैनपुर	19410	मार्च, 94	106.90	550.75	53.45			106.90
2.	हस्तनापुर#	मेरठ	15081	मार्च, 94	116.35	771.50	58.18			116.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	जलाली#	अलीगढ़	15548	मार्च, 94	77.25	496.85	38.63	Ist किश्त		89.87
4.	जतारी#	अलीगढ़	13264	मार्च, 94	100.60	758.44	50.30	327.88		96.99
5.	हरदूगंज#	अलीगढ़	9647	मार्च, 94	57.30	593.97	28.65	(1993-94)		81.88
6.	खेरागढ़#	आगरा	12937	मार्च, 94	75.20	581.28	37.60	IInd किश्त	4323.36	100.21
7.	हलदौर#	बिजनौर	15830	मार्च, 94	91.00	574.86	45.50	586.17	(संचयी)	91.00
8.	उमारीकलान#	मुरादाबाद	11365	मार्च, 94	66.70	586.89	33.35	(1994-95)		71.26
9.	निधाऊलीकलान#	ऐटा	6337	मार्च, 94	36.00	568.09	18.00			36.00
10.	राया#	मथुरा	13476	मार्च, 94	78.00	578.81	39.00	IIIrd किश्त		76.00
11.	मारेहारा#	ऐटा	15033	मार्च, 94	34.90	232.16	17.45	764.87		34.90
12.	अच्छनेरा#	आगरा	18436	मार्च, 94	67.90	368.30	33.95	(1995-96)		58.23
13.	सांसी#	अलीगढ़	11494	मार्च, 94	75.55	657.30	37.78			63.74
14.	घिरोर#	मैनपुरी	8139	मार्च, 94	57.65	708.32	28.83	IV किश्त		87.75
15.	तुलसी पुर#	गौंडा	18114	मार्च, 94	97.50	538.26	48.75	352.42		81.75
16.	गोलाबाजार#	गोरखपुर	9733	मार्च, 94	54.40	558.92	27.20	(1996-97)		53.73
17.	मेहनागर#	आजमगढ़	10030	मार्च, 94	78.50	782.65	39.25			70.57
18.	जिआनापुर#	आजमगढ़	7314	मार्च, 94	56.10	767.02	28.05	Vth किश्त		65.28
19.	आजमगढ़#	आजमगढ़	8234	मार्च, 94	48.00	582.95	24.00	776.57		46.14
20.	घुघली#	महाराजगंज	8663	मार्च, 94	79.20	914.23	39.60	(1997-98)		77.20
21.	रेओती#	बलिया	18258	मार्च, 94	77.50	424.47	38.75			95.39
22.	सिकन्दरपुर#	बलिया	16389	मार्च, 94	86.70	529.01	43.35	VI किश्त		91.58
23.	करारी#	इलाहाबाद	9151	मार्च, 94	83.34	910.72	41.67	932.83		83.34
24.	बांसदीह#	बलिया	17168	मार्च, 94	83.00	483.43	41.30	(1998-99)		92.74
25.	चन्दौली#	वाराणसी	11033	मार्च, 94	85.00	770.42	42.50	VII किश्त		95.52
26.	बाकेवर#	इटावा	10371	मार्च, 94	63.60	613.25	31.80	1515.26		59.72
27.	लखना#	इटावा	8253	मार्च, 94	43.80	530.72	21.90	(1999-2000)		27.90
28.	कुल्पाहार#	हमीरपुर	13614	मार्च, 94	81.80	592.15	40.90	1680.19		91.70
29.	झींझक#	कानपुर	13942	मार्च, 94	81.20	582.41	40.60	(2000-2001)		76.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	बीठुर#	कानपुर	7565	मार्च, 94	46.20	610.71	23.10			46.20
31.	मरैनी#	बांदा	9003	मार्च, 94	54.50	605.35	27.25			58.71
32.	तीरवा गंज#	फरुखाबाद	15415	मार्च, 94	71.20	461.89	35.60			61.85
33.	तालग्राम#	फरुखाबाद	9611	मार्च, 94	53.30	554.57	26.65			54.62
34.	नबावगंज#	उन्नाव	7724	मार्च, 94	48.50	627.91	24.25			59.01
35.	नैओतनी#	उन्नाव	6002	मार्च, 94	15.70	261.58	7.85			14.56
36.	मोहन#	उन्नाव	10816	मार्च, 94	49.20	454.88	24.60			33.05
37.	सांडी#	हरदोई	18944	मार्च, 94	65.00	343.12	32.50			57.75
38.	पाली#	रदौई	12279	मार्च, 94	59.20	482.12	29.60			58.38
39.	इस्लागनगर#	बदायूं	19179	मार्च, 94	68.40	356.64	34.20			59.84
40.	सिधाई# भरोरा#	लखीमपुर खीरा	15484	मार्च, 94 मार्च, 94	86.50	558.64	43.25			86.50
41.	कटरा#	शाहजहांपुर	19129	मार्च, 94	103.004;79 H 7m6m9; 10H538.45			51.50		103.57
42.	बाजपुर#	नैनीताल	16857	मार्च, 94	86.20	511.36	43.10			50.65
43.	बिलेरियागंज#	आजमगढ़	8853	जन., 98	64.70	730.83	32.35			44.75
44.	रामनगर#	बाराबंकी	9926	जन., 98	75.70	762.64	37.85			63.00
45.	शंकरगढ़#	इलाहाबाद	10622	जन., 98	157.80	1485.60	78.90			100.31
46.	घोरावाल#	सोनभद्रा	10622	जन., 98	87.60	824.70	43.80			129.36
47.	सिधोर#	बाराबंकी	8900	जन., 98	58.80	660.67	29.40			57.07
48.	छोपन#	सोनभद्रा	8901	मार्च, 98	133.50	1499.83	66.75			144.32
49.	बी.बी. नगर#	बुलन्दशहर	9101	मार्च, 98	68.30	750.47	34.15			64.25
50.	दौराला#	मेरठ	10025	मार्च, 98	74.60	744.14	37.30			63.41
51.	फरीदपुर#	बरेली	6001	मार्च, 98	59.50	991.50	29.75			55.84
52.	उसावन#	बदायूं	7367	मार्च, 98	72.50	984.12	36.25			68.99
53.	सौरीक#	फरुखाबाद	8237	मार्च, 98	81.00	983.37	40.50			81.00
54.	हरिया#	बस्ती	6737	मार्च, 98	62.40	926.23	31.20			59.63
55.	हरिहरपुर#	बस्ती	8276	मार्च, 98	63.00	761.24	31.50			61.58
56.	बांसगांव#	गोरखपुर	13489	मार्च, 98	81.20	601.97	40.60			56.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	बीकापुर#	फैजाबाद	10331	मार्च, 98	101.50	982.48	50.75			95.28
58.	सराय अकील#	इलाहाबाद	11821	मार्च, 98	98.98	837.32	49.49			35.00
59.	दूधी#	सोनभद्र	8980	मार्च, 98	156.70	1744.99	78.35			132.82
60.	पाली#	ललितपुर	7701	मार्च, 98	63.80	828.46	31.90			55.00
61.	औरन#	बान्दा	5404	मार्च, 98	59.00	1091.78	29.50			62.13
62.	रिसिया बाजार#	बहराइच	8814	मार्च, 98	86.15	977.42	43.08			69.40
63.	नरेन्द्र नगर#	टिहिरी	4828	मार्च, 98	240.50	4981.36	120.25			195.19
64.	चम्बा#	टिहिरी	10020	मार्च, 98	537.80	5367.27	268.90			308.37
65.	झालू#	बिजनौर	16400	मार्च, 98	80.50	490.85	40.25			76.35
66.	आदरी#	मऊ	9179	मार्च, 98	60.30	656.93	30.15			44.26
67.	कालाडुंगी#	नैनीताल	4663	मार्च, 98	121.90	2614.20	60.95			38.62
68.	आतगु#	इटावा	8517	मार्च, 98	79.80	936.95	39.90			54.57
69.	हरगांव#	सीतापुर	14008	मार्च, 98	83.30	594.66	41.65			78.17
70.	पुरवा#	उन्नाव	14161	जन., 97	103.40	730.17	51.70			50.49
71.	पुखरियां#	कानपुर (देहात)	18683	जन., 97	99.30	531.50	49.65			85.66
72.	विशारतगंज#	बरेली	9693	नव., 97	70.58	728.15	35.29			62.39
73.	नरौरा#	बुलंदशहर	15652	नव., 97	135.22	863.92	67.61			124.06
74.	जहांगीरपुर#	बुलंदशहर	8206	नव., 97	77.75	947.48	38.88			49.34
75.	छतरी#	बुलंदशहर	8202	नव., 97	69.19	843.57	34.60			60.00
76.	बिलासपुर#	बुलंदशहर	6127	नव., 97	49.25	803.83	24.63			8.15
77.	काकोर#	बुलंदशहर	5836	नव., 97	55.87	957.01	27.94			35.98
78.	अलूम#	मुजफ्फरनगर	13013	नव., 97	76.91	591.02	38.46			70.17
79.	बनात#	मुजफ्फरनगर	13633	नव., 97	76.49	561.07	38.25			57.38
80.	असरफपुर#	अम्बेडकर नगर	9868	नव., 97	64.83	656.97	32.42			40.36
81.	ज्योतिखुरिया#	मणिपुरी	3725	नव., 97	41.07	1102.55	20.54			20.00
82.	नाई बाजार#	भदोही	8067	अग., 98	71.11	881.49	35.56			13.55
83.	रसूलबादा#	उन्नाव	5878	अग., 98	58.70	998.64	29.35			43.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	सिवालखास#	मेरठ	14002	अग., 98	84.16	601.06	42.08			77.88
85.	केटरा#	झांसी	5998	अग., 98	100.72	1680.88	50.36			0.64
86.	जहानाबाद#	पीलीभीत	9645	अग., 98	116.92	1212.23	58.46			76.42
87.	कालीनगर#	पीलीभीत	8184	अग., 98	94.44	1153.96	47.22			64.47
88.	बारबर#	लखीमपुर	8993	सित., 98	71.17	791.39	35.59			47.12
89.	उसेहट#	बदायूं	6854	सित., 98	53.61	782.17	26.81			14.16
90.	फैजगंज# बहेटा	बदायूं	7559	सित., 98	59.36	785.55	29.69			50.57
91.	मदुंध	बांदा	7449	सित., 98	108.00	1449.86	54.00			24.97
92.	करनावल	मेरठ	11047	सित., 98	74.98	678.74	37.49			70.18
93.	फरीहा	फिरोजाबाद	4490	सित., 98	45.32	1009.35	22.66			8.30
94.	मंझोलीराज	देवरिया	13696	सित., 98	84.40	816.24	42.20			20.50
95.	इतीबगंज	अम्बेडकर नगर	8392	सित., 98	53.27	634.77	26.64			22.48
96.	बदरासा	फैजाबाद	7804	सित., 98	62.26	797.80	31.13			23.12
97.	मोहम्मदाबाद	फरुर्खाबाद	16426	दिसम्बर, 98	130.46	794.23	65.23			55.00
98.	चारा	अलीगढ़	13343	दिसम्बर, 98	92.35	692.12	46.18			5.00
99.	पिलखना	अलीगढ़	7379	दिसम्बर, 98	31.71	429.73	15.86			4.95
100.	शापू	हाथरस	7141	दिसम्बर, 98	71.04	994.82	35.52			9.00
101.	सहारनपुर	बिजनौर	14299	दिसम्बर, 98	171.96	1202.74	85.99			78.48
102.	भरतगंज	इलाहाबाद	12465	दिसम्बर, 98	128.60	1031.69	64.30			30.00
103.	शेरगढ़	बरेली	9445	दिसम्बर, 98	63.30	670.20	31.65			20.24
104.	सिरौली	बरेली	14654	दिसम्बर, 98	74.40	507.71	37.20			52.69
105.	अकबरपुर	कानपुर (दैहात)	13889	दिसम्बर, 98	112.61	810.79	56.31			70.00
106.	शाहगंज	जौनपुर	19973	दिसम्बर, 98	114.56	573.57	57.28			54.18
107.	गोहन	हमीरपुर	6478	दिसम्बर, 98	74.76	1154.06	37.38			26.45
108.	खेरला	महोबा	13774	अप्रैल, 99	328.63	2385.87	164.32			0.00
109.	फतेहपुर चौरसी	उन्नाव	4244	अप्रैल, 99	46.29	1090.72	23.15			10.67
110.	तिंदवरी	बांदा	7523	अप्रैल, 99	54.46	723.91	27.23			5.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	सरीला	हमीरपुर	7413	अप्रैल, 99	87.93	1186.16	43.97			13.23
112.	विदुना	औरैया	19275	अप्रैल, 99	157.54	817.33	78.77			0.00
113.	खेथौरा	मेरठ	19270	अप्रैल, 99	90.50	469.64	45.25			43.20
114.	सुरेबन	रविदास नगर	12286	अप्रैल, 99	74.00	602.31	37.00			14.25
115.	मानकपुर	गोंडा	6837	अप्रैल, 99	36.00	526.55	18.00			0.00
116.	उत्तरकाशी@	उत्तरकाशी	14988	अगस्त, 99	410.78	2740.73	205.39			0.00
117.	रानीपुर	झांसी	15969	अगस्त, 99	39.70	248.61	19.85			6.55
118.	चिरगांव	झांसी	13900	अगस्त, 99	37.07	266.69	18.54			6.19
119.	मेहरानी	ललितपुर	7959	अगस्त, 99	18.50	232.44	9.25			5.00
120.	अमलानगर	मऊ	4282	अक्टूबर, 99	37.48	875.29	18.74			0.00
121.	अलीगंज	एटा	18765	अक्टूबर, 99	90.03	479.78	45.02			0.50
122.	बरापुर	बिजनौर	17981	अक्टूबर, 99	75.85	420.72	37.83			0.00
123.	तेलवाहट	ललितपुर	10018.	अक्टूबर, 99	193.03	1926.83	96.52			0.00
124.	अहरौरा	मिर्जापुर	18549	अक्टूबर, 99	74.93	403.96	37.47			0.00
125.	राजा का रामपुरा	एटा	9215	अक्टूबर, 99	39.20	425.39	19.60			3.75
126.	सतरीख	बाराबंकी	8035	अक्टूबर, 99	27.51	342.38	13.78			0.00
127.	जसराना	फिरोजाबाद	7787	अक्टूबर, 99	52.14	669.58	26.07			0.00
128.	फतेहगंज पश्चिम	बरेली	14420	नवम्बर, 99	60.92	422.47	30.46			0.00
129.	पुरधील नगर	महामाया नगर	10305	नवम्बर, 99	60.19	584.09	30.10			0.00
130.	फूलपुर	आजमगढ़	6887	फरवरी,2000	49.28	715.55	24.64			0.00
131.	पिपराइच	गोरखपुर	12315	फरवरी, 2000	81.78	664.07	40.89			0.00
132.	बरौनी बाजार	सिद्धार्थ नगर	8509	फरवरी, 2000	56.30	661.65	28.15			0.00
133.	लालकुआ@	नैनीताल	5310	मार्च, 2000	65.75	1238.23	32.88			0.00
134.	छपरौली	बागपत	16008	मार्च, 2000	43.95	274.55	21.98			20.83
135.	सौंख	मथुरा	7121	मई, 200	61.58	864.77	30.79			0.00
136.	पतियाली	एटा	9366	मई, 2000	77.20	824.26	38.60			0.00
137.	बिजयगढ़	अलीगढ़	4759	जुलाई, 2000	51.60	1084.26	25.80			0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	जोशीमठ	चमोली	10124	जुलाई, 2000	166.63	1645.89	83.32			0.00
139.	स्वार	रामपुर	19782	जुलाई, 2000	174.41	881.66	87.21			10.00
140.	दिनेशपुर@	यूएस नगर	6056	अगस्त, 2000	183.42	3028.78	91.71			6.17
141.	समसाबाद	फरुर्खाबाद	19489	सितम्बर, 2000	142.86	733.03	71.43			–
142.	अचालदा	औरैया	7144	सितम्बर, 2000	50.94	713.05	25.47			–
143.	खेराकट	जौनपुर	9036	सितम्बर, 2000	34.19	378.38	17.10			–
144.	रामकोला	कुशीनगर	11740	सितम्बर, 2000	77.85	663.12	88.93			–
145.	मुसाफिरखाना	सुलतानपुर	5731	सितम्बर, 2000	52.76	920.61	26.38			–
146.	बरहालगंज	गोरखपुर	15799	सितम्बर, 2000	98.92	926.12	49.46			–
147.	कचवा	मिर्जापुर	12977	सितम्बर, 2000	62.50	481.62	31.25			–
148.	श्रीनगर#	गढ़वाल	18791	अक्टूबर, 2000	604.35	3216.17	302.18			–
149.	सोहरतगढ़	सिद्धार्थ नगर	7308	अक्टूबर, 2000	69.85	955.80	34.93			–
150.	सरामीर	आजमगढ़	10621	अक्टूबर, 2000	73.50	692.03	36.75			–
151.	मरवान	उन्नाव	12101	अक्टूबर, 2000	96.67	798.86	48.34			–
152.	चुमोहा	मथुरा	8935	अक्टूबर, 2000	82.24	920.43	41.12			–
153.	खानपुर	बुलंदशहर	11420	अक्टूबर, 2000	37.86	331.52	18.93			–
154.	भिंगा	सरवस्ती	16528	अक्टूबर, 2000	31.46	190.34	15.73			–
155.	औरस	उन्नाव	3724	अक्टूबर, 2000	65.46	1757.79	32.73			–
156.	दिवीयापुर	औरैया	13687	अक्टूबर, 2000	56.00	409.15	28.00			–
157.	मंदिर बाजार	गोरखपुर	9951	अक्टूबर, 2000	96.60	970.76	48.30			–
158.	सिवराही	कुशीनगर	17069	अक्टूबर, 2000	97.52	571.33	48.76			–
159.	कैप्टनगंज	कुशीनगर	9525	अक्टूबर, 2000	84.05	882.41	42.03			–
160.	करैयागंज	अलीगढ़	8846	अक्टूबर, 2000	79.43	897.92	39.72			–
161.	सिसौली	मुजफ्फरगंज	10821	अक्टूबर, 2000	59.88	563.79	29.94			–
162.	भटपारानी	देवरिया	9827	अक्टूबर, 2000	59.26	603.03	29.63			–
163.	मुगरासी	बुलंदशहर	11093	दिसम्बर, 2000	86.15	776.62	43.08			–
164.	इकोना	सरस्वती	10014	दिसम्बर, 2000	67.90	678.05	33.95			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165.	कचला	बदायूं	5842	दिसम्बर, 2000	76.40	1307.77	38.20			–
166.	हाटा	कुशीनगर	9327	दिसम्बर, 2000	96.03	1029.59	48.02			–
167.	गोसाईगंज	फैजाबाद	11155	दिसम्बर, 2000	83.15	745.41	41.58			–
168.	दोहरीघाट	मऊ	8051	दिसम्बर, 2000	48.59	603.53	24.30			–
169.	संथाल	बरेली	11271	दिसम्बर, 2000	36.81	326.59	18.41			–
170.	मंदावर	बिजनौर	15405	दिसम्बर, 2000	93.24	605.26	46.62			–
171.	खड्डा	कुशीनगर	10008	दिसम्बर, 2000	97.03	969.52	48.52			–
172.	सैदपुर	बदायूं	11753	दिसम्बर, 2000	71.78	610.74	35.89			–
173.	नवाबगंज	गोंडा	13756	दिसम्बर, 2000	80.10	582.29	40.05			–
174.	कोइरीपुर	सुलतानपुर	6122	दिसम्बर, 2000	56.74	928.82	28.87			–
175.	मोहम्मादाबाद गोहाना	मऊ	15350	दिसम्बर, 2000	96.70	629.97	48.35			–
176.	राफीपुर	उन्नाव	16955	दिसम्बर, 2000	95.43	562.84	47.72			–
177.	हसायन	हाथरस	4513	दिसम्बर, 2000	45.94	1017.95	22.97			–
178.	उंचाहार	रायबरेली	6705	दिसम्बर, 2000	125.10	1865.77	62.55			–
179.	शाहपुर	मुज्जफरनगर	13271	जनवरी, 2001	86.40	651.04	43.20			–
180.	राबुपुरा	जी वी नगर	10710	जनवरी, 2001	84.90	792.72	42.45			–
181.	बेहाट	सहारनपुर	14424	जनवरी, 2001	92.90	644.07	46.45			–
182.	गंजमोरदाबाद	उन्नाव	7808	जनवरी, 2001	69.94	895.75	34.97			–
183.	अफजलगढ॰	बिजनौर	18649	जनवरी, 2001	130.84	701.59	65.42			–
184.	सुल्तानपुर	सहारनपुर	12641	जनवरी, 2001	102.30	809.21	51.15			–
185.	मलिहाबाद	लखनऊ	13477	जनवरी, 2001	95.00	704.90	47.50			–
186.	इगलस	अलीगढ़	7952	जनवरी, 2001	162.37		81.19			–
187.	पी.पी. गंज	गोरखपुर	8337	जनवरी, 2001	81.77		40.89			–
188.	डेरीबाद	बाराबंकी	12628	जनवरी, 2001	24.47		12.24			–
189.	मरसन	हाथरस	9673	जनवरी, 2001	66.80		30.40			–
190.	अमीनगरसराई	बागपत	8274	जनवरी, 2001	48.22		24.11			–
191.	फफूत	औरैया	12200	जनवरी, 2001	111.69		55.85			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192.	देवरानिया	बरेली	12422	जनवरी, 2001	172.91		86.46			–
193.	ब्रहारपुर अजीतमल	औरैया	18350	जनवरी, 2001	195.27		97.64			–
194.	नंदप्रयाग	चमोली	1261	जनवरी, 2001	52.15		26.08			–
195.	देवप्रयाग	टिहरीगढ़वाल	2164	जनवरी, 2001	172.91		86.46			–
196.	हैदराबाद	उन्नाव	5798	जनवरी, 2001	47.10		23.55			–
197.	छंदरौसी	सीतापुर	13657	जनवरी, 2001	.38.13		19.07			–
198.	रितौरा	बरेली	9784	जनवरी, 2001	29.32		14.66			–
199.	लालगंज	रायबरेली	15413	जनवरी, 2001	67.94		33.97			–
200.	परीक्षितगढ़	मेरठ	13675	जनवरी, 2001	94.66		47.33			–
201.	अम्बेता	सहारनपुर	10295	जनवरी, 2001	80.90		40.45			–
	कुल		2212583		17567.25		8783.63	6936.19	4323.35	7033.59

#स्कीम कमीशन्ड

@ (उत्तरांचल राज्य में आता है। ''कस्बे)

ख. सीपीएचईईओ में के तहत अधीन स्कीमें

क्र. सं.	कस्बा नद्रष	जिला	आबादी	परियोजना लागत लाख रु.	टिप्पणियां
1.	बागेश्वर*	बागेश्वर	5653	704.30	जांच की, टिप्पणियां उ.प्र. जल निगम को मार्च, 2001 में भेजी, उत्तर प्रतीक्षा
2.	करांव	इलाहाबाद	7832	491.25	3/2001 में प्राप्त। राशियों के कमी के कारण लंबित
3.	बरुआ सागर	झांसी	18783	219.85	3/2001 में प्राप्त। राशियों के कमी के कारण लंबित
4.	फूलपुर	इलाहाबाद	16761.	134.71	2/2001 में प्राप्त। राशियों के कमी के कारण लंबित
	कुल		49029	1550.11	

[हिन्दी]

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

5528. श्रीमती रेनु कुमारी:
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अधीन विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी राशि उपलब्ध कराई गई; और

(ख) देश में कौन-कौन से जिलों को पूर्ण साक्षरता वाले जिलों के रूप में घोषित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क)

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा 2000-2001 के दौरान जारी की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जिलों को पूर्ण साक्षर घोषित नहीं किया जाता।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा जारी की गई निधियों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राशि रुपये में
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	6,26,96,960
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	1,66,14,906
4.	बिहार	4,19,99,008
5.	छत्तीसगढ़	10,00,000
6.	गोवा	—
7.	गुजरात	10,02,90,000
8.	हरियाणा	1,03,67,081
9.	हिमाचल प्रदेश	59,84,587
10.	जम्मू और कश्मीर	73,12,660
11.	झारखंड	55,00,000
12.	कर्नाटक	25,37,23,434
13.	केरल	7,06,25,000
14.	मध्य प्रदेश	3,43,10,087
15.	महाराष्ट्र	3,17,00,196
16.	मणिपुर	2,61,203
17.	मेघालय	25,50,000
18.	मिजोरम	59,40,000
19.	नागालैंड	—
20.	उड़ीसा	2,02,27,750
21.	पंजाब	80,76,321
22.	राजस्थान	4,19,90,250
23.	सिक्किम	—
24.	तमिलनाडु	2,12,49,690
25.	त्रिपुरा	30,50,000
26.	उत्तर प्रदेश	8,72,82,310
27.	उत्तरांचल	59,01,878
28.	पश्चिम बंगाल	7,08,14,970
29.	चंडीगढ़	26,00,000
30.	दिल्ली	1,86,81,959
31.	पांडिचेरी	31,92,000
32.	दमन और दीव	—
33.	अंडमान और निकोबार	—
34.	दादरा और नगर हवेली	—
35.	लक्षद्वीप	—
	कुल	93,39,42,250

उर्वरकों से संबंधित मूल्य निर्धारण नीति

5529. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरकों संबंधी नई मूल्य निर्धारण नीति से घरेलू उर्वरक उत्पादक इकाईयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के उर्वरक उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) यूरिया एककों के लिए एक नई मूल्य निर्धारण नीति अभी भी सरकार के विचाराधीन है। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य

यूरिया विनिर्माताओं को राजसहायता के भुगतान में अधिक यौक्तिकरण एवं पारदर्शिता लाना होगा। इसके अलावा इससे विनिर्माता लागत कम करने के उपाय करने तथा प्रतियोगी बनने के लिए प्रेरित होंगे।

[अनुवाद]

उर्वरक निर्यात संबंधी भारत-कतर समझौता

5530. **श्री जी एस. बसवराज:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत द्वारा उर्वरकों का निर्यात बढ़ाने के लिए कतर सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाने से भारत को कतर द्वारा निर्यात में वृद्धि किए जाने की आशा है; और

(घ) यदि हां, तो भारत को निर्यात में किस सीमा तक बढ़ोत्तरी होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) जी, नहीं। कतर सरकार के साथ भारत द्वारा उर्वरकों के निर्यातों के किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों में वैदिक ज्योतिर्विज्ञान

5531. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री शिवाजी माने:
श्री त्रिलोचन कानूनगो:
श्री महबूब जहेदी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 मार्च, 2001 के 'दि हिन्दू' में ''यू.जी.सी. सर्कुलर ऑन वैदिक एस्ट्रालॉजी कॉज्ड रिसेंटमेंट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उन विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जो इससे सहमत हैं और जिन्होंने ज्योतिर्विज्ञान के अध्ययन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया है;

(घ) इस प्रयोजन के लिए क्या दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या कुछ व्यक्तियों/संगठनों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस प्रस्ताव का विरोध किया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हां। इस समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि ज्योतिषशास्त्र का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और इसलिए इसे विश्वविद्यालय पाठ्यचर्या में इस रूप में शुरू करना उचित नहीं है।

(ग) ज्योतिर्विज्ञान विभाग की स्थापना करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 26 विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन 26 विश्वविद्यालयों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) से (च) इन दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि ये पाठ्यक्रम स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तरों पर उपलब्ध होंगे। स्नातक पाठ्यक्रमों की अवधि 3 वर्ष होगी और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अवधि 2 वर्ष होगी। स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम का एक वर्ष पूरा करने पर अभ्यर्थी को प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। दो वर्ष पूरे करने पर डिप्लोमा और तीन वर्ष पूरे करने पर उसे डिग्री दी जाएगी। पी.एच.डी. और अनुसंधान पाठ्यक्रमों के लिए वही प्रावधान लागू होंगे जो अन्य पाठ्यक्रमों पर लागू हैं। सभी पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शैक्षिक और सहायक कर्मचारियों के साथ-साथ अतिथि संकाय के लिए पर्याप्त सहायता भी प्रदान करेगा। ऐसे पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय ओरिएन्टल अध्ययन और संस्कृत विद्यापीठों के संकायों के साथ शैक्षिक सहयोग की व्यवस्था भी कर सकते हैं। ये पाठ्यक्रम एक जुलाई, 2001 से शुरू होंगे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इनकी समीक्षा की जा सकती है।

ज्योतिर्विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करना मीडिया में कुछ चर्चा का विषय बना है जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस निर्णय के पक्ष और विपक्ष में विचार व्यक्त किये गये हैं।

विवरण

ज्योतिर्विज्ञान विभाग की स्थापना का प्रस्ताव करने वाले 26 विश्वविद्यालयों की सूची

1. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय
2. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
3. के.एस.डी. विश्वविद्यालय, दरभंगा
4. चौधरी चरण सिहं विश्वविद्यालय, मेरठ
5. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
6. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
7. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर
8. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
9. डा. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद
10. श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी
11. महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
12. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
13. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै
14. महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर
15. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
16. रांची विश्वविद्यालय, रांची
17. राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर
18. कुवेम्पु विश्वविद्यालय, ज्ञान सहयाद्री, शिमोगा, कर्नाटक
19. उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन
20. बी.आई.टी.एस., मेसरा, रांची
21. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
22. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
23. एम.एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय, वडोदरा
24. पी.एस. तेलुगू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
25. एन.ई.एच.यू., शिलांग
26. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया

5532. श्री नरेश पुगलिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अभिभवाकों और विद्यार्थियों के इस विचार की जानकारी है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) की मूल्यांकन प्रक्रिया बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सी.बी.एस.ई. ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों के लिए कोई अर्हता निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सी.बी.एस.ई. की मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रुटि रहित तथा विश्वसनीय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मूल्यांकन कार्यविधि को सरकार द्वारा विश्वसनीय माना जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। मूल्यांकन संबंधी कार्य उन शिक्षकों को दिया जाता है जो शैक्षिक अर्हताओं तथा शिक्षण अनुभव संबंधी न्यूनतम शर्तें पूरी करते हों। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियमों में निर्धारित मुख्य शर्तों के अनुसार किसी परीक्षक को निम्नलिखित बातें पूरी करनी चाहिये:

(i) उसके पास वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के मामले में सम्बन्धित विषय में कम से कम स्नातकोत्तर डिग्री तथा माध्यमिक स्तर के मामले में स्नातक डिग्री होनी चाहिए।

(ii) उसके पास माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक/उच्चतर शिक्षा स्तर पर कम से कम तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव होना चाहिए और।

(iii) उसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था से संबद्ध किसी

स्कूल में वहीं विषय पढ़ाने वाले कार्यरत अध्यापक होना चाहिए अथवा सरकार द्वारा स्थापित उन राज्य/राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक संगठनों में कार्यरत कोई व्यक्ति हो जो माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों/अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन/अध्ययन सामग्री के विकास से अथवा अनुसंधान कार्य से वास्तविक रूप से संबंद्ध हों अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंद्ध किसी स्कूल से सेवानिवृत्त अध्यापक हो (कक्षा-12 के लिए पीजीटी तथा कक्षा 10 के लिए टीजीटी) और अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व उसने वही विषय पढ़ाया हो एवं उसने मूल्यांकन सम्बन्धी वर्ष के अप्रैल की पहली तारीख को 65 वर्ष की आयु पूरी न की हो।

(ङ) परीक्षा सुधार की सतत् प्रक्रिया के भाग के रूप में केन्द्रीय माध्यमिकि शिक्षा बोर्ड ने मूल्यांकन कार्यविधि को सुस्पष्ट बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:

(i) मुख्य परीक्षक की देखरेख में विकेन्द्रीयकृत मॉडल मूल्यांकन केन्द्रों की स्थापना। यह मुख्य परीक्षक सामान्य रूप से उस स्कूल का प्रधानाचार्य होता है जिसमें नोडल मूल्यांकन केन्द्र स्थापित किया जा रहा हो।

(ii) प्रत्येक मुख्य परीक्षक प्रतिदिन 10 प्रतिशत मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की नमूना जांच के माध्यम से 10 से 12 मूल्यांकनकर्त्ताओं के मूल्यांकन की बारीकी से जांच करता है।

(iii) शैक्षिक पर्यवेक्षण को और मजबूत बनाने की दृष्टि से अतिरिक्त मुख्य परीक्षकों की नियुक्ति करना।

(iv) विषय के विशेषज्ञों के एक दल के द्वारा विस्तृत मूल्यांकन योजना तैयार करना और मूल्यांकनकर्त्ताओं को अन्तिम रूप से यह योजना उपलब्ध कराने से पहले इसका फील्ड परीक्षण किया जाता है।

(v) विषय के विशेषज्ञों द्वारा मुख्य परीक्षकों के साथ मूल्यांकन योजना पर विचार-विमर्श करना ताकि मूल्यांकन योजना को यदि आवश्यकता हो तो अद्यतन करने के लिए मुख्य परीक्षकों के विचार तथा सुझाव प्राप्त किये जा सके।

(vi) मूल्यांकन के प्रथम दिन मूल्यांकन कर्त्ताओं के साथ मुख्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन योजना पर विचार-विमर्श करना ताकि विभिन्न मूल्यांकनकर्त्ताओं द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन में एकरूपता तथा विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया जा सके।

(vii) अंकों की पोस्टिंग और उनका जोड़ करने में विसंगतियों की सम्भावना का निराकरण करने के उद्देश्य से अंकसूची की जांच तथा उसे तैयार करने हेतु नोडल मूल्यांकन केन्द्रों पर दो समन्वयकर्त्ताओं की नियुक्ति।

(viii) मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य की देखरेख के लिए नोडल मूल्यांकन केन्द्रों पर विषय के प्रख्यात विशेषज्ञों की पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्ति।

(ix) एक दिन में एक व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन की जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या का निर्धारण करना। (20-25 उत्तर पुस्तिकाएं)।

(x) मूल्यांकन पद्धति में मूल्यांकनकर्त्ताओं हेतु समय-समय पर प्रबोधन कार्यक्रमों का आयेजना करना।

ग्रामीण बाजार में स्टील से निर्मित वस्तुओं की मांग

5533. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ग्रामीण बाजारों में स्टील से निर्मित वस्तुओं की मांग से संबंधित रूझानों का अध्ययन करने का कार्य इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, ''आनन्द'' को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्टील से निर्मित वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ग्रामीण सेवा केन्द्रों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (घ) सेल ने गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के ग्रामीण बाजार क्षेत्र के संभावित ग्रामीण बाजार में प्रवेश करने की रणनीति के भाग के रूप में इस्पात सामग्री की मांग के मौजूदा रूख के आकलन हेतु अध्ययन कार्य करने के लिए ग्रामीण प्रबंध संस्थान, आनंद (आई.आर.एम.) को नियुक्त किया है। आई.आर.एम. द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट विपणन कार्य सुझाना तथा सेवा केन्द्रों की अवधारणा को बढ़ावा देने की आवश्यकता का आकलन करना भी अपेक्षित है।

ग्रामीण प्रबंध संस्थान, आनंद ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आवास और पर्यावास मिशन

5534. डा. वी. सरोजा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण आवास और पर्यावास मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्षों में राज्यवार निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (घ) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण आवास और पर्यावास के लिए एक राष्ट्रीय मिशन गठित किया गया है, ताकि इस क्षेत्र में सतत् आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को शामिल किया जा सके और प्रौद्योगिकी, पर्यावास तथा ऊर्जा से जुड़े पहलुओं का सम्मिश्रण उपलब्ध हो सके जिससे कि सामुदायिक भागीदारी के जरिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोगों के लिए उनकी सामर्थ्य सीमा में आवास उपलब्ध हो सकें। इस दिशा में ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद् तथा सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। ग्रामीण आवास एवं पर्यावास संबंधी राष्ट्रीय मिशन हेतु एक कार्य योजना बनाने के लिए- एक कार्यदल गठित किया गया है। ग्रामीण आवास और पर्यावास संबंधी राष्ट्रीय मिशन के तहत कोई विशिष्ट राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

राष्ट्र विरोधी ताकतों से निपटने के लिए कार्य योजना

5535. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्र विरोधी ताकतों से निपटने के लिए सरकार द्वारा कोई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) सरकार ने उग्रवादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों से निपटने के लिए एक सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सीमा प्रबन्धन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, समन्वित कार्रवाई करके उग्रवादियों की योजनाओं को निष्फल करना, उन्नत आधुनिक हथियारों और संचार प्रणाली इत्यादि से पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना इत्यादि शामिल है।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को विभिन्न उग्रवादी गुटों से खतरों और उनकी गतिविधियों के बारे में भी सुग्राही बनाती रही है। विदेशों में स्थित अड्डों से काम कर रहे ऐसे उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

स्थानीय संसद सदस्यों को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का अध्यक्ष नाम निर्दिष्ट किया जाना

5536. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में अब तक कितने स्थानीय संसद सदस्यों को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए.) के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है; और

(ख) शेष संसद सदस्यों को कब तक जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार संसद सदस्य जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अरबी मदरसा

5537. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में गैर-मान्यताप्राप्त अरबी मदरसे चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जालना और औरंगाबाद जिलों में ऐसे कितने मदरसे चल रहे हैं और इन जिलों में ऐसे मदरसों में वृद्धि के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

उत्तरी बंगाल में आतंकवादी गतिविधियां

5538. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां/अन्य देश उत्तरी बंगाल में आतंकवादी गतिविधियों में मदद कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी गतिविधियों में कौन-कौन से देश शामिल हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने/बंद करने के लिए इन देशों से कोई बातचीत की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (च) इस समय उत्तरी बंगाल में कुछ आतंकवादी ग्रुप सक्रिय हैं। तथापि, इन गुटों को किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी अथवा बाह्य देश द्वारा सहायता दिए जाने की कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों की नियुक्ति

5539. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित संसद सदस्यों ने प्रधानमंत्री को 17.12.1996, 1.9.1997 और 23.7.1998 को सौंपे गए अपने अभ्यावेदनों में सरकार के अधीन स्वायत्तशासी प्रबंधन बोर्ड और सांविधिक निकायों के मुख्य कार्यकारियों, कार्यकारी निदेशकों, सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों जैसे पदों पर अ.जा./अ.ज. जातियों से संबधित व्यक्तियों का नामनिर्देशन/नियुक्ति/नियोजन/तैनाती की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण में उक्त पदों पर कुल कितने व्यक्ति नियुक्त/तैनात किए गए; और

(घ) उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कितने व्यक्ति हैं और कुल संख्या की तुलना में ऐसे व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) इन अभ्यावेदनों में अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित मुद्दे थे और तदनुसार इन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को यथोचित कार्रवाई के लिए भेजा गया था।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के चीफ-इक्जीक्यूटिव, कार्यकारी निदेशक, पदेन अध्यक्ष, सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष चीफ इक्जीक्यूटिव, कार्यकारी निदेशक, सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा-3 के अर्न्तगत की जाती है। जाति अथवा वर्ग के आधार पर इन पदों पर नियुक्ति करने का अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अधिनियम में अलग से कोई आरक्षण परिभाषित नहीं है। तथापि दिल्ली विकास प्राधिकरण के 13 सदस्यों में से वर्तमान में दो सदस्य अनुसूचित जाति श्रेणी के हैं।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण में पिछले तीन वर्षों के दौरान चीफ-एक्जीक्यूटिव, कार्यकारी निदेश, पदेन अध्यक्ष, सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों का ब्यौरा

1997-98

1.	श्री तेजेन्द्र खन्ना, अध्यक्ष	1.4.97 से 31.3.98
2.	श्री पी.के. घोष, उपाध्यक्ष	1.4.97 से 31.3.98
3.	श्री के.पी. लक्ष्मण राव, एफ.एम.,	16.6.97 से 31.3.98
4.	श्री आर.के. भंडारी ई.एम.	1.4.97 से 31.3.98
5.	(क) श्री आर.के. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव, श.वि. मंत्रालय	1.4.97 से 28.4.97
	श्री आर.के. सिंह निदेशक, डीडी, श.वि. मंत्रालय	1.4.97 से 28.4.97
	(ख) श्री बी.एस. मिन्हास, संयुक्त सचिव, श.वि. मंत्रालय	29.4.97 से 31.3.98
	डा. निवेदिता पी. हरन, निदेशक, डीडी श.वि. मंत्रालय	29.4.97 से 31.3.98
6.	श्री वी. सुरेश, सीएमडी हडको	1.4.97 से 31.3.98
7.	श्री डी.एस. मेशराम, सी.पी., टीसीपीओ	1.4.97 से 31.3.98
8.	श्री वी.के. दुग्गल, कमि. एमसीडी	1.4.97 से 31.3.98
9.	श्री साहब सिंह चौहान, एम.एल.ए.	1.4.97 से 31.3.98
10.	श्री रामवीर सिंह बिघुड़ी, एम.एल.ए.	1.4.97 से 31.3.98
11.	श्री स्वरूप चन्द्र राजन, एम.एल.ए.	1.4.97 से 31.3.98
12.	श्री महाबल मिश्रा, काउंसिलर, एमसीडी	22.4.97 से 31.3.98
13.	कु. देवाज्ञा भार्गव, कांउसिलर एमसीडी	22.4.97 से 31.3.98

1998-99

1.	श्री विजय कपूर अध्यक्ष	29.4.98 से 31.3.99
2.	श्री बी.के. घोष उपाध्यक्ष	1.4.98 से 31.3.99
3.	श्री के.पी. लक्ष्मण राव, एफ.एम.	1.4.97 से 31.3.99
4.	श्री आर.के. भंडारी, ई.एम.	1.4.98 से 31.3.99
5.	श्री एस. बनर्जी, संयुक्त सचिव, श.वि. मंत्रालय	29.5.98 से 31.3.99
6.	श्री वी. सुरेश, सीएमडी, हडको	1.4.98 से 31.3.99
7.	श्री डी.एस. मेशराम, सी.पी., टीसीपीओ	1.4.98 से 31.3.99
8.	श्री वी.के. दुग्गल, कमि. एमसीडी	1.4.98 से 31.3.99

9.	श्री साहिब सिंह चौहान, एमएलए	1.4.98 से 23.11.98
10.	श्री स्वरूप चन्द राजन, एमएलए	1.4.98 से 23.11.98
11.	श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी, एमएलए	1.4.98 से 23.11.98
12.	श्री महाबल मिश्रा, काउंसिलर एमसीडी	1.4.98 से 23.11.98
13.	कु. देवाज्ञा भार्गव, काउंसिलर, एमसीडी	1.4.98 से 31.3.99
	1999-2000	
1.	श्री विजय कपूर अध्यक्ष	1.4.99 से 31.7.2000
2.	श्री बी.के. घोष उपाध्यक्ष	1.4.99 से 31.7.2000
3.	श्री महाबल मिश्रा, एमएलए	1.4.99 से 31.7.2000
4.	श्री पुरन चन्द योगी, एमएलए	1.4.99 से 31.7.2000
5.	श्री कुंवर करण सिंह एमएलए	1.4.99 से 31.7.2000
6.	श्री पृथ्वी राज चन्द काउंसिलर एमसीडी	1.4.99 से 31.7.2000
7.	कु. देवाज्ञा भार्गव, काउंसिलर एमसीडी	1.4.99 से 31.7.2000
8.	डा. निवेदिता बी. हरन, संयुक्त सचिव, श.वि. मंत्रालय	1.4.99 से 31.7.2000
9.	श्री वी. सुरेश, सी.एम.डी. हडको	1.4.99 से 31.7.2000
10.	श्री के.पी. लक्ष्मण राव, एफ.एम.	1.4.99 से 31.7.2000
11.	श्री आर.के. भंडारी, ईएम	1.4.99 से 31.7.2000
12.	(क) श्री वे.के. दुग्गल, कमि. एमसीडी	1.4.99 से 10.04.2000
	(ख) श्री एस.पी. अग्रवाल, कमि. एमसीडी	1.4.99 से 31.7.2000
13.	श्री डी.एस. मेशराम, सीपी, टीसीपीओ	1.4.99 से 31.7.2000

अ.जा./अ.ज. जातियों के बकाया रिक्त पद

5540. श्री ए. कृष्णास्वामी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डा. अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह समिति ने 1993 से अ.जा./अ.ज. जातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्त पदों को भरने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा 1993 से इन पर क्या कार्रवाई की गई है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) 29.8.1997 की स्थिति के अनुसार श्रेणी I, II, III और IV के वर्ग में अ.जा. और अ.ज. जातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्त पद कितने हैं; और

(ङ) 01.01.1997 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय और उसके स्वायत्तशासी/सांविधिक/संबद्ध कार्यालयों के अंतर्गत वर्ग I, II, III और IV श्रेणियों के कितने बकाया पद खाली पड़े हैं और इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आदिवासियों के विकास के लिए निधियों का आबंटन

5541. श्री चिंतामन वनगा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आज तक वर्ष-वार, योजनावार और राज्य-वार देश में आदिवासियों के विकास के लिए कितनी निधियां आवंटित की गई;

(ख) क्या सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इस प्रोजनार्थ उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कोई विशेष कार्यक्रम शुरू करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या अलग केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के सृजन के पश्चात् सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जाएगी।

(ङ) से (छ) वर्तमान स्थिति वर्ष के दौरान चल रही योजनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित नई योजनाओं के लिए अन्य बातों के साथ-साथ बजट आबंटन किया गया है।

(1) उच्च स्तरीय सरकारी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने, राज्य अनुसंधान जनजातीय संस्थानों के अनुसंधान कार्यकलापों को समन्वित करने आदि के उद्देश्य से अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करना।

(2) सूचना तथा जन शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना करना।

(3) देश में जनजातीय समुदायों/विभिन्न जनजातीय तथा जनजातीय क्षेत्रों का प्रतिनिधिमंडलों द्वारा दौरों का आदान-प्रदान।

(ज) से (ञ) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातियों की स्थिति का आकलन करने के लिए कोई व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की चल रही योजना के अंतर्गत, मंत्रालय विभिन्न जनजातीय संस्थानों को अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन करने, जनजातीय विकास से जुड़े मामलों पर संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करने के द्वारा महत्वपूर्ण योजना निवेश की व्यवस्था करने के उनके प्रयासों में अनुदान प्रदान करता है। जनजातियों की समस्याओं से संबंधित अध्ययनों तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए विभिन्न अनुसंधान संगठनों को अनुदान भी प्रदान किए जाते हैं।

छोटे इस्पात संयंत्रों का इस्पात उत्पादन

5542. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वार्षिक इस्पात उत्पादन और छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापित क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या छोटे इस्पात संयंत्रों द्वारा इस्पात का उत्पादन उनकी क्षमता से काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विद्युत चापभट्टी पर आधारित इस्पात संयंत्रों की वार्षिक क्षमता और उत्पादन निम्नलिखित है:-

इकाई: टन)

वर्ष	क्षमता	उत्पादन (ढ़लाई को छोड़कर)
1998-99	10876360	3648329
1999-2000	12055860	4635369
2000-2001 (अनन्तिम)	12055860	4841934

(ख) से (घ) विभिन्न कारणों जैसे उच्च विद्युत टैरिफ, बढ़ती हुई आदान लागत, प्रौद्योगिकीय अड़चनें, अनार्थिक क्षमताएं, मांग में मन्दी, बाजार में प्रतिस्पर्धा आदि के कारण इन संयंत्रों द्वारा इस्पात का उत्पादन उनकी कुल क्षमता से कम है। उदार आर्थिक

परिदृश्य में इस उद्योग और इसके साथ-साथ संबंधित संयंत्रों का भविष्य पूर्णतः बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

जैव प्रौद्योगिकीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

5543. श्री सुकदेव पासवानः क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सम्पूर्ण देश में अनेक स्थानों पर जैव प्रौद्योगिकीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना और अनुप्रयोज्य पाठ्यक्रम शुरू करने अथवा ऐसे केन्द्रों की स्थापना में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार किन-किन स्थानों पर ऐसे केन्द्रों की अभी तक स्थापना की गई है अथवा स्थापित करने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) जी हां। सरकार मानव संसधान विकास संबंधी एक कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रही है जिसमें देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में जैवप्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातकोत्तर शिक्षण एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल हैं। स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम एम.एस.सी.एम. टेक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और एक वर्ष के पोस्ट एमडी/एमएस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम स्तर के होते हैं। अब तक, विभाग ने 23 राज्यों में 77 पाठ्यक्रमों को सहायता प्रदान की है (ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है) विभाग ने 4 संस्थानों में पोस्ट-डाक्टोरल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सहायता दी है (ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है) विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों से जिस समय प्रस्ताव प्राप्त होते हैं एक विशेषज्ञ समिति वित्तीय सहायता के लिए उनका परीक्षण करती है।

विवरण

बायोटेक्नोलॉजी विभाग,भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अब तक सहाय्यित बायोटेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रैज्युएट शिक्षण तथा पोस्ट डाक्टोरल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का राज्यवार विवरण

आन्ध्र प्रदेश

1. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद (एम. एससी)
2. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति (एम. एससी)*
3. श्री कृष्णादेवाराय विश्वविद्यालय, अनंतपुर (एम. एससी)*
4. कोशिकीय तथा आण्विक जीवविज्ञान केन्द्र, हैदराबाद (पोस्ट डाक्टोरल प्रशिक्षण)
5. ओसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (एम. एससी)

असम

1. असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट (एम. एससी)
2. तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर (एम. एससी)
3. गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी (एम. एससी)

छत्तीसगढ़

1. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (एम. एससी)

चंडीगढ़ (केन्द्र शासित प्रदेश)

1. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ (एम. एससी)*
2. पोस्ट ग्रैज्युएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ (एक वर्ष का पोस्ट एम डी/एम एस प्रशिक्षण)
3. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ (एम. एससी)

दिल्ली

1. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (एम. एससी)
2. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (एम. टेक)
3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (एम. एससी तथा एक वर्ष का पोस्ट एम/एम एस प्रशिक्षण कोर्स)
4. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (एम. एससी एवं पोस्ट डाक्टोरल प्रशिक्षण)
5. श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, नई दिल्ली (पोस्ट ग्रैज्युएट डिप्लोमा)
6. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (पोस्ट-ग्रैज्यूएट डिप्लोमा)

गोवा

1. गोवा विश्वविद्यालय, गोवा (2 एम. एससी)

गुजरात

1. एम एस विश्वविद्यालय, बड़ौदा (एम. एससी)
2. गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद (एम. एससी)
3. सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभविद्यानगर (एम. एससी)

हरियाणा

1. गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार (एम. एससी)

हिमाचल प्रदेश

1. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला (एम. एससी)
2. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, पालमपुर (एम. एससी)

झारखंड

1. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची (एम. एससी)

जम्मू एवं कश्मीर

1. जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू (एम. एससी)
2. कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर (एम. एससी)

कर्नाटक

1. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस, बंगलौर (पोस्ट डाक्टोरल प्रशिक्षण)
2. गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा (एम. एससी)
3. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर (एम. एससी)
4. कूवेम्पू विश्वविद्यालय, ज्ञान सहायद्री, जिला शिमोगा (एम. एससी)*
5. केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर (एम. एससी)

केरल

1. कालिकट विश्वविद्यालय, कालिकट (एम. एससी)
2. केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, कोची (एक साल का सेवा प्रशिक्षण)

महाराष्ट्र

1. पूना विश्वविद्यालय, पुणे (2 एम. एससी और पोस्ट ग्रैज्यूएट डिप्लोमा)
2. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई (एम. एससी)
3. विश्वविद्यालय रसायन प्रौद्योगिकी विभाग, मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई (एम. एससी/एमटेक)
4. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुम्बई (एम. एससी)
5. मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी (एम. एससी)
6. केन्द्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्थान, मुंबई (एक साल का सेवा प्रशिक्षण)
7. लक्ष्मीनारायण प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर (एम. टैक)

मध्य प्रदेश

1. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, (एम. एससी)
2. जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (एम. एससी)
3. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (एम. एससी)

उड़ीसा

1. उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा)
2. केन्द्रीय स्वच्छ जल कृषि संस्थान, भुवनेश्वर (एक साल का सेवा प्रशिक्षण)

पांडिचेरी

1. पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी (एम. एससी)

पंजाब

1. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर (एम. एससी)
2. पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला (एम. एससी)*
3. थापर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला (एम. एससी)*

राजस्थान

1. बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली (एम. एससी)

तमिलनाडु

1. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै (एम. एससी और पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा)

2. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर, (एम. एससी)

3. अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई (एम. टैक)

4. तमिलनाडु वेटरीनरी एवं एनिमल साइंस विश्वविद्यालय, चैन्नई (एम.वी. साइंस)*

5. मनोनमनियम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, नागरकोइल (एम. एससी)*

6. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै (पोस्ट-ग्रेज्यूएट डिप्लोमा)

उत्तर प्रदेश

1. बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी (एम. एससी)

2. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (एम. एससी)

3. इंडियन वेटरीनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर (एम.वी. साइंस)

4. संजय गांधी पोस्ट ग्रेज्युएट आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (एक साल का पोस्ट एमडी/एम एस प्रशिक्षण)

5. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (एम. एससी)

6. हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानुपर (एम. एससी/ एम. टैक)

उत्तरांचल

1. रूड़की विश्वविद्यालय, रूड़की (एम. एससी)

2. जी.बी. पन्त कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय, (एम.एससी)

3. कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल (एम. एससी)

पश्चिम बंगाल

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खगडपुर, (एम. टैक)

2. जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता (एम. टैक)

3. बोस संस्थान, कलकत्ता (पोस्ट डाक्टोरल प्रशिक्षण)

4. उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय, सीलीगुड़ी (एम. एससी)

5. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता (पोस्ट-ग्रेज्यूएट डिप्लोमा

6. जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता (एम. टैक)

7. कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी (एम. एससी)

[अनुवाद]

आदिवासी उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता

5544. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं योजना और नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों में आज तक आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत राज्य-वार उपलब्ध कराई गई विशेष केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस धनराशि से राज्य सरकारों द्वारा राज्य-वार कितनी उपलब्धि हासिल की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा विशेष सहायता के उपयोग के तरीके का आकलन करने के लिए कुछ गैर-सरकारी अनुसंधान संगठनों को कार्य पर लगाया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन अनुसंधान संगठनों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले, और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा अनुसंधान संगठनों की रिपोर्टों के आधार पर चूककर्त्ता राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने प्रोजेक्ट कारपोरेट कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर जैसे गैर सरकारी अनुसंधान संगठन को आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा तमिलनाडु राज्य सरकारों द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग के तरीके का आकलन करने के लिए कार्य पर लगाया था। इस अनुसंधान संगठन ने टिप्पणी की है कि विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग में उस प्रयोजन से जिसके लिए विशेष केन्द्रीय सहायता अभिप्रेत थी, कुछ अंतर रहा है।

(च) संबंधित राज्य सरकारों से सुधारात्मक उपाय करने का अनुरोध किया गया है।

---

*चालू स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए एक-बार वित्तीय सहायता।

विवरण

8वीं योजना तथा 9वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति व व्यय

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/सं रा.क्षे. का नाम	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96	
		निर्मुक्ति राशि	सूचित व्यय	निर्मुक्ति राशि	सूचित व्यय	निर्मुक्ति राशि	सूचित व्यय	निर्मुक्ति राशि	सूचित व्यय
1.	आ.प्र.	1529.34	1512.51	1593.22	1593.22	1947.10	1947.10	2140.32	2140.32
2.	असम	1077.61	956.61	1087.57	1038.75	1112.67	1110.27	1545.19	823.80
3.	बिहार	3175.25	3175.25	3497.39	0.00	1748.70	274.22	274.22	8.30
4.	गुजरात	1855.84	2138.51	2234.77	2110.91	2491.56	2066.37	3060.26	2632.25
5.	हि. प्र.	403.39	365.84	755.03	461.48	450.57	761.87	541.62	492.35
6.	ज. व क.	296.14	125.35	518.60	335.49	550.63	321.50	756.64	989.15
7.	कर्नाटक	327.42	327.42	439.76	439.76	409.03	381.45	659.99	411.47
8.	केरल	207.23	192.46	167.25	152.25	126.30	185.97	181.20	153.16
9.	म. प्र.	6785.01	6461.71	8117.65	8285.82	7535.72	7151.18	9579.66	6581.33
10.	महाराष्ट्र	1815.21	1502.78	2234.35	2797.20	2196.34	2971.31	2930.82	2753.26
11.	मणिपुर	383.41	434.48	417.12	411.73	432.81	438.40	574.53	575.63
12.	उड़ीसा	2378.03	3391.92	3603.23	3611.04	3956.55	3651.94	4958.10	5489.66
13.	राजस्थान	1679.46	1605.49	2664.68	2029.66	2202.79	2556.61	2819.04	3023.22
14.	सिक्किम	60.93	55.95	73.67	63.14	75.10	70.37	100.19	73.15
15.	तमिलनाडु	270.72	263.58	214.05	227.20	256.85	300.02	274.44	274.44
16.	त्रिपुरा	414.94	408.18	373.37	353.18	480.01	358.78	564.97	588.55
17.	उ.प्र.	58.40	57.13	69.22	69.22	70.41	70.41	104.08	39.59
18.	प. बं.	1971.67	1646.33	1319.06	940.37	1763.21	1763.21	1763.21	1763.21
19.	अं. व नि.	86.13	71.91	77.22	55.52	85.50	68.31	112.21	89.11
20.	दमन व दीव	23.87	23.87	28.29	28.28	35.50	35.50	59.31	59.31
	कुल	25000.00	24717.28	29484.50	25004.22	27927.38	26484.793	33000.00	28962.26

क्र. सं.	राज्य/सं रा.क्षे. का नाम	1996-97		1997-98		1998-99		1999-2000	
		निर्मुक्ति राशि	सूचित व्यय	निर्मुक्ति राशि	सूचित व्यय	निर्मुक्ति राशि	सूचित व्यय	निर्मुक्ति राशि	सूचित व्यय
1.	आ.प्र.	2287.52	2287.52	2581.54	2581.54	2728.47	2728.47	2182.94	729.29
2.	असम	1524.71	939.89	1460.00	938.11	2069.56	2152.00	2443.50	1913.00
3.	बिहार	3364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4362.12	4779.13	0.00
4.	गुजरात	2642.95	29.50.07	2632.77	2980.55	3689.70	3249.61	3139.98	3123.81
5.	हि. प्र.	622.44	541.62	521.89	605.82	689.44	557.69	514.05	750.61
6.	ज. व क.	681.54	787.37	521.80	916.89	739.22	500.269	776.38	726.56
7.	कर्नाटक	569.50	391.98	500.00	641.53	686.64	505.41	616.13	889.31
8.	केरल	153.71	164.69	196.12	231.78	408.17	208.14	218.63	208.00
9.	म. प्र.	7695.71	8532.99	9207.83	7139.01	9476.17	9641.21	9797.15	10585.25
10.	महाराष्ट्र	3160.78	2524.44	3400.89	2975.62	3532.21	2767.42	2974.57	0.00
11.	मणिपुर	653.22	660.14	950.00	762.09	779.52	943.39	608.65	651.49
12.	उड़ीसा	4411.44	4411.44	6676.27	4376.27	5911.86	5000.00	5698.280	7660.140
13.	राजस्थान	2467.32	2461.44	2341.13	2057.3	3475.72	2620.63	2915.24	3355.46
14.	सिक्किम	138.41	93.27	60.00	121.91	60.00	96.11	86.28	86.38
15.	तमिलनाडु	238.81	232.01	243.71	263.71	295.91	295.91	258.27	258.27
16.	त्रिपुरा	594.48	671.32	885.00	835.00	977.77	791.77	831.57	1067.57
17.	उ.प्र.	90.39	101.66	112.91	64.59	57.54	112.91	99.85	79.54
18.	प. बं.	1558.07	1654.04	1600.39	1600.39	2222.10	2222.10	1759.40	0.00
19.	अं. व नि.	95.18	105.78	118.00	97.13	133.90	123.77	255.40	135.25
20.	दमन व दीव	49.82	49.82	50.75	50.61	66.10	10.71	44.60	20.60
	कुल	33000.00	29561.49	32961.00	29238.43	38000.00	38889.64	40000.00	32240.53

विशेष केन्द्रीय सहायता-निर्मुक्ति-व्यय- 92-2000

[हिन्दी]

कोकिंग कोल खानों को गैर-कोकिंग कोल खानों में बदलना

5545. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष फरवरी, 2001 तक खान-वार सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत कितनी कोकिंग कोल खानों को गैर-कोकिंग कोल खानों में बदला गया;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार/कंपनी द्वारा इस परिवर्तन के पश्चात् कितना राजस्व अर्जित किया गया?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) 1998-99 के दौरान सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. की तीन खानों में प्रत्येक खान की एक सीम का ग्रेड कोकिंग से नॉन-कोकिंग में परिवर्तित हो गया है। 1999-2000 तथा 2000-2001 (फरवरी, 2001 तक) के दौरान कोकिंग से नॉन-कोकिंग ग्रेड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) तीनों सीमों के ग्रेडों में कोकिंग से नॉन-कोकिंग में परिवर्तन, बी.आई.एस. मानदंडों के अनुसार संकलित नमूनों के विश्लेषण द्वारा निर्धारित कोयले की क्वालिटी के आधार पर हुआ है।

(ग) ग्रेडों का निर्धारण प्रत्येक वर्ष कोयले के नमूनों के वास्तविक परिणामों के आधार पर किया जाता है। राजस्व प्राप्ति मुख्यत: संयुक्त नमूनों, कोलियरी नियंत्रण आदेश के अंतर्गत नमूनों तथा तृतीय नमूनों के माध्यम से प्राप्त किए गए ग्रेडों के विश्लेषण पर निर्भर करता है। छोटे उपभोक्ताओं से भुगतान का आधार घोषित ग्रेड है जिनके लिए संयुक्त नमूनों आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं की गई है। इन वर्षों के दौरान अर्जित प्रतिटन राजस्व निम्नानुसार है:-

(रु. प्रति टन)

1998-99	1999-2000	2000-2001 (फरवरी, 2001 तक)
505.39	517.11	536.34

[अनुवाद]

ग्रामीण रोजगार योजनाओं संबंधी निगरानी/ सतर्कता समितियां

5546. श्री राम टहल चौधरी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न ग्रामीण रोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और सतर्कता के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों पर निगरानी और सतर्कता समितियों का गठन करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इन अनुदेशों का पालन किया है और किन-किन राज्यों ने अभी तक इनका अनुपालन नहीं किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में राज्य सरकारों को नए अनुदेश जारी करने का है;

(घ) क्या क्षेत्र के संसद सदस्यों, विधायकों को भी राज्य सरकारों द्वारा इन समितियों में शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, हां। उपलब्ध जानकारी के अनुसार नव गठित राज्यों-छत्तीसगढ़ तथा झारखंड, जहां से इन समितियों के गठन संबंधी कोई जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है, को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निगरानी समितियां गठित की गई हैं।

(ख) इस संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों को हाल ही में 20.2.2001 को नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(घ) और (ङ) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, सभी राज्यों में जिला तथा ब्लाक स्तरीय सतर्कता तथा निगरानी समितियों में संसद सदस्यों तथा विधायकों को शामिल किया जाएगा।

विवरण

सतर्कता एवं निगरानी समितियों के गठन की राज्यवार स्थिति

क्रम सं.	राज्य का नाम	जिस स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित की गई है।		
		राज्य	जिला	ब्लाक
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	हां	हां	हां
2.	अरुणाचल प्रदेश	हां	हां	हां
3.	असम	हां	हां	हां
4.	बिहार	हां	हां	हां
5.	छत्तीसगढ़	@@	@@	@@
6.	गोवा	हां	हां	हां
7.	गुजरात	हां	हां	हां
8.	हरियाणा	हां	हां	हां
9.	हिमाचल प्रदेश	हां	हां	हां
10.	जम्मू व कश्मीर	#	#	#
11.	झारखंड	@@	@@	@@
12.	कर्नाटक	हां	@	@
13.	केरल	हां	हां	हां
14.	मध्य प्रदेश	हां	हां	हां
15.	महाराष्ट्र	हां	हां	हां
16.	मणिपुर	हां	हां	हां
17.	मेघालय	हां	हां	हां
18.	मिजोरम	हां	हां	हां
19.	नागालैंड	हां	हां	हां
20.	उड़ीसा	हां	हां	हां
21.	पंजाब	हां	हां	हां
22.	राजस्थान	हां	हां	हां
23	सिक्किम	हां	हां	हां

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु	हां	हां	हां
25.	त्रिपुरा	हां	हां	हां
26.	उत्तर प्रदेश	हां	हां	हां
27.	उत्तरांचल	हां	हां	*
28.	प. बंगाल	हां	हां	हां
29.	अंडमान व निको. द्वीप समूह	हां	हां	हां
30.	दादर व नगर हवेली	हां	हां	हां
31.	दमन व दीव	हां	हां	जिले की तरह **
32.	लक्षद्वीप	हां	हां	हां
33.	पांडिचेरी	हां	राज्य की तरह	हां

@ कर्नाटक में कर्नाटक विकास कार्यक्रम समीक्षा समिति राज्य, जिला तथा तालुका स्तरों पर गठित की गई है जो सतर्कता एवं निगरानी समिति की तरह ही कार्य करती है।

जम्मू व कश्मीर में जिला विकास बोर्ड की प्रणाली है जो ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा करता है। राज्य सरकार की राय है कि अन्य जिला स्तरीय समिति का गठन करने से दो समितियां हो जाएंगी।

@@ जानकारी उपलब्ध नहीं है।

* पंचायत स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित की गई है।

** ग्राम स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित की गई है।

निर्धनता-रोधी कार्यक्रम

5547. श्री राम नायडू दग्गुबाटि:
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा देश में ग्रामीण निर्धनता के परिणाम की तुलना में निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों पर पर्याप्त धनराशि खर्च नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या कुछ वर्गों ने इस तरह की राय जताई है कि संसद सदस्यों को इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शामिल किया जाना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) सरकार ने गरीबी कम करने के लिए तीन तरफा नीति अपनाई है जिनमें (i) जो क्षेत्र रोजगार प्रधान हैं उन पर ध्यान देते हुए आर्थिक विकास में तेजी लाना, (ii) बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के प्रावधान के जरिए मानव एवं सामाजिक विकास, और (iii) लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शामिल है। यद्यपि गरीबी को घटाने के लिए आर्थिक विकास एक प्रमुख घटक बना हुआ है लेकिन लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विकास प्रयास में सहायता करते हैं और गरीबों का अभाव की स्थिति, रोजगार तथा आय में तेजी से कमी और बढ़ोत्तरी तथा सामाजिक असुरक्षा से बचाव करते हैं। प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को 1999-2000 से पुनर्गठित किया गया और नया रूप दिया गया है, ताकि गरीबों पर उनका जो प्रभाव पड़ता हैं, उसमें सुधार लाया जा सके। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय 2000-2001 के दौरान 7164.83 करोड़ रु. की राशि जारी की है।

(ग) और (घ) संसद सदस्य जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के शासी निकाय के सदस्य होते हैं जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में डी.आर.डी.ए. का मार्गदर्शन और निर्देश देते हैं।

संसद सदस्य जिला परिषदों के पदेन सदस्य भी होते हैं। जिला परिषदों के सदस्यों के रूप में संसद सदस्य उनके जिलों में कार्यान्वित किए जा रहे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों कार्यान्वयन की निगरानी के कार्य में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। इसके अलावा, सुनिश्चित रोजगार योजना के दिशा-निर्देशों में संसद सदस्यों की भूमिका को विशेष रूप से निर्धारित किया गया है। इस योजना को जिला परिषदों के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा और उस क्षेत्र के संसद सदस्य के साथ परामर्श करने के बाद कार्यों का चयन किया जाता है। तथापि, जिला परिषद न होने पर कार्यों के चयन के लिए विधायकों, संसद सदस्यों तथा अन्य जन प्रतिनिधियों की एक समिति बनायी जाएगी। सभी राज्यों को संसद सदस्यों/विधायकों को भी प्रतिनिधित्व देकर राज्य/जिला तथा ब्लाक स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित करने की सलाह दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रबंध तथा इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में संसद सदस्यों की भागीदारी के मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए 8 दिसम्बर, 2000 को संसद में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की थी।

[हिन्दी]

भारत-पाकिस्तान सीमा पर लगी बाड़ को क्षति

5548. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:**
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-पाकिस्तान सीमा पर लगाई गई कंटीले तारों की बाड़ को कुछ स्थानों पर क्षति पहुंचाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा बाड़ का कुछ भाग बाढ़ और अन्य प्राकृतिक कारणों से क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके ब्यौरे सुरक्षा कारणों से प्रकट नहीं किए जा सकते हैं।

सरकार ने, क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य के लिए संबंधित एजेंन्सियों को अपेक्षित निधियां स्वीकृत की हैं।

[अनुवाद]

महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक हिंसा

5549. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक हिंसा को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए संसद में एक विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लाए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने के पश्चात् ही विधेयक को पुर:स्थापित करने और विशिष्ट प्रावधानों के सम्बन्ध में संभावित समय के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

बोडो लैंड मुद्दा

5550. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोडो लैंड मुद्दे को सुलझाने के लिए केन्द्र सरकार और बोडो लैंड लिबरेशन टाइगर्स के प्रतिनिधियों के बीच कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और असम सरकार ने इस मुद्दे पर बोडो लैंड लिबरेशन टाइगर्स के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) बोडो मुद्दों का स्थायी शान्तिपूर्ण हल तलाशने के लिए भारत सरकार, असम सरकार और बोडो लिब्रेशन टाईगर को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय वार्ता सन्तोषजनक रूप से चल रही है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) उपयुक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं

5551. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत इस समय मध्य प्रदेश में कितनी परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में समेकित बाल विकास योजना का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के दौरान इस सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) 315 आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं।

(ख) और (ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान 21 परियोजनाओं के परिचालन की अनुमति दे दी गई है।

औषध मूल्य नियंत्रण

5552. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार औषध मूल्य नियंत्रण आदेश में प्रस्तापित कटौती करने के मुख्य मुद्दों पर मशविरा न किए जाने से खिन्न है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन की औषधि सूची के सम्बन्ध में सरकारी की क्या स्थिति है; और

(घ) इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (घ) जब कभी आवश्यकता होती है, तब मूल्य नियंत्रण की समयावधि सहित औषध नीति में किसी प्रकार का संशोधन यथोचित विचार करने के बाद तथा संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

दिल्ली में सम्पत्ति मालिकों द्वारा सम्पत्ति कर का भुगतान

5553. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सम्पत्ति मालिकों नगर निकायों को सम्पत्ति कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सम्पत्ति कर की वसूली के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(घ) लोगों पर कितना अनुमानित सम्पत्ति कर बकाया है और इसे वसूलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या लोग दिल्ली में नागरिक सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हैं जिसके लिए वे सम्पत्ति कर का भुगतान करते हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली के नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विनिर्दिष्ट तारीख तक भुगतान करने के लिए सम्पत्ति कर बिल जारी किए जाते हैं।

(घ) बकाया देयताएं तथा सम्पत्ति कर का मूल्यांकन वर्ष दर वर्ष आधार पर भिन्न-भिन्न होता है। जहां तक दिल्ली नगर निगम का संबंध है, करीब 2558.87 करोड़ रु. बकाया बताया गया है। करों की वसूली के लिए चूककर्त्ताओं के खिलाफ बल प्रयोग की कार्रवाई की जाती है।

(ङ) और (च) एकत्रित कर का अधिकतर भाग नागरिक सुविधाओं के सुधार के लिए उपयोग में लाया जाता है। स्थानीय निकायों द्वारा बेहतर नागरिक सेवाएं मुहैया कराने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत धनराशि आवंटन के लिए प्रक्रिया

5554. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों विशेषकर राजस्थान में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत धनराशि आवंटन हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है; और

(ख) इस योजना में ग्राम पंचायतों की क्या भूमिका है और इसके अंतर्गत अब तक क्या उपलब्धि हासिल की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत राजस्थान सहित राज्यों के बीच निधियां देश में कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर तथा समय-समय पर सरकार/राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार आबंटित की जाती हैं। इस प्रयोजन के लिए योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए गरीबी आकलनों का इस्तेमाल किया जाता है।

(ख) योजना के अंतर्गत समस्त निधियों का ग्राम पंचायतों द्वारा उपयोग किया जाता है। ग्राम पंचायत कोई भी ऐसा काम शुरू कर सकती है जिसके परिणामस्वरूप ग्राम समुदाय की महसूस की गई आवश्यकता के अनुसार टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन हों। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के अनुमोदन से वार्षिक कार्य योजना बनाने के लिए उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के अनुमोदन से 50,000 रु. तक के कार्यों/योजनाओं के शुरू करने का अधिकार है जिसके लिए किसी प्रकार के प्रशासनिक अथवा तकनीकी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान ग्राम स्तर पर कार्यों/योजनाओं को शुरू करने के लिए जिला परिषद/डी.आर.डी.ए. के जरिए ग्राम पंचायतों को क्रमश: 1685.27 करोड़ रु. तथा 1327.56 करोड़ रु. का केन्द्रीय अंश जारी किया गया था।

[अनुवाद]

समेकित आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत विशेष सहायता आवंटन के लिए निर्धारित मानदण्ड

5555. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत और अन्य आदिवासी एजेंसियों हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के आवंटन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित की गई हैं;

(ख) क्या धनराशि जारी करते समय मानदण्ड का अनुपालन किया गया;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस कार्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के आबंटन संबंधी मानदंडों का ब्यौरा एक विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ)

वर्ष	निर्मुक्त निधियां
1998-99	370.00 करोड़ रुपए
1999-2000	400.00 करोड़ रुपए
2000-2001	400.00 करोड़ रुपए

विवरण

विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) के कुल परिव्यय से जनजातीय उप-योजना की व्यापक कार्यनीति के अंतर्गत कार्यक्रमों अर्थात् टी.एस.पी. (आई.टी.डी.पी.), माडा पाकेटों तथा आदिम जनजातियों के अंश की गणना छितरी हुई जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के लगभग 10% को अलग रखने के पश्चात् प्रत्येक कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात में की जाती है। इन कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का अन्तर्राष्ट्रीय आबंटन निम्नलिखित है:-

(क) आई.टी.डी.पी. समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं (आई.टी.डी.पी.) को विशेष केन्द्रीय सहायता के आबंटन के लिए राज्यों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

श्रेणी 'क' में जनजातियों द्वारा प्रमुख रूप से बसे हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों वाले राज्य हैं जैसे- 1. आंध्र प्रदेश, 2. बिहार, 3. गुजरात, 4. हिमाचल प्रदेश, 5. मध्य प्रदेश, 6. महाराष्ट्र, 7. मणिपुर, 8. उड़ीसा, 9. राजथान और 10. सिक्किम।

श्रेणी 'ख' में जनजातीय बहुलता के कुछ क्षेत्रों के छितरी जनजातीय जनसंख्या वाले राज्य हैं जैसे:- 1. असम, 2. पश्चिम बंगाल, 3. त्रिपुरा, 4. जम्मू व कश्मीर।

श्रेणी 'ग' में वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं जहां बहुलता के कुल मिलाकर छितरी जनजातीय जनसंख्या वाले बहुत छोटे क्षेत्र हैं जैसे:- 1. कर्नाटक, 2. केरल, 3. तमिलनाडु, 4. उत्तर प्रदेश, 5. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, 6. दमन एवं द्वीप।

जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के कुल परिव्यय को प्रत्येक श्रेणी में शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जनजातीय जनसंख्या के आधार पर तीन श्रेणियों में आबंटित किया जाता है।

श्रेणी 'क' को आबंटित धनराशि को तब तीन मानदंडों पर वितरित किया जाता है अर्थात् (1) जनजातीय उप योजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर 50%, (2) जनजातीय उप योजना के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 30% तथा (3) जनजातीय उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत जनजातीय जनसंख्या को तरजीह के साथ राज्यों के प्रति व्यक्ति निबल राज्य घरेलू उत्पाद (एन.एस.डी.पी.) के प्रति विपरित अनुपात में 20%।

श्रेणी 'ख' तथा 'ग' राज्यों के लिए पृथक-पृथक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंश को दो मानदंडों के आधार पर प्राप्त किया जाता है। अर्थात् जनजातीय उपयोजना की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुसार 70% तथा जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत जनजातीय जनसंख्या को तरजीह के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति एन.एस.डी.पी. के प्रति विपरित अनुपात में 30%।

(ख) जनजातीय बहुलता के माडा पॉकेट, कलस्टर तथा छितरी जनजातियां। माडा कार्यक्रमों, कलस्टरों तथा छितरी जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता आबंटित करते समय कुल आबंटन का 70% माडा क्षेत्र, कलस्टर तथा छितरे जनजातीय समूह में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुसार वितरित किया जाता है और 30% पाकेटों, कलस्टरों तथा छितरे जनजातीय समूह के अंतर्गत जनजातीय जनसंख्या को तरजीह के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति एन.एस.डी.पी. के विपरित अनुपात में वितरित किया जाता है।

(ग) आदिम जनजातियां: वितरण का सूत्र निम्नलिखित है:-

1. आदिम जनजातीय समुदायों की संख्या के आकार पर धनराशि का 40%।
2. विभिन्न व्यवसायों पर निर्भर रहते हुए अर्थात भोजन एकत्र करना तथा शिकार करना 2. झूड खेती, 3. स्थान-बद्ध कृषि तथा 4. अन्य व्यवसाय में क्रमश: 5: 3:1 के अनुपात में तरजीह देने के साथ जनसंख्या के अनुसार 30%।
3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आदिम जनजातीय समुदायों की संख्या के अनुसार 15%।
4. आदिम जनजातीय जनसंख्या को तरजीह देने के साथ प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति विपरित अनुपात में 15%।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केन्द्रों में बुनियादी सुविधाओं हेतु धनराशि

5556. श्री राजो सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में आंगनवाड़ी केन्द्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार से धनराशि में वृद्धि करने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा भूमि का अधिग्रहण

5557. श्री किरीट सोमैया: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा अपने संयंत्रों की स्थापना के लिए महाराष्ट्र में विशेषकर मुम्बई में किसानों से कुल कितनी भूमि अधिग्रहित की गई;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने उन किसानों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी

प्रदान करने का वायदा किया है जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है;

(ग) यदि हां, तो कितने परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है और कितने परिवारों को रोजगार प्रदान किया जाना अभी बाकी है: और

(घ) क्या राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अपने संयंत्र लगाने और मुम्बई में कार्यालयों की स्थापना के कारण किसानों के अलावा प्रभावित स्थानीय लोगों को भी रोजगार प्रदान किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर सी एफ एल) ने अपने संयंत्रों की स्थापना करने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कृषकों से कोई भूमि अधिग्रहित नहीं की है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

बंजारा समुदाय

5558. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने इस बात को रेखांकित किया है कि कर्नाटक में बंजारा समुदाय अनुसूचित जाति, आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और देश के कुछ भागों में पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को भी लिखा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभिन्न जातियों के दर्जा निर्धारण की इस समस्या के समाधान हेतु अन्तर्राज्यीय चर्चा कराए जाने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) किसी समुदाय की सामाजिक-मानवजातीय-आर्थिक स्थितियां एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग होती हैं। अत: विनिर्देशन में अंतर होता है।

इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण संबंधी समिति

5559. श्री अनन्त नायक: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अंतर्गत इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण में लागत बढ़ने और ज्यादा समय लगने के कारणों की जांच हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसकी जांच कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, हां।

(ख) अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात की खपत और उत्पादन

5560. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2010 तक इस्पात की खपत 45 मिलियन टन तक पहुंच जाने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मांग को किस तरह पूरा करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस्पात संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश की इस्पात के आयात पर न निर्भर रहना पड़े क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा देश में इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) खपत के वर्तमान स्तर पर यह सम्भावना नहीं है कि वर्ष 2010 तक इस्पात की खपत 450 लाख टन हो जाएगी।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा क्षेत्र में बढ़ती खाई

5561. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शिक्षा क्षेत्र में बढ़ रही खाई की ओर ध्यान दिया है जिसमें एक वर्ग तो उच्च गुणवत्ता वाली महंगी शिक्षा प्राप्त कर रहा है और दूसरों को ऐसी शिक्षा से वंचित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या शिक्षा क्षेत्र में समान स्तर बनाने के लिए कोई वित्तपोषण तंत्र बनाने पर विचार किया जाना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी स्तरों पर शिक्षा सुलभ कराने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की व्यवस्था की गई है जिसमें यह निहित है कि जाति; नस्ल, स्थिति अथवा स्त्री-पुरुष में भेदभाव किए बिना सभी छात्रों को एक निर्धारित स्तर तक पर्याप्त गुणवत्ता वाली शिक्षा सुलभ करायी जाती है। इसमें शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए एक समान शैक्षिक संरचना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा और अध्ययन के न्यूनतम स्तर शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाज के लाभवंचित वर्गों की शिक्षा के लिए अलग से विशेष प्रावधान भी किए गए हैं।

मुख्यत: शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय उपायों के रूप में अनेक योजनाएं शुरू की गई थी। ये योजनाएं आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, महिला समाख्या, सम्पूर्ण अभियान, सामुदायिक पालिटेक्निक, लोक जुम्बिश, शिक्षा कर्मी परियोजना, शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा इत्यादि हैं। जबकि सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा या तो पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से नि:शुल्क है उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार, ने हाल ही में देश में अध्ययन के लिए स्कूल और उच्चतर शिक्षा हेतु 7.5 लाख रु. की सीमा तक तथा विदेशी संस्थाओं में अध्ययन के लिए 15 लाख रु. के शैक्षिक ऋण की योजना की भी घोषणा की है।

शिक्षा में गुणवत्ता और निष्पक्षता से संबंधित आशंकाओं पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त उपायों के माध्यम से सतत ध्यान दिया जाता है।

आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु धनराशि

5562. श्री रामजी मांझी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान केन्द्र सरकार ने आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु किसी राज्य सरकार को धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत सहायता की योजना के अधीन 1999-2000 के दौरान आवासीय स्कूलों की स्थापना के लिए कोई धनराशि निर्मुक्त नहीं की क्योंकि किसी राज्य ने आवासीय स्कूलों के लिए 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान अग्रिम के रूप में निर्मुक्त धनराशि के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया था।

वृक्षों का पुन:रोपण

5563. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में फ्लाई ओवरों के निर्माण हेतु जगह बनाने के लिए कितने वृक्षों की दूसरी जगह पुन:रोपण किया गया और कितने वृक्ष अभी जीवित बचे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त वृक्षरोपण पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या इस संबंध में वृक्षों के पुन:रोपण का सही तरीका नहीं अपनाया गया;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) यह बताया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली पर्यटन तथा परिवहन निगम लि. द्वारा दिल्ली में फ्लाई ओवरों के निर्माण के लिए 599 पेड़ों को प्रतिरोपित किया गया है जिसमें से 315 पेड़ जीवित बचे हैं।

(ख) प्रतिरोपण पर किया गया कुल खर्च 16,49,085/- रुपए है।

(ग) से (ङ) विशिष्टता प्राप्त एजेंसी की सेवाएं लेकर प्रतिरोपण के लिए सही पद्धति अपनायी गई। अत: इस मामले में किसी जांच-पड़ताल की आवश्यकता नहीं है।

कोयला खानों में लाभ

5564. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्री सी. कुप्पुसामी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 फरवरी, 2001 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' समाचार पत्र में ''फार कोल कंपनीज प्राफिट इज द प्राइम कन्सर्न, नाट सेफ्टी ऑफ माइनर्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस में प्रकाशित तथ्य क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या विभिन्न कोलफिल्डों में उत्पादन बढ़ाने के क्रम में सुरक्षा मानदंडों को नजरअंदाज किया गया;

(ङ) क्या अधिकांश कोयला खान दुर्घटनाओं में मानवीय त्रुटियों को जिम्मेदार पाया गया है; और

(च) यदि हां, तो कोयला खान दुर्घटनाओं से संबंधित प्राप्त रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है और इन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) झरिया कोलफील्ड में जो महाआपदा घटी है, यद्यपि, उसका मुख्य कारण जलाप्लावन है, किंतु जैसा कि कहा गया है, भारी लापरवाही तथा सुरक्षा विनियमनों की अवहेलना को, केवल इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सतका। जैसा कि कहा गया है, कोल इंडिया का मुख्य उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है और यह भी सत्य नहीं है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए सुरक्षा की अनदेखी की गई है। कोयला कंपनियों के द्वारा कानूनों के अनुसार सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जा रहा है जिनको डी.जी.एम.एस. द्वारा मानिटर भी किया जा रहा है। कोल इंडिया ने दुर्घटनाओं को टालने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय किये हैं। जिसके परिणामस्वरूप कोल इंडिया में कोयले के प्रति मिलियन टन उत्पादन पर सांघातिकता दर 1975 के 2.62 से घटकर कलेंडर वर्ष 2000 में 0.36 हो गया है। सांघातिकता दर 1975 के 0.52 प्रति तीन लाख मैनशीफ्ट की तुलना में वर्ष 2000 में घटकर 0.24 हो गई है। इसी तरह, 1975 में मंभीर चोट की दर 17.03 से घटकर वर्ष 2000 में 1.67 हो गई है तथा 1975 की प्रति तीन लाख गंभीर चोट की दर 3.41 से घटकर वर्ष 2000 में 1.13 हो गई है।

(ग) सरकार ने कोयला खानों दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या पर गंभीर दृष्टिकोण अपनाया है। खान सुरक्षा कानूनों की अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन करने के अलावा, सरकार ने दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखने और खनन कार्य को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए निम्न कदम उठाने का सुझाव दिया है।

1. उसी सीम में उससे ऊपर या नीचे के सीमों में जमाव से बने जलाशय से 60 मीटर के भीतर खनन कार्य के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय से अनुमोदन लिया जाए। इस संबंध में डी.जी.एम.एस. द्वारा निर्धारित शर्तों का सख्ती से अनुपालन करना होगा।

2. ऐसी सभी भूमिगत खानों का जांच सर्वेक्षण करना जिनमें अचानक पानी आ जाने के खतरे की आशंका होती है।

3. प्रत्येक क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की एक गठित समिति अन्य क्षेत्रों की खानों का निरीक्षण करने और यह पता लगाने के लिए उसी खदान या उसके आसपास की खदानों या उस इलाके के आसपास की खानों की सतह या भूमिगत जल के प्रवाह के कारण उस खदान क्षेत्र में और अन्य खानों के डूब जाने का कोई खतरा तो नहीं है। वह यह भी पता लगाएगी कि उसी खान के या अन्य खान सील किए गए क्षेत्र से कार्यशील

डिस्ट्रिक्ट में हानिकारक/विषैली गैस के प्रवेश करने तथा फायर डम्प का कोई खतरा तो नहीं है।

4. अनुशासन को कड़ाई से लागू करना।

5. खानों में गुणवत्तापूर्ण निरीक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना।

6. कर्मचारियों, पर्यवेक्षी कर्मचारियों और कार्यपालक अधिकारियों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना।

7. समुचित रूप से सुसज्जित एवं प्रशिक्षित बचाव सेवाओं का अनुरक्षण करना।

(घ) जी, नहीं। उत्पादन को बढ़ाने के लिए सुरक्षा मानदंडों की अनदेखी नहीं की गई है।

(ङ) और (च) अधिकतर कोयला खान दुर्घटनाओं के लिए केवल मानवीय त्रुटियां ही जिम्मेवार नहीं हैं। प्रत्येक और हर एक दुर्घटना की खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा तथा कोल इंडिया और इसकी सहायिकाओं के आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है। दुर्घटना के लिए जिम्मेवार ठहराए गए प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

शहरी विकास कार्यक्रमों के लिए ब्रिटेन द्वारा वित्तीय सहायता

5565. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार द्वारा शहरी विकास कार्यक्रमों हेतु आंध्र प्रदेश के लिए अनुदान जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार उक्त राशि के अन्यत्र उपयोग के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से इसे जारी करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) जी, नहीं। ब्रिटेन सरकार ने शहरी विकास कार्यक्रमों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को कोई अनुदान जारी नहीं किया है। तथापि, आंध्र प्रदेश में ''गरीबों के लिए आंध्र प्रदेश शहरी सेवाएं परियोजना'' नामक एक शहरी विकास परियोजना है जिसमें दिनांक 03.06.1999 को 94.4 मिलियन पौंड (यू.के.) की कुल राशि के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। अब तक कोई राशि जारी नहीं की गई है।

जीनोम हेतु वृहत योजना

5566. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में 20 ग्रुपों में जीनों संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान की बृहत योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना स्वीकृति हेतु योजना आयोग के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो स्वीकृति कब तक मिल जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) जी हां, देश में जीनोमिकी के संबंध में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई विशेषज्ञों के परामर्श से एक बृहत योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले संस्थान ये होंगे:- भारतीय विज्ञान केन्द्र, बंगलौर; राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली; राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पूणे; राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली; अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली; जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; सूक्ष्मजैविक प्रौद्योगिकी संस्थान, चंडीगढ़; केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चंडीगढ़; जैवरसायन प्रौद्योगिकी केन्द्र, दिल्ली; स्नातकोत्तर चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़; संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, लखनऊ; बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी; भारतीय रसायन जीवविज्ञान संस्थान, कोलकाता; कोशिकीय एवं आणिवक जीवविज्ञान केन्द्र हैदराबाद; डी एल ए फिंगरप्रिंटिंग एवं नैदानिक केन्द्र, हैदराबाद; जवाहर लाल नेहरू केन्द्र, बंगलौर; गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर; दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली; मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै; एम.एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा; क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वैल्लोर; प्रतिरक्षारूधिरविज्ञान संस्थान, मुम्बई; भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई; भारतीय सांख्यिकी संस्तान कोलकाता; केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ; मनोविकास केन्द्र, कोलकाता। प्रस्तावित क्षेत्रों में शामिल हैं।

हाइपरटेंशन, कोरोनरी हृदय रोगों, मधुमेह, तंत्रिका संबंधी विकार और संक्रामक रोगों जैसी बीमारियों के नैदानिक स्तर से संबंधित सिंगर न्यूक्लियोटाइड पालीमार्फिज्म अध्ययन; विभिन्न प्रकार के कैंसर से संबंधित आण्विक आनुवंशिक अध्यन; टीके के लिए सटीक कैंडिडेट की पहचान और संक्रामक तथा गैर संक्रामक विकृतियों, थैलेसेमिया में विषमयुग्मज उत्परिवर्तन, एम्बीग्यूअस जेनीटेलिया के निदान के लिए माइक्रोऐरे प्रौद्योगिकी का विकास; स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल जिनोमिक्स; सूक्ष्मजैविक जीमोमिक्स; फार्मेकोजीनोमिक्स डी एन ए बैंकिंग और ई वी रूपान्तरित कोशिका बैंकिंग, नोकआउट/पराजीनी पशुओं का विकास, नाकआउट प्रभेदों/ रोगाणुओं का विकास; आनुवंशिक विकृति परामर्श एकक; जीन चिकित्सा संबंधी अध्ययन।

(ग) और (घ) योजना आयोग के समक्ष कोई भी प्रस्ताव लम्बित नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए डी बी टी के बजट में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। अन्य वैज्ञानिक विभागों/संगठनों ने भी प्रावधान किए हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सभी प्रकार के ब्योरों को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

एड्स विषाणुओं के लिए किट

5567. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री किरीट सोमैया:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने एड्स विषाणुओं और एच.आई.वी. की पहचान हेतु एक स्वदेशी किट विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी भारतीय भेषजीय कंपनियां और संस्थान इस किट का वाणिज्यिक उत्पादन करने जा रहे हैं;

(ग) देश में उपलब्ध स्वदेशी किट और विदेशी किट के मूल्य क्या हैं; और

(घ) स्वदेशी किट बाजार में कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) एड्स विषाणु और एच.आई.वी. के रोगप्रतिकारकों का पता लगाने के लिए कैंसर अनुसंधान संस्थान, मुम्बई के वैज्ञानिकों ने एक किट का विकास किया है। यह एक वेस्टर्न ब्लाट एच.आई.वी. रोगप्रतिकारक के पता लगाने वाली किट है। इस किट का प्रयोग यह पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है कि क्या परीक्षणाधीन रक्त नमूना एच.आई.वी. विषाणु से संक्रमित है।

(ख) से (घ) मैसर्ज जे. मित्रा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली ने किटा का निर्माण करने के लिए इस प्रौद्योगिकी को प्राप्त किया है। स्वदेशी रूप से विकसित किट से प्रति जांच की कीमत लगभग 650/- रुपये होने की संभावना है जबकि आयातित किट के साथ एक जांच की कीमत लगभग 20 से 24 यू.एस. डालर (900 से 1200 रुपये) है। स्वदेशी रूप से विकसित किट का विपणन शीघ्र ही किया जाएगा।

[हिन्दी]

दिल्ली में फ्लाई ओवरों/उपरिपुलों का निर्माण

5568. श्री अशोक पटेल:
श्री रामपाल सिंह:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में धीमी गति से बन रहे फ्लाई ओवरों/ उपरिपुलों के कारण न केवल जनता को काफी परेशानी हो रही है बल्कि इसके परिणामस्वरूप इनकी निर्माण लागत में वृद्धि हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इन फ्लाई आवरों/ उपरिपुलों के निर्माण की गति तेज करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) यह बताया गया है कि फ्लाई ओवरों के निर्माण में विलम्ब विभिन्न एजेंसियों द्वारा सेवाओं के टाल-मटोल के कारण हुआ है। लोगों की कठिनाई को कम करने तथा यातायात के निर्बाध आने-जाने के लिए फ्लाई ओवरों का निर्माण-कार्य शुरू करने से पहले विशाखन (डायवर्जन) सड़कें बना दी गयी हैं। निर्धारित लागत से अधिक खर्च होने की उम्मीद नहीं है।

(ख) और (ग) फ्लाई ओवरों के निर्माण की प्रगति को मॉनीटरिंग तथा समीक्षा दिल्ली के माननीय उप-राज्यपाल द्वारा गठित समिति द्वारा की जाती है। इस तरह गठित समिति की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित रूप से बैठकें होती है।

[अनुवाद]

कीटनाशकों का उपयोग

5569. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य देशों द्वारा प्रतिबन्धित कीटनाशकों का भारत में बहुतायत में उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कीटनाशकों की संख्या कितनी है और प्रतिबंधित उन कीटनाशकों की संख्या कितनी है जिन्हें देश में प्रतिबंधित किया गया है;

(ग) क्या भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान, जापान ने ऐसे कीटनाशकों के उपयोग को ही राजस्थान में आठ हजार से भी अधिक विभिन्न शारीरिक दोषों वाले बच्चों के जन्म का कारण बताया है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या को कम करने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) कुछेक पेस्टिसाइड विश्व के कुछ अन्य देशों में प्रतिबंधित हैं, किन्तु भारत में उनके प्रयोग पर प्रतिबंध नहीं है। विश्वव्यापी स्तर पर अधिकांश देश पेस्टिसाइडों के प्रयोग की अनुमति/प्रतिबंध पेस्टिसाइडों की प्रचलित कृषि जलवायु और पर्यावरणीय दशाओं के आधार पर लगाते हैं। हमारे देश में जिन पेस्टिसाइडों पर प्रतिबंध नहीं है, उनका आयात कीटनाशी अधिनियम, 1968 के उपबंधों की शर्तों पर किया जा सकता है।

(ख) अन्य देशों में प्रतिबंधित किन्तु भारत में प्रयोग में लाए जा रहे पेस्टिसाइडों की सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है। भारत में प्रतिबंधित पेस्सिाइडों की सूची विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) जैसा कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण-I

उन पेस्टिसाइडों जिन पर कुछेक देशों में प्रतिबंध/कड़ाई से रोक लगा दी गई है, किन्तु वे भारत में प्रयोग किए जा रहे हैं, की सूची तथा उनकी पुनरीक्षा की स्थिति

क्र.सं.	पेस्टिसाइड का नाम	पुनरीक्षा कोड/पंजीकरण स्थिति
1	2	3
1.	अल्कलोर	सी
2.	अल्डीकार्ब	ए*
3.	एल्यूमिनियम फास्फाइड	बी
4.	बीनोमाइल	सी
5.	केप्टाफोल	बी*
6.	केपटेन	ए
7.	कार्बाराइल	ए
8.	कार्बोप्यूरॉन	डी**
9.	कार्बोसुल्फान	27.10.97 को हुई आरसी की 172वीं बैठक में पंजीकृत
10.	क्लोरोबेंजीलेट	बी*
11.	डीडीटी	बी

1	2	3
12.	डिकोफोल	ए
13.	डील्ड्रिन	बी*
14.	डीमेथोएट	ए
15.	डियूरोन	सी
16.	ईडीबी (इथाइली डाइब्रोमाइड)	बी*
17.	इंडोसुल्फान	ए
18.	फेनरिमोल	सी
19.	फेनप्रोपार्थरिन	31.7.97 को हुई आरसी की 181वीं बैठक में पंजीकृत
20.	लिन्डेन	बी
21.	लिन्यूरोन	31.7.98 को हुई आरसी की 181वीं बैठक में पंजीकृत
22.	मेलाथियन	डी
23.	मलिक हाइड्राजाइड	डी*
24.	एमईएमसी	डी
25.	मेथोमाइल	सी (मेथोमाइल 24% एल प्रतिबंधित। मेथोमाइल 12.5% एल के लिए 26.3.2002 से प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।)
26.	मेथाइल पेराथियन	बी
27.	मोनोक्रोटोफॉस	सी
28.	आस्कीफ्ल्यूरफेन	सी
29.	पेराक्युएट डाइक्लोराइड	ए
30.	फोरेट	ए
31.	फॉस्फेमिडान	सी (26.3.2002 से प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है)
32.	प्रीटिलेक्लोर	डी
33.	सोडियम सायनाइड	बी
34.	थियोमेटोन	सी
35.	ट्रिआजोफोस	सी
36.	ट्रिआडेमोर्फ	डी

1	2	3
37.	थिराम	डी
38.	ड्रिक्लोरोएसिटिक एसिड	डी*
39.	जिंक फॉसफाइड	ए
40.	जिराम	सी

पुनरीक्षा का स्पष्टीकरण/स्थिति कोड

ए बनर्जी समिति द्वारा पुनरीक्षा की गई थी, प्रयोग की अनुमति दी गई। इसकी और आगे समीक्षा आर.बी. सिंह समिति द्वारा की गई थी।

बी बनर्जी समिति द्वारा पुनरीक्षा की गई थी, प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया। इसकी और आगे समीक्षा आर.बी. सिंह समिति द्वारा की गई थी।

सी रमण समिति द्वारा पुनरीक्षा की गई थी।

डी. आर.बी. सिंह समिति द्वारा पुनरीक्षा की गई थी।

* आर.बी. सिंह समिति ने प्रतिबंध के लिए सिफारिश की।

** कार्बोफ्यूरॉन 50% एस पी सूत्रयोग पर प्रतिबंध के लिए सिफारिश की गई और कार्बोफयूरॉन 3% जी आर सूत्रयोग को चरण बद्ध आधार पर 2005 तक समाप्त करने के लिए सिफारिश की गई थी।

विवरण-II

भारत में प्रतिबंधित पेस्टिसाइडों की सूची

1. एल्ड्रिन
2. बेंजीन हेस्साक्लोराइड (बी एच सी)
3. केल्सियम सायनाइड
4. क्लोरफ्डेन
5. कापर एक्टोरसीनाइट
6. डाइब्रोरनोक्लोरोप्रोपेन
7. एल्ड्रिन
8. इथाइल मरक्यूरीक्लोराइड
9. इथाइल पेराथियन
10. हेप्टाक्लोर
11. मीनाजोन
12. मेथोमाइल 24% (सूत्रयोग)
13. निकोटिन सल्फेट
14. नाइट्रोफेन
15. पेराक्यूएट डाइमेथाइल सल्फेट
16. पेंटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन (पीसीएनबी)
17. पेंटाक्लोरोफीनॉल (पीसीपी)
18. फेनाइल मरक्यूरी एसीटेट (पीएमए)
19. सोडियम मीथेन एरसोनेट (एम एस एम ए)
20. टेट्राडिफो
21. टोक्साफेन
22. फोस्फामिडाइन 85% एस एल* (सूत्रयोग)
23. मेथामाएल 12.5% एल ** (सूत्रयोग)

*भारत में इस पेस्टिसाइड का विनिर्माण केवल निर्यात के लिए किया जाता है।
**23.3.2000 से प्रतिबंधित होगा।

[हिन्दी]

'एरिया इनटेंसिव प्रोग्राम' के अन्तर्गत सहायता

5570. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 'एरिया इनटेनसिव प्रोग्राम' के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को शैक्षिक रूप से

पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों के लिए कितनी धनराशि प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य सहित राज्य सरकारों को कोई भी राज्यवार बजट प्रदान नहीं किया गया है। चालू वर्ष के लिए कुल बजट प्रावधान 20.00 करोड़ रु. का है। निधियां मांग के अनुसार जारी की जाती हैं।

(ख) और (ग) इस वर्ष इस संबंध में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जब कभी भी राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।

''नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड'' में डीजल की चोरी

5571. डा. बलिराम: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान नार्दर्न कोलफील्ड लि., सिंगरोली (मध्य प्रदेश) में भारी मशीनों को चलाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले डीजल की मासिक प्रमात्रा और लागत क्या है;

(ख) क्या सरकार को प्रति माह होने वाली लाखों रु. के डीजल की चोरी की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में जांच कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) नार्दर्न कोलफील्ड लि. (एन सी एल) में पिछले दो वर्षों से हैवी अर्थ मूविंग मशीन को चलाने में प्रतिमाह खपत होने वाली डीजल की मात्रा एवं व्यय निम्न प्रकार से है:-

अवधि	माह के दौरान डीजल की खपत (कि. लिटर में)	माह के दौरान डीजल पर व्यय होने वाली राशि (रु. लाख में)	अवधि	माह के दौरान डीजल की खपत (कि. लीटर में)	माह के दौरान खपत होने की डीजल का मूल्य (लाख रु. में)
अप्रैल,99	5324.650	524.642	अप्रैल, 2000	6642.236	690.121
मई,99	5361.945	542.682	मई, 2000	7345.776	903.188
जून,99	5275.341	626.686	जून, 2000	7232.385	872.538
जुलाई,99	5760.712	584.060	जुलाई, 2000	7219.284	845.163
अग.,99	6313.315	632.155	अगस्त, 2000	7949.397	933.024
सित.,99	5902.841	596.663	सित., 2000	7212.864	869.280
अक्तू.,99	7602.612	940.935	अक्तू., 2000	8154.852	1130.785
नव.,99	7815.484	991.358	नव., 2000	8064.154	1156.820
दिस.,99	8095.126	1042.772	दिस., 2000	8862.489	1258.155
जन.,00	8823.449	1263.653	जन., 2001	8737.336	1234.116
फर.,00	8246.800	1081.021	फर., 2001	8167.514	1178.600
मार्च.,00	8197.805	1115.837	मार्च, 2001	8225.764	1186.496
	82520.080	9842.264	—	93814.051	12258.286

(ख) जी नहीं। यह सत्य नहीं है कि एन.सी.एल. में प्रतिमाह लाखों रु. मूल्य के डीजल की चोरी हो रही है।

(ग) से (च) ऊपर (क) पर दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में हेपेटाइटिस बी का टीका

5572. योगी आदित्यनाथ: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि हेपेटाइटिस-बी एक घातक रोक है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों (आश्रितों) द्वारा उपरोक्त रोग के टीके पर किये जाने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो इस घातक रोग को रोकने के लिए उपरोक्त टीके पर प्रतिबंध कब से लगाया गया और इन प्रतिबन्धों को लगाने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार की चिंता के बावजदू टीका कार्यक्रम न आरंभ करने के लिए कौन-कौन से व्यक्ति जिम्मेदार हैं और सरकार द्वारा इस व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में टीका लगाने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, हां। हैपेटाइटिस-बी एक गम्भीर रोग और गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या है।

(ख) और (ग) हेपेटाइटिस-बी का टीकाकरण सेल कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए लागू नेमी-टीकाकरण में शामिल नहीं है, इसलिए सेल में इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। तथापि, ''उच्च जोखिम वाली बीमारियों'' के रूप में श्रेणीबद्ध मामलों में प्रतिपूर्ति अनुज्ञेय है।

(घ) और (ङ) व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम का निर्णय और कार्यान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार किया जाता है। हेपाटाइटिस-बी. को व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शामिल करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से कोई अनुदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

जनगणना-2001

5573. श्री अमीर आलम:
डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री विजय गोयल:
श्री रामदास रुपला गावीत:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनगणना के अग्रिम आंकड़ों का ब्यौरा जारी कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो भारत की जनगणना, 2001 के परिणामों के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्यवार जनसंख्या वृद्धि दर क्या है;

(ग) वर्ष 1971, 1981, 1991 और 2001 के दौरान जनगणना कार्य को पूरा करने में कुल कितना व्यय हुआ; और

(घ) जनसंख्या, 2001 के दौरान हुए कुल व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विशेषकर वर्ष 1971, 1981, 1991 और 2001 के दौरान जनगणना का कार्य करने के लिए किए गए कुल व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

जनगणना वर्ष	रुपए (करोड़ में)
1971	16.92
1981	46.92
1991	219.02
2001	565.80 (31.3.2001 तक)

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

जनगणना-2001 के दौरान हुए कुल व्यय का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	31.3.2001 तक व्यय की गई राशि/दी गई राशि (हजार रुपए में)
1	2
मुख्यालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)	474110
आन्ध्र प्रदेश	327042
अरुणाचल प्रदेश	11482
असम	138070
बिहार (झारखंड सहित)	486098
गोवा	7720
गुजरात	223311
हरियाणा	94063
हिमाचल प्रदेश	26383
जम्मू और कश्मीर	57097
कर्नाटक	247628
केरल	168635
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	378605
महाराष्ट्र	519917
मणिपुर	12430
मेघालय	10628
मिजोरम	10847
नागालैण्ड	20258
उड़ीसा	169015
पंजाब	100601
राजस्थान	280914
सिक्किम	2939
तमिलनाडु	287101
त्रिपुरा	14664
उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	1127779
पश्चिम बंगाल	392360
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	2058
चण्डीगढ़	4506
दादरा और नागर हवेली	969
दमन और दीव	824
दिल्ली	55460
लक्षद्वीप	358
पाण्डिचेरी	4115
योग	5657987

दूरवर्ती शिक्षा

5574. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों में दूरवर्ती शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों में नामांकन का ब्यौरा क्या है और इससे कितनी धनराशि एकत्र की गयी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन विश्वविद्यालयों द्वारा दूरवर्ती शिक्षा पर खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मजदूर संघों द्वारा कोयला क्षेत्र में निजी भागीदारी का विरोध

5575. श्री सुबोध मोहिते: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला क्षेत्र में सक्रिय मजदूर संघों ने कोयला खनन क्षेत्र में निजी भागीदारी के कारण सरकार को अपना विरोध जताया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी हां। कुछ मजदूर यूनियनें कोयला सहित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने का विरोध कर रही है।

(ख) कोयला खनन में निजी भागीदारी का विरोध करने के उनके कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न आशंकाएं भी शामिल हैं:-

(i) कोयले की मांग प्रक्षेपण यर्थाथपरक नहीं है।

(ii) कोयला कंपनियों के वित्तीय पुनर्गठन से पर्यात लाभ हो सकते हैं।

(iii) इससे श्रमिकों का शोषण होगा।

(iv) अवैज्ञानिक खनन पद्धतियां अपनाई जाएंगी।

(v) कर्मचारियों की नौकरियां सुरक्षित नहीं रहेंगी।

(vi) समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना नहीं रहेंगी।

(ग) और (घ) इस मुद्दे पर मजदूर यूनियनों के साथ मंत्रियों के समूह सहित विभिन्न स्तरों पर चर्चा की गई है। सरकार ने केन्द्रीय मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 में संशोधन संबंधी विधेयक को राज्य सभा में विचारार्थ रखे जाने से पूर्व कोयला उद्योग के पुनर्गठन तथा कोयले की मांग और आपूर्ति के बारे में सभी पहलुओं पर कोयला उद्योग पर संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जे बी सी सी आई) में ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम विधेयक, 2000 जिसमें गृहीत उपभोग के प्रतिबंध के बिना किसी भी भारतीय कंपनी को कोयला खनन की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है, निजीकरण विधेयक नहीं है और यह मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतराल को दूर करने के लिए देश के कोयला उत्पादन में वृद्धि किए जाने हेतु निजी क्षेत्र को कोयला खनन से जोड़ने के लिए प्रस्तुत किया गया है। अतः देश के कोयला उद्योग में राष्ट्रीयकृत कोयला क्षेत्र की प्रबल उपस्थिति बनी रहेगी।

भूकंप राहत और बचाव कार्यों के लिए उपकरणों का निर्माण

5576. **श्री सुरेश रामराव जाधवः**
श्री के.पी. सिंह देवः
श्री तूफानी सरोजः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् राहत कार्य में उपयोग किये जाने वाले उपकरणों का निर्माण करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे उपकरणों के निर्माण में विदेशी सहायता अथवा विदेशी भागीदारी प्राप्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त उपकरणों का कब तक निर्माण कर लिये जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) श्रीमान्, राहत कार्यों के लिए जरूरी भारी अर्थमूविंग उपकरणों, क्रेनों इत्यादि का निर्माण भारत में किया जा रहा। ऐसी नई प्रणालियां, जो विशेषतौर पर मलबे के अन्दर दबे हुए लोगों का पता लगाने में सहायक हो सकती हैं, विकसित करने के लिए भी अनुसन्धान एवं विकास कार्य आरम्भ किए जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) 26 जनवरी, 2001 को भूज में आए भूकम्प के बाद आपदा प्रबन्धन के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन कर दिया गया है। अन्य मुद्दों के अलावा, इस समिति को राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निमाण आदि कार्यों के लिए अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालिक उपाय सुझाने का भी कार्य सौंपा गया है जिसमें विदेश सहायता तथा विदेशी भागीदारी से या इसके बिना ही बचाव तथा सहायता कार्यों से सम्बद्ध उपकरणों का निर्माण करने के लिए कई प्रौद्योगिकियों का विकास करने से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं।

ओमान-भारत उर्वरक परियोजना

5577. **श्री जी.एस. बसवराजः**
श्री इकबाल अहमद सरडगीः
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डीः

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने लंबे समय से बकाया पड़े कतिपय मामलों को निपटाकर 969 मिलियन डॉलर की ओमान-भारत उर्वरक परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो दूर की गयी मुख्य आपत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) भारत सरकार ने 24.1.2001 को ओमान इंडिया फर्टिलाइडजर परियोजना से संबंधित निम्नांकित बकाया मुद्दों को पहले ही अनुमादित कर दिया है;

(i) गैस की आपूर्ति में विफलता की स्थिति में सल्तनत ऑफ ओमान द्वारा क्षतिपूर्ति करना;

(ii) यूरिया आपूर्ति में विफलता की स्थिति में ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कम्पनी द्वारा भारत सरकार को क्षतिपूर्ति करना;

(iii) इंजिनियरिंग अधिप्राप्ति एवं निर्माण ठेके में अद्यतन समझौता किये गये एवं कम किये गये ठेका मूल्य;

(iv) बकाया मुद्दे के रूप में भारतीय प्रायोजकों के लाभांश आय पर कर छूट के मुद्दे पर आगे विचार न करना;

(v) भारतीय प्रायोजकों द्वारा कुल साम्य निवेश इस शर्त के बिना सुनिश्चित करना कि संयंत्र, मशीनरी तथा अन्य आपूर्तियां जैसे पूंजीगत माल तथा सेवाएं में भारत लेनी है तथापि विश्वसनीयता एवं प्रतियोगितात्मकता के शर्ताधीन 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की वस्तुयें एवं सेवाओं की अधप्राप्ति भारत से की जा सकती है; एवं

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा रक्षित विद्युत संयंत्रों का विक्रय

5578. **श्री नरेश पुगलिया:**
श्री अनन्त नायक:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने राउरकेला और दुर्गापुर स्थित अपने रक्षित विद्युत संयंत्रों को बेच दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रक्षित विद्युत संयंत्रों को किन मूल्यों पर बेचा गया है;

(घ) इन रक्षित विद्युत संयंत्रों का खरीददार कौन है;

(ङ) क्या इन रक्षित विद्युत संयंत्रों का उचित मूल्यांकन किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इन संयंत्रों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ज) क्या मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति को सभा पटल पर रखे जाने का प्रस्ताव है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में रैगिंग

5579. **श्री रामदास आठवले:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/अन्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में तथाकथित रैगिंग के कारण विद्यार्थियों की जघन्य हत्याओं और उनके साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली तथाकथित रैगिंग को रोकने के लिए क्या कोई नये और प्रभावी कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम

5580. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के विस्तार और बच्चों के लिए खाद्य पदार्थों को पुष्ट बनाने के संबंध में कौन-कौन सी नयी नीतियां/कार्यक्रम तैयार किये हैं;

(ख) क्या देश में खाद्यान्न और दलहनों की भरमार के कारण आंगनवाड़ी के लिए आबंटन में वृद्धि कर दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आगामी बजट में कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल करने वाले क्रेचों/डे-केयर केन्द्रों के आबंटन में किस सीमा तक वृद्धि की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) सरकार कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति को अन्तिम रूप दे रही है। इसके अन्तर्गत, कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित तीन प्रमुख क्षेत्र होंगे:-

1. कुपोषण को दूर करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान।
2. उच्च कुपोषण वाले जिलों में विशेष प्रत्यक्ष अन्त:क्षेप।
3. विभिन्न राज्यों में पोषाहार प्रबोधन और निगरानी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां। कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृहों/दिवस देखभाल केन्द्रों के लिए आगामी बजट आबंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 3.65 करोड़ रुपये (योजना एवं गैर-योजना) की वृद्धि की गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली किराया अधिनियम

5581. श्री सईदुज्जमा:
डा. (श्रीमती) सुधा यादव:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जनता की मांग पर दिल्ली किराया अधिनियम के कुछ प्रावधानों को बदलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार नये किराया कानूनों को कार्यान्वित करके मकान मालिकों को उनके मकानों के स्वामित्व का अधिकार दिलाकर उन्हें किराएदारों के भय से मुक्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्ति कर दिये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) सरकार ने विस्तृत जांच के बाद दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने का निर्णय लिया था और दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक दिनांक 28.7.1997 को राज्य सभा में पेश किया।

(ग) से (ङ) सरकार मकान मालिकों और किराएदारों, दोनों ही के हितों के प्रति चिंतित है। मामले की विस्तार से जांच के बाद दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997 में यथा उल्लिखित उक्त अधिनियम के कुछ प्रावधानों में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। विधेयक को शहरी और ग्रामीण विकास की संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया। समिति ने विधेयक की जांच की और 21.12.2000 को अपनी सिफारिशें संसद के समक्ष प्रस्तुत की। सरकार ने ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा संशोधन विधेयक को पारित करने और राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति दिए जाने के बाद संशोधित अधिनियम को लागू किया जाएगा।

[अनुवाद]

केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान का बागडीगी कोयला खान दुर्घटना संबंधी अध्ययन

5582. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद ने बागडीगी कोयला खान दुर्घटना के कारणों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार ने देश में कोयला खान मजदूरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, नहीं। केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान (सी एम आर आई), धनबाद ने उपर्युक्त त्रासदी के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) ऊपर (क) पर दिये गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) भारत सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गुरुशरण शर्मा को बागडीगी कोलियरी की दुर्घटना की जांच करने के लिए नियुक्त किया है। प्रो. रवीन्द्र नाथ, खनन इंजिनियरिंग प्रोफेसर, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा श्री कमलेश सहाय, अध्यक्ष, सी.सी.एल. कोलियरी कर्मचारी संघ, बरकाकाना को भी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

(घ) कोल इंडिया लि. द्वारा कोयला खान श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं:-

1. क्षेत्रों के सभी मुख्य महाप्रबंधक/महा प्रबंधकों को लिखित रूप से यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि उसी सीम में पानी भरी हुई खदानों में या उपरिशायी अथवा अद्य:शायी सीमों में 60 मीटर के भीतर केवल डी.जी.एम.एस. के अनुमोदन से ही कोयला निकाला जाए। इस संबंध में डी.जी.एम.एस. द्वारा निर्धारित शर्तों का सख्ती से अनुपालन किया जाए।

2. प्रत्येक क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है जो दूसरे क्षेत्रों की खानों का निरीक्षण करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि उसी खदान या उसके आसपास की खदानों या उस इलाके के आसपास की खानों की सतह या भूमिगत जल के प्रवाह के कारण उस खदान क्षेत्र में और अन्य खानों को आप्लावन का कोई खतरा तो नहीं है। वह यह भी सुनिश्चित करेंगी कि अन्य खदानों में अथवा उसी खदान के या अन्य खदान के सील किए गए क्षेत्र से हानिकारक/ विषैली गैस के प्रवेश करने तथा फायर डैम्प का कोई खतरा तो नहीं है।

3. कोयला खदान विनियमनों के अनुसार पुरानी खदानों, पृथककरणों और आग स्टॉपिंगों का निरीक्षण किया जा रहा है।

4. ऐसी सभी भूमिगत खानों की जांच सर्वेक्षण करना जिनमें अचानक पानी आ जाने के खतरे की आशंका होती है।

5. खानों के गुणवत्तापूर्ण निरीक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

6. खान स्तर पर सुरक्षा समितियों की बैठक को और अधिक कारगर बनाया गया है।

7. कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सुरक्षा सप्ताह, सुरक्षा अभियान आयोजित करने तथा सुरक्षा संबंधी प्रचार और प्रसार का कार्य किया जा रहा है।

8. कर्मचारियों, पर्यवेक्षी कर्मचारियों और कार्यपालक अधिकारियों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

9. हर महीने के अंतिम शुक्रवार को प्रत्येक क्षेत्रीय महाप्रबंधक एक विशेष बैठक करते हैं, जिनमें वे केवल सुरक्षा संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श करते हैं।

10. वर्तमान प्रावधानों सहित सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं की जांच करने के लिए तीसरी बार सुरक्षा आडिट करने और उसके लिए पूर्वोपाय की अनुशंसा करने के लिए बाहर के तीन विशेषज्ञों को नियुक्त किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसे सभी कोलियरियों तथा क्षेत्रों को लागू करने के लिए परिचालित किया गया है।

11. समुचित रूप से सुसज्जित एवं प्रशिक्षित बचाव सेवाओं का अनुरक्षण करना। आपातकालीन योजना बनाना और उनका कृत्रिम अभ्यास करना।

12. हर महीने सभी खानों की ''सबसे पहले सुरक्षा'' संबंधी रिपोर्ट की जांच की जाती है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थी

5583. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) लाभार्थियों का योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1.4.1999 से बंद कर दिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली औषधियां

5584. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न औषधियां, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं;

(ख) यदि हां, तो मार्च 2000 से मार्च 2001 के दौरान ऐसी औषधियों की अलग-अलग संख्या क्या थी;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त अवधि के दौरान औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली औषधियों के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी; और

(ङ) उक्त आदेश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न आने वाली औषधियों के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अंतर्गत इस समय 74 प्रपुंज औषधें तथा उन पर आधारित सूत्रयोग मूल्य नियंत्रणाधीन हैं।

(ग) और (घ) औषधों के मूल्य निर्धारण/संशोधन एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग का एक संबद्ध कार्यालय नामत: राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने मार्च, 2000 से मार्च, 2001 की अवधि के बीच 523 अनुसूचीबद्ध सूत्रयोग पैकों के मूल्य निर्धारित/संशोधित किए हैं। इन 523 पैकों में से 92 पैकों के मूल्य में वृद्धि की गई है और 339 पैकों के मूल्य घटाए गए हैं। 91 पैकों के मूल्य पहली बार निर्धारित किए गए थे जबकि एक पैक के मामले में मौजूदा स्तर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। 92 पैकों में से 89 पैकों के मूल्यों में 25% वृद्धि हुई जबकि शेष 3 पैकों के मूल्यों में वृद्धि 25% से 50% के बीच हुई थी।

(ङ) गैर अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों के मूल्य विनिर्माताओं द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एन पी पी ए ने दिसंबर, 1994 और दिसंबर, 1999 की अवधि के लिए एक करोड़ रुपए और उससे अधिक कीमत वाली ऐसी 958 औषधियों का एक अध्ययन दिसंबर, 1999 में किया है। इन 958 औषधियों में से 846 औषधियों के मूल्यों में वृद्धि की गई है और 110 औषधियों के मूल्य घटाए गए हैं। दो पैकों के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हालांकि 879 औषधियों के संबंध में मूल्य वृद्धि 50% से नीचे थी, किंतु 267 औषधियों के संबंध में मूल्य 50% से भी अधिक बढ़ गए हैं।

नियमित विद्यालयों में नि:शक्त बच्चों का दाखिला

5585. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि जिससे नि:शक्त बच्चों को शीघ्र ही शुरू होने वाली नए शिक्षण सत्र में नियमित विद्यालयों में अधिक से अधिक संख्या में दाखिला मिले; और

(ख) यदि हां, तो इस पर विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हां। हमें बहुत सी राज्य सरकारों से सकारात्मक उत्तर प्रात हुए हैं।

कोयला क्षेत्र के विकास के लिए नीति

5586. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ''इंडियन मिनवेस्ट-2001'' में यथा अंतर्विष्ट ''कोयला क्षेत्र के सतत् विकास के लिए नीतिगत पहल'' विषय पर हाल में प्रस्तुत किए गए पत्र पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का कुछ राज-सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कोयले की ढुलाई-भाड़े को कम करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) यह पेपर देश में कोयला उद्योग की स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है। इसमें पहले से विद्यमान नीतिगत अभिक्रम जैसे, विदेशी

प्रत्यक्ष निवेश तथा गृहीत अंतिम उपयोग के लिए निजी खनन की स्थिति और नए नीतिगत अभिक्रम जैसे निजी क्षेत्र द्वारा गैर-गृहीत कोयला खनन को अनुमति दिए जाने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2000 को लागू किया जाना, नियामक ढांचे का पुन: कल्पन, नॉन-कोकिंग कोयले की कीमतों का निर्धारण जी.सी.वी. आधार पर किया जाना, निजी क्षेत्र को कार्य के अच्छे अवसर प्रदान करना, रेल भाड़े का युक्तिकरण करना तथा कोयला क्षेत्र को प्राप्त प्रोत्साहनों/वित्तीय छूटों का विस्तार आदि का उल्लेख किया गया है। इसमें भारतीय कोयले को अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए संगत अन्य प्रमुख मुद्दों का भी उल्लेख किया गया है।

(ग) इसमें उल्लिखित नई नीतिगत पहल के साथ भारतीय कोयले को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए उठाए गए संगत मुद्दों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

(घ) से (च) घरेलू कोयला उद्योग को ऊंचे रेल भाड़े के बोझ से पर्याप्त राहत देने की आवश्यकता है। सरकार इस मुद्दे को पहले से ही भली प्रकार जानती है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्मिकों और निजी भवन निर्माताओं के बीच मिलीभगत

5587. श्री मणिकराव होडल्या गावित: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान, 1 अप्रैल, 2001 के ''नवभारत टाइम्स'' समाचार पत्र में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसके अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्मिकों द्वारा उप राज्यपाल के आदेशों की अवहेलना की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसमें छपे समाचारों का तथ्य क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उन निजी भवन निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है, जिन्होंने अनियमितताएं बरती हैं; और

(घ) सरकार द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के उन कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिनकी निजी भवन निर्माताओं के साथ सांठगांठ है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स सुनेजा टावर (प्राइवेट) लिमिटेड ने जिला केन्द्र जनकपुरी में क्रमश: 1282.58 वर्ग मीटर और 1336.13 वर्ग मीटर के दो भूखण्ड संख्या 7 एवं 12 खरीदे थे। दोनों भूखण्डों के पट्टा-विलेख 23.12.1991 और 5.3.1992 को निष्पादित किए गए तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्रमश: 7.2.1992 और 26.6.1992 को पूर्णता (कंप्लीशन) प्रमाण पत्र जारी किये जाने के आधार पर मैसर्स सुनेजा टावर (प्राइवेट) लिमिटेड ने उनका कब्जा ले लिया। कार्य स्थल के निरीक्षण से यह पता चला कि मैसर्स सुनेजा टावर (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा कुछ अनधिकृत निर्माण किए गए थे जैसे भूतल पर रैम्प में 7 दुकानों का निर्माण, बेसमेंट सहित सीढ़ियों के पास और लिफ्ट रूम के सामने दुकानों का निर्माण तथा बेसमेंट का उपयोग भण्डारण और सेवा के स्थान पर कार्यालय के रूप में किया जा रहा था। इसके अलावा बरामदे की तरफ दुकानों का निर्माण किया गया और उन्हें अन्य लोगों को बेच दिया गया तथा भूखण्ड संख्या 6-ए की ओर 1.5 मीटर की खुदाई की गई जो डीडीए की इमारत हैं।

भूखण्ड संख्या 12 में, बेसमेंट में पार्टीशन किए गए थे, सीढ़ियों के नीचे, शटर लगाये गये थे, बेसमेंट का उपयोग भण्डारण और सेवाओं के स्थान पर कार्यालय के रूप में किया जा रहा था। दो दुकानों का निर्माण भूतल में रैम्प के ऊपर किया गया था। यह वास्तुकीय नियंत्रण मानदण्डों के विरुद्ध है। पट्टाकर्त्ता की पूर्व अनुमति के बिना फर्शी (फ्लोर) स्थल बेच दिया गया।

दोनों भूखण्डों का 14.7.1996 को ब्याज सहित 1,64,17,446/- रुपये भूमि किराया बकाया था। इस धनराशि के अलावा ब्याज के अतिरिक्त 23,75,000/- रुपये की चालू देयताएं भी बकाया हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (पट्टाकर्त्ता) द्वारा पट्टेदार की त्रुटियों को दूर करने तथा भूमि किराया अदा करने के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किए गए थे लेकिन वे ऐसा करने में असफल रहे। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सभी संबंधितों को भूमि किराये की वसूली के लिए मांग पत्र जारी किए गए हैं। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दोनों ही मामलों में पट्टाकर्त्ता ने भवन उपनियमों, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 और सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई करने के निर्देशों सहित 3.12.1997 को पट्टों के निर्धारण के लिए आदेश पारित किए। तदनुसार कार्रवाई शुरू की गई लेकिन पूर्व पट्टेदार ने पट्टाकर्त्ता द्वारा पारित आदेश तथा साथ ही सार्वजनिक परिसर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचना की। उच्च न्यायालय में दिल्ली विकास प्राधिकरण को सिविल रिट 533/2001 में सिविल रिट संख्या 3694/2000 में दिनांक 10.4.2001 के आदेश के तहत अगली सुनवाई की तारीख तक कोई अंतिम आदेश जारी नहीं करने के

निर्देश जारी किए (अगली सुनवाई की तारीख 12.7.2001 निर्धारित है। जगह खरीदने वालों (स्पेस बायर्स) की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण एक उप पट्टा निष्पादन प्रणाली शुरू करने के प्रस्ताव की जांच कर रहा है, जिस पर जगह खरीदने वालों, विकासकों और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच हस्ताक्षर किया जाएगा ताकि पट्टा शर्तों का अनुपालन हो और जगह खरीदने वाले सीधे दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि किराया अदा करे।

(घ) उपर्युक्त पैराओं में दिए गए उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समिति

5588. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किस तिथि को केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया था;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार और मंत्रालयवार, समिति की कितनी बैठकें आयोजित की गई; और

(ग) भविष्य में इस समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियों के गठन/पुनर्गठन की तिथियों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन समितियों की वर्षवार बैठकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर लिखा गया है।

विवरण

पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समितियां तथा वर्षवार बैठकें

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	गठन/ पुनर्गठन की तिथि	बैठकों की संख्या		
			1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि और सहकारिता तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग	16.03.2001	–	–	
2.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	17.10.2000	–	–	1
3.	नागर विमानन मंत्रालय	18.07.2000	–	–	1
4.	पर्यटन विभाग	05.06.2000	–	–	–
5.	परमाणु ऊर्जा विभाग + अंतरिक्ष विभाग	29.11.2000	–	–	–
6.	कोयला मंत्रालय	21.08.2000	–	1	–
7.	वाणिज्य विभाग	23.04.1999	–	1	1
8.	डाक विभाग	30.10.2000	–	–	–
9.	दूरसंचार विभाग	05.07.2000	–	–	–
10.	रक्षा विभाग + रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग	08.09.2000	–	–	1

1	2	3	4	5	6
11.	रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग	23.10.2000	–	–	–
12.	पार्यवरण और वन मंत्रालय	30.08.2000	–	1	–
13.	विदेश मंत्रालय	–	–	–	–
14.	आर्थिक कार्य विभाग	20.07.2000	–	–	–
15.	राजस्व विभाग + व्यय विभाग	21.05.1999	–	–	1
16.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	16.06.2000	–	–	2
17.	गृह मंत्रालय	08.08.2000	–	–	1
18.	प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग + माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग + महिला एवं बाल विकास विभाग	09.10.2000	–	–	–
19.	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	14.09.2000	–	–	–
20.	संस्कृति विभाग	01.05.2000	–	–	1
21.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	07.09.2000	–	–	1
22.	भारी उद्योग विभाग + लोक उद्यम विभाग	01.07.1999	–	–	1
23.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	29.06.1999	–	–	3
24.	श्रम मंत्रालय	26.03.1999	–	2	2
25.	विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय	11.07.2000	–	–	1
26.	खान मंत्रालय	23.11.2000	–	1	1
27.	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	11.09.2000	–	–	–
28.	संसदीय कार्य मंत्रालय	19.07.1999	–	1	2
29.	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	17.05.2000	–	–	1
30.	योजना मंत्रालय + सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	26.06.2000	–	–	1
31.	विद्युत मंत्रालय	21.12.1998	1	1	2
32.	रेल मंत्रालय	26.10.1998	1	3	4
33.	इस्पात मंत्रालय	07.03.2001	–	1	–

1	2	3	4	5	6
34.	वस्त्र मंत्रालय	14.06.2000	–	–	2
35.	शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय	01.09.2000	–	–	–
36.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	03.07.2000	–	–	1
37.	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	16.06.2000	–	–	1
38.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	04.08.1999	–	–	–
39.	लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	11.10.2000	–	–	–
40.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	31.01.2001	–	–	–
41.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास विभाग	28.7.1997	–	–	1

[अनुवाद]

दवाओं की थोक और खुदरा कीमतों में अंदर

5589. श्री कालवा श्रीनिवासुलु:
श्री गुनीपाटी रामैया:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कतिपय दवाओं की थोक और खुदरा कीमतों में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भेषजीय निर्माण के मूल्य-सूचकांक की वर्ष 2000 के अंत के पहले पांच वर्षों के दौरान स्थिति क्या रही;

(घ) क्या मूल्य-सूचकांक में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) खुदरा विक्रेता को अनुमत्य लाभ का नियंत्रण औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत सिर्फ उन्हीं सूत्रयोगों के लिए किया जाता है जिनका खुदरा मूल्य सरकार की अधिसूचना या आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(ग) से (ङ) 1995-96 तथा 1999-2000 की अवधि के दौरान, थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1993-94=100) के आधार पर यथा आकलित औषधियों तथा दवाइयों के मूल्य में 68.27% वृद्धि हुई है। सामान्यत:, औषधियों के मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण कच्चे माल, परिवहन/भाड़ा शुल्क में वृद्धि विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन, कर तथा शुल्कों में परिवर्तन इत्यादि हैं।

'सेलफोन-गन' की बरामदगी

5590. श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुप्तचर एजेंसियों के अनुसार सेल्युलर फोन के रूप में 'सेलफोन-गन' की एक खेप देश में पहुंचने की खबर है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी गुप्तचर एजेंसी द्वारा उक्त खेप की बरामदगी की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी बरामदगी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) इस संबंध में कोई पक्की रिपोर्टें नहीं हैं।

[हिन्दी]

एलोपैथिक दवाओं के एक समान नाम

5591. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक एलोपैथिक दवाओं के नाम एक समान हैं, जिसके कारण दवा-विक्रेता असावधानीवश मरीजों को कोई दूसरी दवा दे देते हैं जो उनके लिए प्राण घातक सिद्ध हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000 के दौरान और आज तक इस तरह के कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सरकार और ग्राम-पंचायतों के बीच संवाद

5592. श्रीमती हेमा गमांग: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकार और ग्राम-पंचायतों के बीच सीमा संवाद स्थापित करने का है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को समय-समय पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ग्राम विकास योजनाओं के अन्तर्गत क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं से अवगत कराया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उक्त कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में किस माध्यम से अवगत कराती है/कराने का विचार रखती है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रचार साधनों (जिनमें प्रिंट, श्रव्य और श्रव्य-दृश्य साधन शामिल हैं) का उपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में सभी ग्राम पंचायतों को सामग्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा सरपंचों और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़े अन्य संबंधित लोगों को लिखे गए पत्र भेजे जाते हैं। इसके अलावा, जागरूकता सृजित करने के लिए एक चौतरफा कार्यनीति बनाई जा रही है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, (क) जागरूकता (ख)पारदर्शिता,-(ग) जन भागीदारी (घ) सामाजिक लेखा परीक्षा।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार

5593. श्री राजनारायण पासी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक दिल्ली पुलिस बल के कितने पुलिस कर्मियों को भ्रष्टाचार/कदाचार और धोखाधड़ी में लिप्त पाए जाने के आरोप में सतर्कता एजेंसियों/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पकड़ा गया/उन पर छापा मारा गया;

(ख) जिस प्रकार के मामलों में उन्हें संलिप्त पाया गया, उनका वर्ष-वार और आरोप-वार ब्यौरा क्या है तथा वे किस प्रकार के थे;

(ग) कितने छापे मारे गए और कितना काला धन बरामद किया गया;

(घ) इस बारे में ग्रुप-वार और वर्ष-वार क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) उक्त मामलों में से कितने मामलों को न्यायालय में दायर किया गया और उनके क्या परिणाम रहे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) दिल्ली पुलिस के उन पुलिस अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे और जिन पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा वर्ष, 1998 से 2001 तक के दौरान (आज तक) छापे मारे गए/पकड़े गए।

वर्ष	पुलिस अधिकारी		
	भ्रष्टाचार विरोधी शाखा	केन्द्रीय जांच ब्यूरो	कुल
1998	20	8	28
1999	9	12	21
2000	24	10	34
2001 (आज तक)	4	5	9

(ख) से (ङ) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998, 1999 और 2000, 2001 (31.3.2001) के दौरान दिल्ली पुलिस कार्मिकों के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी शाखा द्वारा पता लगाए गए/दर्ज किए गए मामलों के ब्यौरे।

1.	हैड कांस्टेबल गुरुदेव सिंह, 149/एन.डी.	पी.ओ.सी. एक्ट 7, 13 की धारा 2/98 के अतर्गत, पुलिस स्टेशन ए.सी. ब्रांच दिल्ली	घूस मांगने और लेने के लिए	विचारण के लिए लम्बित
2.	कांस्टेबल जसबीर सिंह 904/एन.ढ़ी.	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
3.	कांस्टेबल रतन लाल 1842/एन	पी.ओ.सी. अधिनियम 7, 13 की धारा 4/98 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन ए.सी. ब्रांच दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
4.	हैड कांस्टेबल सज्जन बाल 218/एन.डब्ल्यू	पी.ओ.सी. एक्ट 7, 13 की धारा 5/98 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन ए.सी. ब्रांच दिल्ली	-तदैव-	जांच पड़ताल के लिए लंबित
5.	कांस्टेबल हरदेव सिंह 1537/एन.डबल्यू.	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
6.	उप निरीक्षक प्रताप सिंह, डी-1057	पी.ओ.सी. एक्ट 7, 13 की धारा 7/98 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन ए.सी. ब्रांच दिल्ली	-तदैव-	विचारण के लिए लम्बित
7.	निरीक्षक, कृष्ण कुमार, डी-1/402	पी.ओ.सी. एक्ट 7, 13 की धारा 16/98 और 120-ख आईपीसी के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन ए.सी. ब्रांच दिल्ली	-तदैव-	जांच पड़ताल के लिए लम्बित
8.	सहायक उपनिरीक्षक सत्यनारायण, 3095/डी	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
9.	कांस्टेबल राम सिंह, 1746/एस.डब्लयू.	पी.ओ.सी. एक्ट 7, 13 की धारा 14/98 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन ए.सी. ब्रांच दिल्ली	-तदैव-	विचारण के लिए लम्बित
10.	कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह, 2979/एन.डब्ल्यू.	पी.ओ.सी. एक्ट 13, 1 (सी) की धारा 31/98, ईसीएक्ट 7/10/55, आई पी सी 409/411, पुलिस स्टेशन ए.सी. ब्रांच दिल्ली	-तदैव-	जांच पड़ताल के लंबित
11.	हैड कांस्टेबल रणवीर सिंह, 467/ए,	आई.पी.सी. 384 की धारा 419/98, पी.ओ.सी. एक्ट 7, 8, 13 पुलिस स्टेशन आई.जी.आई. एयरपोर्ट दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
12.	हैड कांस्टेबल श्याम लाल, 23-ए,	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
13.	कांस्टेबल प्रमोद कुमार, 1003/एस.डी.	पी.ओ.सी. अधिनियम 7, 13 की धारा 37/98 के अंतर्गत और आई पी सी 120-बी/34, पुलिस स्टेशन ए.सी. ब्रांच दिल्ली	-तदैव-	विचारण के लिए लम्बित
14.	कांस्टेबल प्रेम चंद 1709/एस.डी.	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
15.	कांस्टेबल तोफिक मोहम्मद, 980/एस.डी.	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
16.	सहायक उप निरीक्षक गजराज सिंह, 688/एस.बी.	पी.ओ.सी. एक्ट 7, 13 की धारा 38/39 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन ए.सी. ब्रांच दिल्ली	-तदैव-	जांच पड़ताल के लिए लम्बित

17.	हैड कांस्टेबल दयानन्द, 102/एन	पी.ओ.सी. एक्ट 7,13 की धारा 43/98 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन ए.सी. ब्रांच दिल्ली	-तदैव-	विचारण के लिए लम्बित
18.	सहायक उप निरीक्षक साहिब सिंह, 2519/डी	पी.ओ.सी. एक्ट 7, 13 की धारा 44/98 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन ए.सी. ब्रांच दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
19.	कांस्टेबल अजित सिंह, 1342/एस.डी.	पी.ओ.सी. एक्ट 7, 13 की धारा 44/98 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन ए.सी. ब्रांच दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
20.	सहायक उप निरीक्षक रणचन्द्र, 276/एस.डब्ल्यू	वी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 की धारा 39/98 के अन्तर्गत पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	विचारण के लिए लम्बित
21.	कांस्टेबल के वानु कुमार 1576/डब्ल्यू	14/99 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 के अंतर्गत पी एस ए सी शाखा दिल्ली	रिश्वत मांगने और लेने के लिए	जांच-पड़ताल के लिए लम्बित
22.	उप निरीक्षक शिव कुमार डी/28	10/99 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता 384 पी एस पालम एयरपोर्ट दिल्ली	रिश्वत मांगने और लेने के लिए	जांच-पड़ताल के लिए लम्बित
23.	डब्ल्यू/उप निरीक्षक शंकुन्तला डी/2716	35/99 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 के अंतर्गत ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	जांच-पड़ताल के लिए लम्बित
24.	कांस्टेबल आत्म राम 1223/एस डब्ल्यू	14/99 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 के अंतर्गत पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
25.	कांस्टेबल सत्येन्द्र कुमार 1057/टी	40/99 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 के अंतर्गत पी एस ए सी शाखा सजी एन सी टी, दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
26.	उप निरीक्षक अरुण कुमार डी/3708	39/99, पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 के अंतर्गत और आई पी सी 120 बी पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
27.	कांस्टेबल राम सुमेर यादव 937/सी	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
28.	उप निरीक्षक जोरावर सिंह डी/2069	46/99 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 के अंतर्गत पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
29.	उप-निरीक्षक सेवक राम डी/1330	44/99 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 3, 17 के अंतर्गत पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
30.	कांस्टेबल अरुण कुमार 1009/एनई	1/2000 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 के अंतर्गत पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
31.	हेड कांस्टेबल खुशी राम 177/एस डी	4/2000 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
32.	कांस्टेबल अंगद पाल 954/एन ई	11/2000 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
33.	कांस्टेबल हरदेव सिंह 981/टी	12/2000 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-

34.	कांस्टेबल सुरेन्द्र सिंह 455/डी आर पी	15/2000 पी.ओ.सी. अधि. की धारा 7, 13 और आई पी सी 120 बी के अंतर्गत पी एस ए सी, शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
35.	हेड कांस्टेबल भूदेव 84/सी	14/2000 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 के अंतर्गत पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
36.	हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह 147/डब्ल्यू	18/2000 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 के अंतर्गत पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
37.	कांस्टेबल विजय सिंह, 2116/एनडब्ल्यू	29/2000 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 के अंतर्गत पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
38.	कांस्टेबल इन्द्रपाल 720/एन डब्ल्यू	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
39.	निरीक्षक राजेश कुमार डी-1/661	28/2000 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 के अंतर्गत पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
40.	हेड कांस्टेबल आसि सुलेमान खान 185/एन डब्ल्यू	27/2000 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 के अंतर्गत पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
41.	निरीक्षक गिरीराज मीणा डी/5-5	62/33/2000 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 के अंतर्गत पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
42.	कांस्टेबल सुनिल कुमार 1789/एन डब्ल्यू	29/2000 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 के अंतर्गत पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
43.	हेड कांस्टेबल नरेन्द्र कुमार 3138/टी	44/2000 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 के अंतर्गत पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
44.	कांस्टेबल प्रहलाद सरन 336/टी	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
45.	उप निरीक्षक महानारायण डी/1677	47/2000 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 के अंतर्गत पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
46.	कांस्टेबल वेद पाल 973/एन डब्ल्यू	49/2000 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 के अंतर्गत पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
47.	उप निरीक्षक मुन्शी राम 652/डी	55/2000 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 के अंतर्गत पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
48.	कांस्टेबल रोहताश सिंह, 1164/एन डब्ल्यू	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
49.	कांस्टेबल गानेद्र 1924/टी	58/2000 पी.ओ.सी. एक्ट की धारा 7, 13 पी एस ए सी ब्रांच दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
50.	डब्ल्यू/निरीक्षक अल्का सिंह डी-1/712	59/2000 पी.ओ.सी. एक्ट की धारा 7, 13 के अंतर्गत पी एस ए सी ब्रांच दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
51.	सहायक उप निरीक्षक (ड्राईवर) करतार सिंह 3491/डी	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-

52.	हैड कांस्टेबल हरि ओम 183/सी	57/2000 पी.ओ.सी. एक्ट की धारा 7, 13 के अंतर्गत पी एस ए सी ब्रांच दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
53.	कांस्टेबल राजकुमार 1665/एस डी	65/2000 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
54.	उप निरीक्षक शिव शंकर	14/2001 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 पी एस ए सी शाखा दिल्ली	घूस मांगने और लेने के लिए	-तदैव-
55.	कांस्टेबल मंजीत सिंह 1167/डब्ल्यू	11/2000 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 और 384/120 बी ,आई पी सी पी एस ए सी दिल्ली शाखा	-तदैव-	-तदैव-
56.	कांस्टेबल विजय नारायण 2127/एन	5/2001 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7, 13 120 बी आई पी सी पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-
57.	कां. तरुण कुमार 709/सी	49/2001 पी.ओ.सी. अधिनियम की धारा 7 और 384 आई पी सी पी एस ए सी शाखा दिल्ली	-तदैव-	-तदैव-

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998, 1999 और 2000, 2001 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों के ब्यौरे

1.	हैड कांस्टेबल रामभोज, नं. 496/डब्ल्यू	आर-सी-डीएआई/1998-ए-0005/डीएलआई, दिनांक 2.2.98	केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने परिवहन प्राधिकरण, जनकपुरी से कुछ एजेन्टों को पकड़ा जिन्होंने हैड कांस्टेबल को एजेन्ट के रूप में बताया	केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हैड कांस्टेबल के विरुद्ध भारी दंड की सिफारिश की। डी सी पी/पश्चिम द्वारा दिनांक 30.4.98 के आदेश के तहत विभागीय जांच की गई थी। विभागीय जांच अभियोजन स्तर पर है।
2.	उप निरीक्षक हरी सिंह, डी-3905	आर सी-डीए-1998-ए-0038, दिनांक 13.7.1998	शिकायतकर्त्ता से घूस की मांग की और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया।	मामला जांच लम्बित है।
3.	श्री एम.एस. मट्टू, सहायक पुलिस आयुक्त	आर सी-डी ए आई-1998-ए-0055, दिनांक 23.8.1998	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्ति रखने के लिए	जांच लंबित
4.	उप निरीक्षक सतीश कुमार नं. डी-895	आरसी-डीएआई-1998-ए-0022, पी ओ सी एक्ट 1988 की धारा 7 पी एस नंद नगरी दिल्ली	अवैध परितोषण के लिए	विचारण के लिए लम्बित
5.	उप निरीक्षक साहिब सिंह, नं. 3060/डी	आरसी-डीएआई-1998-ए-0031/सीबीआई/एसीबी/डीएलआई, पी सी एक्ट, 1988 की धारा 7 एवं 13 (2)	तदैव	तदैव
6.	उप निरीक्षक सुभाष चन्द्र, नं. डी-2807	आरसी-डीएआई-1998-ए-0041/98, पीओ सी एक्ट 1988 की धारा 7 पी एस गोकुल पुरी दिल्ली	तदैव	तदैव
7.	उप निरीक्षक धर्मबीर, नं. डी-3522	आर सी-डीएआई-1998-ए-0035/98, पी ओ सी एक्ट 1988 की धारा 7 पी एस विकास पुरी दिल्ली	तदैव	दिनांक 13.7.98 के आदेश संख्या 10989-11089 की धारा 311 (2) ख के अधीन बर्खास्त
8.	महिला उप निरीक्षक रीता गेरा नं. डी/159	आर सी-डीएआई-1998-ए-0042 पी ओ सी एक्ट 1988 की धारा 7, पी एस ए सी ब्रांच	तदैव	विचारण के लिए लम्बित

9.	श्री प्रेम नाथ सौंकर, सहायक पुलिस आयुक्त	आ.सी.-डीएआई-1999-ए-0006, दिनांक 17.2.1999	ए सी पी के विरुद्ध यह आरोप है कि दिल्ली पुलिस में लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए भ्रष्ट और अवैध तरीकों से भारी परिसम्पत्ति अर्जित की।	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली जांच अभी भी लम्बित है।
10.	श्री बी एस बोला, पुलिस उपायुक्त	आर सी-डीएआई-0014 दिनांक 1/6/1999	उसकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक आस्तियां/संपत्ति रखने के लिए	अधिकारी को दिल्ली पुलिस से पांडिचेरी तबादला कर दिया गया है। जांच के लिए लंबित है।
11.	उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह, सं. डी-811	आर सी-डीएआई-1999-0054, दिनांक 12.11.1999	घूस की मांग की और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया।	मामला जांच-पड़ताल हेतु लम्बित है।
12.	निरीक्षक पृथी सिंह, डी-आई/396	पी सी एक्ट 1988 की धारा 13 (1) (सी) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 409/201 और 13 (2) के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 120-बी के अंतर्गत तारीख 27.1.99 की आरसी-1 (ए)/99-एसआईयू/एक्स आईआई	तदैव	तदैव
13.	सहायक उप निरीक्षक पूरन प्रसाद, सं. 1939/डी	पीओसी एक्ट 1988 की धारा 7 के अंतर्गत आर सी-डीएआई-1999-ए-एसीबी/सीबीआई-0042	तदैव	तदैव
14.	उपनिरीक्षक सुभाष चन्द, सं. 1313-डी	पीओसी एक्ट 1988 की धारा 7 के अंतर्गत आरसी-डीएआई-1999-ए-0045, पीएससीबीई	तदैव	तदैव
15.	सहायक पुलिस आयुक्त, परवीन दत्त	पीओसी एक्ट 1988 की धारा 7 के अंतर्गत, आरसी-डीएआई-1999-ए-0048 पीएसएसी ब्रांच सीबीआई	तदैव	तदैव
16.	डब्ल्यू/निरीक्षक पुंज	तदैव	तदैव	तदैव
17.	डब्ल्यू/उप निरीक्षक मधु संखला	तदैव	तदैव	तदैव
18.	उप निरीक्षक रमेश कुमार संख्या डी-2446	पीओसी एक्ट-1998 की धारा 120-बी और 7 के अंतर्गत आरसी-डीएआई-1999-ए-0052 पी एस सीबीआई	तदैव	तदैव
19.	कांस्टेबल (डी बीआर) हरीदत्त सं. 196 डी आर पी	पी ओ सी एक्ट 1988 की धारा 120-बी और 7 के अंतर्गत, आर सी-डीएआई पी एस सी बी आई	तदैव	तदैव
20.	हैड कांस्टेबल नगेन्द्र नाथ, सं. 160-डीआरपी	तदैव	तदैव	तदैव
21.	उप निरीक्षक हरदीप सिंह सं. डी-3556	आरसी-डीएआई-2000-ए-0051 दिनांक 18.1.2000	शिकायतकर्त्ता से घूस की मांग की और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया।	तदैव
22.	श्री जे के शर्मा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त	तदैव	तदैव	तदैव
23.	श्री आर पी मेहता, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त	आर सी-डीआई-2000-ए-0002 दिनांक 31.1.2000	उसकी ज्ञात आय के स्रोतो से अधिक आस्तियां/संपत्ति रखने के लिए	अधिकारी को गृह मंत्रालय के दिनांक 26.5.2000 के आदेश के तहत निलंबित किया गया है। जांच लम्बित है।
24.	श्री पी पो सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त	आर सी-डीएआई-2000-ए-0006 दिनांक 13.3.2000	तदैव	जांच लंबित है।
25.	उप निरीक्षक सतीश चन्द्र, सं. डी-238	आर सी-डीएआई-2000-ए-0011 दिनांक 5.4.2000	शिकायतकर्त्ता से घूस की मांग की और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया	मामले को जांच पड़ताल लंबित है।
26.	उप निरीक्षक, धर्मपाल ठाकुर, सं. डी-2857	आर सी-डीएआई-2000-ए-0031 दिनांक 4.7.2000	तदैव	तदैव

27.	उप निरीक्षक, भानु प्रताप सिंह, सं. डी-1034	पीसीएक्ट की धारा 7 दिनांक, 3.2.2000 आर सी-डीएआई-2000-ए-0003 पी एस केन्द्रीय जांच ब्यूरो	तदैव	तदैव
28.	उप निरीक्षक, परवीन कुमार सं. डी 3786	पीओसी एक्ट की धारा 7/13 के अंतर्गत आर सी-डीएआई- 2/6/2000 पी एस ए सी ब्रांच दिल्ली	तदैव	तदैव
29.	उप निरीक्षक, प्रीतम सिंह, सं. 2483	पी सी एक्ट दिनांक 3.2.2000, की धारा 7, आर सी.-डीएआई-2000-ए-00033 पी एस केन्द्रीय जांच ब्यूरो	तदैव	तदैव
30.	उप निरीक्षक, धर्मपाल सं. 2857/एस डब्ल्यू	आर सी-31 (ए)/2000, दिल्ली, पी एस केन्द्रीय जांच ब्यूरो, ए सी ब्रांच	तदैव	तदैव
31.	उप निरीक्षक, शांति लाल मीणा (पी एस डाबरी)	आर सी - डीएआई-2001-ए-0010 दिनांक 13.1.2000	अवैध रूप से घूस की मांग की और प्राप्त की तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया।	मामला जांच पड़ताल के लिए लम्बित है
32	उप निरीक्षक, देवेन्द्र राठी सं. डी-876	आर सी-ओए-आई-2001-0030 दिनांक 29.3.2001 ए सी ब्रांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो	तदैव	तदैव
33.	निरीक्षक, आर एस ढिल्लो सं. डी-आई/617	केन्द्रीय जांच ब्यूरो ए सी ब्रांच दिल्ली के पी सी एक्ट के साथ पठित धारा 13/1 (डी) की धारा 7 और 13 के अंतर्गत आर सी-डीएआई-2001-ए-0023 दिनांक 27.2.2001	तदैव	तदैव
34.	उप निरीक्षक, चंदन सिंह राणा डी/1344	पीओ सी एक्ट, 1988 की धारा 7, 13 के अंतर्गत 27/2001 केन्द्रीय जांच ब्यूरो, ए सी ब्रांच दिल्ली	तदैव	तदैव
35.	उप निरीक्षक, बृज मोहन, दिल्ली पुलिस	आर सी-27/2001	तदैव	तदैव

शिक्षा के लिए गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि

5594. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तरोन्नयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि का आबंटन करने हेतु क्या नियम और विनियमन बनाए गए हैं;

(ख) क्या गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि प्रदान करने में धन के दुरूपयोग तथा उसकी संस्वीकृति में विलम्ब के संबंध में कार्मिकों के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में शिक्षा के संवर्धन के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत पात्र गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस संबंध में नियमों तथा विनियमों का उल्लेख प्रत्येक योजना में किया गया है। सामान्यतया किसी संगठन को सहायता हेतु पात्र होने के लिए आवश्यक है कि वह संगठन पंजीकृत हो और सामान्य तौर पर वह तीन वर्ष से अस्तित्व में हो। संगठन लाभ कमाने वाला नहीं होना चाहिए और गैर-साम्प्रदायिक होना चाहिए तथा उसका उपयुक्त संविधान/संगम ज्ञापन व अनुच्छेद होना चाहिए। किसी गैर-सरकारी संगठन को योजना के प्रावधान के अंतर्गत यथा गठित सहायता अनुदान समिति की सिफारिश पर वित्तीय सहायता संस्वीकृत की जाती है।

(ख) और (ग) मंत्रालय के दो अधिकारियों के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिन पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने निधियां संस्वीकृत करने में एक गैर-सरकारी संगठन का पक्ष लिया है। इस शिकायत की जांच की गई थी और उसे निराधार पाया गया है। मामले से संबंधित रिकार्ड को मामला बंद करने की सिफारिश के साथ केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया गया है।

नयी आवासीय परियोजनाएं

5595. श्री किरीट सोमैया: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार 2001-2002 के दौरान विभिन्न राज्यों में कुछ नयी आवास परियोजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर मुम्बई (महाराष्ट्र) के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ ''हडको'' द्वारा राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) शहरी क्षेत्रों में आवास के निर्माण के लिए सीधे केन्द्रीय सहायता देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, हडको, जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की पात्र आवास स्कीमों तथा हडको दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण-सहायता देता है।

वर्ष 2001-2002 के दौरान पूरे देश में विभिन्न आवास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए हडको का 4100 करोड़ रु. का ऋण मंजूर करने का प्रस्ताव है।

फार्मास्युटिकल (भेषज) कंपनियां

5596. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत सरकार के स्वामित्व वाली भेषज कंपनियों का ब्यौरा क्या है और इनमें कंपनी-वार कितना निवेश किया गया है;

(ख) इन कंपनियों द्वारा जो औषधियां तैयार की जा रही हैं उनके नाम क्या-क्या हैं और भेषज-क्षेत्र में इन कंपनियों का क्या योगदान है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों को हुए लाभ/घाटे का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों की कितनी इकाइयों को बंद/पुनरुजीवित किया गया और कितनी इकाइयों को पनरुजीवित करने का मामला बी आई एफ आर के पास भेजा गया;

(ङ) इन कंपनियों के अधिकार वाली भूमि को बेचने से मिली प्राप्तियों से सरकार ने कुल कितनी राशि अर्जित की; और

(च) औषधि-निर्माण के संबंध में इन कंपनियों की वर्तमान स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) आई डी पी एल, एच ए एल, बी सी पी एल, एस एस पी एल और बी आई एल सरकार की स्वामित्व वाली भेषज कंपनियां है और इनमें सरकार की इक्विटी 31.3.2001 को क्रमश) 116.8 करोड़ रुपए, 44.41 करोड़ रुपए, 13.96 करोड़ रुपए, 24.52 करोड़ रुपए 40.67 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, 149.84 करोड़ रुपए, 31.15 करोड़ रुपए और 3.43 करोड़ रुपए क्रमश: आई डी पी एल, बी सी पी एल और एच ए एल में इक्विटी के लिए लंबित हैं। इन कंपनियों की उत्पादन श्रेणी में विभिन्न प्रपुंज औषधें, एंटिबायोटिक, पायरिया रोधी, पीड़ाहारी, क्षयरोधी, मलेरियारोधी, प्रतिश्याय, नेत्र प्रदाह, दमारोधी, प्रत्यम्ल, एंटिसेप्टिक, विटामिन, कोंट्रासेप्टिक निर्मितयां, विभिन्न प्रकार के सेरा एवं वेक्सीन तथा आई बी फ्ल्युड्स शामिल है। आई डी पी एल ने भारतीय औषध उद्योग के आधार की प्रगति में अग्रणी ढांचामूलक भूमिका अदा की है। एच ए एल देश में पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन का विनिर्माण करने वाली प्रथम कंपनी थी। इस कंपनी ने एरिथ्रोपोइटिन के विनिर्माण के लिए अत्याधुनिक सुविधा को भी स्थापना की है।

(ग) इन कंपनियों के 1997-98 से लेकर 1999-2000 तक लाभ (हानि) के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपए में)

कंपनी का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
आई डी पी एल	(167.00)	(194.00)	(214.00)
एच ए एल	(29.00)	(11.58)	(7.47)
बी सी पी एल	(3.37)	(0.65)	(3.87)
एस एस पी एल	(4.78)	(6.00)	(6.68)
बी आई एल	(9.38)	(9.77)	(13.73)

(घ) शून्य।

(ङ) अपनी भूमि की बिक्री से बी सी पी एल द्वारा 18.89 करोड़ रुपए की वसूली की गई थी।

(च) आई डी पी एल ने प्रपुंज औषधों का उत्पादन बंद कर दिया है जबकि एच ए एल विभिन्न प्रकार के पेनिसिलिन का उत्पादन कर रही है। बी सी पी एल विषरोधी सीरम का (प्रपुंज में) उत्पादन करती है और बी आई एल विभिन्न प्रकार के सेरा और वैक्सीन का (प्रपुंज में) उत्पादन करती है, एस एस पी एल किसी प्रपुंज औषध का उत्पादन नहीं करती है।

आयातित यूरिया की कीमत

5597. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरिया की वर्तमान कीमत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मौजूदा आयात पर शुल्क-स्तर के कारण इस समय आयातित यूरिया अधिक सस्ती पड़ रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अप्रैल, 2001 के बाद आयात शुल्क-दर को बढ़ाने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) मार्च, 2001 में घरेलू विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित यूरिया का भारित औसत प्रतिधारण मूल्य (उत्पादन लागत जोड़ कुल मूल्य पर 12% कर पश्चात् लाभ) 8150 रुपये प्रति टन यूरिया था।

(ख) से (घ) विगत कुछ वर्षों में आयातित यूरिया की आपूर्ति लागत स्वदेशी यूरिया की तुलना में सामान्यत: कम रही है। वर्तमान में यूरिया पर टैरिफ दर 5% है। 31.3.2001 को घोषित निर्यात एवं आयात नीति के अंतर्गत, यूरिया के आयात को 1.4.2001 से राज्य व्यापार उद्यम व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। निर्यात आयात नीति में दिए गए कुछ शर्तों के अधीन आयात केवल स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया (एसटीसी), मिनरलस् एण्ड मेटलस् ट्रैडिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एमएमटीसी) एवं इंडियन पोटाश लिमिटेड (आई पी एल) के माध्यम से अनुमत है। तथापि विदेश व्यापार के महानिदेशक किसी अन्य व्यक्ति को यूरिया आयात के लिए लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की सिफारिशें

5598. श्री रामजी मांझी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों द्वारा जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संस्थानों द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टी.आर.आई.) आयोजना, अनुसंधान और जनजातीय विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए स्थापित किए गए हैं। जनजातीय अनुसंधान संस्थान राज्य अधिकारियों और कर्मचारियों को जनजातियों की जीवन शैली के उचित अविभिन्यास तथा सूझ-बूझ से उन्हें सज्जित करने के लिए प्रशिक्षण भी देते हैं। राज्य उनकी सलाह का पूरा उपयोग करते हैं।

उर्वरक का उत्पादन

5599. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के उत्पादन को उसकी पुनराकलित क्षमता के सौ प्रतिशत तक सीमित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन नियमों की वजह से सभी बड़े यूरिया उत्पादकों को घाटा उठाना पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की कटौती की पुनरीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) उक्त पुनरीक्षा के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) यूरिया एक मात्र उर्वरक है जिस पर भारत सरकार का मूल्य और वितरण नियंत्रण है और इसका उत्पादन प्रतिधारण मूल्य सह राजसहायता योजना (आरपीएस) के तहत आता है। देश में जारी मांग-आपूर्ति परिदृश्य को देखते हुए यूरिया के उत्पादन को यूरिया निर्माता एककों के पुनर्कालित क्षमता उपयोग के 100% तक सीमित कर दिया गया है? तथापि, नियंत्रणयुक्त उर्वरकों के उत्पादन पर ऐसी कोई सीमा नहीं लगाई गई।

(ग) से (ङ) आर पी एस के तहत यूरिया एककों के पुरानेपन और फीडस्टाकों पर निर्भर करते हुए 80 से 90% तक उत्पादन के आकलित स्तर पर शुद्ध पूंजी पर कर - पश्चात् 12% लाभ का प्रावदान किया गया है। अत: पुनर्कालित क्षमता उपयोग स्तर के 100% पर उत्पादन को सीमित करने को यूरिया निर्माताओं को हानि का अपने में कारण नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, मिश्रित उर्वरकों के निर्माताओं को बिक्री करने या आर पी एस के तहत राजसहायता की हकदारी के बिना निर्यात करने हेतु 100% पुनर्कालित क्षमता से आगे उत्पादन करने की यूरिया निर्माताओं की अनुमति है। इस निर्णय से देश को यूरिया की आवश्यकता को स्वदेशी रूप से पूरा करने में सहायता मिलती है तथा यूरिया निर्माता बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप अपने उत्पादन को अनुकूल बनाने में समर्थ होते हैं।

तुगलकाबाद किले की भूमि को बेचना

5600. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तुगलाकाबाद किले की भूमि को बेच दिए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस विषय में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए एस आई) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दीवारों, गेटवे, बुर्जों और किले के भीतरी और बाहरी दुर्गों के आंतरिक भवनों और गांव आबादी के अलावा, तुगलाकाबाद किले का कुछ क्षेत्रफल 2661 बीघा है। इसमें से 811 बीघा में अतिक्रमण की सूचना है।

(ग) और (घ) सूचना के आधार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राजस्व/भूमि और भवन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम के अज्ञात सरकारी अधिकारियों और अन्य के खिलाफ सी.बी.आई. द्वारा दिनांक 1.2.2001 को प्रारंभिक जांच (इंक्वारी) संख्या पी ई-1 (ए)/2001-डीएलआई इन आरोपों पर दर्ज की गई उक्त अधिकारियों तथा अन्य गैर सरकारी व्यक्तियों और लोक सेवकों ने अपने सरकारी दायित्वों के निर्वाह में गंभीर प्रशासनिक त्रुटियां की हैं और जानबूझ कर कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया और यही नहीं तुगलाकाबाद फोर्ट की सरकारी भूमि, कुछ अज्ञात गैर सरकारी व्यक्तियों को अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण के लिए गैर कानूनी ढंग से बेचने की अनुमति दी।

(ङ) एएसआई., डीडीए, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के भूमि तथा भवन/राजस्व विभाग को संबंधित नागरिक कानूनों के तहत अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

पुलिस द्वारा हत्या के मामलों को प्राकृतिक मौतों के रूप में दिखाना

5601. श्री शीशराम सिंह रवि:
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 मार्च, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''मार्डर पास्ड ऑफ एज नेचुरल डेथ्स टू चेक क्राइम ग्राफ्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि हत्या के अनेक मामलों में पुलिस ने शव परीक्षा विशेषज्ञों को हत्या मामलों को प्राकृतिक मौतों में बदलने के लिए दबाव डाला था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार हत्या के मामले को प्राकृतिक मौतों के रूप में बदलने के लिए शव-परीक्षा विशेषज्ञों पर दबाव डालने वाले जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को दंडित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली पुलिस ने 21 नवम्बर, 2000 को एक शब कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर से और दूसरा शव 3 मार्च, 2001 को पटपड़गंज क्षेत्र से बरामद किया था, जैसा कि प्रश्नाधीन समाचार में बताया गया है। दोनों मामलों में, बरामदगी के समय शवों की पहचान नहीं की जा सकी। क्योंकि संदेह था कि मृत्यु प्राकृतिक परिस्थितियों में नहीं हुई हो सकती है, अत: स्थानीय पुलिस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अनुसार कार्यवाही शुरू की जैसा कि कानून में प्रावधान है और शवों को शव परूक्षा के लिए शव गृह को भेज दिया। शव परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोनों मामलों को औपचारिक रूप से भा. द.सं. की धारा 302 के तहत दर्ज किया गया। समाचार रिपोर्ट में लगाया गया यह आरोप सही नहीं है कि स्थानीय पुलिस ने इन मौतों को प्राकृतिक मौतों के रूप में बदलने का प्रयास किया।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

निर्माण संबंधी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए विधान

5602. **डा. जसवंतसिंह यादव:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री किरीट सोमैया:
श्री ए. ब्रह्मनैया:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असुरक्षित और अवैध भवनों के खतरों से निपटने के लिए भवन विकासकर्त्ताओं, भवन निर्माताओं और वास्तुविज्ञों के क्रियाकलापों को विनियमित करने हेतु कोई आदर्श कानून अधिनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में प्रारूप विधेयक तैयार करने हेतु कोई समिति गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त विशेषज्ञ समिति कब तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, भवन निर्माताओं और विकासकों के क्रियाकलापों को विनियमित करने तथा नियंत्रित रखने के लिए एक व्यापक कानून तैयार करने की प्रारंभिक अवस्था में है।

भवन निर्माताओं और विकासकों के क्रियाकलापों को विनियमित करने तथा नियंत्रित रखने के लिए एक व्यापक कानून तैयार करने हेतु एक समिति गठित की गई है। इस कानून से दिल्ली और अन्य संघ शासित राज्यों के लिए एक कारगर कानून रखने तथा एक ऐसा आदर्श कानून रखने संबंधी दोहरा प्रयोजन पूरा होगा, जिसे राज्य सरकारों द्वारा उचित संशोधन करके अपनाये जाने की सिफारिश की जा सकती है। समिति की पहली बैठक सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में दिनांक 30 मार्च, 2001 को हुई थी। इसमें एक उप दल गठित करने का निर्णय लिया गया था, जिससे भवन निर्माताओं/विकासकों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण के लिए व्यापक मसौदा कानून तैयार करने का कार्य सौंपा जाएगा। उपर्युक्त कानून पर उप दल की मसौदा रिपोर्ट तैयार की जा रही है और शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में संस्कृत को बढ़ावा

5603. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु निधियों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि की सहायता मांगी गई है; और

(ग) राज्य सरकार को सहायता राशि कब तक प्रदान कर दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2000-2001 के दौरान माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने, संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण करने और राज्य के अपने कार्यक्रम के माध्यम से संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए 161.92 लाख रु. के अनुदान की मांग की है। केन्द्रीय विशेषज्ञ अनुदान सहायता द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई थी जिसने अंतिम रूप से 76.03 लाख रु. के अनुदान की सिफारिश की। यह राशि 26.12.2000 को मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत की गई थी।

[अनुवाद]

गुजरात में कपार्ट द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

5604. **डॉ. बलिराम:**
श्री मानसिंह पटेल:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
प्रो. दुखा भगत:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपार्ट गुजरात में ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है जो वित्तयि सहायता प्राप्त करने की आवश्यक अर्हता को पूरा नहीं करते थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज तक ऐसे संगठनों की संख्या कितनी है जिन्हें राज्य में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या इन एजेंसियों के कार्यकरण की समीक्षा नहीं की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) आज की स्थिति के अनुसार राज्य में काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि नये गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की जा रही सहायता उन गैर-सरकारी संगठनों की अध्यक्षता में संचालित नहीं होती है जिन्हें पहले ही काली सूची में डाला जा चुका है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कपार्ट ने पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक गुजरात राज्य के 60 स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी है। वर्ष वाल ब्योरे निम्नानुसार है:-

वर्ष	स्वैच्छिक संगठनों की सं.
1998-99	14
1999-2000	10
2000-2001	36
2001-आज तक	शून्य
कुल	60

(घ) और (ङ) जी, नहीं। एजेंसियों की कार्य प्रणाली की समीक्षा कपार्ट द्वारा समवीक्षा तथा मूल्यांकन के जरिए तीन स्तरों पर नियमित आधार पर की जाती है अर्थात्

(i) परियोजना व्यवहार्यता तथा स्वैच्छिक संगठनों की क्षमता की जांच हेतु वित्तपोषण पूर्व- मूल्यांकन।

(ii) मध्यावधि मूल्यांकन।

(iii) मूल्यांकन-पश्चात्।

(च) कपार्ट ने अब तक गुजरात राज्य के किसी भी गैर सरकारी संगठन को काली सूची में नहीं डाला है।

(छ) जी, हां। नए गैर सरकारी संगठनों के परियोजना प्रस्तावों के डेस्क मूल्यांकन के दौरान, सावधानी बरती जाती है ताकि यह देखा जा सके कि इनकी अध्यक्षता उनके संगठनों के अध्यक्षों द्वारा न की जाए जिनको पहले से ही काली सूची में डाला गया हो। इस संदर्भ में, स्वैच्छिक संगठन के लिए कपार्ट द्वारा इस उद्देश्य हेतु निर्धारित फॉर्मेट पर इसके संगठनात्मक प्रोफाइल को भरना अनिवार्य है, जिसे प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन द्वारा परियोजना प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाता है।

[हिन्दी]

बिहार के महाविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम

5605. श्री राजो सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए बिहार के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) अब तक वास्तव में कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) शेष धनराशि को कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्ष के दौरान बिहार के विभिन्न कालेजों को आबंटित की गई और दी गई राशि इस प्रकार है:-

(रुपए लाख में)

वर्ष	आबंटित की गई राशि	दी गई राशि
1998-99	148.00	63.00
1999-2000	180.00	117.00
2000-2001	123.00	66.00

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के विश्वविद्यालयों को कोई आबंटन नहीं किया गया है।

(ग) पाठ्यक्रमों को अनुमोदित करते समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनावर्ती अनुदान और आवर्ती अनुदान की पहली किश्त संस्वीकृत की जाती है और दी है। कालेजों/विश्वविद्यालयों को आगामी आवर्ती अनुदान विगत में संस्वीकृत/दिए गए अनुदानों के उपयोग प्रमाण-पत्रों और व्यय विवरणों के प्राप्त होने के बाद दिया जाता है।

[अनुवाद]

वेबसाइट पर प्रश्न पत्रों के उत्तरों का प्रकाशन

5606. श्री नरेश पुगलिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा के दिन ही वेबसाइट पर विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्रों के उत्तरों को प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी औचित्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण

5607. श्री रामदास आठवले: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज तक देश में, विशेषकर जनजातीय और पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जिले-वार और राज्य-वार कितने आवासों का निर्माण किया गया;

(ख) इस समय इन श्रेणियों के अंतर्गत राज्य-वार कितने लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में, विशेषकर जनजातीय और पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को आवासीय सुविधा प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 13.72 मिलियन ग्रामीण आवासों की कमी है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। दिशा - निर्देशों के अनुसार, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण आवास और ग्रामीण आवास के लिए ऋण-सह-सब्सिडी योजना के अंतर्गत कुल आबंटन की कम से कम 60 प्रतिशत राशि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए उपयोग की जानी होती है।

विवरण

ग्रामीण आवासों की कमी के राज्यवार ब्यौरे
(1991 की जनगणना)

क्रम सं.	राज्य	ग्रामीण आवासों की कमी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1118355
2.	अरुणाचल प्रदेश	112170
3.	असम	2243965
4.	बिहार	4095740
5.	गोवा	9910
6.	गुजरात	264805
7.	हरियाणा	29510
8.	हिमाचल प्रदेश	16111
9.	कर्नाटक	426915
10.	केरल	346780
11.	मध्य प्रदेश	289770
12.	महाराष्ट्र	659900
13.	मणिपुर	89198

1	2	3
14.	मेघालय	147918
15.	मिजोरम	36897
16.	नागालैंड	88881
17.	उड़ीसा	684655
18.	पंजाब	44370
19.	राजस्थान	110965
20.	सिक्किम	12446
21.	तमिलनाडु	318095
22.	त्रिपुरा	192133
23.	उत्तर प्रदेश	1251095
24.	प. बंगाल	1084675
25.	अंडमान व निको. द्वीप समूह	17948
26.	चंडीगढ़	454
27.	दादर व नगर हवेली	7857
28.	दमन व दीव	4483
29.	दिल्ली	9125
30.	लक्षद्वीप	165
31.	पांडिचेरी	6227
	कुल	13721538

[अनुवाद]

सामुदायिक पॉलीटेकनिक

5608. श्री विनय कुमार सोराकेः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले कई वर्षों से सामुदायकि पॉलीटेकनिक संस्थानों की योजना चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या दक्षिण कन्नड़ के तटीय क्षेत्रों में ऐसे पॉलीटेकनिक संस्थानों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां। यह योजना 1978-79 से चल रही है।

(ख) इस योजना के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:

(1) रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्यम विकास को बढ़ावा देने के लिए जनशक्ति विकास और प्रशिक्षण;

(2) बेहतर उत्पादकता और पॉलिटेकनिक के आस-पास के समुदाय की जीवन शैली में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का अंतरण;

(3) पालिटेकनिक के आस-पास चुनिंदा गांवों के समेकित विकास को बढ़ावा देना।

(ग) और (घ) सामुदायिक पॉलिटेकनिक का विस्तार सिर्फ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं को ही किया जाता है। चयन के लिए केन्द्र सरकार राज्य तकनीकी शिक्षा निदेशालयों से प्रस्ताव आमंत्रित करती है। इन प्रस्तावों पर विचार करते समय समुदाय पालिटेकनिक से वंचित जिलों, पूर्वोत्तर राज्यों, सीमावर्ती एवं पर्वतीय क्षेत्रों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक बहुल जिलों को प्राथमिकता दी जाती है।

पुराने और खराब इस्पात उत्पादों का आयात

5609. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पाः क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ''एडवांसड लाइसेंस स्कीम'' के अंतर्गत पुराने और खराब इस्पात उत्पादों के आयात हेतु मानदंडों को कड़ा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अंतर्गत निर्माण में प्रयुक्त वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो उन नये मानदंडों का ब्यौरा क्या है जिन पर विचार किया जा रहा है;

(घ) इन मानदंडों के चलते उत्तम श्रेणी के इस्पात के आयात से निर्यात के किस हद तक बढ़ने की संभावना है; और

(ङ) इन मानदंडों को कब तक घोषित किया जाएगा?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत दोयम और दोषपूर्ण इस्पात मदों सहित आदानों का शुल्क मुक्त आयात निर्धारित आदान तथा उत्पादन के मानकों के अनुसार करने की अनुमति है। इन मानकों का निर्धारण विदेश व्यापार महा निदेशक (डी जी एफ टी) के कार्यालय की अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा तकनीकी प्राधिकारियों के परामर्श से किया जाता है। जहां भी दोयम और दोषपूर्ण इस्पात मदों की अनुमति दी गई है, इस्पात मंत्रालय ने विदेश व्यापार महा निदेशालय को इन मानकों की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सूचित किया है कि जहां कहीं कोई परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उसका समुचित औचित्य बताते हुए विशिष्ट प्रस्ताव, यदि कोई हो, अग्रिम लाइसेंसिंग समिति को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

5610. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के विस्तार हेतु बहुपक्षीय एजेन्सियों द्वारा कोई प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) राजस्थान के 9 जिलों और उड़ीसा के 8 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के विस्तार के लिए क्रमश: आई डी ए (विश्व बैंक) से 85 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 390.00 करोड़ रुपए) और अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी.एफ.आई.डी.), यू.के. से 41.21 मिलियन पौंड (लगभग 275.00 करोड़ रुपए) की वित्तीय सहायता के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त करने तथा बाह्य सहायता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं शुरू की जा चुकी हैं।

भोपाल गैस त्रासदी

5611. श्री के.पी. सिंह देव:
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1989 की भोपाल गैस त्रासदी के सभी पीड़ितों को मुआवजा और उचित पुनर्वास प्रदान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) पीड़ितों के पुनर्वास में अब तक कितनी प्रगति हुई है और कितने पीड़ितों और परिवारों का अभी तक पुनर्वास किया जाना शेष है; और

(घ) पुनर्वास कार्य और मुआवजे के भुगतान को शीघ्र कराने हेतु यूनियन कार्बाइड को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (घ) भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों पर कार्रवाई) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत गठित कल्याण आयुक्त का कार्यालय भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा का भुगतान करता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार मुआवजा के लिए 10, 29, 431 दावे दायर किए गए थे, जिसमें से 31.3.2001 तक 10,27,348 मामले निपटाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो मामले दावेदारों के उपस्थित न होने के कारण पहले निरस्त कर दिए गए थे, उन्हें बहाल करने से संबंधित 8,285 आवेदन लंबित हैं।

मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल गैस पीड़ितों के चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावण संबंधी पुनर्वास के लिए कार्य योजना लागू कर रही है जिसमें उनके लिए अस्पताल, मकान का निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पुनर्वास कार्यक्रम से संबंधित सभी योजनाएं पूरी नहीं हुई हैं। चिकित्सा पुनर्वास से संबंधित योजनाओं में अस्पताल उपस्करों की तकनीकी और वित्तीय बिडों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण देरी है।

पूर्वोत्तर परिषद

5612. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर परिषद किस तिथि को अस्तित्व में आई थी;

(ख) परिषद् की शक्तियां और कार्य क्या है;

(ग) क्या यह सुझावात्मक अथवा अनिवार्य निकाय है; और

(घ) इस परिषद् से उस क्षेत्र की जनजातियों के विकास में कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) पूर्वोत्तर परिषद् 1 अगस्त, 1972 को अस्तित्व में आई।

(ख) परिषद् की शक्तियां और कार्य निम्न प्रकार हैं:-

(1) विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों और केन्द्र के समान हितों वाले मामलों पर विचार विमर्श करना और सलाह देना।

(2) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए प्रस्ताव तैयार करना और अग्रेषित करना।

(3) वे तरीके सुझाना जिनके द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए लाभकारी योजनाओं को निष्पादित/कार्यान्वित किया जाए और इनका प्रबन्धन किया जाए।

(4) परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करना तथा कार्यान्वयन के मामले में संबंधित राज्य सरकारों के बीच कारगर समन्वय के लिए उपायों की सिफारिश करना।

(5) प्रगति की पुनरीक्षा करना और किसी भी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना।

(6) परियोजनाओं के संबंध में आवश्यक सर्वेक्षण और जांच पड़ताल करने के लिए संबंधित राज्यों या केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना।

(7) परियोजनाओं की सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए उपायों की पुनरीक्षा करना।

(ग) पूर्वोत्तर परिषद् संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।

(घ) पूर्वोत्तर परिषद मुख्यत: उन आधारभूत स्कीमों, जैसे स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, विद्युत, शिक्षा आदि जो उनके क्षेत्रों में जनजातियों के लिए लाभप्रद हैं, को कार्यान्वित कर रही है।

अनुसंधान और विकास पर सी.एस.आई.आर. के कार्यक्रम

5613. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने अपने अनुसंधान और विकास कार्य को आधुनिक और सुदृढ़ करने हेतु कार्यक्रम तैयार किया है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके लिए अधिक धनराशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सी.एस.आई.आर. द्वारा कितने वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधानों का पेटेंट किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अपने उपकरण और अनुसंधान व विकास सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए एक कार्यक्रम चला रही है। अन्य बातों के साथ-साथ इस कार्यक्रम में पुराने उपकरण और सुविधाओं के आधुनिकीकरण, उन्नयनीकरण और प्रतिस्थापन की परिकल्पना की गई। प्रयोगशालावार आधुनिकीकरण योजनाएं तैयार की गईं तथा सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमोदन प्राप्त किया गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू करने के लिए सीएसआईआर के प्रस्ताव के अनुसार सरकार ने इसे 260 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की।

(घ) पिछले तीन वर्षों 1998-2001 के दौरान सीएसआईआर ने भारत में लगभग 1100 और विदेश में लगभग 770 पेटेंट फाइल किए। पेटेंट आवेदन प्रोसैस होने में भारत में लगभग 6 वर्ष और विदेश में लगभग 2 वर्ष लगते हैं। इस अवधि में सीएसआईआर को भारत में 350 और विदेश में 120 पेटेंट प्रदान किए गए।

छोटे किसानों द्वारा उर्वरकों का प्रयोग

5614. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उर्वरकों का मूल्य अधिक होने के कारण अधिकांश छोटे किसान पर्याप्त उर्वरक का उपयोग करने में सक्षम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार किसानों को कम मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (घ) देश के छोटे कृषकों सहित सभी कृषकों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार यूरिया पर

राज सहायता एवं विनियंत्रित फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों पर रियायत मुहैया कराती है। हालांकि यूरिया की बिक्री सरकार द्वारा सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर (एमआरपी) होती है, तो भी फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों की बिक्री विनिर्दिष्ट अधिकतम खुदरा मूल्य पर होती है। सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) का अधिकतम खुदरा मूल्य संबंधित राज्यों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। सरकार द्वारा अधिसूचित/विनिर्दिष्ट मूल्य उर्वरकों के वास्तविक उत्पादन लागत से काफी कम होते हैं।

[हिन्दी]

तकनीकी शिक्षा

5615. श्रीमती हेमा गमांग: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गांवों में पहले से कार्य कर रहे विद्यालयों में तकनीकी पाठ्यक्रमों को अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस समय ग्रामीण क्षेत्रों के उन विद्यालयों की संख्या कितनी है जहां तकनीकी पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के सभी तबकों के लोगों को तकनीकी शिक्षा प्रदान कराने हेतु कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है।

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी. नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों और गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना 1988 से और 1992-93 से संशोधित रूप में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों सहित जमा दो स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए 6728 स्कूल संस्वीकृत किए गए हैं। अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के सुविधाविहीन वर्गों के स्कूल बीच में छोड़ देने वालों, बेरोजगार युवकों और महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अभी तक 168 गैर-सरकारी संगठनों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

जनजातियों की समस्याएं

5616. श्री अनन्त नायक: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों के वन क्षेत्रों में रह रही जनजातियों की समस्या से अवगत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वनों में जनजातियों के स्वामित्व वाली भूमि का सही ढंग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है और इसकी चकबंदी नहीं की जाती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा जनजातियों को यथेष्ठ सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता

5617. श्री राजनारायण पासी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज तक एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत महिलाओं को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी राज्यवार और गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए निधियां अलग से आबंटित नहीं की जाती है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं के हितों को ध्यान में रखने के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत विशेष प्रावधान हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वसहायता समूहों का कम से कम 50 प्रतिशत तथा स्वरोजगारियों का कम से कम 40 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए।

(ख) मंत्रालय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष सहायता मुहैया नहीं कराता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्रमिक विद्यापीठ

5618. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'श्रमिक विद्यापीठ' स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में नियम और विनियम क्या हैं; और

(ख) इस प्रयोजन हेतु आबंटित की गई राशि का उचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) श्रमिक विद्यापीठ, जिन्हें अब जनशिक्षण संस्थान नाम दिया गया है, सामान्यतया गैर सरकारी संगठनों के तत्वाधान में स्थापित किए जाते हैं। योजना शुरू करने हेतु इस प्रकार के गैर सरकारी संगठनों के लिए पात्रता शर्तों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं: (I) संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत हो तथा उसका संगम ज्ञापन, संविधान और नियमावली एवं विनियम हो (II) वित्तीय दृष्टि से उसकी स्थिति सुदृढ़ हो तथा हर वर्ष उसके लेखाओं की किसी सनदी लेखादार द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की जाती हो (III) प्रौढ़ शिक्षा/सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के संचालन का अनुभव हो (IV) वह इस विषय पर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों एवं विनियमों, शर्तों तथा निबंधनों का पालन करने के लिए सहमत हो।

(ख) जनशिक्षण संस्थानों को पिछले वर्ष के अनुदानों के मामले में सरकार के पास लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा तथा उपयोग प्रमाणपत्र भेजना होता है। जब तक पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं पर आधारित उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हो जाता तथा सरकार द्वारा उनकी संवीक्षा करके स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक जनशिक्षण संस्थानों को वर्तमान देय अनुदान जारी नहीं किया जाता। जनशिक्षण संस्थानों द्वारा निधियों के समुचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:- प्रबंध बोर्ड द्वारा समय-समय पर संस्थान के लेखाओं की संवीक्षा की जाती है। इस बोर्ड में भारत सरकार का एक प्रतिनिधि शामिल होता है। इसके अतिरिक्त जनशिक्षण संस्थान द्वारा सरकार के पास भेजी गई तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से भी संवीक्षा की जाती है।

जमानत संबंधी कानून

5619. श्री शिवाजी माने: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आरोपी द्वारा मुक्ति हेतु जमानत प्रतिभूति प्रस्तुत करने में असफल रहने पर कानून में जमानत देने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परिस्थितियों में जमानत दिए जाने हेतु प्रावधान रखे जाने के लिए संगत कानून में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि विद्यमान जमानती कानूनों की अनम्यता के कारण जेलों में बड़ी संख्या में बंद आरोपियों जिन पर मुकदमें चल रहे हैं, को फौजदारी न्यायालयों में मुकदमों के निपटान में विलंब के कारण जमानत नहीं मिल पाती;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(छ) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश में पुलिस कार्मिकों द्वारा शक्ति का दुरूपयोग करने और अनावश्यक गिरफ्तारियों के संबंध में एक अध्ययन करवाया है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय XXXIII में जमानत प्रदान करने के बारे में विस्तृत प्रावधान है। संहिता की धारा 441 में यह व्यवस्था है कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ेजाने से पहले उसे प्रतिभूतियां प्रस्तुत करनी होती है। तथापि, मौती राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य (ए.आई.आर. 1978, एस.सी. 1594) मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि "सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निर्धनों के अधिकारों के क्षेत्र में उदार व्याख्या की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जमानत में, स्वयं के मुचलके पर प्रतिभूतियों के साथ या बिना प्रतिभूतियों के जमानत पर छोड़ना, दोनों कवर होते हैं। प्रतिभूतियों कब मांगी जाय

और कितनी राशि की मांग की जाय यह अलग-अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यहां तक कि गरीब व्यक्ति, युवा व्यक्ति, अशक्त व्यक्ति और महिलाएं कमजोर वर्ग में है और न्यायालय को अपने संज्ञान के आधार पर उन्हें छोड़ने में उदार होना चाहिए.

(ग) से (च) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 1994 में, अन्य बातों के साथ-साथ, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 476 (1) को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि इसमें एक यह अनिवार्य प्रावधान किया जा सके कि यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत योग्य अपराध का अभियुक्त है और यह निर्धन है और प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं कर सकता है तो न्यायालय को उसे प्रतिभूतियों के बिना मुचलके पर छोड़ देना चाहिए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में यह प्रावधान करने के लिए एक नई धारा जोड़ने का प्रस्ताव है कि जहां विचाराधीन कैदी, उस अपराध के अभियुक्त को छोड़कर जिसके लिए दण्डों के रूप में मृत्यु दण्ड निर्धारित किया गया है, तथाकथित अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि की आधी अवधि तक नजरबंद रहा है तो उसे प्रतिभूतियों सहित या बगैर प्रतिभूतियों को व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव भी है कि एक विचाराधीन कैदी को किसी भी स्थिति में कारावास की उस अधिकतम अवधि से अधिक समय तक नजरबंद नहीं किया जा सकता है जिसके लिए उसे तथाकथित अपराध के लिए सजा दी जा सकती है।

(छ) और (ज) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, बंगलौर स्थित समसामयिक अध्ययन संस्थान ने एक अध्ययन किया है और गिरफ्तारी पर एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने गिरफ्तारी के बारे में दिशा-निर्देश इस अनुरोध के साथ सभी राज्यों को परिचालित किए हैं कि वे इनका अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करवाएं और इन्हें सभी पुलिस स्टेशनों को उपलब्ध करायें।

केन्द्र सरकार की भूमि का अतिक्रमण

5620. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की भूमि का विभिन्न राज्यों में विशेषकर बड़े शहरों में अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार उस भूमि को विद्यालयों, अस्पतालों इत्यादि जैसे जन उद्देश्यों हेतु राज्यों को नि:शुल्क देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्व में उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु आवंटित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, नहीं। स्कूलों/अस्पतालों आदि के लिए राज्य सरकारों को मुफ्त भूमि आबंटित करने का कोई प्रस्ताव अथवा नीति नहीं है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष

5621. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष में अंशदान करने के लिए विभिन्न संस्थानों और व्यक्तियों को क्या प्रोत्साहन दिया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) वर्ष 1999-2000 से अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष के अंतर्गत कितनी राशि आबंटित की गई; और

(च) उक्त अवधि के दौरान इस कोष से कितनी धनराशि संवितरित की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 में संशोधन के जरिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी.जी.ए. और 35 सी.सी.ए. के अंतर्गत दानकर्त्ताओं को धनराशि पर आयकर में शत-प्रतिशत छूट दी गई है। दानकर्त्ता, कोष में दान करते समय अपनी पसंद की ग्रामीण विकास परियोजना, उसके कार्यान्वयन के स्थान और कार्यान्वयन एजेंसी, जिसके जरिए कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है, की सिफारिश कर सकते हैं।

(ख) से (घ) जी हां। सरकार इस योजना को पुन: तैयार करने पर विचार कर रही है ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष एक दान आधारित योजना है। इसलिए सरकार द्वारा इस योजना के लिए निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं।

(च) 1999-2000 से आज तक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वनय एजेंसियों को 33,12,600/- रुपये की राशि दी गई है।

आवासों का आवंटन

5622. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर दिल्ली में आवास आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने कुछ समय पूर्व यह सुझाव दिया था कि सरकार पांच वर्षों या उससे ज्यादा समय से सेवारत और प्रतीक्षारत कर्मचारियों को आबंटित करने हेतु या तो और अधिक आवासीय गृहों का निर्माण करे अथवा उनको किराये पर ले; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) देश में केन्द्र सरकार के कुल 51,547 कर्मचारी रिहायशी वास के आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 23.12.1996 को सी डब्ल्यू पी सं. 585/94 में अपना निर्णय देते हुए निदेश दिया है कि और अधिक रिहायशी इकाइयों के निर्माण की आवश्यकता की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए।

(ग) निर्माण महानिदेशक, के.लो.नि.वि. की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया। समिति ने मई, 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

1999-2000 के दौरान 773 मकानों का निर्माण किया गया और 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 3898 मकानों का निर्माण पूरा होने की संभावना है।

नेफ्था और ईंधन तेल के फीडस्टाक की आपूर्ति

5623. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों से नेफ्था ईंधन तेल और एल एस एच एस के फीडस्टाक की आपूर्ति 4 प्रतिशत बिक्री कर के साथ विद्यमान आयात सममूल्यता मूल्य पर उर्वरक संयंत्र को किए जाने का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त आश्वासन का अनुसरण नहीं किया गया है;

(घ) क्या उर्वरक संयंत्रों के फीडस्टाक के उच्चतर मूल्यों में परिवर्तन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो आयात सममूल्यता मूल्य स्तर पर उर्वरक क्षेत्र को फीडस्टाक की आपूर्ति बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ङ) तेल उद्योग के अनुसार विनियंत्रित उत्पादों जैसे नेफ्था एवं ईंधन तेल के संबंध में उत्पाद उपभोक्ताओं को आयात सम सिद्धांत पर बेची जाती है। उर्वरक उद्योग ने व्यय सुधार आयोग द्वारा तेल कम्पनियों को, जो आयात सम मूल्य पर इसका मूल्य निर्धारण करते हैं, उर्वरक उद्योग द्वारा भुगतान की जाने वाली वास्तविक मूल्य की तुलना में अनुमानित बचत का हिसाब लगाते हुए माने गये नेफ्था एवं ईंधन तेल के मूल्य पर आशंका व्यक्त की है। मुद्दे पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं तेल उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस बात पर सहमत हुई है कि जब कभी अन्तर्राज्यीय आधार पर उर्वरक एककों को नेफ्था की बिक्री करना व्यवहारिक होगा, 1.4.2001 से घरेलू तेलशोधनशालायें यूरिया उत्पादकों को आयात सम मूल्य जमा 4% जो कि केन्द्रीय बिक्री कर की दर है, पर नेफ्था की आपूर्ति करेगी। इस उद्देश्य के लिए उर्वरक एककों को तेल कम्पनियों के साथ वाणिज्यिक समझौता करने की आवश्यकता होगी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 31.3.2001 को जारी अधिसूचना संख्या 2 (आर ई 2001)/1997-2000 के अनुसार पर नेफ्था का आयात स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है एवं उर्वरक निर्माण में प्रयोग के लिए नेफ्था के आयात पर सीमा शुल्क शून्य है।

व्यय विभाग के लागत लेखा शाखा ने प्रचलित आयात सम मूल्य पर यूरिया के उत्पादन के लिए देश में अनेक उर्वरक संयंत्रों को तेल शोधनशालाओं द्वारा घरेलू नेफ्था, ईंधन तेल, एवं एल एस एच एस के आयात सम मूल्य के निर्धारण के लिए एक अध्ययन प्रारम्भ किया है।

[हिन्दी]

राज्यों को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना/सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत धन की दूसरी किस्त जारी किया जाना

5624. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत धन की दूसरी किश्त जारी करने और सूखा प्रभावित राज्यों से सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार विशेषकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के पास मंजूरी हेतु लंबित पड़ी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना से संबंधित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये प्रस्ताव कब से लंबित पड़े हैं और इनको कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2000-2001 के दौरान 549 जिलों में से जवाहर ग्राम समृद्धि रोजगार योजना के अंतर्गत 493 जिलों और सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत 512 जिलों को उनके प्रस्तावों के अनुसार निधियों की दूसरी किस्त रिलीज की गई थी। रिलीज की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। जहां तक सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध है, भारत सरकार ने सुनिश्चित रोजगार योजना के एक भाग के रूप में कार्य के बदले अनाज योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र नामक सात सूखा प्रभावित राज्यों को एक अतिरिक्तता के रूप में खाद्यान्न (गेहूं/चावल) मुफ्त में मुहैया कराए गए हैं। इन राज्यों को रिलीज किए गए खाद्यान्नों के ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) चूंकि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना वर्तमान में जारी कार्यक्रम हैं अत: उन पात्र जिलों को निधियों की दूसरी किस्त पहले ही जारी कर दी गई है। जिन्होंने वित्त वर्ष के दौरान अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं।

विवरण-I

2000-2001 के दौरान जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत निधियों की रिलीज

(लाख रुपए में)

31.3.2001 तक

क्र. सं.	राज्य		केन्द्रीय आवंटन	प्रथम किस्त जिली कां संख्या	राशि	अग्रिम दूसरी किस्तें जिलों की संख्या	राशि	दूसरी किस्त जिलों की संख्या	राशि	कुल (1 + 11) किस्त	अभिनव	ओ बी बी	कुल (1 + 11) अभिनव	प्रशिक्षण	कुल (14 + 15)	अधिक आदिशेष होने के कारण दूसरी किस्त से की गई कटौती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	22	8727.55	22	4363.77	18	3580.75	4	279.71	8224.23	180.00	540.94	8945.17	10.00	8955.17	37.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	456.91	13	228.47	0	0.00	12	139.21	367.68	—	—	367.68	—	367.68	13.36
3.	असम	23	11872.04	0	0.00	0	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	10.00	10.00	0.00
4.	बिहार	55	28590.47	55	14286.62	0	0.00	51	9064.54	23351.16	—	—	23351.16	—	23351.16	3135.50
5.	गोवा	2	128.41	2	64.21	0	0.00	2	64.20	128.41	—	6.00	334.41	1.28	135.69	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	गुजरात	19	3285.21	19	1642.60	14	1001.63	5	628.92	3273.12	—	3000.00	6373.12	10.00	6283.12	12.08
7.	हरियाणा	19	1932.75	19	966.38	0	0.00	19	897.23	1863.21	—	—	1863.21	10.00	1873.61	31.13
8.	हिमाचल प्रदेश	12	813.95	11	355.62	0	0.00	11	305.72	661.34	74.83	—	736.17	8.14	744.31	98.15
9.	जम्मू व कश्मीर	14	1007.38	14	546.20	0	0.00	13	174.05	720.25	—	—	720.25	10.00	730.25	0.00
10.	कर्नाटक	27	6590.54	27	3295.27	0	0.00	25	1870.11	5165.38	—	—	5165.68	—	5165.38	1264.62
11.	केरल	14	2957.15	14	1478.58	0	0.00	13	1246.92	2725.50	—	—	2725.50	10.00	2735.50	16.65
12.	मध्य प्रदेश	45	14491.75	45	7245.88	17	3388.27	28	3545.39	14179.54	49.00	—	14228.51	20.00	14248.54	192.60
13.	महाराष्ट्र	29	13027.87	29	6513.9	0	0.00	4	3160.01	9673.91	—	—	9673.91	10.00	9683.91	1215.12
14.	मणिपुर	8	795.90	7	351.81	0	0.00	4	178.77	530.58	—	—	530.58	7.96	538.54	2.34
15.	मेघालय	7	891.69	7	445.87	0	0.00	6	317.74	763.61	—	—	763.61	—	763.61	62.93
16.	मिजोरम	3	206.33	3	103.17	0	0.00	3	103.16	206.33	—	—	206.33	—	206.33	0.00
17.	नागालैंड	7	611.66	7	305.83	0	0.00	7	148.65	454.48	—	—	454.48	—	454.48	3.26
18.	उड़ीसा	30	9982.52	30	4514.59	15	2641.42	15	1815.66	8971.67	17.40	500.00	9489.07	10.00	9499.07	739.68
19.	पंजाब	17	939.30	17	469.68	0	0.00	17	431.34	901.02	—	300.00	1201.02	9.39	1210.41	38.28
20.	राजस्थान	32	5004.41	32	2502.21	26	2143.53	6	135.71	4781.45	133.43	—	4914.88	10.00	4924.88	280.78
21.	सिक्किम	4	228.45	4	114.23	0	0.00	4	114.22	228.45	—	—	228.45	—	228.45	0.00
22.	तमिलनाडु	28	7717.07	28	3858.54	0	0.00	28	3858.18	7716.72	40.00	500.00	8256.72	10.00	8266.72	0.00
23.	त्रिपुरा	4	1437.02	4	718.51	0	0.00	4	718.51	1437.02	—	—	1437.02	10.00	1447.02	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	83	31464.06	83	15731.69	0	0.00	81	11055.70	26787.39	40.00	—	26827.39	10.00	26837.39	3053.38
25.	पश्चिम बंगाल	18	11093.58	18	5546.80	9	2385.80	7	1536.53	9469.13	—	—	9469.13	10.00	9479.13	1060.05
26.	अंडमान व निको. द्वीप समूह	2	84.64	2	42.32	0	0.00	1	11.72	54.04	—	—	54.04	—	54.04	0.00
27.	दादर व नगर हवेली	1	55.87	1	27.94	0	0.00	1	26.29	54.23	—	—	54.23	0.56	54.79	1.64
28.	दमन व दीव	2	27.08	0	0.00	0	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	0.00	0.00
29.	लक्षद्वीप	1	42.44	0	0.00	0	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	0.42	0.42	0.00
30.	पांडिचेरी	1	66.00	1	43.00	0	0.00	1	23.56	66.56	—	—	66.56	—	66.56	0.00
	कुल	542	164550.00	514	75763.69	99	15141.37	394	41851.75	132756.81	534.66	4846.94	138138.41	177.75	138316.16	11489.42
	वेतन		—		—		—		—	—	—	—	—	—	0.79	—
	घरेलू प्रशिक्षण खर्च	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—
	मशीनरी और उपस्कर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.00	—
	विज्ञापन और प्रचार प्रसार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.00	—
	व्यावसायकि सेवाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.55	—
	कुल जोड़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138488.50	—

विवरण-II

2000-2001 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्रीय निधियों की पहली और दूसरी किस्त के रूप में रिलीज किए गए आवंटन और निधियां

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निधियों का केन्द्रीय आवंटन	निधियों का राज्य आवंटन	कुल आवंटन (कालम 3+5)	राज्य में जिलों की कुल संख्या	रिलीज की गई पहली किस्त	पहली किस्त के लिए कवर किए गए जिलों की सं.	रिलीज की गई दूसरी किस्त	दूसरी किस्त के लिए कवर किए गए जिलों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	6586.59	2195.31	8781.90	22	2634.64	22	2525.70	22
2.	अरुणाचल प्रदेश	406.80	135.59	542.39	13	162.74	13	81.97	11
3.	असम	10546.62	3515.19	14061.81	23	4218.66	23	0.00	23
4.	बिहार	13184.87	4394.52	17579.39	37	5273.93	37	1991.46	37
5.	गोवा	15.81	5.06	20.24	2	6.08	2	6.07	2
6.	गुजरात	2479.32	826.36	3305.68	19	991.73	19	991.73	19
7.	हरियाणा	1458.62	486.16	1944.78	19	583.48	19	540.38	19
8.	हिमाचल प्रदेश	614.28	204.74	819.02	12	245.71	12	96.51	10
9.	जम्मू व कश्मीर	760.26	253.39	1013.65	14	304.10	14	296.37	13
10.	कर्नाटक	4973.80	1657.77	6631.57	27	1989.49	27	2536.00	27
11.	केरल	2231.73	743.84	2975.57	14	892.68	14	868.03	14
12.	मध्य प्रदेश	7217.24	2405.51	9622.75	38	2886.89	38	2834.03	38
13.	महाराष्ट्र	9832.0	3277.01	13109.01	29	3796.42	29	2057.81	23
14.	मणिपुर	707.18	235.70	942.88	9	281.88	9	114.80	7
15.	मेघालय	792.68	264.20	1056.88	7	317.08	7	81.57	3
16.	मिजोरम	183.36	61.11	244.47	3	73.34	3	73.35	3
17.	नागालैंड	543.30	181.08	724.38	8	222.35	8	93.69	4
18.	उड़ीसा	7533.70	2510.98	10044.68	30	3013.49	30	2531.77	28
19.	पंजाब	708.88	236.27	945.15	17	283.54	17	191.00	17
20.	राजस्थान	3776.78	1258.80	5035.58	32	1410.53	32	1262.76	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	सिक्किम	203.84	67.94	271.78	1	81.54	1	81.54	1
22.	तमिलनाडु	5824.00	1941.14	7765.14	28	2329.60	28	2329.59	28
23.	त्रिपुरा	1276.22	425.36	1701.58	4	510.49	4	510.48	4
24.	उत्तर प्रदेश	22258.95	7418.91	296.77.86	70	8941.57	70	5333.84	70
25.	पश्चिम बंगाल	8372.22	2790.46	11162.58	18	3348.89	18	1908.05	15
26.	अंडमान व निको. द्वीप समूह	35.04	0.00	35.04	2	—	—	—	—
27.	दादर व नगर हवेली	35.04	0.00	35.04	1	14.02	1	—	—
28.	दमन व दीव	1.17	0.00	1.17	1	—	—	—	—
29.	लक्षद्वीप	2.34	0.00	2.34	1	—	—	—	—
30.	पांडिचेरी	44.38	0.00	44.38	1	—	—	—	—
31.	उत्तरांचल	1483.15	494.33	1977.48	13	593.26	13	310.87	10
32.	छत्तीसगढ़	3725.40	1241.68	4967.08	16	1490.16	16	1490.15	16
33.	झारखण्ड	8385.06	2794.74	11179.80	18	3239.50	17	1750.62	16
	कुल	126200.00	42023.14	168223.14	549	50138.61	543	32890.12	512

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प.रा.आई. के लिए रिलीज की गई निधियां	रिलीज की गई कुल निधियां (का. 7+9+ 11)	कुल	बचतें	शामिल जिलों की संख्या	रिलीज की गई अतिरिक्त निधियां	कुल जोड़ (कालम 12+15)
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	1317.31	6477.65	108.94	—	—	70.57	6548.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	68.24	312.95	76.60	17.25	2	—	312.95
3.	असम	1054.65	5273.31	—	5273.31	—	—	5273.31
4.	बिहार	2057.38	9322.77	3470.74	—	—	391.38	9714.15
5.	गोवा	3.03	15.18	—	—	—	—	15.18
6.	गुजरात	495.86	2479.32	—	—	—	1300.00	3779.32
7.	हरियाणा	285.54	1409.40	49.23	—	—	—	1409.40
8.	हिमाचल प्रदेश	87.06	429.28	132.91	52.09	2	—	429.28

1	2	11	12	13	14	15	16	17
9.	जम्मू व कश्मीर	150.99	751.46	3.40	5.40	1	—	751.46
10.	कर्नाटक	956.55	5482.04	365.54	—	—	95.06	5577.10
11.	केरल	440.19	2200.90	30.81	—	—	—	2200.90
12.	मध्य प्रदेश	1443.46	7164.38	6.09	—	—	546.77	7711.15
13.	महाराष्ट्र	1431.45	7285.68	1599.21	873.45	6	—	7285.68
14.	मणिपुर	81.90	478.58	127.54	85.04	2	—	478.58
15.	मेघालय	102.23	500.88	10.30	281.50	4	—	500.88
16.	मिजोरम	36.67	183.36	—	—	—	—	183.36
17.	नागालैंड	87.47	403.31	34.08	105.51	4	—	403.31
18.	उड़ीसा	1370.11	6915.37	398.99	205.48	2	3950.86	10866.23
19.	पंजाब	107.74	582.28	143.02	—	—	33.32	615.60
20.	राजस्थान	660.50	3333.79	266.82	—	—	176.17	3509.96
21.	सिक्किम	40.76	203.84	—	—	—	—	203.84
22.	तमिलनाडु	1164.81	5824.00	—	—	—	—	5824.00
23.	त्रिपुरा	255.25	1276.22	—	—	—	—	1276.22
24.	उत्तर प्रदेश	3459.54	17734.95	3795.87	—	—	809.28	18544.23
25.	पश्चिम बंगाल	1374.19	6631.13	1270.10	470.99	3	—	6631.13
26.	अंडमान व निको. द्वीप समूह	—	0.00	—	35.04	2	—	—
27.	दादर व नगर हवेली	3.50	17.52	—	17.52	1	—	17.52
28.	दमन व दीव	—	0.00	—	1.17	1	—	—
29.	लक्षद्वीप	—	0.00	—	2.34	1	—	—
30.	पांडिचेरी	—	0.00	—	44.38	1	—	—
31.	उत्तरांचल	223.73	1127.86	117.85	237.44	3	7.20	1135.06
32.	छत्तीसगढ़	745.09	3725.40	—	—	—	—	3725.40
33.	झारखण्ड	1387.99	6378.11	1475.06	286.43	1	492.49	6870.60
	कुल	20892.19	103920.22	13483.10	7994.74	36	7873.10	111793.92

विवरण-III

2000-2001 के दौरान कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीजों का सारांश

क्र. सं.	राज्य का नाम	पहनाने गए प्रभावित जिलों की संख्या	आवंटित खाद्यान्न (मात्रा मि.ट. में)			रिलीज की गई राशि (रु. लाख में)		
			गेहूं	चावल	कुल	गेहूं	चावल	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गुजरात	15	70000.00	20000.00	90000.00	2905.00	1130.00	4035.00
2.	छत्तीसगढ़	14	0.00	207000.00	207000.00	—	11695.50	11695.50
3.	मध्य प्रदेश	33	43000.00	20078.94	63078.94	1784.50	1134.46	2918.96
4.	हिमाचल प्रदेश	12	—	11549.00	11549.00	—	652.52	652.52
5.	राजस्थान	31	118145.00	0.00	118145.00	4903.02	0.00	4903.02
6.	उड़ीसा	28	20000.00	80000.00	100000.00	830.00	4520.00	5350.00
7.	महाराष्ट्र	23	8000.00	2000.00	10000.00	332.00	113.00	445.00
	कुल	156	259145.00	340627.94	599772.94	10754.52	19245.48	30000.00

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार

5625. श्री राजो सिंह: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और उनका विस्तार किए जाने की कोई समयबद्ध योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्रवार ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) इस्पात क्षेत्र के उदारीकरण के पश्चात् सरकारी और निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र बाजार परिस्थितियों के आधार पर आधुनिकीकरण और विस्तार के संबंध में निर्णय लेते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजघाट का नवीनीकरण

5626. श्री रामदास आठवले: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजघाट के नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण और उसका विकास करने हेतु सुझाव देने के लिए उनके नेतृत्व में ग्यारह सदस्यीय समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके गठन की तिथि क्या है और इसमें कौन-कौन शामिल हैं;

(ग) आज तक समिति की कितनी बैठकों का आयोजन किया गया है; और

(घ) इसमें दिए गए सुझावों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) ''राजघाट समाधि समिति'' राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है जिसका शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री श्री जगमोहन की अध्यक्षता में पुनर्गठन किया गया है।

(ख) समिति का पुनर्गठन 22 सितम्बर, 2000 को किया गया था। समिति का मौजूदा संगठन विवरण में दिया गया है।

(ग) समिति की 6 सितम्बर, 2000 और 6 अक्तूबर, 2000 को दो बैठके हुई हैं।

(घ) समिति ने राष्ट्रपिता की गरिमा के अनुकूल राजघाट समाधि परिसर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने तथा उसे सुंदर बनाने का निर्णय लिया है।

विवरण

पुनर्गठित समिति का संगठन

1.	श्री जगमोहन, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री गुलाम नबी आजाद सांसद (राज्य सभा)	सदस्य
3.	कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी सांसद (लोक सभा)	सदस्य
4.	श्री जी.जे. जाविया सांसद (लोक सभा)	सदस्य
5.	सुश्री निर्मला देशपांडे पूर्व सांसद (राज्य सभा)	सदस्य
6.	श्री राज मोहन गांधी पूर्व सांसद (राज्य सभा)	सदस्य
7.	श्री बी.जी. वर्गिस विख्यात पत्रकार	सदस्य
8.	श्री दीपक नैयर कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय	सदस्य
9.	श्री शांति देसाई दिल्ली के महापौर	सदस्य

सरकारी सदस्य

10.	मुख्य सचिव दिल्ली सरकार	सदस्य
11.	अपर सचिव (शहरी विकास) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय	सदस्य
12.	संयुक्त सचिव संस्कृत विभाग	सदस्य

पुस्तक प्रकाशन उद्योग को सहायता

5627. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अध्ययन प्रवृत्ति को बढ़ावा देने और पुस्तक प्रकाशन उद्योग को सुदृढ़ करने हेतु नई नीति बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन प्रवृत्ति और पुस्तक प्रकाशन को बढ़ावा देने में लगी स्वयंसेवी संगठनों को कितनी सहायता दी जा रही है; और

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं से उत्पन्न चुनौती का नेशनल बुक ट्रस्ट किस सीमा तक सामना करने में सफल रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने और पुस्तक प्रकाशन उद्योग का विकास करने हेतु सरकार ने सचिव, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। व्यापक विचार-विमर्श करने के बाद समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत (एन.बी.टी.) को पुस्तक प्रकाशन के सभी पहलुओं के संबंध में नीति और कार्यक्रमों से संबंधित मसौदा दस्तावेज तैयार करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया है।

(ख) पुस्तक संवर्धन कार्यकलाप कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मंत्रालय एक योजना का संचालन कर रहा है। वर्ष 2001-2002 के लिए इस योजना का परिव्यय 50 लाख रुपए हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भी पुस्तक प्रकाशन कार्यकलाप करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करता है।

(ग) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, पुस्तक उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए उसे इलेक्ट्रानिक प्रकाशन में बदल कर करके और अपनी पुस्तकों को सी.डी. रोम में परिवर्तित करके सूचना प्रौद्योगिकी में हुए विकास का लाभ उठा रहा है। इस न्यास के पास अपने प्रकाशनों के लिए अपना वेबसाइट भी है और पुस्तक खरीद आदेश ई-मेल से स्वीकार किए जाते हैं।

दिल्ली पुलिस अपराध समन्वय ब्यूरो

5628. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने अपराध शाखा के नियंत्रण में अन्तर्राज्यीय अपराध समन्वय ब्यूरो का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ब्यूरो के गठन से दूसरे राज्यों से आने वाले अपराधियों को पकड़ने में किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में एक अन्तर्राज्यीय अपराध समन्वय सचिवालय स्थापित किया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारियों को लेकर एक कोर ग्रुप भी गठित किया गया है जिसकी बैठक, अन्तर्राज्यीय अपराध और अपराधियों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करने और उन्हें पकड़ने के लिए सदस्य राज्यों से सहायता लेने के लिए महीने में एक बार आयोजित की जाती है।

(ग) सदस्य राज्यों के पुलिसबलों के बीच समन्वय और सहयोग से अन्तर्राज्यीय अपराधियों पर बेहतर ढंग से निगरानी रखने, अन्तर्राज्यीय प्रशासन वाले मामलों की तेजी से जांच-पड़ताल करने और अभियुक्त व्यक्तियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन वाले मामलों को हल करने में सहायता मिलेगी।

निजी संस्थानों द्वारा दिये जा रहे भ्रामक विज्ञापन

5629. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि निजी संस्थाएं अवैध विज्ञापनों के माध्यम से विद्यार्थियों को धोखा दे रही हैं और उन्हें गुमराह कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निजी संस्थानों द्वारा दिये जा रहे भ्रामक और अवैध विज्ञापनों पर रोक लगाने हेतु कोई रणनीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को किसी गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के बारे में जैसे ही सूचित किया जाता है तो इस प्रकार के गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय को चलाने वालो/ पदाधिकारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के संगत उपबंधों के बारे में जानकारी देकर उन्हें सलाह दी जाती है कि वे 'यूनीवर्सिटी शब्द का प्रयोग करना तथा डिग्री/डिप्लोमा देना छोड़ दें। संबंधित राज्य सरकारों से भी इस प्रकार के गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अस्तित्व/कार्यकरण के सम्बन्ध में जांच करने का अनुरोध किया जाता है। इसी प्रकार तकनीकी संस्थानों के मामले में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् गैर-मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों को इस परामर्श के साथ नोटिस देता है कि या तो वे औपचारिक रूप से मान्यता ले लें अथवा कार्य करना बंद कर दें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् दोनों ने इस प्रकार के उल्लंघन की घटनाओं को रोकने हेतु प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं ताकि ऐसे गलत कार्यों पर रोक लगाई जा सके। आम लोगों को गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/ तकनीकी संस्थानों का शिकार होने से बचाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् सभी प्रमुख समाचार पत्रों में समय-समय पर नोटिस प्रकाशित करता है जिसमें सभी सम्बंधित व्यक्तियों को यह चेतावनी दी जाती है कि वे विश्वविद्यालयों/तकनीकी संस्थानों की मान्यता के बारे में पता कर लें।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के बागवानी विभाग में भ्रष्टाचार

5630. श्री रामजी मांझी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवम्बर, 2000 के ''दैनिक जागरण'' में प्रकाशित दिल्ली विकास प्राधिकरण के बागवानी विभाग में भ्रष्टाचार से संबंधित समाचार की तरफ आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें उल्लिखित मामलों का तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के बागवानी विभाग की लेखा परीक्षा कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 16000 एकड़ भूमि का हरित क्षेत्र के रूप में तथाकथित विकास किये जाने का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने पौधे लगाए गए और इनमें से कितने अभी भी सुरक्षित हैं; और

(च) उक्त अवधि के दौरान विकसित किए गए उद्यानों का स्थानवार ब्यौरा क्या है और उनके लिए पौधों की खरीद पर कितना धन खर्च किया गया?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अब तक किसी विशिष्ट मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है/ध्यान में नहीं आया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) एवं (ख) के उत्तर के आलोक में किसी विशेष लेखा परीक्षा की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली में शहरी विस्तार क्षेत्र को छोड़कर डीडीए के पास मनोरंजनात्कम भू-उपयोग के तहत पार्कों के विकास हेतु कुल 5902.00 हेक्टेयर (14584 एकड़) क्षेत्र नियत किया गया है।

गत तीन वर्षों (1997-98 से 1999-2000) के दौरान 14.68 लाख पौधे (सैप्लिंग) लगाए गए हैं। इनके बचे रहने की दर 60 से 65% है।

(च) उपर्युक्त अवधि के दौरान विकसित पार्कों और उन पर तथा पौधे खरीदने पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान विकसित पार्कों का स्थान	पार्कों के विकास पर खर्च की गई धनराशि	पौधों की खरीद पर खर्च
सरिता विहार, तहखण्ड-1, आनंद माई आश्रम, इन्स्टीट्यूशनल एरिया तुगलकाबाद, मिलेनियम पार्क, सराय काले खां, जी-8, हरिनगर, जी-17, पश्चिम विहार, वसन्त कुंज सैक्टर-ए.बी.सी.डी. निजामुद्दीन, शेख सराय, फेज-1 छोटे खां बड़े खां बापू पार्क कोटला मुबारकपुर सत्य पार्क, द्वारका फेज-1 एवं 2, रोहिणी सैक्टर 1 से 25, संजय लेक, त्रिलोकपुरी, मण्डावली, सीएचवीएस जोन, 12-13, पटपगड़गंज, कोण्डली घरोली, चिला दल्लूपुरा, वाई आर एफ फेज-2, सुरबाचिंग घाट, यमुना खेलकूद परिसर, एस एल एफ गोपालपुर कान्ती नगर धीरपुर परमेश्वरी वाला बाग, हडसन लाइन, जोन 8, 9, 10, 12 गोकुलपुर गांव, पीतमपुरा, शालीमार बाग और नरेला।	1000.79 लाख रुपये	48.97 लाख रुपये

औषधि आयातकों को नोटिस

5631. डा. बलिराम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कि सीमा शुल्क से छूट का लक्ष्य उपभोक्ताओं तक पहुंच सके एन पी पी ए को सभी औषधि निर्यातकों द्वारा उनके मूल्यों के समर्थन में आंकड़े प्रस्तुत करने हेतु नोटिस भेजने का निर्देश दिया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कंपनियों को नोटिस भेजा गया है;

(ग) उक्त कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने आयातित फार्मूलों सहित नोटिस का उत्तर दिया है;

(घ) क्या उन्होंने सीमा शुल्क से मिलने वाली छूट का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने हाल में एन पी पी ए को कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (छ) एन पी पी ए का निर्देश यह जांच करने के उद्देश्य से था कि क्या अधिसूचना सं. 16/2000 दिनांक 1.3.2000 की सूची-2 के अनुसार औषधों और दवाइयों के आयात पर सीमा-शुल्क छूट का लाभ वास्तव में उपभोक्ता को दिया जा रहा है। तदंतर एन पी पी ए को फिलहाल कार्रवाई नहीं करने की सलाह दी गई थी क्योंकि इस मामले की सरकार द्वारा जांच की जा रही थी तदनुसार एन पी पी ए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यकरण

5632. डा. (श्रीमती) सुधा यादव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यकरण विवादास्पद बन गया है और दसवीं तथा बारहवीं की परीक्षा के आयोजन में अनियमिततायें पायी गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और छात्रों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं। ऐसी कोई अनियमितता सरकार ने ध्यान में नहीं लाई गई है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाए कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य विवादास्पद हो गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली पुलिस के कार्यकरण में पारदर्शिता

5633. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने मामलों की जांच करते समय सभी कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों के गिरफ्तार करने संबंधी स्वंविवेकी अधिकारों से उन्हें वंचित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली पुलिस के कार्यकरण में और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली पुलिस के पास न्यायालयों में चालान भरने से संबंधित कितने मामले लम्बित हैं और इनमें से कितने मामले तीन वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) दिल्ली पुलिस के कार्य में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए उठाए गए कदमों में, जांच-पड़ताल का निकट से प्रबोधन करना, पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करना, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुलिस स्टेशनों का आकस्मिक दौरा करना, मामलों के बेरोक-टोक पंजीकरण सत्यापित करने के लिए पुलिस स्टेशनों में फर्जी शिकायतकर्त्ता भेजना, जनता को सुप्रचारित टेलीफोन नंबरों, ई-मेल पते और पोस्ट बाक्स नम्बरों के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करना, पुलिस कर्मियों के लिए पारदर्शी पुलिस कार्यकरण पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करना और अवैध कार्यों में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध उदाहरणात्मक सजा देना शामिल है।

(घ) दिल्ली पुलिस द्वारा कुल मिलाकर 3690 मामलों में जांच-पड़ताल पूरी कर ली गई है परन्तु न्यायालय में चालान नहीं भेजे गए हैं, इनमें से 34 मामले तीन साल से अधिक पुराने हैं।

खाद्य पदार्थों से निर्मित हैजे का टीका

5634. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी प्रयोगशालाओं ने ट्रांजेनिक टमाटर के प्रयोग से "हैजे का खाद्य पदार्थों से निर्मित टीके" को तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त टीका पर्याप्त परीक्षण के बिना बाजार में आ गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और टीके की लागत कितनी है;

(ङ) क्या इस खोज का व्यवसायीकरण करने के लिए कोई प्रयास किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्यमंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) अभी तक कोई भी खाद्य कॉलरा टीके का उत्पादन नहीं किया गया है। तथापि, जैवरासायनिक प्रौद्योगिकी केन्द्र, दिल्ली;

सूक्ष्मजैविक प्रौद्योगिकी संस्थान, चंडीगढ़ और राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से दिल्ली विश्वविद्यालय (साऊथ कैम्पस) में एक अनुसंधान परियोजना कार्यान्वयनाधीन है। इस ग्रुप ने कई टमाटर पादपों में कॉलरा टाक्सिन जीन के गैर-रोगकारक तथा प्रतिरक्षाजनीय सबयूनिट को निष्पीड़ित किया है। प्रतिरक्षाजनीयता संबंधी अध्ययन सफलतापूर्वक चलाए गए हैं। टमाटर के रूपांतरण का मानकीकरण किया गया है और कर्त्तोतकों का पुनरुत्पादन किया गया है। आंत्रेतर और ओरल प्रतिरक्षण संबंधी कई प्रयोग प्रगति पर हैं। आंत्रेतर और ओरल रूट के जरिए समग्र प्रोटीन के नियमन को कॉलरा टाक्सिन-बी सब यूनिट के प्रति विशिष्ट चूहों में प्रतिरक्षी को उत्प्रेरित करते पाये गये।

(ग) से (च) किसी भी टीके को बिना उचित परीक्षण और अनुमोदन के बाजार में नहीं लाया जाता है। चूंकि प्रयोगात्मक कार्य अभी भी चल रहे हैं इसलिए अंतिम उत्पाद लागत और समय सारणी को अंमित रूप नहीं दिया गया है।

समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत पोलियो का उन्मूलन

5635. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत बच्चों को डी.पी.टी. और पोलियो की पूरी खुराक नहीं दी गई;

(ख) क्या आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकरण के आधार पर मेडिसिन किटें नहीं खरीदी गई और इन किटों में घटिया चिकित्सा सामग्री थी;

(ग) क्या इन किटों को संबंधित सी.डी.पो.ओ. से लिए जाने के प्रमाण के बिना ही भुगतान कर दिया गया;

(घ) यदि हां, तो राज्यों को इस संबंध में कितना अनुमानित घाटा हुआ;

(ङ) क्या इस मामले की कोई जांच करवाई गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारम हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

[हिन्दी]

कोयला भण्डार

5636. श्री रामदास आठवले: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में राज्यवार विभिन्न श्रेणियों का कुल कितना कोयला भण्डार है; और

(ख) नए कोयला भण्डारों का पता लगाने के चालू खोज कार्य का ब्यौरा क्या है और अब तक इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) देश में 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार कोयला का कुल भंडार, जैसाकि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) ने अनुमान लगाया है, 213905.51 मिलियन टन है। श्रेणी-वार, अंचल-वार तथा राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) नए कोयला भंडारों की पहचान क्षेत्रीय एवं संवर्द्धनात्मक अन्वेषण के माध्यम से किया जाता है। क्षेत्रीय अन्वेषण जी.एस.आई. द्वारा खान मंत्रालय द्वारा दी गई धनराशि से किया जाता है। संवर्धात्मक अन्वेषण का कार्य कोयला मंत्रालय के द्वारा की गई धनराशि से तीन एजेंसियों नामत: जी.एस.आई., एम.ई.सी.एल. तथा सी.एम.पी.डी.आई.एल. के द्वारा किया जाता है।

गत चार वर्षों के दौरान एजेंसी-वार संवर्धनात्मक अन्वेषण का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(आंकड़े मीटर में)

एजेंसी	1997-98 उपलब्धि	1998-99 उपलब्धि	1999-2000 उपलब्धि	2000-2001 संभावित
एम.ई.सी.एल.	44154	79576	103270	16000
जी.एस.आई.	16404	13937	14547	12600
सीएमपीडीआईएल	-	-	7487	13000

कोयला मंत्रालय द्वारा गत चार वर्षों के दौरान संवर्धनात्मक अन्वेषण के लिए निर्मुक्त की गई निधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	उपयोग की गई राशि
1997-98	20.95
1998-99	24.58
1999-2000	32.56
2000-2001	30.37

विवरण

1.1.2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय कोयला भंडार
(जैसा कि जी एस आई द्वारा अनुमान लगाया गया)

टाइप-वार भंडार:-

(भंडार मिलियन टन में)

कोयला का प्रकार	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	जोड़
(क) कोकिंग:-				
प्राइम कोककर	4,614.35	698.71	0.00	5,313.06
मध्यम कोककर	11,293.69	11,226.71	1,106.38	23,625.78
अर्द्ध कोककर	482.16	904.04	221.68	1,607,88
उप-जोड़ कोककर	16,390.20	12,828.46	1,328.06	30,546.72
(ख) नॉन-कोकिंग	67,611.87	77,336.04	37,623.86	182,471.77
(ग) उच्च सल्फर टरसरी कोयला	411.86	77.32	379.84	887.02
जोड़ (कोककर और अकोककर)	84,413.93	90,241.82	39,249.76	213,905.51

गोन्दवाना के नॉन-कोकिंग कोयला भंडार (एन ई सी को छोड़कर)

(1) प्रमाणिक श्रेणी:

(भंडार मिलियन टन में)

गहराई (मी.)	ग्रेड-ए	ग्रेड-बी	ग्रेड-सी	ग्रेड-डी	ग्रेड-ईएफजी	कुल
0-300	1002.15	3232.31	7574.31	8999.90	35948.71	56757.38
300-600	94.09	708.47	958.61	1142.07	1835.09	4738.53
0-600*	63.39	42.84	86.59	460.30	4953.62	5606.74
600-1200	5.64	12.87	7.40	37.25	446.06	509.22
0-1200	1165.27	3996.49	8626.91	10639.52	43183.68	67611.87
% शेयर	1.72	5.91	12.76	15.74	63.87	100
(2) निर्दिष्ट श्रेणी:						
0-300	510.84	1412.47	4017.27	8502.66	35707.76	50151.00
300-600	331.04	1422.71	3597.96	4222.62	12170.57	21744.70
0-600*	6.08	2.27	1.25	9.34	476.32	495.26
600-1200	178.12	582.02	1073.14	1152.49	1959.31	4945.08
0-1200	1026.08	3419.47	8689.62	13887.11	50313.96	77336.04
% शेयर	1.33	4.42	11.24	17.95	65.06	100

* झरिया कोलफील्ड के लिए

(3) अनुमानित श्रेणी:

0-300 मी	17342.16 मि.ट.
300-600 मी	16429.09 मि.ट.
600-1200 मी	3752.61 मि.ट.
कुल	37523.86 मि.ट.

01.01.2001 की स्थिति के अनुसार कंपनी वार कोयला भंडार

कंपनी	प्रमाणित (मि. टन)	निर्दिष्ट (मि. टन)	अनुमानित (मि. टन)	जोड़ (मि. टन)
ईसीएल	14387	19732	5561	39679
बीसीसीएल	15078	4352	0	19430
सीसीएल	16529	15285	4169	35984
डब्ल्यूसीएल	6001	1822	2160	9983
एसईसीएल	8934	20466	4081	33480
एनसीएल	4237	1399	3564	9199
एमसीएल	11308	23729	16535	51571
एससीसीएल	7529	3364	2782	13676
पुर्वोत्तर क्षेत्र	412	80	398	890
कुल जोड़	84414	90242	39250	213906

टिप्पणी:

1.कोलफील्ड कमान क्षेत्र के अंतर्गत कुल भंडार पर विचार किया गया है।

2. डेसिमल में आंकड़े को छोड़ दिया गया।

राज्य वार भंडार:

(भंडार मिलियन टन में)

राज्य	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	जोड़
आन्ध्र प्रदेश	7,529.41	3,363.83	2,781.66	13,674.90
अरुणाचल प्रदेश	31.23	11.04	47.96	90.23
असम	259.37	26.83	34.01	320.21
बिहार-झारखंड	35,147.58	28,444.18	5,582.83	69,174.59
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़	14,017.30	22,102.07	8,199.65	44,319.02
महाराष्ट्र	4,38.50	1,301.65	1,605.41	7,295.56
मेघालय	117.83	40.89	300.71	459.43
नागालैंड	3.43	1.35	15.16	19.94
उड़ीसा	11,307.68	23,738.50	16,535.11	51,571.29
उत्तर प्रदेश	765.98	295.82	0.00	1,061.80
पश्चिम बंगाल	10,845.62	10,925.66	4,147.26	25,918.54
कुल कोयला	84,413.93	90,241.82	39,249.76	213,905.51

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का दाखिला

5637. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने प्रतिशत विद्यार्थियों और बालिकाओं को दाखिला दिया गया;

(ख) क्या यह अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित-जन-जातियों के लिए 7.5 प्रतिशत के राष्ट्रीय मानदंड से अधिक है;

(ग) क्या सरकार का विचार नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों तथा बालिकाओं की संख्या में वर्तमान स्तर से अधिक वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) नवोदय विद्यालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों तथा बालिका छात्रों की प्रतिशतता इस प्रकार है:-

वर्ष	अनु. जाति	अनु. जनजाति	छात्राएं*
1997-98	23.05	14.04	32.38
1998-99	23.42	14.72	32.87
1999-2000	23.03	15.39	33.43

*इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा सामान्य श्रेणी की बालिकाएं शामिल हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उर्दू भाषा का विकास

5638. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्दू शायर मिर्जा गालिब के शताब्दी समारोह में उर्दू भाषा के विकास के लिए और अधिक संस्थाओं की स्थापना करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार उर्दू भाषी राज्यों को उर्दू के प्रोत्साहन के लिए विशेष सहायता प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नयन परिषद, नई दिल्ली, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद जैसे संस्थानों की स्थापना करके उर्दू भाषा के विकास हेतु केन्द्र सरकार पहले ही पर्याप्त संस्थागत ढांचा तैयार कर चुकी है। उर्दू के विकास तथा संवर्धन के लिए उपर्युक्त संस्थानों की अपनी-अपनी योजनाएं हैं। राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नयन परिषद् द्वारा कंप्यूटर अनुप्रयोग तथा मल्टीलिंगुअल डी.टी.पी. में डिप्लोमा की सफलतापूर्वक चलाई जा रही योजना का विशेष उल्लेख किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों के अपने-अपने तंत्र हैं। एक विशेष उपाय के रूप में, केन्द्र सरकार उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित करती है जिसके तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

अध्यापक-शिक्षा का पुनर्गठन

5639. श्री रामजी मांझी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अध्यापक शिक्षा के पुनर्संरचना और पुनर्गठन की योजनाओं पर वर्षवार और राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या इसके लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका और इन योजनाओं पर किए व्यय की वसूली नहीं की जा सकी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आज की तिथि के अनुसार इन योजनाओं की स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) अध्यापक शिक्षा के पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन की योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशि का वर्षवार एवं राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) इस योजना में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अध्यापक शिक्षा कालेज और उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान की स्थापना करना; प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और व्यवहार्य सांस्थानिक आधारभूत ढांचा एवं संसाधन आधार का सृजन करना शामिल है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 457 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, 85 अध्यापक शिक्षा कालेज और 37 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान संस्वीकृत किए गए हैं। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने में ये संस्थान महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति को लगातार मानीटर किया जा रहा है और यह मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन को बेहतर हेतु सृजित आधारभूत ढांचा एवं संसाधन आधार के प्रभावी उपयोग के लिए एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है।

विवरण

अध्यापक शिक्षा के पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई राशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दी गई राशि (रु. लाख रुपए में)		
		1998-99	1999-2000	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1080.35	698.63	789.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	167.34	30.85
3.	असम	1598.17	482.17	331.14
4.	बिहार	—	—	—
5.	गोवा	62.91	49.48	41.16
6.	गुजारत	681.83	704.99	1114.69
7.	हरियाणा	30.25	—	439.50
8.	हिमाचल प्रदेश	520.95	526.75	717.90
9.	जम्मू और कश्मीर	30.25	—	541.00
10.	कर्नाटक	857.129	1097.79	1316.14
11.	केरल	461.13	505.78	659.95
12.	मध्य प्रदेश	2557.27	1954.90	1582.79
13.	महाराष्ट्र	—	1177.04	838.55
14.	मणिपुर	65.57	123.76	83.75
15.	मेघालय	25.00	—	208.50

1	2	3	4	5
16.	मिजोरम	23.00	—	70.61
17.	नागालैंड	86.50	108.00	132.15
18.	उड़ीसा	475.80	487.39	560.45
19.	पंजाब	559.93	652.53	561.72
20.	राजस्थान	1624.77	2204.92	1411.43
21.	सिक्किम	96.72	98.93	67.00
22.	तमिलनाडु	2468.68	9.00	1695.55
23.	त्रिपुरा	35.25	—	34.00
24.	उत्तर प्रदेश	1288.82	1184.66	2153.96
25.	पश्चिम बंगाल	—	424.83	690.26
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	2.50
27.	दिल्ली	488.27	318.55	531.44
28.	पांडिचेरी	20.00	31.42	38.27
29.	लक्षद्वीप	50.00	—	—

आन्ध्र प्रदेश को एस जे एस आर वाई के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का आवंटन

5640. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों को आवंटित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान 52 करोड़ रुपये अप्रयुक्त धनराशि का आवंटन उक्त राज्य को किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य को राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 35 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से 26 करोड़ रुपये और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत 14 करोड़ रुपये जारी किये गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(च) राज्य सरकार द्वारा इसके अंतर्गत किन-किन परियोजनाओं को शुरू किया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वर्ष 2000-2001 के दौरान 52 करोड़ रु. की ऐसी कोई खर्च न की गई राशि बची हुई नहीं थी।

(घ) वर्ष 2000-2001 के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) तथा राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) के तहत क्रमशः 1417.04 लाख रु. तथा 3575.00 लाख रु. का अंतरिम आबंटन निर्धारित था। एस.जे.एस.आर.वाई. के तहत निर्धारित आवंटन 30 मार्च, 2001 को स्वीकृत किया गया। जहां तक एन.एस.डी.पी. का संबंध है, वर्ष 2000-2001 में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को केवल 888.89 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

(ङ) और (च) इन दो स्कीमों के तहत विकास एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार की रिपोर्टों पर आधारित संचयी उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

1. एस.जे.एस.आर.वाई.

(क)	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यू.एस.ई.पी.) के अंतर्गत–सहायता प्राप्त लाभार्थी	48475
(ख)	शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू.डब्ल्यू.ई.पी.) के तहत सृजित श्रम दिवस	72.46 लाख

2. एम.एस.डी.पी.

शामिल किए गए लाभार्थी	35.86 लाख

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा सभा के कार्य के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के अनुसार 23 अप्रैल, 2001 को ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा की जानी थी और उस पर मतदान होना था। दुर्भाग्यवश ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांगों पर चर्चा और मतदान कल सभा में नहीं हो सका, इसके फलस्वरूप ग्रामीण विकास के साथ-साथ विनिवेश विभाग की अनुदान की मांगें आज की सभा की कार्य सूची में चर्चा और मतदान के लिए रखी गई हैं।

जैसा कि आज की कार्यसूची को देखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज 'शून्य काल' और मध्याह्न का भोजनावकाश नहीं हो सकेगा। सभा पटल पर पत्रों को रखने के तत्काल पश्चात् ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांगों पर अपराह्न 3.00 बजे चर्चा की जाएगी और उन पर मतदान होगा। विनिवेश विभाग की मांगों को अपराह्न 3.00 बजे चर्चा के लिए रखा जाएगा और सायं 6.00 बजे उस पर मतदान किया जाएगा, इसके तत्काल बाद बकाया अनुदान की मांगों पर मतदान किया जाएगा, इसके बाद, वित्त मंत्री विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2001 को पुर:स्थापित करेंगे और सभा इस पर विचार करेगी और तब इसे सभा द्वारा पारित किया जा सकेगा।

मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां, महोदय।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट, बंगलौर के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट, बंगलौर के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3591/2001]

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3592/2001]

(5) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट, लखनऊ के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट, लखनऊ के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3593/2001]

(7) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3594/2001]

(9) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के लेखा परीक्षित लेखाओं की समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3595/2001]

(11) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3596/2001]

(13) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3597/2001]

(15) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, हजरतबल के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, हजरतबल के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3598/2001]

(17) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3599/2001]

(19) (एक) मौलाना आजाद कालेज आफ टेक्नालॉजी, भोपाल के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद कालेज आफ टेक्नालॉजी, भोपाल के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3600/2001]

(21) (एक) टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, चंडीगढ़ के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, चंडीगढ़ के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3601/2001]

(23) (एक) टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3602/2001]

(25) (एक) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3603/2001]

(27) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3604/2001]

(29) (एक) बोर्ड आफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग, कानपुर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड आफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग, कानपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3605/2001]

(31) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3606/2001]

(33) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3607/2001]

(35) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3608/2001]

(37) (एक) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3609/2001]

(39) (एक) विश्व भारती, शांति निकेतन के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्व भारती, शांति निकेतन के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3610/2001]

(41) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3611/2001]

(43) (एक) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारीत विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3612/2001]

(45) (एक) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जालंधर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जालंधर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3613/2001]

(47) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3614/2001]

(49) (एक) मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3615/2001]

(51) (एक) विश्वेश्वरैया रीजनल कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, नागपुर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया रीजनल कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, नागपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3616/2001]

(53) (एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन आफ एजुकेशन फार आल, चैन्नई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन आफ एजुकेशन फार आल, चैन्नई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3617/2001]

(54) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3618/2001]

(56) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3619/2001]

(58) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3620/2001]

(60) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3621/2001]

(62) (एक) पश्चिम बंगाल जिला प्राथमिक शिक्षा, कोलकाता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंगाल जिला प्राथमिक शिक्षा, कोलकाता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3622/2001]

(64) कंपनी-अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एजुकेशनल कंसल्टेंटस इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एजुकेशनल कंसल्टेंटस इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखा तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3623/2001]

(66) (एक) प्राइमरी एजूकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्राइमरी एजूकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3624/2001]

(68) विश्वभारती शान्तिनिकेतन के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3625/2001]

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3626/2001]

(2) भीकॉन लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3627/2001]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 187 (आ, जो 15 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3628/2001]

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उर्वरक (संचलन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2001, जो 28 मार्च 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 280 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का.आ. 281 (अ), जो 28 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें ''खरीफ-2001'' के दौरान यूरिया के घरेलू उत्पादकों द्वारा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को की जाने वाली यूरिया की आपूर्ति को दर्शाने वाला आदेश दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3629/2001]

(2) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3630/2001]

अपराह्न 12.03 बजे

प्राक्कलन समिति

पांचवां प्रतिवेदन

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला): महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग-बैंकिंग प्रभाग)-सरकारी क्षेत्र बैंक-अशोध्य ऋण से संबंधित तीसरे प्रतिवेदन (12वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

की गई कार्यवाही संबंधी विवरण

श्री अब्दुल रशीद शाहीन: महोदय, मैं शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय (शहरी विकास विभाग)-दिल्ली विकास प्राधिकरण के बारे में प्राक्कलन समिति के तीसरे प्रतिवेदन (11वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (12वीं लोक सभा) के पांचवे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न $12.3^{1}/_{2}$ बजे

लोक लेखा समिति के विवरण

[हिन्दी]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर आगे की गयी अनुवर्ती कार्यवाही तथा अध्याय-पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविदाओं के प्रबंधन संबंधी 82वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा परिसंपत्तियों के क्रय संबंधी 87वां प्रतिवेदन (10वीं लोकसभा)।

अपराह्न $12.03^{3}/_{4}$ बजे

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

डा. बी.बी. रमैया (एलूरू): महोदय, मैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय-संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी

दिशा-निर्देशों में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव के बारे में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति
तेरहवां से सत्रहवां प्रतिवेदन

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य और व्यय विभाग) की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन।

(3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में सोलहवां प्रतिवेदन।

(5) विनिवेश विभाग की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में सत्रहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.4$^{1}/_{2}$ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति
सौवां से एक सौ छठा प्रतिवेदन

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद): महोदय, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) स्वास्थ्य विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2001-2002) संबंधी सौवां प्रतिवेदन;

(2) परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2001-2002) संबंधी एक सौ एकवां प्रतिवेदन;

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2001-2002) संबंधी एक सौ दोवां प्रतिवेदन;

(4) प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2001-2002) संबंधी एक सौ तीनवां प्रतिवेदन;

(5) माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2001-2002) संबंधी एक सौ चारवां प्रतिवेदन;

(6) महिला तथा बाल विकास विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2001-2002) संबधी एक सौ पाचवां प्रतिवेदन; और

(7) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2001-2002) संबंधी एक सौ छठा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति
नब्बेवां और इक्यानवेंवा प्रतिवेदन

श्री बली राम कश्यप (बस्तर): अध्यक्ष महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2001-2002) संबंधी नब्बेवां प्रतिवेदन।

(दो) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2001-2002) संबंधी इक्यानवेंवा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

समिति के लिए निर्वाचन
राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): महोदय मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1) (i) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 की धारा 12 (1) (i) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्याधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: आज की कार्य सूची में रखे गए नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

अपराह्न 12.06 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) झारखंड के गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिलों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): गिरिडीह, धनबाद एवम् बोकारो जिलों में खासकर एस.टी.डी. सेवा प्राय: अप्रभावी हो जाती है और टेलीफोन काफी दोषपूर्ण है। इस क्षेत्र के गई गांव एवम् छोटे शहर टेलीफोन सेवा से वंचित हैं। नए टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिए उपभोक्ताओं को वर्षों इंतजार करने के बाद भी टेलीफोन कनेक्शन नहीं मिलता। इस क्षेत्र में अपेक्षित मात्रा में टेलीफोन सेवा में विस्तार नहीं किया गया है।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में हमने कई बार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया, परंतु सरकार द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं की गई है।

अत: सरकार से आग्रह है कि उपर्युक्त क्षेत्र में बेहतर टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने हेतु शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए।

(दो) बिहार के डुमरियाघाट-अरेराग-हरसिद्धि रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जल भूतल परिवहन मंत्री जी का ध्यान बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण जिले के अन्तर्गत एक प्रमुख सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने की ओर दिलाना चाहता हूं। चम्पारण का क्षेत्र नेपाल में प्रवेश का मुख्य क्षेत्र है। सम्पूर्ण देश के लोग रक्सौल होकर नेपाल में प्रवेश करते हैं। दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश की ओर से जाने वाले लोग गोपालगंज एन.एच.-28 से जाते हैं। इन्हें चम्पारण में प्रवेश करने पर डुमरियाघाट, पिपरा कोठी, मोतिहारी, छपवा चौक होकर रक्सौल जाना पड़ता है। एन. एच. 28 डुमरियाघाट से अरेराग, हरसिद्धि होते हुए एन.एच. छपवा सड़क अत्यन्त जर्जर स्थिति में है। यदि इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये तो काफी दूरी कम हो जायेगी। यह एक लिंक रोड है जो दो राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ती है।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जनहित में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये।

(तीन) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर-गौंडा लूप लाइन का आमान परिवर्तन शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज): महोदय, जनपद सिद्धार्थनगर बहुत पिछड़ा जनपद है क्योंकि इस जनपद में बड़ी लाइन न होने के कारण बाहर से कोयला, लोहा, सीमेंट सीधे नहीं आ पाता है और कोई उद्योग धंधे नहीं लग पा रहे हैं। यहां पर गोरखपुर-गौंडा लूप लाईन का नौगढ़ स्टेशन स्थित जरूर है परंतु यहां से कोई सीधी ट्रेन लखनऊ, मुम्बई, दिल्ली के लिए उपलब्ध नहीं है। गोरखपुर-गौंडा लूप लाईन के अमान परिवर्तन के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं परंतु यह काम अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है।

योजना आयोग ने इस लाईन के अमान परिवर्तन की स्वीकृति दे दी। अब रेलमंत्री ने सूचित किया है कि वित्त मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इस लाईन का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस वर्ष बजट में इस लाइन के कार्य के लिए एक करोड़ धन का आबंटन है।

अत: मेरी केन्द्रीय सरकार से मांग है कि इस लाईन के अमान परिवर्तन हेतु वित्तीय मामलों की मंत्री मंडलीय समिति से स्वीकृति कराकर शीघ्र काम शुरू कराया जाये।

(चार) छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और जांजगीर जिलों में बिल्हा और जांजगीर रेलवे स्टेशनों पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): सर, छत्तीसगढ़ राज्य जिला बिलासपुर एवं जिला जांजगीर कोरबा की ओर चलने वाली दूरगामी रेलगाड़ियों के स्टॉपेज नहीं होने के कारण आम नागरिक दिनभर लोकल गाड़ी के इंतजार में अपना पूरा समय गंवा बैठते हैं। कभी गाड़ी लेट होने के कारण समय पर अपने कार्य हेतु गंतव्य स्थान पर नहीं जा पाते। उनका आवश्यक काम रूक जाता है।

*सभा पटल पर रखे माने गये।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि निम्न गाड़ी का स्टॉपेज किया जाए एवं आगे स्टॉपेज पर रेलगाड़ी बढ़ाई जाये:-

1. सारनाथ एक्सप्रेस दुर्ग-छपरा के बिल्हा स्टेशन पर रोकी जाए।
2. लिंक एक्सप्रेस कोरवा विशाखापट्टनम को बिल्हा स्टेशन एवं जांजगीर पर रोका जाए।
3. चिरमिरी-बिलासपुर चलने वाली रेलगाड़ी लोकल को चिरमिरी से बिलासपुर रायपुर तक बढ़ाया जाए।

[अनुवाद]

(पांच) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधन के लिए पेयजल योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): कालाहांडी जिले में भयंकर सूखे की स्थिति के कारण वहां पेयजल की भारी किल्लत हो गई है। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित योजनाओं को तुरंत स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए, इसके. अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में पेजयल की आपूर्ति की कमी को देखते हुए वहां कम से कम 500 ट्यूबवैलों को लगाने की तुरंत स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त भवानीपटना नगरपालिका को पानी की आपूर्ति की योजना को भी केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।

(छह) शाजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुछ सड़कों को केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र शाजापुर-देवास की अधिकांश सड़कों की हालत अत्यधिक खराब हो गई है। इससे जन-धन की भारी क्षति हो रही है और लोग अत्यधिक परेशान हैं। मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन की ओर से नियमानुसार प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार के पास सी.आर.एफ. योजनान्तर्गत स्वीकृति हेतु निम्नलिखित सड़कों के प्रस्ताव भेजे हैं जो इस प्रकार हैं।

बेरछा से पोलाय कलां वाया सुंदरसी मार्ग, पोलाय कलां से पीपलरावां मार्ग जिला सीमा तक, नलखेड़ा से भैसोंदा बड़ागांव मार्ग, शाजापुर-बेरछा मार्ग, बड़ौद-आलोट मार्ग, अकोदिया-सुन्दरसी मार्ग, नलखेड़ा,भैंसोंदा मार्ग, भैंसोदा-बड़ागांव मार्ग, आगर-सारंगपुर मार्ग, शाजापुर-दुपाड़ा-कानड़ मार्ग, शुजालपुर-आवठा मार्ग, कालापीपल-मगराबड़ी मार्ग, कालापीपल-कुराबर मार्ग, शुजारपुल-पचोर मार्ग, आगर-बड़ोद-डग मार्ग, बेरछा-बिरगोद-बालोन मार्ग, मोहन बड़ोदिया से बड़ागांव मार्ग, बड़ौद से खेड़ा नरेला मार्ग, पोलायकलां पहुंचमार्ग, शुजालपुर-अकोदिया मार्ग, रनायल पहुंच मार्ग आदि प्रमुख हैं। अभी तक मेरे संसदीय क्षेत्र में केन्द्रीय सड़क निधि अन्तर्गत एक भी सड़क स्वीकृत नहीं की गई है।

अत: मैं केन्द्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त सड़कों की स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें।

(सात) किसानों के हितों की रक्षा के लिए सोयाबीन और पॉम ऑयल पर सीमा शुल्क में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): महोदय, भारत सरकार ने हाल के बजट प्रस्ताव पर कोई खाद्यान्न तेल पदार्थों पर आयात शुल्क में वृद्धि करके किसानों को बचाने का प्रयास किया है, किन्तु सोयाबीन, रेपसीड ऑयल एवं केस्टर्ड ऑयल के आयात शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की है जिसके कारण खाद्यान्न तेल का उत्पादन करने वाले किसान परेशान है। मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में राई एवं अन्य तिलहनों का उत्पादन बहुत होता है और यहां के किसान बड़ी मात्रा में राई और अन्य तिलहनों का उत्पादन करते हैं एवं उनके परिवारों की जीविका इन्हीं खाद्यान्न तेलों पर निर्भर करती है। मेरी जानकारी में आया है कि जैवीकरण के माध्यम से सोयाबीन एवं पाम ऑयल का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। जापान, अमेरिका एवं यूरोप के देशों में स्वास्थ्य की दृष्टि से खाना पसन्द नहीं करते हैं, अत: विकासशील देशों में भेज दिया जाता है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सोयाबीन एवं पाम ऑयल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर भारतीय किसानों को संरक्षण प्रदान किया जाए। धन्यवाद।

(आठ) गेहूं के समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): महोदय, किसानों के काम में आने वाली चीजों जैसे बिजली, डीजल, खाद एवं ट्रैक्टर के दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़ गए हैं जिससे किसानों को अपने अनाज का उत्पादन करने के लिए जो लागत लगानी पड़ती हैं इसमें काफी बढ़ोत्तरी हुई है परन्तु सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य मात्र 610 रुपये प्रति क्विंटल रखा है जो अपर्याप्त है और इस मूल्य पर किसान उत्पादन करने के बजाय शहरों की तरफ भाग

रहे हैं। किसानों से आज की तारीख में पांच रुपये में गेहूं लेने के लिए तैयार नहीं हैं। धान की खरीद में सरकार ने किसानों से धान न लेकर व्यापारियों से लिया है।

मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करती हूं कि किसानों द्वारा जिन साधनों से अनाज उत्पादन किया जाता है, उनके मूल्य और दरों में कमी की जाए और गेहूं का समर्थन मूल्य अधिक से अधिक बढ़ाया जाए जिससे किसानों में अनाज उत्पादन करने के लिए उत्साह बना रहे।

[अनुवाद]

(नौ) कर्नाटक में न्यू मंगलौर पत्तन का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी): न्यू मंगलौर बंदरगाह, जो कि कर्नाटक का एक मात्र बड़ा बंदरगाह है, लौह अयस्क और रसोई गैस सहित लगभग 18 मिलियन टन माल की ढुलाई लदाई का कार्य देखता है। मगलौर बंदरगाह कुद्रेमुख, मंगलौर कैमिकल्स और फर्टिलाइजर्स आदि उद्योगों के लिए एक महत्त्वपूर्ण पत्तन के रूप में कार्य करता है।

मै. राइट्स ने अपनी 2020 भविष्य रूपरेखा रिपोर्ट में मंगलौर ताप विद्युत स्टेशन के लिए आयातित कोयले के कार्गो परिवहन में होने वाली संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इस बंदरगाह द्वारा देखे जाने वाले कार्य का अनुमान लगाया है। लेकिन यह अनुमान इस बात पर निर्भर है कि अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास हो सके। इस बंदरगाह के विकास की संभावनाएं दूरवर्ती क्षेत्र परियोजना को रेल मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 और 48 से जोड़ने पर निर्भर करती है।

मंगलौर बंदरगाह कोचीन और तूतीकोरन की तरह कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के कार्य में भी पिछड़ गया है।

न्यू मंगलौर बंदरगाह देश का सबसे गहरा अंतर बंगरगाह है। इसकी गहराई बाहरी किनारों पर 15.5 मीटर है। भारतीय कंटेनर निगम मंगलौर बंदरगाह पर एक कंटेनर डिपो निर्मित करने की भी योजना बना रहा है। मैं भविष्य में परिवहन कार्य में वृद्धि के मद्देनजर सरकार से अपील करूंगा कि न्यू मंगलौर बन्दरगाह का उन्नयन करने हेतु तुरंत कदम उठाए।

[हिन्दी]

(दस) बिहार के शेखपुरा जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): महोदय, मेरे बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत शेखपुरा जिला में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, जिससे प्रतिभाशाली छात्रों को अच्छे विद्यालय का अभाव दिखाई देता है। उक्त क्षेत्र के छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए।

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिला कर शीघ्र शेखपुरा जिला में केन्द्रीय विद्यालय खुलवाने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

(ग्यारह) राजस्थान के बाड़मेर जिले में लूनी-बाड़मेर-मूनाबाव रेल लाइन पर रेलवे फाटक बनाए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: लूनी-बाड़मेर-मुनाबाओ रेल मार्ग को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदले का कार्य गत चार वर्षों से चल रहा है। यह लाइन ब्रिटिश शासन के दौरान डाली गई थी तब इस मरूस्थलीय क्षेत्र में आबादी बहुत कम थी।

समय के साथ-साथ इस क्षेत्र की जनसंख्या गई गुना बढ़ गई और इस क्षेत्र के विकास के लिए यहां कई विकास योजनाएं शुरू की गई। जनसंख्या में वृद्धि और इस क्षेत्र के विकास के फलस्वरूप यातायात के सुगम संचालन हेतु यहां इस रेल मार्ग पर अतिरिक्त समपार उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। परंतु बजाए अतिरिक्त समपार बनाए जाने के धन की कमी के कारण बड़ी संख्या में वर्तमान समपारों को बंद कर दिया गया। इससे इस थार मरूस्थल के लोगों के लिए भारी असुविधा और समस्याएं खड़ी हो गयी। मरूस्थलीय और भौगोलिक भूभाग को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह 297 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन बड़ी लाइन के लूनी-बाड़मेर-मुनाबाओ) रेल मार्ग के सभी वर्तमान स्थलों पर चौकीदार वाले या बिना चौकीदार वाला रेलवे समपार बनाए जाने हेतु नियमों को संशोधित करे और लचीला रूख अपनाए और इन बंद समपारों को खोले जिससे पश्चिमी राजस्थान के सूखे की संभावना वाले थार मरूस्थल में रेल मार्ग के आस-पास रहने वालों की कठिनाईयों का निराकरण हो सके।

(बारह) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल): स्वतन्त्रता के 54 वर्षों के बाद भी देश के अधिकांश भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति किसी न किसी रूप में छूआछूत की भावना और अत्याचार होते रहते हैं। ऊंची जाति के लोग द्वारा दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने से रोकना आम बात है। देश के

बहुत से गांवों में छूआछूत अभी भी विद्यमान है। दलितों पर अत्याचार करने के मामलों की संख्या चिंताजनक रूप से अधिक होने के कारण केन्द्र सरकार को जब भी अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार या छूआछूत की कोई भी सूचना मिले तो उसे उसकी जांच के लिए कदम उठाने चाहिए और छूआछूत के उन्मूलन हेतु उपाय भी सुझाने चाहिए। क्योंकि दलितों के उपर मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि जातिवाद भेदभाव अभी भी विद्यमान है और सरकार को इन्हें रोकने हेतु पहल करनी चाहिए। ऐसे अपराधों में मारे गये दलितों के परिवारों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में संसद सदस्यों को शामिल किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): महोदय, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु सांसदों की राय नहीं ली जा रही है केवल विधायकों की राय से ग्रामीण विद्युतीकरण हो रहा है। पूर्व में प्रत्येक सांसद को 25 ग्राम अपने संसदीय क्षेत्र में विद्युतीकरण हेतु चयनित करने का अधिकार था किन्तु वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्वांचल निधि से भी सासंद विद्युतीकरण कराते थे किन्तु निर्णय लिया गया कि पूर्वांचल निधि केवल विधायकों को दी जाएगी।

भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश को जो धन दिया जा रहा है, उसमें सांसदों की भागीदारी की जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र मछलीशहर में जौनपुर जनपद में मछलीशहर तथा बदलापुर एवं प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में अनेक गरीब, पिछड़े तथा अनुसूचित जाति के लोगों ने विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया है। उन्होंने कई वर्ष पूरा पैसा भी जमा कर दिया है। किन्तु अभी तक उन्हें कनेक्शन नहीं दिया गया है। अत: उत्तर प्रदेश शासन को निर्देश दिया जाए कि उन्हें विद्युत कनेक्शन दिया जाए।

(चौदह) बिहार के सहरसा में डाक विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा): अध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार में डाक विभाग का संचालन क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर में होता है। उत्तर बिहार के पूर्वी भाग सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णियां एवं कटिहार जिला काफी पिछड़ा एवं बाढ़ प्रभावित है। मुजफ्फरपुर में कार्यरत पदाधिकारियों का सुपरविजन इन दिनों की डाक व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर पा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय में दो वरीय पदाधिकारी महाडाकपाल एवं निदेशक पदस्थापित हैं।

आग्रह है कि सरकार उत्तर बिहार के पूर्वांचल क्षेत्र में डाक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कोशी कमिश्नरी मुख्यालय सहरसा में डाक विभाग का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करे।

(पन्द्रह) हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 पर दोहरी दिवाल और कुम्हार हट्टी के बीच बाई-पास का समुचित रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य (शिमला): मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय जल भूतल परिवहन विभाग का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, इस क्षेत्र में सोलन शहर के समीप दोहरी दीवाल से लेकर कुम्हार हट्टी तक एक बाई पास जो राष्ट्रीय राजमार्ग 22 से संबंध रखता है, का निर्माण तो लगभग 112 वर्ष पूर्व कर दिया गया था परन्तु अभी भी यह महत्वपूर्ण मार्ग कच्चा है, इस बाई पास की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा व सामरिक दृष्टि से यह मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इस राष्ट्रीय मार्ग पर काम रूके रहने के कारण, इस प्रदेश के फल व सब्जी उत्पादकों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रहित से संलग्न इस बाई पास मार्ग की ओर विशेष ध्यान दें ताकि इस क्षेत्र के सब्जी व फल-उत्पादक, भी इस मार्ग का पूरा लाभ उठा सकें।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, हम आपसे चार दिन से आग्रह कर रहे हैं कि बिहार में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज हमने जीरो आवर को सस्पेंड कर दिया है इसलिए आप इस मैटर को कल उठाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप हमारे कमरे में आ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: अध्यक्ष महोदय, आपके कमरे में आने की कोई बात नहीं है।...*(व्यवधान)* हम चार-पांच दिन से आपसे आग्रह कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* कल भी बिहार में 25 लोक मारे गये हैं। वहां दिनोंदिन घटनायें बढ़ती चली जा रही हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, किसानों के सवाल पर हमने काम रोको प्रस्ताव दिया है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मिस्टर अखिलेश सिंह, कल फाइनेंस बिल पर हम डिसकसन कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: पप्पू यादव जी, आप भी हाउस को डिस्टर्ब न करें।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: आप हमारे मैटर को कल ले लीजिए।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

ससंदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): आपके मैटर को परसों लेंगे।*...(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: परसों फिर 50 हत्यायें हो जायेंगी।*...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.08 बजे

[अनुवाद]

सामान्य बजट 2001-2002- अनुदानों की मांगे*

(एक) ग्रामीण विकास मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 15 पर विचार करेंगे। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ में ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 65 से 67 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदाएगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2001-2002 के लिए
ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	दिनांक 20 मार्च, 2001 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदानों की मांग की राशि		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
ग्रामीण विकास मंत्रालय					
65.	ग्रामीण विकास विभाग	4058,08,00,000	33,34,00,000	7566,41,00,000	66,66,00,000
66.	भूमि संसाधन विभाग	150,17,00,000	–	750,82,00,000	–
67.	पेय जलापूर्ति विभाग	829,23,00,000	–	1332,12,00,000	–

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निराशा, घृणा और कारता के साथ ग्रामीण विकास के मामलों के प्रति इस सरकार के अनियत, अखण्ड़ और कठोर दृष्टिकोण पर खेद प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री, जो अपने पद पर नए हैं, को उनके मंत्रालय के हालात से परिचित कराने के लिए मुझे मिले इस अवसर का भी स्वागत करता हूं।

महोदय, ग्रामीण विकास मंत्री पर निर्धनता पर सीधे हमले करने का नेतृत्व करने का प्रभार होता है। फिर भी सरकार तथा वास्तव में सारे देश की तरह ही यह मंत्रालय राष्ट्र में निर्धनता की सीमा और प्रगति जो हमने निर्धनता का उन्मूलन करने में की है के बारे में पूर्णतया किंकर्त्तव्य विमूढ़ है।

अपराह्न 12.09 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए)

महोदय पिछले वर्ष बजट संबंधी वाद विवाद में मैंने 1990 के दशक के दौरान घरेलू व्यय संबंधी सरकार के वार्षिक सर्वेक्षण में गम्भीर प्रगतिरोध और निर्धनता के स्तरों में सम्भावित वृद्धि के संकेत पर विश्व बैंक के एक महत्वपूर्ण विशेषज्ञ गौरव दत्त के निष्कर्षों की ओर माननीय वित्तमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था। तत्पश्चात् वैश्विक निर्धनता संबंधी विश्व बैंक की रिपोर्ट और 'इकॉनामिक पॉलिटिकल वीकली' में महत्वपूर्ण विद्वानों जैसे श्री नागराज द्वारा लिखे गए लेखों द्वारा भी इन चिन्ताओं की पुष्टि हुई।

एक उत्तरदायी सरकार सच्चाई का सामना करती। इस सरकार ने बस आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया।

महोदय, वित्त मंत्री ने 28 फरवरी को अपने बजट भाषण में रूखाई से इस सभा को बताया, मैं उसे पैरा चार से उद्धृत करता हूं:

> "निर्धनता जो वर्ष 1993-94 में 36 प्रतिशत थी, अब घटकर 26 प्रतिशत अथवा इससे भी कम हो गई है।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं वित्त मंत्री द्वारा कुछ दिन पहले सभा में प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के पृष्ठ सं. 194 पर बाक्स 10.1 सहित पैराग्राफ 10.15 का उल्लेख कर रहा था। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पिछले पंचवर्षीय सर्वेक्षण और वर्तमान सर्वेक्षण में दिए गए आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि निर्धनता का मूल्यांकन करने के तरीके में परिवर्तन आ गया है। वर्ष 1993-94 में उनके पास एक तरीका था और अब उनके पास बिल्कुल अलग तरीका है। इसलिए वर्ष 1993-94 के आंकड़ों की तुलना उन आंकड़ों से नहीं की जा सकती जो अब दिए जा रहे हैं। अत: मैंने सांख्यिकी मंत्री श्री अरुण शौरी से अतारांकित प्रश्न सं. 3533 जिसका उत्तर 21 मार्च, 2001 को दिया गया था के माध्यम से पूछा था कि क्या वर्तमान सर्वेक्षण हेतु प्रयुक्त कार्यप्रणाली पिछले सर्वेक्षण पर भूतलक्षी प्रभाव से लागू की गई थी अथवा विकल्पत: पिछले सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली इस सर्वेक्षण पर लागू किया जाए ताकि हम दो सर्वेक्षणों के परिणामों की तुलना करने के लिए कुछ आधार प्राप्त कर सकें। मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो मेरे हाथ में है, न केवल मेरे इस सन्देह की पुष्टि की कि यह तुलना नहीं की गई है। वरन उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि योजना आयोग ने, मैं इस उत्तर से उद्धृत कर रहा हूं आंकड़ा संग्रहण प्रणाली में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी विभिन्नता की प्रतिशतता का कोई अनुमान नहीं लगाया है। अत: हम तो बिल्कुल अंधेरे में है।

महोदय, आंकड़ों को प्रस्तुत करने की इस कलाकारी के कारण हम बिल्कुल नहीं जानते कि हमारे निर्धनता-पीड़ित देश में निर्धनता की क्या स्थिति है। न ही हम इसकी तुलना उस समय को स्थिति से कर सकते हैं जब 1996 में कांग्रेस की सरकार ने सत्ता खोई और उस स्थिति से जो अब पांच वर्ष बाद है। अत: मैं सुझाव दूंगा कि की अरुण शौरी का पदनाम बदलकर झूठ, धिक्कार झूठ और आंकड़ा मंत्री कर दिया जाए।

इसे ध्यान में रखते हुए बदकिस्मत श्री वैंकैया नायडू इस बात को जाने बिना कि हम कितने गरीब हैं, और इस बात को जाने बिना कि उनके पूर्वाधिकारियों के तहत गरीबी बढ़ी है, घटी है अथवा स्थिर रही है, गरीबी पर सीधा हमला करने का अपना काम शुरू कर रहे हैं। यह उनका दोष नहीं है कि हम आंकड़ों के अंधेरे में गुम हो गए हैं। लेकिन इसका हल निकालना उनका कर्त्तव्य है और ऐसा करने में उनकी सहायता करने हेतु इस संसद ने उन्हें सर्वाधिक शक्तिशाली हथियार दिया है और वह है पिछले पचास वर्षों में संविधान में किया गया संशोधनों में सबसे बड़ा संशोधन संविधान का 73वां संशोधन जो संविधान के 243वें अनुच्छेद के साथ पढ़ा जाने वाला पंचायती राज से संबंधित संविधान के भाग नौ के रूप में दिया गया है।

यह भाग 9 (क) में है जो जिला योजना समितियों के चुनाव में संवैधानिक प्रक्रिया को अनिवार्य बनाता है।

महोदय, गत सप्ताह, मंगलवार, 17 अप्रैल, 2001 को प्रश्नकाल के दौरान माननीय मंत्री खराब निष्पादन जिसने हम सब को भी

[श्री मणिशंकर अय्यर]

उलझन में डाल दिया- ने यह दर्शाया कि मंत्री महोदय को अपनी संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग के बारे में पता ही नहीं है। लगभग एक दशक पूर्व 1992 में केन्द्र सरकार को संवैधानिक शक्तियां दी गई थीं और जब मैंने पूछा कि मंत्री महोदय उन कतिपय राज्य सरकारों के विरुद्ध क्या कानूनी कदम उठाएंगे जिन्होंने पंचायती राज संबंधी अनिवार्य उपबंधों की अवहेलना की है, तो वे मेरे साथ सहमत थे कि कतिपय राज्य सरकारों ने इनकी अवहेलना की है। मंत्री महोदय लड़खड़ा गए। मेरे पास अपने प्रश्नों और उनके उत्तरों की प्रतियां हैं। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने यही कहा कि हमारी संघीय प्रणाली है और क्या कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं, उनकी ''समीक्षा'' करनी होगी। उन्होंने मात्र इतना ही कहा।

उनके मंत्रालय ने आठ वर्षों तक इन मुद्दों की समीक्षा की। जो राज्य संविधान के अनिवार्य उपबंधों की बार-बार लगातार अवहेलना करते है, उनके लिए आखिरी हथियार संविधान ही है। यह अनुच्छेद 356 है। असम में एजीपी सरकार अपनी सत्ता के वर्षों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा बार-बार निदेश दिए जाने के बावजूद पंचायत चुनाव कराने में विफल रही है और ऐसे में एजीपी सरकार को हटाने की बजाय श्री वैंकैया नायडू की पार्टी ने उसके साथ गठबंधन किया है। क्या यह उत्तरदायित्व पूर्ण सत्ता है? जब तक बीजेपी पार्टी की अवसरवादी नीतियां बीजेपी के मंत्रियों के संवैधानिक दायित्वों पर भारी पड़ेंगी, हमारे संविधान का उल्लंघन होगा और किसी को दंड भी नहीं मिलेगा। असम की जनता इस अशोभनीय असंवैधानिक व्यवहार से त्रस्त हैं। इसलिए, 11 मई को वे ए जी पी और इसके नए कलंकित साथी भारतीय जनता पार्टी को धूल चटायेंगे।

गत मंगलवार को मंत्री महोदय ने स्वयं यह स्वीकार किया कि अधिकांश राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 243 य घ के द्वारा अनिवार्य बनाए गए जिला योजना समितियों के गठन का काम अभी तक नहीं किया है। केन्द्र सरकार पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व होता है कि सभी योजनाएं निचले स्तर से विधिवत चुनी गई जिला योजना समिति द्वारा तैयार की गई जिला योजनाएं आएं जैसाकि संविधान में उपबंध किया गया है। योजना आयोग दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के अंतिम चरण में है और उसके पास कोई जिला योजना नहीं है। इससे भी बुरीबात यह है कि श्री नायडू या इनके पूर्ववर्ती मंत्री द्वारा इस संबंध में योजना आयोग के संवैधानिक दायित्वों के निर्वाह के क्रम में कोई प्रयास नहीं किया गया है। मुझे नहीं लगता कि हमारे सीधे-साधे नव नियुक्त ग्रामीण विकास मंत्री यह स्पष्ट कर पाएंगे कि उनकी सरकार संवैधानिक कर्त्तव्यों से विमुख क्यों हैं। केवल प्रधानमंत्री ही इस प्रतिष्ठित सभा को बता सकते हैं कि उनकी सरकार संवैधानिक रास्ते से बार-बार क्यों भटक जाती है। और यदि प्रधानमंत्री भी संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो मैं सरकार को सावधान कर देना चाहता हूं कि बहुत सारे गैर-सरकारी संगठन और जागरूक नागरिक इस सरकार को अनिवार्य संवैधानिक कर्त्तव्यों के निर्वाह के प्रति अनादर के लिए जनहित याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में खींचने के लिए तैयार होंगे। महोदय यदि इस बहस के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से ऐसी प्रतिक्रिया नहीं मिलती कि इस राष्ट्र का शासन संवैधानिक निदेशों के अनुसार चलाया जाएगा तो मेरा दल भी इस संवैधानिक संकट के बारे में माननीय राष्ट्रपति जी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए विवश होगा।

अब मैं मंत्रालय की अनुदान मांगों पर आता हूं। सबसे पहले मैं ग्रामीण और शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्टों में जो सत्ता पक्ष ने 20 अप्रैल, 2001 को सभा-पटल पर रखी हैं- में की गई इस मंत्रालय के अपर्याप्त कार्यनिष्पादन की भर्त्सना से शुरू करता हूं। समिति के सभापति शिवसेना के श्री अनंत गीते खुशी-खुशी हमारे साथ हैं। सभी रिपोर्टें एकमत हैं। इन सभी में सभा के सभी दलों के सदस्यों के श्री वैंकया नायडू के मंत्रालय के काम-काज के बारे में संयत और संयत प्रक्रिया वाले विचार निहित हैं। स्थायी समिति संसद का ही छोटा रूप होता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि श्री नायडू इन रिपोर्टों के प्रति अपने पूर्ववर्ती मंत्री से अधिक आदर दिखाएंगे। मुझे यह भी आशा है कि वह स्थायी समिति के विचारों के प्रति अधिक सजगता से काम लेंगे और गत वर्ष प्रधानमंत्री श्री सोमनाथ चटर्जी की अध्यक्षता वाली संचार संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों को लापरवाही से खारिज कर दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि संचार मंत्रालय इस अभागे देश में पिछले पचास वर्षों का सर्वाधिक भ्रष्ट मंत्रालय बन गया है।

महोदय, श्री वैंकय्या नायडू के मंत्रालय में तीन विभाग हैं:- पेयजल आपूर्ति विभाग, भू-संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग। महोदय आपकी अनुमति से मैं बारी-बारी से इनकी बात करूंगा।

इस सरकार ने नेशनल एजेंडा आफ गवर्नेंस के माध्यम से और बाद में 1999 के राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से देश में सभी जगह बस्तियों में, स्कूलों में, पांच वर्ष के भीतर पेयजल उपलब्ध कराने का वादा किया था। इसके लिए इन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया है और इसे व्यापक कार्य योजना (सी ए पी) का अधिशयोक्ति पूर्ण नाम दिया है। परन्तु, महोदय, इस व्यापक कार्य योजना को देखने के बाद, इसी सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अपनी व्यापक कार्य योजना पर काम करने के नजरिए को देखने के बाद, यह देखने के बाद कि योजना आयोग ने किस प्रकार इस व्यापक कार्य योजना को खारिज किया है, श्री अनंत गंगाराम गीते की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति निराशा के साथ यह नोट करती

है, मैं उद्धृत कतरा हूं, ''व्यापक कार्य योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक आबंटन का भाग एक-तिहाई नियत किया गया है। ''

महोदय, मैं आपसे इस उद्धरण को दोहराने की अनुमति चाहता हूं कि समिति निराशा के साथ यह नोट करती है कि व्यापक कार्य योजना के अनुसरण में पेयजल परियोजना के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक आबंटन का मात्र एक-तिहाई नियत किया गया है। दूसरे शब्दों में, इस गति से इस सरकार के खोखले वादे 5 वर्ष में नहीं बल्कि 15 वर्ष में पूरे होंगे और अब तक श्री वैंकय्या नायडू और उनके साथियों को धोका खाए और विरक्त हुए मतदाता इतिहास की चीज बना देंगे। वास्तव में, यदि यह सरकार नहीं गई तो लक्ष्यों को प्राप्त करने में 15 नहीं 50 वर्ष लगेंगे।

महोदय, मैं बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बोल रहा। यदि आप पेयजल आपूर्ति विभाग का निष्पादन बजट देखें तो आप अक्षमता की सदमा पहुंचाने वाली कहानी पाएंगे। पृष्ठ 4 की सारणी से स्पष्ट है कि वित्त वर्ष 2000-2001 के प्रथम दस महीनों में मंत्रालय पिछले वर्ष की तुलना में केवल आधे गांवों तक ही पहुंच पाया है, जो वार्षिक लक्ष्य का केवल 25 प्रतिशत है और यह लक्ष्य मैंने नहीं बल्कि श्री एम. वैंकेय्या नायडू के पूर्ववर्ती मंत्री ने उनके लिए निर्धारित किया है। अब बेचारे नायडू जी संकट में हैं लेकिन मैं उन पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा। लेकिन मैं मंत्रालय पर आरोप लगाता हूं जो ऐसे लक्ष्य निर्धारित करता है जिन्हें 25 प्रतिशत से अदिक प्राप्त नहीं किया जा सकता और जिसका काम-काज इतना शर्मनाक है कि वर्ष के 10 महीनों में पिछले वर्ष की तुलना में केवल आधा काम किया है, जबकि पिछले वर्ष का काम-काज भी घटिया था।

महोदय, उस पर भी ग्रामीण मंत्रालय अपनी आश्चर्यचकित कर देने वाले कार्य निष्पादन पर स्वयं को बधाई देता है? मंत्रालय अपने काम-काज से खुश है। लेकिन योजना आयोग ने मध्यावधि मूल्यांकन में क्या कहा है? मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कह रहा, मैं विपक्ष की बात नहीं कह रहा। मैं मौजूदा भारत सरकार के योजना आयोग की ही बात कह रहा हूं जो उसने हमारे समक्ष आए प्रश्न अर्थात् पेयजल आपूर्ति के संबंध में कही है। मैं स्थायी समिति की रिपोर्ट के पैरा 2.14 को उद्धृत करता हूं कि ''हालांकि ग्रामीण विकास मंत्रालय 95 प्रतिशत गांवों में पेयजल उपलब्धता का दावा करता है परन्तु योजना आयोग के अनुसार गैर सरकारी रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत के लगभग आधे गांवों में पेयजल की कमी है।''

उनका यह दावा है कि यह 95 प्रतिशत है। लेकिन योजना आयोग का दावा है कि यह इसका आधा भी नहीं है।

हम सभी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और हममें से अधिकांश ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों से हैं। क्या हम सब ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से यह कह सकते हैं कि उनके मंत्रालय द्वारा भारतीय गांवों की प्रस्तुत की गई छवि जहां पानी भरपूर रूप से उपलब्ध है ज्यादा सटीक है अधिक या योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई निराशाजनक तस्वीर?

मैं पेयजल आपूर्ति विभाग के उल्लेख संबंधी अपने वक्तव्य के इस भाग को पेयजल आपूर्ति विभाग के कार्य निष्पादन के बारे में स्थायी समिति की एकमत टिप्पणी की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। यह टिप्पणी पैरा 2.41 में कीगई है:-

''इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम के सम्बन्ध में सरकार द्वारा बरती गई उदासीनता और अकर्मण्यता बेहद चिन्ता का विषय है।''

मैं नहीं कह सकता कि माननीय श्री ग्रामीण विकास मंत्री इससे सहमत है या वे खोखले दावे करके अपने विभाग की गलतियों पर परदा डालना चाहते हैं।

पानी के बाद दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन भूमि है। भूमि संसाधन विकास से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों को एक ही छत के नीचे लाने के लिए हमारे सामने बैठी इस सरकार, अर्थात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने बड़ी धूमधाम से ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत भूमि संसाधन विभाग के नाम से एक नए विभाग की स्थापना की। इस विभाग का कार्य निष्पादन पेयजल आपूर्ति विभाग से भी खराब रहा है।

प्रथमत:, योजना आयोग ने इस विभाग को इसी सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभाग द्वारा अनुमानित परिव्यय राशि का केवल पांचवा हिस्सा ही आबंटित किया है। हमने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया हैं; हमने कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किए हैं; हमने कोई आबंटन नहीं किया है। यह सरकार अपने लक्ष्य निर्धारित करती है; फिर यह सरकार अपने प्राक्कलन तैयार करती है; और इसके बाद यह सरकार योजना आयोग के समक्ष इन्हें रखती है। योजना आयोग उसका उपहास उड़ाता है और कहता है, ''अगर आपको 100 की जरूरत है तो हम आपको बीस देंगे।'' उन्होंने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जितनी राशि का अनुमान लगाया है उन्हें उसका केवल पांचवा हिस्सा ही आबंटित किया गया है। दूसरे शब्दों में, एक ओर जहां सरकार यह दावा करती है- ये दावे देश के सामने रखे गए दस्तावेजों में किए गए हैं- कि वह बारहवीं योजना के अन्त तक अर्थात वर्ष 2017 तक 40 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुन: प्राप्त कर लेगी, लेकिन योजना आयोग जिस प्रकार से विभाग को धन उपलब्ध करा रहा है,

[श्री मणिशंकर अय्यर]

उससे इस लक्ष्य की प्राप्ति 2017 तक संभव नहीं है। यह लक्ष्य 2070 में भी प्राप्त नहीं हो सकेगा, लेकिन इंशा अल्लाह यह लक्ष्य 22वीं सदी में किसी समय पूरा हो सकेगा। यदि इस देश में सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, अर्थात भूमि के विकास की योजना इस तरह तैयार की जाती है तो यह हास्यास्पद, बेतुका और दुखद है।

लेकिन इस स्थिति के लिए मैं योजना आयोग को दोषी नहीं मानता हूं क्योंकि विभाग का प्रदर्शन इतना खराब रहा है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसमें धन गंवाना नहीं चाहेगा। योजना आयोग के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार हालांकि 16 मिलियन हैक्टेयर से अधिक भूमि पुनः प्राप्त की जा चुकी है, भारत में बुवाई के अधीन कुल क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उनका कहना है कि साल दर साल उपलब्ध भूमि क्षेत्र में पुनः प्राप्त की गई भूमि को जोड़ा जाता रहा है लेकिन जितनी भूमि पर बुवाई की जाती है उसका क्षेत्रफल ज्यों का त्यों है। ऐसा क्यों है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के विरोधाभासी दावों और भूमि संसाधन विकास कार्यक्रमों पर योजना आयोग के मूल्यांकनों के प्रभाव का समाधान करने के बजाए श्री वैंकय्या नायडू के विभाग ने हमारी स्थायी समिति के सामने- श्री अनंत गंगाराम गीते मेरी बात की पुष्टि करने के लिए यहां मौजूद हैं- ढिठाई के साथ नाकर दिया। उन्होंने यह मानने से साफ इंकार कर दिया कि योजना आयोग के निष्कर्ष सही हैं।

क्या शासन इस तरह चलाया जाता है? इसके अलावा, हालांकि माननीय मंत्री महोदय ने सदन के अन्दर और बाहर यह कहा है कि वे संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के तहत् पंचायतों को सौंपे गए कार्यक्रमों को चलाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के समानान्तर निकायों के खिलाफ हैं लेकिन स्वयं उनके ही मंत्रालय के समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम-जिसे इस समय रोजगार आश्वासन योजना के साथ विलयित किया गया है- और इसे पंचायती राज संस्थाओं के स्थान पर समानान्तर निकायों के रूप में चलाया जा रहा है। उनकी कही यह बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल है। उन्होंने पिछले सप्ताह सदन में कहा था कि वे इसके खिलाफ हैं। उससे ठीक पहले उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को नीचा दिखाने के लिए कहा था कि उन्हें समानान्तर निकाय गठित करने की अनुमति नहीं दी गई। हमने उनसे इस बारे में पूछा था; और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हम पिछले सप्ताह सदन में मंत्री महोदय से यह कहलवाने में सफल रहे कि वे समानान्तर निकायों के विरुद्ध हैं। अब माननीय मंत्री महोदय को अगला कदम यह उठाना चाहिए कि वे अपने ही विभाग की समेकित बंजर भूमि विकास योजना को समानान्तर निकायों द्वारा चलाए जाने से रोकें, उन्हें सीधे पंचायतों के सुपुर्द करके अपने मंत्रालय को चलाने वाले बाबुओं के शिकंजे से मुक्त कराएं। जब तक भारतीय प्रशासनिक सेवा को समाप्त नहीं किया जाता, इस देश में विकास की कोई आशा नहीं कि जा सकती है।

महोदय, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि मैं स्वयं इन लोगों में से एक रहा हूं और इस कारण इस बात को सदन में और लोगों से बेहतर ढंग से जानता हूं। मैं अपने अतीत से ऊपर उठकर आपसे आग्रह कर रहा हूं क्योंकि विपक्ष के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, यह काम सरकार ही कर सकती है। अब चूंकि हमारे पास ऐसा ग्रामीण विकास मंत्री है जो पंचायती राज संस्थाओं के समानान्तर निकायों को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, कम से कम इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए जिसे वे स्वयं चला रहे हैं, इसे उन्हें पंचायतों को सौंप देना चाहिए और इसके लिए पंचायतों को धन दिया जाना चाहिए।

मैं उन्हें आश्वासन देता हूं, और मेरा विश्वास है कि वे भी मुझे आश्वस्त करेंगे, कि इसके परिणाम आश्चर्यजनक होंगे क्योंकि जहां-जहां भी भारतीय प्रशासनिक सेवा का दखल खत्म किया गया है, वहां जन्नत खुद-ब-खुद बन जाती है। यदि मंत्री महोदय का दायां हाथ ही न जानता हो कि उनका बायां हाथ क्या कर रहा है तो निर्धनतम लोगों की क्या स्थिति होगी जो उनके मंत्रालय से यह उम्मीद लगाए हैं कि पुनःप्राप्त की गई भूमि में से दो बीघा जमीन उन्हें दी जाएगी- जिसकी उन्हें बेहद जरूरत है? मैं जानता हूं कि अब मैं जो सुझाव देने जा रहा हूं, मंत्री महोदय उससे सहमत नहीं होंगे। लेकिन मैं पूरी विनम्रता के साथ और निष्पक्षता के साथ मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी कि अगले कुछ वर्षों में-मेरे विचार से तीन या चार वर्षों में-प्रदेश में कोई भी परिवार भूमि हीन नहीं बचेगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि मध्य प्रदेश सरकार के पास सचमुच कोई मान्य योजना है मेरा सुझाव है कि-चाहे यह सुझाव आपकी नजर में बुरी कांग्रेस से ही आया है- वे इस पर ध्यान देंगे ताकि इस देश के गरीबों को बचाया जा सके।

जहां तक मुझे जानकारी है, देश के गरीबों के बारे में सभी मान्य विचार इस ओर से ही आये हैं; उस तरफ अच्छे विचारों की बेहद कमी है। तीन वर्षों से हम कुछ अच्छे विचार प्रस्तुत किए जाने, या कम से कम हमारे अच्छे विचारों का समुचित कार्यान्वयन करने का इंतजार कर रहे हैं। शायद इसलिए तरक्की नहीं कर सके क्योंकि श्री वैंकय्या नायडू उस समय प्रभारी नहीं थे और उनसे कम योग्यता वाले लोग इसके प्रभारी थें। मैं आशा करता हूं कि जब मैं अगले वर्ष उनसे यहीं फिर मिलूंगा जिससे मैं देख संकू कि मेरी सलाह को कितना माना गया है। मुझे इस बात का विशेष दुख है कि इस साल जब देश के बड़े भाग में, विशेष तौर पर गुजरात और राजस्थान के सूखा संभावित और रेगिस्तानी इलाकों में एक दशक से अधिक समय बाद अब तक का सबसे खराब और लंबा सूखा पड़ा है, और इसके लिए वित्त मंत्रालय द्वारा आबंटित की गई राशि इतनी कम है कि स्थायी समिति को अपनी

रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.39 में टिप्पणी करनी पड़ी है कि इस देश में सूखा संभावित या रेगिस्तानी ब्लॉकों को योजना में शामिल करने में 60 साल- मैं दोहराता हूं- 60 साल लग जाएंगे।

इसके अलावा, इतने कम आबंटन की राशि के बारे में भूमि संसाधन विभाग ने यह माना है कि वह सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, डी.पी.ए.पी. के लिए दी गई 163 करोड़ रुपए की राशि को भी खर्च नहीं कर सका है। पहले तो इनके द्वारा मांगी धनराशि उन्हें नहीं मिलती है, और जब मिलती भी है, तो वे इसे खर्च नहीं किया जाता है।

वे खुद पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं और फिर हमारी समिति के सामने बहानेबाजी करते हैं। टाट और भभूत धारण करके हमारे पैरों पर गिर कर यह कहने 'माफ कीजिए' की बजाए वे अपना दंभ प्रदर्शित करते हैं। वे कहते हैं कि, ''हां, यह ठीक है'' और ''वह भी ठीक है''। जब हम अपनी रिपोर्टें भेजते हैं तो वे तब तक खामोश रहते हैं जब तक हम कार्रवाई रिपोर्ट की मांग न करें।

उसके बाद विगत में उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उसी को वे दुहराते हैं। मंत्री जी, जब तक आप अपने अधिकारियों की हठधर्मिता पर अंकुश लगाने और संसद सदस्यों के प्रति उन्हें जवाबदेह बनाने और उससे भी बड़ी बात कि नीति के प्रभारी मंत्री होने के नाते आप अपने प्रति उत्तरदायी बनाने में सक्षम नहीं होते, तो मुझे डर है कि यह तमाशा चलता ही रहेगा।

कृपया पैरा 3.3 देखें। यह और भी दिल दहलाने वाला है। गत वर्ष अर्थात् सूखा पीड़ित वर्ष में सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए स्वीकृत की पनधारा परियोजनाओं में कटौती की गई है। और 2000-2001 में जहां ये परियोजनाएं 2228 थीं- उन्हें हटाकर लगभग आधा कर दिया गया; अर्थात् चालू वर्ष में ये 1685 हैं। मरू विकास कार्यक्रम के लिए भी इस वित्तीय वर्ष के प्रथम ग्यारह महीनों में पिछले वर्ष जितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी उनके मुकाबले आधी से कुछ ही अधिक रह गई थीं। ये पिछले वर्ष की 1500 परियोजनाओं से घटकर 886 हो गई हैं।

मैं आग्रह करता हूं कि मेरे भाषण का यह अंश मंत्री जी के दिल में स्वार्णाक्षरों से अंकित किया जाए। जब तक यह सरकार (क) भू संसाधनों को पर्याप्त आवंटन; (ख) ढेर सारे अर्थहीन कार्यक्रमों को मिलाकर एक सही समेकित योजना में एकीकृत करना; (ग) सीधे पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से भू संसाधन कार्यक्रमों की योजना बनाना और इन्हें क्रियान्वित करना; और (घ) भूमि सुधार के लिए निदेश हेतु निजी-क्षेत्र को आकर्षित व बाध्य करना सुनिश्चित नहीं करती, तब तक हमारा राष्ट्र भूमि होते हुए भी भूमि के लिए तरसता रहेगा। दरअसल; गत तीन वर्षों में इस सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे उसकी गरीबों व भूमिहीनों के प्रति चिन्ता के खोखले वादे व बड़ी-बड़ी-डींगों को सच्चाई में बदलने की सक्षमता आ सकती है।

तीसरा विभाग, जो हमारे माननीय मंत्री के रहम पर निर्भर है, ग्रामीण विकास विभाग है। यही है ग्रामीण विकास विभाग। यह बेरोजगारों के लिए रोजगारोंन्मुखी कार्यक्रम चलाता है गरीबों के लिए आय सृजन करता है और निर्धन समुदायों के लिए परिसंपत्ति निर्माण करता है। मैं गरीबों के प्रति इससे महान उत्तरदायित्व की बात नहीं कर सकता; और न ही मैं उनके प्रति इससे किसी बड़े विश्वासघात का। इस सरकार ने तीन वर्ष पूर्व इन कार्यक्रमों का नाम बदलकर इन्हें स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना रखा था। तमिल भाषियों के लिए इन नामों का उच्चारण कर पाना कठिन है। गत वर्ष 2000-2001 में बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन के बीच सरकार ने दो कारणों से स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए बजट आबंटन में साठ प्रतिशत की कटौती कर दी। इनमें एक काम अच्छा है जबकि दूसरा बूरा। अच्छा कारण यह था कि ग्रामीण विकास विभाग क्रियान्वयन के कार्यों में असफल रह गया। बुरा और आश्चर्य-जनक कारण यह था कि वित्त मंत्री ने गरीबों को उनका हक सुनिश्चित करने के बजाय इस योजना की 530 करोड़ रुपए की राशि को अपने ''फैट कैट'' मित्रों के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ को देकर अमीर लोगों के क्लबों को भर दिया क्या यह ग्राह्य है?

वास्तविक उपलब्धि के मामले में मैं सभा का ध्यान स्थायी समिति की रिपोर्ट के पैरा 2.8 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 2000-2001 के प्रथम दस महीनों में इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत सरकार के लक्ष्य का मात्र 40 प्रतिशत पूरा हुआ है। समग्र ग्राम आवास योजना के अनुसार यह उपलब्धि शून्य है। वे अभी भी योजना बना रहे हैं कि पैसे कैसे खर्च किए जाएं।

उन्होंने इंदिरा आवास योजना के प्रारंभिक दायरे का विस्तार किया है। इसका वित्तीय आवंटन घटना शुरू हो गया है। इसकी वास्तविक उपलब्धियां घोर निराशाजनक है। वास्तविक उपलब्धियों के प्रति वित्तीय परिव्यय का अनुपात पूर्णरूपेण कम हुआ है फिर भी वे वर्तमान कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जोड़ना चाहते हैं। वे कार्यक्रम पर कार्यक्रम बनाएं जा रहे हैं। सम्भवत: वे इससे अधिक से अधिक पैसा बनाते हैं। रोजगार आश्वासन योजना का हाल भी बहुत बुरा है। प्रथम दस महीनों में केवल 36 प्रतिशत की उपलब्धियां हुई है। मुझे विश्वास है कि सभा अब इस बात को समझेगी कि क्यों मैंने ग्रामीण विकास के प्रति सरकार के रवैये को नैमितिक, निंदनीय और अविश्वसनीय कहा क्या मै इसमें हृदय विहीन और जोड़ सकता हूं?

[श्री मणि शंकर अय्यर]

यह सरकार अमीरों, दूरसंचार ऑपरेटरों, विदेशी संस्थागत निवेशकों एनरॉन और इन्हीं जैसे लोगों के बचाव के लिए तत्पर रहती है तथा उनके राहत कार्यों में सैकड़ों हजारों करोड़ की मदद देकर उनकी सहायता में जुटी रहती है, किन्तु जब गरीबों की बात आती है, तो श्री यशवन्त सिन्हा, श्री एम. वैंकय्या नायडू, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और यहां बैठे ये सभी लोग इधर-उधर देखने लगते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ को देने के लिए स्वर्ण जयंती-कार्यक्रग से लगभग 530 करोड़ रुपए ले लिए गए हैं। क्या इसी तरह से हम देश को चलाना चाहते हैं?

हमनें इस सरकार की सबसे बड़े लुभावनेदार कार्यक्रम-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की भयंकर असफलता भी देखी है। बिना ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के ग्राम सड़क। यह किस तरह की ग्राम सड़क योजना है, मंत्री जी? हरचीज में अफसरशाही घुस गई है। बाबू लोग कार्यक्रम बनाएंगे और ठेकेदार इन्हें क्रियान्वित करेंगे। कहनें को बीच में पंचायतों को पर्यवेक्षण का कुछ अधिकार होगा जबकि परियोजना क्रियान्वयन इकाई के नाम पर असली पर्यवेक्षण अफसरशाहों और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। तमाम सभा तथाकथित सामाजिक काल्पनिक लेखा परीक्षण करने के लिए तभी बुलाई जाएगी जब क्षति हो चुकी होगी। संसद सदस्यों और विधायकों को लॉलिपॉप दिखाकर दर किनार कर दिया गया है या वे ठगे गए हैं। इन असहनीय दिशा-निर्देशों को पेश करने में इस असक्षम मंत्रालय को दस महीने का एक लम्बा समय लगवाया है। ये दिशा-निर्देश इतने शर्मनाक हैं कि इन्हें जारी करने के एक महीने के भीतर विभाग ने श्रीगीते समिति के समक्ष यह बात रखी है कि वे शीघ्र ही इनका पुनरीक्षण करेंगे क्योंकि इनका प्रारूपण बहुत ही त्रुटिपूर्ण तरीके से किया गया है।

इस बीच, भारत के इतिहास में अभी तक इस संसद द्वारा प्राधिकृत ग्रामीण विकास के अबतक के सबसे बड़े कार्यक्रम के 21500 करोड़ रुपए में से एक पैसा भी नहीं खर्च किया गया है। कुछ को क्रियान्वित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है और शायद कुछ स्थानों में काम शुरू होगा, किन्तु आर एस एस के प्रहार से अपने आप को बचाने के लिए चाटुकारिता की भावना से वित्त मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री को समर्पित इस कार्यक्रम को एक वर्ष पूरा हो चुका है; पर इस देश में कहीं किसी गांव को कोई फायदा नहीं हुआ है। क्या इससे भी कोई कठोर व्यवहार हो सकता है। क्या इससे भी कोई अधिक असक्षम हो सकता है। यदि सरकार एक पैसा भी नहीं खर्च करती है ,तो हम उन्हें ग्रामीण विकास के लिए 2500 करोड़ रुपए क्यों दें? वे सीधे क्यों नहीं कहते कि वे इस देश को चलाने में असक्षम हैं और सत्ता हमारे जैसे लोगों को सौंप देते जिन्होंने बेहतर काम किए हैं...*(व्यवधान)* जो हुआ है वह बहुत ही शर्मनाक है।

मैं समझता हूं कि इस समय इस सरकार को इस सभा में अधिक अकूत बहुमत है; हालांकि यहां कोई साक्ष्य नहीं है। जब हम गरीबों की बात करते है, तो भाजपा के लोग कॉफी पीने चले जाते हैं। शायद ही यहां कोई बैठे होते हैं। इस समय इस सरकार को सभा में अकूत बहुमत है जिसका प्रयोग वह, जहां तक मैं समझता हूं, बजट प्रस्तावों में करेगी, किन्तु बाहर बैठे लोग इस बात को जानते हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया है। यह सरकार अमीरों की, अमीरों द्वारा, अमीरों के लिए है। यह गरीबों का नाम मात्र परवाह नहीं करती। इसे ग्रामीण भारत की परवाह नहीं है। यह एक ऐसी सरकार है जिसने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। यह शीघ्र ही सत्ता में बने रहने का अपना गणितीय अधिकार भी गवांएगी।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री मणि शंकर अय्यर जी का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने अपने भाषण में यह आपत्ति व्यक्त की कि असम में बी.जे.पी. ने ए.जी.पी. से गठबंधन क्यों किया। वहां पंचायत के चुनाव नहीं हुये थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में 22 साल तक पंचायत के चुनाव नहीं हुये, उन्होंने लालू यादव से गठबंधन क्यों किया? ''हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।'' वे मध्य प्रदेश में पंचायती राज की बात कर रहे थे और मध्य प्रदेश की प्रशंसा के पुल बांध रहे थे और कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में एक भी ऐसा परिवार नहीं जो भूमिहीन हो। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सरासर असत्य है...*(व्यवधान)* मध्य प्रदेश में वोटों के लिये पट्टे दिये गये थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पट्टे दिये गये लेकिन उन्हें जमीन का कब्जा नहीं मिला है। जब हम अपने क्षेत्र में दौरे पर जाते हैं तो हमारे पास अनुसूचित जाति के लोग आते हैं और कहते हैं कि पट्टा मिला है। हमने कहा कि जाओ पट्टा मिला है तो खेती करो। लेकिन वे कहते हैं कि खेत तो हैं नहीं, कहां खेती करें। हमने कहा कि जाओ अपने पट्टे पर खेती करो, पट्टे पर हल चलाओ। यह सच्चाई है...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सच्चाई नहीं बयान कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, जब श्री अय्यर बोल रहे थे तो हमने टोका नहीं लेकिन हमें बोलने से रोका जा रहा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहानः उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, मैं यह बताना चाहता हूं। कांग्रेस का पंचायती राज के बारे में क्या नजरिया है, मैं यह बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरियाः उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां लोगों को पट्टे दिये गये हैं।

श्री शिवराज सिंह चौहानः उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में समानांतर पंचायती राज काम कर रहा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री भूरिया, कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहानः उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि मध्य प्रदेश में चुनी हुई ग्राम पंचायतें हैं, जिला पंचायतें हैं लेकिन इन सब के बावजूद मध्य प्रदेश में नई जिला सरकार बना दी गई है। यह जिला सरकार इसलिये बना दी गई है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण न हो और सत्ता का केन्द्रीयकरण हो। मुख्य मंत्री के हाथ में जिला सरकार है। उसका मुखिया प्रभारी मंत्री है। जब मुखिया प्रभारी मंत्री है तो जिला पंचायत का अध्यक्ष क्या करेगा? मध्य प्रदेश में जिला सरकार के माध्यम से प्रभारी मंत्री द्वारा, कलेक्टर के माध्यम से अपने हाथ में सत्ता का केन्द्रीयकरण किया गया है। इसलिये मध्य प्रदेश की स्थिति आदर्श नहीं है। श्री अय्यर पिछले तीन साल का लेखा-जोखा दे रहे थे। आज भारत देश दो-तिहाई गांवों में बसता है। कांग्रेस ने 50 साल तक इस देश में राज किया। इनके राज में अनेकों गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं, आने-जाने के लिये रास्ता नहीं, पढ़ने के लिये कोई स्कूल नही हैं। आज भी मध्य प्रदेश में ऐसे कई गांव हैं जहां बरसात के दिनों में गांव टापू बन जाता है। यदि कोई बीमार पड़ जाये तो आदमी को खटिया या कंधे पर लादकर सड़क तक आने के लिये कोई रास्ता नहीं होता। यदि वह बीमार आदमी रास्ते में मर जाये तो वही खटिया अर्थी के रूप में श्मशान तक पहुंच दी जाती है। अभी भी गांवों को सड़क से जोड़ा नहीं गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, एन.डी.ए. की सरकार पिछले तीन साल से सत्ता में है और पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ग्राम सड़क योजना लेकर आये हैं। मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वे इस योजना के क्रियान्वयन के लिये धन का आबंटन कर रहे हैं। पिछले साल और इस साल के लिये 2500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों की सड़कों से जोड़ने के लिये दिया गया है।

वर्ष 2007 तक प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ा जायेगा। यह लक्ष्य एन.डी.ए. की सरकार ने रखा है और इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। लेकिन मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने पैसा तो दे दिया, वह पैसा मध्य प्रदेश में भी दे दिया, लेकिन उसका क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो जाए, इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने वहां एक सड़क प्राधिकरण बना दिया है और जितने पैसे यहां से गये हैं वे उस सड़क प्राधिकरण में जमा हो गये हैं। वहां कौन सी सड़कें बनाई जा रही हैं। वहां जो 20-20 साल से 25-25 साल से पी.डब्ल्यू.डी. की पहले से ही बनी हुई पुरानी रोड्स हैं, उन्हें बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के पास सड़कों की मरम्मत कराने के लिए पैसा नहीं हैं। इसलिए जो पैसा प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत दिया गया है, उस पैसे को 25-25 साल पुरानी सड़कों पर खर्च किया जा रहा है। उस सड़क प्राधिकरण के चेयरमैन खुद वहां के मुख्य मंत्री बन गये हैं। मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह पैसा उन गांवों के लिए दिया गया है जो सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वह पैसा ठीक ढंग से खर्च हो, इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाषण सुन रहा था। गरीबी मिटाने की अनेकों योजनाएं कांग्रेस की सरकार के समय में बनाई गई थीं, इसमें कोई दो मत नहीं है। आई.आर.डी. का लोन, दस लाख कुओं की योजना, ट्राइसैम की योजना, ये सब योजनाएं कांग्रेस सरकार के समय में बनी थीं, मैं स्वाकीर करता हूं। लेकिन अगर आप इनके क्रियान्वयन का स्तर देखेंगे तो उनका क्रियान्वयन कहीं ठीक से नहीं हुआ था। आई.आर.डी. का लोन देकर यह दावा किया कि हमने लाखों लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है। लेकिन उसकी वास्तविकता क्या थी। हम लोग गांव में जाते थे और गांव के लोगों से पूछते थे कि क्या तुम्हें आई.आर.डी. का लोन मिला है, यदि हां, तो किसे मिला है। अनेकों लोग या तो हाथ नहीं उठाते थे या कुछ लोग बार-बार कहने पर हाथ उठाते थे तो हम पूछते थे कि किस काम के लिए मिला है तो उत्तर मिलता की भैंस के लिए, मुर्गी के लिए बकरी आदि के लिए मिला है। हमने पूछा कि काम-धंधा कैसा चल रहा है तो उन्होंने कहा कि धंधा नहीं चल रहा है। हमने कहा कि क्यों, तो उत्तर मिलता था कि दस हजार रुपये मंजूर हुए थे, उसमें से पांच हजार पल्ले पड़े थे। हमने पूछा कि पांच हजार कहां गये तो उन्होंने कहा कि बैंक के अधिकारी ने रख लिये या बिचौलियों ने खा लिये। ...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): बैंक के अधिकारी आपकी सरकार के हैं।

श्री शिवराज सिंह चौहान: यह मैं पुरानी बात सुना रहा हूं। आप ट्राइसैम की बात कर रहे थे। ट्राइसैम के अन्तर्गत जिन नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती थी उन्हें लोन नहीं मिलता था, जिन्हें ऋण मिलता था उन्हें आधा मिलता था, आधा अधिकारी खा जाते थे और आधा वह खा-पीकर एक तरफ कर देता था और आई.आर.डी. हो जाता था, आप कहते थे कि लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ रहे थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि गरीबी वहीं की वहीं रहती थी। मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो अलग-अलग योजनाएं थी, उन्होंने उन सब योजनाओं को मिलाकर स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार नाम की एक नई योजना तैयार की है और इस योजना में जिस तत्व पर हमने सबसे ज्यादा जोर दिया है वह सैल्फ हैल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह का गठन व्यापक पैमाने पर गांव-गांव में हो। उसमें इस बात को प्राथमिकता दी गई है कि कम से कम आधे स्वयं सहायता समूह महिलाओं के हो। गरीब महिलाएं काम-धंधे से समय निकालकर अपने खुद का व्यवसाय और रोजगार खड़ा करें, इसका विचार किया गया है, विश्लेषण किया गया है और विचार करके यह तय किया गया है कि प्रत्येक ब्लॉक में पांच सौ काम ऐसे तय किये जायेंगे, जिनकी उस ब्लॉक में चलने की संभावना हो। आंख बंद करके ऋण देने से किसी भी रोजगार में काम नहीं चलेगा। वहां कौन-कौन से काम चल सकते हैं, कच्चा माल मिल सकता है और बाजार की क्या संभावनाएं हैं, ये सब चिह्नित किये जायेंगे और पहचाने जायेंगे तथा फिर उन्हीं रोजगार में लोग लगें, इस बात का प्रयत्न किया जायेगा। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी इस बात पर बी विचार कर रहे हैं कि जो सैल्फ हैल्प ग्रुप हैं, उनकी ट्रेनिंग का मामला एक वर्कशाप राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाए और इन सैल्फ हैल्प ग्रुप के माध्यम से स्वावलम्बन का भाव पैदा होगा। अपने पैरों पर खड़ें होने की जिजीविषा पैदा होगी। इन पचास सालों में अगर सही अर्थों में देखें तो गांवों से गरीबी दूर करने के लिए वास्तव में कुछ नहीं किया गया। पहली बार सार्थक ढंग से, सही दिशा में कदम उठाने का अगर काम किया है तो वह इन एन.डी.ए. की सरकार ने किया है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं।...*(व्यवधान)* आपको तो हर मामले में नागपुर दीखता हैं। श्री अय्यर जी भी कह रहे थे कि फंड्स इधर से उधर डाइवर्ट हो गये हैं। महोदय इन्हें रात में भी आर.एस.एस. दिखाई देता हूं। अगर किसी पड़ोसी के घर में एक साथ जुड़वां बच्चें पैदा हो जाएं तो उसमें भी इन्हें आर.एस.एस. का हाथ दिखाई देता है। हर चीज में आर.एस.एस. का हाथ देखने की जो आदत पैदा हो गई है उसे आप बदलिए और वास्तविकताओं पर चर्चा कीजिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुनिश्चित रोजगार योजना ऐसी योजना है कि अभी भी गांवों में सैल्फ हैल्प ग्रुप्स के माध्यम से स्वयं को रोजगार स्थापित करने के लिए भी सबको न तो ऋण दिया जा सकता है न सहायता दी जा सकती है। अनेक लोग होते हैं जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं खेतों में काम करने वाले मजदूर होते हैं। जब फसल आती है, जब काम मिलता है और जब फसल नहीं आती है तब वे खाली रहते हैं। इसलिए सुनिश्चित रोजगार योजना की उपयोगिता से आज भी इंकार नहीं किया जा सकता है। सुनिश्चित रोजगार योजना ऐसी है कि निश्चित रूप से एक परिवार के दो लोगों को पेट भरने के लिए काम-धंधा मिले, रोजगार मिले। कई जगह मैंने देखा है मध्य प्रदेश में ही देखा है कि मजदूरों से काम कराने के बजाय सुनिश्चित रोजगार योजना का जो पैसा आता है, उससे मशीनों से काम करवा लिया जाता है। ट्रैक्टर और बुलडोजर से करवा लिया जाता है। उद्देश्य वास्तव में गरीबों को काम देने का है। वह मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होता है और कुछ लोग पैसा बनाने का काम इस योजना से करते हैं। इसलिए हम मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि मॉनीटरिंग की ठीक से व्यवस्था हो और देखा जाए कि जिस काम के लिए पैसा गया है उस काम में वह लग रहा है या नहीं, मजदूरों को काम मिल रहा है या नहीं। इसको बारीकी से देखने की बड़ी आवश्यकता प्रतीत होती है।

हमारे तीन-चार कार्यक्रम हैं- वृद्धावस्था पेन्शन योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम हैं। अनेक लोग आज भी ऐसे हैं कि अगर उनके परिवार में मुखिया की मृत्यु हो गई तो पूरा परिवार बेकार हो जाता है। काम-धंधा नहीं होता, रोजगार नहीं होता। इसलिए जो 10,000 रुपये देने की योजना है राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत, यह बड़ी महत्वपूर्ण है लेकिन इसमें भी देखा गया है कि समय पर पैसा नहीं पहुंचता है। क्रियान्वयन कई मामलों में राज्य सरकारें करती हैं। केन्द्र सरकार का कई योजनाओं के मामले में हिस्सा पहुंच जाता है लेकिन राज्य सरकारों का हिस्सा जमा नहीं होता। इसलिए या तो योजना क्रियान्वित नहीं होती या योजना के कार्यक्रम में अनावश्यक विलंब होता है। इसलिए राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना हो या राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम हो या वृद्धावस्था पेन्शन जैसे कार्यक्रम हों, इन कार्यक्रमों के माध्यम से कम से कम 65 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उनके जीनव को चलाने के लिए पर्याप्त सहायता मिलती है। अभी पंचायती रज की बात हो रही थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना अप्रैल, 1999 में प्रारंभ की गई। पहले ग्राम पंचायतों के पास फंड नहीं होते थे। वे पूरी तरह से राज्य सरकारों पर निर्भर रहते थे। पैसा जाता था तो राज्य सरकारों के माध्यम से

जिलों में जाता था और फिर पंचायतों को बार-बार चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन यह पैसा सीधे पंचायतों के फंड में जाता है। पंचायत को किसी एजेन्सी के पास हाथ जोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं होती और ग्राम सभा खुद उस पैसे के बारे में विचार करके अपने गांव के लिए जो उपयोगी काम हैं, उनको करने में सक्षम और समर्थ होती है। लेकिन एक-दो वास्तविकताओं की तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

गरीबी की रेखा की जब सूची बनती है तो यह काम ग्राम सभा करती है, लेकिन कई बार जो पक्ष चुनाव में हार जाता है, उस पक्ष के जो लोग होते हैं उनके लोग शामिल न हों इस बात का प्रयत्न जीता हुआ पक्ष करता है और ऐसे में कई लोग अपने वाजिब हक से वंचित रह जाते हैं। सबको चिन्ता करने की आवश्यकता है कि गरीबों की पहचान के मामले में ऐसे भेदभाव किये जाएं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब पेयजल की बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि 50 साल में पीने का पानी की व्यवस्था इस गति से नहीं हुई। मैं आपकी गति के बारे में पूछना चाहता हूं। जो काम 50 सालों में आपने नहीं किया उसकी उम्मीद आप हमसे करते हैं कि तीन-चार साल में हम कर दें। निश्चित रूप से हमारी दिशा ठीक है और गति तेज है। जो दुर्दशा आपके 50 साल के राज में गांवों और गरीबों की हुई है वह दुर्दशा एन.डी.ए. की सरकार में नहीं होने वाली है। चाहे वह तुरंत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को चाहे पेयजल से संबंधित सैक्टोरल रिफॉर्म्स जैसे अनेक प्रोजेक्ट हैं उनका काम ठीक दिशा में चल रहा है। आपने ठीक कहा कि इनमें मॉनीटरिंग की जरूरत है। मैंने भी बीच में जिक्र किया कि अगर योजनाओं की ठीक से मॉनीटरिंग नहीं होती तो क्रियान्वयन ठीक से नहीं होती है। इसलिए माननीय मंत्री जी ने चार सूत्री कार्यक्रम घोषित किया है।

अपराह्न 1.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, एक तो अवेयरनैस के बारे में घोषणा की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तय किया है कि हर ग्राम पंचायत में बोर्ड लगाया जाएगा फिर चाहे वह जिला परिषद हो या जिले का आफिस हो कि किस काम के लिए कितनी राशि दी गई ताकि सारे ग्रामीणों को पता चले कि कितना पैसा किस काम के लिए आया है।

दूसरी ट्रांसपेरेंसी वाली बात माननीय मंत्री महोदय ने कही है कि वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति जाकर दो रुपए

कि कौन से काम के लिए कितने रुपए स्वीकृत हुए, कितने का एस्टीमेट बना और कितनी धनराशि स्वीकृत हुई। होता यह है कि कई बार पता ही नहीं चलता कि किस काम के लिए कितना पैसा आया और उसमें से कितना काम हुआ। भ्रष्टाचार के चलते सब पैसा गायब कर दिया जाता था और विकास के नाम पर काम शून्य होता है।

तीसरा सूत्र पीपुल्स पार्टीसिपेशन यानी जनता की सहभागिता का है। पहले योजनाओं में जनता की सहभागिता नहीं होती थी। हम क्षेत्रों में जाते हैं। लोग हमें दिखाते हैं कि साहब देखो यह स्कूल गिर गया। हमने पूछा कि कब बना था, पता चला कि दो वर्ष पूर्व। हमने कहा कि तब आपने क्यों नहीं देखा कि घटिया माल लगाकर स्कूल बना रहे हैं, तो कहते हैं कि साहब इससे हमारा क्या लेना देना। उस प्रवृत्ति पर अब अंकुश लगेगा क्योंकि जितने भी कार्य पंचायत में होंगे उनमें स्थानीय ग्राम पंचायत को 10 प्रतिशत धन देना पड़ेगा। इससे यह होगा कि जब गांव के आदमियों के धन का अपना भाग किसी योजना में लगेगा, तो उस योजना के प्रति उनकी रूचि जागेगी और वे देखेंगे कि काम कैसा हो रहा है, ठीक हो रहा है या नहीं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो ग्राम पंचायतें 10 प्रतिशत धन दें, चाहे वह श्रम दान के रूप में हो या वस्तुओं के रूप में हो या अन्य किसी रूप में हो, उन्हें काम देने में निश्चितरूप से प्राथमिकिता देनी चाहिए।

चौथी बात मंत्री महोदय ने सोशल औडिट की कही है, वह भी स्वागतयोग्य कदम है। हम सब लोग जानते हैं कि मूल्यांकन किस प्रकार से और कैसा होता है। काम ठीक है और यदि लेना-देना ठीक नहीं हुआ, तो अच्छे काम का भी मूल्यांकन खराब कर दिया जाता है और यदि काम खराब है और लेना-देना ठीक हो गया, तो खराब काम का भी अच्छा मूल्यांकन कर दिया जाता है, किसी स्वैच्छिक संस्था द्वारा हो सकता है। मैं समझता हूं कि इससे काम की प्रामाणिकता निश्चित तौर पर बढ़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं। वे ऊर्जा से भरे हुए हैं और उन्होंने 21 राज्यों के दौरे किए हैं। पहले तो राज्य सरकारें केन्द्र सरकार के पास आती थीं, लेकिन अब राज्यों को केन्द्र सरकार के पास आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केन्द्र सरकार स्वयं राज्य सरकारों के पास जा रही है और समस्याओं का अध्ययन कर रही है, बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में सूखे की चर्चा हो रही थी। सूखे के लिए ए.आर.डब्ल्यू.एस. के तहत नई स्कीमों के जो काम हैं

[श्री शिवराज सिंह चौहान]

सूखाग्रस्त हैं उन राज्यों में रिपेयर के काम के लिए भी 20 प्रतिशत धन स्वीकृत किया जाएगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारी सरकार, एन.डी.ए. की सरकार पूरी शक्ति के साथ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है और अब धीरे-धीरे उन कामों को गति मिल रही है। *...(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया: उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा है। हम प्रधानमंत्री जी से मिले थे और हमने 715 करोड़ रुपए की मांग रखी थी, लेकिन उन्होंने केवल पांच प्रतिशत धनराशि दी है। यह आपकी सरकार के हाल हैं। वहां इतना भयंकर सूखा पड़ा है और पांच प्रतिशत धनराशि स्वीकृत की है। हम क्या उम्मीद करें।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कांतिलाल भूरिया जी, अब हमारे पास समय नहीं बचा है। कृपया अब उनकी बात में व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, भूरिया जी, बार-बार बीच में बोलने के लिए उठ जाते हैं। मेरा आग्रह है कि इनका प्रापर चैक अप करवा दिया जाए।*...(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया: उपाध्यक्ष महोदय, चौहान साहब ठीक कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन यहां सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, तहलका मचा रखा है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप फिर बीच में बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में फंड्स कैसे डायवर्ट होते हैं, यह बात माननीय कान्ति लाल भूरिया जी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जब भी कोई ऐसी बात आती है, तो वे तुरन्त उठ खड़े होते हैं और बीच-बीच में बोलकर हमारे भाषण में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, श्री दिग्विजय सिंह जी ने, इनकी पार्टी का मध्य प्रदेश में पूरा सफाया कर दिया और अब आगे भी सफाया कर देंगे।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री लक्ष्मण सिंह जी, आप भी उनकी बात में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। हमारे पास समय की कमी है।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शिवराज सिंह चौहान के कथन के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में एक नगरपालिका के चुनाव को छोड़कर बाकी सभी जगह कांग्रेस साफ हो गई और एक विधान सभा चुनाव में भी सफाया हो गया।

आने वाले समय में किसका कैसे सफाया होगा, यह पता चल जायेगा। अब इन बातों को छोड़िये। अभी तो हम ग्रामीम विकास को योजनाओं पर बात कर रहे हैं।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: शिवराज सिंह जी, दूसरी पार्टी के मैम्बर भी बोलने वाले हैं इसलिए अब आप अपना भाषण समाप्त करिये।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा था कि 50 साल की जो गंदगी है, उसे साफ करने में वक्त लगेगा। श्री वैंकय्या नायडू का मंत्रालय पूरी ताकत से उस गंदगी को साफ करने का प्रयत्न कर रहा है। आप मुझे बोलने का थोड़ा और अवसर दें तो मैं एक बात मैं अपने विरोधी मित्रों से जरूर कहना चाहूंगा कि ये सारी योजनाएं केन्द्र सरकार की हैं लेकिन उन योजनाओं में सांसदों का जो सहभाग होना चाहिए था, वह दिखाई नहीं देता। हालत इतनी खराब है कि चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, यहां तक कि जिला परिषद की बैठकें हों या दूसरी बैठकें हों, ये बैठकें तभी रखी जाती हैं जब संसद का सत्र चल रहा होता है। कई बार तो स्थिति यह होती है कि हम जिला

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

परिषद् की बैठकों तक में पहुंच नहीं पाते, मौनीटरिंग की बात तो अलग है, सहभाग की बात तो अलग है। इसलिए संसद चूंकि केन्द्र सरकार से जो बजट जाता है, उसके लिए जवाबदेह है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास की सारी योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से पैसा जाता है, उन सब योजनाओं में सांसदों की भागीदारी सुनिश्चित की जाये। आज कम से कम माननीय मंत्री जी यह घोषणा करें कि मूल्यांकन में, मानीटरिंग में सांसदों की निश्चित रूप से भागीदारी होगी। बाकी का पार्टीसिपेशन भी सांसदों का होना चाहिए। मैं आपके आदेश का मानते हुए एक बार पुनः ग्रामीण विकास मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री अशोक प्रधान जी, आप क्यों खड़े हैं?

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधानः उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है।...*(व्यवधान)* सांसदों वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया बीच में न बोलें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधानः उपाध्यक्ष महोदय, सभी सांसदों की यही पीड़ा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप बार-बार हाउस को इंटरप्ट मत कीजिए क्योंकि टाइम नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री शिवराज सिंह जी के कथन के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहानः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि सदन की भावनाओं का आदर करते हुए माननीय मंत्री जी आज ही यह घोषणा कर देंगे।...*(व्यवधान)* एक बार पुनः आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री समर चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, रा.ज.ग. सरकार ने भा.ज.पा. और संघ परिवार के नेतृत्व के अन्तर्गत घरेलू मांगों को कम करने की और अर्थव्यवस्था के तथाकथित पुनरुद्धार के साधन के रूप में निगमित क्षेत्र को दी जाने वाली रियायतों में वृद्धि करने की नीति अपनायी है। अकेले विभागीय बजट क्या कर पाएगा? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के दिशा-निर्देशों और दबावों के अन्तर्गत किए गए आर्थिक सुधारों से वास्तव में घरेलू समस्याएं बढ़ी है तथा संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी। वास्तव में निगमित क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले निवेश में कमी आयी। सकल घरेलू उत्पाद की दर घटकर 4.8 प्रतिशत रह गयी। कृषि उत्पादन कम हो गया है और खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर पहली बार जनसंख्या वृद्धि दर से नीचे आ गयी है। विनिर्माता क्षेत्र की वृद्धि दर मात्र 2.5 प्रतिशत रही है। सरकार प्रत्यक्ष करों का बढ़ाकर राजस्व संग्रहण पर ज्यादा निर्भर रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और किसानों से प्रत्यक्ष खाद्यान्न की खरीद से एक तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त कर दिया गया है जिससे कृषि क्षेत्र को बहुत अधिक नुकसान हुआ है? सरकार का यह दावा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का केवल विकेन्द्रीकरण किया गया एक बहुत बड़ा धोखा साबित हुआ है।

मुक्त आयात के परिणामस्वरूप मूल्य संरक्षण के लिए सीमा शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि केवल दिखाने भर के लिए है। बढ़े हुए आयात शुल्क का भुगतान कर दिये जाने के बाद भी खोपरे का पोत पर उतरने के बाद वाला मूल्य 17,000 से 18,000 रुपये प्रति टन होगा जबकि वर्तमान बाजार मूल्य 21,000 से 21,500 रुपये प्रति टन है। आयातित नारियल तेल की कीमत वर्तमान बाजार मूल्य से कम है। सभी कृषि उत्पादों का आयात किया जा रहा है और इससे हमारे देश के किसानों की उत्पादन की लागत पर असर पड़ रहा है। इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): ग्रामीण विकास मंत्रालय की डिमांड पर चर्चा हो रही है और ये बजट पर बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री समर चौधरी: महोदय, इस मांग पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री समर चौधरी जी, अब हम ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री समर चौधरी: जी हां, मैं केन्द्र सरकार द्वारा अपनायी गयी नीति के प्रभाव पर बात कर रहा हूं। इसी बारे में चर्चा करनी है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि इस चर्चा के लिए नियत किए गए तीन घंटे के कुल समय में से केवल 11 मिनट आपकी पार्टी को दिये गये हैं। अत: अगर आप विषयान्तर करेंगी तो आपके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए समय शेष न रहेगा।

श्री समर चौधरी: केन्द्र सरकार द्वारा अपनायी गयी नीति के समग्र प्रभाव पर यहां चर्चा की जानी है। हमें इस बारे में भी चर्चा करनी है कि क्या इस बजट से लोगों को कुछ लाभ मिलेगा अथवा नहीं। नहीं अन्यथा हम एक ही विभाग के बारे में अलग से कैसे विचार कर सकते हैं? यह एक आम चर्चा है। अत: मैं इन विषयों पर बोलना चाहता हूं।

महोदय, किसानों को दी जाने वाली अधिकांश राजसहायता में वापिस ले ली गई है किस ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित वस्तुओं का निर्यात सरकार की गलत नीतियों के कारण संभव नहीं हो सका। इससे पहले केवल किसान आत्महत्या कर रहे थे लेकिन अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकर भी आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार ग्रामीण उत्पादकों के हितों की रक्षा करने में पूर्णत: विफल रही है।

महोदय, नौकरशाही के आकार को कम करने के नाम पर अगले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष 66000 नौकरियां समाप्त की जानी हैं। भर्ती पर प्रतिबन्ध आज भी जारी है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के भर्ती बोर्ड समाप्त कर दिया गया है। श्रम कानूनों में प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य बड़े स्तर पर छंटनी करना और कर्मचारियों को नौकरियों से वंचित करना है। अत: रोजगार के अवसरों में आगे कमी आना तय है।

महोदय, कृषि और इससे संबंद्ध क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में कमी आ रही हैं। अन्य क्षेत्र जैसे उद्योग कुटीर उद्योग और व्यापार में भी, रोजगार के अवसरों में कमी आ रही हैं। ग्रामीण लोग कहां जाएंगे? ग्रामीण भारत में जीवन की गति अवरुद्ध हो गयी है। इस समय हमारे देश की यह स्थिति है।

देश भर में किसानों और कषि मजदूरों के आंदोलन को देख पाने में सरकार विफल है और अपनी जन-विरोधी नीतियों और जन-विरोधी आर्थिक कार्यक्रमों को नहीं बदल रही है। बजट रणनीति में यह कहा गया है कि कृषि क्षेत्र, खाद्य अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में त्वरित सुधारों का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन सरकार ने निजीकरण और कृषिगत बीजों के केन्द्रीयकरण के कार्यक्रम को चलाया है ताकि किसानों द्वारा प्रयुक्त बीजों की किस्में के इस्तेमाल को कम किया जा सकें।

निजीकरण और विनियंत्रक के जरिए बीज कंपनियों को खुली छूट देने के परिणामस्वरूप किसानों के लिए बीजों के मूल्य में कृषि रसायनों की कीमत में वृद्धि हो रही है। इससे कृषि ऋण बढ़ रहे हैं और फसलें कम पैदा हो रही हैं। मुक्त बाजार की इन नीतियों के दुख परिणामों के रूप में किसानों द्वारा आत्म-हत्याओं के मामले सम्पूर्ण राष्ट्र के सामने आये हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा क्या हस्तक्षेप किया जायेगा?

रा.ज.ग. सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए (क) नाबार्ड की आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत कारवस धनराशि 500 करोड़ रुपये और बढ़ा दी है (ख) अगले तीन वर्षों में किसान ऋण का जारी करने (ग) नाबार्ड द्वारा एक लाख से ज्यादा स्व-सहायता समुहों को जोड़ना (घ) ऋण की ब्याजदरों में कमी करना (ङ) कृषि निदानालय तथा कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना करना (च) पूर्वी भारत में फार्म जल प्रबंधन व्यवस्था करना (छ) बागवानी के समेकित विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का बजट में प्रावधान किया है। लेकिन इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जो गहरा असर पड़ा है और जिस संकट की स्थिति में वह है उससे उबरने के लिए इसमें कितनी मदद मिलेगी?

इस बजट से ग्रामीण क्षेत्र का संपन्न वर्ग ही प्रसन्न हो सकता है। निगमित क्षेत्र खुश होगा। वह इस बजट से खुश है। पिछले कुछ महीनों से देश के ग्रामीण लोग एक जुट होकर विरोध व्यक्त करने के लिए सड़क पर आ गये। सम्पूर्ण राष्ट्र की मांग है कि इस नीति में परिवर्तन किया जाये। मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह लोगों की मांग का सम्मान करे।

अंतत: मैं इस जन-विरोधी बजट का विरोध करता हूं।

***श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी** (नालगोंडा): उपाध्यक्ष महोदय, हमें स्वतंत्रता मिले 54 वर्ष हो जाने के पश्चात् भी, हम अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी हटाने में सफल नहीं हुए हैं। इस भारी विफलता के लिए जिन्होंने पिछले 50 वर्षों के दौरान इस देश पर शासन किया उन्हें स्वयं को नैतिक रूप से जिम्मेवार मानना चाहिए। आज भी, हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोग भोजन, कपड़ा और मकान के लिए तरस रहे हैं। उन लोगों को ये बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कटिबद्ध प्रयास करने का समय आ गया है। महोदय, श्री वैंकय्या नायडू द्वारा रखी गयी ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए, मैं उनके विचारार्थ कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इस वर्ष 13000 करोड़ रु. रखे गए हैं। महोदय, ग्राम-विकास एकमेव कुशल पंचायती राज प्रणाली पर निर्भर करता है। वर्तमान पांच-स्तरीय पंचायती-राज प्रणाली के स्थान पर तीन-स्तरीय प्रणाली लागू करने के लिए पूर्व में अनेक प्रयास हुए हैं। लोक सभा में वर्तमान-प्रमुख विपक्षीदल-कांग्रेस-बने तो कुछ समय पूर्व, लोक सभा में तद् विषयक एक विधेयक भी प्रस्तुत किया था। किन्तु, आश्चर्य की बात है, कि यही कांग्रेस दल आंध्र प्रदेश में तीन-स्तरीय पंचायती-राज प्रणाली लागू करने के प्रयासों का विरोध कर रहा है। यह सर्वविदित बात है कि पांच-स्तरीय पंचायती-राज प्रणाली में कई खामियां हैं। केवल तीन-स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली ही निर्धनता से ग्रस्त हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के समेकित विकास के लिए उपयुक्त है। ग्राम पंचायतों में दूरगामी परिवर्तन लाये जाने की हरहाल में आवश्यकता है।

सभी पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समुचित कदम उठाए जाने चाहिए। प्रत्येक स्तर पर, सभी के लिए ऐसा व्यापक प्रशिक्षण-कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। ग्राम-स्तर पर सदस्यों तथा सरपंचों, मंडलों के अध्यक्षों, जिला-परिषदों के सदस्यों तथा अध्यक्षों सभी को समुचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। वर्तमान में बैठकें नियत भविष्य के भीतर आयोजित नहीं की जा रही हैं। ये लोग पहली बार तो अपने निर्वाचन के समय इकट्ठा होते हैं, और फिर उनकी अगली बैठक अगले चुनाव के समय ही होती है। इस तरह का कार्य-व्यापार बन्द होना चाहिए। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु सुधारों को लागू करना तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों को समुचित प्रशिक्षण देना एक अत्यावश्यकता है। देश की तरक्की तभी होगी, जब हमारे गांवों की तरक्की हो और वे समृद्धिशाली बनें। यदि हमारे ग्राम पिछड़े हों, तो फिर देश के विकास का कोई अर्थ नहीं रह जाता।

भारत के ग्रामीण इलाके आज जिस सर्वाधिक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, वह है- पेयजल-आपूर्ति। स्वतंत्रता-प्राप्ति के 54 वर्ष पश्चात् भी, हम अपने ग्रामवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा पाने की स्थिति में नहीं है। देश में ऐसे कई इलाके हैं। जहां लोगों को एक घड़ा पीने का पानी लाने के लिए 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इस अपने ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल पहुंचा पाने में बुरी तरह विफल रहे हैं। हमारे देश के कई हिस्सों में जो पीने का पानी उपयोग किया जाता है। उसमें फ्लोरीन होती है। फ्लोरीन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। हमें अपने देशवासियों को फ्लोरीन रहित जल उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। पूर्ववर्ती संयुक्त मोर्चा सरकार ने राजीव प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत यथावश्यक परियोजनाएं लगाकर, प्यास से पीड़ित लोगों को नदी का पानी उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए थे। आंध्र प्रदेश में भी पेयजल की आपूर्ति के लिए अनेक बड़ी परियोजनाएं शुरू की गयी थीं। जैसे-जैसे समय गुजरा, निर्माण की लागत बहुत अधिक बढ़ गयी- और यद्यपि ये परियोजनाएं अपने अंतिम चरण में हैं, तथापि हम उन्हें निर्धारित अवधि में पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। इस वर्ष, केन्द्र सरकार ने देश के 58 जिलों में क्षेत्रीय परियोजनाएं लगाकर सुरक्षित और छनित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने की पहल की है। लेकिन इन क्षेत्रों तक में भी, नलकूपों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता न होने के कारण, लोग फ्लोरीन-युक्त पानी का उपयोग करने पर विवश हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से यह अपील करता हूं कि वे, जहां संभव और आवश्यक हो पीने हेतु नदी जल की आपूर्ति करने के लिए परियोजनाएं लगाने तथा उन्हें पूरा करने के माध्यम से सभी आवश्यक कदम उठाएं। महोदय, आंध्र प्रदेश मेरे अपने जिले नालगोंडा में, श्री माधव रेड्डी के नाम पर एक व्यापक परियोजना- जिसमें श्री शैलम दक्षिणी नहर के जल का पथ परिवर्तन करके जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य था- का प्रारूपण करके उसे मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार को भेजा गया था। 350 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली परियोजना है। पिछले एक वर्ष से यह केन्द्र सरकार के समक्ष लंबित है। मैने ऐसी परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के बाबत माननीय मंत्री को पहले ही अनेक ज्ञापन दिए हैं। यदि इन परियोजनाओं को समय पर मंजूरी मिले और इन्हें आरंभ किया जाय, तो हम निर्धन ग्रामवासियों को कम-से-कम फ्लोरीन-रहित सुरक्षित पेयजल तो मुहैया करा ही सकते हैं। मैं इस अवसर पर, महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करके यह सुनिश्चित करें कि आंध्र प्रदेश की परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी मिले।

महोदय, आज भी, ग्रामीण क्षेत्रों की संचार-प्रणाली अधिकांशतया गांव की सड़कों पर निर्भर करती है। मैं पूरे हृदय से माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री वैंकय्या नायडू का अभिवादन करता हूं कि उन्होंने इस

---

*मूलतः तेलुगु में दिए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

वर्ष 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' कार्यक्रम शुरु किया है। यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। हमारे गांव, के पिछले 50 वर्षों के दौरान बारहमासी सड़कों से वंचित रहे हैं; अब अगले सात वर्षों में वहां डामर की सड़कें होंगी। यह एक उत्कृष्ट पहल है। मैं माननीय मंत्री जी से, अगले छह या सात वर्षों में देश के सभी गांवों में सुरक्षित जल की आपूर्ति करने के लिए, ऐसा ही एक कार्यक्रम शुरू करने का अनुरोध करता हूं। यदि वह ऐसा कर सकें, तो हमारे देश की जनता सदैव उनकी आभारी रहेगी। इससे देश की चहुमुंखी प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

महोदय, ग्रामों में विद्युत-आपूर्ति एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसके विषय में सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। आज भी, हमारे देश के 40 से 50 प्रतिशत ग्रामों में बिजली नहीं है। ग्राम केवल तभी उन्नत और समृद्धिशाली बन सकते हैं, जब हम उन्हें सुरक्षित जल, सड़कें तथा बिजली उपलब्ध करवाने में सफल हों। यदि आप जगह-जगह विद्यालय और कॉलेज खोलकर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करा भी दें; परन्तु यदि बिजली की सुविधा न रहे, तो यह सारा प्रयास निरर्थक ही सिद्ध होगा। अतएव, ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति के लिए ग्रामों का विद्युतीकरण भी समान रूप से आवश्यक है। इस दिशा में विशेष प्रयास किए जाने होंगे। इस प्रयोजनार्थ अधिक धनराशि रखी जानी चाहिए। ग्रामों में स्ट्रीट-लाइट लगाने पर भी बल दिया जाना चाहिए। इस सबके लिए एक विशेष कार्यक्रम और विशेष अनुदान की आवश्यकता है। मैं आशा और विश्वास रखता हूं कि यह सरकार इस समस्या पर भी ध्यान देगी।

महोदय, 'सुनिश्चित रोजगार योजना' के अन्तर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए धनराशि जारी की जा रही है। हमने इस योजना को ग्रामवासी निर्धन लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने और उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ किया है। किन्तु, यह दुर्भाग्य की बात है, कि इस योजना को सही तरीके से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने पूर्व में ही जिला-कलेक्टरों को इस आवाम के मार्गनिदेश दिए हैं कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में स्थानीय संसद-सदस्यों को भी शामिल किया जाये। इन मार्गनिदेशों के अनुसार, स्थानीय संसद-सदस्य से भी परामर्श किया जाना होता है। लेकिन, ऐसा कहीं भी नहीं किया जा रहा है। इंजीनियरों और नौकरशाहों की मनमर्जी और खामखयाली से ही इसका निर्णय हो रहा है और वैसा ही किया जा रहा है। न गरीब लोगों, न ही उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को; किये जा रहे कार्यों से संबंधित कोई जानकारी है। यह देखना केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है कि उसके द्वारा जारी मार्गनिदेशों का अक्षरशः और मूल भावना में पालन हो।

महोदय, मैं डी.आर.डी.ए. के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। जिन माननीय सदस्यों ने इसके पूर्व अपनी बात कही, उन्होंने विस्तार से इस विषय पर चर्चा की थी। जनता के चुने प्रतिनिधियों की भूमिका दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। वास्तव में, देश के कई राज्यों में ऐसे भी कई जिले हैं, जहां 13वीं लोक सभा का गठन हो जाने के बाद से इसकी एक भी बैठक नहीं बुलाई गई है। यह अक्षम्य बात है। मैं माननीय मंत्री जी से इस हेतु अविलम्ब कदम उठाने का अनुरोध करता हूं कि माननीय संसद-सदस्यों को तत्काल इन निकायों का अध्यक्ष बनाया जाये। जनता तथा उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का दृष्टिकोण, प्रशासन का मार्गदर्शन होना चाहिए। सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि, वस्तुतः, जनता को सही मामलों में उसकी संप्रभुता मिले।

हमने 'इंदिरा आवास योजना' के तहत निर्धन व्यक्तियों के लिए आवासों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया है। यहां भी, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं दिखती। इसका 'लक्की ड्रा' तक जिला कलेक्टर निकाल रहे हैं। मैं पुनः इस सरकार से यह अपील करता हूं कि, वह देखे कि, संसद-सदस्यों की इच्छा तथा गरीब जनता की ओर से उन्हें सौंपे जाने वाले अभ्यावेदनों पर समुचित कार्यवाही की जाए।

महोदय, देश में भूजल का स्तर और गिरता जा रहा है। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमने पनधारा कार्यक्रम शुरू किया है। लेकिन कुछ क्षेत्रों से अनियमितताएं बरते जाने की सूचना मिली है। सरकार को यह देखना चाहिए कि इस कार्यक्रम में कोई अनियमितताएं न हो। यह सरकार की मुख्य चिंता होनी चाहिए कि भू-जल का स्तर सुरक्षित रहे। इस कार्यक्रम को देश के सभी सूखा प्रवण क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए.

महोदय, देश की उन्नति हमारे गांवों की संपन्नता के ऊपर निर्भर करती है। महोदय, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। पिछले 15 दिनों से हम सदन की कार्यवाही में भाग लेने के अवसर का बेसब्री से इंतजार करते रहे हैं। हम चाहते थे कि लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए आम कार्यवाही शुरू हो। यह सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों पार्टियों का पवित्र दायित्व है कि सदन सही ढंग से चले ताकि लोगों की समस्याओं का हल हो सके। देश एक ओर भारी सूखे का सामना कर रहा है तो दूसरी ओर बाढ़ है। लोग सभी तरह की पीड़ाओं और बाढ़ों को झेलने को मजबूर है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यहां जनता का सर्वोच्य मंच हैं जहां उनके प्रतिनिधियों द्वारा उनकी समस्याओं को उठाया जाना है। यही वह मंच है जो राष्ट्र को मार्गदर्शन देता है। फिर भी सदन का गत 15 दिनों का बहुमूल्य समय बेकार चला गया है और लोगों की शिकायतों को उठाया नहीं जा सका। तात्कालिक मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी। हम चर्चा नहीं कर सके और उपचारात्मक उपाय नहीं

कर सके। यह अत्यन्त निन्दनीय है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। महोदय, हम सदन के लिए नये हैं और इसलिए हम जनता के समक्ष आने वाली समस्याओं को प्रकट करने के लिए उत्सुक हैं। माननीय मणि शंकर अय्यर ने अपने भाषण में कहा कि हम राष्ट्र का शासन चलाने में अक्षम हैं और इसलिए सत्ता की बागडोर उन्हें सौंप देनी चाहिए। ठीक इसी लिए उनकी पार्टी ने गत 15 दिनों से सभा की कार्यवाही को रोक रखा है।

महोदय, सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि लोगों की उन्नति और संपन्नता महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय पार्टियों सहित सभी राजनीतिक पार्टियों को इसे समझना चाहिए और इस बुनियादी सच्चाई को महत्व देना चाहिए।

गंगा, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी नदियों को जोड़ना हमारे ग्रामीण क्षेत्रों और हमारी कृषि आधारित अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है। इससे इस सिंचाई के लिए अधिक जल उपलब्ध करा सकते हैं। इससे सभी के लिए पेय जल उपलब्ध कराना भी संभव होगा। केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों को एकमत होना होगा और इस बड़े मुद्दे पर ध्यान देना होगा। इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि देश की संपन्नता ग्रामीण जनता की समृद्धि पर निर्भर करती है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि बड़ी नदियों को जोड़ने के कार्य को सर्वोच्य प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।

देश में गरीब सोचते हैं कि नौकरशाही को बनाए रखना ही केन्द्र तथा राज्य सरकार का एक मात्र दायित्व है। उन्हें ऐसा लगता है कि अपने कर्मचारियों को वेतन और भत्ते का भुगतान करना ही उनका एक मात्र कार्य है। ऐसी छवि को समाप्त किया जाना चाहिए। इस धारणा को समाप्त करने की आवश्यकता है। माननीय वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने अपने बजट भाषण में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर 79,000 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं जबकि ब्याज पर 1,00,000 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। इसके बाद विकास के उद्देश्य के लिए 0 धन वहां बचता है?

महोदय, यदि सचमुच देश की उन्नति के इच्छुक हैं तो ग्रामीण विकास के लिए अधिक धनराशि का आवंटन करना चाहिए। कृषि क्षेत्र को सर्वोच्य प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। देश में प्रत्येक नागरिक को भोजन, आवास, जल, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। यह किसी भी चुनी गई सरकार का पवित्र दायित्व है। प्रतिपक्षी पार्टियां भी इस महान और विराट कार्य को पूरा करने में बराबर की भागीदार हैं।

महोदय, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं कि आपने मुझे गरीब और ग्रामीण जनों के सम्मुख अनेक समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाने के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान किया।

जय हिन्दा। यह जन्मभूमि।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट): मैं श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी से तेलगू देशम नेता को अपने भाषण की अक्षरश: रिपोर्ट देने का अनुरोध करूंगा ताकि वे राज्य सरकार की मदद कर सकें। उनके सभी सुझाव सिर्फ श्री एम. वैंकय्या नायडू के लिए नहीं है बल्कि श्री चन्द्रबाबू नायडू के लिए भी हैं।

श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: मैं भारत सरकार को आंध्र प्रदेश को एक आदर्श राज्य के रूप में अपनाने का सुझाव दे रहा हूं। वे देश में आंध्र प्रदेश के सभी कार्यक्रमों को लागू कर सकते हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अखिलेश सिंह जी, आपकी पार्टी के नौ मिनट है।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): महोदय, आप पहले ही हमें समय-सीमा बांध रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसके लिए तीन घंटे का टाइम फिक्स किया है।

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं कोशिश करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: कोशिश नहीं, आपको इतने समय में पूरा करना है। अभी आपसे पहले जो माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने भी नौ मिनट में अपना भाषण पूरा किया है।

कुंवर अखिलेश सिंह: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत गांवों का देश है और यह देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस देश के गांव तरक्की नहीं करेंगे। 53 साल की आजादी के बाद इस देश में गांवों ने कितनी तरक्की की है, यह इस बात से साबित हो जाता है कि आज भी देश की आधी से अधिक आबादी शुद्ध पेयजल को प्राप्त करने के लिए तरस रही है। यह केवल मेरा ही कहना नहीं है, अभी मणिशंकर जी ने भी अपने भाषण में इस बात को रखा है। यह कहा जा रहा है कि देश ने बहुत अधिक तरक्की कर ली है, तरक्की करना तो मनुष्य का स्वभाव है। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय दुनिया के अन्य देश विकास के पथ पर कहां थे और आज 53 वर्षों में उन देशों ने कितनी अपेक्षित प्रगति की है। अगर हम उनसे तुलनात्मक दृष्टिगत अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट तौर पर वास्तविकता उजागर होकर सामने आ जाएगी।

[कुंवर अखिलेश सिंह]

महोदय, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि देश को जिस गति से तरक्की करनी चाहिए थी, उस गति से देश 53 साल की आजादी के बाद भी तरक्की नहीं कर सका। आज जब हमने ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुमान मांगों को देखा तो हमें यह लगा कि एनडीए की सरकार पिछले दिनों से कुछ भी सबक लेना नहीं चाहती है और नौकरशाही द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी भी अपने मंत्रालय को चलाना चाहते हैं। आज ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक उन्नयन के लिए विभिन्न योजनाओं को चला रहा है, लेकिन उन विभिन्न योजनाओं का लाभ ग्रामीण जगत को कितना मिला है, इस सच्चाई को हम सभी लोग जानते हैं। हम इस सच्चाई से इंकार नहीं कर सकते कि जिस पेयजल के लिए हमारे और आपके मन में दर्द है, उस शुद्ध पेयजल को उपलब्ध कराने के लिए हम उदाहरण देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जल निगम इंडिया मार्का हैंड पम्प को 18 से 20 हजार रुपए की लागत में लगाता है। यदि उसे सरकार किसी भी स्वयंसेवी संस्था से या सीधे तौर पर लगाने की इजाजत दे तो दस से 12 हजार रुपए से ज्यादा का खर्च नहीं आता। हम जनता के धन की इतनी लूट, बर्बादी कब तक देखते रहेंगे, इस पर भी सदन को ईमानदारी पूर्वक विचार करना चाहिए।

महोदय, आज देश के विकास की बात कही जा रही है। हम यह कहना चाहते हैं कि देश की आजादी के बाद से निरंतर हमने ग्रामीण जगत के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए निरंतर धन में वृद्धि करने का कार्य किया है, लेकिन उस धन वृद्धि का कितना लाभ वास्तविक व्यति को मिला है, इस बात से भी हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हम इस सच्चाई से इंकार नहीं कर सकते कि धन तो निरंतर बढ़ता गया, बजट निरंतर बढ़ता चला गया, लेकिन गरीब, गांव का विकास उस गति से, ढंग से नहीं हुआ, जो हमारी सोच थी।

कहीं न कहीं इस पर हमें और आपको खुले मन से विचार करते हुए उन कमियों को दूर करना होगा।

आपके द्वारा जो सुनिश्चित रोजगार योजना चलाई जा रही है उसके अंतर्गत भौतिक स्तर पर क्या कार्य हो रहे हैं, उसकी भी जांच हमको और आपको करनी चाहिए। हम ग्रामीण विकास मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के किसी भी हिस्से में अगर आप सुनिश्चित रोजगार योजना की वास्तविकता को जानना चाहते हैं तो एक संसदीय समिति का गठन कर दें और अगर वह जाकर हर प्रदेश में देखेगी तो उसको 50 प्रतिशत कार्य भी देखने को नहीं मिलेगा। यह संपूर्ण देश की स्थिति है। इस योजना के अंतर्गत जिस तरीके से धन का दुरूपयोग हो रहा है वह अनुचित है और इसके खिलाफ हम सबको मिलकर एक नया रास्ता अख्तियार करना होगा।

आज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में भाई शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं सहायता समूह की बात कही। हम कहना चाहते हैं कि स्वयं सहायता समूहों में भी इसके अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा है। अगर गरीब व्यक्ति के आर्थिक स्तर को आप ठीक देखना चाहते हैं तो यह पैसा सीधे-सीधे गरीब तक ही जाना चाहिए। अगर आप बीच के मिडिल मैन को खत्म नहीं करेंगे तो इस योजना में वास्तविक सफलता आपको नहीं मिलेगी और धन की बंदरबांट होती रहेगी।

प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 2500 करोड़ रुपया गत वित्तीय वर्ष में और 2500 करोड़ रुपया अगले वित्तीय वर्ष में करने का प्रावधान किया है। इस विषय में हम कहना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिन मापदंडों का निर्धारण आपने किया है उतनी चौड़ी सड़कों का मिलना सी संभव नहीं है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बात खासतौर से कह रहा हूं। कहीं पर भी आपको उतनी चौड़ाई में वास्तविक सड़कें नहीं प्राप्त होंगी। इस समय उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा जिन बाकी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है उसमें 10 लाख रुपये की लागत आ रही है लेकिन यदि वास्तविक रूप से उस कार्य पर धन खर्च देखा जाए तो सात लाख रुपये से ज्यादा का खर्च नहीं है। लेकिन प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत उन्हीं सड़कों के निर्माण पर 18 लाख से लेकर 22 लाख रुपये का आंकलन लोक निर्माण विभाग ने प्रस्तुत किया है। मैं अन्य जनपदों की बात नहीं जानता लेकिन महाराजगंज, गोरखपुर, बसी, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, देवरिया जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद हैं वहां पर लोक निर्माण विभाग ने जो आंकलन प्रस्तुत किए हैं वह 18 से 22 लाख रुपये के किए हैं। हमारी मंशा साफ है कि बाकी की सड़कों को गांवों से जोड़ा जाना चाहिए लेकिन नौकरशाही जिस तरीके से इन योजनाओं में बाधा डाल रही है और जिस तरीके से कम लागत की योजनाओं को अधिक लागत की योजनाएं बना करके कार्यों में कटौती करने का कार्य वह कर रही है, इस पर भी आपको नये सिरे से विचार करना होगा। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि प्रधान मंत्री सड़क योजना में आपने जो मापदंड निर्धारित किए हैं उनमें बारह से साढ़े बारह लाख रुपये में अच्छी सड़क का निर्माण हो जाएगा। अब 18 से 22 लाख रुपए अगर एक किलोमीटर पर खर्च करने की उनको इजाजत आप देंगे तो यह जनता के धन का दुरूपयोग होगा।

दूसरी बात यह है कि जो वार्षिक कार्य-योजना बनाई गयी है वह आपके दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है। वार्षिक कार्य योजना में ही आपके दिशा-निर्देशों को उल्लंघन किया गया है। इसकी भी

आपको मॉनिटरिंग करनी चाहिए और इसके लिए दंडात्मक प्रावधान करने चाहिए। सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय सामाजिक योजना के अंतर्गत, समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत जो धन की बंदरबांट हो रही है यह कफन चोरी के समान है। हमारी सोच है कि हम उस गरीब व्यक्ति को आवास दें जिनके पास छत नहीं है, भवन नहीं है। लेकिन हो यह रहा है कि गांव के अंतर्गत जो ग्राम पंचायते प्रस्ताव पास कर रही हैं उनके विपरीत भी नौकरशाही अपने-अपने तरीके से अड़ंगे लगाने का कार्य कर रही है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत और ग्राम आवास योजना के अंतर्गत अगर आप 20 हजार रुपये का लक्ष्य रख रहे हैं तो उसमें से पांच से लेकर दस हजार रुपये की रिश्वत लेकर लोगों को आवास आवंटित किया जा रहा है। इंदिरा आवास के आवंटन में जो लूट हो रही है, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जो धन की लूट हो रही है यह कफन चोरी के समान है। जब तक आपराधिक कृत्य का मुकदमा इस कफन चोरी के खिलाफ आप नहीं करेंगे तब तक यह चोरी नहीं रोकी जा सकती है और जितना धन आप दे रहे हैं उस धन का वास्तविक उपयोग नहीं किया जा सकता है।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि जितना केन्द्र धन दे रहा है उसके केवल 40 पैसे गांव तक जा रहे हैं। आज मुझे यह कहने मं संकोच नहीं है कि आप चाहे किसी भी तरह से इसका भौतिक सत्यापन करा लें, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत दिए जाने वाले पैसों का जब अंतिम व्यक्ति तक हिसाब-किताब लगाएंगे तो 30 से 40 पैसे से ज्यादा उस व्यक्ति के हिस्से में नहीं आएंगे। इसे कैसे रोका जाए, इस पर हमें और आपको ईमानदारी से विचार करना होगा। यदि सुनिश्चित रोजगार योजना और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि के दुरूपयोग को आप रोकना चाहते हैं तो आपको संसदीय समितियों का गठन करना होगा। आपको यह नहीं देखना होगा कि राज्य क्या कह रहे हैं। उस संसदीय समिति की रिपोर्ट के अंतर्गत जो लोग दोषी पाए जाएं, उनके विरुद्ध यदि कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम इन योजनाओं को मूर्त रूप नहीं दे पाएंगे।

आज गांवों में शिक्षा की दुर्दशा है। इस पर हमें और आपको ध्यान देना होगा। वहां से शिक्षा प्राप्त करके किस तरह के नौजवान निकल कर आएंगे और कैसे भारत का निर्माण करेंगे, इस पर हमें और आपको विचार करना होगा। अभी शिवराज जी ने कहा कि गांवां में दो वर्षों में स्कूलों का निर्माण हो रहा है और दो साल के अन्दर ही वे बिल्डिंगें धराशाही हो रही हैं। वे बिल्डिंगें बच्चों के लिए कब्र के समान हैं। जिन लोगों ने ऐसे गलत स्कूलों का निर्माण किया, उनके विरुद्ध यदि कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हम आने वाली पीढ़ी को नए संदेश नहीं देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी योजनाओं को आप कार्यान्वित करा रहे हैं, उनका कार्यान्वयन सही तरीके से हो, उनका सही तरीके से मॉनिटरिंग हो और जो दोषी लोग हैं उनके साथ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक दुराग्रह के कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो। तभी इन योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ आम आदमी को मिलेगा। अभी धन का रोना रोया जा रहा था। सुनिश्चित रोजगार योजना और प्रधान मत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जो धन आवंटित किया जा रहा है, अगर इसमें धन की कटौती करके सीधे सांसद विकास निधि में दिए जाने वाली राशि को बढ़ा कर 4-5 करोड़ रुपए कर देंगे तो ज्यादा लाभ होगा। आप जो दो करोड़ रुपए अतिरिक्त देंगे उसे निश्चित तौर पर दिशा-निर्देश में जोड़ दें कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत केवल दो करोड़ रुपए से पक्की सड़कों का निर्माण होगा और एक हजार की आबादी को जोड़ने का काम किया जाएगा। उस दो करोड़ रुपए में हम 20 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण करेंगे। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दो करोड़ रुपए में अधिक से अधिक 12 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण होगा।

ग्रामीण विकास मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उससे हमें ऐसा दिखाई नहीं देता कि यह सरकार उन लक्ष्यों को पूरा करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अच्छा बोल रहे हैं। अब आप समाप्त करें।

कुंवर अखिलेश सिंह: जिन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बजट में जो संकेत दिए हैं, उसकी नीयत पर हमें संदेह है। इसलिए मैं बजट का विरोध करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, दसवें वित्त आयोग ने सवा सौ करोड़ रुपए सालाना पंचायत मद के लिए रखे गए थे लेकिन पंचायत चुनाव न होने का बहाना बना कर बिहार के पिछले चार वर्षों से 500 करोड़ रुपए रोक लिए गए। अब वहां पंचायत चुनाव हो रहे हैं। दो तिहाई चुनाव समाप्त हो गए हैं। एक तिहाई बाकी हैं। 27 से 30 अप्रैल तक सारे चुनाव हो जाएंगे। सरकार बताए कि 500 करोड़ रुपए दुश्मनी की वजह से उसने रोके हैं उनका कब भुगतान होगा? तारांकित प्रश्न के उत्तर से हमें यह लगता है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बिहार में 35 हजार गांव और आन्ध्र प्रदेश में तीन हजार गांव अभी तक सड़कों से नहीं जुड़े हैं लेकिन बिहार को 49 करोड़ रुपए मिले हैं और आन्ध्र प्रदेश को 190 करोड़ रुपए मिले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या आधार है? आप कहते हैं कि गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा और इसके लिए अच्छी राशि का प्रावधान किया जाएगा।

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

अब एक साल बीत गया है लेकिन बिहार को पैसा नहीं दिया गया है। दूसरे साल नाम बदल दिया गया है और कहा गया कि यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। इस तरह से देश और माननीय सदस्यों के साथ बेइमानी और छल किया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार को कितना धन दिया गया है? हमारे बिहार में यह पैसा कम कर दिया गया है। बिहार में 35 हजार गांव बिना सड़क से जुड़े हुये पड़े हैं जबकि आन्ध्र प्रदेश में 1500 गांव बाकी हैं। इस तरह से कैंसे चलेगा? उपाध्यक्ष महोदय, बार बार यहां कहा जाता है कि माननीय सदस्यों को भागीदारी दीजिये। लेकिन यह निकम्मी सरकार नदीं दे सकती है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अब व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधानः उपाध्यक्ष महोदय, यह पैसा बिहार सरकार चारा घोटाला में खा गई...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री प्रधान, यह क्या है? अब व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, चारा घोटाले का मुख्य तो प्रधानमंत्री हैं। बिहार में तो नहीं, यहां की सरकार सब पैसा लूटकर खा गई जिसमें इस मंत्रिमंडल के सभी सदस्य हैं। यह सरकार शेयर घोटाला में लूट कर रही है, टेलीफोन घोटाला कर रही है...*(व्यवधान)* आपने मुझे बीच में क्यों टोका और आप क्यों छेड़ते हैं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अब व्यवदान न डालें। हमारे पास समय नहीं है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः उपाध्यक्ष जी, मैं बता रहा था कि ऐसा किस प्रकार चलेगा? सरकार ने वर्ष 2000 को ग्रामसभा वर्ष घोषित किया था, सरकार ने क्या-क्या किया, क्या माननीय सदस्यगण बतायेंगे? ग्रामसभा को क्या-क्या अधिकार दिये गये हैं। संविधान के आर्टिकल 243 में यह अधिकार दिया गया था कि यह एक कांस्टीट्यूशन बॉडी होगी लेकिन मैं सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि इसको प्रचारित नहीं किया गया और ग्राम सभा की उपेक्षा की गई। अभी कुंवर अखिलेश सिंह कह रहे थे कि ग्रामीण विकास की जितनी योजनायें लागू हो रही हैं, उनमें इन्दिरा आवास योजना में गरीब लोगों से दो-दो, तीन-तीन हजार रुपया घूस का लिया जा रहा है। क्या गरीबों की इस तरह से मदद हो रही है...*(व्यवधान)* मैं आप विद्वान लोगों से सीखना चाहूंगा। ग्राम सभा के लिये सरकुलर और गाइडलाइन्स तो भारत सरकार ने दी हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यहां माननीय सदस्यों को आश्वासन दिया गया था कि हम गाइडलाइन्स देंगे, लेकिन क्यों नहीं दी गई? आपने वचनभंग किया है, इसलिये सकार वचनभंगी है। माननीय सदस्यों को जो आश्वासन दिया जाता है, उसे पूरा नहीं करती है। मेरा आग्रह है कि सभी सदस्यो को गाइडलाइन्स दें। यदि यहां एम.पी. हैं तो स्टेट में एम.एल.एज. हैं। वे लोग क्या जानते हैं कि गड़बड़ नीचे से हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अंतिम बात यह है कि एमपीलैड में पैसा बढ़ाया जाये। श्री शौरी साहब ने कोर्ट में केस कर दिया है और वे मंत्री से भी ऊपर हैं। यह कैसे होगा? क्या ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। सी.ए.जी. की रिपोर्ट खिलाफ आ जाती है। इसलिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में दो करोड़ रुपया एम.पी. की अनुशंसा पर बढ़े ताकि सड़क बने। मैं यह भी मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू हो। सरकार इस संबंध में एक वक्तव्य दे। माननीय सदस्यों की आकांक्षाओं और ग्रामीण विकास में सहयोग देने के लिये सरकार कार्यवाही करे।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): उपाध्यक्ष महोदय, देश की आठ प्रतिशत से अधिक आबादी आज ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।

उपाध्यक्ष महोदयः आपको सात मिनट का समय दिया गया है।

श्री अनंत गंगाराम गीतेः जब हम राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रामीण विकास की होनी चाहिए। बिना ग्रामीण विकास के राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता।

अपराह्न 1.51 बजे

(डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए)

भारत सरकार की ओर से ग्रामीण विकास की कई योजनाए चलाई गई हैं, विशेषकर जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए हर साल करोड़ों रुपया हम खर्च करते हैं।

फिर भी गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के प्रतिशत में कोई सुधार नहीं दिखायी देता है। सभापति महोदय सारी योजनाएं राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जाती हैं। बिना राज्यों के योगदान के हम किसी योजना को सफल नहीं बना सकते। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर तीन महत्वपूर्ण विभाग आते हैं, जिनमें पेयजल आपूर्ति विभाग, लैंड रिसोर्सेज डेवलपमैंट और रूरल डेवलपमैंट मुख्य हैं। श्री मणि शंकर अय्यर जी बार-बार यहां स्थायी समिति का जिक्र कर रहे थे, स्थाई समितियों की सिफारिशों का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने यहां कई सिफारिशों को कोट किया, लेकिन जो रिजल्ट्स हमें पेपर पर दिखाई देते है, वे रिजल्ट्स वास्तविकता में नहीं पाये जाते। जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां लोगों की शिकायतें आती हैं और जब हम वास्तविकता देखते हैं तो जो रिजल्ट्स योजनाओं के हमें पेपर्स पर दिखाई देते हैं वे वास्तव में दिखाई नहीं देते हैं।

सभापति महोदय, जमीन के अंदर जो जल का स्तर है वह भूजल स्तर प्रति वर्ष नीचे होता जा रहा है। यह सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, सारी दुनिया के सारे देशों की यही स्थिति है। किसी गांव के लिए मान लीजिए हमने बोरवैल दिया हैं, आज वहां बोरवैल से पानी मिल रहा है, आज वहां पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष हमें सौ फीट के नीचे बोरवैल से पानी मिल रहा है। लेकिन अगले वर्ष हम इस बात को नहीं कह सकते कि सौ फीट में यहां पानी मिलेगा। अगले वर्ष पानी 150 फीट नीचे चला जाता है। हमें पेपर पर दिखाई देता है कि गांव में बोरवैल दिया है और पेयजल समस्या खत्म हो गई है जब वास्तव में देखते हैं तो बोरवैल काम नहीं कर रहे हैं, बोरवैल सूखे पड़े हुए हैं। इसलिए जो दिशा-निर्देश इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के जरिये, भारत सरकार के जरिये, तय किये गये हैं, क्रियान्वयन में यह अनुभव होता है कि राज्य सरकारों के द्वारा उनका पालन नहीं होता है। राज्य सरकारें अपने दिशा-निर्देश तय करती हैं और यहां के दिशा-निर्देशों का पालन न होने के कारण इन योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीण जनता तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि जो दिशा-निर्देश हम तय करे, सभी राज्यों को उनका सख्ती से पालन करना चाहिए और भारत सरकार द्वारा लगातार इसकी जांच होनी चाहिए कि दिशा-निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं।

सभापति जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज सुबह प्रश्न काल में एक प्रश्न आया था प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में। आजादी के बाद पहली बार ग्रामीण सड़कों के लिए 2500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। 2500 करोड़ रुपये जो खर्च करने का निर्णय हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया, उसमें से लगभग 2435 करोड़ रुपये अलग-अलग राज्यों को रिलीज भी हो चुके हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए जो दिशा निर्देश हैं, वे बिल्कुल साफ हैं। खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जिन गांवों को सड़कों से जोड़ा नहीं गया है, उन गांवों को सड़कों से जोड़ना इसका उद्देश्य है। ऐसे लाखों गांव हैं जिनको सड़कों से जोड़ना आवश्यक है लेकिन एक साल में या पांच साल में देश के हर गांव को मुख्य सड़क से हम नहीं जोड़ सकते और इसलिए हमने दिशा निर्देश तय किये हैं कि 1000 से ज्यादा आबादी वाले गांवों को पहले जोड़ा जाए। 2003 तक 1000 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा और 2005 तक 500 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ जाएगा। महाराष्ट्र की सरकार ने अपने कुछ अलग दिशा निर्देश बनाए हैं जिनकी शिकायत हमने लिखित रूप में मंत्री जी को की है। उन्होंने गाइडलाइन तय की है कि 1500 से ज्यादा आबादी वाले गांवों को पहले लिया जाए।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): यह भी 1000 से ऊपर है।

श्री अनंत गंगाराम गीते: लेकिन 1500 से नीचे वाले इसमें नहीं आएंगे। राज्यों को यह अधिकार किसने दिया है? यह योजना सौ प्रतिशत यदि भारत सरकार की है, सौ प्रतिशत राशि भारत सरकार की इस पर लगी है तो राज्यों को अपने दिशा-निर्देश बनाने का हक नहीं है। जो भारत सरकार के दिशा-निर्देश हैं, उसी पर राज्य सरकारों को अमल करना चाहिए और इसके लिए सख्ती भारत सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने 1500 का दिशा निर्देश तय किया है। हमारा देश पहाड़ों, जंगलों और नदियों से घिरा हुआ देश है। जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर कहीं भी एक जगह बस्ती नहीं दिखाई देती। अलग-अलग जगहों पर बस्तियां होती हैं। कहीं 10 घर, 20 घर और कहीं 50 घर होते हैं। पहाड़ी इलाकों में तो 1000 की आबादी की गांव भी दिखाई नहीं देते। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि पहले जो 500 वाले हैं जो आजादी से आज तक सड़क नहीं देख पाए हैं, जो मुख्य सड़क से जुड़े नहीं हैं, उनको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए लेकिन इस प्रकार जो अपने-अपने अलग-अलग दिशा निर्देश राज्य सरकारें बनाती हैं उन्हें यह कहना आवश्यक है कि जो केन्द्र सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं, उसके अनुरूप ही केन्द्र की योजनाओं पर क्रियान्वयन होना चाहिए।

सभापति जी, सारे सदन से बार-बार मांग होती है। पहले मांग थी कि डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन एम.पी. होना चाहिए। अब मांग होती है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से भी 'एम.पी. लैड्स' को दो करोड़ रुपये देना चाहिए। यह इसलिए है कि जो क्रियान्वयन होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। जो पुरानी सकड़े हैं,जो ठेकेदारों के बिल देने बाकी हैं, वे प्रधान मंत्री सड़क योजना के फंड से होने जा रहे हैं। इसलिए सदन की ओर से बार-बार ऐसी मांग आ रही है। मेरा सुझाव है कि ग्राम सड़क योजना को 'एमपीलैड्स'

[श्री अनन्त गंगाराम गीते]

से जोड़ा जाए। यह सबसे अच्छा होगा। एक-दो करोड़ रुपए मांगने से अच्छा है कि इस योजना को 'एमपी लैड्स' से जोड़ा जाए।

अपराह्न 2.00 बजे

सभापति महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यदि इस योजना को भी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.) से जोड़ दिया जाए और जो दिशा-निर्देश आपने दिए हैं, बिल्कुल उन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार यह धन अपने-अपने क्षेत्रों में खर्च होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्र के विकास में, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अहम भूमिका होनी चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय को इस बात को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय को विशेष रूप से और अधिक धन विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. बलिराम (लालगंज): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में ग्रामीण विकास मंत्रालय के ऊपर चर्चा हो रही है और सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है। भारत गांवों का देश है और 70 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। इसमें से 80 प्रतिशत से ज्यादा जनता किसान और खेत मजदूर है। किसान और खेत मजदूरों को अगर हम देखें तो 85 प्रतिशत से ज्यादा तो वे खेत मजदूर हैं जो रात-दिन खेती काम करते हैं, लेकिन उनके पास खेत नहीं हैं क्योंकि वे दूसरों के खेतों पर खेती करते हैं और अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाते हैं। बाबा साहब डॉ अम्बेडकर ने 1942 में इस समस्या को अंग्रेजों के सामने रखा कि जो लोग दूसरों के खेतों पर खेती करते हैं, यदि उन्हें खेत का इंतजाम नहीं किया गया, तो वे अपने गांव और देहातों को छोड़कर शहरों में चले जाएंगे।

सभापति महोदय, आज योजना आयोग भी बार-बार यह कह रहा है कि जितनी जमीन पर खेती होती है उससे दुगनी जमीन परती और बंजर है तथा सरकार की कस्टडी में है। इन जमीनों को आबाद करना चाहिए। अगर ये जमीनें आबाद नहीं की गई, तो ये बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए मैं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि देश के गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए आज जो योजनाएं चल रही हैं उनके साथ-साथ देश की बंजर जमीन को भी आबाद करने की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसे देश खेतीहर मजदूरों को दिया जाना चाहिए। देश के खेतिहर मजदूरों को यदि खेत मुहैया नहीं कराते हैं, तो सही मायने में उनकी गरीबी दूर नहीं होगी।

सभापति महोदय, जहां तक रोजगार का संबंध है, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, वह समय-समय पर गरीबों के विकास के लिए, उनकी गरीबी दूर करने के लिए तमाम योजनाएं चलाती है, लेकिन उनकी गरीबी दूर नहीं होती। देश में स्वरोजगार योजनाओं के तहत अनेक योजनाएं चल रही है जैसे मुर्गीपालन, सुअर पालन या भैंसपालन। इस तरह की अनेक योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई लेकिन गरीबों को उनका सही मायने में लाभ नहीं मिला।

अपराह्न 2.04 बजे

(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुई*)

सभापति महोदय, उनका लाभ गरीबों को इसलिए नहीं मिला क्योंकि गरीबों के सामने इन योजनाओं का लाभ उठाने में अनेक अड़चनें आती हैं। उन योजनाों का उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जो ऋण उनको उन योजनाओं के तहत मिलता है, उसमें से आधा ऋण तो अधिकारी अपनी बंदरबांट कर लेते हैं और आधे ऋण को लेकर जो रोजगारु शुरू करते हैं, उनमें अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और उन्हें घाटा जाता है और सारी की सारी पूंजी तबाह हो जाता है। उस गरीब की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसलिए मैं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जिलों को इस प्रकार के निर्देश दिए जाएं कि गरीबों के लाभ के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका पूरा लाभ गरीबों को मिले, इस बात का पूरा-पूरा प्रबन्ध होना चाहिए।

जैसे आज हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि कोई संसदीय समिति बने ताकि उसका निरीक्षण करके उसके ऊपर एक दबाव बने जिससे उसका सही ढंग से कार्यान्वयन हो सके। जहां तक पेयजल की समस्या का सवाल है, तो सचमुच एक बहुत ही समस्या हमारे देश में है। पेय जल की समस्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने बताया कि जिन सरकारी संस्थाओं को इंडिया मार्क का एक हैंडपम्प लगाने का जिम्मा दिया गया है, वह करीब 20-22 हजार रुपये में उस हैंडपंप को लगा रहे हैं जबकि कुछ निजी संस्थायें इसको 12-13 हजार रुपये में लगा देती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रावधान है कि हैंडपम्प का जिम्मा सिर्फ जल निगम को दिया गया है और वही जल निगम उसे लगायेगा। उसमें पानी आ रहा है या नहीं, वह बंद हो गया है या नहीं, उसकी कोई देख रेख सरकार की तरफ से या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से नहीं की जा रही है। जितने भी हैंडपम्प आजमगढ़ क्षेत्र में लगे हैं, उसमें से आधे हैंडपम्प खराब होने की वजह से बंद पड़े हैं। उसके लिए अलग से बजट का कोई प्रावधान नहीं है। मै चाहूंगा

कि इस तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाया जाये जिससे इस समस्या का समाधान हो सके।

सड़क योजना के संबंध में भी मैं कुछ बताना चाहूंगा। जैसा अभी हमारे माननीय सदस्यों ने बताया कि पांच हजार और एक हजार के ऊपर के गांव की योजना उधर भी गयी है लेकिन जब एक दो बार जिला अधिकारी के समक्ष मीटिंग हुई, डी.आर.डी.ए. की मीटिंग हुई तो उस बैठक में पूरा का पूरा प्रस्ताव हम लोगों के सामने रख दिया गया और उस पर हमारी कोई राय नहीं ली गई। उसमें जनसंख्या का जो आंकड़ा दिया गया, वह भी गलत था। इसके अलावा सड़कों की जो लम्बाई-चौड़ाई दी गई, वह भी गलत थी। वहां पर इस तरह की गाइडलाइन होनी चाहिए कि उस गांव के जो सांसद हैं, कम से कम उसमें उनका इन्वाल्वमैंट होना चाहिए। जिन सड़कों को चुना जा रहा है, उनके बारे में मौके पर सांसद भी निरीक्षण करे और प्रशासनिक अधिकारी भी करे। उसके बाद ही सही ढंग से उसका मूल्यांकन हो सकेगा, कार्य हो सकेगा।

यहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिन कार्यकारी संस्थाओं को काम दिया जा रहा है, मैं इस सदन में इस बात को बड़े दुखी हो कर कह रहा हूं कि जब हम वहां जाते हैं तो वह कार्यकारी संस्थायें कहती हैं कि 20 परसेंट हमारे विभाग का हो गया, दो परसेंट डी.आर.डी.ए. का हो गया, 3 परसेंट डी.एम.का हो गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह का कोई नियम है चूंकि वहां उनको तन्ख्वाह मिलती है, उसके बावजूद भी हरेक काम में उनका 2 परसेंट, 4 परसेंट या 5 परसेंट होता है यानी इस तरह से वह 25 परसेंट से लेकर 30 परसेंट तक पैसा अपने पास रख लेता है। इसके बाद ठेकेदार है तो मेरा कहना है कि कितना काम होगा। यदि उस सड़क की जांच कराई जाये तो हर साल उस सड़क पर तीन-चार बार काम भी आ जाता है। जब हम उनकी जांच के लिए लिखते हैं तो जांच के लिए जो एजेंसी आती है, वह यह सूचना भी हमें नहीं देती की उस जांच में क्या पाया गया। इसलिए जब तक संसदीय समिति नहीं बनेगी तब तक सही ढंग से काम नहीं हो पायेगा और ग्रामीण विकास के लिए जो अलग से पैसा दिया जा रहा है, उसका भी कोई लाभ नहीं हो सकेगा।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत गांव का देश है और अधिकांश जनता गांवों में रहती है और उसके मुताबिक जितना बजट गांवों के ऊपर खर्च होना चाहिए, इस बजट में वैसी व्यवस्था नहीं की गई है। मैं बताना चाहूंगा कि 1995 में जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई तो उस समय एक सर्वे कराया गया था कि 1 लाख 30 हजार गांव उत्तर प्रदेश में हैं।

जिसमें से पचास हजार गांव ऐसे हैं जो विकसित हो गए लेकिन अस्सी हजार गांव ऐसे हैं जिनका विकास नहीं हुआ। उनके विकास के लिए डा. अम्बेडकर गांव विकास योजना बनाई गई जिसके तहत कमोवेश कुछ गांवों का विकास हुआ। लेकिन उसके बाद जो सरकार आई, उसने सड़क विद्युतीकरण, स्कूल के लिए जो बजट दिया था, वह सारा पैसा वापिस ले लिया गया और पूरी योजना खटाई में पड़ गई, उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाया। इसलिए हम मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि उत्तर प्रदेश की तरफ भी ध्यान दिया जाए जिससे सचमुच गांवों का विकास हो सके, गरीबों का विकास हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का अभिवादन करते हुए धन्यवाद।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): सभापति महोदय, ग्रामीण विकास की मांगों पर जो बहस चल रही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह विभाग देश की सबसे बड़ी आबादी जो गांवों में बस्ती है, उसके उत्थान, उन्नयन और विकास के लिए बना है। लेकिन जब हम गौर करते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि यह वास्तविकता से परे हैं। गरीबों के लिए इंदिरा आवास बनता है। कहा जाता है कि उसका चयन आम सभा से होता है। मुझे माफ करेंगे, हम भी गांव से आए हैं, मुखिया रह कर इस जगह तक पहुंचे हैं। हम देखते हैं कि एक वी.एल.डब्ल्यू. गांव का पैसा लेकर चयन करता है और कागज पर आम सभा दिखाता है। कागज पर आम सभा दिखा कर गरीबों से एक-एक स्कीम में तीन-तीन हजार, चार-चार हजार रुपये लेता है और इस तरह की व्यवस्था करता है। इसका नियंत्रण कैसे हो? आप फैडरल स्टेट की बात कर रहे हैं। हम भी किसी राज्य से आते हैं। हम टकराव नहीं चाहते लेकिन वास्तविकता क्या है। सारे दल के एम.पीज बार-बार कह रहे हैं कि हमारा जो पैसा जा रहा है, उस पर हमारा नियंत्रण हो, कम से कम उस पर हमारी सहभागिता बने, हम उसमें हिस्सेदारी कर सकें। न जाने आपके पास क्या कमजोरी रही है, क्यों आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं?...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): ये स्वीकार नहीं करते, इनका मंत्रालय स्वीकार नहीं करता। मालिक मिनिस्टर नहीं होता, मालिक सैक्रेटरी हो जाता है।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: आपके यहां तीन-तीन सैक्रेटरीज के पद - एक पीने के पानी की व्यवस्था का, दूसरा ऊसर जमीन को ठीक करने का और तीसरा ग्रामीण विकास का है। कभी जरा अपने सैक्रेटरीज की एक टीम बना कर कहीं भेजिए कि जाकर देखें, आपका इम्प्लीमैंटेशन हो रहा है या नहीं। दो-चार जगह जाकर

[श्री रघुनाथ झा]

देखने का काम करें। लेकिन यह नहीं हो रहा है। हम बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि पहली बार एक अच्छी योजना, गांवों को जोड़ने की योजना बनाने का काम आपने किया। आज ही प्रश्न की उत्तर दे रहे थे। आप खुद कह रहे थे कि हमको फीडबैक मिल रहा है। हम पार्लियामैंट के मैम्बर हैं, तथाकथित रूलिंग पार्टी के मैम्बर हैं। हमसे भी नहीं पूछा जा रहा है। कौन सी सड़क आई, हम जानते भी नहीं हैं। हमसे पूछना है तो लिस्ट ले लीजिए और जो लिस्ट हम दे रहे हैं, उस सड़क को बनाइए। हमारा जितना हिस्सा बनता है, उस काम को कीजिए। एम.पी. लैड स्कीम के बारे में स्टैंडिंग कमेटी ने भी रिपोर्ट की है, उसने भी कुछ सुझाव दिए हैं। उस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए, आपका विचार होना चाहिए। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। इसी हाउस में आपके पहले के मंत्री श्री पटा ने भी यूनैनीमस हाउस में घोषणा की कि डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन एम.पी. होगा। हम किस पर प्रिविलेज करें।

हम लोग किस पर प्रिवलेज करें, अगर हम लोग प्रिवलेज करके पूछते हैं, मंत्री जी। चाहे आप इस बात को कहें कि अगर एम.पी.डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन हो जायेगा तो क्या बहुत बुरी चीज हो जायेगी। सरकार के लिए इसमें कौन सी बात नुकसान की हो जायेगी, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एम.पी. उसका चेयरमैन रहेगा, एम.एल.ए. मैम्बर रहेगा तो उसमें कौन सी कठिनाई हो जायेगी। हमें इसमें कोई कठिनाई नहीं लगती है। *...(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह: नायडू साहब राज्य सभा से मंत्री हो सकते हैं, लेकिन हम डी.आर.डी.ए. के चेयरमैन नहीं हो सकते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप उनको डिस्टर्ब मत करिये। उनको बोलने दीजिए।

श्री राजो सिंह: हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): यह मामला बहुत गम्भीर है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: पहले उनको बोलने दीजिए।

श्री लाल मुनी चौबे: हमें बोलने का समय नहीं मिलेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं। राजो बाबू को आपने सुन लिया, मुझे भी एक मिनट सुन लीजिए।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वे बोल रहे हैं, मैं आपको बीच में बोलने नहीं दूंगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मि. चौबे, आप बैठिये। मैं आपको नहीं सुन रही हूं। वे बैठे नहीं हैं, आप बैठिये। आप बाद में अपनी बात करिये, अभी उनको बोलने दीजिए। वे बैठे नहीं हैं, खड़े हैं। उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया।

श्री रघुनाथ झा: मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इस पर बहुत ही संजीदा दिल से विचार कीजिए और जब तक आप संसद सदस्यों को चेयरमैन नहीं बनाएंगे, तो काम सुचारू रूप से नहीं चलेगा। हम तो कहेंगे कि आप डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन बनाइये, नहीं तो जो सैण्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनको अलग करके आप बताइये कि सैण्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स की देख-रेख पार्लियामेंट का मैम्बर करेगा। आप इसमें एक कमेटी बनाइये। हमारा डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन कलैक्टर रहता है, एम.पी. नहीं रहता है, एम.पी. उसमें सदस्य रहता है।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बोलते जाइये।

श्री रघुनाथ झा: दूसरी बात हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार में कोर्ट के आदेश से 22 वर्षों के बाद पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, सब लोग इस बात के लिए कह रहे थे, लेकिन अब बिहार की जनता ने तो कोई गलती नहीं की है कि 500 करोड़ रुपया आप उसका रोक कर रखे हुए हैं। अब तो चुनाव हो रहा है, अब तो उसको देने का काम कीजिए। बिहार के बंटवारे के बाद हमारी स्थिति क्या है, बिहार में गरीबी की स्थिति से हम गुजर रहे हैं, उसका वर्णन और उसके आंकड़े देकर बताने का समय रहता तो हम आपको तकलीफ देते, लेकिन जो परिस्थिति हमारी है, उसको देखते हुए हम आपसे आग्रह करेंगे कि अब चुनाव हो गये हैं, इसलिए वह 500 करोड़ रुपये जो हमारा बकाया है, उसको बिहार के लोगों को देने का काम करिये।

दूसरी बात हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे, आप बहुत तेज तर्रार मंत्री हैं, पहले से भी हम लोग आपको जानते हैं, लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जब 35,000 बिहार के गांव हैं, जो 1000 से ऊपर की आबादी के हैं, उनको भी उतना है पैसा और आन्ध्र प्रदेश में 3500 गांव सिर्फ बाकी हैं, जिनको

*कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

कि सड़क से जोड़ना है, उनको भी उतना ही पैसा तो इसे लोग क्या कहेंगे?...*(व्यवधान)* हमारे यहां 150 करोड़ रुपया और आपका 190 करोड़ रुपया तो हम कैसे कहें कि आपने अपनी तरफ कुछ तरफदारी नहीं की है। आपने अपनी तरफ कुछ मदद करने का काम किया है। आपसे हमारी स्थिति ज्यादा खराब है। हमारा पूरा पूर्वी उत्तरी बिहार चल जमाव से परेशान रहता है। हमारे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब रहती है। हर साल हमारा बाहर के नदियों से, अन्तर्राष्ट्रीय रीवर्स से बाढ़ से नुकसान होता है, जहां कि उत्तर प्रदेश या बिहार की सरकार चाह कर भी उसकी कोई रूकावट नहीं कर सकती हैं, इस काम को भारत सरकार को करना चाहिए।

हम आशा करते हैं कि आप इस पर विचार करेंगे। हम आपसे कहेंगे कि 2-2 करोड़ रुपया हम लोगों को अलग से प्रधानमंत्री सड़क योजना का दीजिए और हम लोगों से सूची मांगिये और उसके आधार पर एम.पी. लोगों से सूची लेकर इस काम को कराइये। ऐसा करने से हिस्ट्री में आपका नाम रहेगा कि आपने पार्लियामेंट के मैम्बरों को डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन बनाने का काम किया। इसकी घोषणा आज ही कर दीजिए। इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इसमें आपको पूरे हाउस का समर्थन मिलेगा। जब हाउस की सब पार्टी के लोग बोलते हैं तो इसमें आपको क्या कठिनाई है? किसी भी पार्टी या सदस्य का इसमें विरोध नहीं है। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए फिर से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर विचार करें।

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली): सभापति महोदया, मैं सिर्फ आधा मिनट लेना चाहूंगा। दिल्ली के अंदर भी देहात है और बहुत बड़ा रूरल एरिया है। शायद बहुत से लोगों ने नहीं देखा है। दुर्भाग्य की बात है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिल्ली को अपने से अलग कर दिया है, जबकि दिल्ली को तो एक माडल बनाना चाहिए सारे देश का कि ऐसा देहात हम बनाना चाहते हैं। इसलिए दिल्ली को अविलम्ब शामिल किया जो और मंत्रालय द्वारा जो विभिन्न योजनाएं ग्रामीण विकास हेतु चलाई जा रही हैं, वे यहां चलाई जाएं।

सभापति महोदय: आप मंत्री जी को अलग से बता दें। अब मैं श्री भान सिंह भौरा को बुला रही हूं।

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा): सभापति महोदया, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर यहां बहस हो रही है। इस बार एक अतिमहत्वपूर्ण विषय बहस के लिए चुना गया है। हमारे देश में 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। इसलिए जरूरी था कि इस पर बहस हो। बहस करने के लिए कई योजनाओं को हमें सामने रखना होगा। मैं समझता हूं सबसे बड़ी समस्या पीने का पानी की है। इसके लिए सारे हिन्दुस्तान में यत्न होना चाहिए कि लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिले। पंजाब में भी साफ पानी के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई हैं। उसके लिये भटिंडा, मोगा और मलोट तीन जिले चुने गए हैं, लेकिन मानसा जिले में जहां सबसे ज्यादा पानी की समस्या है, उसको शामिल नहीं किया गया है। हमारे चीप मिनिस्टर साहब ने अपना जिला डलवा लिया और दूसरे को निकलवा दिया। इस पर आपको ध्यान देना होगा।

हिन्दुस्तान में एक समस्या भूमिहीनों के लिए मकान की भी है। आज के समय में जमीन काफी महंगी हो गई है इसलिए उन बेचारों को जगह नहीं मिलती, क्योंकि वे इतनी महंगी जमीन नहीं खरीद सकते। 1974 में सरकार ने सौ-सौ गज के प्लाट दिए थे। लेकिन यह बात बहुत पुरानी हो गई है। अब तो उस वक्त जिसने जन्म लिया, वह व्यक्ति भी परिवार वाला हो गया है इसलिए परिवार बड़े गए हैं और समस्या भी विकट हो गई है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सारे हिन्दुस्तान में जो भूमिहीन हैं, उनके लिए फिर से सौ-सौ गज के प्लाट मुहैया कराए जाएं और उन्हें सस्ते दर पर लोन की व्यवस्था मकान के लिए मुहैया कराई जाए।

इसके बाद पी.डी.एस. का मामला आता है। यह योजना तकरीबन बंद ही हो गई है। पंजाब में पी.डी.एस. तकरीबन खत्म ही है। वहां कोई चीज लोगों को नहीं मिलती। मैं कहना चाहूंगा कि गरीब लोगों को सस्ते भाव से खाने-पीने की चीजें इन दुकानों पर मिलनी चाहिए। इसका भी आपको इंतजाम करना होगा।

इसके बाद हिन्दुस्तान में लैंडलैस लोगों की समस्या है, मेरा निवेदन है कि उनको जमीन मुहैया कराई जाए और ऐसी जमीन मुहैया कराई जाए, जिन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। ऐसी जमीन इन लोगों को दी जाए, जिससे वे अपना गुजारा कर सकें। साथ ही खेतिहर मजदूरों के लिए काम्प्रिहैंसिव लैजिसलेशन बनाना चाहिए। पहले की सरकारों ने इससे संबंधित लैजिसलेशन लेबर डिपार्टमेंट में तैयार किया हुआ है, पता नहीं वह क्यों प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस लैजिसलेशन को पास कर उन लोगों को सहूलियत दी जाए। उनके लिए पैंशन का भी प्रावदान होना चाहिए। आपको पता है, एक व्यक्ति सरकारी मुलाजिम 25 वर्ष से 30 वर्ष की उम्र में आता है और वह 58 वर्ष की उम्र में जब रिटायर होता है, तो उसको आधी तनख्वाह के रूप में पैंशन मिलती है, जबकि खेतिहर मजदूर पांच साल की उम्र में ही काम पर लग जाता है, उसको अच्छी रोटी नहीं मिलती है, खुराक नहीं मिलती है और वह 58 वर्ष की उम्र में तो काम करने के योग्य भी नहीं रहता है। मेरा सुझाव है कि उन लोगों के लिए भी ओल्ड-एज-पैंशन की सुविध होनी चाहिए और यह कानून बनाया जाना चाहिए।

[श्री भानसिंह भौरा]

इसी प्रकार ऐसी औरतें, जिनको बच्चा होना होता है, गरीबी के कारण बच्चा होने के समय तक काम करती रहती हैं। ऐसी स्थिति में काम करने की वजह से पैदा होने वाले बच्चे को कोई-न-कोई बीमारी लग जाती है या खून की कमी हो जाती है। मेरा सुझाव है, ऐसी औरतों को छः महीने पहले और छः महीने बाद में सरकारी खजाने से कोई-न-कोई सहायता दी जानी चाहिए, ताकि वह पाव भर दूध पीकर सेहतमन्द बच्चे को पैदा कर सके। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, जो कहते हैं कि उनके बच्चे ने मैट्रिक पास कर ली है, नौकरी में लगवा दीजिए। जब उन बच्चों को देखा जाता है, तो उनकी छाती भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि जन्म के बाद उनमें कमजोरी रह जाती है, जो जिन्दगी भर उनको तंग करती है। कहते हैं, ऐसे नौजवान बच्चे बार्डर पर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जिनमें ऐसी कमियां हों, वे कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आप इस पर ध्यान दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कहा गया कि ऐसी खेती खेतिहर महिलाओं के लिए पैसा कहां से आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, फैमिली प्लानिंग योजनाओं में इतना पैसा बरबाद हो रहा है, एक व्यक्ति का तीन-चार बार आपरेशन कर दिया जाता है और लाखों-करोड़ों रुपया बरबाद हो जाता है, इस पैसे को आप इधर दे सकते हैं, जिससे इन गरीब महिलाओं को लाभ मिल सकें। मैं समझता हूं कि इस पर आपको ध्यान देना चाहिए।

जहां तक स्कूल डेवलपमेंट का सवाल है, मैं आपको इसकी स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। पंजाब में रूरल स्कूलों में टीचर नहीं है और 90 प्रतिशत सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में प्रिंसिपल्स नहीं है। हैल्थ सैन्टर्स में डाक्टर्स नहीं है। क्या इस तरह की स्थिति से रूरल डेवलपमेंट हो सकता है? आज सदन में सड़क योजनाओं की चर्चा हो रही थी और आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर को कहा है कि वह एमपीज की मीटिंग बुलाए। हमारे पंजाब में जिस दिन से चीफ मिनिस्टर के पुत्र चुनाव में हार गये, वे एमपीज के सामने नहीं आते हैं। स्टेट मैजोरिटी अकालियों की है, हम जीते हुए हैं। कोई पूछता नहीं है, एक भी मीटिंग एमपीज की नहीं बुलाई गई है। हमने कहा है कि आइए, पंजाब के मसलों को हल करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वे घबराते हैं।...*(व्यवधान)* मेरा सुझाव है कि सड़क योजना में कुछ-न-कुछ सड़क बनाने के लिए एमपीलैड में देनी चाहिए, जिस प्रकार हमारे यहां एक एमएलए को पंजाब में 20 किलोमीटर सड़क दी गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एमपी को भी सड़क योजना में भागीदारी जरूर दी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

सभापति महोदयः दिलीप गांधी जी, आपको मैं पांच मिनट बोलने के लिए समय दे रही हूं, क्योंकि तीन बजे के पहले रिप्लाई होना है।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): सभापति महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो अनुदान मांगें रखी हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। साढ़े छः लाख खेड़ों में बसे हुए भारतवर्ष में चार लाख गांवों को अभी तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, जिन्होंने 50 साल इस देश में और पूरे राज्यों में सत्ता हासिल की उन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम रोज लिया और उनके नाम से पूरे देश भर में ''चलो गांवों में'' का नारा दिया। जब हम बच्चे थे तो हमने यह नारा सुना था। हम जब गांवों में गए तो हमने देखा कि वहां न जाने को सड़क थी, न पीने को पानी था, न खेत को पानी था और न बिजली थी। इसलिए ग्रामीण भागों में लोग जाएं तो किस आधार पर जाएं। इसके चलते एनडीए की सरकार आई। अटल जी ने कहा - ''जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।'' इस प्रकार से उसे मुख्य धारा से जोड़ा गया। मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने सही मायनों में कहा कि अगर गांवों में आम जनता जानी है तो गांवों में किस प्रकार से विकास करना चाहिए, यही सोच कर विकास की योजनाएं उसी आधार पर बनाई।

अपराह्न 2.31 बजे

(डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए)

इसलिए सबसे पहले उन्होंने सड़क दी, फिर पानी और बिजली दी। इतना ही नहीं हर बस्ती में टेलीफोन और बिजली गई। अभी भी कुछ गांव बचे हैं। लेकिन एनडीए की सरकार ने जिस प्रकार से प्लानिंग करके काम किया है वह प्लागि आज तक नहीं हुई। 50 सालों तक बहुत सी योजनाएं बनीं परन्तु उन योजनाओं का जिस प्रकार से कार्यान्वयन होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हुआ। क्योंकि कार्यान्वयन करने वाले सारे सरकारी ऑफिसर हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं रहा। उन्हें वहां दो साल नौकरी करनी है, उसके बाद चले जाना है। इसलिए जिस प्रकार से गांवों के विकास में उनकी आस्था होनी चाहिए, उस प्रकार की स्थिति नहीं रही। उसकी वजह से हमारे गांवों का विकास रूका है, इसलिए इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए.

आज केन्द्र सरकार के माध्यम से जो पैसा दिया जा रहा है वह पूरा स्टेट की तरफ जा रहा है। जो भी योजना है - कहीं 75 या 80 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार देती है और बाकी का हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट देती है या कहीं ग्राम पंचायतें दस प्रतिशत देती है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की सभी योजनाएं कितनी भी लाभदायक हों, पूरी योजना इम्प्लीमेंट

करने का दायित्व राज्य सरकारों पर है। राज्य सरकार ग्राम पंचायत को पैसा देती है, ग्राम पंचायत समिति को और पंचायत समिति जिला परिषद को सौप देती है। इन तीन-चार संगठनों के माध्यम से आखिरी आदमी तक यह सब पहुंचता है, लेकिन उसकी जो पहुंचने की प्रक्रिया है, उसमें सभी जिलाधिकारियों का पूरा अधिकार है। अगर आप आज एक योजना के लिए लिख कर देते हैं तो वह योजना पूरी होने तक, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने तक कम से कम 16 जगह से होकर जाना पड़ता है। 16 जगह से मान्यता मिलने के बाद भी और 16 जगह से जाती है, यानी 32 जगह से यह योजना जाती है। इसलिए एक महीने के बदले आठ महीने लग रहे हैं। हमारी केन्द्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनका तुरंत लोगों को लाभ होना चाहिए, उस दृष्टि से अधिकारी वर्ग उस पर ज्यादा काम नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र सरकार डीआरडीए का पैसा मांग रही है। उन्हें 506 करोड़ रुपए अलॉट हुए लेकिन उसका 25 प्रतिशत हिस्सा भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने वह पैसा नहीं लिया। मुझे गर्व के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो केन्द्र सरकार ने बहुत अच्छी तरह से चला रखी हैं।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि 26 जनवरी के दिन गुजरात में आए भूकम्प से जो नुकसान हुआ, उसे हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन उससे उबरने में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो पहल की, वह सराहनीय है। सौ करोड़ रुपया तो उसने पहले ही दिया और बाकी सब योजनाओं को मिलाकर कुल 281 करोड़ रुपया और दिया है। कहा जाता है कि हर हाथ को काम मिलना चाहिए वहीं काम के लिए हर खेत को पानी भी मिलना चाहिए। इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय के माध्य से तथा दूसरे मंत्रालयों के माध्यम से जिस प्रकार का विकास चाहिए उस प्रकार के विकास की ओर यह सरकार जा रही है, वह सराहनीय है। इतना ही नहीं इसमें जो-जो परिवर्तन होने चाहिए वह भी यह कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर स्कूल सैनिटेशन प्रोग्राम को आप लें। आपको लगेगा कि इसमें क्या है? लेकिन इस प्रोग्राम के द्वारा बच्चे को सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से वह टॉयलेट में जाए और फिर वह गांव में गंदगी नहीं करेगा। इस तरह से यह प्रोग्राम भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज सरकार ने 150 जिले इसके लिए हैं और अभी 85 जिले उसमें कवर हो रहे हैं। माननीय एम. वैंकय्या नायडू जी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से इन प्रोग्रामों को स्वयं शुरू किया है और इसमें क्या-क्या सुधार होना चाहिए और खुद ही वे इन प्रोग्रामों को देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकारें जिन्हें केन्द्र के बराबर कार्य करना चाहिए वह नहीं करती हैं तो दोष किसका है?

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कर्नाटक के अंदर जैसे हर सांसद के लिए जिला कार्यलय में एक अलग ऑफिस बनाया गया है और एक अधिकारी भी उनको दिया गया है और सभी योजनाएं वहां इम्प्लीमेंट होती हैं अगर पूरे देश में ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा। बहुत से उदाहरण दिए गए हैं कि हर चीज में करप्शन है। मेरा कहना है कि अगर सांसद योजना के बीच में रखा जाए तो करप्शन पर रोक लगेगी और चालीस पैसे की जगह पर 90 पैसे गरीब आदमी तक पहुंच सकेंगे। इसलिए सांसद को डीआरडीए के साथ जोड़ा जाए। माननीय गीते जी ने जो सवाल किया है और हमारी महाराष्ट्र सरकार ने और पीडब्ल्यूडी ने हमको लैटर दिया है कि हमारी तरफ से जितने रास्ते देने थे वे दिए हैं और अगर सांसद बीच में रहेगा तो आम आदमी को सुविधा ज्यादा मिलेगी। मैं माननीय एम. वैंकय्या नायडू जी का उनके प्रयासों के लिए स्वागत करते हुए उन्हें और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

***श्री के.एच. मुनियप्पा** (कोलार): माननीय सभापति महोदय, हमारी 75 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इनमें से अधिकांश लोग कृषक हैं। महात्मा गांधी का भारत में गरीबों और दलितों का उत्थान करके राम राज्य लाने का स्वप्न था। यही वास्तविक आजादी है। हमारी स्व. नेत्री श्रीमती इंदिराजी और हमारे पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। दुर्भाग्य से भाजपा शासन इस स्वप्न को हकीकत में बदलने में बिल्कुल भी रूचि नहीं ले रहा है। वे कुछ कार्यक्रमों यथा- जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि के नाम परिवर्तित करने में अत्यन्त रूचि ले रहे हैं। नाम में क्या रखा है। ये पंडित नेहरू, शास्त्रीजी और इंदिराजी ही थे जिन्होंने अपना जीवन किसानों और गरीब मजदूरों की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। इंदिराजी ने मध्यम वर्ग और गरीब लोगों विशेषकर उद्योगों के कामगारों की मदद करने के उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इस राष्ट्रीयकरण से छोटे किसानों को बहुत लाभ हुआ है। यह सरकार इन सभी बैंकों का निजीकरण करने में काफी रूचि ले रही है। यह हमारे देश के लोगों की इच्छाओं और हमारी अर्थव्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है। यदि बैंकों का निजीकरण इसी तरह चलता रहा तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। राजीव जी के दूरसंचार के क्षेत्र में विचारोत्तेजक विचारों और प्रोत्साहन से हमारे देश में बहुत तेजी से प्रगति हुई है। इससे विश्व में हमारे देश की साख में वृद्धि होती है।

---

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री के.एच. मुनियप्पा]

हमारी नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी ने माननीय प्रधान मंत्री से बात की और चालू बजट सत्र में भाग लेने के लिए सहमति दी है। इसके तत्काल बाद हम तहलका कांड पर बात करेंगे। संयुक्त संसदीय समिति अवश्य बननी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। अन्य ऐसे कांड भी हैं जिनमें सत्ता पक्ष के नेता शामिल हैं। इस देश के लोगों को सच्चाई पता लगनी चाहिए। जब विपक्ष द्वारा ऐसी मांग की गई थी तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त संसदीय समिति गठित की थी। माननीय श्री वाजपेयी जी इस संसद में काफी समय तक विपक्ष के नेता रहे थे। वे संयुक्त संसदीय समिति का महत्व समझते हैं। वे उत्कृष्ट नेता हैं। दुर्भाग्य से वे इस राजग में हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल तथा अन्य समूहों से घिरे हुए हैं। सच्चाई का पता लगाने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारी वास्तविक मांग मान लें। श्री वैंकय्या नायडू, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री एक योग्य व्यक्ति हैं। उन्होंने महात्मा के स्वप्न (राम राज्य) को सच बनाने के लिए अपने कार्यक्रमों की योजना बनाई है। मैं इस संबंध में उनके प्रयासों का स्वागत करता हूं। उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों का नाम बदलने में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए बल्कि उन्हें प्रगतिशील कार्यक्रमों यथा-जवाहर रोजगार योजना, आई.डब्ल्यू.डी.पी, डी.पी.ए.पी., डी.डी.पी. और अन्य कार्यक्रमों को लागू करने में विशेष रूचि लेनी चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय लोगों की समस्याओं के बारे में जानते हैं क्योंकि वे स्वयं ग्रामीण क्षेत्र के हैं। केन्द्र द्वारा जारी किया जाने वाला धन जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। कोई दलाल नहीं होना चाहिए। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने इस बात पर जोर दिया था और हमने यह तय करने में विशेष रूचि ली थी कि अनुदान लोगों तक पहुंचे। निधियों का पेयजल उपलब्ध कराने, स्कूल का भवन बनाने, सड़क बनाने इत्यादि के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। देश के 120 जिलों में पेयजल की भारी समस्या है। इनमें से पांच जिले कर्नाटक के हैं। छोटे तालाबों की गाद की तुरन्त सफाई की जानी चाहिए। और देर किए बिना और अधिक निधियां जारी की जानी चाहएं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि और राज्य सरकार की निधियों का भी पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपयोग किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए 10 करोड़ रुपए की इस राशि को कम से कम 20 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि प्रत्येक संसद सदस्य के लिए केवल 2 करोड़ रुपए है। इस राशि को कम से कम 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसमें से 2.5 करोड़ रुपए हमारे देश के ग्रामीण लोगों को पेयजल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने चाहिएं। शेष राशि का स्कूल भवन के निर्माण और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए। संसद सदस्यों, ग्राम पंचायतों, तालुक पंचायतों, जिला परिषदों को सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार को पूरी तरह रोका जाना चाहिए।

मुझे आशा और विश्वास है कि माननीय मंत्री श्री वैंकय्या नायडू के उचित मार्गदर्शन में हमारे किसानों और ग्रामीण लोगों, जो कि हमारी आबादी का 75 प्रतिशत हैं, को न्याय मिलेगा।

महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का यह अवसर दिया और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): सभापति महोदय, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि कई वर्षों के अन्तराल के बाद यहां ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रण वाली अनुदान की मांगों पर वाद-विवाद और चर्चा हो रही है।

वास्तव में मुझे, सभा के सदस्यों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों और आलोचनाओं से जानकारी प्राप्त हुई है। सभापति महोदय, मुझे यह मानना चाहिए कि मणिशंकर अय्यर ने मुझे उकसाने की अपनी पूरी कोशिश की। अब, मैं मंत्री हूं, शुरू-शुरू में मुझे थोड़ा लालच हुआ कि मैं अपनी पूर्व की पार्टी प्रवक्ता की भूमिका में चला जाऊं और तब उन्हें इसका उत्तर दूं। यद्यपि भाषा के मामले में मैं उनकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा और मुझे इस मामले में श्री जयपाल रेड्डी या श्रीमती रेणूका चौधरी का किसी और की सहायता लेनी पड़ेगी जिससे कि उनकी ही सूक्तियों में उन्हें उत्तर दिया जा सके। लेकिन मैं ऐसा इस कारण नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं अब एक जिम्मेदार पद संभाल रहा हूं, मैं लोगों के प्रति उत्तरदायी हूं, लोगों ने हमें चुना है और उन्होंने हमें यह अवसर दिया है।

मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति के पास प्रशासनिक अनुभव है और जिस व्यक्ति के पास शाशक दल के सदस्य के रूप में अनुभव है वही भी मणिशंकर अय्यर मेरी सरकार की असफलताओं को उजागर करने के बजाय मुझे और मेरी सरकार को शाप दे रहे थे, शाप देना, मानव की कमजोरी ही है। यद्यपि, कुछ ऋषि भी इस मामले में पहले भी संलिप्त रहे।

महोदय, उनके शाप से चीजें बदलने वाली नहीं हैं। इसके अलावा, वह कह रहे थे कि यह सरकार सभी मोर्चे पर असफल रही है, मैं आपके और सभा के माध्यम से विनम्र रूप से उन्हें कहना चाहूंगा कि यह सरकार तीन साल पुरानी है और ग्रामीण विकास की ये समस्याएं विशेषकर गरीबी और पिछड़ा पन किसी

भी एक या दो साल की सरकार की भूमिका की देने नहीं हैं। लेकिन उन्हें बयान रूप से सरकार पर हमले की जिम्मेदारी को निभाना है। इसीलिए, उन्होंने इस तरह की सूक्तियों का प्रयोग किया और सरकार को कोसते रहे। लेकिन, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह अपनी आत्मा को टटोलें और झांके कि पिछले 50 वर्षों में क्या हुआ, जैसा कि हमारे कई मित्रों ने अभी-अभी कहा और एक मंत्री के रूप में मुझे भी आज की स्थिति पर खेद है।

हमारे यहां लगभग 2.5 लाख गांव ऐसे हैं जहां आवाजाही के लिए पक्की सड़कें नहीं है, जहां 2.4 लाख गांवों में सुनिश्चित संरक्षित जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं है, वहां पेयजल है लेकिन कुछ योजनाएं मृत प्राय: हो गई है, उनका जलस्तर नीचे चला गया है, उन्हें उन्नयन की आवश्यकता है। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं। यही कारण है कि वे कुछ आंकड़ों को उद्धरित कर रहे थे, मैं उन पर आऊंगा, इसी बीच आजादी के 53 वर्षों के बाद, इन्टरनेट, वेबसाइट, पोर्टलस इत्यादि की बातों के बाद भी, यहां 2.36 लाख गांवों में दूरभाष सम्पर्क की व्यवस्था आज भी नहीं हैं; 80,000 गांवों में बिजली नहीं है वहां वातानुकूलन और अन्य अतिरिक्त सुविधाओं को तो भूल ही जाएं अब तक 80,000 गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के विद्यालय भवनों, ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए पक्के भवनों के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होती है। इस सबसे लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आप मुझे और मेरी सरकार जो कि मात्र 3 साल पुरानी है, को इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं? क्या आप को वास्तव में इस स्थिति का उत्तर सकारात्मक दृष्टिकोण से देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए और इतना उत्तर खोजने की कोशिश तथा सरकार को कुछ सकारात्मक सुझावों सहित आगे नहीं आना चाहिए? मैं श्री मणिशंकर अय्यर से कुछ सकारात्मक सुझावों के बारे में आशा कर रहा था।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): यहीं आप गलत थे।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: लेकिन, मैं यहां गलत साबित हुआ, मैं इस बात से सहमत हू कि मेरी उम्मीद गलत थी क्योंकि एक बिध्वंशक सुझाव के अलावा उन्होंने कोई भी सकारात्मक सुझाव नहीं दिया उन्होंने कहा कि तिहतखें संशोधन के अन्तर्गत हमारे पास शक्ति है और वह शक्ति है अनुच्छेद 356 की। मैं नहीं जानता कि क्या यह कांग्रेस की नीति है या क्या वह इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से प्रदत्त अधिकार से बोल रहे हैं। महोदय, उनकी यह बात सही है और उन्होंने कहा कि स्व. श्री राजीव गांधी द्वारा किए गए संविधान संशोधन के पीछे छिपी भावना पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों को शक्तियां प्रदान करना। और उन्हें संवैधानिक संरक्षण देना था। लेकिन इसी बीच मैं, इस बात को दोहराऊंगा की हमारी व्यवस्था संघात्मक ढांचे की है।

यदि कोई राज्य 73वें संविधान संशोधन की संवैधानिक अनिवार्यता, जिसके अनुसार 29 विषयों को स्थानीय निकायों को दिया जाना है और जिसकी आवश्यकता के अनुसार यदि वह पंचायत के चुनाव नहीं करवाता या स्थानीय निकायों को शक्तियां प्रदान नहीं करता या उसके लिए शक्ति या वित्त व्यवस्था नहीं करता तो, क्या उस राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए हम संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर सकते हैं? मेरे सम्मुख यही विडम्बना है और इसी पर मैं उनसे कुछ प्रत्युत्तर और मार्गदर्शन की खोज कर रहा था, वास्तव में, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी दु:खी हूं। कुछ लोग कह सकते हैं कि मंत्री अपनी असहायता व्यक्त कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि 1993 से अब तक सात साल बीत गए हैं और हम आठवें साल में चल रहे हैं। इस अवधि के दौरान, मैं विनम्रता पूर्वक श्री मणि शंकर अय्यर से कहना चाहता हूं कि वे लोग भी सत्ता में थे और वे इसे नहीं कर सके, इसके कारण उन्हें पता हैं और मुझे भी। यहां तक कि बिहार के मामले में जहां सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया था और अन्य कारणों के अलावा इसी कारण से उनकी पार्टी ने सरकार का समर्थन करना ठीक नहीं पाया और तब जाकर, अन्त में हमें उद्घोषणा को भी वापस लेना पड़ा, अब मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूं।

इस सभा में मुझे इतना ही कहना है कि हमें इस समस्या का उचित समाधान खोजना चाहिए। राज्य दिल्ली से राज्यों की राजधानी में शक्तियां चाहते हैं लेकिन वे जिलों प्रखण्डों और पंचायतों को शक्तियां देने के इच्छुक नहीं हैं। आज यही मूल मुद्दा है। मेरे पास उन सभी राज्यों की विस्तृत सूची है, जहां शक्तियों का अंतरण हो गया है और कितनी सीमा तक हुआ है। लेकिन मैं इस समय इसका जिक्र करते हुए सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन यह आज की वास्तविकता है, यही कारण है कि मैंने कहा कि मैं सभी राजनैतिक दलों की एक बैठक बुलाऊंगा। जहां तक इस मुद्दे का संबंध है आगे बढ़ने से पूर्व मैं सभी राजनैतिक दलों को विश्वास में लाना चाहूंगा।

महोदय, उस दिन श्री मणि शंकर अय्यर ने मुझे प्रसंगानुकूल सही पूछा था कि मेरी राजनीतिक, वैधानिक और प्रशासनिक प्रतिक्रिया क्या है, वह बहुत ही चतुर व्यक्ति है, वह जानते हैं कि मैं इसका सीधा उत्तर केवल इस कारण नहीं दे सकता क्योंकि यदि मैं कुछ कहता हूं तो मुझे उसे करने की स्थिति में भी होना चाहिए, किसी काम को करने से पहले उसके बारे में कुछ कहना और साहसिक वक्तव्य देना किसी काम का नहीं है।

महोदय, हमारा संघात्मक ढांचा है और पूरे देश में कांग्रेस कुछ राज्यों में शासन कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी कुछ राज्यों में शासन कर रही है, क्षेत्रीय पार्टियां कुछ राज्यों में शासन कर रही

[श्री एम. वैंकय्या नायडू]

है, मेरी अपनी पार्टी कुछ राज्यों में शासन कर रही है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कुछ सहयोगी भी विभिन्न राज्यों में शासन कर रहे हैं, यदि मैं श्री मणि शंकर अय्यर के विश्लेषण को लागू करता हूं और संविधान के 356 अनुच्छेद का प्रयोग करना आरम्भ करता हूं तो मैं समझता हूं कि सभा मुझसे सहमत नहीं होगी, मैं नहीं समझता की जनता हमारा समर्थन करेगी, हमें राज्यों को राजी करना है, हमें उन्हें संविधान संशोधन की भावना को समझाना है और हमें प्रभावी तरीकों से उन्हें विश्वास में लेना है।

अपराह्न 2.58 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय, *पीठासीन हुए)*

महोदय, हमने जो एक तरीके को अपनाया, वह यह है कि हमने उन राज्यों को 20 प्रतिशत धनराशि जारी नहीं की जहां स्थानीय निकायों के लिए चुनाव नहीं हुए थे। जैसा कि डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और अन्य सदस्यों ने भी अभी-अभी कहा है और लोग भी कहते हैं कि यह हमारी त्रुटि नहीं है बल्कि यह राज्य सरकार की है। वे कह रहे थे कि राज्य सरकारों की त्रुटि के लिए धनराशि को रोक कर हम विकास गतिविधियों को रोक रहे हैं। वे कह रहे थे कि राज्य सरकारों की त्रुटि के लिए हम लोगों को दण्ड दे रहे हैं। मुझसे ऐसा सीधा प्रश्न किया गया था, इसलिए, मुझे आज सभा को सूचित करना है कि इस बात को ध्यान में रखकर और ऐसी असहाय स्थिति में, मैंने उस 20 प्रतिशत धनराशि को भी जारी कर दिया है जिसे मैंने पहले रोके रखा था, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा:

[हिन्दी]

हमने चुनाव किया 23 साल बाद अब कुछ करो। इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके यह सवाल यहां उठाने से पहले ही हमने मार्च में जो 20 प्रतिशत पैसा बिहार को देना था, वह और स्टेट्स के साथ बिहार को भी दिया और उसे 21 करोड़ रुपया रिलीज किया। साथ ही साथ जो कह रहे हैं दसवें वित्त आयोग की रेकमंडेशन के बारे में, इस मामले में कांस्टीट्यूशन बहुत क्लियर है।

[अनुवाद]

संविधान का अनुच्छेद 280 कहता है कि धनराशि केवल तभी जारी की जा सकेगी जब स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं। यदि धनराशि जारी नहीं की जाती है, जब चुनाव न हों, तो धनराशि व्ययगत हो जाती है। यह संविधानिक प्रावधान है। संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख है। बिहार सरकार की काफी धनराशि बेकार चली गई क्योंकि उन्होंने स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराए। कारण चाहे कुछ भी हो।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमारा पैसा रोककर रखा था कि चुनाव नहीं कराया गया, हालांकि उसमें बिहार सरकार का कुसूर नहीं था, न बिहार की जनता का कुसूर था और दसवें वित्त आयोग ने जो पैसा दिया, उसका क्या हुआ? अब चुनाव हो गया है, बिहार को पैसा दे दीजिए। पैसा जो दसवें वित्त आयोग ने दिया, उस पैसे का क्या हुआ, कहां हमारा हिस्सा आपने गायब किया? दे दीजिए बिहार को?

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: जिस जनता ने सरकार बनाई, उसी जनता को ये कुसूरवार ठहरा रहे हैं। अब जनता कुसूरवार है या सरकार कुसूरवार है यह दूनिया जानती है। जितना भी पैसा दिया है यह सब उन्होंने लौटा दिया। एक भी विभाग का पैसा बिहार सरकार के पास नहीं है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.00 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: वह इसका उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पप्पू यादव, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: वह अपनी बात अभी समाप्त नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पप्पू यादव, जब वे अपनी बात समाप्त कर दें, तब आप उनसे स्पष्टीकरण मांगे।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, अनुदाने मार्च, 2000 तक जारी की जानी थी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, आप एक वरिष्ठ सदस्य है। जब माननीय मंत्री अपनी बात समाप्त कर दें केवल तभी आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मंत्री जी अभी अपनी बात कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकय्या नायडू: दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार धनराशि मार्च, 2000 तक जारी की जानी थी। उस अवधि तक कारण चाहे कुछ भी हो, बिहार सरकार ने 22 वर्षों से भी अधिक समय से चुनाव नहीं कराए अथवा चुनाव नहीं करा सकी। इसी कारण से भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि स्थानीय निकायों को दी गई अनुदान राशि यदि वे चुने नहीं जाते हैं तो व्यपगत हो जाएगीं। अत: यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। मामला ऐसा होने के कारण मैं निधियां जारी न करने के लिए बाध्य हूं।..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: उपाध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार की मुख्य मंत्री ने किसी भी योजना के बारे में योजना आयोग के लिए नहीं लिखा है।*...(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया।*...(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, दशम वित्त आयोग ने जो अनुशंसा की वह पैसा जो बिहार का था, वह कहां गया। जो बिहार का हिस्सा है, वह बिहार को दे दीजिए। अब तो वहां चुनाव हो गए हैं।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह पैसा लैप्स हो गया।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, अब तो बिहार में चुनाव हो गए हैं। बिहार के हिस्से का 500 करोड़ रुपया बिहार को दे दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने अभी बताया कि वहां लोकल बाड़ी नहीं हैं। इसलिए बिहार का पैसा लैप्स हो गया।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अगर लोकल बॉडीज नहीं हैं, तो वह पैसा कहां चला गया?

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार का गला काटा गया है। बिहार की 10 करोड़ आबादी है। उसके हिस्से का 500 करोड़ रुपया बनता है - वह कहां गया?*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: वह स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, जब वहां स्थानीय निकाय नहीं है तो जो धनराशि आवंटित की गई थी उसका क्या हुआ? माननीय सदस्य उसके बारे में जानना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से एक क्लैरिफिकेशन पूछना है।

उपाध्यक्ष महोदय: पप्पू यादव जी, आप सीनियर मैम्बर हैं। आपको मालूम है कि आप इस प्रकार से बीच में क्लैरिफिकेशन नहीं पूछ सकते। यदि आपको क्लैरिफिकेशन पूछना है, तो मंत्री महोदय आपको सुनने के लिए तैयार हों, तभी आप बोल सकते है। वे आपको यील्ड करने के लिए राजी नहीं है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के बारे में देवेन्द्र प्रसाद जी भी बोल रहे थे और डॉ. रघुवंश प्रसाद जी भी बोल रहे थे कि बिहार का हिस्सा कहां गया और जो बिहार का हिस्सा है वह बिहार को जाना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि बिहार के हिस्से को लेने के लिए बिहार की मुख्य मंत्री ने आज तक कोई भी योजना बनाकर योजना आयोग को नहीं भेजी।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पप्पू यादव, वह स्थिति स्पष्ट करने जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: यहां क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, माननीय मंत्री विस्तार से उत्तर दे रहे हैं। आप उनकी बात में बाधा डाल रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पप्पू यादव कृपया उनकी बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल एक ही जगह नहीं हुआ है, कई जगह हुआ है।*...(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र का हिस्सा कहां गया?

श्री रघुनाथ झा: उपाध्यक्ष महोदय, यदि बिहार में लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं हुए और उनका पैसा रिलीज नहीं किया गया, तो क्या केवल ऐसा बिहार में ही हुआ है, अन्य राज्यों में भी चुनाव नहीं हुए हैं, तो क्या उनका पैसा भी रिलीज नहीं किया गया? यदि वहां भी ऐसा ही किया गया है, तो ठीक है। यदि दो तरह के यार्डस्टिक केन्द्र सरकार द्वारा अपनाए जा रहे हैं, तो ठीक नहीं है ऐसे कैसे काम चलेगा।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री विस्तृत उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: उसे सुनने के लिए आप थोड़ा शांत रहिये।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा: आंध्र प्रदेश के साथ आपने क्या किया?*...(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, वह सारा पैसा कहां गया?*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह बता रहे हैं। आप सुनने की कृपा कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सुनने से कुछ नहीं होगा। मैं पूछ रहा हूं कि बिहार का जो पैसा रूका हुआ है, उसका क्या हुआ?*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको मैं इधर ही बैठा दूं तो अच्छा रहेगा।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष जी, बिहार के बकाया पैसे का क्या हुआ?*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप दो मिनट के लिए बैठ जाइये। वे सारी बातों के बारे में बता रहे हैं। आप उन्हें सुनने की कृपा करें।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: वह रुपया कहां चला गया?*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उस पैसे का क्या हुआ, उसके बारे में वह बता रहे हैं। आप सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले: उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र को उसका हिस्सा मिलना चाहिए।*...(व्यवधान)* आप मंत्री जी को कहिये कि वे महाराष्ट्र को उसका हिस्सा दें।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको इस तरह अनुमति नहीं दूंगा। श्री आठवले, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: महोदय, यहां दो पहलू हैं। धनराशि जो रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत चुनाव न कराने के कारण जारी नहीं की जाती है अर्थात् यह कि आबंटन की 20 प्रतिशत राशि इस तथ्य के बावजूद बिहार और अन्य राज्यों को चुनाव नहीं कराने के बावजूद आबंटित की गई है। मैंने स्थिति की समीक्षा की है और धनराशि जारी करने का निर्णय लिया है। अन्य राज्यों के साथ-साथ बिहार को 20 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। मैंने अपने प्रस्ताव के बारे में माननीय वित्त मंत्री को बता दिया है और इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया है। इसे अन्य राज्यों के साथ-साथ बिहार के लिए जारी किया गया था।

दसवें वित्त आयोग के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि यह मार्च 2000 तक समाप्त हो गया। अब हम 2001 के अप्रैल माह में हैं और अब चुनाव होने हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों और तत्संबंधी राशियों को मार्च 2000 तक जारी कर दिया जाना था। चूंकि एक विशेष राज्य के रूप में यहां चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए यह दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार निधियां प्राप्त करने के लाभ से वंचित रह गया है। यही मामला अन्य राज्यों के बारे में है जहां चुनाव मार्च, 2000 में होने थे लेकिन हुए नहीं उन राज्यों के साथ भी वही सलूक किया गया है और किसी भी राज्य के प्रति कोई भेदभाव नहीं बरता गया है।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है अन्य पहलुओं पर जाने से पहले मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि जिस दिन मैंने मंत्री के रूप में कार्यभार सभांला, माननीय प्रधान मंत्री ने देश को बताया था कि जहां तक ग्रामीण विकास का सम्बन्ध है;

[हिन्दी]

उन्होंने कहा कि विकास, विकास, तेजी से विकास - यह आपका नारा होना चाहिए। इसमें कोई पोलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मंत्री पद प्राप्त करने के बाद मैं खुद 19 मेडर स्टेट्स में गया। वहां मैंने सभी चीफ मिनिस्टर्स से बातचीत की। मैं अपने साथ अपने आफिसर्स को भी साथ ले गया ताकि वहां की जो स्थित है, उसका अध्ययन करने तथा साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए, उनकी कठिनाई क्या हैं, उसको भी हमने समझने का पूरा प्रयास किया। मैं महाराष्ट्र गया था और मध्य प्रदेश भी गया था। वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। छत्तीसगढ़ भी गया, वहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कर्नाटक गया, वहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। केरल गया, वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। बंगाल गया, वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। मैं बिहार नहीं गया। उसका कारण यह था कि सब जगह जाने के बाद...*(व्यवधान)*

श्री सुबोध राय (भागलपुर): वहां आप कब जायेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू: मैं अभी जाऊंगा। वहां का वातावरण शांत हो जाये।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वहां की शांति के बाद यहां की शांति बनाकर रखिये।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के पैसे का क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू: यह अच्छा नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उनको पूरा सुनने के बाद यदि कोई क्लेरीफिकेशन पूछा तो मैं उसे अवश्य करूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू: आप सीनियर मैम्बर हैं। मैंने आपको सुना है इसलिए अब आप पहले हमारी बात सुनिये।...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: आप यह बताइये कि हमारे बिहार के हिस्से का क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी उनके हरेक सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं।...*(व्यवधान)* यह कोई तरीका नहीं है।...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: पहले आप हमें यह बताइये कि बिहार के जो 500 करोड़ रुपये रूके हुए हैं, उनका क्या हुआ?

श्री शिवराज सिंह चौहान: मंत्री जी, आपके हरेक सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है।...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है। क्या उनसे उनके दौरे की भी तिथि पूछी जायेगी?...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमारा हिस्सा चला जायेगा तो क्या हम बैठे रहेंगे? मैं पहले यह जानना चाहता हूं कि हमारे हिस्सा का क्या हुआ।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान न छोड़ें। आप जहां हैं कृपया वहीं रहिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: वे धन के संबंधित सारा ब्यौरा दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: बिहार का हिस्सा कहां चला गया? हमारे पांच सौ करोड़ रुपये हैं। गरीब राज्य का पैसा, दस करोड़ आबादी, हिन्दुस्तान का दसवां हिस्सा और पांच वर्ष में एक वर्ष का भी पैसा नहीं।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, संविधान के मुताबिक जहां चुनाव नहीं होता, उसका क्या होता है और अगर चुनाव हो गए तो क्या होगा, सारी बात का खुलासा करके रख रहे हैं। आप इत्मीनान से सुनिए। पूरा सुनने के बाद मंत्री जी के रिप्लाई के बाद अगर कोई डाउट है तो मैं आपको क्लैरीफाई करने का मौका दूंगा लेकिन अभी नहीं।

[अनुवाद]

कृपया इस प्रकार व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या एक आदमी हाउस चलाएगा?*...(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमारा पांच सौ करोड़ रुपया क्यों रोक कर रखा है।*...(व्यवधान)* इस सरकार ने बिहार की दस करोड़ आबादी का हिस्सा मार लिया। हिस्सा मार सरकार है। *..(व्यवधान)* सरकार के असंतोषजनक उत्तर के खिलाफ हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 3.12 बजे

(तत्पश्चात् डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह सभा भवन से बाहर चले गए।)

अपराह्न 3.12 बजे

(तत्पश्चात् श्री सुबोध राय सभा-भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू: यदि मैं सच बता दूं तो जिन महान लोगों ने बिहार के बारे में यह टिप्पणी की है उन्हें वास्तव में लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। जब हम सत्ता में नहीं थे तब दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह नीतिगत निर्णय लिया गया था। डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य है और वह सभापति के पैनल में भी हैं। वे मंत्री थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। उस समय यह शर्त रखी गई थी कि यदि राज्य चुनाव नहीं कराता है तो उसकी धनराशि व्यपगत हो जाएगी।

[हिन्दी]

वे हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं क्या करूं। मैं अभी-अभी आया हूं, बच्चा हूं। मैं स्वीकार कर रहा हूं। वे सीनियर हैं। फिर भी हाउस में सबको मिसलीड करने की कोशिश करना*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, जैसा कि मैंने आरंभ में कहा, हम इससे उत्तेजित नहीं होना चाहते क्योंकि हमारा उद्देश्य दो लक्ष्यों को प्राप्त करना है- पहला ग्रामीण क्षेत्रों का पिछड़ापन दूर करना और दूसरा गरीबी की समस्या का निराकरण। यह इस सरकार के दो मुख्य उद्देश्य हैं और ये इस सरकार के भी थे। हमारा उद्देश्य यह देखना है कि ग्रामीण भारत बाकी देश के समतुल्य आ सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एन.डी.ए. सरकार लोगों के प्रति वचनबद्ध है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिकतम राशि आबंटित करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर, श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री समर चौधरी, श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी, कुंवर अखिलेश सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री अनंत गंगाराम गीते, बीच में श्री साहिब सिंह वर्मा और डा. बलि राम, श्री रघुनाथ झा, श्री दिलीप गांधी और अन्य सबने सुझाव दिए, अच्छे सुझाव भी दिए।*...(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): आपने डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह का नाम नहीं लिया।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: सबसे पहले लिया है।

[अनुवाद]

धनराशि का उपयोग न होने के संबंध में धनराशि का समुचित उपयोग के सम्बन्ध में और पूरी व्यवस्था की बेहतर निगरानी के

संबंध में जोर दिया गया। सबसे पहले, मैं अपने सम्माननीय साथी श्री मणि शंकर अय्यर के आवंटन से संबंधित कथन के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि हम पैसा खर्च नहीं कर सकते और एस.जी.एस.वाई. में 60 प्रतिशत कटौती की गई है। यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह एक पत्र है। दूसरे खर्चों में कमी आई है। मैं भी सहमत हूं। लेकिन उसी समय 728 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यह बढ़ रही है। एस.जी.एस.वाई. में खर्चे बढ़ रहे हैं। यह एक नई बनाई गई योजना है। पहले की योजनाओं आई.आर.डी.पी., टी.आर.वाई.एस.ई.एम., एस.आई.टी.आर.ए., डी.डब्ल्यू.ए.सी.आर.ए. को एक साथ विलय करके नई योजना तैयार की गई है। योजना आगे बढ़ रही है। इसलिए इसको प्रोत्साहन देना होगा, उचित मार्गदर्शन देना होगा और उसके पश्चात् दल बनाने होंगे। इसीलिए इसमें समय लग रहा है।

मैंने माननीय संसद सदस्यों द्वारा एस.जी.एस.वाई. योजना के क्रियान्वयन की गति के संबंध में की गई टिप्पणियों को नोट किया है। हम विशेषकर इस योजना के कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने हेतु भरसक प्रयास कर रहे हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): महोदय, मैंने जो आंकड़े उद्धृत किए हैं वे बजट प्राक्कलनों और पुनरीक्षित प्राक्कलनों के बारे में हैं। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से संबंधित आंकड़े उन दस्तावेजों में हैं जो हमें माननीय वित्त मंत्री ने उपलब्ध कराए हैं। अत: मैं नहीं चाहता कि मेरे अच्छे मित्र, श्री वैंकय्या नायडू, जो कि मेरे विचार से सबसे अच्छे ग्रामीण विकास मंत्री हैं, इस सभा में किसी परेशानी में पड़ें। उन्होंने लंबा समय लिया है। अत: यह न कहें कि आंकड़े गलत हैं। आप उनकी अलग व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन ये बजट के दस्तावेजों में से लिए गए आंकड़े हैं।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: मैं खर्चों की बात कर रहा हूं। फरवरी के अंत तक खर्चा 728.87 करोड़ रुपये है। आप जानते हैं कि मार्च के बाद राज्यों से अंतिम आंकड़े एकत्रित करने में समय लगता है। हमें एक बार ये मिल जाएं, तो खर्चों का स्तर और बढ़ जाएगा। यहां तक कि रोजगार आश्वासन योजना के संबंध में भी कार्यनिष्पादन का स्तर फरवरी के अंत तक 60 प्रतिशत से अधिक है। ऐसा ही जे.वी.एस.ए. के मामले में भी है। यह 61 प्रतिशत से अधिक है।

जहां तक इंदिरा आवास योजना का संबंध है गंभीर वित्तीय संकट में फंसे उड़ीसा को अच्छी खासी संख्या में आवास आवंटित किए गए हैं। उन्हें राज्य के अनुदान के साथ सम्मिलित नहीं किया गया है। काफी प्रगति नहीं हुई है। कुल मिलाकर आई.आर.वाई. का कार्यनिष्पादन प्रतिशत 58 से 59 प्रतिशत बैठता है। यहां मैं सभा को विश्वास में लेना चाहूंगा। मैं सभा द्वारा निर्देशित होना चाहता हूं। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग और कभी-कभी एन.डी.सी. के साथ भी परामर्श करके धन और कार्यक्रमों की योजना तैयार की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भी वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से धनराशि जारी की जाती है। लेकिन पैसा राज्यों, जिलों और उससे नीचे की इकाइयों द्वारा ही व्यय किया जाता है। ऐसे मामले में मेरी समस्या यह है कि एक ओर तो वित्त मंत्रालय से अधिक मात्रा में धनराशि आवंटित कराऊं और दूसरी ओर यह देखूं कि राज्य उस धनराशि को निर्धारित समयावधि में उचित तरीके से व्यय करें।

महोदय, मैं यहां आपके नेता और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री को उद्धृत करना चाहता हूं। यदि हम दिल्ली से 100 रुपये भेजते हैं तो केवल 15 रुपये ही पहुंचते हैं। 85 रुपये बीच में ही खा लिए जाते हैं। यह एक मशहूर उद्धरण है। मंत्री होने के नाते मैं अभी कोई मात्रा नहीं बता रहा क्योंकि अभी पूरी स्थिति पर मेरी पकड़ नहीं है। मैं भी समझता हूं कि कुछ धनराशि बीच में ही खा ली जाती है। कितनी आप इसे कैसे सही करेंगे? मेरे सामने यही मुद्दा है। यदि मैं राज्यों का दोष निकालने की कोशिश करूं तो पूरी व्यवस्था को कड़ा बनाना पड़ेगा और प्रत्येक चीज पर जोर देना पड़ेगा, इससे धन का उपयोग कम हो जाएगा और इसके फलस्वरूप आवंटन भी कम हो जाएगा। यदि मैं धन के समुचित उपयोग के संबंध में चुप्पी साध लूं और कुछ न करूं तो पैसा लक्षित व्यक्तियों तक नहीं पहुंचेगा।

[अनुवाद]

मेरे सामने यह समस्या है। मैं यह भी कह सकता हूं कि इस विशेष राज्य में व्यय का स्तर बहुत कम है। मैं अगले वर्ष उनके लिए आवंटन में कमी कर सकता हूं। लेकिन क्या इससे समस्या हल हो जाएगी? इसीलिए राज्यों में दोष ढूंढने के दृष्टिकोण को अपनाने के बजाय मैं यह समझने का प्रयास कर रहा हूं कि वे व्यवहारिक समस्याएं क्या है जिनका वे धन को समय पर खर्च करने में सामना कर रहे हैं।

आप सभी यह जानते हैं कि हम धनराशि जारी करते हैं। जब तक वे आवंटित धनराशि का 50 प्रतिशत खर्च करके हमें उसका उपयोग संबंधी प्रमाणपत्र नहीं देंगे तब तक उन्हें दूसरी किस्त नहीं दी जाएगी। यदि दूसरी किस्त नहीं जाती है और वे इसके लिए अनुरोध भी नहीं करते हैं तो जनवरी के महीने में दस प्रतिशत की कटौती की जाएगी, फरवरी के महीने में बीस प्रतिशत की कटौती की जाएगी और मार्च के महीनें में 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। अत: यह स्वाभाविक है कि उस विशेष राज्य का आवंटन कम हो जाता है। वे कह रहे हैं आप धनराशि जनवरी और फरवरी

[श्री एम. वैंकय्या नायडू]

में दे रहे हैं। अप्रैल में यह धनराशि प्रारंभिक अधिशेष बन रही है। तो फिर आप पहली किस्त जारी नहीं कर रहे हैं। यह एक व्यवहारिक समस्या है। लेकिन इसका उत्तर राज्यों के पास ही है। जब तक राज्य उचित माध्यमों के जरिये धनराशि समय पर खर्च नहीं कर पाते तब तक उन्हें भारत सरकार से धनराशि की दूसरी किस्त नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम साथ ही व्यावहारिक समस्याएं समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी सहकारी संघवाद की भावना से ओतप्रोत होकर उनके साथ संपर्क कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने कर रहे हैं कि वास्तविक समस्याओं का निराकरण किया जाये। तत्पश्चात् जहां भी धनराशि का अन्यत्र उपयोग हो रहा है, जहां भी धनराशि को अन्यत्र भेजा जा रहा है जहां भी इसका दुर्विनियोजन हो रहा है, और जो भी मामले हमारे ध्यान में आ रहे हैं, उनके सम्बन्ध में कार्रवाई भी की जा रही है।

हम इस मुद्दे विशेष के आधार पर किसी राज्य के प्रति भेदभाव बरतने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।

जहां तक स्थानीय निकायों की भूमिका का संबंध है, मैं श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा व्यक्त विचारों से पूर्णतया सहमत हूं क्योंकि स्थानीय निकायों, पंचायती राज्य संस्थाओं का पूर्णरूप से ग्रामीण विकास संबंधी कार्यकलापों के कार्यान्वयन में शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए जिला परिषदों और डी.आर.डी.ओ. को ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं जो उस जिले विशेष के लिए आवश्यक हैं, तैयार करने के लिए शक्तियां दी जाती हैं।

हमारे पास एक अन्य दिशानिर्देश यह भी है कि ग्राम सभा को विधिवत रूप से लाभार्थियों का चयन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं की बैठकें बीती तारीख में हो रही हैं। यह पी.एम.जी.एस.वाई. के बारे में है लेकिन अन्य कार्यक्रमों के संबंध में दिशानिर्देश में कहा गया है कि ग्राम सभा को पहले बैठक करनी चाहिए और गरीब से गरीब लोगों का पता लगाना चाहिए ताकि वे भारत सरकार के लाभों के पात्र बन सकें। यदि अनेक स्थानों पर इसका सही अर्थों में अनुपालन नहीं हो रहा है तो भारत सरकार इस मामले की राज्यों के साथ सुनिश्चित करने के लिए पैरवी कर रही है कि ग्राम सभाओं की बैठकें अनिवार्य रूप से एक वर्ष में कम से कम चार बार की जाए। हम ग्राम सभाओं की बैठकों के आयोजन करने के बारे में आगामी वर्षों में इस मामले में और अधिक जोर देते रहेंगे।

महोदय, आप प्रोत्साहन और हतोत्साहन ही दे सकते हैं। इससे भी अधिक यदि आप कार्रवाई करने के संबंध में सोचते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। प्रोत्साहन जो अच्छा कार्य करे- महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य भी हैं जो हमसे पूछ रहे हैं: महोदय हम अधिक धनराशि खर्च कर रहे हैं और आप हमारे आवंटनों में कमी कर रहे हैं क्योंकि गरीबी के स्तर गिर गये हैं।

मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्य बहुत पिछड़े राज्य हैं जहां गरीबी के स्तर ऊंचे हैं। ये राज्य कह रहे हैं: अभी-अभी आप सड़कों को जोड़ने की भी बात कर रहे हैं। हमारे गरीबी के स्तर ऊंचे हैं।

[हिन्दी]

आप हमें कम पैसा दे रहे हैं, दूसरों को ज्यादा दे रहे हैं। वे पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, ठीक खर्च कर रहे हैं, और आगे बढ़ रहे हैं इसलिए वे चाहते हैं कि हमें पैसा ज्यादा दो। दूसरी तरफ बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, जहां कनेक्टीविटी कम है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, वे कह रहे हैं कि हमें पैसा दो। जो पैसा दे रहे हैं, वे समय पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है कि उनके पास जो 25 प्रतिशत स्टेट शेयर होना चाहिए, वह भी नहीं है। इसलिए यह भी एक प्राब्लम है। इसके बारे में हम गम्भीरता से सोच रहे हैं कि कैसे रिसोल्व करें और आगे बढ़ा जाए। साथ ही साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूट का दूसरा पहलू है। पूरे डेवलपमेंट में पंचायती राज इंस्टीट्यूट ही होना चाहिए, कोई पैरेबल बाडी नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

महोदय, मैं स्पष्टतया कह दूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यह बात सामने आती हैं कि रूझान समानान्तर संगठन बनाने का है। प्रभारी मंत्री की क्या व्यवस्था क्या है?

[हिन्दी]

यह कहां से आया, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। हर जिले में प्रदेश के इंचार्ज मिनिस्टर ही व्यवस्था बन रहे हैं। यह किस राज्य की सरकार में है किसकी में नहीं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता।

[अनुवाद]

मैं उस नीति में जाना नहीं चाहता कि यह कार्य कौन सी सरकार कर रही है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि किसी भी राज्य में सरकारें एक मंत्री को प्रभारी मंत्री नियुत्त कर रही हैं।

[हिन्दी]

वही डिसाइड कर रहे हैं सभी डेवलपमेंट एक्टीविटी के बारे में, यह नहीं होना चाहिए। मैंने इस संदर्भ में प्रधान मंत्री जी से भी बात की है।

कुंवर अखिलेश सिंह: उत्तर प्रदेश में भी यही व्यवस्था लागू है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: कई राज्यों में ऐसा है। मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहता कि यह बी.जे.पी. का है या कांग्रेस का है या अन्य किसी का है।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): बिहार में भी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान मत डालिए। हमें दूसरे विभाग अर्थात् विनिवेश विभाग पर चर्चा शुरू करनी है। इसलिए कृपया व्यवधान मत डालिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): पंचायत अधिनियम के तहत जिला विकास अधिकारी की शक्तियां जिला कलेक्टर अपने अधिकार में ले लेता है। कांग्रेस गुजरात राज्य में जीत गई है। राज्य सरकार ने, 1 मई, 2001 से चुंगी लेने हेतु पंचायत की शक्ति समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप उनकी आय समाप्त हो जाएगी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह इस बात पर असहमत नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा तो सभी राज्यों में है।

...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकय्या नायडू: आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं और हमारे लोग कांग्रेस की सरकार की बात कर रहे हैं। तो फिर मैं अन्ततः देश की सभी स्थिति की बात कर रहा हूं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: पंचायती अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले सभी राज्यों के विरुद्ध पार्टी भाव की उपेक्षा करते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। हम इसके लिए तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रवीण राष्ट्रपाल, वह उसका ही उल्लेख कर रहे हैं।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: जहां तक शक्तियों के अवक्रमण का संबंध है,जहां तक संसद सदस्यों की भूमिका का संबंध है, जहां तक ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वय का संबंध है, समुचे सदन का यही विचार है कि बिना किसी आपत्ति के पंचायत राज निकायों को शक्तियों का अवक्रमण करना होगा। आप यह कार्य किस प्रकार करेंगे। मैंने 16, अप्रैल अपराह्न को सभी दलों की एक बैठक बुलाई थी लेकिन हम किन्हीं कारणों जो आपको भली भांति मालूम हैं, ऐसा नहीं कर सके। हम शीघ्रातिशीघ्र मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। जिसमें शक्तियों और धनराशि का और अधिक अवक्रमण किस प्रकार किया जाए के संबंध में चर्चा की जायेगी।

दूसरे, जहां तक इस कार्य में संसद सदस्यों की भागीदारी का संबंध हैं, जहां तक विकास संबंधी कार्यकलापों का संबंध है हम पहले ही राज्यों से जिला स्तर पर सतर्कता निगरानी समिति बनाने के लिए कह चुके हैं।

लेकिन इसका जो उत्तर मुझे मिला है, वह यह है कि अनेक राज्यों में राज्य सरकारों ने निगरानी और सतर्कता समितियां गठित नहीं की हैं। आज सदन के रूख को भांपकर तथा प्रश्न काल के दौरान व्यक्त किए गए विचारों को भांपकर अब मैं इस मामले को बैठक में रखूंगा जो प्रधान मंत्री द्वारा शीघ्र ही यह निर्णय लेने के लिए बुलाई जाने वाली है कि क्या संसद सदस्यों को डी.आर.डी.ए. अथवा जिला स्तरीय समिति का सह-अध्यक्ष बनाया जा सकता है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री जी से मैंने बात की है। प्रधान मंत्री...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: डी.एम. का प्रोटोकोल एम.पी. के प्रोटोकोल से नीचे होता है।...*(व्यवधान)* आपने प्रोटोकोल बनाया हुआ है, उसमें एम पी को ऊपर रखा हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: महोदय, इसमें व्यावहारिक समस्याएं हैं। कतिपय स्थानों पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां (डी.आर.डी.) नहीं है; जिला परिषद है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: वह जिला कलक्टर के साथ सह-अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं? आप संसद सदस्यों को ऐसे अवमानित कैसे कर सकते हैं? यह असम्भव है।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: माननीय मंत्री जी ने जो एमपी. को को-चेयरमैन बनाने की बात कही है, इससे पहले भी इसी सदन में कई दफा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः पप्पू यादव जी, हर चीज में आप बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, चेयर की भी कुछ परमिशन लेनी होती है। हमारी परमिशन से ही आपको बोलना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडूः ठीक है, मैं दोनों प्रस्तावों पर काम करूंगा-संसद सदस्यों को ही अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष बनाना। दो प्रस्ताव हैं।

[हिन्दी]

मैं सर्वदलीय बैठक के सामने यह बात रखूंगा। सर्वदलीय बैठक में आप सब लोग भी होंगे। वहां एक बार स्वीकृति होने के बाद आप देखिए। हम यहां कुछ एनाउंस करें, तय करें और बाद में स्टेट वाले उसका विरोध करें-यह अच्छी स्थिति नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर)**:** प्रश्न यह है कि आप जब कोई नियम बनाते हैं तो उस नियम को आप खुद लागू करते हैं या नहीं करते।*...(व्यवधान)* एम पी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में क्या फर्क है? आप कहते हैं कि डी.एम. से बड़ा प्रोटोकोल एम.पी. का होता है और एम.पी. को मैम्बर बनाते हैं और डी.एम. को चेयरमैन बनाते हैं।*...(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडूः आप उसमें मत जाइए।*...(व्यवधान)*

श्री ब्रह्मानन्द मंडलः आप एम.पी. को मेम्बर नहीं बनाइगा। *...(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडूः कलैक्टर अध्यक्षता में मेम्बर को को-चेयरमैन बनाने का कोई सावल नहीं है।*...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज)**:** एक जगह भी आपने चाहे वह प्रधान मंत्री सड़क योजना हो,*...(व्यवधान)* चाहे इंदिरा आवास हो, एक जगह भी*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडूः महोदय, मैं ऐसी स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं जहां जिला परिषद के अध्यक्ष ही व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण अध्यक्ष बने हुए हैं।*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः आप एम.पी. को हटा दीजिए।*...(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा)**:** वहीं तो सब गड़बड़ हो रही है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः अब कृपया, समाप्त करें। आज ही मुझे अन्य मंत्रालयों की अनुदान मांगों को भी लेना है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः यह प्रश्नकाल नहीं है। जो आप पूछ रहे हैं वह अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री एम. वैंकय्या नायडूः महोदय, मैं सदस्यों के कथन भावना से पूर्णतः सहमत हूं। साथ ही, मैं कह चुका हूं कि प्रधानमंत्री शीघ्र ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे जिसमें सहमति बनाकर हम आगे बढ़ेंगे और अगली बार सत्र के दौरान सभा में सदस्यगणों के सुझावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया लेकर आएंगे।

तीसरी बात, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में उठाया गया मुद्दा है। सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रस्ताव तैयार करने और उन्हें अन्तिम रूप देने में संसद सदस्यों की भागीदारी नहीं रहती, और यह भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की भावना के विपरीत है। यह सुझाव दिया गया था कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति ने एक सिफारिश की थी, जो माननीय अध्यक्ष महोदय के पास है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास संबंधी समिति की सिफारिश यह है कि किसी जिले में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से जो भी धन खर्च किया जाता है उसमें 2 करोड़ रुपये की राशि तक प्राथमिकताएं संसद सदस्य निर्धारित करें। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति की यह सिफारिश है। समिति ने यह सिफारिश माननीय अध्यक्ष भहोदय को भेज दी है और इस मामले पर चर्चा की जानी है। अध्यक्ष महोदय जैसे ही हमें सूचित करेंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे और आगे की कार्यवाही होगी। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास संबंधी समिति के इस सुझाव पर भी ठीक से विचार किया जाएगा, मैं आपको यह आश्वासन देता हूं।

श्री मणिशंकर अय्यरः महोदय, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। सभा में प्रधानमंत्री की उपस्थिति का लाभ उठाकर क्या हम उन्हीं से पूछ सकते हैं कि क्या यह संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास संबंधी समिति के इस प्रस्ताव का व्यक्तिगत और आधिकारिक रूप में समर्थन करेंगे ताकि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से इस तरह जोड़ा जा सके जैसाकि सभा के हर सदस्य ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति सभा की ही समिति है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: महोदय, पंचायतों को साथ लेकर चलने के मुद्दे पर भी प्रश्न उठाए गए हैं कि हम ग्रामीण सड़क सम्पर्क के मामले में पंचायतों को साथ लेकर नहीं चलते।

एग गांव से दूसरे गांव को जोड़ने; गांव को मंडल मुख्यालय से जोड़ने और फिर जिला मुख्यालय से जोड़ने का विचार है। मैं स्थायी समिति की सिफारिशों के मद्देनजर दिशानिर्देश तैयार करूंगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबद्ध स्थायी समिति की सिफारिशों के मद्देनजर भी संशोधित दिशानिर्देश भेजेंगे।

महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। पूरी की पूरी सभा जल्दी में है।

उपाध्यक्ष महोदय: हमें दूसरे मंत्रालय को भी लेना है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: हमें विनिवेश विभाग को लेना है। महोदय, मैं केवल एक मुद्दे पर आ रहा हूं।...*(व्यवधान)* यहां दो प्रश्न हैं। एक बात तो यह है कि पेयजल और भू-संसाधनों, आदि के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को आबंटित धनराशि का आबंटनों की भावना के अनुरूप उपयुक्ततम उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि किए गए आवंटनों और हमारे पास जो धनराशि है, उसमें काफी अन्तर है। आबंटित धन का समुचित उपयोग करना है। इसके लिए हमारे मंत्रालय ने एक चार-सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया है।

पहला, ग्राम और जिला स्तर पर देश की जनता के बीच कार्यक्रम की प्रवृत्ति विस्तार और निधियों के बारे में जागरूकता पैदा करना। साइनबोर्ड लगाए जाएंगे।

दूसरा, पारदर्शिता के बारे में है। हर योजना के लिए संसद सदस्य कह रहे हैं।

[हिन्दी]

रोड नहीं बनाते हैं, फिर भी पैसा खा रहे हैं। ठेकेदार को दे रहे हैं।

[अनुवाद]

इसलिए मेरे मंत्रालय या 'कपार्ट' या मेरे मंत्रालय से संबद्ध किसी अन्य संगठन की ओर से कोई काम किया जा रहा है तो कोई भी नागरिक नाममात्र शुल्क पर कार्य का आकलन प्राप्त कर सकते हैं।

तीसरी चीज है कार्पोरेट जगत सहित जहां भी लोग आगे आ रहे हैं वहां जनता की भागीदारी। यदि वे ग्रामीण विकास कार्यों में भागीदारी करने के इच्छुक हैं तो उन्हें पहले से गठित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि के अनुसार कर में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी और काम कराने वाली एजेंसियों के चयन में उनके विचारों पर गौर किया जाएगा और जहां भी जनता आगे आएगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

चौथी बात सामाजिक हस्तक्षेप का है क्योंकि बड़ी मात्रा में धन खर्च किया जा रहा है। ग्राम सभा की बैठक हो और वह अन्य गौर सरकारी संगठनों भूतपूर्व सैनिकों आदि सहित क्षेत्र के विश्वसनीय लोगों की मदद से कार्य की पूरी प्रगति की जांच हो। वे पूरी योजना की समाज की ओर से जांच करेंगे और कार्रवाई कराने के लिए विकास खंड और जिला स्तर पर सिफारिशें भेजेंगे। केन्द्र की ओर से हमारा एक क्षेत्र प्रबंध अधिकारी होजा, जो 15 मई से शुरू होने वाले पूरे कार्यक्रम की निगरानी रखेगा।

महोदय, अंत में, मैं मंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक संसद सदस्य के रूप में, इस देश के नागरिक के रूप में पूरी सभा के साथ अपनी एक राय व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे समक्ष अनेक चुनौतियां हैं और उपलब्ध संसाधन सीमित हैं। हम पर 12 लाख करोड़ रुपये का भारी कर्ज है। यदि मैं गलत हूं तो माननीय वित्त मंत्री मुझे ठीक-ठीक बताएं।

ऐसा तब तक नहीं किया जा सकता है जब कि हर कोई हमारा समर्थन न करे और हमसे और अधिक धनराशि का निवेश न कराए। यह केवल मेरा सुझाव है। मेरा सुझाव है कि जब तक आप पहले निवेश की गई धनराशि को निकाल कर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास संबंधी कार्यों में उचित ढंग से खर्च नहीं करेंगे तब तक इस खाई को पाटा नहीं जा सकता है। दो लाख पचास हजार गांवों में पीने के पानी की समुचित सुविधा नहीं है। दो लाख से ज्यादा गांव सड़कों से नहीं जुड़े हैं और 2,36,000 गांवों में टेलीफोन सम्पर्क नहीं है। अस्सी हजार गांवों में बिजली नहीं है। इन लक्ष्यों को केवल ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आबंटित धनराशि से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आबंटन की राशि को बढ़ाए जाने की और अधिक आवश्यकता है। अधिक आबंटन तभी संभव है, यादि सुधारों के प्रति हमारे दृष्टिकोण, विनिवेश के प्रति हमारे दृष्टिकोण, निजी क्षेत्र की भागीदारी के प्रति हमारे दृष्टिकोण और ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता दिए जाने के विषय पर हमारे दृष्टिकोण के बारे में मोटे तौर पर आम सहमति बने।

इसके साथ ही मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इन मांगों को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो भी सुझाव दिए हैं उन्हें ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति को सुधारने के लिए कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है, इसलिए मेरी पार्टी सदन का बहिष्कार करती है।

अपराह्न 3.34 बजे

(तत्पश्चात् कुंवर अखिलेश सिंह सभा भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): उपाध्यक्ष महोदय, स्थायी समिति की अद्यतन रिपोर्ट, अर्थात् 21वीं रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि आठवीं योजना की समाप्ति तक 957 करोड़ रुपए की अप्रयुक्त राशि शेष थी। माननीय मंत्री महोदय का उत्तर काफी सकारात्मक है और उन्होंने आबंटन की राशि में साढ़े तीन गुना वृद्धि की है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया है कि इसके लिए किस प्रकार की मशीनरी उपलब्ध है। अन्यथा यह राशि अप्रयुक्त पड़ी रहेगी और यह पैसा लक्षित जनसमूहों तक नहीं पहुंच सकेगा। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वे पंचायती राज व्यवस्था को इसमें शामिल किए जाने का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं।

श्री के.पी. सिंह देव: महोदय, इसीलिए हम सबसे अधिक महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक पर चर्चा कर रहे हैं। क्या इसमें संसद सदस्य की कोई भूमिका है? मेरे राज्य में सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है कि विधायक से सलाह ली जाएगी। प्रधान मंत्री रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना और ग्रामीण विकास आदि के अधीन स्कीमों के मामले में संसद सदस्यों से सलाह नहीं ली जाती है।*...(व्यवधान)* यहां बात करने का क्या फायदा है? वहां हमसे सलाह नहीं ली जाती है।*...(व्यवधान)* क्या हम लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं हैं?*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से सम्बंधित अनुदानों की मांगें सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में ग्रामीण विकास मंत्रालय से सम्बंधित मांग संख्या 65 से 67 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: धन्यवाद महोदय।

(दो) विनिवेश विभाग

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब मद संख्या 16 पर विचार करेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में विनिवेश विभाग से संबंधित मांग संख्या 20 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2001-2002 के लिए विनिवेश विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगे

मांग संख्या	मांग का नाम	दिनांक 20 मार्च, 2001 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
विनिवेश विभाग					
20.	विनिवेश विभाग	67,00,000	–	3,37,00,000	–

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनियोग विभाग के अधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सम्भवत: यह पहला मौका है कि विनिवेश विभाग के नाम से इस नए विभाग के सृजन के बाद इस विभाग के अनुदानों पर आज चर्चा की जा रही है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जो सदस्यगण बाहर जाना चाहते हैं वे शांतिपूर्वक बाहर चले जाएं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि हमारे विशिष्ट मंत्री महोदय, अरुण शौरी, जो लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों, जनता के अधिकारों का समर्थन किसी पत्रकार की दृष्टि से करते रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? ये क्या बहस चल रही है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, उन्होंने बड़े ही विश्वासजनक ढंग से अपने विवेक, सत्ता पक्ष में अपने विश्वास का त्याग करके अपने सभी आदर्शों का त्याग किया है, सिवाय अपनी विचारधारा के, जो स्वतंत्रता पार्टी और दूसरी पार्टियों से मिलती जुलती है, जिसे सरकार द्वारा प्रकाशित दस्तावेज में समुचित रूप से परिलक्षित किया गया है लेकिन मंत्रिमंडल ने उसका समर्थन नहीं किया है और जिसे सरकार ने अपनी नीति के रूप में घोषित नहीं किया है। महोदय, स्थायी समिति की रिपोर्ट आज सभा के पटल पर रखी गई थी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आखिरी पंक्ति में क्या चर्चा चल रही है? माननीय सदस्यगण यदि आपकी रूचि चर्चा में नहीं है तो आप लॉबी में जा सकते हैं। सदन की कार्यवाही में इस तरह बाधा न डालें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, विनिवेश विभाग के अनुदानों से संबंधित स्थायी समिति की रिपोर्ट आज सभा पटल पर रखी गई और सबूतों की जांच करने के बाद इस रिपोर्ट में समिति-जो सदन की समिति है- ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर यह निर्णायक टिप्पणी की है कि विनिवेश के बारे में सरकार की कोई व्यापक नीति नहीं है।

इसके बावजूद मंत्रालय ने 'विनिवेश नीति और क्रियाविधि' के नाम से एक दस्तावेज संसद सदस्यों को वितरित किया। इसमें क्या कहा गया है? इसमें उन देशों की पृष्ठभूमि दी गई है जहां निजीकरण को अपनाया गया और एस बात की पृष्ठभूमि दी गई है कि पश्चिमी अर्थव्यवस्था किस प्रकार बाजारों में अपेक्षित प्राप्त करने में सफल रही है। इसमें उस पृष्ठभूमि को उजागर करते हुए यह बताया गया है कि किन-किन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत और किस प्रकार सरकार ने 1991 से अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीक्रण करने का प्रयास किया है। इसमें कालक्रमानुसार आंकड़े दिए गए हैं। यह विभिन्न घटनाओं और उनके परिणामों की विरणिका है? क्या यह कोई नीति का दस्तावेज है?

मेरा पहला सवाल यह है कि विभाग किसी नीति के बिना ही अपने अनुदानों पर चर्चा कर रहा है। इस बात की पुष्टि स्थायी समिति ने भी की है। इस दस्तावेज के मुख्यपृष्ठ पर ही 'विनिवेश नीति और क्रियाविधि' छपा है और अन्दर '1990 से 1999 के दौरान विभिन्न सरकारों से संबंधित कालक्रमिक घटनाएं' छपा है।

क्या यह कोई नीति है? आपकी नीति क्या है? आपने अपनी नीति का खुलासा नहीं किया है। कुछ मामलों में आप कहते हैं कि विनिवेश से प्राप्त होने वाले संसाधनों को सामाजिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन के लिए या प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रयोग किया जाएगा; कुछ मामलों में हमें मालूम हुआ है कि यह सब कुछ नहीं है, वे सिर्फ बजट घाटे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसका उपयोग सामाजिक क्षेत्र में किया जाना है तो क्या मंत्री महोदय आज विनिवेश विभाग के अनुदानों की मांगों के उत्तर में यह बता सकते हैं कि अब तक कुल प्राप्ति का कितना प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन के लिए नियत किया गया है। मुझे मालूम है कि यह राशि बहुत कम है।

जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, इस सरकार के पास कोई व्यापक विनिवेश नीति नहीं है। हम लोग संसद सदस्य हैं, स्कूल के बच्चे नहीं हैं। आपने सिर्फ "विनिवेश नीति और क्रियाविधि" के नाम से कालक्रमिक घटनाओं का एक दस्तावेज परिचालित किया है।

मैं कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा, किन्तु मेरा मानना है कि नीति के नाम पर दस्तावेज परिचालित करते समय वह भी तब जब कैबिनेट ने इसे अनुमोदित न किया हो या कैबिनेट ने विचार न किया ऐसी स्थिति में आपका संसद सदस्यों और सभा को इतने हलके रूप से नहीं लेना चाहिए। यह सरकार इस विभाग को बगैर किसी नीति के चला रही है और इसे बहुत ही हलके तरीके से तदर्थ आधार पर, जोड़तोड़ और भाई भतीजावाद के जरिए चला रही है, और यदि कहा जा सके तो मैं यह भी कहूंगा कि भ्रष्टाचार जैसाकि बाल्को के मामले में सामने आया को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि बाल्को पर हुई चर्चा के दिन मैंने पूछा था कि क्या स्टरलाइट एक महत्वपूर्ण भागीदार है या महत्वपूर्ण मालिक, या क्या यह निजीकरण है या विनिवेश। मंत्री जी ने इस दस्तावेज में अपनी खुद की प्रस्तावित टिप्पणी में स्पष्ट किया है कि विनिवेश का मतलब निजीकरण है। क्या यही सरकार की नीति है कि विनिवेश का मतलब निजीकरण होता है नहीं। सरकार आज भी दुविधा की स्थिति में है। यदि आप कहते हैं कि किसी भी सरकारी क्षेत्र को अपने शेयरों को घटाकर 26 प्रतिशत तक लाना है और - शेष पीएफआई के हाथों में होंगा फिर यह पूर्ण निजीकरण कैसा हुआ? मंत्री जी ने अपनी प्रस्तावित टिप्पणी में कहा है कि विनिवेश का मतलब पूर्ण निजीकरण होता है। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि आपने विकासशील राष्ट्रों से कुछ नहीं सीखा, आपने भारत से भी कुछ नहीं लिया, आपने तो केवल पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों की नकल की है। जब मैंने पूरे दस्तावेज को सावधानी पूर्वक पढ़ा तो इसमें यही पाया कि इसको यहां नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में तैयार किया गया है। इसकी छपाई, संकलन, मुद्रण और इसकी योजना तथा इसपर विचार मंथन वहीं हुए थे। यदि आपके सोचने का यही तरीका है कि हमारा देश इसी के अनुरूप बहुत तेजी से बदल रहा है तो मैं क्षमा चाहता हूं मंत्री जी कि यह आपकी व्यक्तिगत चिचारधारा हो सकती है जो कभी आपके मंत्री न रहते अखबार के आलेख के रूप में छप सकती है किन्तु न तो यह इस संसद और न ही एनडीए के घटक दलों और न ही देश की विचारधारा है।

उपाध्यक्ष महोदय, बाल्को के संदर्भ में मैंने सौलिसीटर जनरल, एडीशनल सौलिसीटर जनरल और कई अन्य विधि विशेषज्ञों के विचारों को हवालो से यह जानना चाहा था कि क्या स्टारलाइट को, जिस पर कि अंधकार के बादल छाये हुए है, एक भागीदार के रूप में चुना जा सकता है। उस दिन आपने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया। आप सेबी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ने मैसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को पूंजी बाजार में कारोबार पर रोक लगा दी है। सेबी ने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के निदेशकों व इसके अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या यह सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है कि सारे तथ्यों, स्टरलाइट की अपमानजक व्यवस्थाओं को जानते हुए भी इसने संसद को जानबूछकर गुमराह किया और कहा कि सब कुछ स्पष्ट और पारदर्शी है? पारदर्शी कुछ भी नहीं था, और आपने राष्ट्रीय हितों को दांव पर लगाकर इस सौदे को बढ़ावा दिया और बाल्कों को ऐसे जोड़-तोड़ करने वालों के हाथों गिरवी रख दिया जिन्होंने कल तक शेयर बाजार में भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और जिन पर सेबी ने आरोप पत्र दाखिल किए है।

मंत्री जी, आपका क्या जवाब है? यदि मैं आपकी-जगह होता तो मैं अपने दिल पर हाथ रखकर कहता हूं कि मैं इस्तीफा दे देता। मैं अपने सभी कागजातों को माननीय प्रधानमंत्री के पास रख देता और कहता, 'प्रधान मंत्री जी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता और मैं आपको सही दिशा नहीं दिखा सकता। मेरा विभाग एक ऐसे संगठन का महत्वपूर्ण साझेदार बना है जिस पर वित्त मंत्री के अन्य संगठन सेबी-अंततोगत्वा सवाल उठा चुका है।' क्या आप इसे पारदर्शी सौदेबाजी कह सकते हैं? क्या इसे आप सही विनिवेश मानते हैं? यदि बाहर के लोग इस सौदेबाजी को घोटाला का नाम देकर आवाज उठाए तो, आप कहेंगे कि यह विपक्ष द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र है।

इसलिए महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सरकार की कोई नीति नहीं है, बल्कि जानबूझकर और अपमानजनक तरीकों से राष्ट्र को लूट रही है। यही जानबूझकर और हताश होकर सबकुछ बेच रहे हैं। एक सरकार द्वारा किसी अन्य राष्ट्र को सोना बेचना और दूसरी सरकार द्वारा फिर से उसे वापस लाना एक अलग बात है। किन्तु कतिपय समितियों व व्यक्तिविशेष की मंशा पर संसद की स्वीकृति के बिना जनता की संपत्ति को बेचना राष्ट्र के प्रति अपराध और धोखाधड़ी है। इसलिए यह सरकार नीति के अभाव में विनिवेश के नाम पर जो कुछ भी कर रही है वह एक अपराध है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको एअर इंडिया का एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): यह अभी जवाब देकर आरोप लगा देंगे कि हम आपकी नीतियों का पालन कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: देवगौड़ा सरकार ने जो नीति बनाई, उसमें कुछ हिस्सा हमारा और कुछ हिस्सा आपकी पार्टी का भी था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय, एअर इंडिया के लिए सलाहकार चुने गए थे। मैं ऐसा उत्तरदायित्व की भावना और सरकार द्वारा दिये गये जवाब के आधार पर कह रहा हूं। मैं एन.डी.ए. के मित्रों से आग्रह करूंगा कि कृपया वे मेरी बात को सुनें। यह विषय जितना मेरा है उससे कहीं अधिक उनका है। इस बारे में आप बाहर में प्रचार-प्रसार कर सकते है किन्तु यहां इस सदन में नहीं। मैसर्स जी.एम. मॉर्गन और स्टैनले को एअर इंडिया का सलाहकार चुना गया आई.डी.बी.आई. और एनजेड ग्रिन्डलेज बैंक को इंडियन एअरलाइन्स का सलाहकार

चुना गया। समय-समय पर हम इस देश के दो मुख्य विमान वाहकों- इंडियन एअर लाइन्स और एअर इंडिया- के बारे में बात करते रहे हैं। ये इस संसद द्वारा अनुमोदित देश के दो महत्वपूर्ण विमान वाहक हैं और जिसके साथ जनता के सपने जुड़े हुए है। इन विमान वाहकों ने गत 46 वर्षों में लाभ कमाया है। हो सकता है कि गत पांच वर्षों से ये घाटे में चल रहे हों। किन्तु, इन दोनों विमान वाहकों की संपत्तियों की कीमत एक साथ एक निवल परिसंपत्ति के रूप में लगाई जानी चाहिए और तभी इनकी निविदा के लिए पहल की जानी चाहिए। किन्तु, संसद में विपक्ष के एनडीए सरकार के सांसदों के और यहां तक कि विशेषकर शिवसेना के भी सांसदों के कई बार के हस्तक्षेप के बावजूद भी इस सरकार ने जानबूझकर इंडियन एअरलाइन्स और एअर इंडिया के लिए अलग-अलग सलाहकार चुने हैं। हालांकि सरकार अपनी योजना को बखूबी जानती है। ऐसा क्यों हुआ? अब मैं इस पर आता हूं।

महोदय, एअर इंडिया द्वारा एक सर्वेक्षण अध्ययन कराया गया था जिसके मुताबिक यह बात निश्चित थी कि एअर इंडिया को 400 करोड़ रुपए का लाभ होना था और यह लाभ कोई अभी-अभी नहीं बल्कि गत दो वर्षों में होना था। बशर्ते कि कतिपय चीजों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित और किया जाता। एअर इंडिया के वित्तीय मूल्यांकन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में एअर इंडिया के प्रबंधन को शामिल नहीं किया गया है। एअर इंडिया के विशेषज्ञ इसमें शामिल नहीं किया गया। एअर इंडिया के प्रबंधन को अंधकार में रखा गया है। उन्हें केवल आपातकालीन बैठक में सिगनल मिलते ही दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार रखा गया है, जैसाकि बाल्कों के प्रबंधन को रखा गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हमारे माननीय प्रधान मंत्री विदेश जाते हैं और वे वहां या भाजपा की रैली में या सरकारी समारोह में जनता को संबोधित करते हैं, तो वे दृढ़-विश्वास साहस और बुद्धिमानी के साथ यह कहते हुए संबोधित करते हैं, 'हम भारतीय, हम भारत के नागरिक, भारत के निर्माण राष्ट्र' के हम आपको यहाँ संबोधित करने आए हैं। इस देश का एक नागरिक होने के नाते मैं गर्व महसूस करता हूं मेरे प्रधान मंत्री इस देश की छवि बढ़ा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री से एक बात पूछना चाहता हूं। क्या माननीय प्रधान मंत्री या विनिवेश मंत्री इस मामले में विश्व के किसी भी कोने से कोई एक ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहां कि किसी राष्ट्रीय विमान को विदेशी एअर लाइन की छत्रछाया में आकर अपना परिचालन करना पड़ा हो? और एक ऐसा उदाहरण है। यह है एअर लंका-यह अभी संयुक्त अरब अमीरात के अधीन परिचालन कर रहा है। किन्तु, क्या हम अपनी बराबरी संयुक्त अरब अमीरात या श्रीलंका से करेंगे?

क्या हम श्री लंका के बराबर हैं कि एअर इंडिया जो पूरे विश्व में हमारे राष्ट्रीय ध्वज वाहक है, को विदेशी एअरलाइनों के अधीन चलाएं हमारे वर्षों के इस सपने को जानबुझकर इसके स्टॉकों में हेराफेरी कर व इस संगठन को रूग्ण बनाकर इसकी परिसंपत्ति के अवमूल्यन की सोची-समझी साजिश व व्यवस्थित तरीकों से विदेशी एअरलाइनों के हित में किया जा रहा है। वह भी तब किया जा रहा है जब प्रधान मंत्री वाजपेयी विश्व में यह कहते घूम रहे है कि वे एक देशभक्त हैं और उन्हें भारतीय होने पर गर्व है। विनिवेश के नाम पर इस संगठन को एक व्यवस्थित योजना के तहत इसकी-संपत्ति का अवमूल्यन कर किसी विदेशी समूह के हाथों सौंपने की योजना बनाई जा रही है। यह बात हाल ही के स्टॉक एक्सचेंज घोटाला में उभरकर सामने आई है कि कैसे हेरफेरी की जा रही है। यह शर्म की बात है।

एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स की एक साथ आंतरिक और बाहरी गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में सरकार की क्या कठिनाइयां थी। सरकार ने इस दिशा में प्रयास ही नहीं किया और यही कारण है कि इसमें आगे भी हेराफेरी हुई। यदि मेरे पास बोलने के लिए और समय होता, तो मैं इस तथ्य को न्यायोचित रूप से बता सकता। आंतरिक रूप से सरकार एअर इंडिया और इंडियन एअर लाइन्स की परिसंपत्ति का अवमूल्यन करने की कोशिश कर रही है ताकि उन्हें शीघ्र एक महत्वपूर्ण भागीदार मिल सके।

सरकार को स्थायी समिति में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के विनिवेश के मुद्दे पर चर्चा करने से किस चीज ने रोका? यदि सरकार ने उसके लिए अनुमति दे दी होती, तो वे कम-से-कम यह दावा कर सकते थे कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले स्थायी समिति के ज्ञान का सदुपयोग किया। इसके बाद सरकार इसे संसद में रख सकती थी और उसकी मंजूरी प्राप्त कर सकती थी। लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। सरकार यह जोर-जोर से कह रही है कि संसद सर्वोच्च है इसलिए उसे कार्य करते रहना चाहिए। परन्तु, जहां तक विनिवेश का संबंध है, सरकार यह चाहती है कि संसद की उपेक्षा की जानी चाहिए। सरकार यह अनुभव करती है कि उनकी शक्ति का स्रोत कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के आंसु नहीं अपितु रा.ज.ग. के सहयोगी दलों की संख्या है। वे यह अनुभव करते हैं कि जब तक संसद में उनका बहुमत है वे संसद की मंजूरी की मोहर प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई सहयोगी दल रूककर यह कहता है कि सरकार जो कर रही है वह गलत है, तो वे यह कहेंगे कि वे सरकार को भंग कर देंगे और देश को चुनावों के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरीके से वे सरकार चला रहे हैं! इस तरह से सरकार विनिवेश के कार्य को पूरा कर रही है! इस तरीके से वे सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की सम्पत्ति का अवमूल्यन करने का प्रयास कर रहे हैं!

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

जहां तक दूरसंचार क्षेत्र का संबंध है, सरकार का सम्पूर्ण मंशा विदेश संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को रूग्ण करने और विनिवेश की प्रक्रिया द्वारा इस संगठनों को बाजार में बेचने का है। वायरलैस इन लोकल लूप (बिल) संबंधी विधेयक जब हाल ही में आया तो दूरसंचार नीति में कुछ ऐसा ही कार्य शुरू किया गया है। विनिवेश के नाम पर ऐसा ही कार्य किए जा रहे हैं। इन्हीं बातों के कारण राष्ट्र परेशान हो रहा है। सरकार यह अनुभव करती है कि उन्हें संसद में बहुमत प्राप्त है इसलिए वे संसद की मंजूरी प्राप्त कर लेंगे। फिर भी, सरकार कहती है कि पारदर्शिता के संदर्भ में संसद का स्थान सर्वोच्च है, मामलों को प्रकाश में लाने वाली सर्वोच्च संस्था है...*(व्यवधान)*

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): आप वायरलैस इन लोकल लूप (बिल) का समर्थन करते हैं अथवा विरोध करते हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जब हम इस संबंध में संयुक्त संसदीय समिति के गठन की बात पर आयेंगे, तो मैं इस संबंध में बात करूंगा।

श्री राम विलास पासवान: कौन-सी संयुक्त संसदीय समिति?

[हिन्दी]

हम पूछ रहे हैं कि क्या आप डब्ल्यू.एल.एल.को सपोर्ट कर रहे हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या आपकी नींद टूट गई है? हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपने जो किया, ठीक नहीं किया है।

श्री राम विलास पासवान: क्या कांग्रेस पार्टी इसे अपोज कर रही है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने जो किया है, वह तहलका काम से 40 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके लिये आपको भुगतना पड़ेगा, उसके लिये आप तैयार रहिये।

श्री राम विलास पासवान: मैंने कहा था कि ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मंत्री जी को इस तरह से बात करने का कोई अधिकार नहीं है। उनके कहने का क्या मतलब है?

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप ऐसा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: यह गांवों के हित में है, क्या कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: गांव के गरीब 15 हजार रुपए में मोबाईल खरीदेंगे और वे आपकी कांस्टीट्वंसी में होगा? आप क्या बात करते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अभी आपके टापिक पर बहस नहीं हो रही है, आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? आपकी इसमें इंडिविजुअल राय नहीं ली गई, यह पालिसी की बात है।

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, यह कहां की बहस हो रही है...*(व्यवधान)* ये किनके हाथों में खेल खेल रहे हैं,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी के कथन के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: जो पूंजीपति लोग बोलेंगे क्या हम भी वहीं बोलेंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपकी बारी आयेगी तब आप बोलियेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पप्पू यादव जी, वह अपनी बात पर अड़े हुए हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः जब आप की बारी आएगी, तब आप बोलिएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री पप्पू यादव आप अपने व्यवहार को सभा में संयत रखें। बीच में व्यवधान उत्पन्न न करें। कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी के कथन के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अलग मामला नहीं है। यह नीति संबंधी मामला है जिस पर हम चर्चा और विचार कर रहे हैं...*(व्यवधान)* हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के मामले में इसका विनिवेश करने का पुनः प्रयास किया गया है। क्या यह सच नहीं है? मंत्री जी उत्तर देते हुए कहेंगे कि ''क्या कांग्रेस ने विनिवेश को आरंभ नहीं किया?'' वह निश्चित रूप से ऐसा कहेंगे कि ''क्या कांग्रेस विनिवेश के विरोध में हैं?'' मेरा उत्तर है, ''नहीं'' हम ऐसा कभी नहीं कह रहे हैं। कि हम विनिवेश के विरोध में हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री पप्पू यादव, आपको सभा में उचित व्यवहार करना चाहिए। आपको लगातार बोलते नहीं रहना चाहिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः आप किसी भी विषय पर खड़े हो जाते हैं और बोलना आरंभ कर देते हैं। यह उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः श्री प्रियरंजन दासमुंशी के कथन के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछभी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः महोदय, विनिवेश की प्रक्रिया में, कुछ ही कंपनियों का चयन किया जाता है। तत्पश्चात् मंत्री जी कहेंगे, ''क्या कांग्रेस ने विनिवेश की प्रक्रिया आरंभ नहीं की थी?'' हां, हम पुनः जोर देकर कहते हैं कि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में विनिवेश से इंकार नहीं किया जा सकता। हम जोरदार ढंग से यह कहते हैं कि विनिवेश आयोग द्वारा की गयी सिफारिशें मन्त्रिपरिषद के लिए अनिवार्य नहीं थीं। और हमारे शासनकाल के दौरान हमने 26 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत अथवा 51 प्रतिशत विनिवेश नहीं किया। वह उससे कहीं कम था। बी.पी.सी.एल. जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में और अन्य कुछ इकाइयों में हमने ऐसा किया था।

हम नीति के संदर्भ में यह कह रहे हैं कि जब सरकार सामाजिक क्षेत्र के लिए इस धनराशि का विनिवेश करने के प्रति बचनबद्ध है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन करने के लिए वचनबद्ध है तो क्या सरकार के लिए नीति के रूप में यह देखना उचित नहीं है कि लाभार्जन करने वाली इकाइयां जो देश के भीतर और बाहर बाजारों पर अपना नियन्त्रण स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रही है, इंडियन ऑयल, बी.पी.सी.एल. और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम जैसे पेट्रोलियम महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इस स्थिति में 41 प्रतिशत से अधिक विनिवेश करने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए? अन्यथा दस वर्ष पश्चात् राष्ट्र की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि महोदय, पेट्रोलियम क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें देश के हित के लिए सरकारी क्षेत्र की इकाइयों ने काफी आशाएं, काफी प्रोत्साहन और काफी रूचि प्रकट की है। लेकिन इस मामले में भी, सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है।

अपराह्न 3.58 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए)*

महोदय, उनकी मंशा क्या है? अगर आई.बी.पी. के मामले में उनके द्वारा किए गए प्रयास को बी.पी.सी.एल. और आई.ओ.एल. के मामले में भी जारी रखा जाता है-माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी वहां पर बैठे हैं- तो मुझे चिंता है कि इस राष्ट्र का क्या होगा। इन क्षेत्रों में वे विनिवेश करने का प्रयास कर रहे हैं।

इसीलिए बंगलौर सत्र के अपने दस्तावेज में हमने एकदम स्पष्ट किया था कि हम अनिवार्यतः विनिवेश के विरोध में नहीं हैं लेकिन यह सावधानी बरती जानी चाहिए कि लाभकारी इकाइयों में 51 प्रतिशत अथवा इससे अधिक का विनिवेश नहीं किया जाना चाहिए। हम इस अधिक को कांग्रेस अथवा कम्युनिस्ट अथवा भा.ज.पा. पर नहीं लगा रहे बल्कि इसलिए लगा रहे हैं कि राष्ट्र की प्रगति और कार्यक्रमों के संरक्षण के लिए राष्ट्र को यह आश्वासन मिलना चाहिए। जबकि यह अपने उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त कर

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

रहा है। लेकिन वे इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? उन्हें साफ-साफ यह कह देना चाहिए- "हां, इन क्षेत्रों में हमारी सोच स्पष्ट और पारदर्शी है।" यही हम चाहते हैं। इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन वह स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहे हैं।

हमने यह दस्तावेज तैयार किया है। जिसमें बताया गया है कि किस क्षेत्र में आप 26 प्रतिशत विनिवेश करना चाहते हैं। जिसमें 30 प्रतिशत और कहां आप करना ही नहीं चाहते।

सभापति महोदय, इन्होंने चन्द्रशेखर सरकार से लेकर देवेगौड़ा की सरकार द्वारा किए गए विनिवेश का हवाला दिया। यदि वे यह उदाहरण दे ही रहे हैं, तो इन्हें यह भी देखना चाहिए कि इसके पूर्व किसी भी सरकार ने-चाहे वह छोटी या बड़े आकार की, कैसी भी रही हो-महत्वपूर्ण कार्यनीतिगत क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्र की रूग्ण इकाइयों तक में भी, 26 प्रतिशत से अधिक विनिवेश नहीं किया।

अपराह्न 4.00 बजे

आप तो इससे भी आगे निकल गये। बालको के प्रकरण में, यह 56 प्रतिशत से अधिक रहा। वैंकिंग क्षेत्र में आप 40 प्रतिशत से अधिक विनिवेश करने का विचार कर रहे हैं। क्या आप अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का मुकाबला कर सकते हैं? क्या आपने नहीं देखा कि पूंजी-बाजार में अफरा-तफरी मचने के बाद ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की क्या स्थिति हुई? उन्होंने यू.टी.आई. को अधर में छोड़कर उससे अपने संबंध समाप्त कर दिए। क्या आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? यह खतरनाक रास्ता है। आपके पास कोई सोची-सुलझी नीति नहीं है।

यदि आप कोयला क्षेत्र को एक कार्यनीतिगत क्षेत्रक मानते हैं, तो उसके बारे में आपकी नीति क्या है? विद्युत के बारे में आपकी नीति क्या है? मैं समझ सकता हूं कि आप इस दस्तावेज को लेकर भ्रम में पड़े हैं। आपने कहा कि विद्युत क्षेत्र में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जायेगी। हम यह नहीं कहते कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हमारा कहना यह है कि विद्युत क्षेत्र सहित सरकारी क्षेत्र में एक नीति होनी चाहिए। लाभ कमा रहीं इकाइयों के संबंध में आपकी नीति क्या है? घाटे में चल रही इकाइयों के लिए आपकी नीति क्या है? आज तक इस पर आपकी सोच स्पष्ट नहीं है। आपने सीधे कह दिया कि, जो भी शत प्रतिशत निवेश लेकर आयेगा, उसे अनुमति दे दी जायेगी। लेकिन आया कौन?

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं और यहां पर माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति का भी लाभ लेना चाहता हूं। संसद के इस भवन और कुछेक अन्य भवनों को छोड़कर, प्राय: सभी भवन स्वतंत्रता के पश्चात् ईंट-दर-ईंट, बने हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि इस देश का सीमेंट उद्योग को कोई देखने वाला नहीं है। हमने भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई। तुंगभद्रा से लेकर भाखड़ा नांगल तक के बांध बनाये, परियोजनाएं चलाई। हमारे सीमेंट उद्योग ने इन सभी परियोजनाओं के लिये सीमेंट मुहैया कराया। पिछले पांच-छह साल से यह उद्योग संकट में है। क्या आपने इस पहलू पर कभी ध्यान दिया? 'लाफॉज' यहाँ आई, लेकिन क्या वे एक फ्रैंक भी लेकर आए? उन्होंने एक पाई तक नहीं लगाई। उन्होंने इन इकाइयों को औने-पौने दामों पर खरीद लिया। बाजार मन्दा था, उन्होंने कीमतों में कमी लाने पर बाध्य कर दिया। उन्होंने उद्योग पर कब्जा जमाया और अब कीमतें बढ़ गई हैं। अब वे दूसरी इकाइयों को खरीदेने के लिए हमारी पीएफआई से ही पैसा उठा रहे हैं। क्या वे किसी निवेश-राशि के साथ आए थे? इसी को हम लूटना कहते हैं; इसी को हम गलत दिशा की ओर ले जाने वाला अपारदर्शी कार्य कहते हैं। 'लाफॉज' के बाद 'ब्लूबॉल' आ रही है। यहां भी, पहले जैसी स्थिति ही होने जा रही है। क्या वे 'लाफॉज' सीमेन्ट के लिए कोई नया संयंत्र लगाने आ रहे हैं? नहीं। वे 'रेमण्ड', 'ए.सी.सी.' को खरीद रहे हैं और उन सभी इकाइयों में निवेश कर रहे हैं, जिनमें पीएफआई का निवेश 41 प्रतिशत से लेकर 51 प्रतिशत तक है। पी.एफ.आई. से और धन लेकर, वे इन इकाइयों को खरीद रहे हैं। क्या यह उचित है? क्या आप इसे न्यायसंगत समझते है? क्या आप अपने 'स्वदेशी जागरण मंच' के नारे नहीं सुनते? यह खतरनाक स्थिति है और हमें तबाही की तरफ ले जायेगी। इसीलिए, मैं कहूंगा कि आपकी नीतियां गलत हैं। उनमें पारदर्शिता नहीं है...*(व्यवधान)*

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): मैं केवल एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं वह सीमेंट वाला उदाहरण समझ नहीं पाया। जिसकी बात आप कर रहे थे। क्या सरकारी क्षेत्र में ऐसा कोई संयंत्र है, जिसका विनिवेश किया गया हो...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी, आप उत्तर देते समय बताएं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं।

आपने इसे सौ-फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और चुनींदा विनिवेश के मामले में सरकार की नीतियों के साथ चतुराई से जोड़ दिया। यदि आप यह कहें कि शत प्रतिशत विनिवेश किया जायेगा, तो यह भी सही नहीं है। मैंने आपको दो उदाहरण दिये कि जब विदेशी निवेशक, निवेश करने के नाम पर भारत आते हैं, तो उनका व्यवहार क्या रहता है। मुझे याद है कि, मैंने विगत वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान उस दिन यह कहा था। आज यह बात सही साबित हो जायेगी। उस दिन मैंने यह कहा था कि मुम्बई का तथाकथित पूंजी-बाजार, मुट्ठीभर विदेशी जुआरियों लिए एक 'केसिनो' से अधिक कुछ नहीं है; जहां वे हमारे छोटे निवेशकों की कीमत पर अपना खेल खेलते हैं। यही विनिवेश के मामले में भी हो रहा है। आप एक हल्की गैर जिम्मेदाराना सोच से काम ले रहे हैं। आप उसे 'तदर्थ तरीके से कर रहे हैं। मैंने आपको 'बाल्को' का उदाहरण दिया; मैं पुनः यह दोहराना नहीं चाहता कि 'बाल्को' के मामले में 'सेबी' ने क्या कहा है।

माननीय प्रधान मंत्री जी के सुविधार्थ, मैं अपने प्रिय मित्र, साथी और माननीय मंत्री श्री अरुण शौरी द्वारा अंततः कही गई दो पंक्तियां उद्धृत करूंगा:

''विश्व स्तर पर कहा जाये तो, पूर्ववर्ती शती के दौरान आर्थिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप की जड़ें संभवतया 1930 के दशक की शुरुआत में ही देखी जा सकती हैं, जब 'महायुद्ध की विपदा' के समय, रूजवेल्ट ने निरकुंश निजी उद्यम-क्षेत्र के अनिश्चिता कार्य-व्यवहार पर अंकुश लगाना चाहा...''

यहां पर, उनका कहना यह है कि बरास्ते निजीकरण ही पश्चिम की अर्थव्यवस्था परिणामोन्मुख है। लेकिन वह यह कहने से स्वयं को नहीं रोक सके कि महायुद्ध के बाद, फ्रांस ने अपने कार्यनीतिगत क्षेत्र में काफी समय तक इस नीति को नहीं अपनाया और बाद में, स्वयं को विकसित भी किया। उन्होंने स्वतंत्रता-पश्चात् के भारत की स्थिति अथवा विकासशील विश्व की स्थिति को अमरीका या फ्रांस और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की स्थिति के साथ तुलना पर रखा; और अकस्मात ही यह कहकर इसे औचित्यपूर्ण ठहराने का प्रयास करने लगे कि इसी तरीके से वह ऐसा कर सकेंगे।

यदि यही एक मात्र समाधान है, तो अनेक निजी बैंककारी कंपनियां बन्द क्यों हो गई? क्यों कई निजी विमान सेवाएं बन्द पड़ी हैं? उन्हें युक्तिसंगत ढंग से अपनी बात कहनी चाहिए। उन्होंने मात्र एक नीति बना दी है यह कहकर कि विनिवेश का अर्थ है; निजीकरण। प्रधानमंत्री महोदय, नीति संबंधी दस्तावेजों में ऐसा ही कहा गया है। मुझे लगता है कि आपने उसे पढ़ा नहीं है। श्री अरुण शौरी ने उसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखा होगा। उनके अनुसार विनिवेश का अर्थ है-निजीकरण। उन्होंने ऐसा ही कहा है। क्या यही सरकार की नीति है कि; विनिवेश का अर्थात् है पूर्ण निजीकरण? मैं नहीं जानता कि आप कैसे कार्य कर रहे हैं। नीति-संबंधी दस्तावेजों को संसद के समक्ष पेश करने के लिए जिस तरह मंत्रिमंडल को एकस्वरूप होना चाहिए। आप वैसे कार्य नहीं कर रहे हैं। आप तो विभाग-वार, आकस्मिक तरीके से, लापरवाही से काम कर रहे हैं। संचार मंत्री को कुछ सूझता है, तो वह निर्णय ले लेते हैं; विनिवेश मंत्री की समझ में कुछ आया, तो वह निर्णय ले लेते हैं; और जब कोई संकट की स्थिति आती है, तो उसे मंत्रि-समूह के सुपुर्द कर दिया जाता है। जब तक कोई संकट उत्पन्न नहीं होता, तब तक यह चुप्पी साधे रहते हैं। इसी तरीके से सरकार राष्ट्र और संसद के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर रही है! मुझे यह कहते हुए खेद है।

सभापति महोदय, मैं तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा: (क) अपना उत्तर देते समय, यह ये स्पष्ट करे कि स्थायी समिति की रिपोर्ट जिसे सभा-पटल पर रखा गया है, के अनुसार व्यापक नीति क्या है और इसे कब तक लागू किया जायेगा, (ख) वह स्पष्ट करें कि 'स्टलाईट' के विरुद्ध यह क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिसे 10,000 करोड़ रु. मूल्य की संपत्ति को सरकार ने लगभग केवल पांच सौ करोड़ रु. में बेचा है और जिस पर सरकार की अपनी एजेंसी-'सेबी'- ने आरोप लगाया है; (ग) क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या वह 'इंडियन एअरलईन्स' और 'एअर इंडिया' के आकलनों को सम्मिलित करके संसद की स्थायी समिति को उसकी रिपोर्ट भेजने के लिए तैयार हैं, ताकि स्थायी समिति इसकी समीक्षा कर सके और अपनी टिप्पणी दे सकें कि विनिवेश को बोली-प्रक्रिया आदि के जरिये किया जाना चाहिए? क्या वह इसकी प्रतीक्षा करने तथा उसके पश्चात् ही कोई निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? अथवा, संसद के सत्रावकास के पश्चात् इसको संसद की अनदेखी करके, तुरन्त निपटाना और तब फिर संसद का सामना करना चाहेंगे!

यही कुछ प्रश्न हैं, जिनका उत्तर इन्हें देना है।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): सम्माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय प्रिय रंजन दासमुंशी जी से एक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। वे हमारे अच्छे मित्र हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि वे बताएंगे। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुंशी जी कि आप अपनी कांग्रेस पार्टी में क्या कभी डिसइनवैस्टमेंट की चर्चा करते हैं? यदि आप डिसइनवैस्टमेंट पर चर्चा करते, तो यहां आप थोड़ी गंभीरता से बोलते। यदि आपने पालिसीज के ऊपर, 1990 में जब आपने इकनौमी खोली, यदि आप उस समय ठीक प्रकार से डिसीजन लेते और कांग्रेस का ठीक प्रकार से इनवैस्टमेंट होता, तो 1985 में कांग्रेस पार्टी के सांसदों की संख्या 401 से 195 और 1996 में 136 तथा 1999

[श्री किरीट सोमैया]

में 113 पर नहीं पहुंचती। यदि आप इसी प्रकार की अपनी सोच रखेंगे, तो मुझे कोई शंका नहीं कि आप शीघ्र ही डबल डिजिट पर पहुंचने वाले हैं। हम भी लोक तंत्र में यह विश्वास रखते हैं कि सत्ताधारी पक्ष के साथ-साथ विपक्ष भी अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और समझदार होना चाहिए।

इसलिए हमारी प्रार्थना है कि जो विभिन्न पालिसीज होती हैं, उसके ऊपर उदाहरण देते समय चाहे लाफॉज की बात हो, एयर इंडिया की बात हो या सोशल सैक्टर की बात हो, शायद हम अपनी नीति के बारे में पहले सोच लेते। काश प्रियरंजन दासमुंशी जी ने आज जो बात कही, वह 1991 से 1995 जिस समय आपने हिन्दुस्तान के दरवाजे खोल दिये थे, जिस समय आपने डिसइन्वेस्टमैंट प्रारंभ किया, जिस समय आपने गवर्नमैंट मोनोपोलिस्टिक पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग का कारपोरेटाइजेशन किये बगैर, प्राइवेटाइजेशन प्रारंभ कर दिया, ग्लोबलाइजेशन शुरू कर दिया और आपने डब्ल्यू.टी.ओ. में जाकर हिन्दुस्तान की जनता के हाथ काटकर रख दिये, उस समय आपने यह भाषण किया होता तो शायद आज लाफॉज का लाफिंग उदाहरण देने की आपको नौबत नहीं आती। लाफॉज की पालिसी कितने बनाई? क्या माननीय अरुण शौरी जी ने बनाई? दरवाजा खोला किसने? आपने ये दरवाजे खोल दिये। आपने डब्ल्यू.टी.ओ. में जाकर साईन कर दिये और आपने मल्टी नैशनल कम्पनीज को हिन्दुस्तान की सब जगह पर, किसी भी सैक्टर में, किसी भी इंडस्ट्रीज में आने का रास्ता दिखा दिया और अब आप यह कह रहे हैं। आप 1996 में 1998 तक जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, उस समय आपका यह ब्रह्मज्ञान कहां गया था? उस समय आपने यह बात क्यों नहीं की। काश उस समय आपने यह आग्रह किया होता। विनिवेश आयोग की सिफारिशों को पूरीतरह लागू किया जाना होगा। लेकिन आप भूल गये। आपकी पार्टी ने आग्रह किया कि डिसइन्वेस्टमैंट कमीशन बने। उनकी जो रिकमेंडेशन है, वह वैसी की वैसी मानी जाये।

प्रियरंजन दासमुंशी जी, आपकी जानकारी के लिए डिसइन्वेस्टमैंट कमीशन ने सबसे पहली कम्पनी का नाम अगर कोई लिखा होगा किसका डिसइन्वेस्टमैंट तुरंत ही करना है तो उस कम्पनी का नाम एयर इंडिया होगा। तब आपकी देशभक्ति, आपकी नैशनल फ्लैगशिप, आपका महाराजा कहां गया? इसीलिए आप सोशल सैक्टर की बात कर रहे हैं। मैं उस मुद्दे पर जाना नहीं चाहता क्योंकि माननीय शिवराज पाटिल जी अच्छी तरह से समझ पायेंगे कि हमारे महाराष्ट्र में हर साल गणपति, गणेश उत्सव होता है। जब हम गणपति जी का विसर्जन करने जाते हैं तब ऐसा कहते हैं कि "गणपति भप्पा मोरैया, पुरचा वर्शी लोकड़िया।" डिसइन्वेस्टमैंट के बारे में कांग्रेस का नजरिया कुछ समझ में नहीं आता। उनके हर अधिवेशन में वही चर्चा, वही डिसइन्वेस्टमैंट, वही मुद्दा यानी कभी ऐसा कहते हैं कि 'सुनई बोतल में पुरानी शराब।' लेकिन कांग्रेस की वाइन भी ओल्ड है और वॉटर भी ओल्ड है। आप उनके गये पांच अधिवेशनों की चर्चा निकाल लें। इस अधिवेशन में तो और भी चमत्कार है। अधिवेशन के पहले हिस्से में बाल्कों के नाम पर डिसइन्वेस्टमैंट की चर्चा और अभी डिपार्टमेंट की मांग को लेकर डिसइन्वेस्टमैंट की चर्चा। उस कम्पनी के कामगार या वहां रहने वाले जो भी बालक होंगे, वे भी बोलेंगे कि बालकों जैसे बात हो गई है। मैं बाल्कों पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इस पर पहले काफी चर्चा हो चुकी है लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हम किस बात पर जोर देना चाह रहे हैं? 1991 से 1995 तक आपने क्या किया, उसकी लिस्ट आप देख लीजिए। श्री अरुण जेटली जी ने गये बार यह जवाब दिया था इसलिए वह लिस्ट में दोहराना नहीं चाहता हूं। सोशल सैक्टर की बात करते हैं तो 1991 से 1995 तक आपने जिस प्रकार से डिसइन्वेस्टमेंट किया, तब क्या किया? एक कम्पनी के शेयर, सभी पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर के जो भाव थे, उससे ज्यादा दाम पर आपने म्युचुअल फंड को बेच दिये।

आपने यूनिट ट्रस्ट को बेचा, आई.डी.बी.आई. को बेचा और उसके कारण यूनिट ट्रस्ट को 3300 करोड़ रुपये का जो नुकसान हुआ, वह नॉन-इन्वैस्टर यानी सोशल सैक्टर के हिस्से से गया। इसलिए उस विषय में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने कहा - गणपति बप्पा मोरिया, अगरी बारभी आप मानसून सैशन में डिसइन्वेस्टमैंट की चर्चा करवाएंगे, उस समय अच्छी तर थोड़ा होम वर्क करके आएंगे तो कांग्रेस का डिसइन्वेस्टमैंट जो थोड़ा नीचे जा रहा है, वह थोड़ा रूक जाएगा क्योंकि पांच विधान सभा के चुनाव आ रहे हैं, उतना और आपका डिसइन्वैस्टमैंट होगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: वह तो आपको 13 तारीख रात को पता लगेगा।...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: स्टरलाइट पर मंत्री जी ज्यादा उत्तर देंगे लेकिन कांग्रेस के नेता से मैं कहना चाहूंगा कि यह हिम्मत सिर्फ श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एन.डी.ए. की सरकार में है। हर्षद मेहता से लेकर अनेक कांड आपके जमाने में हुए, आपने एक भी प्रमोटर और कम्पनी के मालिक के सामने एक्शन नहीं लिया था। अगर यह एक्शन लिया है तो एन.डी.ए. की सरकार ने लिया है। ये एक्शन हमारी सरकार में हुए। हम सोचते नहीं, हम रैगुलेटर्स के बीच दखल नहीं देते।* इसलिए ट्रांसपैरेंसी और अनेक जो मुद्दे आपने उठाए हैं, मुझे लगता है कि एक विषय पर मैं थोड़ा ध्यान दूंगा।

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

हमें अवश्य सोचना चाहिए कि और जब मैं कहता हूं कि 'हम'

[हिन्दी]

मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा पोलीटिक्स से ऊपर उठना चाहता हूं। मैं बी.जे.पी., कांग्रेस या थर्ड फ्रंट,

[अनुवाद]

जब हम विनिवेश के बारे में बात करते हैं अथवा जब हम यह चर्चा करते हैं कि लाभ अर्जित करने वाली संस्थानों अथवा कंपनियों का विनिवेश नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

आपने वही किया था। उस मुद्दे में भी मैं नहीं जाना चाहता लेकिन दासमुंशी जी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, आप दलों से ऊपर उठ कर बोलना चाहते हैं या पोलीटिक्स से ऊपर उठना चाहते हैं।

श्री किरीट सोमैया: मैं डिसइन्वैस्टमैंट के संबंध में...*(व्यवधान)*

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): आप कमेटी में कुछ और बोलते हैं और यहां कुछ और बोलते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: मैं कहना चाहता हूं कि प्रॉफिट मेकिंग कन्सर्न जब घाटे में चली जाए तब हम डिसइन्वैस्टमैन्ट करेंगे। मैं आपको एम.टी.एन.एल. का एक उदाहरण देना चाहता हूं। एम.टी.एन.एल. ने डॉलफिन मोबाइल सर्विस चालू की। मुम्बई में क्या पोजीशन है।

[अनुवाद]

मैं मंत्रालय अथवा कंपनी के प्रबंधन की आलोचना नहीं कर रहा हूं लेकिन हमें अवश्य सोचना चाहिए।

[हिन्दी]

क्योंकि हमने पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स को ऐफीशिएंसी प्रोफैशनल मैनेजमैंट, यह अचानक उनके सामने कर दिया। दो महीने में डॉलफिन ने सिर्फ साढ़े छः हजार कस्टमर बनाए हैं। प्राइवेट सैक्टर कम्पनी जो वहां आ गई, वह इस प्रकार से जम गई है।

श्री चन्द्र बाबू नायडू ने भाषण दिया, उनकी बहुत सुन्दर स्पीच है।...*(व्यवधान)* मुझे ऐसा लगता है कि श्री चन्द्र बाबू नायडू ने इस विषय में भरी सभा में भाग लेते समय जो कहा-

[अनुवाद]

"फिर भी पिछले कई वर्षों में केन्द्र और राज्य स्तर ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जो गिरावट आई है उससे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने अपनी स्वायत्तता खो दी है और व्यावसायिक प्रबंधन राजनीतिक और नौकरशाही दखलदांजी के कारण मजबूर है। आज सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों निर्णय लेने में विलंब के संस्थानात्मक अवरोधों से प्रभावित है।"

[हिन्दी]

उन्होंने एक और जगह पर कहा है-

[अनुवाद]

"और वर्ष नब्बे के खराब की शुरूआत में भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तविक रूप से ढहने के कारण हमने उदारीकरण का रास्ता चुना, लाइसेंस मुक्त करने और आर्थिक सुधार कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में निजीकरण का रास्ता अपनाया। दुर्भाग्यवश निजीकरण की नीति के संबंध में राजनीतिक स्तर पर स्पष्टता की कमी रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक पार्टियां निजीकरण और विनिवेश पर एक स्पष्ट निर्णय लेने में अक्षम हैं।"

[हिन्दी]

मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि हम और कुछ आंकड़ों में जाएंगे। डिसइन्वैस्टमैंट इन स्टेट तो हमारे ध्यान में आएगा कि सबसे ज्यादा प्रपोजल अगर डिसइन्वैस्मैंट इन स्टेट में वहीं आ रहे हैं, मैं तीनों मुख्य मंत्रियों को बधाई दूंगा।

एक कर्नाटक से आ रहे हैं और दूसरे मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। आप चाहें तो मैं फीगर्स भी बता सकता हूं।

[अनुवाद]

कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र के 17 उपक्रम हैं और 17 उपक्रमों की विनिवेश के लिए पहचान की गई है। 16 उपक्रमों में विनिवेश की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। मध्य प्रदेश में राज्य स्तर के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 34 है। मध्य प्रदेश सड़क

[श्री किरीट सोमैया]

परिवहन निगम और मध्य प्रदेश वित्त निगम सहित इनमें से 17 उपक्रमों की विनिवेश हेतु पहचान की गई है।

[हिन्दी]

लेकिन मैं उन मुख्यमंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा और इसीलिए मैं कहता हूं कि हम अर्थशास्त्र की चर्चा आर्थिक दायरे में रहकर करें और राजनीति पर जब चर्चा करें तो राजनीति से प्रेरित होकर करें।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैंने सिर्फ यह पूछा है कि लाभ अर्जित करने वाले क्षेत्र, रूरल क्षेत्र और महत्वपूर्ण क्षेत्र जो आगे बढ़ रहे हैं और कामगारों के हित में है के संबंध में सरकार की व्यापक विनिवेश नीति क्या है। मैं जानना चाहता था कि सुस्पष्ट नीति क्या है। वे भ्रमित करन की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं हमने कभी नहीं कहा कि हम स्वभावत; विनिवेश के विरुद्ध हैं। हमने यह कांग्रेस की ओर से कभी नहीं कहा।

श्री किरीट सोमैया: महोदय, मैं समझता हूं कि वे स्वयं भ्रमित हैं। जब वे अपने भाषण पर ध्यान देंगे तो वे पाएंगे कि एक ओर तो वे सरकार की आलोचना कर रहे हैं और दूसरी ओर वे अपनी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिये गए निर्णय का समर्थन करने में अक्षम हैं।

[हिन्दी]

दूसरी बात डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा, कम्पनीज लासेज में जाएंगी,तब तक ठहरो मत। आपने मारूति का सौ रुपये का शेयर 269 में बेचा, इन अर्ली नाइंटीज हिन्दुस्तान मोटर्स का भाव 769 रुपये था, अभी कहां हिन्दुस्तान मोटर्स है और कहां मारूति है। लेकिन मारूति का शेयर बेचा और भारत मां रोती रही कि लूट कौन रहा था, लेकिन मैं उस सम्बन्ध में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा हैल्दी डिस्कशन करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि अब दूरदर्शन की बात लीजिए।

[अनुवाद]

आपके पास दो प्रकार के विकल्प हो सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: संपूर्ण मोटर उद्योग का मारूति उद्योग लिमिटेड के कारण आधुनिकीकरण हो गया है।

श्री किरीट सोमैया: हमारे पास मात्र दो तरह की अर्थव्यवस्था हो सकती है। एक वह सामाजिक-आर्थिक ढांचा है जो हमारे यहां वर्ष 1990 के दशक के शुरूआत तक था और दूसरा निजीकरण, उदारीकरण और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ) पर आधारित है जिसको इसने अब स्वीकार कर लिया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब आप कन्कलूड कीजिए।

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया: श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत सरकार ने कभी नहीं कहा

[हिन्दी]

कि यह तो पहली सरकार ने किया था, कांग्रेस सरकार ने एग्रीमेंट किया था, उसे हम नहीं मानेंगे। जो आपने किया, वह ठीक है। वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सिग्नेचर किया हुआ एग्रीमेंट था। जब हमने दरवाजे खोल दिये तो हमारे जो पब्लिक सैक्टर एण्टरप्राइजेज को अपना काम करने दो। अभी आपने बैंकिंग सैक्टर की बात की। फॉरेन बैंक को किसने परमीशन दी।

[अनुवाद]

आपने भारत में विदेशी बैंकों को आने की अनुमति दी।

[हिन्दी]

और अब आप हमारे पब्लिक सैक्टर एण्टरप्राइजेज को अगर कारपोरेटाइज करके इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, वह स्ट्रेटेजिक सैक्टर पार्टनर नहीं ढूंढेगा तो कैसे काम होगा। जब हम पॉलिसी की बात करते हैं,

[अनुवाद]

यह पहली बार हुआ है।

[हिन्दी]

यह इस प्रकार से हुआ है।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): आप कृपया विनिवेश के बारे में कुछ कहें।

सभापति महोदय: अब वे अपना संभाषण समाप्त करने वाले है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा।

सभापति महोदय: सोमैया जी, अब कन्क्लूड कीजिए, आपकी समय सीमा समाप्त हो गई।

श्री किरीट सोमैया: सभापति जी, वे मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, वे बीच में मेरा समय ले रहे थे। मैं केवल तीन मिनट और लूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह पहली गवर्नमेंट है, जिसने इसके महत्व को समझा है। आपकी बात सही है कि पहली बार गवर्नमेंट में ग्राण्ट के ऊपर डिस्कस करने का आपको मौका मिल रहा है, क्योंकि 9-10 साल में किसी गवर्नमेंट ने इसको अलग डिपार्टमेंट बनाने का महत्व नहीं समझा। उन्होंने अलग उसकी नीति नहीं बनाई, उसके लिए अलग बजट नहीं बनाया।

[अनुवाद]

हां, मैं सहमत हूं कि हमे व्यापक नीति पर चर्चा करनी चाहिए। माननीय मंत्री ने अनेक बार कहा है कि एक विशेष विभाग है जिसके पास अपनी महत्वपूर्ण नीति है। हम इस पर चर्चा को तैयार है। हमें इससे कोई समस्या नहीं है।

[हिन्दी]

लेकिन जब हम डिस्कशन करें तो मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि हम खुले मन से करें, फिर उस समय हम इस प्रकार का विचार न रखें कि यह कैसे हो रहा है, वहां कैसा हो रहा है।

अंत में मैं वैस्ट बंगाल का एक उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेज का आपने प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शुरू किया।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है? 48 कंपनियों में 42 कंपनियां घाटे में चल रही है और कुल घाटा 1579 करोड़ रुपये का हो गया है। उसके सामने शेयर केपिटल 310 करोड़ रुपये है। कुल निवेश 10,632 करोड़ रुपये का है।

[हिन्दी]

वैस्ट बंगाल सरकार को 0.047 प्रतिशत डिवीडेंड मिल रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डिसइंवेस्टमेंट की एक अच्छी पालिसी होनी चाहिए और उस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन हम पर जो कम्प्लशन आ गया, उसको ध्यान में रखकर, हम सरकारी क्षेत्र के एंटरप्राइजेज को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर सरकारी ढंग से मुक्त करेंगे तो हम लाखों करोड़ों रुपये का बचाव करेंगे।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): सभापति महोदय, बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी के प्रतिनिधि श्री प्रियरंजन दासमुंशी और सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) के प्रतिनिधि, श्री किरीट सोमैया पहले ही विनिवेश विभाग के सहायता अनुदान पर सोच चुके हैं। दोनों पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले इन दोनों मानवीय सदस्यों के भाषणों पर ध्यान देते समय मुझे लगा कि वे बिना किसी प्रासंगिक मांग के एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे।

इस सरकार की विनिवेश नीति के संबंध में मैं सामान्य रूप से विशेषकर इस मांग के संदर्भ में भी विरोध करता हूं। विशेषकर विनिवेश विभाग के कार्यकरण और सामान्य रूप में भाजपा के नेतृत्व में एन.डी.ए. सरकार के कार्यकरण का अवलोकन करने पर मैं पाता हूं कि विनिवेश के प्रश्न पर इस सरकार के पास कोई दिशा अथवा उद्देश्य नहीं हैं। ऐसा प्राय: देखा गया है कि जब भी सभा में उस मुद्दे को उठाया जाता है तो यह सरकार बहुत ही भावुक हो जाती है। वे राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा कर बिल्कुल तटस्थ भाव से कठोरतापूर्वक विनिवेश कर रहे हैं। विनिवेश संबंधी इन निर्णयों के संबंध में वे सभी प्रकार का हस्तांतरण बिना किसी पारदर्शिता के कर रहे है।

जब भी इस मुद्दे को सभा में उठाया जाता है तो वे कहते हैं कि इसे 1991 में कांग्रेस सरकार की नई आर्थिक नीति के साथ शुरू किया गया था। और इसलिए वे इसे आगे बढ़ा रहे हैं। वे संयुक्त मोर्चा सरकार के संदर्भ में भी फिर वही बात करेंगे और कहेंगे कि संयुक्त मोर्चा सरकार ने भी यही काम किया था लेकिन मैं सरकार को यह साक्ष्य दिखाना चाहूंगा कि जब वे बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के दोनों चुनावों में जनादेश के लिए गए थे तो वे नारा लगा रहे थे कि अब तक स्वतंत्र भारत में जो लोग सत्ता में थे उनसे वे अलग है और उन्हें एक मौका दें तो वे अलग तरह की सरकार और स्वच्छ सरकार देंगे।

अब यह बात असत्य सिद्ध हो चुकी है कि वे अलग हैं। यह भी असत्य सिद्ध हो चुका है कि वे एक स्वच्छ सरकार दे पाएंगे। पिछले तीन वर्षों में, जब वे कामचलाऊं सरकार और पूर्ण सरकार के रूप में शासन कर रहे थे, जो कुछ हुआ, मैं उस बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा। मारूति उद्योग लिमिटेड और बाल्को के संबंध में विनिवेश के क्षेत्र में हाल ही में किए गए सौदे से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हो रहा है।

जब भी यह मामला उठाया जाता है तो वे कहते हैं कि कामगारों के हितों का ध्यान रखा जाता है और कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा नेटवर्क है। यह सभा जानती है कि बाल्को के कामगार हड़ताल पर हैं और कड़ा आंदोलन चल रहे हैं। उनके परिवारों के सदस्य भी गत 50 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। मेरा कहना है कि यदि मजदूरों और कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा गया है तो किसी उपक्रम में कार्यरत कर्मचारी वर्ग द्वारा आंदोलन करने का

[श्री ए.के. प्रेमाजम]

प्रश्न कहां उठता है? यहां, बाल्को उदाहरण हैं। जिस प्रकार गुप्त रूप से बाल्को का सौदा किया गया है उसके बारे में कुछ भी कहने के लिए शेष नहीं है।

जहां तक मारूति उद्योग लिमिटेड का संबंध है। वहां लगभग तीन माह से हड़ताल चल रही थी। जब कड़ी सर्दी पड़ रही थी तब मारूति उद्योग लिमिटेड के कर्मचारी खुले में हड़ताल पर बैठे थे। हम उनसे मिलने और उनके उद्देश्य का समर्थन करने के लिए वहां गए थे। सरकार हड़ताल के उन दिनों में अपनी जिम्मेदारी से भाग रही थी। और यदि उनकी कामकाजी वर्ग और सम्पूर्ण देश में कोई रूचि होती तो ऐसा नहीं हुआ होता। महोदय, ये वे लोग हैं जो 'स्वदेशी' के नारे बुलन्द करते थे और अब वे केवल 'विदेशी' के पक्ष में हैं। यही दिन-ब-दिन स्पष्ट हो रहा है।

कर्मचारियों के हितों की बात करें तो सुरक्षा नेटवर्क क्या है? हम विनिवेश किए जाने वाले उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में सरकार द्वारा बनाये जाने वाले सुरक्षा नेटवर्क के बारे में ठोस ब्यौरा चाहते हैं। अभी तक कम से कम मुझे पता नहीं है कि क्या इस सरकार द्वारा पहले ही कोई सुरक्षा नेटवर्क बनाया गया है अथवा नहीं? यदि ऐसा हुआ होता तो बाल्को के कर्मचारियों द्वारा इतने लम्बे समय तक आंदोलन करने का कोई कारण नहीं होता।

जिस गुप्त रूप से ये सौदे किए गए मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं परन्तु मैं केवल एक बात कह सकता हूं जो कि श्री दासमुंशी द्वारा पहले ही कही गई बात की पुनरावृत्ति है। हालही के शेयर बाजार घोटाले में मैसर्स स्टरलाईट भी शामिल है। यही वह कम्पनी है जिसने अब बाल्को पर नियंत्रण कर लिया है।

इसके अतिरिक्त बाल्को के मामले में संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है क्योंकि इसके पास वस्तुतः आदिवासी भूमि है। इस बात का क्या उत्तर है? सरकार को इस प्रश्न का जवाब अवश्य देना चाहिए। यह संविधान का उल्लंघन है। वहां आदिवासी भूमि से लिए हैं। जब बाल्को का हस्तांतरण किया जाता है तो इसे स्टरलाइट कम्पनी को हस्तांतरित किया जाता है। सरकार को इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। केवल यही नहीं। संसद के सामने एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। यहां प्रश्न यह है कि क्या कामगारों से परामर्श किया गया था अथवा नहीं? मैं जानना चाहता हूं कि जब विनिवेश किया जाता है तो क्या किसी अवस्था में अथवा किसी स्तर पर कर्मचारियों से परामर्श किया जाता है?

यह सरकार विरोधाभासों का भी पुलिंदा है। जहां तक विनिवेश के उद्देश्य का प्रश्न है वे कहते हैं कि ये सामाजिक क्षेत्रों यथा- परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों, जो कि जनता के लिए बहुत हितकर हैं, मैं विकास हेतु अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों को जारी करने के लिए है। हां, यदि ऐसा किया जाता है तो यह एक अच्छी बात है। अब मैं 1999-2000 के बजट भाषण के पृष्ठ-17 से उद्धृत करता हूं। इसमें कहा गया है:

''मैं विनिवेश कार्यक्रम के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव करता हूं। इससे सरकार को सामाजिक तथा आधारभूत क्षेत्रों की आवश्यकताओं के लिए निधि प्रदान करने में मदद मिलेगी।''

''इसके साथ ही साथ इन उद्यमों की उत्पादकता तथा लाभकारिता में सुधार होगा और घरेलु पूंजी बाजारों का इसमें विकास भी होगा।''

आर्थिक सर्वेक्षण 2000-2001 के अनुसार वस्तुतः इस विधि के द्वारा केवल 1,829 करोड़ रुपए ही जुटाए गए थे। यह अलग बात है। परन्तु उसी बजट भाषण में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में भाषण निम्न प्रकार है। मैं इसके केवल शिक्षा संबंधी भाग को उद्धृत करूंगा।

''मैं राष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षा गारंटी योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव करता हूं। इसका उद्देश्य प्रत्येक वासस्थान जिसमें 1 किलोमीटर के दायरे में कोई विद्यालय न हो, मैं एक प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था करना होगा। प्रारम्भ में स्थानीय समुदाय विद्यालय परिसर प्रदान करेंगे और किसी स्थानीय व्यक्ति को अंशकालिक शिक्षक के रूप में चयन करेंगे।''

प्रश्न यह है कि यदि यह दो वर्षों तक चलता है तो सरकारी अनुदान दिया जाएगा और राज्य सरकारों को भी इसमें अनुदान देना पड़ेगा। यदि विनिवेश प्रक्रिया से होने वाली आय का सामाजिक क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है तो इस प्रकार के सुझाव और निर्देश की आवश्यकता कहा है? इसलिए यह विरोधाभास है। यहां सरकार के इरादे पर प्रश्न चिह्न लग जाता है। सरकार का इस धन को सामाजिक क्षेत्र में निवेश करने का कोई इरादा नहीं था। यदि उसका कोई इरादा था तो बजट भाषण में ऐसा वक्तव्य दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यही बात स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भी है।

अब मैं एक और बात जानना चाहता हूं। जब आजादी के तुरंत बाद लाभ कमाने वाले उद्यमों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और जब वे एक बड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के रूप में विकसित हो गए थे तो वे लाभ अर्जित कर रहे थे। वास्तव में जब यह प्रक्रिया चलाई गई थी तब यह संसद की जानकारी और मंजूरी से चलाई गई थी। परन्तु अब जब उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बेचा जाता है अथवा जब उनका विनिवेश किया जा रहा है तो संसद को विश्वास में भी नहीं लिया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि यह गुपचुप तरीके से किया गया है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं

कि जब इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बेचा जा रहा है तो सरकार ने संसद को विश्वास में क्यों नहीं लिया। माननीय मंत्री जी, आप कहेंगे कि नीति पहले ही बनायी जा चुकी है और यही सब। परन्तु मैं इस प्रश्न का भी ठोस प्रमाणन चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. बी.बी. रमैया (एलूरू): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जिस विनिवेश नीति पर हम अब चर्चा कर रहे हैं वह पहली बार 1991 में प्रारम्भ की गई थी। हम सब उन परिस्थितियों को जानते है जिनमें यह प्रारम्भ की गई थी और किस उद्देश्य के लिए यह प्रारम्भ की गई थी।

जब यह प्रारम्भ की गई थी तो सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की थी। 1991 से 1996 तक उनकी योजना विनिवेश प्रक्रिया के द्वारा कुछ पैसा बनाने की थी। कुछ वर्षों तक वे कुछ भी नहीं कर सके। तदुपरांत, 1996 के बाद से सरकार ने सोचा कि इस संबंध में उनके पास विशेषज्ञता होनी चाहिए और कुछ पक्षों का गहराई से अध्ययन करने के लिए विनिवेश समिति गठित की गई। वे गुण-दोषों और किस उद्देश्य के लिए वे ऐसा कर रहे हैं इत्यादि का अध्ययन करना चाहते थे। सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों में लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। लगभग 160 एकक हैं जो लाभ अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 75 विनिर्माण इकाईयां हैं अर्थात् 75 सेवा संबंधी इकाइयां हैं। अत: उन सबको मिलाकर लाभ अर्जित करने वाली इकाईयां सौ से अधिक होती हैं और घाटे में चलने वाली इकाईयां उससे कहीं अधिक होती हैं। जिस उद्देश्य के लिए वे यह कर रहे थे वह यह था कि इन चीजों को कैसे सरल और कारगर बनाया जाए; इन इकाईयों के उत्पादन में वृद्धि कैसे की जाए। इसके अलावा, वे यह भी जानना चाहते थे कि क्या प्रौद्योगिकी का उन्नयन किया गया है अथवा नहीं; क्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार हुआ है अथवा नहीं; क्या इकाईयों में श्रम का अधिक भार है और किस तरीके से उन्हें ये सब कार्य करने होंगे। वे पहले उन्हें यह भी देखना होगा कि क्या बजटीय समर्थन पर्याप्त है अथवा नहीं। इसके साथ ही घाटे की वित्त व्यवस्था भी बढ़ रही है। अंत में आर्थिक सुधार विनिवेश का ही एक हिस्सा हैं।

गत नौ वर्षों में विनिवेश के मामले में क्या हुआ है? यद्यपि उद्देश्य लगभग 50,000 करोड़ रुपए जुटाने का था परन्तु वे मुश्किल से केवल लगभग 18,395 करोड़ रुपए ही जुटा सके।

कुछ मुद्दे गम्भीर बनते जा रहे हैं और हमें इन पर विचार करना होगा नामत: शेयर बाजार में उतार चढ़ाव और इन संगठनों के शेयरों में उतार-चढ़ाव। हम मुख्यत: यह देखना चाहते हैं कि विनिवेश से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग श्रमिकों के कल्याण के लिए ही हो, हमें यह भी देखना होगा कि विद्यमान इकाइयों में सर्वाधिक सुधार कैसे हो, हमें इन इकाइयों का श्रेणीकरण करना है कि उनका नवीकरण किया जाए, निजीकरण किया जाये या उन्हें बंद कर दिया जाए, इससे स्वत: ही अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और हमें देखना है कि उनकी उत्पादकता बढ़े।

आज हम अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। हमें उसी स्तर पर इस प्रतिस्पर्धा का सामना करना है। लोग गुणवत्ता मूल्य और उपलब्धता की प्रत्याशा में हैं, सरकारी क्षेत्र को उसके पुनर्गठन के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं दी गई है। इसकी कुछ इकाइयों का पुनर्गठन किया जा सकता है। प्रबन्धन को अधिक अधिकार दे करके इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्री भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड आदि में जैसे ही सुधार का कार्य आरम्भ हुआ उन्हें भारी घाटा उठाना पड़ा है। उनका उदारीकरण किया जा सका क्योंकि वहां सरकारी नियंत्रण कम हो गया है, वे अपनी रुग्णता से उभरने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए अपनी श्रमशक्ति और उपस्करों का उपयोग कर सकते हैं। कुछ इकाइयों ने अपने अनुसंधान और विकास में भी सुधार किया है, इन सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को जो खरीद प्राथमिकता दी गई थी उसमें ठीक से काम होता तो इन सभी इकाइयों में सुधार हो गया होता। जिस उद्देश्य से हम विनिवेश कर रहे हैं उसका तात्पर्य इन्हें बंद कर देने से नहीं है।

विनियोग आयोग ने 12 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए है, उसने उन विभिन्न इकाइयों की पहचान की है जिनका कि विनिवेश किया जाना है, हमें कितने प्रतिशत तक विनिवेश करना है, क्या यह 26 प्रतिशत है या 50 प्रतिशत हो या 49 प्रतिशत या यहां तक कि 74 प्रतिशत, श्रेणीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी अन्य बात से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम इस राशि का क्या करने जा रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति पारदर्शिता चाहता है, पारदर्शिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी सौदे में यहां कोई भी चीज गुप्त नहीं होनी चाहिए। विनिवेश करने वाली समिति के पास पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। जिसका प्रयोग सर्वाधिक मूल्य और सही समय के लिए किया जा सकता है, समय हमेशा बदलता रहता है।

शेयर घोटाला, जो कि आज हो रहा है, हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है, इसके बावजूद, कुछ इकाइयां बनी रह सकती है, चाहे यह वैश्वीकरण हो या विश्व व्यापार संगठन, यह एक सतत् प्रक्रिया है। इस बात पर विचार किए बिना कि इसे किस पार्टी ने लागू किया, प्रत्येक को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसमें कुछ लाभ और कुछ हानियां है। देश के

[श्री बी.बी. रमैया]

व्यापक हित में प्रत्येक को देखना होगा कि हम इस धनराशि का उपयोग कैसे कर सकते हैं। विश्व की दूरियां घटती जा रही हैं, हम अलग-अलग नहीं हो सकते, हम एकांत में नहीं रह सकते हैं, हम नहीं सोच सकते कि हम वैश्वीकरण तथा विश्व व्यापार संगठन से बाहर रहें, हमें प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है, आम आदमी अच्छी गुणवत्ता और कम मूल्य की प्रत्याशा में रहता है। हमें उसे सन्तुष्ट करना है, इस प्रक्रिया में कई चीजें घट चुकी हैं।

इनकी कुछ इकाइयों में आवश्यकता से अधिक स्टाफ की समस्या है। इस सम्बन्ध में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू की गई है, यहां तक कि बैंकिंग क्षेत्र में भी हमने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू की है। जब तक हम स्टाफ को कम नहीं करते हम प्रतिस्पर्धात्मक नहीं बन सकते, जब तक हम प्रतिस्पर्धात्मक नहीं होंगे तब तक हम किफायत नहीं ला सकते, इसका उद्देश्य यह है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार कैसे हो, इसके लिए विभिन्न विधियों की आवश्यकता है, विशेषज्ञ समितियों की आवश्यकता है। पारदर्शिता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें देखना चाहिए कि हम इस धनराशि का प्रयोग कितने अच्छे तरीके से किस तरह कर सकते हैं। अब तक हमने जो भी राशि संग्रहित की है वह बहुत ही छोटी राशि है और नगण्य है। कुछ सदस्यों ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि हमें शिक्षा, चिकित्सा प्रयोजनों तथा विभिन्न सामाजिक दायित्वों का भी ध्यान रखना है। हमें इसके लिए मार्गदर्शी सिद्धांत और नियम बनाने होंगे, चाहे यह एयर इन्डिया या एयरलाइन्स या किसी अन्य बड़े संगठन के विनिवेश का मामला हो, तो भी हमें देखना है कि हमें क्या विधि आदि अपनानी है। समिति ने विभिन्न उद्देश्यों और गुण-दोषों पर कई प्रतिवेदन दिए है।

हमें देखना है कि वह कौन सा सर्वोत्तम मार्ग है जिसे हमने अपनाना है। संसद ने यह देखने की जिम्मेदारी ली है कि विनिवेश की प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे। हमारे पास इन मामलों के गुण-दोषों में जाने का अधिकार है और तब हम कह सकते हैं कि यह क्या हो रहा है।

महोदय, मैं जानता हूं कि विनिवेश को जारी रखना है और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने एम.टी.एन.एल. एयर इंडिया आदि जैसे लगभग 48 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के बारे में पहले ही सिफारिश कर दी है, चाहे कोई भी संगठन हो वह विनिवेश के लिए सूचीवद्ध है, मुझे आशा है कि जिन पहलुओं का जिक्र मैंने अभी-अभी किया है उन पर विचार किया जाएगा। मुझे पूरी आशा है कि माननीय मंत्री निश्चित रूप से यह देखेंगे कि विशेषज्ञ समिति को पूरे अधिकार दिए जाएं। तब यह संसद पर होगा कि वह इन सभी बातों का अध्ययन करे और देखे कि इसे सर्वोत्तम तरीके से कैंसे किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, आज हम विनिवेश की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं और इससे पहले भी विनिवेश के सवाल पर इस सदन में तीन-चार बार चर्चा हुई है। माननीय सदस्य सुझाव देते हैं, बहस करते हैं और माननीय अरुण शौरी जी अच्छी अंग्रेजी बोलकर मामले को उड़ा देते हैं। मैंने पहले भी बड़ी विनम्रता के साथ आपसे निवेदन किया था कि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आम आदमी के सवाल पर संसद अपनी सार्तकता खोती जा रही है। जहां तक विनिवेश का सवाल है हमारे देश में 235 प्रतिष्ठानों में से 127 वे हैं जो मुनाफा कमा रहे हैं और शेष घाटे में हैं। ये प्रतिष्ठान पैसे के कारण घाटे में नहीं चल रहे हैं बल्कि मिस मैनेजमेंट और लालफीताशाही की वजह से घाटे में चल रहे हैं। जहां तक विनिवेश का सवाल है कि संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि इसके तौर-तरीकों की जांच की जाए और मैं नहीं समझता हूं कि इसकी जांच हुई है। लेकिन मैं विनम्र निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि 23 जवनरी 1996 को हमने विनिवेश आयोग बनाया था, लेकिन वह आयोग खत्म कर दिया गया। विनिवेश के मामले में जब तक पारदर्शिता नहीं होगी तब तक उसका कोई मतलब नहीं है और इस सवाल पर सरकार की तरफ से कोई अंकुश नहीं है। नीतिगत निर्णयों में आला-अफसरों की बेतहाशा नियुक्ति के अलावा कुछ होता नहीं है। हमने कहा था कि विनिवेश के दो प्रमुख उद्देश्य हैं - सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना और देश के ऊपर जो सर्वाजनिक ऋण का बोझ है उसको कम करना। सरकार कहे कुछ भी लेकिन सरकार पर भारी देशी और विदेशी जो कर्ज है और बजट के घाटे को पूरा करने के अलावा यह सरकार कुछ करने वाली नहीं है और विनिवेश के द्वारा यह इस काम को करना चाहती है। माननीय दासमुंशी जी कह रहे थे कि कल तक उनकी सरकार थी अब ये आ गये...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: कांग्रेस की वजह से ये आ गये हैं और कांग्रेस रहेगी तो...*(व्यवधान)* ये 180 भी नहीं रहेंगे। हम लोक मोर्चा वाले तो आयेंगे ही।...*(व्यवधान)* 22 लोग आपके हमसे टिकट मांग रहे हैं लेकिन मैं दूंगा नहीं।

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति जी, मुझे लगता है कि लालफीताशाही जानबूझकर भी किसी सरकारी उपक्रम को घाटे का उपकरण बनाने के लिए वातावरण तैयार करती है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण की जो यूनिट्स हैं, उनका आधुनिकीकरण करने पर काफी पैसा लगाया गया लेकिन मुझे लगता है कि उसके शेयर भी बेचने वाले हैं। लाल फीताशाही जो काला-पीला कर देते ही उसी पर सरकार मुहर लगाने का काम

करती है। विनिवेश के मामले में जब तक पारदर्शिता नहीं होगी तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार विनिवेश के मामले में एक श्वेत पत्र जारी करे और पूरे देश और जनता को यह बताने का काम करे कि विनिवेश के मामले में सरकार की नीयत साफ है। कहीं न कहीं किसी दृष्टिकोण से देखने पर यह लगता है कि सरकार गोल-माल और घपलेबाजी कर रही है। जहां तक लक्ष्य की बात है मेरे पास आंकड़े हैं। लक्ष्य के मामले में इसकी गति शून्य के बराबर है। 1991-92 में 2500 करोड़ रुपए का लक्ष्य था और 3038 करोड़ रुपए मिले। 1992-93 में 2500 करोड़ रुपए का लक्ष्य था और 1913 करोड़ रुपए मिले। 1993-94 में 3500 करोड़ रुपए का लक्ष्य था लेकिन नहीं के बराबर मिले। 1994-95 में 4000 करोड़ रुपए का लक्ष्य था लेकिन नहीं के बराबर मिले। इसी प्रकार 1995-96 में सात हजार करोड़ रुपए का लक्ष्य था लेकिन 362 करोड़ रुपए मिले। 1999-2000 में लक्ष्य 10 हजार करोड़ रुपए था लेकिन 1584 करोड़ रुपए मिले। लक्ष्य के मामले में ये कहीं सफल नहीं हो रहे हैं। लोक सभा के चुनावों के बाद संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति जी ने संबोधित किया था। राष्ट्रपति का वह अभिभाषण सरकार का एक कमिटमैंट होता है। उसमें सरकार ने वायदा किया था कि सरकार एक करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का काम करेगी। सरकारी उपक्रमों में 22 लाख लोग काम करते थे लेकिन आज काम करने वालों की संख्या 19 लाख रह गई है। आपने लोगों को रोजगार न देकर उसे छीनने का काम किया। जब आप सरकारी उपक्रमों को बेचने का काम करेंगे तो यही हाल होगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। एक तरफ आप आरक्षण को समाप्त करने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले दासमुंशी जी भाषण दे रहे थे। इससे पहले वैंकय्या नायडू जी ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांगों पर जवाब दे रहे थे। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों को ठीक करने पर जोर दिया। जब तक गांवों में रौनक पैदा नहीं होगा माफ करना, शहरों की रौनक लम्बे समय तक देश में रह नहीं सकती। आप पूरा सैंटरलाइज कर रहे हैं लेकिन गांवों की निरन्तर उपेक्षा हो रही है। हमारे देश में कृषि की बुरी हालत है। किसी भी कोने से कृषि को सरंक्षण देने का काम सरकार नहीं कर रही है। हिन्दुस्तान के 70-75 परसैंट लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान आजादी के समय जितना था, उससे आधा रह गया है। 1971 से अब तक गेहूं का समर्थन मूल्य आठ गुना बढ़ा लेकिन उत्पादन लागत 15 गुना बढ़ गया। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और संरक्षण देने के लिए देश में कोई काम नहीं हो रहा है। 50 परसैंट गांव आज भी सड़कों से नहीं जुड़े हैं। गांव के तमाम बच्चे शिक्षा से इसलिए वंचित रह गए हैं कि उनके लिए पूरी व्यवस्था नहीं है। जब तक गांवों में स्कूल नहीं बनाएंगे सड़कों को ठीक नहीं करेंगे, कृषि को सरंक्षण नहीं देंगे, गांवों का विकास नहीं करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। आम आदमी इलाज नहीं करवा सकता। अरुण शौरी जी, चाहे विनिवेश का सवाल हो या दूसरा, कोई सवाल हो, हिन्दुस्तान का बहुसंख्यक वर्ग जहां रहता है अगर उसकी उपेक्षा करेंगे, किसानों की उपेक्षा करेंगे, मजदूरों की उपेक्षा करेंगे तो देश का भला होना वाला नहीं है। लिहाजा शुरुआत वहां से होनी चाहिए जहां सही मायने में कुछ करने की आवश्यकता है।

जहां तक विनिवेश का सवाल है, इससे आम आदमी का भला नहीं हो सकता, कृषि क्षेत्र का भला नहीं हो सकता, शिक्षा को मजबूत बनाने का काम नहीं हो सकता। विनिवेश के मामले में लीपा-पोती और घपलेबाजी के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। सरकार की कोई नीति पारदर्शी नहीं है। यह सरकार कटघरे में खड़ी है। मैं चाहूंगा कि देश, दुनिया और सम्मानित सदन को विश्वास में लेने के लिए इस मामले में श्वेत पत्र जारी किया जाए क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यदि आप आम आदमी को सही अर्थों में विश्वास में लेना चाहते हैं तो आपको यह करना होगा। यही मुझे निवेदन करना था।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): चेयरमैन साहब, डिसइन्वेस्टमेंट पर चर्चा 1991 से शुरू है, तब से क्या हो गया। कौन सी सरकार ने गलत कदम उठाया और रूलिंग पार्टी कहती है कि कांग्रेस सरकार ने गलत कदम उठाया।

[अनुवाद]

अत: हम इस पर चर्चा कर रहे हैं।

इसके विपरीत आम आदमी इस सरकार से कुछ नया करने की उम्मीद कर रहा है। यदि आप हर समय यही कहते रहें कि कांग्रेस ने ये किया और हमें उसी नीति को जारी रखना पड़ रहा है, तो हम आपकी इस बात से समहत नहीं हैं।

[अनुवाद]

विनिवेश नीति पर कर्मचारियों का कहना है,

[हिन्दी]

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि

[हिन्दी]

''बी.जे.पी. के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग हैं।''

[श्री प्रकाश परांजपे]

[अनुवाद]

मंत्रीगण अपने सभी भाषणों में कह रहे हैं कि वे श्रमिकों के हितों की रक्षा करेंगे। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वे किन हितों की रक्षा कर रहे हैं? वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे रहे हैं जिसमें पूरे किए गए वर्षों के लिए 35 दिन का वेतन वे बाकी बचे वर्षों के लिये 25 दिन का वेतन दिया जा रहा है।

क्या यह धनराशि शहरों में जीवन-यापन करने हेतु पार्यप्त है? हमने उनसे बार-बार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में वृद्धि करने को कहा है। लेकिन वे श्रमिकों की मांगों को मान नहीं रहे हैं। वे इस मामले में ध्यान नहीं दे रहे हैं बस कहे जा रहे हैं कि श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाएगी।

मेरा साधारण सा प्रश्न यह है कि क्या पैसा जुटाने हेतु शेयरों को बेचना या निजीकरण करना ही एकमात्र उपाय है? क्या माननीय मंत्री महोदय पैसा जुटाने हेतु कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते? मैंने इस पर चार माह पहले एक सुझाव दिया था। पूरा सरकारी क्षेत्र कुप्रबंधन के कारण घाटे में जा रहा है। क्या माननीय मंत्री महोदय, इस बात की जांच नहीं करा सकते कि सरकारी क्षेत्र घाटे में क्यों जा रहे हैं, कौन व्यक्ति इस घाटे के लिए जिम्मेदार हैं? कर्मचारियों का इस घाटे से कोई संबंध नहीं है लेकिन उन्हें ही इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। इस कुप्रबन्धन, अवांछित राजनैतिक हस्तक्षेप, नौकरशाही के हस्तक्षेप आदि के कारण ये कंपनियां घाटे में आ गई हैं और वह इन्हें बेच रहे हैं। अंततः यह नुकसान किसको भुगतना पड़ रहा है? केवल कामगार को यह नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसका उदाहरण फिर से वही 'बाल्को' है।

हमने एक सुझाव दिया था। वे सरकार का मलिकाना हक बेचे बिना इनका प्रबन्धन निजी हाथों में सौंपने के बारे में क्यों नहीं सोचते। मैंने मुलुण्ड कंपनी का एक उदाहरण दिया है। आश्चर्यजनक रूप से हमें माननीय मंत्री महोदय से क्या उत्तर मिला? उत्तर है, हम इस मामले की जांच कर रहे हैं।'

[हिन्दी]

चार महिने हो गए हैं, मैटर एक्जामिन कर रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

ठाणे से लघु औद्योगिक इकाई प्रबन्धन अपने हाथ में लेने हेतु अपनी सेवाएं देने को तैयार है, परंतु संपत्ति न बेचें, उन्होंने उनसे कुल परिसंपत्तियों के 25 प्रतिशत को जमा के रूप में मानकर लेने के लिए कहा है। वे प्रत्येक वर्ष का पट्टा किराया देंगे और यदि वहां बिना प्रबन्धन के वे लाभ अर्जित करते हैं तो उन्हें अपने शेयरों पर लाभांश मिलेगा। उन्होंने केवल यही कहा है। लेकिन वे एक ही वर्ष में कंपनियों को बेचकर धन जुटाना चाहते हैं। मेरे प्रस्ताव के अनुसार मालिकाना हक बेचे बिना निजी व कार्यकुशल प्रबन्धन को आमंत्रित कीजिए और साथ ही उनसे यहा किराया लीजिए इसके पश्चात् यदि लाभ हागा तो उन्हें लाभांश मिलेगा। यह एक धीमी प्रक्रिया है परंतु वे ऐसा करना नहीं चाहते।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): यदि वे घाटे में जाती है तब!

श्री प्रकाश परांजपे: ये घाटे में नहीं जाएंगी क्योंकि जो लोग इनका प्रबन्धन अपने हाथ में लेंगे उन्होंने इसकी गणना कर ली है कि ये कंपनियां सुचारू रूप से कार्य कर सकती हैं और हम इनसे लाभ अर्जित कर सकते हैं और वह भी तब जबकि आपको कंपनी का मालिकाना हक नहीं बेचना है। वे इस पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं?

माननीय मंत्री महोदय बार-बार ये कह रहे हैं कि वे श्रमिकों के हितों की रक्षा करेंगे। मैं गत दस माह से एक कंपनी के लिए लड़ता रहा हूं-जिसका नाम है, हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स-कि इसका भी निजीकरण न किया जाए। मुझे कम से कम इस बात की खुशी है कि संबंधित माननीय मंत्री महोदय ने मुझे लिखा कि वह इस मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री राम नाईक ने सुझाव दिया है कि उनका विभाग उस कंपनी को अपने नियंत्रणाधीन लेने को तैयार है। इससे संबंधित रिपोर्टें भी हैं कि उनके विभाग ने उस कंपनी की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने हेतु 30 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। उन्हें केवल आपके नीतिगत निर्णय की आवश्यकता है कि उनका पेट्रोलियम विभाग एच.ओ.सी. का अधिग्रहण कर सकता है या नहीं।

अब, विभाग कहता है कि यह व्यवहार्य है क्योंकि उसके लिए कच्चे माल के रूप में जिस रसायन की आवश्यकता है उसका उत्पादन उनके द्वारा किया जा रहा है। दुर्भाग्यवश हमें नीतिगत निर्णय से संबंधित एक पंक्ति का उत्तर भी नहीं मिला है कि 'हां, बी.पी.सी.एल., एच.ओ.सी. का अधिग्रहण कर सकता है। आई.पी.सी.एल. का भी यही मामला है। बड़ौदा स्थित घाटे में चल रही इकाई को आई.ओ.सी. की एक पेट्रोलियम कंपनी को दे दिया गया। वे कह रहे हैं कि आई.ओ.सी.आई.पी.सी.एल. की पूरी इकाई का अधिग्रहण कर सकता है। वह उसपर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे है। वे केवल यह कह रहे हैं कि

[हिन्दी]

1991 में नीति बनाई, हम लोग चला रहे हैं।

अपराह्न 05.00 बजे

[अनुवाद]

हम इसे नहीं समझ सकते। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस सरकार का उद्देश्य धन जुटाना है, बजट घाटे का पूरा करना है या कि हजारों या करोड़ों श्रमिकों के हितों की रक्षा करना इस सरकार का उद्देश्य है।

मैं मंत्री महोदय का बहुत शुक्रगुजार रहूंगा यदि वह यह निर्णय कर सकें कि एच.ओ.सी. और आई.पी.सी.एल. का निजीकरण नहीं किया जाएगा। शिवसेना प्रमुख ने भी इस संबंध में फोन किया है। पूरी शिवसेना का यह कहना है कि इस कंपनी का निजीकरण न होने देने को लेकर वे बहुत उत्सुक हैं। कुप्रबंधन के कारण सरकारी क्षेत्र का यह उपक्रम घाटे में जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय प्रबन्धन को निजी हाथों में सौंपने के बीच के रास्ते पर विचार कर सकते हैं, जिसमें आपको मालिकाना हक खोने की आवश्यकता नहीं होगी।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः सभापति महोदय...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झाः क्या गला फंस गया है? इतना हल्ला किया था।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः बिहार का गला कट गया।

सभापति महोदयः आप टोका-टोकी मत करिये, माननीय सदस्य का गला फंसा हुआ है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः सभापति महोदय, होशियार लोग जनता को ठगने के लिए देश के बेचने को काम को डिसइन्वैस्टमैंट कर रहे हैं। असल में बेच रहे हैं देश और नाम है डिसइन्वैस्टमैंट। हम लोग कहेंगे कि डिसइनवैस्टमैंट क्या है तो कहेंगे विनिवेश। श्री परांजपे जी नहीं हैं, हम तो खिलाफ पार्टी के हैं, इसलिए बराबर इनके खिलाफ हैं। जिद कर रहे हैं कि आप देश मत बेचिये, लेकिन यह जिद पर अड़े हुए हैं। इन्हें बुझाता है कि देश बेचने से बड़ा फायदा होने वाला है, इसलिए लगे हुए हैं, चार-पांच बार बहस हुई है, हम लोगों ने कितना विरोध किया, लेकिन यह मानने वाली नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः रामदास जी, आप अपनी सीट पर बैठिये, यह फेयर नहीं है, आप अपना आसन ग्रहण कीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवलेः बाल्को से आपको कितना फायदा हुआ है और देश को बेचने के बाद आपको कितना फायदा होने वाला है।...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः सभापति महोदय, यह कहा जायेगा कि हम विरोधी हैं, इसलिए इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन वे तो सपोर्टर हैं, वे भी कह रहे हैं कि देश बेच रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं।

सभापति महोदय, एक दत्तोपंत ठेंगड़ी हैं, विचारक हैं, पुराने नेता है, स्वदेशी जागरण मंच के, भारतीय मजदूर सभा के संस्थापक हैं। हमारी पार्टी के नहीं हैं, वह उनकी पार्टी के हैं, आर.एस.एस. के हैं। उन्होंने कहा कि इस देश का अर्थ मंत्री अनर्थ मंत्री हैं, अपराधी है। हम कहेंगे तो सब लोग खड़े हो जायेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः आप ऐसा मत कहिये, फंस मत जाना, यह चतुराई है कि विपक्ष की राजनीति भी करेंगे और सरकार भी चलायेंगे। यह चालाकी है, अपने लोगों से आलोचना करवायेंगे, जिससे हम लोग न कर पायें। यह षड्यंत्र है, इसमें फंस मत जाना।...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः श्री ठेंगड़ी ने कहा कि देश बेच रहे हैं। यह उन्हीं के लोग कह रहे हैं। हम तो विरोधी हैं, हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन यह मान नहीं रहे हैं, जिद पर अड़े हुए हैं। आप डिसइनवैस्टमैंट का जवाब दीजिए। सवाल नम्बर (1) आपने डिसइनवैस्टमैंट कमीशन को क्यों खत्म किया? (2) डिसइनवैस्टमैंट कमीशन की रिपोर्ट की आप अवहेलना क्यों कर रहे हैं? (3) कमीशन ने कहा है कि डिसइनवैस्टमैंट प्राइवेटाइजेशन एक नहीं है लेकिन यह प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और उत्साह पूर्वक कहते हैं कि डिसइनवैस्टमैंट मायने प्राइवेटाइजेशन - क्या इनका फार्मूला यही है और प्रैक्टीकल भी यही कर रहे हैं। (4) श्री रामजीलाल सुमन चले गये हैं, पार्टी के हिसाब से जवाब दें, मंत्री जी बोलेंगे तो उधर से मेजें थपथपा देंगे, मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा या डिसइनवैस्टमेंट होगा तो आरक्षण का क्या होगा। दलित और पिछड़ी जातियों को सरकारी संस्थानों में आरक्षण मिला हुआ है, जब आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो उस आरक्षण का क्या होगा, आप इसका स्पष्ट जवाब दीजिए। पार्टीबंदी के हिसाब से सब लोग मेजें थपथपा देंगे।

इन सबका मंत्री जी स्पैसिफिक जवाब दें। लोग कहते हैं ट्रांसपेरेन्सी, ट्रांसपेरेन्सी - यह ठीक बात है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अव्वल चीज ट्रांसपेरेन्सी है। ये कहते हैं कि हमने सीएजी को भेज दिया और हो गई ट्रांसपेरेन्सी। यह ट्रांसपेरेन्सी नहीं, लोगों को अंधकार में डालने वाली परिभाषा है। ट्रांसपेरेन्सी मतलब

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

पारदर्शिता जो देखने से पता चले लेकिन देखने से प्राइमा फेसी पता चलता है बाल्कों अथवा मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज में आन जनता में क्या बातें हैं उधर के ही माननीय सदस्य बताएंगे कि ज्यादा दाम की चीज को कम दाम में ले देकर बेच दिया यह बात आम लोगों में है। कहां पारदर्शिता है, कहां ट्रांसपेरेन्सी है? हर जगह गर्म अफवाह है, कहीं होगा सौ दो सौ करोड़ पूंजीपतियों से लिया, इतना माल खा लिया पूंजीपतियों से कि सरकारी संपत्तियों को भी बेच देंगे। ट्रांसपेरेन्सी कहां है क्यों नहीं बताते? इस पर श्वेत-पत्र की मांग हो रही है। बताइए उस संपत्ति की क्या कीमत थी और आपने कितने में उसको बेचा? कोर्ट-कचहरी या जांच की बात नहीं करते और जेपीसी का नाम सुनते ही लोग भाग जाते हैं। सांच को आंच क्या, जांच करा लें। आप दावा करते हैं कि आप ठीक काम कर रहे हैं, आप बहुत दुरुस्त मैं तो क्यों जांच से भागते हैं?...*

सभापति महोदयः आप कनक्लूड कीजिए। आप अपनी बात कहिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः अपनी ही बात कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः पप्पू यादव जी, आप बीच में टोका-टाकी न करें। माननीय सदस्य अपनी बात कहने में सक्षम हैं। उनको सहायता की जरूरत नहीं है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा एयर इंडिया के हवाई जहाज पर पूरी दुनिया में घूमता है।* अब सुनते हैं कि एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन होगा और ये उसका हिसाब जोड़ रहे हैं, गोटी बैठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी बेचा जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः जो अशोभनीय शब्द हैं, वे प्रोसीडिंग्ज का पार्ट नहीं बनेंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः क्या किया दो लाख चालीस करोड़ रुपये का? ठीक कहा परांजपे साहब ने कि वीआरएस कर रहे हैं, छंटनी कर रहे हैं और कहते हैं कि नेशनल ऐजेन्डा है? उसमें था कि बेरोजगारी दूर करेंगे और आप यह कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः रघुवंश जी, आप अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः इन्होंने देश के साथ छल किया है, धोखा किया है। इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे लेकिन जिनको रोजगार मिला है, उनको भी ये बेरोजगार बना रहे हैं। नए रोजगार देने की क्षमता और सामर्थ्य इनमें नहीं है, कोई नीति और कार्यक्रम नहीं है। इसलिए देश के साथ छल मत करिए और डिसइनवैस्टमैंट के नाम पर देश को मत बेचिए। जनता आपको माफ नहीं करेगी और आपको सबक देगी। हम जनता का भी आह्वान करते हैं कि इस सरकार से सावधान हो जाए और देश को किसी भी हालत में बेचना जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः पप्पू जी, यह जीरो आवर नहीं है महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। आपको चेयर से बोलने की अनुमति नहीं है, आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदयः श्री ब्रह्मानन्द मंडल।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः श्री ब्रह्मानन्द मंडल के अलावा कोई बात प्रोसीडिंग्ज में रेकार्ड नहीं की जाएगी।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः हम खड़े हैं तो आप बैठ जाइए। सदन में व्यवधान मत करिए, मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर): माननीय सभापति जी, हम लोग सदन में विनिवेश की नीति पर चर्चा कर रहे हैं। जब कांग्रेस का राज था, तब 1991 में नई आर्थिक नीति बनाई गई। उसी का एक हिस्सा यह विनिवेश की नीति है।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः सभापति महोदय, बिहार में...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः पप्पू जी, आप बैठिए। यह ठीक नहीं है कि जब मन में आए आप बिना चेयर की अनुमति के बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। यह सदन की स्वस्थ परम्परा नहीं है। कृपया आप ऐसी परम्परा कायम न करें। मैं चेयर से आपका नाम बार-बार नहीं लेना चाहता हूं। यह ठीक नहीं है। कृपया आप बैठ जाएं।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री ब्रह्मानन्द मंडलः इसमें दो राय नहीं हैं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी इस नीति का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो इसकी वार्षिक रिपोर्ट है और जो भाषण यहां हुए हैं उनको सुनकर हमारी चिन्ता बढ़नी स्वाभाविक है क्योंकि विनिवेश का अर्थ निजीकरण लगाया गया है।

सभापति महोदय, विनिवेश हों, वैश्वीकरण हो या भूमंडलीकरण हो, ये सारे शब्द एक ही स्थान पर केन्द्रित हो जाते हैं और वह शब्द है निजीकरण। हमारे देश के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना आजादी के बाद हुई। इसकी चर्चा भी इसमें है और अब उसकी आवश्यकता हमें क्यों नहीं है और क्यों हम उनके शेयरों को बेच रहे हैं इसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में दिया गया है और इस विनिवेश का क्या उद्देश्य है, उसके ऊपर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। इस सबको देखकर हमारे यहां जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनको तीन भागों में बांटा गया प्रतीत होता है। एक तो वे जो घाटे में चल रहे हूं, दूसरे वे जिनमें कुप्रबन्धन है और तीसरे वे जो मुनाफे में चल रहे हैं। इन तीनों श्रेणियों के उद्योगों के लिए अलग-अलग नीतियां होनी चाहिए या नहीं, यह मेरी और मेरी पार्टी की परेशानी का कारण है।

सभापति महोदय, विनिवेश की नीति में कहा गया है कि जो उद्योग घाटे में चल रहे हैं या जिनमें कुप्रबन्धन है, उन्हें बन्द किया जा सकता है। जो सर्वाजनिक उद्योग मुनाफे में चल रहे हैं और जिनमें घाटा नहीं है, हम उन्हीं को बेचेंगे। 1993 में रंगराजन समिति बनी थी। उस समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर कहा गया कि 74 फीसदी शेयर हम निजी क्षेत्रों को दे सकते हैं और मात्र 26 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा रहेगा और अन्त में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा उससे भी कम किया जा सकता है।

मेरी चिन्ता है कि बालको पर यहां बहुत बहस हुई है और जो अखबारों में आ रहा है, मैं इस बात को जानना भी चाहता हूं कि बालको की जो सम्पत्ति है, वह कितनी है। अखबारों में जो बात आ रही है उसके हिसाब से बालको 270 मैगावाट बिजली उत्पादन की परियोजना है। आज से 10 साल पहले योजना आयोग ने एक मैगावाट बिजली पैदा करने में चार करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही थी।

270 मैगावाट बिजली का जो प्रोजैक्ट है, उसका ही एक हजार 80 करोड़ रुपये हो जाता है। अखबारों में जो बातें हमें देखने को मिली है, उससे पता चलता है कि बाल्को कम्पनी के फिक्स डिपाजिट में 360 करोड़ रुपये हैं। ये रुपये हैं या नहीं या अखबार वाले कहीं गलत तो नहीं लिख रहे, इसको भी देखना चाहिए? इसकी जमीन की कीमत क्या है? जो एल्युमिनियम फैक्टरी है, अगर उसको कबाड़ी के दाम में बेचें तो उसकी क्या कीमत होगी? इसके बावजूद भी यह कहा जाता है कि ये कम्पनियां मुनाफे में हैं। इसके 51 फिसदी शेयर बेचकर हमने 551 करोड़ रुपये पाये हैं। मैं इसके उद्देश्य को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि गैर महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे सार्वजनिक संसाधनों की बढ़ी धनराशि को उन क्षेत्रों में लगाने के लिए, अवमुक्त करने के लिए, जो समाज की प्राथमिकता में सर्वोपरि है जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्राथमिक शिक्षा तथा सामाजिक और आवश्य आधार-भूत संरचना। इसी में कहा गया है कि जो धन सार्वजनिक क्षेत्र में लगा हुआ है, उद्यमों में लगा धन वास्तव में जन-साधारण चाहता हूं कि पांच हजार करोड़ रुपये हिन्दुस्तान की जनता का पैसा अगर बाल्को में लगा हुआ है और उसके 51 फीसदी शेयर बेचते हैं, उस पैसे को निकालना चाहते हैं तो उससे एक हजार करोड़ रुपये भी आने चाहिए। अगर यह पैसा नहीं आता है और यह कम्पनी मुनाफे में चल रही है तो आप उसका विनिवेश क्यों करेंगे? जो उद्योग मुनाफे में चल रहे हैं, वह मुनाफा हिन्दुस्तान के खजाने में जाता है या दूसरी जगह चला जाता है वह पैसा जन-कल्याण में लगाते हैं या नहीं? तब भी आप मुनाफे वाली कम्पनियों को निजी हाथों में दे रहे हैं। इतनी बड़ी पूंजी आप देते चले जा रहे हैं। अगर यह हुआ है तो हम जानना चाहते हैं कि क्या विनिवेश, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण सब एक ही चीज हैं? इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। हमारी इस पर सहमति है कि जब कांग्रेस भी तैयार है और कांग्रेस ने भी इस नीति को चलाया है, हम भी चला रहे हैं लेकिन सारी नीतियों के ऊपर राष्ट्रीय हित है। जिस जनता की हम बात करते हैं, जिसके कल्याण की बात करते हैं, जिस पर खर्च करने की बात करते हैं और जिसके बारे में कहते हैं कि यह धन उसी का है तो क्यों यह धन दूसरे के पास जा रहा है। पांच हजार करोड़ रुपये की सम्पति 551 करोड़ रुपये में आप दे दीजिएगा और कहियेगा कि जनता की सम्पत्ति है, हम उसको निकाल रहे हैं और यही विनिवेश है, यह हमारी समझ के परे है। यह चिन्ता की बात है।

सभापति महोदयः अब आप समाप्त करिये।

श्री रघुनाथ झाः सभापति जी, यह अच्छा बोल रहे हैं इसलिए आप इनको बोलने दीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः मैं इन्हें कन्कलूड करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि यह कोई नया प्वाइंट नहीं बोल रहे हैं।

श्री ब्रह्मानन्द मंडलः सभापति जी, मैं अभी एक ही प्वाइंट पर बोला हूं। मैं ज्यादा समय न लेकर सिर्फ एक-दो प्वाइंट पर ही बोलूंगा। मैं नई बात ही कहूंगा, पुरानी बात को नहीं दोहराऊंगा।

[श्री ब्रह्मानन्द मंडल]

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस पर वे जरा सोचें।

सार्वजनिक उद्योग सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बनाए गए थे। यह वास्तविकता है कि आजादी के बाद जो सार्वजनिक उद्योग बनाए गए थे, उन्हें देश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बनाया गया था। यह भी सही है कि हमारे देश के जो बड़े-बड़े उद्योगपति अभी हैं, 1948 में वे इस लायक नहीं थे। मैं बोकारो की बात कहता हूं। उस समय उस पर 2200 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। हिन्दुस्तान और दुनिया का कोई भी पूंजीपति बोकारो स्टील प्लांट देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि टाटा, बिरला की 500-600 करोड़ रुपये की सम्पत्ति थी, वे 2200 करोड़ रुपये कहां से लगाते। आज बोकारो की कितनी कीमत है, आप मार्किट रेट देखेंगे या नहीं। हम गांव में देखते हैं कि अगर पच्चीस साल पहले दस कट्ठा जमीन किसी को बेचनी होती थी कि इसका ज्यादा दाम मिल रहा है, लेकिन हमारे देश के जो बड़े उद्योग हैं, आज उनका उतना दाम भी नहीं आ रहा है, उससे आधा दाम भी नहीं आ रहा है जितना उसका मूल्य है। इस पर विचार आपको करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: दूसरा नया मुद्दा क्या है?

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: दूसरी बात मैं कुप्रबंधन के संबंध में कहना चाहता हूं जिस पर हमने कभी विचार नहीं किया, अब करना चाहिए। जो स्थिति सार्वजनिक क्षेत्र में पहुंची है, अब वक्त गुजर चुका है, यह होगा या नहीं, मैं नहीं कह सकता लेकिन मैं समझता हूं कि ट्रेड यूनियन की भूमिका अच्छी नहीं रही है। ट्रेड यूनियन चलाने वाले बुरा न मानें। आज मजदूरों के सिर्फ अधिकारों की बात की जाती है, आन्दोलन, कर्त्तव्य की बात नहीं की जाती कि हमारे देश का उद्योग हमारा और आपका है, इसलिए उसमें ज्यादा उत्पादन होना चाहिए, ज्यादा मुनाफा होना चाहिए, ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, यह हमारा कर्त्तव्य है। चाहे जिस भी राजनैतिक दल से सम्बद्ध ट्रेड यूनियन हो, उन्होंने यह काम नहीं किया। इसकी वजह से भी यह स्थिति आई है। यदि हमने बचे-खुचे उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया तो उसमें भी यही स्थिति आएगी। *...(व्यवधान)*

मैं समाप्त कर रहा हूं। इसलिए ट्रेड यूनियन चलाने वाले जो हम लोग हैं, उनको भी विचार करना चाहिए कि इसे कैसे चलाना चाहिए। विश्व की जो नई परिस्थिति है और जो हवा बह रही है, उसी हवा में हमें सांस लेना भी है और छोड़ना भी है। एक माफिया के तहत खासकर सार्वजनिक क्षेत्रों में, ट्रेड यूनियन को चलाया जा रहा है। यही वजह है कि आज वह आर्थिक ढांचा, जिसने देश को आत्मनिर्भर बनाया था, उसे कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं।

अंतिम बात कहना चाहता हूं कि यहां कुछ संवैधानिक बातें जो उठाई गई हैं, वे यह हैं कि इन उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के आरक्षण का सवाल रहेगा या नहीं। सारे उद्योग जब निजी हाथों में चले जाएंगे तो शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स या बैकवर्ड क्लासेस का आरक्षण रहेगा या नहीं, इस पर आपने कभी विचार किया है या नहीं और अभी भी करना चाहते हैं या नहीं। मजदूरों का हित किस रूप में सुरक्षित रहेगा। हालांकि वार्षिक रिपोर्ट में आपने चर्चा जरूर की है लेकिन किस रूप में उनके हितों की सुरक्षा की गारंटी करेंगे, यह बात इसमें नहीं है। इसमें आपने लिखा है कि उनके हित सुरक्षित रहेंगे। यह मेरी चिन्ता है। मैं खासकर कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र मुनाफे में हैं, सरकार को विनिवेश, जो पूंजी निकाल कर उसी जनता की सेवा में लगाना चाहते हैं, उद्देश्य तो आपका यही है, कहीं ऐसा न हो कि उल्टा हो जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार): सभापति महोदय, विनिवेश की मांग पर चर्चा चल रही है। मैं बड़े गौर से माननीय सदस्य दासमुंशी साहब को सुन रहा था। वे अच्छे वक्ता हैं, वकालत का अच्छा तर्क जानते हैं। गलत केस में भी अच्छी वकालत करते हैं। रोंग हॉर्स को भी अच्छे ढंग से ड्राइव करते हैं। वे सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। जब वे चर्चा कर रहे थे तो मुझे लगा कि निश्चित तौर पर वे विनिवेश की नीति पर कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन जब मैंने उनको सुना तो वही सारी बातें कहीं, जो पिछले दिनों बालकों प्रकरण पर हुई चर्चा असमय कही थी, उन्होंने ही चर्चा उठाई है। उनके वही तर्क थे, वही राग, वही सारी चीजें थीं। हां, एक बात उन्होंने अवश्य कही कि विनिवेश का, डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ निजीकरण लगाया गया है। मैं मानता हूं उन्होंने कहा कि इसका अर्थ निजीकरण नहीं लगाना चाहिए। मैं मानता हूं कि इसका मतलब सीधे निजीकरण नहीं होता है, लेकिन यह बात सही है कि विनिवेश का कदम जिस तरफ जाता है, वह सीधे निजीकरण की तरफ जाता है, इसमें दो राय नहीं हैं। यह क्यों शुरू हुआ, कई माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आखिर यह परिस्थिति पैदा हुई। जिस समय इस देश के आर्थिक विकास की संरचना की जा रही थी, स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, सिर झुकाता हूं। इस देश में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा उन्होंने की थी कि प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर दोनों होंगे। मंडल जी कह रहे थे कि पब्लिक सैक्टर मुनाफे के लिए नहीं है, उसका यह निश्चित तौर पर उद्देश्य नहीं था, लेकिन एक उद्देश्य यह था कि पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने का

प्रयास करेंगे और इसके लिए दोनों अपनी गुणवत्ता को, अपनी दक्षता को बढ़ाने का काम करेंगे और उसकी गुणवत्ता को कायम रखकर उसकी कीमत भी कम करेंगे, जिससे विश्व बाजार में अपना स्थान बना सकें और इस देश में आर्थिक विकास के लिए जो एक आधारशिल खड़ी की जायेगी, उसकी संरचना का निर्माण करेंगे। लेकिन यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई। जवाहर लाल जी के मरने के बाद, मैं उन माननीय सदस्य से सहमत हूं कि पब्लिक सैक्टर में कुप्रबन्धन हुआ। उसके चेयरमैन की नियुक्ति में, उसके सी.एम.डी., उसके जी.एम. के पदस्थान में इतना हस्तक्षेप हुआ कि वहां कुप्रबन्धन हुआ। इतना ही नहीं, जिनके हाथ में उसका प्रबन्धन सौंपा गया उन्होंने क्या किया? स्वर्गीय सरदार पटेल ने 600 से ज्यादा नेटिव स्टेट्स को समाप्त किया था, लेकिन सारे पब्लिक सैक्टर के जो प्रबन्धक थे, उन्होंने अपने को एक नेटिव स्टेट के नरेश की तरह बिहेव किया और उसी तरह से उसका उपयोग किया। इस तरह से उसका संचालन किया जिससे लगा कि वे देशी रियासत के नरेश हैं और उसका परिणाम यह निकला कि आहिस्ता-आहिस्ता वे बन्द होते चले गये। 1951 में मात्र पांच यूनिट्स थे, पब्लिक सैक्टर के और उस पर 29 करोड़ रुपये लगे थे और मार्च, 1999 में आकर 240 यूनिट्स हुए और उसमें 2.30 लाख करोड़ से ज्यादा रुपये लगाए गए थे, ब्लाक हो गये। अभी कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई कि 1999 के मार्च तक जितनी एस.एस.आई. की यूनिट्स थीं, उनमें 3.19 लाख यूनिट्स सिक थीं, रोगग्रस्त या कमजोर थीं और उनके ऊपर बैंकों का 19 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रुपया उनमें जाकर ब्लाक हो गया था। इनको सुधारने का प्रयास होना चाहिए था, लेकिन यह बात निश्चित तौर पर है कि इसे सुधारने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि नीति में ही परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। एक गलत चीज होती है इस देश में, हम लोग देख रहे हैं कि जब किसी पद्धति से उसका सही रिजल्ट नहीं आता है तो यह होता है कि पद्धति को ही बदल दो, नीति को ही बदल दो। उसमें जो खामियां हैं, उसमें जो त्रुटियां हैं, उनको सुधारने का प्रयास होना चाहिए था, वह नहीं हुआ और परिणाम यह निकला कि जवाहर लाल जी ने जो सपना देखा था और कहा था कि यह भिलाई, दुर्गापुर, राऊरकेला, बोकारो आधुनिक भारत में निर्माण के मंदिर बनेंगे, वे सभी निर्माण के मंदिर नहीं बन सके, उसका यह विपरीत परिणाम सामने आया।

इसीलिए कांग्रेस ने 1991 में विनिवेश की नीति चलाई। मैं समझता हूं कि वहीं पर गलत काम हुआ था। आज विज्ञान ने दुनिया की दूरी को इतना छोटा कर दिया है कि विश्व में अगर कहीं छोटी या बड़ी घटना घटती है तो उसका तुरंत विश्वव्यापी असर पड़ता है। एक प्रयोग हुआ था निजीकरण का कभी, उसकी विफलता के बाद मार्क्स ने जो कल्पना की थी, फिर उसकी जगह राष्ट्रीयकरण आया। उसका भी हमने दुष्परिणाम देखा है। निजीकरण का भी देख चुके हैं, जिसने मार्क्ससिज्म को पैदा किया। उसके बाद राष्ट्रीयकरण आया रशिया के अंदर तो 74 वर्ष के बाद उनका झंडा भी झुक गया। हमारी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी उस समय बहुत छोटी थी। उस समय हमारी पार्टी ने जवाहर लाल नेहरू जी से कहा था कि आपके इस राष्ट्रीयकरण से देश का कभी विकास नहीं होगा इसलिए इसका समाजीकरण करो, जो गांधी जी की ट्रस्टीशिप से लिया गया था। लेकिन उस समय हमारी पार्टी के पास इतनी ताकत नहीं थी इसलिए हम दबाव नहीं डाल सके। आज जब रूस में यह हालत होती है, तो फिर निजीकरण की तरफ जाया जा रहा है, मैं यह कहूंगा कि गलत दिशा की तरफ वह देश जा रहा है।

आज अमेरिका में मंदी चल रही है। जापान में कल चुनाव हुआ। वहां की जनता ने सरकार को बदल दिया क्योंकि जापान में भयानक ढंग से मंदी चल रही है और नए शासन से लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि वे इससे देश को निजात दिलाएंगे। इसलिए भारत जैसे देश में इस दिशा की तरफ जाकर हम भारत का नव-निर्माण नहीं कर सकते, गांधी जी और नेहरू जी के सपनों को साकार नहीं कर सकते। इसीलिए जो विनिवेश की नीति चलाई गई है, वह सही नहीं है। मैं आपकी मजबूरी समझता हूं। कोलीशन सरकार की मजबूरी होती है। वह कभी रिवोल्युशन नहीं कर सकती, वह करेगी तो सिर्फ रिलीफ का काम ही कर सकती है। लेकिन इस दिशा की तरफ हमें जरूर ध्यान देना चाहिए।

दासमुंशी जी ने और अन्य लोगों ने कहा कि जो कम्पनीज मुनाफे में हैं, उनका निजीकरण मत करो। एक बहुत पुरानी कहावत है कि मरा हुआ बैल कोई नहीं खरीदता। उसी बैल को खरीदा जाता है जिसमें ताकत हो खेत जोतने की और गाड़ी खींचने की। इसी तरह मेरी हुई यूनिट्स में कोई सम्पत्ति नहीं लगाना चाहेगा। मैं निजीकरण की वकालत नहीं कर रहा हूं। जिस देश में संसदीय लोकतंत्र होता है, वहां पार्टियों के फंडामेंटल में अंतर नहीं होता। अंदर होते हैं प्राथमिकताओं में। इस देश के तमान राजनैतिक दलों को बैठकर भारत की जनसंख्या को देखते हुए एक निश्चित अर्थव्यवस्था बनानी चाहिए। भारत के सामने जो समस्याएं हैं, उनको देखते हुए, भारत में जो उपलब्ध संसाधन हैं, उनको देखते हुए एक दिशा निर्धारित करनी चाहिए। दुनिया ने कभी निजीकरण को नकार दिया था, फिर उसी दिशा की तरफ जाकर हम देश का निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए हम गम्भीरता से सोचना चाहिए। जो गांधी जी ने, जयप्रकाश जी ने और लोहिया जी ने कहा था समाजीकरण के बारे में, उस तरफ देश को ले जाकर हम इसका निदान कर सकते हैं। विनिवेश से कभी भी हमारी आर्थिक व्यवस्था का निदान नहीं हो सकता। मैं आपकी मांग का समर्थन करता हूं, लेकिन जो त्रुटियां हैं, जिसका जिक्र अभी किया गया है कि हमारे

[श्री रामजीवन सिंह]

देश में वर्क कल्चर खराब हो रहा है, उसको सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। थोड़ा सा प्रयास किया गया था। कारखानों में हड़तालें होती हैं, तालाबंदी होती है, जिसके चलते उनके उत्पादन पर असर पड़ता है और वे घाटे में चले जाते हैं। 1999 में प्रयास किया गया कि मजदूरों के वेजेज का सवाल हो, उनके रिट्रेंचमेंट का सवाल हो, चाहे प्रमोशन का सवाल हो, जब से सरकार ने दृढ़ता के साथ और तत्परता के साथ उसको सुलझाने का प्रयास किया तो सार्थक नतीजे भी निकले। जहां 1998 में 665 हड़तालें हुई, वहीं 1999 में 448 हुई। इसी तरह जहां 1998 में करीब 432 तालाबंदी हुई, वहीं 1999 में 387 हुई। इसलिए मेरा कहना है कि सरकार अपनी कमजोरी को देखे चाहे जो भी सरकार हो।

1977 के बाद इस देश में एक राजनीतिक परिवर्तन हुआ। इस देश में जितने भी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल हैं, सभी सत्ता पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं। यहां 22 दलों की सरकार सत्ता में है और जो विरोध में हैं, वे कई राज्यों में सत्ता पक्ष में हैं तथा जो यहां सत्ता पक्ष में हैं, वे कई राज्यों में विपक्ष में हैं। इसलिए सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल कहीं न कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन परिणाम यह होता है कि जो सत्तापक्ष में हैं, उनकी बोली, उनका आचरण कुछ और है और प्रतिपक्ष का कुछ और होता है, ऐसा करना एक आचरण ही बन गया है। इसीलिए नीतियों पर आधारित चर्चा न होकर हमेशा नीयत पर चर्चा हो जाती है, व्यक्ति पर हो जाती है। इसीलिए मैं बार-बार सभी राजनीतिक दलों से कहता हूं कि लोक तंत्र अब खतरे में पड़ गया है उसको देखें। अगर हम बुनियादी सवालों को हल नहीं करेंगे। तो याद रखे लोकतंत्र मिट जाएगा और मैं इस देश की जनता के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी यहां नहीं है कि यह तेरहवा लोक सभा चुनाव नीतियों पर नहीं हुआ था, व्यक्तियों पर हुआ था। अटल बनाम सोनिया और सोनिया बनाम अटल हुआ था। अटल जी प्रधान मंत्री होंगे कि श्रीमती सोनिया गांधी जी प्रधान मंत्री होंगी और तब इस देश की तमान पोलिटिकल पार्टीज दो खेमों में बंट गई थीं। अटल जी के ऊपर विश्वास किया गया और अटल जी के हाथ में आज शासन है तो मैं एनडीए सरकार से यह कहना चाहूंगा कि इस देश में कुछ बुनियादी परिवर्तन करें, कुछ बुनियादी नीतियों में सुधार करें नहीं तो दीवार पर लिखी रेखाओं को पढ़े। 1967 की विफलता ने नक्सलवाद को पैदा किया, 1977 की विफलता ने उग्रवाद को पैदा किया और अब जो विफलता होगी, उससे इस देश में उग्रवाद बढ़ेगा। जब उग्रवाद बढ़ता है तो लोक तंत्र की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। और, लोक तंत्र की जब जड़ें कमजोर हो जाएंगी तो फिर क्या हश्र होगा, यह आप सभी देख लेंगे। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नीतियों के निर्धारण में जो लकीर कांग्रेस के द्वारा बनाई गई है, उस पर अब चलने की जरूरत नहीं है। मैं उनके भी अनुरोध करूंगा कि गलत रास्ते पर जाने से लौट जाना ज्यादा अच्छा होता है। इसीलिए दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, दुनिया की विफलताओं को भी देखते हुए इस देश को एक नयी दिशा की तरफ ले चलें जिससे इस देश का नव-निर्माण हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी इस मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम सजीवन (बांदा): सभापति महोदय, विनिवेश प्रक्रिया पर हमारी पार्टी की राय है कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं लेकिन यह जो पब्लिक सैक्टर बनाये गये थे, इनका मुख्य लक्ष्य यह था कि देश को अपने पैरों पर खड़ा किया जाये, आर्थिक व्यवस्था मजबूत की जाये और देश का विकास साथ-साथ हो जाये। उस समय एक बड़ा भारी आंदोलन चला था और हम लोग तो उस आंदोलन में शामिल रहते थे, आप भी उसमें शामिल रहते थे और इधर जो बहुत से मिनिस्टर बैठे हैं, वे भी उसमें शामिल रहते थे और हम लोग यह मान लिया करते थे कि बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करो, बैंक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करो। तमाम बड़े-बड़े उद्योग कारखाने जिनमें पूंजीपतियों का लाभ होता है, पूंजीपति बढ़ते हैं, उनका रोजगार लेकर देश की जनता के हाथों में आना चाहिए और वह हुआ, उससे विकास भी हुआ लेकिन जो लागू करने की प्रणाली रही, उसके कारण पब्लिक सैक्टर बहुत बदनाम हुआ और इसीलिए धीरे-धीरे कुप्रबंधन के कारण और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भी इसमें काफी घाटा होने लगा। तब फिर नैचुरली इस देश की जनता ने उसके खिलाफ मूव बनाई। यह भी एक भावना है कि सरकार इन घाटे को पूरा करने के लिए कब तक करोड़ों-करोड़ों रुपये देती रहे और अन्य विकास कार्य रोक दिये जायें? इसलिए यह परिस्थिति आज पैदा हुई है। विनिवेश की नीति कांग्रेस के नेताओं ने चलाई, आज ये लोग चला रहे हैं। इसमें जो मुनाफे के पब्लिक सैक्टर हैं, उनका डिसइन्वेस्टमेंट हम लोग उचित नहीं समझते हैं। हालांकि हम इस नीति के पक्ष में है और जो घाटे के पब्लिक सैक्टर हैं, उनको विनिवेश किया जा सकता है जिससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े। इसी के साथ-साथ जो विनिवेश हो रहा है और उससे सबसे बड़ा खतरा यह है कि उसमें जो एससी, एसटी और पिछड़ी जातियों का, कुछ लोगों का जो आरक्षण सरकारी नौकरियों में जो पहले नहीं था, वे भी इसमें शामिल हो गये हैं।

इन तीनों वर्गों का बहुत बड़ा अहित होने जा रहा है। इस संबंध में सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। रिजर्वेशन के बारे में हर पक्ष से प्रश्न लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है...*(व्यवधान)* सरकार प्राइवेट लोगों को देने के बारे में विचार कर रही है, लेकिन हमारी पार्टी की मांग है कि इस संबंध में सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए कि प्राइवेट लोगों को देने के बाद रिजर्वेशन रहेगा या नहीं?

सभी माननीय सदस्य पूछते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जाता है...*(व्यवधान)* नीति बनाते हैं, लेकिन लागू नहीं करते हैं। इधर-उधर गोल-माल करके रफादफा कर देते हैं। हमारी मांग है कि एससी और एसटी का रिजर्वेशन देने के लिए प्राइवेट कम्पनियों को मजबूर करना चाहिए। इस संबंध में नीति बनायेंगे, तभी संभव होगा। आप आरक्षण के विरोधी है, लेकिन बोलते नहीं है। पूरा सदन चाहता है कि आप स्पष्ट नीति घोषित करें और इसी समय करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, मैं सरकार की विनिवेश नीति का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।...*(व्यवधान)*

महोदय सरकार ने 47 कम्पनियों को प्राइवेटाइज करने का निर्णय ले लिया है और प्राइवटाइजेशन में रिजर्वेशन पालिसी का विरोध करते हैं। इसके अलावा प्राइवटाइजेशन 100 परसेंट नहीं होना चाहिए, उसमें सरकार का शेयर 60 प्रतिशत होना चाहिए और प्राइवेट कम्पनियों का शेयर 40 प्रतिशत होना चाहिए। इसके साथ माननीय मंत्री जी कन्ट्रोल सरकार का होना चाहिए। अगर कन्ट्रोल प्राइवेट लोगों का होता रहेगा, तो एक दिन प्राइवेट कम्पनियां सरकार को सत्ता से हटा देंगी। ये लोग बहुत प्लानिंग वाले लोग हैं। यदि आप सत्ता में रहना चाहते हैं, तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। सरकार ने बाल्को कम्पनी 551.50 करोड़ रुपए में स्टरलाइट इन्डस्ट्री को बेच दी है। सरकार को चाहिए कि कोई भी कम्पनी 50 परसेंट शेयर से ऊपर प्राइवेट सैक्टर में नहीं बेचे। हम सरकार की प्राइवाटइजेशन नीति का विरोध करते हैं। सरकार ज्यादा कम्पनियों को प्राइवटाइज कर रही है और जितना परसेंट लेना है, उतना लेने की कोशिश कर रही है. इस बारे में मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* महोदय, हम सब लोग सोनिया गांधी जी, मुलायम सिंह जी, एक साथ मिल कर आयेंगे। आप लोगों ने देश को बेचने का प्रयास किया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आठवले जी, आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): सभापति महोदय, मैंने श्री प्रिय रंजन दासमुंशी का भाषण बहुत ध्यान से सुना है। वह वित्त सम्बन्धी स्थायी समिति के सदस्य नहीं है। मैं वित्त सम्बन्धी स्थायी समिति का सदस्य हूं। उन्होंने अपनी प्रारम्भिक टिप्पणी इस तरह की है मानो वित्त सम्बन्धी स्थायी समिति ने इस सरकार की आलोचना की है कि विनिवेश के सम्बन्ध में यह पारदर्शी नहीं है अथवा उसकी व्यापक नीति नहीं हैं।

वित्त सम्बन्धी स्थायी समिति के माननीय सभापति यहां बैठे हैं। वह सब चीज जानते हैं और मैं यह नहीं बता रहा हूं कि वित्त सम्बन्धी बैठक का क्या निष्कर्ष निकला क्योंकि यह सब कुछ गोपनीय है। वह इसे अच्छी तरह जानते हैं कि इस सरकार की इस तरह से आलोचना नहीं की गई है। इतना मैं कह सकता हूं।

दूसरे, महोदय, अनेक सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया है कि इसमें पारदर्शिता नहीं हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): सबसे पहले तो समिति में क्या-क्या बातचीत की गई उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। दूसरे, इस समिति के सदस्यों द्वारा इस पर बोलने की अपेक्षा नहीं है...*(व्यवधान)*

तीसरे, क्या वह यह कहना चाहते हैं कि रिपोर्ट में जो निष्कर्ष निकाला गया है वह सही नहीं है? मैं यह नहीं समझ पाया कि वह क्या कहना चाहते हैं।

श्री खारबेल स्वाइं: श्री प्रिय रंजन दासमुंशी ने जो कहा है में उसका विरोध कर रहा हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील: हमने रिपोर्ट में कहा है कि यहां कोई व्यापक विनिवेश नीति नहीं है।...*(व्यवधान)* मुझे सही रिकार्ड पेश करने दे। हमने कहा है कि भारत सरकार की व्यापक विनिवेश नीति नहीं है। नीति का रूप उन्हीं निर्णयों को दिया गया है। जिन्हें सरकार ने समय समय पर विभिन्न मामलों को हल करते हुए किया था। क्या यह सही है या नहीं?

श्री खारबेल स्वाइं: जी नहीं, यह सही नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री खारबेल स्वाइं, आप इस समिति के सदस्य है, आपको इस पर बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि बैठक में क्या-क्या हुआ। अन्यथा, यह बहुत गलत उदाहरण बना जाएगा।

श्री खारबेल स्वाइं: आप मुझे प्रतिक्रिया व्यक्त करने की अनुमति दे। मैं वित्त सम्बन्धी स्थायी समिति का सदस्य हूं। अब, वह कहते हैं कि यहां विनिवेश के सम्बन्ध में व्यापक नीति नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): महोदय, क्या रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत कर दी गई है अथवा नहीं?...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: श्री खारबेल स्वाइं वित्त सम्बन्धी समिति के बहुत अच्छे सदस्य हैं। हमने हमेशा उनके विचारों को महत्व दिया है। लेकिन, सबसे पहले, समिति में क्या-क्या हुआ,

[श्री शिवराज वि. पाटील]

इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। दूसरे, वे ऐसा रूख अख्तियार कर रहे हैं, जो बिल्कुल विरोधाभासी है। जब मैं यहां बैठा हूं, और यदि मैं इस पर कुछ भी नहीं कहूं तो बहुत गलत होगा...*(व्यवधान)* अब, रिपोर्टें यहां हैं। इसे कोई भी पढ़ सकता हैं...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: हम जानना चाहते हैं कि क्या रिपोर्टें सभा में प्रस्तुत की गई है अथवा नहीं?...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: माननीय सदस्य को उससे बचाना चाहिए। वहां क्या-क्या हुआ उन्हें इस पर नहीं बोलना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: खारबेल साहब, आप उस पोरशन को, स्थाई संसदीय समिति में चेयरमैन साहब की अध्यक्षता में जो बातें हुई हैं उनकी आप सदन में चर्चा न करें।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, प्रियरंजन दासमुंशी जी ने रेफर किया, इसलिए मैं बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: पार्लियामेंट के माननीय सदस्य होने के नाते आप अपनी कोई बात कह सकते हैं, लेकिन उसके कहने का एक तरीका होता है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य की हैसियत से इस बात को न कह कर आप अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक: यदि इसे सभा में प्रस्तुत किया है तो कोई भी इस पर बोल सकता है।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, मेरे कहने का आशय यह है...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): अगर रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट हो चुकी है तो उसे कोई भी रेफर कर सकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): महोदय, जो भी श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने कहा है, वह प्रस्तुत की गई अन्तिम रिपोर्ट का एक भाग है। उन्होंने ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं किया जो समिति में उठी हो और रिपोर्ट का भाग न हो। इसमें भेद है। इसमें स्पष्ट अन्तर है।

श्री खारबेल स्वाइं: यही मैं कह रहा हूं। मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं। उन्होंने जो कहा है मैं केवल उसका विरोध कर रहा हूं।

अगली बात पारदर्शिता के संबंध में है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय प्रियरंजन दासमुंशी जी जो बोले हैं, केवल उसके प्रतिवाद में आप बोलिए। आप कमेटी में जो कुछ हुआ उसको कोट मत कीजिए।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं: जो श्री प्रियरंजन दासमुंशी से कहा है मैं उसका विरोध कर रहा हूं।

दूसरी बात जो अनेक माननीय सदस्यों ने उठाई है वह पारदर्शिता के बारे में है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार की नीति पारदर्शी नहीं है। विनिवेश विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में एक 'फ्लोचार्ट' दिया गया है। मंत्रालय को विनिवेश आयोग की सिफारिशें भी मिल गई हैं। अन्ततः विनिवेश प्रक्रिया का रिकार्ड नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जाता है। यदि यह पारदर्शिता नहीं है तो फिर पारदर्शिता क्या है? सरकार बहुत पारदर्शी है। इसने वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है; इसमें अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को दर्शाने वाला 'फ्लोचार्ट' भी दिया है। सरकार ने विनिवेश के उन सभी कार्यकलापों में पूर्ण रूप से इस प्रक्रिया को अपनाया है जिन्हें पहले ही इस सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया है।

यह पूछा जा रहा हूं कि हम सरकारी क्षेत्र में मुनाफा कमाने वाले उपक्रमों का विनिवेश क्यों कर रहे हैं। लेकिन सरकारी क्षेत्र का मुनाफा कमाने वाला उद्यम कौन सा है? एक समय था जब मारूति उद्योग लिमिटेड सरकारी क्षेत्र का मुनाफा कमाने वाला उपक्रम था, आज यह मुनाफा कमाने वाला उपक्रम नहीं है। *...(व्यवधान)* हम हमेशा यह कह सकते हैं कि प्रबंधन अच्छा नहीं है। प्रबंधन कभी भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि सरकार कभी

भी एक अच्छा ''ऑट्रॅप्रॅनेर'' नहीं होगी। किसी अनुभाग अधिकारी की एक टेलीफोन कॉल ही सरकारी क्षेत्र की किसी भी कम्पनी के प्रबंध निदेशक को हिलाकर रख देगी। यह कभी सम्भव नहीं होगा; सरकार कभी भी एक अच्छा ''ऑट्रॅप्रॅनेर'' नहीं बन सकेगी। यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या विनिवेश निजीकरण है। यदि विनिवेश निजीकरण नहीं है तो यह क्या है? यह निजीकरण है। विनिवेश का अर्थ निजीकरण है।

हमने 2,79,000 करोड़ रुपए का विनिवेश किया है और हमें प्रतिवर्ष केवल 3.8 प्रतिशत ही लाभ मिल रहा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप अपने सुझाव दीजिए, मिनिस्टर साहब अपनी रिप्लाई देंगे।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं: श्री रामजीलाल सुमन कर रहे थे कि उनके गांव में कोई सड़कें और बिजली नहीं है। यदि हम 19 लाख नौकरियों को बचाने के लिए सरकारी क्षेत्र में उस धनराशि का निवेश करते हैं तो हमें धनराशि कहां से मिलेगी? शेष भारत का क्या होगा? भारत केवल 19 लाख लोगों का ही नही है भारत एक बिलियन से भी ज्यादा भारतीयों का हैं। अत: सामाजिक क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए धनराशि को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से वापिस ले लेना चाहिए। यह धनराशि गैर सरकारी क्षेत्र को दी जानी चाहिए यदि गैर सरकारी क्षेत्र घाटा उठाते हैं तो इस घाटे को उनके खाते में डाला जाए। यह घाटा इस देश के लोगों पर बोझ नहीं होना चाहिए। अत: माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध यह है कि उन्हें शीघ्र निजीकरण करना चाहिए और सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को गैर सरकारी क्षेत्र में परिवर्तित करना चाहिये।

श्री अरुण शौरी: महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का अत्यधिक आभारी हूं कि इस समिति ने दो विभागों में से इस छोटे विभाग का चयन किया है। जिसकी अनुदान मांगों पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए। मैं विशेषरूप से इस बात के लिए आभारी हूं कि प्रियरंजन दासमुंशी जैसे सशक्त और वाक्पटु वक्ता से लेकर अनेक सदस्यों ने इस सम्पूर्ण वाद विवाद में बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मैं सभा से अपने मंत्रालय की अनुदान मांगों का अनुरोध करता हूं।

पिछले एक वर्ष और चार महीनों में विनिवेश के संबंध में संसद में यह आठवीं वाद विवाद है। इस अवधि में दोनों सभाओं में विनिवेश के बारे में 415 प्रश्नों से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई दूसरा विभाग है जिसमें इतनी ज्यादा रूचि ली गई है और जिसके लिए किसी विभाग ने ऐसे सीधे ढंग से उत्तर दिए हैं। इस विभाग में मेरे सहयोगियों और मैंने व्यक्तिगत प्रयास किए हैं कि जब भी कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछता है अथवा मेरे पास कोई पत्र आता है तो हम ऐसे प्रश्नों और पत्रों के उत्तर में परम्परागत रूप से दी जाने वाली जानकारी से भी अधिक जानकारी देते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं एक मिनट लूंगा। मैं प्रतिवेदन का एक वाक्य पढ़ूंगा। इसमें कहा गया है:

''समिति इस तथ्य को गम्भीरता से लेती है कि विनिवेश के संबंध में सरकार द्वारा आज तक कोई व्यापक नीति नहीं बनाई गई है।''

यह प्रतिवेदन का पहला वाक्य है।

श्री अरुण शौरी: मैं उस पर भी आऊंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपको नोट ऑफ डिस्सैंट का अधिकार है। यह कमेटी का एक पार्ट है।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं: ''आज की तिथि तक'' शब्द सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया और संयुक्त मोर्चे की सरकार ने भी कुछ नहीं किया।

सभापति महोदय: आप विमति टिप्पण दे सकते हैं।

श्री अरुण शौरी: हमने आम तौर पर जितना दिया जाता है उससे कहीं अधिक देने का भरसक प्रयास किया है। श्री शिवराज पाटील जैसे दूसरे माननीय सदस्य जो हमारे उत्तरों को सुनते रहे हैं, इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। मैं नीति के मुद्दे पर कुछ देर बाद बात करूंगा। मैं उनके विश्लेषण से भी असहमत हूं लेकिन उस पर भी बाद में चर्चा करूंगा।

माननीय सदस्यों के हितों को देखते हुए दो जगहों से लगातार मांग किए जाने के कारण मैं यह बात कह रहा हूं। इससे दूसरी ओर बैठे मित्रों को भी तसल्ली मिल सकेगी। कई मुख्य मंत्रियों ने हमसे व्यक्तिगत तौर पर अनुरोध किया है कि हम अपने यहां अपनाई जा रही प्रक्रिया का खुलासा करें क्योंकि उनके विचार में इससे उन्हें सहायता मिलेगी। मेरे पुराने मित्र श्री मणि शंकर अय्यर सहित बहुत से मित्र पहले ही दिन से इन मामलों पर श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं। मैं इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहता कि इस श्वेत पत्र में किन बातों को शामिल किया जाए।

[श्री अरुण शौरी]

पंजाब पर श्वेत पत्र जारी किया जा चुका है, ब्लू स्टार पर श्वते पत्र पर जारी किया जा चुका है और, अयोध्या पर श्वेत पत्र जारी किया जा चुका है। मैं नहीं समझता कि हममें से कितने लोगों को उन श्वेत पत्रों की याद होगी। श्वेत पत्र ऐसे मौकों पर जारी किए जाते हैं। मैंने मुख्य मंत्रियों और दूसरे लोगों के अनुरोधों के आधार पर सरकार द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया और सिद्धांत विवरण दिया है कि कैसे सलाहकारों का चुनाव किया गया, किस तरह निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, किस प्रकार के विज्ञापन दिए जाते हैं और उन्हें कब विदेशी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है और कब घरेलू समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, आदि। इन प्रश्नों से सम्बंधित ब्यौरा ''विनिवेश : नीति और प्रक्रिया'' नाम के एक प्रकाशन में दिया गया है। इसकी प्रतियां संसद के ग्रंथालय में रखी गई हैं। मैंने इसकी प्रतियां लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति के पास भेजी हैं। इस सम्बन्ध में विनिवेश विभाग जो भी कदम उठा रहा है और जिन सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है, उनका पूरा लेखा-जोखा प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने इस प्रकाशन को घटना संबंधी प्रकाशन बताया है; उनका कहना है यह दस्तावेज घटनाओं और घोषणाओं का कालक्रमिक वर्णनमात्र है। ऐसी बात नहीं है। इसका उद्देश्य यह बताना नहीं है कि चूंकि आपने किसी काम को किया था, इसलिए हम भी वैसा कर रहे हैं। जैसाकि बहुत से सदस्यगण कह चुके हैं, यह हमारी मंशा नहीं है। हमारा आशय यह बताना है कि यह नीति समय के साथ-साथ लगातार विकसित हुई है।

सायं 6.00 बजे

मेरी मान्यता है कि ऐसे प्रस्तावों संबंधित काम काज में सभी सरकारें अनुभव, वास्तविक अनुभव से सीखती हैं। हम राज्य सरकारों से सीखते हैं। इसीलिए पारदर्शिता बनाए रखने और सीखने के उद्देश्य से हमने कार्यशालाओं का आयोजन किया है। हाल ही में हमने हैदराबाद में तीन दिन की एक कार्यशाला आयोजित की और सभी राज्य सरकारों ने इसमें अपने-अपने अधिकारी भेजे ताकि हम अनुभवों के परस्पर आदान-प्रदान से सीख सकें। मध्य प्रदेस सरकार ने इस कार्यशाला में सचिव स्तर के छह अधिकारियों को भेजा था। इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए कर्नाटक, से भी लोग आए। हमारी त्रासदी यह है कि सत्ता में रहते हुए हम जिस काम को करते हैं, सभी पार्टियां विपक्ष में आते ही उसी बात का विरोध करने लगती हैं।

मूल्यांकन के बारे में बहुत से सवाल उठाए गए हैं। एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य ने मूल्यांकन के बारे में अखबारों की रिपोर्टों का उल्लेख किया। जब श्री दीपांकर मुखर्जी जैसे माननीय सदस्यों ने यहां और दूसरे सदन में ये सवाल उठाए तो हमने एस.बी.आई. कैप्स, जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों की एक प्रमुख वित्तीय संस्था है, के साथ एक कार्यशाला आयोजित की। मैंने कई सदस्यों को इस कार्यशाला में आमंत्रित किया और उन्होंने मूल्यांकन के तकनीकी विषय में दिलचस्पी दिखाई। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां 5,000 करोड़ रुपए के बारे में बड़े-बड़े भाषण दिए गए वहीं दूसरी ओर एक भी संसद सदस्य ने इस कार्यशाला में भाग लेने का कष्ट नहीं उठाया जहां हम लोग विशेषज्ञों से जानकारी लेने के लिए एकत्र हुए थे। लेकिन, यहां मैं उस मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूं।

हमने राज्यों में चल रही विनिवेश संबंधी गतिविधियों के बारे में राज्य सरकारों और लोक उद्यम संस्थान से प्राप्त सूचना के आधार पर एक पत्रिका तैयार की थी। आज, तीन माननीय सदस्यों ने कहा कि विनिवेश आयोग का गठन तो किया गया था लेकिन हमने उसे काम नहीं करने दिया। ऐसी बात नहीं है। वास्तविकता यह है कि विनिवेश आयोग ने बहुत सी रिपोर्टें प्रस्तुत कीं जिनमें 58 उपक्रमों में विनिवेश की सिफारिशें की गई थीं। संयोग से हालांकि मैं इस बात को अधिक जोर देकर नहीं कहना चाहता हूं, इनमें से करीब चालीस उपक्रम लाभ कमाने वाले उपक्रम थे। इन सभी उपक्रमों को लाभ कमाने वाले उपक्रमों के रूप में विनिवेश के प्रयोजन के लिए विनिवेश आयोग को निर्दिष्ट किया गया था। इसके अलावा, उन्होंने बहुत सी रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं और आयोग के सदस्यों की पदावधियां समाप्त हो चुकी थीं। ऐसी स्थिति में हमने इसे अपना दायित्व समझा कि प्राप्त हो चुकी आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। हम विधि आयोग जैसे आयोगों और उनकी रिपोर्टों और सिफारिशों के मामले में उत्पन्न हुई स्थिति जैसी हालत से बचना चाहते थे, इन आयोगों की रिपोर्टों और सिफारिशों का ढेर लगता जाता है...*(व्यवधान)*। अब जबकि हम विनिवेश आयोग की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में काफी प्रगति कर चुके हैं, महोदय, मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने स्वयं इस मुद्दे पर वित्त मंत्री जी, जो यहां उपस्थित हैं, प्रधान मंत्री जी और दूसरे लोगों के साथ चर्चा की है। हम ऐसे स्वतंत्र लोगों के नामों की सूची को अन्तिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें विनिवेश आयोग का सदस्य नियुक्त किया जाएगा। मुझे आशा है कि आप इस बात से संतुष्ट होंगे कि हम बाजार, उद्यम और प्रबंधन के क्षेत्रों के श्रेष्ठ विशेषज्ञों को इसमें शामिल करेंगे। केवल उन्हीं लोगों को आयोग का सदस्य बनाया जाएगा...*(व्यवधान)*

मैं उठाए गए प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम सभी दो बातों को ध्यान में रखें। कृपया उस संदर्भ को ध्यान में रखें, अर्थव्यवस्था

की हालत को ध्यान में रखें और अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र की स्थिति को भी ध्यान में रखें। हम सरकारी क्षेत्र की भूमिका को कम नहीं करना चाहते हैं। सरकारी क्षेत्र की भूमिका बहुत अहम है लेकिन समय के साथ यह भूमिका बदलती है। पंडित जी के समय में इसकी कोई भूमिका नहीं थी।

[हिन्दी]

जैसे अभी कहा जा रहा था,

[अनुवाद]

उस समय देश की औद्योगिक प्रगति के लिए एक आधार तैयार करना होता था। एक उछाल देने वाला आधार तैयार करना होता था। यदि बाद में यह आधार मील का पत्थर साबित हो जाए और सामाजिक क्षेत्र या ऐसे क्षेत्रों में विनेश की मांग बढ़ रही हो जिनमें हम पिछड़े हुए हैं, तो सरकार की भूमिका में बदलाव आवश्यक हो जाता है।

मैं दो आंकड़ों का उल्लेख करना चाहूंगा। पेट्रोलियम के क्षेत्र को छोड़कर जहां एकाधिकार है, दूसरे क्षेत्रों में आय की दर ऋणात्मक चार प्रतिशत है जबकि सरकार 11 से 12 प्रतिशत की दर से ऋण ले रही है, सदस्यगण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लगातार बढ़ते घाटे और मामूली लाभों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। मैं सिर्फ एक आंकड़े का उल्लेख करूंगा जिसकी ओर वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में ध्यान आकृष्ट किया था। यदि हम सिर्फ पिछले ऋणों पर चुकाए गए ब्याज को लें, जिसमें मूल धन राशि की चुकौती शामिल नहीं है, तो भारत सरकार की करों से कुल आय का 70 प्रतिशत तक हड़प कर लिया जाता है। यदि आप पिछले ऋण के ब्याज और चुकौती को लें, तो यह राशि भारत सरकार को कर से कुल आय की राशि से अधिक है। इस समय हमारी स्थिति यह है।

अभी-अभी श्री किरीट सोमैया ने कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया। वे पश्चिम बंगाल और कुछ दूसरे राज्यों के आंकड़ों का उल्लेख कर रहे थे। मैं एक ऐसे आंकड़े का उल्लेख करूंगा जिसे, मैं आशा करता हूं, जिसे हमारा प्रत्येक प्रतिष्ठित सहयोगी याद रखेगा। चूंकि मैं योजना आयोग में हूं, इसलिए मुझे इससे रोजाना वास्ता पड़ता है। नौवीं योजना के दौरान राज्य सरकारों के लिए कुल परिव्यय 3,50,000 करोड़ रुपए रखा जाना था। इस परिव्यय के लिए राज्यों को केवल 3,800 करोड़ का अंशदान देना था, जो कि उनके संसाधनों का सिर्फ एक प्रतिशत था। योजना के चार वर्ष बीत चुके हैं। पहले चार वर्षों में उनका अंशदान 3,800 करोड़ होने के बजाए ऋणात्मक 114,000 करोड़ रहा है। यह बेहद गंभीर आर्थिक स्थिति है। इस सदन में सभी पक्षों, और निश्चित तौर पर दूसरी ओर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा शुरू किए गए सुधारों को अपेक्षित तात्कालिकता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति महोदय, सरकार विनिवेश की नीति में पारदर्शिता की नीति को अपनाने को तैयार नहीं है। हमारे पूर्वजों के द्वारा तैयार किए गए करोड़ों-अरबों रुपए के सार्वजनिक उपक्रमों को कौड़ियों के मोल बेचकर देश को खोखला कर रही है। इसलिए इस नीति के विरोध में हम और हमारी समाजवादी पार्टी सदन से बहिर्गमन कर रही है।

सायं 6.09 बजे

(तत्पश्चात् कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी: पहली बात श्री पी.आर. दासमुंसी और कई अन्य सदस्यों द्वारा कही-गई है हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री शिवराज पाटील ने उस वाक्य के स्थायी समिति की रिपोर्ट से पढ़ा था, मैं विनयपूर्वक कहता हूं कि मैं इस बात से समहत नहीं हूं। सवाल यह है कि आप किसी नीति के अर्थ की कैसे परिभाषित करते हैं। इसी सभा में ही उत्तरोत्तर बजट वक्तव्यों में वित्त मंत्री द्वारा नीति ने परिभाषित किया है। उन्होंने विनिवेश किए जाने वाले उद्यमों की श्रेणियों तथा विनिवेश किस सीमा तक किया जायेगा। खुलासा किया है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि क्या ऐतियाती कदम उठाये जायेंगे।

इक्विटी का अनुपात क्या होगा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि विनिवेश किए जाने से पहले क्या पूर्व शर्तें सुनिश्चित की जाएगी। उदाहरण के लिए सरकार का कार्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी क्षेत्र के बन्द हो जाने से निजी क्षेत्र का एकाधिपत्य कायम न हो। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकारी क्षेत्र के बंद होने से पहले उन क्षेत्रों में जहां विनियामक प्राधिकरण जरूरी है, वहां विनियामक प्राधिकरण रखे जाएंगे। उन्होंने वे उद्देश्य भी बताए हैं जिनके लिए अर्जित आय का उपयोग किया जाएगा। ये सभी बातें बार-बार कहीं गई हैं। हालांकि मैं यह नहीं समझता कि इस तरह की व्यापक टिप्पणी के कारण क्या है।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)* जब आप समाप्त कर लेंगे तो मैं भी एक-दो प्रश्न रखूंगा जिनकी व्याख्या आप सही तरीके से कर सकते हैं।

श्री अरुण शौरी: महोदय, मैंने हमारी नीति के संबंध में निरंतर कई मौकों पर विस्तार से बताया है और शायद यह इस सभा में चौथा या पांचवां मौका है। हमने उन प्रक्रिया का खुलासा किया है जो कतिपय ससंदीय प्रश्नों के जवाब में अपनाई जाती है। 'फ्लोचार्ट' को भी जिसका हवाला दिया जा रहा है, संसदीय प्रश्नों के जवाब में बताया गया है। हमने यह भी बता दिया कि यदि कार्य सम्पादित हो जाएगा तो फिर क्या किया जायेगा।

अब मैं संसदीय पर्यवेक्षण पर आऊंगा। निश्चित रूपसे यह संसद की मदद करना है। जैसाकि मैंने पिछली बार कहा था कि हमने जो कदम उठाया है, वह एक भी राज्य सरकार ने या पिछली सरकार ने नहीं उठाया है, अर्थात् कार्य पूरा होते ही सभी कागजात नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भेज दिए जायेंगे और भेज दिए गए हैं ताकि वह सिधे रिपोर्ट संसद तथा जनता को भेज सके। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि वे सामान्य प्रक्रिया से अलग हट गए हैं ताकि इसे तेजी से किया जा सके।

मॉडर्न फूड्स के मामले में, हर समय बेकार की बाते होती रहती हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पूरी कर ली है। हमने उन्हें अपेक्षित तथा और अधिक मदद अथवा टिप्पणियां पहले ही भेज दी है। इसी प्रकार बालको के मामले में कार्य संपादित होने के शायद एक सप्ताह से भी कम समय के भीतर-भीतर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सभी संबंधित कागजात भेज दिए गए थे और उनके अधिकारीगण इन में से प्रत्येक कागज की पहले से जांच-पड़ताल कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा वे इस रिपोर्ट को सीधे आप को प्रस्तुत करेंगे।

महोदय, प्रत्येक निर्णय विनिवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया जा रहा है। यह किसी व्यक्ति विशेष का विशेषाधिकार नहीं है। इस समिति का अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है और वरिष्ठ मंत्रीगण इसके सदस्य होते हैं, विशेष कर वे मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं जिन पर विपक्ष के अनेक लोगों की समय-समय परी यह आशंका रही है कि वे विनिवेश की प्रक्रिया पर अंकुश लगाएंगे।

[हिन्दी]

कभी शरद यादव जी का नाम लेते हैं, कभी मनोहर जोशी जी का नाम लेते हैं, कभी राम नाईक का नाम लेते हैं, सब उसके मेम्बर हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): आज से बंद कर देंगे और नाम नहीं लेंगे।

श्री अरुण शौरी: प्रियरंजन दासमुंशी जी भी अब सीख रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: नाम लेकर हम आप की मदद करना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं तो नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी: विनिवेश मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की प्रत्येक बैठक में प्रशासनिक मंत्रालय जो उस उद्यम विशेष पर नियंत्रण रखता है और राज्य पर्यवेक्षण करता है का प्रतिनिधित्व रहता है। पूरे मामले पर कार्यवाही कई महीनों तक अंतर मंत्रिमडलीय संमूह द्वारा जिसमें विधि, कम्पनी कार्य, उद्योग आदि जैसै सात या आठ मंत्रियों का प्रतिनिधित्व होता है, की जाती है। किसी भी निर्णय की घोषणा उसके लिए जाने के शीघ्र बाद ही कर दी जाती है।

जो बात हमेशा से कही जाती रही है वह यह कि कोई व्यापक नीति अथवा कोई एक समान नीति नहीं है। महोदय, यह एक गंभीर बात है। जैसाकि डा. रमैया अपने बड़े तजुर्बे तथा विवेक से हमें बता रहे थे कि एक उद्यम से दुसरे उद्यम में अलग-अलग निर्णय लेने पड़ते हैं। मैं आपको इसका कारण बताऊंगा। उदाहरण के लिए वीएसएनएल पूर्णत: एक अलग कोटि का उद्यम है। इसका मुख्य काम एमटीएनएल से भिन्न यह था कि उसे गेटवे का एकाधिकार दिया गया था जबकि एमटीएनएल का मुख्य कार्य सेवा मुहैया कराना रहा है। अब सरकार ने घोषणा की है कि इस एकाधिकार को 1 अप्रैल, 2002 तक खत्म कर दिया जाएगा। जो अभी कुछेक महीनों दूर है।

इसलिए उस तरह के उद्यम के लिए निर्णय बिलकुल अलग तरह का होगा।

[हिन्दी]

अभी हमारे मैम्बर कह रहे थे कि आप उनको एट्रैग्थन क्यों नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

आपके विनिवेश करने से पहले। इससे यही पता चलता है कि जो निर्णय लिए गए हैं उनका हमने अध्ययन नहीं किया है। वीएसएनएल के मामले में

[हिन्दी]

आप कहते थे कि लालफीताशाही को बन्द करो।

[अनुवाद]

मंत्रिमंडल द्वारा किया गया निर्णय यह था कि वीएसएनएल को यह बताया जाये कि अपने एकाधिकार खत्म करने से पहले कृपया आप अपनी नकद धनराशि को नए व्यवसाय में लगाएं और फिर आप को सरकार या मंत्रिमंडल के पास आकर यह कहने की जरूरत नहीं होगी कि आप कौन-सा व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कौन सी ऐसी सरकार है जिसने अपने सरकारी क्षेत्र के उद्यम को इस तरह की स्वायतत्ता दी है।

दूसरी बात यह कि सरकार ने कहा था कि कृपया निदेशक मंडल को मजबूत करें ताकि यह इतना मजबूत हो जाये कि यह उद्यम और सरकार के बीच एक अग्निरोधक भित्ति की तरह काम करें। इनफोसिस के श्री नारायण मूर्ति इस बोर्ड के सदस्य है। के श्री भार्गव भी इस बोर्ड के सदस्य हैं। इन जाने-माने लोगों को इसलिए लाया गया है कि इस उद्यम में गतिशीलता आ जाए। इसे कोई महत्वपूर्ण भागीदार मिल जाए उससे पहले भी इसे नए व्यवसाय में जाने की अनुमति दे दी गई है। दूरसंचार मंत्री यहां मौजूद है। उनके अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया है कि कोई विनिवेश किए जाने से पहले ही उन्हें संयुक्त उद्यम लगाने की अनुमति अवश्य दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, हमारा पाइंट आफ आर्डर है।

सभापति महोदय: ठीक है, किस नियम के तहत है?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: नियम 208 के अन्तर्गत। कार्यसूची के आइटम संख्या 17 में गिलोटीन का समय सांयकाल 6.00 बजे का दिया गया है। जो टाइम दिया गया है, उसी पर गिलोटीन लगना चाहिए और वोटिंग होनी चाहिए। चूंकि आपने हाउस की अनुमति नहीं ली है। इसलिए कृपया हाउस की अनुमति लेने की कृपा करें। मेरा यही पाइंट आफ आर्डर है।

सभापति महोदय: रघुवंश प्रसाद सिंह जी, ऐसा है, माननीय मंत्री जी का जवाब चल रहा है। जैसे ही जवाब समाप्त होगा, सदन की अनुमति ली जाएगी और गिलोटीन लगाया जाएगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, नियम में दिया गया है और समय अध्यक्ष महोदय ने सायंकाल 6.00 बजे का निर्धारित किया है। इसे अनिवार्यत: फौलो किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: ठीक है, नियमों से सभी बंधे हुए हैं, हम भी बंधे हुए हैं और आप भी।

क्या सदन की सहमति है कि मंत्री महोदय के जवाब होने तक गिलोटीन का टाइन बढ़ा जिया जाए?

कुछ माननीय सदस्य: हां, समय बढ़ा दिया जाए।

सभापति महोदय: सदन की अनुमति से गिलोटीन का समय मंत्री महोदय के जवाब समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

रघुवंश बाबू, आपने होल हाउस की सैंस देख ली है। होल हाउस की सैंस ले ली है। अब आप कृपया बैठ जाइए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब तक मंत्री का जवाब चल रहा है तब तक गिलोटीन का समय बढ़ा दिया जाता है, वह अन्तर्निहित है।

श्री रामदास आठवले: सदन की समय बढ़ाइए।

सभापति महोदय: आठवले जी, आप बैठिए। यह बात आपकी समझ के बाहर की है।

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी: ठीक इसी तरह से जैसे हर मामले का अलग निर्णय होता है, तो दूरसंचार क्षेत्र में भी अलग-अलग मामलों में अलग-अलग निर्णयों का लिया जाना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए, एम.टी.एन.एल. के लिए लिया जाना वाला निर्णय वी.एस.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. के निर्णयों से अलग होगा। इसी प्रकार के अन्य सरकारी उद्यम भी हैं। यह जानकर कुछ सदस्यों को आश्चर्य होगा कि मारूति उद्योग लिमिटेड एक सरकारी उद्यम नहीं है क्योंकि सरकार के शेयरों में पहले ही कमी कर दी गयी थी। यह कमी अभी नहीं बल्कि वर्ष 1992 में 49.74 प्रतिशत कर दी गयी थी। इसलिए यह एक सरकारी उद्यम नहीं है। अत: आप मारूति उद्योग लिमिटेड के मामले में जो भी निर्णय करेंगे वह पूरी तरह से अलग होगा और आप जो भी रास्ता अपनायेंगे वह भी अलग होगा। जब आप शत-प्रतिशत के स्वामी हैं तो आपको किसी के साथ बातचीत करने की आवश्यकता नहीं।

लेकिन मारूति के मामले में आप 1992 के समझौते के द्वारा बाध्य हैं और इस समझौते को मानने के अतिरिक्त आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो सुजुकी की लिखित मंजूरी है। तो आप विभिन्न उद्यमों के लिए किस प्रकार से कठोर नियम और प्रक्रिया रख सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं? महोदय, यह एक स्पष्ट नीति है। यथा संभव विस्तृत परामर्श करने के पश्चात् प्रत्येक उद्यम के सन्दर्भ में इसे कार्यान्वित किया जाता है। सभी निर्णय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा लिये जा रहे हैं। समय के साथ-साथ इस नीति में भी परिवर्तन हो जाएगा। मैं आपको इसका एक उदाहरण दूंगा।

[श्री अरुण शौरी]

श्री दासमुंशी विनिवेश और निजीकरण के अन्तर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कह रहे थे। इसमें छिपाने के लिए कुछ नहीं है। जिस कार्यशाला का मैंने उल्लेख किया उसमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया था और मैं आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के उस भाषण को सभी सदस्यों के पास भेजूंगा जिसमें उन्होंने इस भिन्नता को अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। ''विनिवेश'' शब्द का प्रयोग होना इसलिए आरंभ हुआ क्योंकि आरंभिक स्थितियों में जब इस नीति को शुरू किया गया था तो सरकार की इक्विटी का 5 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत अथवा इसी तरह की कम मात्रा में बिक्री की जा रही थी। इसमें केई परिवर्तन नहीं हुआ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं इस तरह के जवाबों से तंग आ गया हूं...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: हम इस प्रकार के व्यवधानों से ऊब चुके हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी के अलावा किसी और की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी: इसी कारण इस ''विनिवेश'' शब्द का चयन किया गया। श्री देव गौड़ा सरकार ने यह महसूस किया और स्वयं विनिवेश आयोग ने कहा कि इस प्रकार के विनिवेश से काम नहीं चलेगा। अगर आप किसी उद्यम के केवल 5 अथवा 10 प्रतिशत शेयरों की इधर-उधर बिक्री करें तो इससे उसका चरित्र, कार्य, संस्कृति और प्रबंधन संस्कृति नहीं बदलेगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण साझेदारों की तलाश करो। और इसी उद्देश्य के लिए इस शब्द का प्रयोग होना आरंभ हुआ। नीति की विषयसूची में सही परिवर्तन किया गया। देश और सरकार अपने अनुभव से सीख रहे हैं। अत: महोदय, वस्तुत: प्रश्न यह है कि नीति स्पष्ट होनी चाहिए। और जैसी कि यह नीति है, इस पर समय-समय पर चर्चा की जानी चाहिए। व्यक्तिगत सौदे जिस प्रकार के भी हैं पूरी तरह से पारदर्शी होने चाहिए.

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपने अभी कहा कि माननीय वित्त मंत्री ने नीति संबंधी अपने वक्तव्य में यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया था कि विनिवेश का अर्थ निजी एकाधिकरण ही नहीं है। उन्हें उद्धृत करते हुए आपने यह कहा। और अब आप अपने दस्तावेजों और कथन में यह औचित्य प्रकट कर रहे हैं कि विषय-वस्तु में फेरबदल किया जा रहा है। महत्वपूर्ण साझेदार का अर्थ है महत्वपूर्ण साझेदारी का स्वामित्व। यह बात बाल्को के मामले में सिद्ध हो गयी है और पेट्रोलियम क्षेत्र में भी यह पुन: सिद्ध हो जाएगी। अत: आप जो कहते हैं और आपने वित्त मंत्री के भाषण से जिसे नीतिगत वक्तव्य का उद्धरण किया उसमें काफी विरोधाभास है।

श्री अरुण शौरी: वित्त मंत्री जी मुझसे कहते हैं कि मैं आपको यह बताऊं कि आप ''एकाधिकार'' शब्द का अर्थ नहीं जानते। लेकिन इसके अलावा, यह एक निजी बातचीत है। मैं इस पर नहीं बोलना चाहता...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: कृपया केन्द्रीय बजट के गत तीन वर्षों के आंकड़ों पर दृष्टि डालें। मैंने यह मुद्दा पिछली बार भी उठाया था किन्तु उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। अब समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि गत वर्ष के बजट के सभी आंकड़े गलत हैं और इसीलिए इस वर्ष उन्होंने गत दो वर्षों के वास्तविक और संशोधित आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। आप यहां बजट का उल्लेख नहीं कर सकते। अत: आप उन पर निर्भर न हों। जहां तक केन्द्रीय बजट का संबंध है ये सभी आंकड़े मनगढंत हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी, हमने किसी भी माननीय सदस्य को बोलने की परमीशन नहीं दी है इसलिए आप बोलिये। मंत्री जी के अलावा किसी और की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। यह उचित नहीं है। यहां क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: इसी प्रकार सीखने की प्रक्रिया चलती रही है। कम बिक्री के जरिये विनिवेश करने के पश्चात् पांचवी रिपोर्ट में उस अनुभव की समीक्षा करते हुए विनिवेश आयोग ने इस प्रकार कहा था: ''आप केवल कम बिक्री के लिए पीछे मत जाइये। महत्वपूर्ण साझेदार को भी खोजते मत रहिये। विनिवेश आयोग ने कहा था और उसे मैं उद्धृत कर रहा हूं:

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

''महत्वपूर्ण खरीदार को यह आश्वस्त कराने के उद्देश्य से कि सरकार अन्ततः सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से पीछे हट जायेगी, यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण खरीददार के साथ किये जाने वाले समझौते में सरकार की भागीदारी को और कम करने के लिए समय सीमा सहित पूर्ण विवरण का उल्लेख होना चाहिए। तथापि, महत्वपूर्ण खरीददार को शुरू में इसमें लाते वक्त भी सरकार को, जैसा कि पहले सिफारिश की गयी है, प्रबंधन नियन्त्रण उसके हाथों में सौंप देना चाहिए। समझौते में उद्यम के लिए मध्यम-अवधि और लंबी अवधि की रणनीति का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में सरकार की सतत मौजूदगी जिसमें कि उसकी शेयर भागीदारी महत्वपूर्ण खरीददार से भी अधिक हो और चाहे वह परिवर्तनशील प्रबंध के रूप में ही हो, संभावित बोली लगाने वालों को हतोत्साहित करेगी।''

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह ''महत्वपूर्ण खरीददार की शेयर धारिता से भी अधिक'' है। कृपया इस बात को नोट करें।

श्री अरुण शौरी: जी हां, यह महत्वपूर्ण खरीददार की शेयरधारिता से भी अधिक है। यदि आप इसको बढ़ायेंगे तो वे आगे नहीं आयेंगे। कृपया इस बात को समझने का प्रयास करें। मैं आगे उद्धृत करता हूं:

''इसलिए आयोग यह सिफारिश करता है कि सरकार संस्थाओं आदि अपनी इक्विटी के कुछ हिस्से को हटाकर अपनी प्रत्यक्ष शेयर धारिता को महत्वपूर्ण साझेदार को दिये जाने वाले निवेश के स्तर से नीचे रख सकती है।''

इस संपूर्ण प्रक्रिया की निन्दा नहीं की जानी चाहिए। इस प्रक्रिया से प्रत्येक व्यक्ति सीख रहा था। पारदर्शिता के इस प्रश्न पर, महोदय, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि लिया गया प्रत्येक निर्णय हर स्तर पर प्रचारित किया जाता है- परामर्शदाताओं के चयन से लेकर रूचि रखने वाले को आमंत्रित करने तथा तकनीकी बोली, वित्तीय बोली, बोली खोलने से लेकर परिणामों की घोषणा तक। यह पूर्णतः जनता के समक्ष किया जा रहा है। प्रत्येक परिणाम की हर स्तर पर जनता के सामने घोषणा की जा रही है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें पारदर्शिता का क्या प्रश्न है। मैं आपको यह बताऊंगा कि कुछ लोगों का पारदर्शिता से क्या तात्पर्य है। वे पूछते हैं, ''आप हमें बोली लगाने वालों के नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? आप हमें आरक्षित मूल्य क्यों नहीं बता रहे हैं? आप हमें बोली लगाने वालों की संख्या क्यों नहीं बता रहे हैं।'' मैं वास्तव में ऐसा बोलना नहीं चाहता। लेकिन मुझे मालूम है कि इन ब्यौरों को जानने की विभिन्न प्रतियोगियों की कितनी रूचि है। आप अन्तर-मंत्रालयी समूह द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य को बता रहे हैं जो कि गोपनीय है और तत्काल खरीददार केवल दो रुपये ज्यादा देगा और कहेगा: ''बोली मेरे पक्ष में है।'' मेरे मित्रों, क्या आप चाहते हैं कि बोली लगाने वालों से अधिक-से-अधिक धनराशि प्राप्त करने का सरकार की सामर्थ्य इस तरह से खतरे में पड़ जाए? इसी प्रकार से, बोली लगाने वालों की संख्या के बारे में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बोली लगाने वालों को यह पता नहीं चलना चाहिये कि उनकी प्रतिस्पर्धा कितने व्यक्तियों के बीच है। अगर उन्हें यह पता चल जाए कि उन्हें केवल एक प्रतियोगी के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करना है तो वे आपस में साठ-गांठ कर सकते हैं। यही वह कारण हैं जिनकी वजह से हम नाम बताना नहीं चाहते। निगम के प्रतियोगी नाम बता देते हैं। मेरी इसी सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य से यह बिनती है, विशेष रूप से समाचार पत्रों पर निर्भर रहने वाले सदस्यों से कि जब मैं यह कोई रिपोर्ट दूं तो वे मुझ पर विश्वास करें। चूकि मैं यहां पर कुछ ही महीनों से हूं, इस मामले में मैं यह देखता हूं कि हर चौथे या पांचवे दिन किसी चल रहे सौदे के बारे में किसी कार्पोरेट प्रतियोगी द्वारा समाचार पत्रों में प्रायोजित खबर छपी होती है।

सायं 6.29 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

हमारे कई माननीय सदस्य, हमारे कई साथी इससे भ्रम में पड़ जाते है। लेकिन हमें इस तरह की बातों से सावधान रहना होगा। उदाहरण के तौर पर, इसी तरह की बातें आई.पी.सी.एल. के मामले में कही जा रही हैं। इतने विज्ञ सदस्य इस तरह से कह रहे थे कि: ''वास्तव में, आपने बड़ौदा संयंत्र के घाटों को तो राष्ट्र के हिस्से में सौपा है लेकिन अन्य दो इकाइयों के लाभ को निजी क्षेत्र में दे दिया है।''

वास्तविकता इसके विपरीत है। आई.पी.सी.एल. की तीन इकाइयां हैं। इन तीनों इकाइयों के संबंध में सरकार ने पहले यह निर्णय लिया था कि तीनों इकाइयों की एक ही साथ नीलामी कर दी जायेगी, और हुआ यह कि आखिर में केवल एक ही गंभीर बोलीकर्त्ता बचा रहा। मैं आपको बताऊंगा कि उस निर्णय को क्यों बदला गया। आई.ओ.सी. के अध्यक्ष की पहल पर मैं विनिवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष दोबारा गया और उनसे उसके पूर्वनिर्णय को संशोधित करने का अनुरोध किया। आपको बताता हूं कि क्यों? उन्होंने मुझसे कहा कि महोदय, बड़ौदा संयंत्र आई.ओ.सी. की भूमि पर है। यह संयंत्र, बड़ौदा स्थित आई.ओ.सी. की परिशोधनशाला के उत्पाद का इस्तेमाल करने के लिए स्थापित किया गया था। उन्होंने यह कहा कि यदि आप इसे मेरे प्रतिद्वंदी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अरुण शौरी]

को दे देते हैं- मैं आपको उसका नाम बता देता हूं, वह थी 'रिलायंस'- तो यह आई.ओ.सी. के लिए बड़ी समस्या हो जायेगी। जब मैं इस विभाग में गया। तो मुझे बताया गया कि 'रिलायंस' तो इन तीनों संयंत्रों को निगलने के लिए तैयार बैठी है। वे वह तो इसकी प्रतीक्षा ही कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने मुझे इस आशय के पत्र लिखे हैं कि आई.पी.सी.एल. के शेयरों के बेचे जाने में घपला हुआ है और कीमतों को कृत्रिम रूप से नीचे ले आया गया है, ताकि कोई कम कीमत पर ही इस कम्पनी को हड़प ले। आई.ओ.सी. के अध्यक्ष श्री पठान ने मुझे सारी बात बताई और कहा कि संयंत्र की यह स्थिति है और इसी कारण से वर्षों पहले इसे स्थापित किया गया था। उन्होंने पूछा कि यदि यह संयंत्र मेरे प्रतिद्वंदी के कब्जे में चला जाता है, तो मैं परिशोधनशाला से निकलने वाले नैप्था को कहां खपाऊंगा? मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव की तार्किकता पर विचार किया और कहा कि ठीक है, बड़ौदा संयंत्र आई.ओ.सी. को दे दिया जाये और शेष दोनों संयंत्रों की नीलामी कर दी जाये। इस पर समाचार पत्रों ने खबरें छापीं कि इन दोनों संयंत्रों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी क्यों की जा रही है; उस समाचार में आरोप लगाया गया है कि देश को विदेशियों के हाथों बेचा जा रहा है। यदि हम यह न करें, तो फिर परिणाम क्या होगा?

भारत में एक या दो ही ऐसी कंपनियां हैं, जिनके पास अच्छी-खासी रकम है। यदि हम बोली को केवल घरेलू कम्पनियों तक ही सीमित रखें, तो फिर अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी ही नहीं। यही एक या दो धनी कम्पनियां, जिस कीमत पर चाहें उसी पर, इन संयंत्रों को खरीद लेंगी। फिर आप सरकार पर यह आरोप लगायेंगे कि इन संयंत्रों को इन्हीं एक या दो कम्पनियों को देने के लिए सारी काट-छांट की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप और कितना समय लेंगे?

श्री अरुण शौरी: मैं इसी बात को कहकर समाप्त करूंगा।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: ये चाहते हैं कि हम अखबार भी न पढ़ें...*(व्यवधान)*

चाहते हैं कि हम 'रामायण' और 'गीता' पढ़ें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हम आयना भी पढ़ते हैं, पांचजन्य भी पढ़ते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवादन]

अध्यक्ष महोदय: इस तरह का व्यवधान अच्छा नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: ये अखबार पढ़ने की आलोचना कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या ये सही कह रहे हैं कि जब ये स्वयं पत्रकार थे, तो जो सब खबरें छपीं, वे गलत थीं?

श्री अरुण शौरी: तीन सदस्यों ने पुन: यही बात कही कि हम इस तरह के हरेक सौदे के लिए अनुमोदन लेने संसद के समक्ष क्यों नहीं आते आर जब सौदा प्रक्रिया चलती है, तो संसद की समितियों को उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? श्री मुंशी ने यह कहा, अन्य सदस्यों ने भी यही कहा। मैं सभा को थोड़ा इतिहास की बात बताऊंगा कि और समझाऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं किया जाता। कृपया सुनिए। मैं यह नहीं कह रहा कि चूंकि कांग्रेस ने ऐसा किया, अत: हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक विधिसम्मत बात है, एक तार्किकता है कि हम इन सभी बातों के लिए संसद के समक्ष क्यों नहीं आते। मैं यह विधिविहित बात आपको बताता हूं।

आप देखें कि 1992 से 1997 तक क्या किया गया। बात यह नहीं है कि जब कांग्रेस सरकार ने इस तरह का कदम उठाया, तो आप इससे पीछे विधिसम्मता देखने लगते हैं। 18,000 करोड़ रुपये के सरकारी शेयर बेचे गये। क्या इस विक्रय की संस्वीकृति लेने कोई संसद के समक्ष आया? नहीं। इसी तरह, आपको 'मारूति' का उदाहरण देता हूं। 'मारूति' को 1981 में निगमित किया गया था। सौ-फीसदी शेयर सरकार के पास थे। 1982 में इनमें से छब्बीस प्रतिशत को 'सुजुकी' को बेच दिया गया। क्या कोई संसद के समक्ष आया? फिर, 'सुजुकी' का शेयर 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। क्या कोई संसद के समक्ष आया? 1992 में, 'सुजुकी' को 50 प्रतिशत शेयर दे दिये गये।

सरकार के पास केवल 49.74 प्रतिशत हिस्सा ही बचा और 'मारूति' एक गैर-सरकारी कम्पनी बन गई। क्या उस समय कोई भी संसद के समक्ष आया?- नहीं। मैं समझाऊंगा कि यह क्यों सही था। इसी तरह, 1995 में, जब हमारे एक बहुत प्रतिभाशाली अधिवक्ता प्रभारी मंत्री थे- श्री एन.के.पी. साल्वे-तो ''विकर्स बैवकॉक लिमिटेड', जिसकी पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में बॉयलर व सीमेण्ट बनाने वाली एक इकाई थी, को ए.बी.बी. को बेच दिया गया। क्या तब कोई संसद के समक्ष आया? नहीं। ये तब संसद के समक्ष क्यों नहीं आये? क्योंकि, इस मामले में विधिक स्थिति स्पष्ट है।

दो स्थितियां हैं, जिनके अन्तर्गत आप संसद के समक्ष आते हैं। पहली यह, कि यदि उद्यम को संसद के एक अधिनियम के तहत गठित किया गया हो और उस अधिनियम में यह उपबंध हो कि आपको संसद के समक्ष उत्तर देना होगा। दूसरी यह कि, यदि

अधिनियम में शेयरधारिता की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रावधान हो, तब भी आपका संसद के समक्ष आना होगा।

महोदय, 'एअर इंडिया' के विशिष्ट प्रकरण में एक प्रश्न उठाया गया था। 1953 के 'एअर इंडिया' अधिनियम का निरसन कर दिया गया और इन इकाइयों को बहुत पहले ही निगमों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। जब उन्हें विधि के अन्तर्गत निगम बना दिया गया, तो उनका अधिशासन इसी संसद द्वारा पारित कम्पनी अधिनियम के अनुसार किया जाता है। तब, शेयरों का अंतरण और उनका विक्रय कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, न कि संसद की अनुमति लेकर।

एक अच्छा मामला 'इस्को' से संबंधित है। 'इस्को' को संसद द्वारा एक अधिनियम बनाकर राष्ट्रीयकृत किया गया था, लेकिन जब 'इस्को' के विनिवेश की रूपरेखा बनी, तो वह दूसरी तरह से बनी; क्योंकि उस अधिनियम का निरसन किया जा चुका था और 'इस्को' 'सेल' की एक सहायक-कम्पनी बन चुकी थी। अब उसे कम्पनी अधिनियम के अधीन अधिशासित किया जाता है। अतएव, शेयरों के अंतरण के संबंध में सरकारी कंपनियों के लिए कोई कानून नहीं है। इसी कारण, हरेक सौदे के लिए आपका संसद के समक्ष अनुमति लेने नहीं आना होता।

महोदय, अब मैं श्रम के बारे में दो-तीन विशिष्ट बिंदुओं पर आता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने 'स्टरलाइट' के विषय में प्रश्न उठाया। कृपया उसके बारे में स्थिति स्पष्ट कीजिए।

श्री अरुण शौरी: यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं जरूर इसे लूंगा। कृपया धैर्य रखें, अध्यक्ष महोदय मुझसे शीघ्रता करने के लिए कह रहे है। यदि मैं उत्तर न दूं, तो आप कहेंगे कि "आपने उत्तर नहीं दिया।" जब मैं उत्तर दे रहा हूं, तो आप कह रहे हैं कि मैं बहुत समय ले रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे ने कहा कि मैं चार महीने से कह रहा हूं एच.ओ.सी.एल. के बारे में और क्यों नहीं विनिवेश विभाग कहता कि पेट्रोलियम डिपार्टमेंट उसको हैंडल करेगा। मैं अभी कह देता हूं। पैट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई, आपकी चिट्ठियों के बाद बुलाई, मनोहर जोशी जी खुद आए थे। अगर आप सारी चीजें जानना चाहते हैं, कहते हैं कि बी.पी.सी.एल. लेना चाहती है तो क्यों नहीं दे रहे।

[अनुवाद]

मैं बताता हूं कि उस बैठक में बी.पी.सी.एल. के प्राधिकारियों की तरफ से क्या क्या कहा गया वे इसके लिए मुझे बुरा-भला कहेंगे, लेकिन मैं कह देता हूं। उन्होंने कहा- "हम इसे नहीं चाहते।"

[हिन्दी]

पता नहीं कैसी मनगढ़ंत चीजें आ जाती हैं। जब मैं कहता हूं, क्षमा करें, आप कहेंगे कि आफिशियल मीटिंग की प्रोसीडिंग डिसक्लोज की जा रही हैं।

[अनुवाद]

मैं आज अपनी भविष्यवाणी बता रहा हूं। यदि आप एच.ओ.सी.एल. में विनिवेश जैसे विषयों पर विलम्ब करेंगे, तो अगले वर्ष मार्च तक, एच.ओ.सी.एल., बी.आई.एफ.आर. के सुपुर्द किया गया एक प्रकरण बन चुका होगा. मैं आपको बताता हूं, कैसे।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): आपके पास यह गलत जानकारी है। कुप्रबंधन की वजह से इस कम्पनी को घाटा हो रहा है और आप नौकरशाहों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। 1998 तक, यह कम्पनी लाभांश बांट रही थी और प्रबंधन के गलत निर्णयों के कारण, यह घाटे में चली गई। लेकिन, इससे आप कामगारों की दशा बिगाड़ रहे हैं।

श्री अरुण शौरी: नहीं; मैं कामगारों के हित के बारे में बात करने ही जा रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं; कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री अरुण शौरी: मैं सिर्फ तीन अन्य मुद्दों पर चर्चा करूंगा और उसके बाद अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं, श्री परांजपे ने मामला उठाया कि हम कामगारों के हितों को अनदेखा कर उन्हें सजा दे रहे हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अरुण शौरी]

इसी तरह का मुद्दा बाल्को के संबंध में भी उठाया गया था कि कामगारों के हितों को दांव पर लगाया गया है। क्या आपके लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मार्च के शुरुआत से अभी तक कारखानें बंद पड़े हैं। आज तक कामगारों ने अपनी सेवा-शर्तों के बारे में कोई भी मांग नहीं उठायी है? आज तक कोई मांग नहीं की गई।

ऐसा क्यों है? इस पर विचार करना एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उन्हें श्री परांजपे की बात का उत्तर देना चाहिए।

श्री अरुण शौरी: यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि वे इन मांगों को उठा रहे हैं श्री पटवा यहां मौजूद हैं। श्री जोगी ने एक पत्र लिखा था और उन्होंने रात्रि में 11.30 बजे टेलीफोन पर बात भी की थी। श्री जोगी ने उन्हें अनुरोध किया कि ''कृपया कुछ करें और कोई रास्ता निकालें।'' सभी सातों मजदूर संघों के नेताओं ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किया है और इसे श्री पटवा को भेजा है। इसमें कहा गया है कि ''कृपया कुछ करें।'' उन्होंने कहा कि ''ठीक है, आइए''। यह बहुत ही रोचक है। श्री पटवा ने उनसे पूछा कि ''क्या आपके पास अपनी कार्य स्थितियों, अपनी सुरक्षा, अपने भत्ते और अपनी कार्य-अवधि के बारे में कोई मांग नहीं है।'' कुछ भी नहीं! उन्होंने विनिवेश पर एक भाषण दे डाला।

यह बहुत ही दिलचस्प बात है। वर्ष 1999 में इन मजदूर संघों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में बाल्को के विनिवेश को चुनौती दी ही थी आप देखिए इन सभी की प्रार्थना विनिवेश प्रस्ताव के विरुद्ध थी। न्यायालय ने उनसे पूछा है। कृपया न्यायालय के आदेश देंखे। मैं आपको इसे पढ़कर सुना सकता हूं। न्यायालय ने आदेश में कहा है कि उन्होंने इस मांग पर बिल्कुल दबाव नहीं डाला। और कोई मांग नहीं थी। मात्र एक मांग, विनिवेश प्रस्ताव के बारे में थी। और उन्होंने इसके लिए भी दबाव नहीं डाला। जब वे पुन: वह श्री पटवा के पास गये तो उनके पास कामगारों की कार्य-अवधि के बारे में एक भी मांग नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, पिछली बार हमने बाल्को के संबंध में एक बहुत ही अच्छी चर्चा हुई थी। आपने उस समय भी बहुत ही अच्छा जबाव दिया था। आप प्रश्न के इस भाग को छोड़ सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री अरुण शौरी: मैं अब अपनी बात समाप्त करूंगा, महोदय...*(व्यवधान)* मॉडर्न फुड्स और अन्य के बारे में आरोप लगाए गए थे। यदि आप उस पर विस्तार से नहीं चाहते कि मैं उसके विस्तार में जाऊं तो मैं इसे छोड़ सकता हूं और अपने आपको सिर्फ उसी विषय तक सीमित करूंगा जिसको लेकर श्री दासमुंसी बहुत उद्वेलित है। और वह है स्टरलाइट वीडीयोकॉन, बी.पी.एल. और चार फर्मों के एक सलाहकार के संबंध में 'सेबी' के आदेश सरकार की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण आदेश है। इसी कारण जैसे ही हमें 'सेबी' द्वारा दिये गये आदेश का पता चला मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने स्टाफ के साथ बैठकर इस पर विचार विमर्श किया। हमने इस आदेश से उत्पन्न सभी कानूनी पहलुओं को तैयार किया और हमने उसे कानून मंत्रालय और विशेषकर उनके सलाह के लिए विभाग को भेजा।

मैं आपको बता दूं कि उसी मामले पर उन्होंने आज दोपहर पहले बैठक की थी। यद्यपि इसे लिखित रूप से कानून मंत्री से उनके विचार जानने बाकी हैं। मुझे बताया गया है कि ये तीन मुद्दे सामने आये हैं। पहले यह कि उस आदेश का भूतलक्षी प्रभाव नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: विधि विभाग द्वारा एक विचार व्यक्त किया गया था। महासॉलीसीटर के कार्यालय ने कहा था। जिस समय आपने निपटान किया उस समय यह शक के घेरे में थी। अब 'सेबी' ने स्टरलाइट से जवाब तलब किया है। और आप कह रहे हैं कि आदेश का कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं है।...*(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है यह पारदर्शी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: इनके उत्तर को पूरा होने दे।

श्री अरुण शौरी: आप दो बातों को मिला रहे हैं। महासॉलीसीटर के विचार, जिसे आपने पहले के चर्चा में भी उल्लेख किया था। उसका अभी के सौदे से कोई लेना देना नहीं है जिस पर सेबी अपने निष्कर्षों पर पहुंची है। यह दूरसंचार विभाग के एक ठेका को लेकर था। निविदाएं आंमंत्रित की गई थी। यदि आप विस्तृत ब्यौरा चाहते हैं तो कृपया मुझे दो मिनट दें। मैं यह आपको दे दूंगा।

मैंने व्यक्तिगत रूप से इस मामले पेर महान्यायवादी के साथ बातचीत कि है। मैं इन मामलों में गलती नहीं करना चाहता हूं।

एक निविदा आमंत्रित की गई है। अनेक लोगों ने बोली लगाई। स्टरलाइट ने भी बोली लगाई। स्टरलाइट ने बहुत कम मूल्य पर बोली लगाई। निविदा बंद होने के आधा घटा पहले स्टरलाइट ने कहा कि ''नहीं, हमारे लोगों ने जो बोली लगाई है वह गलत है इसे इस मूल्य से ज्यादा होना चाहिए।'' शायद उन्हें अन्य लोगों द्वारा लगाई गई बोली का पता चल गया। वे हमसे इस संबंध में ठीक-ठीक किस तथाकथित पारदर्शिता के बारे में जानना चाहते हैं। फिर दूरसंचार विभाग ने सही निर्णय लेते हुए कहा कि ''नहीं हम आपके द्वारा दिये गये कम मूल्य को ही स्वीकारेंगे तब स्टरलाइट

ने विवाद खड़ा कर दिया। दूरसंचार विभाग ने उन्हें दिये गये क्रयादेश को वापस ले लिया और इसे अन्य बोलीदाताओं को दे दिया। स्टरलाइट ने फिर विवाद खड़ा किया। दूरंसाचर विभाग महासॉलीसीटर के पास गए और महासॉलीसीटर ने कहा कि ''हां, आप-सही है और स्टरलाइट गलत है आपको इस कम मूल्य पर कायम रहना चाहिए''

मैंने राज्य सभा में कहा है कि यदि इस प्रकार की स्थिति पैदा होती तो तब स्टरलाइट को अब यह कहना चाहिए था कि ''ओह हमने 551 करोड़ रुपये की बोली लगाई जबकि दूसरे व्यक्ति ने 275 करोड़ रुपये की बोली लगाई। शायद यह टंकण की गलती है मेरी बोली 351 करोड़ रुपये की थी। 551 करोड़ की नहीं मुझे महासॉलीसीटर की इस राय पर भरोसा है और मैं अधिक बोली वाले मूल्य पर कायम रहूंगा।

अब 'सेबी' के निष्कर्षों के मामलों में यह बिल्कुल अलग तरह का मामला है। हमने इसे गम्भीरतापूर्वक लिया है। इसी कारणवश इस पर राय तीन भागों में है। यदि मुझे आज एक मिनट का समय दिया जाता है तो मैं इसे सभा को सौंप दूंगा। एक तो उस सौदे के बारे में है जो किया गया।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं माननीय मंत्री से सरकार का पक्ष लेने को कहूंगा न कि स्टरलाइट का। वे स्टरलाइट का पक्ष क्यों ले रहे हैं? उन्हें स्टरलाइट को दंडित करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

श्री अरुण शौरी: महोदय, यदि श्री दासमुंशी कोई प्रश्न पूछते है और यदि मैं इसका जवाब नहीं देता तो बहुत मुश्किल होगा तब वह कहेंगे कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। यदि मैं कोई उत्तर देता हूं तो वे कहते हैं कि मैं उनका बचाव कर रहा हूं। मैं सिर्फ सरकार के निर्णय से संबंधित हूं।

जहां तक सरकार के निर्णय का संबंध है इस क्रयादेश का कोई भूतपक्षी प्रभाव नहीं है। दूसरी बात 'सेबी' के अध्यक्ष ने कहा है कि ''वे दो वर्षों, तीन वर्षों और चार वर्षों के लिए पूंजी बाजार का इस्तेमाल नहीं कर सकते।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: फिर बाल्को का क्या भविष्य रहा है? यदि उन्हें पूंजी बाजार में जाने की अनुमति नहीं है तो वे वहां किस लिए है। माननीय मंत्री जी को मुझे यह बताना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आपको श्री दासमुंशी के सवालों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे पहले ही चर्चा में भाग ले चुके हैं। आपने उन मुद्दें पर बोल सकते हैं जिन पर बोला नहीं गया आप उस पर बोल सकते है।

श्री अरुण शौरी: महोदय, यह दिलचस्प बात है कि हमारे मित्र ने 'सेबी' के अध्यक्ष ने स्वयं इस मामले पर क्या कहा है। उसे नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा है कि उनके प्रतिबंध सिर्फ अब ऐसे ही फर्मों पर लागू होते हैं न कि उन फर्मों पर जिसके वे साझेदार है न कि उनकी अनुषंगी कंपनियों पर बाल्को पूंजी बाजार में जा सकती हैं। स्टरलाइट को बाजार में जाने की अनुमति दी भी जा सकती है अथवा नही भी। महोदय, ऐसी किसी चीज का अध्ययन नहीं किया जाता है और मात्र एक अच्छा भाषण तैयार दे दिया गया है। अत: मैं आपको अपने विभाग के सहायता अनुदान को अनुमोदित करने हेतु प्रशंसा करने को कहूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: महोदय, उन्होंने आरक्षण के संबंध में प्रश्न का जवाब नहीं दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री के जवाब के अथवा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)**

श्री अरुण शौरी: महोदय, हमारी एक स्पष्ट नीति है और यह पारदर्शी नीति है? कृपया इन मांगों को स्वीकृति दें।

श्री रामदास आठवले: महोदय, हम निजी क्षेत्र में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठिए। मैंने श्री शिवराज वालिया को पुकारा है

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पाटील के अनुरोध के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायें।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं निविदाओं अथवा इकाईयों अथवा व्यक्तियों अथवा किसी विशिष्ट मामले के बारे में प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। मैं सरकार से नीति संबंधी एक बहुत महत्वपूर्ण मामले के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूं। हमने कहा है कि सरकार के पास कोई व्यापक विनिवेश नीति नहीं है और माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में ही नहीं आज भी कहा कि सरकार के पास एक व्यापक नीति है। उन्होंने कहा है कि मामले प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से सभा में प्रस्तुत किए जा चुके हैं और जब बजट प्रस्तुत किया गया था तब मामले सभा के सामने आये थे। क्या यही तरीका है जिसमें प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

से और बजट में एक या दो वाक्यों अथवा चार या पांच वाक्यों के द्वारा व्यापक नीति बनायी जाती है? क्या हम इसे एक व्यापक नीति कह सकते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस देश के लोगों के कठिन परिश्रम, खून और पैसे से बनाया गया था। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें स्थापित किया था। अब हम उनका विनिवेश कर रहे हैं। हमने कहा है कि हम विनिवेश पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं। जो हम कह रहे हैं वह यह है। क्या उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जो गैर-सरकारी क्षेत्र से राष्ट्रीयकृत किए गए हैं, लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जो कि लाभ अर्जित नहीं कर रहे हैं, उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जो कि सामरिक क्षेत्र में हैं, और उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जो कि लाभ अर्जित करने के लिए नहीं बल्कि लोगों को सुविधाएं प्रदान करने और इस देश के विकास में लोगों की मदद करने के लिए सृजित किए गए थे, के संबंध में सरकार की कोई सुस्पष्ट नीति है? यह नीति क्या है?

इस सभा में बहुत से सदस्यों द्वारा उठाये गए मुद्दों में से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जो गैर-सरकारी क्षेत्र को हस्तांतरित किए जाएंगे, के कामगारों के हितों की रक्षा कैसे करें। हम जानना चाहते हैं कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों की रक्षा की जा रही है अथवा नहीं। जब तक सरकार के पास एक सुस्पष्ट नीति नहीं होगी सरकार की कार्रवाई पारदर्शी नहीं हो सकती।...*(व्यवधान)* इस तरह नहीं...*(व्यवधान)* महोदय, हम जो सरकार से पूछ रहे हैं वह यह हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः वे पूछ रहे हैं कि क्या सरकार की कोई सुस्पष्ट नीति है अथवा नहीं?

श्री शिवराज वि. पाटीलः महोदय, एक मिनट के अंदर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

सरकार को पारदर्शी होना होगा और सरकार केवल लोगों को समझ आने वाली, उन लोगों, जो कि बोली लगाने या ऐसा ही कोई कार्य करने जा रहे हैं को समझ आने वाली सुस्पष्ट-सुबोध नीति बनाकर ही पारदर्शी हो सकती है। हम निविदाएं सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम सरकार से आशा करते हैं कि वह इसका उत्तर दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री जी क्या आप उत्तर देंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया व्यवस्था बनाएं रखें।

...(व्यवधान)

श्री अरुण शौरीः महोदय, मैं इनमें से प्रत्येक प्रश्न पर आता हैं। आज मैंने श्रम के संबंध में प्रश्न की विस्तृत व्याख्या की होती परन्तु समयाभाव के कारण और सभी के इस भाव को ध्यान में रखते हुए मुझे कि रूकना चाहिए। मैं अपने भाषण को सीमित रख लूंगा।

केवल इन शब्दों का प्रयोग करके कि यह व्यापक नहीं और ऐसी ही बातें करके कोई बात नहीं बनती। ये केवल शब्द हैं। हमारी नीति एक विस्तृत नीति है।

आपने तीन मापदंडों का उल्लेख किया है कि क्या प्रारम्भ में सरकार द्वारा स्थापित किए गए एककों तथा राष्ट्रीयकृत किए गए एककों में कोई अंतर है। हमारी राय में इनमें कोई अंतर नहीं है। वे आज सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां हैं। क्या हमें उनका विनिवेश और निजीकरण करना चाहिए अथवा नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए हम एक समान रूप से विचार कर रहे हैं। दूसरे, आपने कहा है कि क्या मापदण्ड लाभ अर्जित करना और घाटा उठाना है अथवा नहीं। जैसा कि मैंने बताया है, महोदय...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटीलः आप इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं कि क्या आपके पास व्यापक नीति है अथवा नहीं...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरीः मेरा उत्तर है कि हां है और हमारी एक नीति है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आपके पास एक व्यापक नीति है?

श्री अरुण शौरीः हां, महोदय।

...(व्यवधान)

सायं 6.55 बजे

(इस समय प्रो. ए.के. प्रेमाजम और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

(इस समय श्री बीर सिंह महतो सभा-भवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदयः अब मैं विनिवेश विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगे सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

''कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में विनिवेश विभाग से संबंधित मांग संख्या 20 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, क्योंकि विनिवेश के बारे में सरकार का उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: मैं सभा से बर्हिगमन कर रहा हूं।

सायं 6.56 बजे

(इस समय श्री प्रवीण राष्ट्रपाल सभा-भवन से बाहर चले गए)

सायं 6.57 बजे

(तत्पश्चात् श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री हरीभाऊ शंकर महाले, श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

सायं $6.57^{1}/_{2}$ बजे

[अनुवाद]

सभा के मतदान के लिए बकाया मांगों को प्रस्तुत किया जाना

अध्यक्ष महोदय: अब, मैं मंत्रालयों विभागों सचिवालय से संबंधित अनुदान की बकाया मांगों को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

''कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों सचिवालयों से संबंधित निम्नलिखित मांग संख्याओं के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें:-

(1) कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 4;

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 5 और 6;

(3) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 7;

(4) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 8;

(5) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9 और 10;

(6) संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 11 और 12;

(7) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 13 से 19;

(8) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 21;

(9) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 22;

(10) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23 से 25, 27, 28, 30 से 35;

(11) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 36 और 37;

(12) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 38 से 40;

(13) गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 41, 45 और 96 से 100;

(14) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46 से 48;

(15) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 49 और 50;

(16) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 51;

(17) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 52;

(18) श्रम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 53;

(19) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य से संबंधित मांग संख्या 54, 55 और 57;

(20) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 58;

(21) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 59;

(22) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60;

(23) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61;

(24) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62;

(25) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 63;

(26) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 64;

(27) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68 और 70;

(28) लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71;

(29) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72;

(30) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73;

(31) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74;

(32) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 75;

(33) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 76;

(34) पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 77 और 78;

(35) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 79;

(36) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 80 से 83;

(37) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 84;

(38) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 85;

(39) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 86;

(40) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 87 और 88;

(41) महासागर विकास विभाग से संबंधित मांग संख्या 89;

सायं 7.00 बजे

(42) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 90;

(43) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 92;

(44) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 93;

(45) उप-राष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 95.

लोक सभा की स्वीकृति के लिए वर्ष 2001-2002 के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सचिवालयों से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	दिनांक 20 मार्च, 2001 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदानों की मांगों की राशि		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि मंत्रालय					
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	291,28,00,000	20,53,00,000	1457,92,00,000	102,63,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	231,51,00,000	—	1157,54,00,000	—
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	74,76,00,000	3,67,00,000	373,82,00,000	18,37,00,000

1	2	3		4	
4.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग	9,85,00,000	38,00,000	49,27,00,000	1,92,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय					
5.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	9,93,00,000	8,62,00,000	49,64,00,000	43,07,00,000
6.	उर्वरक विभाग	2453,20,00,000	63,58,00,000	12265,99,00,000	317,92,00,000
नागर विमानन मंत्रालय					
7.	नागर विमानन मंक्षालय	121,81,00,000	9,77,00,000	97,56,00,000	48,83,00,000
कोयला मंत्रालय					
8.	कोयला मंत्रालय	73,24,00,000	65,01,,00,000	366,19,00,000	325,06,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय					
9.	वाणिज्य विभाग	202,79,00,000	16,77,00,000	1110,93,00,000	83,85,00,000
10.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	49,86,00,000	—	249,32,00,000	—
संचार मंत्रालय					
11.	डाक विभाग	881,60,00,000	17,90,00,000	4408,01,00,000	89,47,00,000
12.	दूरसंचार विभाग	404,09,00,000	33,00,000	2020,46,00,000	1,67,,00,000
रक्षा मंत्रालय					
13.	रक्षा मंत्रालय	676,71,00,000	6,41,00,000	3383,52,00,000	32,02,00,000
14.	रक्षा पेंशन	1794,88,00,000	—	8974,38,00,000	—
15.	रक्षा सेवा-थल सेना	5294,08,00,000	—	26470,39,00,000	—
16.	रक्षा सेवा-नौसेना	721,68,00,000	—	3608,42,00,000	—
17.	रक्षा सेवा-वायु सेना	1320,32,00,000	—	6601,62,00,000	—
18.	रक्षा आयुध निर्माणियां	79,62,00,000	—	—	—
19.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	—	3324,42,00,000	—	16622,07,00,000

1	2	3		4	
पर्यावरण और वन मंत्रालय					
21.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	141,97,00,000	9,87,00,000	709,83,00,000	49,33,00,000
विदेश मंत्रालय					
22.	विदेश मंत्रालय	422,54,00,000	57,94,00,000	2113,16,00,000	289,72,00,000
वित्त मंत्रालय					
23.	आर्थिक कार्य विभाग	282,81,00,000	19,03,00,000	1414,06,00,000	95,13,00,000
24.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	152,36,00,000	134,55,00,000	761,80,00,000	672,75,00,000
25.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	293,63,00,00	27,06,00,000	1468,13,00,000	135,29,00,000
27.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	3091,81,00,000	—	15459,05,,00,000	—
28.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	—	133,33,00,000	—	666,67,00,000
30.	व्यय विभाग	3,97,00,000	834,09,00,000	19,85,00,000	4170,46,00,000
31.	पेंशन	718,04,,00,000	—	3590,22,00,000	—
32.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	150,80,00,000	3,50,00,000	753,98,00,000	17,50,00,000
33.	राजस्व विभाग	217,90,00,000	1,32,00,000	198,42,00,000	6,62,00,000
34.	प्रत्यक्ष कर	177,89,00,000	20,00,,00,000	889,45,00,000	100,00,,00,000
35.	अप्रत्यक्ष कर	237,39,00,000	47,52,00,000	1186,97,00,000	237,58,00,000
उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय					
36.	उपभोक्ता मामले विभाग	8,11,,00,000	40,,00,000	40,54,00,000	2,00,00,000
37.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	2332,22,00,000	42,93,00,000	11628,44,00,000	214,66,00,000

1	2	3		4	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय					
38.	स्वास्थ्य विभाग	393,95,00,000	63,90,00,000	1969,77,00,000	319,50,00,000
39.	भारतीय चिकित्सा प्रणालियां एवं होम्योपैथी विभाग	26,43,,00,000	1,17,00,000	132,13,00,000	5,83,00,000
40.	परिवार कल्याण विभाग	797,89,00,000	29,16,00,000	3989,44,00,000	145,79,00,000
गृह मंत्रालय					
41.	गृह मंत्रालय	117,47,00,000	4,69,00,000	587,32,00,000	23,46,00,000
42.	मंत्रिमंडल	27,64,00,000	1,56,00,000	138,22,00,000	7,81,00,000
43.	पुलिस	1431,79,00,000	133,09,00,000	7158,96,00,000	665,44,00,000
44.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	104,06,00,000	38,66,00,000	520,28,00,000	193,27,00,000
45.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	82,58,00,000	58,75,00,000	412,92,00,000	293,75,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
46.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	905,12,00,000	—	3103,58,00,000	—
47.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	736,58,00,000	1,,00,000	3678,13,00,000	1,00,000
48.	महिला और बाल विकास विभाग	505,22,00,000	7,00,000	1199,38,00,000	33,00,000
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय					
49.	लोक उद्यम विभाग	181,00,000	—	9,05,00,000	—
50.	भारी उद्योग विभाग	86,07,00,000	385,71,00,000	80,39,00,000	106,68,00,000
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय					
51.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	215,04,00,000	30,30,00,000	1075,21,00,000	151,51,00,000

1	2	3		4	
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
52.	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	53,65,00,000	8,43,00,000	294,95,00,000	97,17,00,000
श्रम मंत्रालय					
53.	श्रम मंत्रालय	186,39,00,000	4,00,000	939,21,00,000	6,25,00,000
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय					
54.	विधि और न्याय	71,69,00,000	80,00,000	358,45,00,000	4,00,00,000
55.	निर्वाचन आयोग	1,79,00,000	—	8,94,00,000	—
57.	कम्पनी कार्य विभाग	7,54,00,000	17,00,000	37,71,00,000	83,00,000
खान मंत्रालय					
58.	खान विभाग	153,58,00,000	25,19,00,000	266,15,00,000	125,94,00,000
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय					
59.	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	70,02,00,000	27,91,00,000	350,10,00,000	139,54,00,000
संसदीय कार्य मंत्रालय					
60.	संसदीय कार्य मंत्रालय	77,00,000	—	3,87,00,000	—
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय					
61.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	35,50,00,000	40,00,000	177,48,00,000	2,01,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय					
62.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1,20,00,000	—	6,01,00,000	—

1	2	3		4	
	योजना मंत्रालय				
63.	योजना मंत्रालय	15,25,00,000	2,50,00,000	76,27,00,000	12,50,00,000
	विद्युत मंत्रालय				
64.	विद्युत मंत्रालय	256,00,00,000	460,88,00,000	1280,01,00,000	2304,41,00,000
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
68.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	131,31,00,000	6,96,00,000	656,57,00,000	34,77,00,000
69.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	159,66,00,000	92,00,000	798,31,00,000	4,58,00,000
70.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	31,06,00,000	—	155,28,00,000	—
	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामोद्योग विभाग				
71.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामोद्योग मंत्रालय	152,87,00,000	3,86,00,000	764,34,00,000	19,27,00,000
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
72.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	650,00,00,000	11,10,00,000	1167,07,00,000	5549,00,000
	इस्पात मंत्रालय				
73.	इस्पात मंत्रालय	12,07,00,000	2,67,00,000	60,34,00,000	13,33,00,000
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय				
74.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	948,11,00,000	897,22,00,000	4740,56,00,000	4486,12,00,000
	नौवहन मंत्रालय				
75.	नौवहन मंत्रालय	104,65,00,000	53,86,00,000	523,23,00,000	269,29,00,000

1	2	3		4	
कपड़ा मंत्रालय					
76.	कपड़ा मंत्रालय	134,06,00,000	84,49,00,000	670,29,00,000	422,46,00,000
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय					
77.	पर्यटन विभाग	22,59,00,000	7,61,00,000	112,95,00,000	38,04,00,000
78.	संस्कृति विभाग	71,75,00,000	4,00,000	358,76,00,000	20,00,000
जनजातीय कार्य मंत्रालय					
79.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	15,04,00,000	5,00,00,000	75,19,00,000	25,00,00,000
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय					
80.	शहरी विकास विभाग	106,52,00,000	72,40,00,000	532,58,00,000	361,99,00,000
81.	लोक निर्माण कार्य	107,43,00,000	37,46,00,000	537,17,00,000	187,29,00,000
82.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	31,2,00,000	23,00,000	155,58,00,000	1,17,00,000
83.	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग	35,55,00,000	30,67,00,000	177,72,00,000	153,33,00,000
जल संसाधन मंत्रालय					
84.	जल संसाधन मंत्रालय	117,01,00,000	7,90,00,000	585,07,00,000	39,52,00,000
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय					
85.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	217,52,00,000	16,70,00,000	1087,57,00,000	83,47,00,000
युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय					
86.	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	52,20,00,000	31,00,000	260,97,00,000	1,52,00,000

1	2	3		4	
परमाणु ऊर्जा विभाग					
87.	परमाणु ऊर्जा	256,50,00,000	174,96,00,000	1282,50,00,000	874,79,00,000
88.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	250,55,00,000	182,17,00,000	1252,73,00,000	910,83,00,000
महासागर विकास विभाग					
89.	महासागर विकास विभाग	27,73,00,000	40,00,000	138,67,00,000	2,00,00,000
अंतरिक्ष विभाग					
90.	अंतरिक्ष विभाग	268,07,00,000	71,05,00,000	1340,36,00,000	325,26,00,000
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय					
92.	राज्यसभा	9,73,00,000	—	48,64,00,000	—
93.	लोकसभा	22,67,00,000	—	113,35,00,000	—
94.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	16,00,000	—	77,00,000	—
	जोड़ राजस्व/पूंजी	38536,14,00,000	7919,85,00,000	169663,98,00,000	37738,06,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सायं 7.01 बजे

विनियोग (संख्याक-2) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और निवनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।**

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 दिनांक 24.4.2001 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 25 अप्रैल, 2001/5 वैशाख, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
मंगलवार, 24 अप्रैल ,2001/ 4 वैशाख,1923 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
62	18	उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय
100	28	विकलता	विफलता
223	20	श्री मणिकराव होडल्या गावित	श्री माणिकराव होडल्या गावित
229	15	कीमतों में अंदर	कीमतों में अंतर
250	29	परुक्षा	परीक्षा
287	32	लक्ष्य	लाभ
291	30	कारम	कारण
321	11	समाधन	समाधान

पी.एल.एस.–48/16/28/2001 (एन०)

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।